राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 2] ग्यारहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का उन्नीसवां दिवस [संख्या : 11

शुक्रवार
9 अप्रेल, 1999

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, श्री रामस्वरूप जी।

परिवहन निगम का औजार खरीद प्रकरण

266. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में औजार खरीदने में अनियमितताएं हुई हैं? यदि हां, तो कब एवं कितने रुपयों की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि औजार खरीदने हेतु निविदाएं भी आमंत्रित की गयी थी? यदि हां, तो उसमें कितने लोगों ने निविदाएं प्रेषित की तथा क्या-क्या दरें थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि एक फर्म द्वारा सबसे कम दरें देने के पश्चात् भी उसके पक्ष में निविदा स्वीकृत नहीं कर अधिक दर वाली फर्म की निविदा की स्वीकृति प्रदान की गयी? यदि हां, तो क्यों? सबसे कम एवं सबसे अधिक दरें देने वाली फर्म का नाम व पते का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त प्रकरण में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी थे, क्या अब उनको बचाया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है। यदि हां, तो कब तक?

(5) क्या सरकार भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कोई कदम उठाने का विचार रखती है?

यातायात मंत्री (श्री छोगाराम बाकोलिया) : (1) जी, हां। हैण्ड टूल्स की वर्ष 1997-98 की मांग के विरूद्ध वर्ष 1998-99 में हैण्ड टूल्स के क्रम में अनियमितताएं हुई हैं। समय पर पता चलने से प्रभावी कार्यवाही की गयी और निगम को कोई आर्थिक हानि नहीं होने पायी।

(2) जी, हां। खुली निविदाएं आमंत्रित की गयी थीं। टूल्स क्रय करने हेतु 6 निविदाएं प्राप्त हुई थीं। प्राप्त निविदाओं में सम्मिलित फर्मों द्वारा दी गयी दरों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) यह सत्य है कि प्राप्त हुई 6 निविदाओं में से सबसे अधिक दरें मै. भाटिया टूल्स एण्ड टेक्नोलोजी, बैंगलोर की थीं परन्तु इसके बावजूद पांच सम-

(श्री छोगाराम बाकोलिया)

करणों हेतु अन्य सभी कम दरों के प्रस्तावों को नकारते हुए क्रय भंडार विभाग द्वारा इन पांच उपकरणों हेतु क्रय आदेश अधिकतम दर वाली फर्म मै. भाटिया टूल्स एण्ड टेक्नोलोजी, बैंगलोर को दिया गया। क्रय भंडार विभाग का यह कृत्य पूर्णतया गलत था। सबसे अधिक दरें मै. भाटिया टूल्स एण्ड टेक्नोलोजी, बैंगलोर की थी, शेष सभी पांचों फर्मस् की दरें इससे कम थी। दरों का विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(4) उक्त अनियमितता में निगम के सतर्कता विभाग द्वारा प्रारम्भिक जांच में प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये गये निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध उनके नाम के आगे अंकित कार्यवाही सम्पन्न की जा चुकी है :–

क्र. सं.	नाम एवं पद	कार्यवाही का विवरण
1.	श्री पी.एस. श्रीमाली, महा प्रबन्धक (भण्डार)	निलम्बित
2.	श्री एस. के खत्री, संभाग यांत्रिक अभियंता	निलम्बित
3.	श्री बी. सी. जैन, सहायक लेखाधिकारी	निलम्बित
4.	श्री रमेश कुमार पारीक, कनिष्ठ लेखाकार	निलम्बित

इन सभी दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध वृहद शास्ती (मेजर पैनल्टी) 16 सी. सी. ए. के तहत अभियोग पत्र जारी किये जा रहे हैं। अतः यह सत्य नहीं है कि दोषी व्यक्तियों को बचाया जा रहा है।

(5) जी. हां।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–1 देखें)

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, नम्बर एक, क्या प्रभावी कार्यवाही की गयी? यह कहते हैं कि हमने प्रभावी कार्यवाही की। मेरा प्रश्न है कि साहब, क्या प्रभावी कार्यवाही आपने की? क्या अनियमितताएं पायी गयीं, अनियमितताएं किस प्रकार की थीं, इनका पूर्ण विवरण दें। कितनी आर्थिक हानि हुई। दूसरा, नीचे की दर की निविदाएं आयी थीं उनको छोड़कर ऊंची दर वाली निविदा देने वाले से खरीदा, आप कैसे कह सकते हैं कि हानि नहीं हुई। तीसरा प्रश्न, माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिकारियों को कब निलम्बित किया गया इसकी कृपया तारीख बताएं। माननीय मंत्री महोदय, तीन को आपने कब निलम्बित किया एवं चौथे को कब आपने निलम्बित किया, इसकी भी तारीख बताएं। चौथा, अभियोग पत्र जारी क्यों नहीं किये गये? निलम्बित व्यक्ति इस वक्त कहां पर हैं और वे क्या ड्यूटी दे रहे हैं, क्या काम उनसे लिया जा रहा है? पांचवां प्रश्न है, जिन अधिकारियों ने अनियमितता ..

श्री अध्यक्ष : अलग–अलग ले लें।

श्री रामस्वरूप : लास्ट है साहब यह। जिन अधिकारियों ने अनियमितता की, उनसे उच्च अधिकारियों के खिलाफ सुपरवाइजरी नेग्लीजेंसी... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न भी सप्लीमेंटरी के साथ कर दिया।

श्री रामस्वरूप : होने के कारण उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ? (व्यवधान) इसका जवाब आने दो, साहब। फिर मैं सप्लीमेंटरी पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष : पहले प्रश्नकर्ता।

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता ने पूछा कि क्या कार्यवाही हुई। मैंने पहले ही बताया कि उनको निलम्बित कर दिया गया है चार आदमियों को। और जो पूछा, कब किया है, वह मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एस. के. खत्री, सम्भाग यांत्रिक अभियंता को 31.12.98 को किया गया, बी. सी. जैन सहायक लेखाधिकारी को निलम्बित किया है 31.12.98 को और रमेश कुमार पारीक, कनिष्ठ लेखाकार हैं उसको निलम्बित किया है 31.12.98 को और श्री पी.एस. श्रीमाली, महाप्रबन्धक (भंडार) को 6.4.99 को किया गया है। और जो आप कह रहे हैं कि कितनी हानि हुई है बोर्ड को, जब कि मैं कह रहा हूं कि कोई प्रकार की हानि नहीं हुई है। मैटीरियल आया है, उसको कोई यूज में नहीं लिया गया। उसको प्री-आडिटिंग के टाइम में पाया गया, यह ज्यादा पैसे से लेकर खरीदा गया है इसलिए इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाय चूंकि यह मैटीरियल है इसकी क्वालिटी हमें खरीदना चाहिए था उसके अनुरूप नहीं है, इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया जाय। और इसलिए जब एक्सेप्ट ही नहीं किया गया, पेमेंट भी नहीं किया गया है तो हानि होने का प्रश्न ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मेरा प्रश्न था, मेरा सप्लीमेंटरी प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम।

श्री रामस्वरूप : मेरा सप्लीमेंटरी है।

श्री अध्यक्ष : आप बाद में पूछ लेना।

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सप्लीमेंटरी है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहूंगा....

श्री रामस्वरूप : पहले मेरा एक सप्लीमेंटरी है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : इसके बाद पूछना।

श्री अमराराम (धोद) : क्या यह सही है कि माननीय सदस्य के प्रश्न लगने के बाद जनरल मैनेजर को सस्पैण्ड करना यह दर्शाता है कि केवल छोटे कर्मचारियों को इतने बड़े घोटाले में केवल छोटे कर्मचारी को सस्पैण्ड करके विभाग इसको ढकना चाहता था। केवल मात्र यह प्रश्न लगने के बाद जो आपने बताया है, अप्रेल में 6-4 को जो जनरल मैनेजर है, उसको सस्पैण्ड किया है। इससे विभाग की कार्य क्षमता, आप कह रहे हैं कि उन्होंने आर्डर दे दिया, सामान उन्होंने दे दिया। क्या मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि अगर माननीय सदस्य प्रश्न नहीं पूछते तो वह सब एक्सेप्ट भी होता और रोडवेज को करोड़ों रुपये का चूना यह फर्म और रोडवेज मैनेजमेंट मिलकर लगाते जो राजस्थान की जनता के होता।

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता की शंकाएं वास्तव में सही है। जब-जब कभी कोई बात उजागर होती है तो निसंदेह उस पर एक्शन वांछित है। चूंकि पत्रों में, पेपरों में भी इस तरीके की शिकायतें आयीं मैंने इम्मिजिएटली इस पर एक्शन लेने के लिए विजिलेंस और दूसरी इन्क्वायरी करने के लिए कहा और तत्काल इस पर विजिलेंस इन्क्वायरी हुई। और इन्क्वायरी में वास्तव में पाया गया कि विजिलेंस की रिपोर्ट के अनुसार यह यह, फलाने प्रथम दृष्ट्या दोषी हैं। उसके ऊपर पहले एक्शन लिया गया। और बाद में बहुत वाइल्ड पोजीशन पर दोष को देखते हुए उसके बाद में स्टोर का जो आफिसर है उसको अभी सस्पैण्ड किया गया क्योंकि इसमें उसकी भी साथ-साथ कांसपिरेंसी में होना थोड़ा-बहुत पाया गया है।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, टेण्डर फाइनल करने वाले अधिकारी कौन थे? आपने उन्हें तो सस्पैण्ड किया है सिर्फ इस आरोप में कि सामान घटिया है लेकिन टेण्डर फाइनल करने वाली अथोरिटी कौन थे?

श्री अध्यक्ष : श्री जगमाल सिंहजी। अभी आपको दूंगा समय।

श्री हरजीराम बुरड़क : वह सिर्फ उनसे रेट का मामला था तो सारे कागज उनके सामने थे। उनके खिलाफ क्या किया?

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी मुझे यह बताने का कष्ट करें कि यह जो सामान खरीदने के आदेश दिये थे, क्या यह सही नहीं है कि तत्कालीन एम डी. ने दिये थे? एक सप्लीमेंटरी और पूछना चाहता हूं आपके मार्फत। क्या यह सही है कि जब माल फर्म ने सप्लाई किया तो यह जो श्री एस. के. खत्री है इसने फिजिकल वेरीफिकेशन किया और इसने पाया कि यह माल गेडोर का खरीद करने के आदेश थे, यह माल गेडोर का नहीं है और उसने इंस्पेक्शन में इस माल को रिजेक्ट कर दिया? फिर एस.के. खत्री को क्यों किया, एम. डी. को क्यों नहीं किया गया? आपने सस्पैण्ड इन छोटे अधिकारियों ने जिसे रिजेक्ट कर दिया जांच के बाद, और भुगतान करने का नोट लगा दिया कि इसको भुगतान नहीं किया जावे, उनको तो कर दिया सस्पैण्ड। आपने इन चार को तो सस्पैण्ड किया। इनका दोष क्या है? यह तो सामान परचेज करने का आदेश जारी किया था यह परचेजिंग बोर्ड बना हुआ है, माननीय अध्यक्ष महोदय। और परचेजिंग बोर्ड यह फैसला लेता है और परचेजिंग बोर्ड का जो सुप्रिम है, जो सबसे बड़ा अधिकारी है जिसकी सलाह से यह खरीदा जाता है, वह था एम. डी.। और तत्कालीन एम. डी. के खिलाफ तो आपने कोई कार्यवाही नहीं की। यह बाबू, लेखाकार, यह श्रीमाली कोई, इनको तो आपने सस्पैण्ड कर दिया, एम. डी. को सस्पैण्ड क्यों नहीं किया आपने? इनको क्यों कर दिया और इनकी क्या गलती है। आपके विजिलेंस की रिपोर्ट बता दो मेरे को।

श्री अध्यक्ष : एम. डी. क्या महाप्रबन्धक होता है?

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इनकी रिपोर्ट केवल यह है कि जब

(श्री जगमाल सिंह यादव)

माल आया तो इन्होंने पोल खोल दी और उनको सजा दे दी। जो बड़ा हाथी था, जिसने ये सब कुछ कारनामे किये। तत्कालीन एम, डी., उसके खिलाफ आपने कोई कार्यवाही नहीं की। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि उनके खिलाफ एम. डी. के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं। आप उनको क्यों मार रहे हो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : एम. डी. एक आई. ए. एस. अफसर है। इसलिए उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की गयी है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, लेखा शाखा में (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : अगर एम. डी. को आप नहीं कर सकते हैं तो कल्ला साहब कर सकते हैं। आप उनको लिखो। जिसने घोटाला किया उसको तो बचा लिया आपने (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डा. किरोड़ी लाल जी, आप।

श्री जगमाल सिंह यादव : जिन्होंने आपका पैसा बचाया है उनको मार दिया और जो तत्कालीन एम. डी. मुख्य दोषी है उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं, यह क्या तरीका हुआ।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, लेखा शाखा में...(व्यवधान)... कि ये औजार घटिया हैं, कम कीमत के हैं इनका ज्यादा भुगतान किया जा रहा है। इसके बाद भी मेनेजिंग डायरेक्टर ने इसकी एप्रूवल दी है। इसके लिए मेनेजिंग डायरेक्टर भी बड़ा दोषी है उसके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं। जब लेखा शाखा ने वहां पर आब्जेक्शन लगा दिया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, ये पार्टस सिर्फ हैड-क्वार्टर पर नहीं खरीदे जाते। ये पार्टस प्रत्येक जो चीफ मैनेजर डिपो, जिसको कहते हैं, डिपो में खरीदे जाते हैं। (व्यवधान) और एम डी. एक आई. ए. एस. हैं। इसलिए उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की गयी है... (व्यवधान)।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, नहीं, गलत जानकारी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको सप्लीमेंटरी पूछने की इजाजत नहीं दी है। आप खड़े हो गये, दूसरे लोग खड़े हो रहे हैं। आप बाद में। श्री शिवनाथ सिंहजी।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि सामान कब खरीदा गया और आपके यहां कब रिसीव हुआ। ये अनियमितताएं हुई, ये आपकी जानकारी में कब आयीं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि क्या किसी अधिकारी की सुपरवाइजरी नेग्लीजेंसी इसमें आपको मालूम होती है क्या, जैसे कि एम. डी. के लिए कहा गया। इन अधिकारियों के ऊपर भी कोई अधिकारी था। इसलिए इतना विलम्ब क्यों हुआ? जब सामान आपके पास आया गया और आपने 31. 12. 98 को सस्पेण्ड किया है, इस बीच में किसी अधिकारी ने इसकी लीपा-

(श्री शिवनाथ सिंह)

पोती करने का, और दूसरा मैं यह जानना चाहूंगा कि 31.12.98 के बाद में अभी तक इनको चार्ज-शीट क्यों नहीं दी गई है ?

श्री अध्यक्ष : राठौड़ साहब, आप पूछिये ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आपने अपने उत्तर में कहा कि भाटिया टूल्स टेक्नॉलाजी को, उसकी दरें सर्वाधिक थीं उसके बाद भी उसको क्रय आदेश दे दिया । तो मैं यह जानना चाहूंगा कि क्रय आदेश देने में तो आपकी पर्चेज कमेटी बनी, उस कमेटी के चैयरमैन कौन थे, नम्बर-एक । नम्बर-दो, भाटिया टूल्स टेक्नॉलाजी का जो उपकरण खरीदा गया, उसका स्पेसिफिकेशन और जिन दूसरी कम्पनियों की निविदाएं आपने कम बताई हैं, उनके स्पेसिफिकेशन में क्या अन्तर था, कृपया इसको स्पष्ट करें । तीसरा, जितनी भी खरीद-फरोख्त होती है, उस खरीद फरोख्त के लिए जो एक पर्चेज आर्गेनाइजेशन बना हुआ है, उसका चैयरमेन कौन है । क्या उस चैयरमेन के बिना हस्ताक्षर के यह सारा माल खरीदा जाना तय हुआ । जब रिसीप्ट हुआ तो फिर क्या उनकी बिना नॉलेज के यह सारा रिसीप्ट हुआ । लेखा शाखा ने इसमें क्या-क्या आक्षेप लगाये, कृपया इनकी जानकारी दे दें । जांच कब शुरू हुई, यह जांच राजस्थान राज्य पथ परिवहन की निगाहों में सबसे पहले कब आई, कितनी तारीख को आई और जांच के आदेश किस अधिकारी ने दिये ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता, एक मिनट, आप पूछिये ।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में कोई भी खरीद की जाती है, उसके लिए एक पर्चेजिंग कमेटी बनी होती है । चाहे उसको सेण्ट्रल स्टोर पर्चेज डिपार्टमेंट कहें, चाहे पर्चेजिंग कमेटी कहें । इन औजारों की खरीद के लिए क्या उस पर्चेजिंग कमेटी की मीटिंग हुई, उस मीटिंग की अध्यक्षता किसने की, और यह खरीदने के लिए आदेश किसने दिया । अध्यक्ष महोदय, पहला सवाल यह है कि जिन लोगों को निलम्बित किया गया है, यह उनके साथ अन्याय किया गया है । अन्याय इसलिए किया गया, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को यह कहना चाहता हूं कि आदेश दे खरीदने के कौन, जबकि आवश्यकता नहीं थी खरीदने की । खरीदे जाएं, गलत कम्पनी से, जो ट्रेड मार्क नहीं है, घटिया स्तर के । इन लोगों ने उसको आब्जेक्ट कर दिया । कनिष्ठ लेखाकार की टिप्पणी और आपके जो दूसरे स्टोर कीपर हैं, उनकी टिप्पणी भी आप सदन पटल पर रखें । इन्होंने कहा कि चूंकि ये औजार खरीदने के लिए दूसरी कम्पनी को अधिकृत किया गया था तय किया गया कि फलां ट्रेड मार्क ही खरीदे जाएं और यह घटिया स्तर की सामग्री खरीदी गयी है । यह रोडवेज को नुकसान है । उन्होंने आब्जेक्शन लगाया तो उल्टे उन्हीं को आपने निलम्बित कर दिया, इससे बड़ा अन्याय कुछ हो नहीं सकता है । आप तो कहते थे कि हम लोगों को न्याय देंगे और माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अन्याय किया गया है कि जिन लोगों ने पेमेंट रोकने के लिए, जिन लोगों

(मोहम्मद माहिर आजाद)

ने गलत खरीद को नोटिस में लाये, पकड़ा, आप उल्टे उन्हीं को निलम्बित कर रहे हो। क्या आप उसको निलम्बित करेंगे जिसने यह माल खरीदने का आदेश दिया ? क्या आप उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे, जिसने इस माल को कहा कि आप इसको स्वीकार कर लीजिये, गलत होते हुए भी ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि आपने कहा है कि अनियमितता हुई है और कोई आर्थिक हानि नहीं हुई। तो फिर अनियमितता कैसे हो गयी ? हानि आपको हुई नहीं और अनियमितता हो गयी। अध्यक्ष महोदय, मेरा तो यह निवेदन है कि जिन अधिकारियों ने अनियमितता की है उनके उच्चाधिकारियों के खिलाफ सुपरवाइजरी नेग्लिजेंस के कारणों के बारे में आप उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं। जिन अधिकारियों ने सुपरवाइजरी नेग्लिजेंसी की है। आपने बड़े अधिकारियों को तो इसमें लिप्त नहीं किया, छोटे अधिकारियों को आपने सस्पेंड कर दिया या उनके खिलाफ कार्यवाही कर दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि पिछली सरकार के टाइम में जो इस प्रकार का घोटाला हुआ है, अब आप आये हो, आप या तो इन उच्चाधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करिये नहीं तो उनमें और हममें फर्क क्या होगा। हममें और उनमें फर्क होना चाहिए। आप तत्काल सस्पेंड करो। जो उच्चाधिकारी हैं उनसे कोई डरने वाली बात नहीं है। इन्हीं लोगों के कारण सारा घोटाला हुआ है। छोटे अधिकारियों के खिलाफ तो कार्यवाही आपने कर दी, उच्चाधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करो।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिये, आप प्रश्न पूछिये।

श्री रामस्वरूप : क्या कर रहे हैं, सदन को इससे अवगत करायें।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैनेजिंग डायरेक्टर के खिलाफ स्पष्ट कार्यवाही बनती है। उसने इस खरीद का अनुमोदन किया। इस बड़े को तो आप बचा रहे हैं और छोटों को मार रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इस बड़े के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। स्पष्ट रूप से दोषी है, यह सदन को .. (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सरकार जवाब दे, अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : एम.डी. को सस्पेंड करना चाहिए, जिसने अनुमोदन किया उसको कीजिए आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : करो ना कार्यवाही, दे दो सी. बी. आई. को मामला। आपकी तो आदत हैं ना सी. बी. आई. को देने की। इसको भी सी. बी. आई. को दे दो। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, कोई प्रशासनिक अधिकारी... (व्यवधान) एक तो निवेदन यह है अध्यक्ष महोदय कि एम. डी. जो रोडवेज में थे, वे ही बाद में जयपुर मेटल में गये, वैसे के वैसे सारे

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

घोटाले उन्होंने जयपुर मेटल में किये, जो एम. डी. रोडवेज में थे, ढाई साल रहे, एक बात। दूसरा यह कि जो खरीद-फरोख्त औजारों की होती है, वह सिर्फ हैडक्वार्टर लेवल पर नहीं होती है। मंत्री महोदय की जानकारी में है कि इनके जो डिपो हैं, चीफ मैनेजर पोस्ट वाले डिपो, वहां पर भी यह खरीद होती है। यह जो पर्चेज बोर्ड बना हुआ है, पर्चेजिंग कमेटियां बनी हुई हैं, उनकी भी जांच करवाएं, यह आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : आप जो एलिगेशंस लगा रहे हैं, बिना नोटिस के लगा रहे हैं। मंत्रीजी।

श्री छोगाराम बाकोलिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने अपनी चिन्ताएं बताईं। कुछ अनियमितताएं हुई हैं जिसके लिए मैंने आपसे निवेदन करके, श्रीमान् एम. एल. ए. साहब को पूर्ण तथ्यों से, मेरे सवाल के जवाब में दिया है कि जो अनियमितता हुई है, लेकिन उसकी पर्चेजिंग के बाद ज्योंही स्टोर के अन्दर यह सामान आया है, दिसम्बर, 98, जो माननीय सदस्यों ने पूछा है वह माह दिसम्बर, 98 के अन्दर, पांचों प्रकार के उपकरण प्राप्त हुए थे। और जहां तक एम. डी. के खिलाफ कार्यवाही के लिए माननीय सदस्यों ने कहा है, इसमें एम.डी. का कहीं इन्वाल्वमेंट नहीं है, क्योंकि वह पर्चेज (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : सारा ही एम. डी. ने किया है, जो कुछ किया है। उसी के आदेश से सारा काम हुआ है।

श्री छोगाराम बाकोलिया : आप छोड़िये वह ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप तो यह बताओ कि पर्चेजिंग के आर्डर किसने दिये। पर्चेजिंग कमेटी के अध्यक्ष ने.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पारदर्शी हो। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : मैं जो कह रहा हूं (व्यवधान) मैं नियमों के अन्तर्गत कोई तथ्यों से छिपाऊंगा नहीं। (व्यवधान) इसका एक्शन इन्होंने लिया और उजागर किया तो आपको तथ्यों से क्यों छिपाऊंगा। मैं तो आपको क्लीयर कट सारी बात बताऊंगा। इसके अन्दर जो नियम है, आपकी हाई-पावर कमेटी....(व्यवधान) आप सुनिये, हाई-पावर कमेटी पूरे नार्म्स तैयार करती है कि किस तरीके का मैटेरियल, कहां से किस-किस मेक के खरीदे जाएंगे। वह हाई-पावर कमेटी मैनेजिंग डाइरेक्टर, एफ.ए. एण्ड सी.ओ.ए., जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर-स्टोर-पर्चेज, जनरल मैनेजर–टायर, और एक्जीक्यूटिव मैनेजर, स्टोर पर्चेज का इसमें मैम्बर होते हैं। उन्होंने डाइरेक्शन.. (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : चैयरमेन कौन हैं?

श्री छोगाराम बाकोलिया : सुनिये, सुनो तो सही आप मेरा जवाब। उनके पर्चेज आर्डर के लिए हैण्ड-टूल्स के लिए यह कहा गया है कि It was decided to restrict its purchase among the following trade match. जिसमें गेडोर, झालानी, तापड़िया और एवरेस्ट के लिए

(श्री छोगाराम बाकोलिया)

ही सिर्फ कहा गया कि जो भी स्टोर पर्चेज आथोरिटी है, वह पर्चेज करते समय इन चीजों को सिर्फ ले सकती है। अण्डर देट रुल्स, इन्होंने जो पर्चेज किया है, वह है एवरेस्ट और गेडोर। पोजीशन के अनुरूप जो कहा गया है उसके अनुरूप खरीदा नहीं गया था। इसलिए, यह जो, इसके ऊपर चार्जेज बन गये थे, चारों अधिकारियों पर। स्टोर परचेज आफिसर के जी. एम. जो हैं, उसमें आर्डर प्लेस करने वाले जी. एम. है और वही अथोरिटी है कि उसने टेंडर काल कराये। टेंडरकाल करने के साथ में उनके अन्दर ए.ओ, ए.ए.ओ. और जिनके सारे चारों के नाम बताये हैं, वह इसमें नोटशीट के ऊपर, सब प्रोसीजर के अन्दर उनके सबके सिग्नेचर्स हैं। और विजिलेंस के द्वारा, हमारे एडिशनल एस. पी. विजिलेंस ने पूरी इन्क्वायरी की और इन्क्वायरी के अन्दर इन चारों को डिफाल्टर माना है जिसके कारण से सरकार ने, वे डिफाल्टर हैं, उसके लिए एक्शन लिया है और कोई इसके अन्दर नहीं आता है।

मोहम्मद माहिर आजाद : एम.डी. कौन थे ? (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : पांच दिसम्बर, 1998 को एम. डी. को आप ... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : सस्पेंड जो किया गया है, उनको, मैं पूछता हूं कि उनके खिलाफ....

श्री जगमाल सिंह यादव : 5 दिसम्बर, 1998 के एम. डी. को हटा नहीं रहे हो ....(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : एम.डी. के खिलाफ तो कार्यवाही नहीं की गयी और उनके खिलाफ (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप एम.डी. के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं करते ? आप एम. डी. के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं करते ? जिसने एप्रूव किया है इसको.... (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : मान्यवर, यह जो अनियमितता और आर्डर पहले के दिये हुए हैं, आपके राज के। (व्यवधान) हमारे राज में हुआ होता तो ले लिया होता पहले एक्शन....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : एप्रूव करने वाले के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की? एप्रूव करने वाले के खिलाफ आपने कार्यवाही क्यों नहीं की। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : आखिर आप यहां पर इसको घुमा-फिरा कर कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : हमने इस पर एक्शन लिया है। पहले कोई एक्शन ही नहीं लिया गया। आपके टाइम हुआ है। वह तो आपके राज में हुआ है, उस टाइम कोई एक्शन नहीं लिया। यह आपकी ढील के कारण से (व्यवधान) हमने एक्शन लिया है।

श्री रामस्वरूप : एम.डी. के खिलाफ आप कार्यवाही क्यों नही करते ? अध्यक्ष महोदय, एम. डी. ने अप्रूव किया है। एम. डी. के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की जाए, उसके खिलाफ कार्यवाही करें और और आप उसको सस्पेंड करें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : एम. डी. को क्यों बचाना चाहते हैं, आप ?

श्री रामस्वरूप : एम. डी. को क्यों बचाया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं ..(व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो रोका और रुकवाया, उसका तो धन्यवाद देना चाहिए इनको (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पहले मंत्रीजी यह जवाब दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री छोगाराम बाकोलिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने ने .. (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : इन्होंने किया तो है। मंत्रीजी ने कर तो दिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इतने उद्वेलित क्यों हो रहे हैं ? मैंने आपको पूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया। आप उसको पूछिये लेकिन बीच में आप यह जो ...

श्रीमती बीना काक : शाबासी तो दे नहीं रहे हैं और यह कह रहे हैं कि ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इतने उद्वेलित होकर के नहीं, नहीं ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, हरेक बात पर कह देते हैं कि आपका टाइम था, जब हुआ है। आपके टाइम में आपने किया, कुछ नहीं किया। आपके टाइम में हरेक मामला (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : आप पूछ रहे हैं तो मैं जवाब दूं (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमारा था तो हम कह रहे हैं कि फांसी लगा दो। यह कोई बात हुई ? अध्यक्ष महोदय, इनको बतायें, आज कोई भी मामला हो, पांच साल का कोई भी मामला हो, इस सदन के माननीय मंत्री, या तो हम पांच साल तक बोले ही नहीं, बोले ही नहीं.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : या तो हम पांच साल तक बोले ही नहीं। कोई मामला हो, आपके टाइम में हुआ है। दो न फांसी। यह क्यों नहीं सूचना देते। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : आपके टाइम नहीं हो तो आप बताओ। इनके खिलाफ इन्क्वायरी ...

श्री अध्यक्ष : माननीय राजेन्द्र सिंहजी राठौड़, कल से मैं यह देख रहा हूं कि बारबार आप सी. बी. आई. की जांच के लिए बहुत उतावले हैं। (व्यवधान) आपने यहां शांति से एक सप्लीमैंट्री पूछ लिया है। दूसरे लोगों ने पूछे हैं, उनके उत्तर आये नहीं हैं इसलिए आप उनको पूछने दीजिए। अभी यह क्वेश्चन आवर है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप हर चीज को बता रहे हैं, अध्यक्ष महोदय....

श्री छोगाराम बाकोलिया : अध्यक्ष

(श्री छोगाराम बाकोलिया)

महोदय, निविदाएं प्रस्तुत, माह नवम्बर, 97 में मांगी गयी थी तो यह इनका काल था या अपना काल था, यह इनको बता दें (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : अपना (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : नवम्बर में निविदाएं....

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोतय, यह तो स्वयं सिद्ध था कि जिसकी रेट ज्यादा थी, जिसको रेट ज्यादा थी, तो उसमें जांच की कहां आवश्यकता थी ?

श्री छोगाराम बाकोलिया : अगर आप कहो तो आपके मंत्री के खिलाफ जांच करवा लें कि उन्होंने इस तरीके से कैसे भ्रष्टाचार किया। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : मंत्री के खिलाफ नहीं... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, जो इनकी रेट आयी थी, उनमें जिसकी रेट ज्यादा है, उसके इन्होंने क्रय आर्डर दिये हैं तो यह तो स्वयं सिद्ध है, इसमें जांच की कहां आवश्यकता थी कि जांच करें और छह महीने के बाद अभी विधान सभा का प्रश्न लगने के बाद जनरल मैनेजर को आपने सस्पैंड किया है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : एम. डी. के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही करायी ?

श्री अमराराम (धोद) : जबकि सबसे ज्यादा दर देने वाली फर्म को आपने क्रय आर्डर दिये हैं। इससे तो स्वयं सिद्ध है, इसमें जांच की कहां आवश्यकता थी तो उसी दिन जिस दिन यह पता लगा, आपका जी एम. सस्पैंड हो जाना चाहिए था।

श्रीमती बीना काक : पहले वालों ने नहीं किया, इन्होंने किया है न सस्पैंड। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : इनको भी चार महीने हो गये। अध्यक्ष महोय, इनको भी चार महीने हो गये। यह तो अभी 6–4 को आपने सस्पैंड किया है। और यह तब किया है जब विधान सभा का प्रश्न गया है।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो स्पेसिफिक प्रश्न माननीय यातायात मंत्री जी से यह पूछा था कि इस औजार खरीद के आदेश किसने दिये और कुल कितनी राशि का था। जो परचेजिंग के लिए बैठक हुई आपकी, परचेज कमेटी को, उसमें उसको प्रिसाइड किसने किया था, यह आदेश किसके हस्ताक्षरों से दिये गये थे और इसका अनुमोदन किसने किया, वह जवाब आप बताइये।

अध्यक्ष महोदय, आज नौ तारीख है और छह तारीख को आप सस्पैंड कर रहे हैं। आपने कार्यवाही की उसके लिए तो आपको हम यह नहीं कह रहे हैं कि आपने नहीं की, लेकिन जिसके विरुद्ध करनी चाहिए थी, वह नहीं की। आप एक तरफ तो यह मान रहे हो कि गलत फर्म से माल खरीदा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय,

(मोहम्मद माहिर आजाद)

मतदाता सूची में जिसका नाम हो और उसको कोई वोट डालने से रोक दे और जिस उम्मीदवार को वह वोट डालना चाहता है, भले ही वह जीत जाए, लेकिन उसको वोट डालने नहीं दिया जाए, तो उसके साथ अपराध किया गया है, उसकी सजा तो मिलेगी। आप जब कह रहे हैं कि अनियमितता हुई है। तो अनियमितताएं किस स्तर पर हुई, किसके द्वारा हुई, यह आपसे मैं जानना चाहता हूं, इसका जवाब दीजिए आप।

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला अगर मैं नहीं उठाता तो यह बेइमानी सामने नहीं आती। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी निवेदन करना चाहता हूं कि .. (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : इस प्रकार के प्रश्न मैंने उठाये, इसका परिणाम है कि यह बेईमानी सामने आयी हैं। इसलिए माननीय मंत्री जी, हम विधायकों के सचेत रहने के कारण यह बेइमानी सामने आयी है। मेरा आपसे निवेदन है कि....

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल मोदी।

श्री रामस्वरूप : इतने बड़े दोषी को आप कतई मत बचाइये। उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करिये। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से एक निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : क्वेश्चन पूछिये।

श्री मोहन लाल मोदी : कि हमने हमारे मेनिफेस्टो में स्वच्छ प्रशासन देने की बात कही है। अगर यह किसी तरह की गड़बड़ी है और दोषी पाये गये हैं तो हम उनको बचायें नहीं, उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही करें। और बारबार इस बी. जे. पी. का नाम लेकर के हम वह नहीं करें। बी. जे. पी. वालों ने कुछ भी किया है, आज हमको उसको सुधारना चाहिए। हमको इसकी सही स्थिति लेनी चाहिए। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि सख्त से सख्त कार्यवाही करें।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सूचना, यह सामान परचेज के आदेश हुए, 5.12 को और तत्कालीन एम. डी. रहा चार महीनों तक यहां। और इस परचेजिंग की सारी सूचनाएं एम. डी. को गयीं, यह सही है। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि एम. डी ने बोर्ड की परचेजिंग कमेटी की अध्यक्षता नहीं की तो पांच दिसम्बर से लगाकर के आज तक उस एम. डी. ने क्या कार्यवाही की ? एम. डी. की मौन स्वीकृति थी आप बतायें कि एम. डी. ने क्या कार्यवाही की ? अगर रामस्वरूप जी क्वेश्चन नहीं लगाते और आपके ध्यान में नहीं आता तो आप कार्यवाही नहीं करते। तो जो एम. डी. रहा, पांच दिसम्बर से लगाकर के अब चार महीनों तक, उसने क्या कार्यवाही की ? काम तो एम. डी. का ही था।

श्री रामस्वरूप : काम तो मेरा था जो घोटाला मैंने उजागर किया। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : वह तो आपने लिखकर... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मैं ने किया, नहीं करता तो कुछ भी नहीं होता। इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। अब यह तो मैंने उजागर किया है। करो अब। कोई कार्यवाही करो।

श्री छोगाराम बाकोलिया : रामस्वरूप जी को तो बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राधेश्याम गंगानगर : अध्यक्ष महोदय, मुझे परमिशन है क्या ?

श्री छोगाराम बाकोलिया : अध्यक्ष महोदय, रामस्वरूप मीणाजी को बहुत-बहुत धन्यवाद कि इस हाउस में लाकर, वे लेकर आये हैं। इस डिस्कसन से पूरे सदस्यों की जानकारी में आया कि इस तरीके से घोटाले पहले के काल में हुए हैं जिसको हमने ठीक किया है। अब माननीय सदस्य कह रहे हैं कि एम. डी. ने क्या किया ? अध्यक्ष महोदय, जो विजिलैंस की रिपोर्ट और विजिलैंस की इन्क्वायरी करना चार महीने के अन्दर और यह सारे आर्डर देना, उसमें चेयरमैन और एम. डी. के आदेश थे, जिसके कारण से इनके ऊपर इन्क्वायरी हुई थी। और इन्क्वायरी के कारण से इन चारों को दोषी पाया गया क्योंकि आर्डर देने वाली अथोरिटी ही यही है। यहां चेयरमैन . (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : चेयरमैन और मंत्रीजी....(व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : अथोरिटी और कोई नहीं है। जो चारों आदमी हैं, उसी पर, चेयरमैन को भी धन्यवाद दूं कि उन्होंने इम्मिजिएटली आर्डर दिया। एस. पी. विजिलैंस हमारे पास, एडिशनल एस. पी. विजिलैंस है ताकि आपको हमारे होम मिनिस्टर साहब को तंग नहीं करना पड़ा और वहीं से इन्क्वायरी कराकर के इन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की है।

श्री मोहन लाल मोदी : यह जो आफिसर है, यह आपको भी लेकर के जाएंगे।

श्री अध्यक्ष : बात नहीं कीजिए।

श्री मोहन लाल मोदी : यह आफिसर्स ही इनको लेकर के गये थे। आफिसरों की पैरवी मत करिये। यह आफिसर तो बी. जे. पी. को लेकर के गये। हां, और कुछ भी नहीं है।

श्री छोगाराम बाकोलिया : और मान्यवर, जो टेंडर आमंत्रित किये गये हैं, उसमें कमेटी जो ...

श्री राधेश्याम गंगानगर : अध्यक्ष महोदय, एक मेरा पूरक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आप ठहरिये।

श्री छोगाराम बाकोलिया : टेंडर कमेटी जो ओपन करने वाली कमेटी थी, उसमें जी. एम., (एस. पी.) श्री एस. के. खत्री, जी एम. (स्टोर पेमेंट) श्री एस.एल. चौधरी, जी एम (टूल्स) श्री वी. माथुर और सारे यह अपने पी एस. श्रीमाली जी. एम. (एस. पी.) थे....

मोहम्मद माहिर आजाद : Who was the convener of that purcdase committee ? मैं स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं आपसे।

श्री छोगाराम बाकोलिया : पी. एस. श्रीमाली।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : श्रीमाली को सस्पैंड नहीं किया ?

श्री छोगाराम बाकोलिया : कर दिया, कर दिया।

श्री अमराराम (धोद) : अब किया है।

मोहम्मद माहिर आजाद : अब किया है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : एक पूरक प्रश्न है। एक पूरक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : आर्डर।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मेरे ख्याल से....(व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : मान्यवर, जब एक चीज को परचेज करते हैं परचेज में जब चीज ली ही नहीं गयी घर में और उसको वहीं पर रोक कर के (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : मंत्री महोदय, आप पूरी जानकारी ढंग से नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : आने ही नहीं दी गयी। आगे तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। यूं ही दे देते हैं। निगम को हानि होती... (व्यवधान) तब बोर्ड को हानि होती....

श्री राधेश्याम गंगानगर : सम्माननीय मंत्री महोदय, आप बात को पूरी तरह से बता नहीं रहे हैं। हम पूछ रहे हैं.... (व्यवधान)....

श्री छोगाराम बाकोलिया : इसलिए बोर्ड को किसी प्रकार की.. (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : एम. डी. का तो कोई दोष ही नहीं है, आप जवाब क्यों नहीं

श्री छोगाराम बाकोलिया : हां, तो कह रहा हूं न कि मैं....(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : कहा है। कहां कह रहे हो ? जिस व्यक्ति के बारे में यह पूछ रहे हैं कि चेयरमैन कौन था, एम. डी. और चेयरमैन है ही नहीं (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : न चेयरमैन की गलती है, न एम.डी. की गलती है, यह तो मैं निवेदन कर... (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : जब एम.डी. का इसमें कुछ लेना-देना ही नहीं है, एम. डी. और चेयरमैन....

मोहम्मद माहिर आजाद : अब ठीक है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : एक टेक्निकल कमेटी है। परचेज कमेटी है, परचेज कमेटी का चेयरमैन कोई और है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपका हो चुका। एम. डी. का कुछ लेना-देना नहीं है तो अभी इन्होंने एम. डी. के खिलाफ एक्शन नहीं लिया है और जांच चल रही है।

श्री राधेश्याम गंगानगर: तो यह सारे इनके खिलाफ कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप उस एम. डी. के बारे में क्या कह रहे हैं ?

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं यह नहीं कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : वह तो खुद ही एक्शन नहीं ले रहे हैं।

श्री राधेश्याम गंगानगर : इनको जो मतलब था, अब वह उत्तर सही आ गया है। अब उत्तर सही आया है, यह अब कोई नहीं बोलेगा।

श्री अध्यक्ष : वे कुछ भी बात कहते हो, उससे क्या होगा। नैक्स्ट।

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, जांचक ब तक पूरी होगी, आप बताइये। आप बताइये कि जांच चल रही है, जांच कब तक चलती रहेगी, कब पूरी कर लेंगे आप जांच को, कोई समय सीमा है ?

श्री छोगाराम बाकोलिया : अध्यक्ष महोदय, जांच हो चुकी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट प्रश्न। श्री हरजी राम बुरड़क।

धीरडोदामीठा (लाडनूं) का समाज कल्याण भवन निर्माण प्रकरण

267. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरपंच ग्राम पंचायत धीरडोदामीठा पंचायत समिति लाडनूं जिला नागौर द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों को सीधा लाभ पहुंचाने की योजना के अन्तर्गत धोलाभाटा की ढाणी में समाज कल्याण भवन बनाया गया ? यदि हां, तो कितनी लागत का और कब तथा वहां पर अनुसूचित जाति के कितने घर हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिस योजना में यह भवन बनाया है, उस योजना में केवल अनुसूचित जाति के लोगों को ही लाभ मिलना चाहिए था ? क्या वहां पर एक भी घर अनुसूचित जाति का नहीं है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सरपंच ने दिनांक 3.1.98 को एक झूठा प्रमाण-पत्र विकास अधिकारी, लाडनूं को दिया कि यहां पर अनुसूचित जाति के घर हैं ? यदि हां, तो इसके लिए सरपंच के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो अब कब तक की जायेगी ?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री सी. पी. जोशी) : (1) जी, हां। यह कार्य जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, नागौर द्वारा दिनांक 2.1.98 को रुपये 1,96,000/– प्रारम्भ में स्वीकृत किये गये व बाद में दिनांक 9.3.98 को रुपये 2,45,000/– की संशोधित स्वीकृति जारी की गई। धोलाभाटा की ढाणी जहां पर समाज कल्याण भवन बनाया गया है, वहां पर चार अनुसूचित जाति के घर हैं।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, नहीं।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, वह सत्यता के कहीं नजदीक ही नहीं है। आपने वहां चार घर बताए हैं और मैं आपको यह चैलेंज देता हूं कि अगर आप एक भी घर उस समाज

(श्री हरजीराम बुरड़क)

कल्याण भवन के आस-पास या दूर-दूर तक बता दें तो मैं इस सदन से इस्तीफा दे दूं। दूसरा, आपने प्रश्न दो और तीन में कहा है–जी, नहीं। तीन में मैंने यह पूछा था कि क्या सरपंच ने प्रमाण-पत्र दिया था जिसके आधार पर यह भवन बना था। आपने कहा– जी, नहीं। मैं वह पढ़कर सुनाऊं। 3.1.98 को सरपंच ने प्रमाण-पत्र दिया विकास अधिकारी को–प्रमाणित किया जाता है ग्राम पंचायत धीरडोदामीठा द्वारा सामुदायिक विकास अनुसूचित जनजाति भवन बनाया जा रहा है वह पंचायत बैठक दिनांक इतने के प्रस्ताव संख्या 9 के अनुसार ही है। यह भवन अनुसूचित जनजाति हेतु बनाया जा रहा है। इसका निर्माण धोला-माटा की ढाणी में किया जा रहा है। यह अनुसूचित जाति की ढाणियों के बीच में स्थित है। यह प्रमाण-पत्र आपके विभाग द्वारा ही मुझे दिया गया था पुरानी विधान सभा में कभी। और आप आज यह उत्तर दे रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि आपको यह अधिकारी किस सीमा तक गुमराह कर रहे हैं और आप इनके बहकावे में आ जाते हैं। मेरा यह सीधा आरोप है कि आपको इन अधिकारियों ने गुमराह किया है। पहले कभी कोई जांच हुई तो बता दिया 50 घर हैं, उसके बाद में दुबारा कह दिया 40 घर हैं। और आज आप कह रहे हैं कि 4 घर हैं। मैं चैलेंज देकर कहता हूं कि एक घर एक किलोमीटर तक भी आप कहीं बता दें तो मैं इस सदन से इस्तीफा दे दूंगा। आप क्या कार्यवाही करेंगे, वह आप जाने।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यही निवेदन करना चाहता हूं कि विकास अधिकारी की जो रिपोर्ट है, उसमें उस ढाणी के 218 परिवारों की अलग-अलग कास्ट के, उन्होंने बाइफरकेशन दिये हैं, उसमें दे रखे हैं। और फिर भी माननीय सदस्य, क्योंकि वहां के विधायक हैं, आप कह रहे हैं तो मैं इसकी जांच करवा लूंगा। इससे ज्यादा मैं और क्या कह सकता हूं आपसे। आपको त्याग-पत्र देने की जरूरत नहीं है। मैं इसकी जांच करवा लूंगा। यदि विकास अधिकारी ने गलत सूचना दी थी तो उसके खिलाफ कार्यवाही कर लूंगा। आपको त्याग-पत्र देने की जरूरत नहीं है।

श्री हरजीराम बुरड़क : आपने पहले जांच करवाई। आपसे पूर्व जो भी मंत्री थे, उन्होंने दो बार जांच करवाई। आप जांच उन्हीं से ही करवाओगे जिन्होंने आपको गलत रिपोर्ट दी है। अब आप किससे जांच करवाओगे, मुझे यह बताओ।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पिछली विधान सभा में भी उठाया। पिछली विधान सभा में भी इसका यही जवाब दिया गया। वहां के एस. डी. एम., डीडवाना ने इसकी जांच की है। नागौर के ए. डी. एम. ने उनको वैरीफाई किया है उसके बाद में यह सूचना मैंने दी है। विकास अधिकारी की इसमें सूचना लगी हुई है कि 218 परिवारों में यह पांच परिवारों के नाम दिये हुए हैं। फिर भी माननीय सदस्य कह रहे हैं किससे जांच करवाएंगे तो मैं इनसे निवेदन कर रहा हूं कि वहां के जिलाधीश महोदय से मैं जांच करवा लूंगा और जांच करवाने के बाद वस्तुस्थिति के बारे में आपको

(श्री सी. पी. जोशी)

अवगत करा दूंगा और यदि सूचना गलत होगी तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करूंगा ।

श्री हरजीराम बुरड़क : जिस ए. डी. एम. की रिपोर्ट का आप हवाला दे रहे हैं उसमें तो ए. डी. एम. ने 40 घर बताएं हैं। आप फिर चार घर क्यों बता रहे हैं ?

श्री सी. पी. जोशी : मैं, माननीय सदस्य, आपको फिर दुबारा रिपीट कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दुबारा फिर रिपीट कर रहा हूं मैं... (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क : जांच रिपोर्ट मेरे पास है । उस जांच रिपोर्ट में ए. डी. एम. ने बताएं हैं 40 घर तो फिर आपने चार घर क्यों बताए ?

श्री अध्यक्ष : 40 घर ढाणी में हैं, पूरी ढाणी में ।

श्री हरजीराम बुरड़क : नहीं-नहीं, है ही नहीं । नजदीक में अनुसूचित जाति का घर नहीं है और यह योजना थी केवल अनुसूचित जाति को सीधा लाभ पहुंचाने के लिये ।

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, 218 ढाणियां हैं । आपने 218 ढाणियां बतायी हैं ।

श्री हरजीराम बुरड़क : यह 218 बता रहे हैं और मैं कह रहा हूं एक भी नहीं है । सवाल यह कि अनुसूचित जाति के सिवाय दूसरी ढाणी... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : धोलाभाटा में आस-पास की ढाणियां हैं ।

श्री हरजीराम बुरड़क : यह योजना में यह सैंक्शन हुआ । जो योजना थी वह केवल अनुसूचित जाति को लाभ पहुंचाने के लिए थी, दूसरों के लिए नहीं थी ।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा) : लाडनूं विधान सभा क्षेत्र की कुल ढाणियां बता दीं उन्होंने ।

श्री हरजीराम बुरड़क : वहां अगर एक किलोमीटर तक भी अनुसूचित जाति की एक भी ढाणी या एक भी घर बता दें तो मैं आप कहो जो करने के लिए तैयार हूं । आपने तीन बार जांच करा ली और तीन तरह की बात आपने खुद ने कह दी । अब आप इसकी जांच कैसे कराओगे, यह बताओ आप ।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सदस्य, मैं फिर विनम्र शब्दों में निवेदन कर रहा हूं कि मेरे पास जो रिपोर्ट है, उसमें धोलाभाटा की ढाणी के परिवारों की सूची है । उसमें 218 परिवारों की उन्होंने सूची दी है । इसमें नाम दे रखे हैं बेलादास पिता चेतनदास जाति... (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क : नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है । (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आप रुको तो सही एक बार । (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क : मैं यह कह रहा हूं आपको गलत जानकारी दी है । यह तो मैं खुद ही कह रहा हूं । नाम देने की जरूरत कहां पड़ी है ?

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैंने... (व्यवधान) आप मेरी बात सुनें ।

श्री हरजीराम बुरड़क : एक मिनट, मेरी आप सुन लीजिये । (व्यवधान) मैं यह कह रहा हूं कि आपको अधिकारियों ने गलत जानकारी दी है, इसलिए आपको इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है । अब आप कैसे जांच कराओगे, यह बता दो आप तो मुझे ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण जी ।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य, श्री हरजीरामजी ने राज्य सरकार की जो तथ्यात्मक रिपोर्ट है, उसको विधान सभा के अन्दर चुनौती दी है । सरकारी आंकड़ों को, सरकारी रिपोर्ट को चुनौती देना इस विधान सभा में परम्परा रही है । माननीय सदस्य ने जब अपनी जानकारी के आधार पर और अपनी सदस्यता को भी दाव पर लगाते हुए यह कह रहे हैं कि एक–एक किलोमीटर तक भी वहां आबादी नहीं है और माननीय मंत्री महोदय जानकारी पढ़ रहे हैं ए. डी. एम., बी. डी. ओ. की रिपोर्ट वेरीफाईड, बाई ए. डी. एम, उसको पढ़ रहे हैं । यह चुनौती है सीधी । माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को चुनौती देने का अधिकार है और इसका समाधान निकालना आपके हाथ की बात है । डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बराबर एक ही रिपोर्ट दे रहा है । मैं आपके मार्फत निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय आपने यहां से किसी सीनियर आफिसर को भेजकर इसकी तथ्यात्मक जानकारी करें ।

एक माननीय सदस्य : किसी विधायक को भेज दो ।

श्री रामनारायण चौधरी : विधायक की जरूरत नहीं है । अपने विभाग के यहां से सीनियर अधिकारी को भेजे ताकि इसकी तथ्यात्मक जानकारी आ जाए और उस जानकारी से माननीय मंत्री महोदय अगली बार जब भी मौका हो, सदन को भी अवगत करावें ।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं, क्योंकि मेरे सम्मानित सदस्य हैं, मौके पर जाऊंगा और तथ्यों का पता लगाने के बाद कार्यवाही करूंगा । त्याग पत्र देने की जरूरत नहीं है ।

श्री रामनारायण चौधरी : यह और भी बढ़िया है ।

श्री अध्यक्ष : श्री राधेश्याम गंगानगर ।

श्री दुर्गाप्रसाद (गंगापुर) : जिस अधिकारी ने गलत रिपोर्ट दी, उसके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये । श्री राधेश्याम गंगानगर ।

चक 7 एल. एल. (श्रीगंगानगर) में पशुओं की मौत प्रकरण

268. **श्री राधेश्याम गंगानगर** (गंगानगर) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि चक 7 एल. एल. श्रीगंगानगर में गलत टीके लगाने से पशुओं की मौत हुई है ? यदि हां, तो मौत

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

के कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त गलत टीकों के कारण कितने पशुओं की मौत हुई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्रकरण में सरकार ने किस-किस को दोषी माना और दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) जिन व्यक्तियों के पशु मरे क्या सरकार उन्हें कोई आर्थिक सहायता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(5) क्या यह सही है कि वैक्सीन पर बैच नम्बर व दिनांक अंकित नहीं थी? क्या विभागीय जांचकर्ता वैक्सीन की बोतलें अपने साथ ले गये हैं? क्या सरकार इस मामले की जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, पशुपालन (श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : (1) ग्राम 7 एल. एल. में गलत टीके लगने के कारण पशुओं की मौत नहीं हुई। पशुपालकों द्वारा दिये गये बयान के अनुसार दो तरह के टीके को एक साथ मिलाकरण टीकाकरण करने के उपरान्त 36 पशुओं की मौत हुई है। मौके पर जांच हेतु किये गये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तथा एपेक्स सेन्टर, पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर को भेजे गये सेम्पल की जांच रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि गलघोंटू रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं से मिलते-जुलते जीवाणु रक्त में पाये गये हैं। पोस्टमार्टम उपरान्त लक्षणों के आधार पर मृत्यु का कारण शॉक अवगत कराया गया है।

(2) 36 पशुओं की मृत्यु हुई है। विवरण संलग्न है। पशुओं की मृत्यु के कारणों की जांच की जा रही है।

(3) उक्त प्रकरण में श्री रघुराज सिंह, पशु चिकित्सा सहायक, पशु चिकित्सालय, चुनावढ़ को जांच के आधार पर प्रथम दृष्टया दोषी माना गया है, जिसे विभाग द्वारा आदेश संख्या 2066–72 दिनांक 10. 3. 99 के द्वारा निलम्बित किया जा चुका है। प्रभारी, पशु चिकित्सालय, चुनावढ़ के विरुद्ध भी जांच कार्यवाही जारी है। श्री रघुराज सिंह को दिनांक 10.3.99 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जो दिनांक 11. 3. 99 को जमानत पर रिहा हो गया है तथा पुलिस द्वारा भी अग्रिम जांच कार्यवाही की जा रही है।

(4) विभाग द्वारा इस प्रकार की कोई सहायता नहीं दी जाती है।

(5) जी, नहीं। वैक्सीन की बोतल पर बैच नम्बर व कालातीत अवधि अंकित है। जिला पशुपालन अधिकारी ने वैक्सीन की बोतलें संदेश वाहक द्वारा प्रादेशिक पशु चिकित्सा जैविक इकाई, जयपुर को जांच हेतु भेजी थी। प्राप्त बोतलों में वैक्सीन की उपलब्ध मात्रा लगभग शून्य थी। अतः उसी बैच की अन्य वैक्सीन की बोतल में उपलब्ध वैक्सीन की जांच की गयी थी तथा उसकी गुणवत्ता सही पायी गयी थी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–2 देखें)

श्री राधेश्याम गंगानगर : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ी ऐसी व्याख्या हमारे मंत्री महोदय ने इस सदन में की है जैसे उनको वहां से लिख कर दे दी गयी है। खुद ही आपने दो तरह के बयान पढ़े हैं। एक बयान में तो यह कहा है कि वह दोषी नहीं है। दूसरी तरफ उनको सस्पैण्ड कर दिया गया तो क्यों सस्पैण्ड किया गया जब दोषी नहीं थे और आपने खुद ही अपने स्टेटमेंट में यह बात कही है कि वैक्सीन की बोतलों पर नम्बर व दिनांक अंकित नहीं थी। यह राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, प्रताप केसरी, सीमा संदेश, ट्रिब्यून, यह सारे पेपरों ने यह बात कही है। और 36 पशु मरे हुए बताये हैं लेकिन पशु बहुत ज्यादा संख्या में मरे हैं। इस रिपोर्ट में आपने यह भी वर्णन किया है कि गलघोंटू बीमारी से, तो क्या एक ही गांव में और उसी जगह, उन्हीं हरिजन गरीब व्यक्तियों के यहां ही यह बीमारी आ गयी बाकी कहीं नहीं थी ? यह बिलकुल बनायी हुई बात है। आप बहुत सूजवान मंत्री जी हैं हमारे, आप किसानों की रग को समझते हैं, इस मामले में बिलकुल, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। अगर हम इस बात की पूरी तरह जांच नहीं करायेंगे, हमारे भारत में पशु और इन्सान में कोई फर्क नहीं है, हम पशु को भी उसी तरह से ट्रीट करते हैं जैसे इन्सान को करते हैं, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसमें जांच पूरी नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे भी प्रार्थना करूंगा, हो सकता है मेरी बात कितनी सत्य है कितनी असत्य है, मैं खुद नहीं समझ रहा लेकिन एक बात, मुझे पूछनी है। ऐसा बार-बार लग रहा है जो भी हमारे अधिकारी हैं, जैसे ही हमने प्रश्न किया, यहां इतना पैसा लगता है, प्रश्न वहां जाता है। जिस अधिकारी की हम शिकायत करते हैं, जिस कार्य की शिकायत करते हैं, हम कहते हैं फलानी सड़क ठीक नहीं है तो वहां से नगरपालिका लिख कर भेज देती है सड़क बिलकुल ठीक है। हम कहते हैं वहां की सफाई ठीक नहीं है। तो एक आदमी तो दोषी है, या तो आप हमें सजा दीजिये या उन व्यक्तियों को जो गलत रिपोर्ट दे रहे हैं। एक जमाना ऐसा था....

श्री अध्यक्ष : आप लम्बा भाषण मत कीजिये, आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : क्वेश्चन ही पूछ रहा हूं। मेरा एक अहम सवाल है कि अभी लाडनूं से आने वाले हमारे माननीय सदस्य ने जो बात कही वो ही बात इस पर लागू होती है।

श्री अध्यक्ष : इसका क्या मतलब है, आप छोड़िये लाडनूं की बात। आप इस प्रश्न के बारे में प्रश्नकर्ता हैं, इस पर कोई अनुपूरक प्रश्न पूछिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं अर्ज करता हूं, इसी में वह भी गलत जानकारी है यह भी गलत जानकारी है। प्रश्न उससे मिलाने का मकसद, अध्यक्ष महोदय, यह है कि आपको यह मालूम हो कि हाउस में पहले जब प्रश्न जाता था तो जिले में बैठे हुए अफसर कांपते थे, गलत जवाब नहीं देते आजकल यह परम्परा हो गयी है कि वो बिलकुल हाउस को गुमराह करते हैं और यहां इतनी बड़ी पंचायत बैठ कर, और मंत्रीजी पढ़ देते हैं और हम सुनकर

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

बैठ जाते हैं। यह परम्परा गलत है। इसको सुधारिये और गवर्नमैंट को आदेश दीजिये इसकी इंक्वायरी हो। यह इतने अखबार हैं, मैं आपको कटिंग पेश करता हूं, आप पढ़िये।

श्री अध्यक्ष : आप पेश क्या कर रहे हैं, आपने सब प्रश्न पूछ लिये ?

श्री राधेश्याम गंगानगर : 10 अखबार लिख रहे हैं और इसकी एक परसेंट भी कोई जांच नहीं हुई। वेक्सीन की बोतलें एक फोर्थ क्लास था वह लेकर चला गया और यहां मिल कर दूसरी वहां रख दी गयी। उसका बैच नम्बर नहीं था। यह आप इंक्वायरी कर लें अगर बैच नम्बर हो तो फिर जो मर्जी आये मुझे कह देना। मैं गलत बात आपको नहीं कह रहा।

मुआवजे के बारे में कहना चाहता हूं। जो गरीब किसान थे, इन्होंने अपने जवाब में लिखा है कि हम तो मुआवजा तो कोई देंगे ही नहीं। यह मंत्री जी, आपने जवाब में कहा है कि मुआवजा नहीं देंगे, गरीब किसान जिसके घर रोटी नहीं बनती इसके बिना 10 हजार की भैंस मर गयी, 15–20 हजार की गऊ मर गयी, उसके जीने का वही एक साधन था, तो जीयेगा कहां से, रोटी कहां से खायेगा ? उस व्यक्ति के लिए आप कह रहे हो सजा उनको देनी नहीं क्योंकि पहले कह रहे हो कि वह दोषी है ही नहीं फिर सस्पैंड क्यों किया ? इसका जवाब दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये। आप प्रश्न क्यों नहीं पूछते ? आप कोई भाषण दे रहे हैं यहां।

श्री राधेश्याम गंगानगर : गड़बड़ी यह हुई कि दो तरह के टीके इकट्ठे लगा दिये गये। मृत्यु इस कारण से हुई। दो अलग-अलग टीके थे और उनको मिक्स कर के उस व्यक्ति ने लगा दिया और मौके पर वह दोनों....

श्री अध्यक्ष : हां तो यही क्वेश्चन पूछिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : क्या यह सही है ?

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी।

श्री राधेश्याम गंगानगर : क्या यह सही है कि दो तरह के टीके लगने से मृत्यु हुई है ?

श्री अध्यक्ष : अब आप फिर भाषण दे रहे हो। आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछो।

श्री राधेश्याम गंगानगर : ठीक है, अध्यक्ष महोदय।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : जहां तक माननीय राधेश्याम जी की यह चिंता है कि गरीब किसानों को काफी आर्थिक नुकसान हुआ है, मैं इस मामले में उनकी चिंता से सहमत हूं।

जहां तक प्रश्न है कि यह मृत्यु किस प्रकार से हुई, किस में कितना दोष था Sir, the matter is already registered in police. पुलिस इसकी जांच कर रही है और गहराई से जांच होगी। हमारा जो वी. ए. वहां पर था, जिसने टीके लगाये

(श्री हरिसिंह)

उसको हमने सस्पैंड कर दिया। उसकी जांच कर रहे हैं और उसी के खिलाफ पुलिस में केस रजिस्टर हुआ। वह अरेस्ट हो गया। अरेस्ट होने के बाद में पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी। बोतलों पर नम्बर था कि नहीं था, किसका किसमें दोष है और इसमें कौन शामिल है, इन सब बातों की जांच ... आप मेरी बात सुनिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मेरा प्रश्न अलग है। मैंने दो प्रश्न किये हैं। एक तो यह कि टीके मिक्स करके लगाये गये वे किस प्रकार के टीके थे? नम्बर एक। इसकी आप जानकारी नहीं दे रहे। दूसरा आप मुआवजा दे रहे हो कि नहीं?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : इसकी जांच भी पुलिस करेगी कि दो प्रकार के टीके मिला कर लगाये गये। अथवा नहीं लगाये गये। आज मैं हाउस में यह कह दूं कि मिलाये गये तो फिर पुलिस क्या जांच करेगी?

श्री राधेश्याम गंगानगर : आप जरा अपना जवाब पढ़िये, नाराज नहीं होइये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : पढ़ लिया मैंने। मैं पढ़ रहा हूं। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : आप पढ़ो तो सही। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मैंने इसमें लिखा है, सुनिये। पशुपालकों द्वारा दिये गये बयान अनुसार दो तरह के टीके लगाये गये। इसी पर केस रजिस्टर हुआ है, इसी की जांच हो रही है। अब मैं इसमें फैसला कर दूंगा कि इसमें दो तरह के लगाये गये थे या नहीं लगाये गये थे how can I say? पुलिस जांच करेगी इसकी।

श्री अध्यक्ष : जांच का प्रश्न यही है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यही है कि दो तरह के मिक्स कर के लगाये गये या अलग-अलग लगाये गये? अगर मिक्स कर के लगाये गये हैं तो मृत्यु का कारण केवल यही है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अगर मिक्स कर के लगाये गये तो वी. ए. दोषी होगा, वो सजा भुगतेगा।

श्री राधेश्याम गंगानगर : पर पहले आपने यह भी कह दिया कि उनकी रिपोर्ट के आधार पर कोई दोषी नहीं है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : नहीं, दोषी क्यों नहीं, मैंने लिखा है, प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर उसको सस्पैंड कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष : हां।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अब रहा सवाल आपकी आर्थिक सहायता का। हमारा डिपार्टमेंट तो कोई सहायता देता नहीं इसमें क्योंकि बहुत-से रिएक्शन से डैथ हो जाती है। लेकिन मैं मुख्य मंत्री को स्वयं लिखूंगा कि गरीब आदमियों के पशुओं की डैथ हुई है इसलिए वो अपने डिस्क्रिशनरी फण्ड से आपको इस मामले में सहायता दें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 269, श्री अमराराम।

दलित वर्ग के दूल्हों को घोड़ी से उतारने के प्रकरण

269. श्री अमराराम (धोद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गत तीन माह में राज्य में दलित वर्ग के दूल्हों को घोड़ी से उतारने की कितनी घटनाएं हुई हैं ?

(2) सरकार उक्त घटनाओं में कमी लाने हेतु क्या उपाय कर रही है ?

गृह मंत्री (श्री प्रद्युम्न सिंह) : (1) राज्य में गत तीन माह (1 दिसम्बर, 1998 से 28 फरवरी, 1999 तक) की अवधि में दलित वर्ग के दूल्हों को घोड़ी से उतारने की दो घटनाएं घटित होना प्रकाश में आया है ।

(2) ऐसी घटनाओं में कमी लाने हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों की सूचना परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है ।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखें)

श्री निर्मय लाल (रूपवास) : मंत्री महोदय, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि बी. जे. पी. के राज में ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं अनुसूचित जाति के लोगों के लोगों के साथ जो घोड़ी से उतारे गये हैं, यह और सदन में बताये आप । (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : फांसी चढ़ा दीजिये बी.जे.पी. वालों को ।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये । प्रश्नकर्ता ।

श्री निर्मय लाल : गृह मंत्रीजी, यह बात महत्वपूर्ण है कि आप इस बात को बताइये कि बी. जे. पी. के टाइम में आठ साल में ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं अनुसूचित जाति के लोगों के साथ में ? (व्यवधान) और उस राज में तो अनुसूचित जाति के लोगों के नाक में नकेल डाली गयी । इस बात को नहीं बताते हैं आप ।

श्री अध्यक्ष : आपको मैं बाद में अवसर दूंगा, आप पूरक प्रश्न पूछ लेना पहले प्रश्नकर्ता पूछेंगे, उनका अधिकार है ।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इन दो घटनाओं में क्या पुलिस को इसका पूर्व अनुमान था या उन व्यक्तियों ने सूचना, शिकायत की थी ? और इन दो घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद कितने दिनों बाद यह मुल्जिम अरेस्ट हुए और किन धाराओं में कितने दिनों बाद में चालान किया गया ? क्या सरकार राजस्थान में ऐसे, जो आपने लिस्ट बतायी है कि उपाय कर रहे हैं, यह उपाय तो पहले थे । यह जो घटनाएं पिछले आठ साल से बढ़ रही हैं इनको घटाने के लिए आपने कोई नया निर्देश ऐसा नहीं दिया है, क्या राज्य सरकार और गृह विभाग ऐसे गांवों की जिनमें 50 साल की आजादी के बाद आज तक कोई दलित दुल्हा घोड़ी पर नहीं चढ़ा, क्या सरकार ने उनका सर्वे करवाया है या कराने की मंशा रखती है ? यह मंत्रीजी बताने का कष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष : घटनाओं में कमी लाने हेतु सदन की मेज पर, जो उपाय किये गये हैं, वह तो रख दिये हैं ।

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह तो पहले के हैं ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप जरा बैठें।

अध्यक्ष महोदय, यह जो उपायों की सूची मैंने सदन के पटल पर रखी है यह सर्कुलर 28.1.99 को इस गवर्नमेंट के आने के बाद निकाला गया। यह मैं नहीं कहता कि इससे पूर्व में इस प्रकार के परिपत्र नहीं थे। जैसे ही यह पहली घटना 22 तारीख को हुई एक मामले में....दूसरी, 27 तारीख को जनवरी के महीने में हुई और उसके तुरन्त बाद 28.1.99 को एक बहुत बड़ा सक्युलर, ये तो उसके मुख्य बिन्दु हैं जो मैंने आपके समक्ष यहां परिशिष्ट-"क" में जो पेश किये हैं। सरकार इस मामले में बहुत गम्भीर है यह मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि हम बहुत गम्भीर हैं। यह दूषित मानसिकता जो हमारे यहां समाज में प्रचलित है जिसके तहत ऐसे घृणित काम किये जाते हैं कि गरीबों की अनुसूचित जाति के लोगों की बारात को चढ़ने नहीं दिया जाता। दूल्हों को घोड़ी पर से उतार दिया जाता है। इसको रोकने के लिए कार्यवाही की गयी है। आप जो कह रहे हैं कि पूर्व में इस प्रकार के सक्युंलर इश्यु हुए हैं ऐसी बात है पूर्व में भी हुए थे लेकिन इस प्रकार के आने के बाद 28.1.99 को निकाला था लेटेस्ट सक्युंलर निकला है जिसके तहत ये बातें कही गयी हैं। यह मैं आपकी मार्फत सदन को सूचित करना चाहता हूं।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो पूछा है उसका तो इन्होंने उत्तर ही नहीं दिया है। मैंने पूछा है कि ऐसी घटनाएं होने का क्या पुलिस को पूर्व अनुमान था ? क्या उन्होंने पीड़ितों ने सूचना की थी ? कितनी तारीख को रिपोर्ट दर्ज हुई और मुल्जिम कितने दिन बाद अरेस्ट हुए ? कौनसी धारा में चालान हुए ? यह तो बताया नहीं आपने।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की घटनाओं की पूर्व में किसी प्रकार की सूचना पुलिस को नहीं दी गयी थी। घटना होने के उपरान्त पुलिस में रिपोर्ट जब लोगों ने करायी। अध्यक्ष महोदय, पहली घटना यह थी, खातौली थाने के अन्तर्गत कोटा ग्रामीण के अन्दर यह घटना खातौली के अन्दर हुई और दूसरी घटना हुई दूदू, जयपुर के अन्दर 22.1.99 को। खातौली की घटना हुई ग्राम धनवा के अन्दर 27.1.99 को। अध्यक्ष महोदय, दूदू वाले मामले के अन्दर 2500 मुलजिमों को इसके अन्दर गिरफ्तार किया गया और चालान कर दिया। कोटा के अन्दर बिना नाम की रिपोर्ट हुई थी कोटा ग्रामीण के अन्दर जिसके अन्दर पुलिस ने जाकर तफ्तीश करके पता लगाया कि ऐसे कौनसे लोग थे और उस तफ्तीश के अन्दर ये नाम कुछ उभर कर सामने आये उनमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। एक-दो मुलजिमों की गिरफ्तारी अभी बाकी रह गयी है। यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं और खातौली और कोटा जिले के अन्दर और जयपुर जिले के अन्दर दोनों ही मामलों के अन्दर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। दूदू के अन्दर एस पी., कलेक्टर और डी. आई. जी. ये मौके पर पहुंचे। एडीशनल एस. पी. तुरन्त मौके पर पहुंचे। कोटा की घटना के सम्बन्ध में जो कोटा ग्रामीण में जो घटना हुई थी वहां भी एडीशनल एस. पी. मौके पर पहुंचे और उसके उपरान्त ए.डी.एम. (प्रशासन) व एस. पी. भी वहां मौके पर पहुंचे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री अमराराम (धोद) : नहीं । अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछ रहा हूं । जवाब तो आये । (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : इस वारदात की पुलिस को पहले ही सूचना थी (व्यवधान) दूल्हे को मारा गया और बारातियों को मारा गया । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : प्रश्न संख्या 270

श्री ज्ञानदेव आहूजा : (व्यवधान) पहले बता दिया गया था । जब बी.जे पी. के चारों खेड़ली में एक घटना हुई । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ज्ञानदेवजी आहूजा ।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब आया ही नहीं हैं । (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, ये अत्यन्त गम्भीर काण्ड हुए । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तीन दिन पहले सूचना दे दी गयी थी इससे गम्भीर बात और क्या हो सकती है (व्यवधान)

श्री निर्मय लाल (रूपवास) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं गृह मंत्रीजी, 1990 से लेकर अब तक की कितनी घटनाएं हुई हैं अनुसूचित जाति के लोगों के साथ, बी. जे. पी. के राज में । (व्यवधान) 1990 से 1998 तक अनुसूचित जाति के लोगों के साथ कितनी घटनाएं हुई हैं ? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, पहले मेरा तो ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : (व्यवधान) तीन दिन पहले सूचना दी गयी थी ।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ...(व्यवधान) पकड़ा गया था अलवर में और आज क्या कार्यवाही हुई है बतायें चार महिने में, कितनी डिटेल है । गृह मंत्रीजी बतायें । बी. जे. पी. के राज में कोई नहीं हुई है । ऐसी घटनाएं हुई हैं तो सारी कार्यवाही हुई है । (व्यवधान)

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी) : हरिजनों के साथ कितनी घटनाएं हुई हैं ? (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : सरकार इस मामले को बहुत ही लाइटली ले रही है ।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर के अन्दर मेघवाल समाज के दुल्हे को घोड़ी पर से उतारा गया । अजमेर जिले के लमाना गांव के अन्दर रैगर समाज के दुल्हे को बी. जे. पी. के राज के अन्दर घोड़ी पर से उतारा गया । न उनमें चालान पेश हुए । (व्यवधान) क्या सरकार उनके खिलाफ चालान पेश करने की मंशा रखती है ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया :...(व्यवधान) पूर्व सूचना दे दी गयी थी और पूर्व सूचना के बाद भी उनकी सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गयी ।

श्री निर्मय लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि जो हरिजनों को घोड़ी पर से उतारा

(श्री निर्मल लाल)

गया....(व्यवधान) हरिजनों की नाक में नकेल डाली गयी। (व्यवधान) दूल्हे को घोड़ी पर से उतारना एक आकस्मिक घटना नहीं हो सकती। यह पूर्व सुनियोजित घटना थी। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार एस. सी., एस. टी. विरोधी सरकार है। इनको सुरक्षा नहीं कर पा रही है। (व्यवधान)

(नारेबाजी)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा है पहले उसका उत्तर दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा है कि कितनी तारीख को रिपोर्ट दर्ज हुई कितनी तारीख को अरैस्ट हुए और कौनसे एक्ट में हुई। उनकी जमानत कहां हुई? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, 1990 के अन्दर नौ घटनाएं हुई, 1991 के अन्दर पांच घटनाएं हुई, 1992 में तीन घटनाएं हुई और बी. जे. पी. के राज में 1993 में आठ, 1995 में चार, 1996 में दस, 1997 में 12, 1998 में सात और 1999 में जनवरी और फरवरी में दो।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रश्न ही नहीं पूछा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : .. जो ये बाहर जा रहे हैं उनके राज की संख्या ये सुनना नहीं चाहते थे इसलिए यहां से बाहर गये हैं ये। उनके राज के अन्दर इतनी हुई हैं इतनी हुई हैं और हमने तो कंट्रोल किया है इसके अन्दर। मुलजिमों को तुरन्त गिरफ्तार किया है हमने इसके अन्दर। त्वरित गति से किसी को बचाया नहीं। उनके राज में तो उन्होंने बचाने की कोशिश की थी। चले गये यहां से निकलकर। (व्यवधान)

श्री महेश जोशी (सरकारी उप-मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल पूछा गया था...(व्यवधान)

(12.00 बजे)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : (व्यवधान) तीन दिन पहले आपके पास में सूचना आ गयी... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपके राज में ज्यादा घटनाएं हुई हैं यह सही है.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : +++सुनिये ... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय गृह मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के टाइम में कितने दूल्हों को घोड़ी से उतारा भारतीय जनता पार्टी के टाइम में यह बताया जाए। यह स्पष्ट करो आप (व्यवधान)। भारतीय जनता पार्टी के राज में कितने अत्याचार हुए हैं हरिजनों के ऊपर (व्यवधान)।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इन बातों को बार-बार कहकर के यह सरकार कहना क्या चाहती है? मैं नहीं समझता हूं कि बी.जे.पी. के राज में अगर कोई घटना हो गयी तो उसको कितने साल तक याद करते रहोगे, उस घटना को दोहराते रहोगे? अगर उस समय कोई गलती हुई तो उसके

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कारण से जो सजा दे सकते थे दी और जनता ने हमको सजा दे दी है। एक मिनट के लिए हम यह मान लें, लेकिन उसके कारण से कांग्रेस को इस बात का लाइसेंस थोड़ी मिल गया कि हमारे राज में ऐसी घटनाएं हो गईं इसलिए यह बराबर घटनाएं करते रहेंगे और इसकी आड़ में बचने का प्रयास करेंगे। आप इस बात को बार-बार दोहरा कर के कहना क्या चाहते हैं। मैं नहीं समझता हूं कि चाहे किसी के भी राज में। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अभी तक चालान पेश नहीं हुआ है (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जब एक बार यह बात कही जा चुकी है तो बार-बार कहने की जरूरत नहीं है....(व्यवधान)

आपके राज में, आपके राज में.... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, हरिजन महिला के साथ बलात्कार (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ऐसे तो आप वाक आउट कर गये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : (व्यवधान) महिला सदन में गर्भवती महिलाएं रही थी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : (व्यवधान) आप इसकी आड़ में लोगों को नहीं बचा सकते (व्यवधान) जब तक निर्दोष नहीं साबित हो जाते... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार भा.ज.पा. शासन में हुआ, दलितों के साथ अत्याचार भाजपा शासन में हुआ। भाजपा शासन में सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं, गृहमन्त्री जी यह बताने का....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज, आर्डर, आर्डर।

श्री रामस्वरूप : भारतीय जनता पार्टी के राज में सबसे ज्यादा अत्याचार हुए.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : शासन ने जो सजा दी है अब आप क्या अत्याचार ज्यादा करना चाहते हैं क्या.. (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++

श्री अध्यक्ष : प्लीज आर्डर, आर्डर। प्रश्नकाल समाप्त।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सरकारी अधिकारियों को वाहन सुविधा पर व्यय प्रकरण

338. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)**: क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि शासन सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों को घर

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

से कार्यालय और कार्यालय से घर पहुंचाने के लिये सरकारी वाहन सुविधा उपलब्ध है? यदि हां, तो किस स्तर के अधिकारियों को और कब से ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सुविधा के उपयोग के लिए अधिकारियों से किसी प्रकार का शुल्क वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो कितना तथा उसका निर्धारण किस प्रकार से किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि जो राशि अधिकारियों से वसूल की जा रही है उसका उन वाहनों पर होने वाले व्यय से कोई ताल्लुक नहीं है ? यदि हां, तो फिर वसूल क्यों किया जा रहा है ?

(4) क्या यह भी सही है कि वाहनों पर व्यय अधिक होता है और वसूली कम? यदि हां, तो प्रति वर्ष वसूली कितनी होती है और वाहनों पर कुल व्यय कितना ? 1 अप्रैल, 1996 से फरवरी, 1999 तक वर्षवार कुल राशि की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सचिवालय के अलावा भी जयपुर में कार्यरत अधिकारियों को उक्त सुविधा मिल रही है ? यदि हां, तो कहां-कहां ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। शासन सचिवालय में कार्यरत मुख्य सचिव, समस्त शासन सचिव एवं विशिष्ट शासन सचिवगण को दिनांक 31.8.90 से एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतन श्रृंखला एवं उससे उच्च श्रेणी के अधिकारी जिनके पास राजकीय वाहन उपलब्ध है एवं राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जो प्रथम श्रेणी के अतिरिक्त विभागाध्यक्ष को दिनांक 16.4.91 से राजकीय वाहन की सुविधा उपलब्ध है। आदेश की प्रतियां संलग्न हैं।

(2) जी हां। दिनांक 31.8.90 से रु. 100/- प्रतिमाह एवं दिनांक 1.6.98 से रु. 200/- प्रतिमाह प्रत्येक अधिकारी शुल्क वसूल किया जाता है। शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में आदेश संलग्न किया गया है।

(3) जी हां। शुल्क वसूली के सम्बन्ध में आदेश स्पष्ट है।

(4) जी हां। चूंकि अधिकारियों को उक्त सुविधा निवास से कार्यालय एवं कार्यालय से निवास आने हेतु प्रदत्त की गयी है जबकि वाहन उपलब्धता के अनुसार आवंटित किया जाता है एवं यही वाहन राजकीय कार्य हेतु भी काम में लिया जाता है तथा विभाग में दोनों कार्यों पर खर्च अलग-अलग संधारण नहीं किया जाता। अतः उपरोक्त सूचना उपलब्धता में असमर्थता है।

(5) जी, हां। समस्त पुलिस महानिदेशक, संभागीय आयुक्त, समस्त पुलिस महानिरीक्षक, समस्त पुलिस, उपमहानिरीक्षक, समस्त विभागाध्यक्ष, प्रथम श्रेणी, जिला कलक्टर, समस्त पुलिस अधीक्षक जयपुर शहर, को दिनांक 31.8.90 एवं पुलिस मुख्यालय पर पदस्थापित समस्त पुलिस अधीक्षक कमाण्डेन्ट, आर. ए. सी. पुलिस अधीक्षक, सी. आई. डी. जोन राज्यपाल के ए.डी.सी. प्रधानाचार्य, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, जयपुर भारतीय प्रशासनिक

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

सेवा में एवं भारतीय वन सेवा की वरिष्ठ वेतन श्रंखला एवं उससे उच्च श्रेणी के अधिकारी जिनके पास राजकीय वाहन उपलब्ध है एवं राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वे अधिकारी जो प्रथम श्रेणी के अतिरिक्त श्रेणी के विभागाध्यक्ष हैं, को दिनांक 16.4.91 से एवं पुलिस अधीक्षक, राज. राज्य अन्वेषण ब्यूरो को दिनांक 27.4.91 से उक्त सुविधा प्रदत्त है।

(प्रतियों के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

राज्य के खेल के मैदानों का रख रखाव प्रकरण

339. श्रीमती पूनम गोयल (लाडपुरा): क्या युवा एवं खेलकूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले को खेल मैदान के रखरखाव, स्टेडियम निर्माण एवं खेल विकास हेतु राशि आवंटित की जाती है ? यदि हां, तो वर्ष 1993-94 से 1998-99 तक किस-किस जिले को किस-किस मद में कितनी राशि आवंटित की गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि स्टेडियम निर्माण/खेल मैदानों को विकसित करने हेतु भारतीय खेल प्राधिकरण देहली द्वारा भी राशि आवंटित की जाती है ? यदि हां, तो उक्त अवधि में किस-किस काम के लिये कितनी राशि आवंटित की गई ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा जिलों के खेल मैदान के रख-रखाव स्टेडियम निर्माण एवं खेल विकास हेतु आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर राशि आवंटित की जाती है। वर्ष 93–94 से 98–99 तक इन मदों के अन्तर्गत स्वीकृत राशि का विवरण परिशिष्ट एक पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

उपखण्ड मुख्यालय जैतारण का स्टेडियम प्रकरण

340. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : क्या युवा एवं खेलकूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या पाली जिले के जैतारण उपखण्ड मुख्यालय पर स्टेडियम का निर्माण करवाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है,? यदि हां, तो निर्माण कब तक करा दिया जायेगा।

उत्तर

जी नहीं।

बरड़ (बून्दी) के खानों का आवंटन प्रकरण

341. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बून्दी जिले के बरड़ क्षेत्र में खनिज विभाग द्वारा खनन कार्य हेतु कुछ व्यक्तियों को जनवरी, 1998 से दिसम्बर, 1998 के बीच सैण्ड स्टोन की लीज आवंटित की है ? यदि हां, तो किस-किस को मय नाम, पिता का नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

(2) क्या जिन व्यक्तियों को खानें आवंटित की है उन सभी को मौके पर खनन लीज नाम कर कब्जा सम्भला दिया है ? यदि हां, तो किस-किस दिनांक को और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। बून्दी जिले के बरड़ क्षेत्र में 1.1.98 से दिसम्बर, 98 के बीच खनिज सैण्ड स्टोन के जो खनन पट्टे आवंटित किये गये हैं। उनके सम्बन्ध में वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट 1, 2 व 3 के अनुसार है।

(2) प्रश्न के भाग एक के उत्तर में संलग्न परिशिष्ट 1, 2 व 3 में उल्लेखित आवेदकों के पक्ष स्वीकृत खनन पट्टों का सीमांकन कर मौके पर क्षेत्र की स्थिति उन्हें बता दी गई है। खनन पट्टे का संविदा के पंजीयन की दिनांक से ही पट्टाधारी स्वीकृत क्षेत्र में खनन कार्य हेतु अधिकृत होता है। जो संलग्न परिशिष्ट 1, 2 व 3 में दर्शाई गई है। जिन प्रकरणों में पंजीयन नहीं हुआ है। उनका कारण भी संलग्न परिशिष्ट 1, 2 व 3 में उल्लेखित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बर (पाली) के खनिज क्षेत्र में अवैध निर्माण प्रकरण

342. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला पाली की तहसील रायपुर के पटवार मंडल बर में कौन-कौन से खसरा नम्बर भू-भाग अपने अधीन ले रखे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त खसरा नम्बरान में कौन–कौन से पट्टाधारी व्यक्तियों को खनिज विभाग द्वारा पट्टे देकर आवंटन कर रखा है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त खनिज क्षेत्र में किसी व्यक्ति के अतिक्रमण कर अपना आवासीय मकान अवैध रूप से बना रखा है ? यदि हां, तो क्या इस अवैध मकान के उस रहवासियान द्वारा लगातार खनन कार्य में पट्टाधारकों को अड़चन पैदा की जा रही है ? यदि हां, तो उसके लिये खनन विभाग सिरोही व सोजत द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ? अब अतिक्रमणी का अवैध निर्माण कब तक हटा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जिला पाली तहसील रायपुर के पटवार मण्डल बर में कोई भूमि विभाग द्वारा अपने अधीन नहीं ली है लेकिन विभाग द्वारा क्वारी लाइसेंस स्वीकृत किये हुए हैं।

(2) जिला पाली तहसील रायपुर के पटवार मण्डल बर में विभाग द्वारा 96 क्वारी लाइसेंस आवंटित कर रखे हैं जिसके सम्बन्ध में वांछित सूचना संलग्न परिशिष्ट-"अ" में उल्लेखित है।

(3) जी नहीं। परन्तु रिकार्ड के अनुसार विभाग द्वारा पटवार मण्डल बर में खनिज फाइलाइटसिस्ट (पट्टी-कातला) के लिए डेलिनियेट की हुई बाउण्ड्री के पास खसरा संख्या 813 में ग्राम पचायत द्वारा

(राज्य मंत्री, खनिज)

रिहायशी प्लाट आबंटित किये हुए हैं। इनमें से एक प्लाट पर मकान बना हुआ है। जिसके मालिकों द्वारा खानों में होने वाले ब्लास्टिंग से अपने मकानों को संभावित खतरे के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी जिसका निर्णय दिनांक 9. 10. 98 को हुआ। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय पश्चात मकान के पास वाले सभी क्वारी लाइसेन्सधारियों ने विभाग को वचनपत्र दिया है कि वे अपने खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग नहीं करेंगे। अतः अब किसी प्रकार का विवाद नहीं रहा है। यह रिहायशी मकान ग्राम पंचायत द्वारा आबंटित किये हुए प्लाट पर बना हुआ है। अतः इसे अतिक्रमण नहीं माना जा सकता।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें)

उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय अजमेर का स्थानान्तरण प्रकरण

343. श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या उप पुलिस अधीक्षक ग्रामीण का कार्यालय अजमेर से हटाकर नसीराबाद करने की मांग जनता द्वारा बार-बार की जा रही है ? यदि हां, उक्त मांग कब तक पूरी कर दी जायेगी ?

(2) क्या यह सही है कि गत वर्ष अजमेर में साम्प्रदायिक दंगे से उत्पन्न स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए फरवरी, 1998 में दरगाह क्षेत्र में नये थाने की स्थापना की गई थी ?

(3) क्या उक्त थाने के सम्बन्ध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) नोटिफिकेशन में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, नहीं। गत वर्ष अजमेर में साम्प्रदायिक दंगे से उत्पन्न स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अस्थायी पुलिस थाना कायम किया गया था।

(3) जी, नहीं।

(4) थाना सृजित नहीं हुआ अतः अधिसूचना जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

नागौर शहर में वक्फ बोर्ड की सम्पत्तियों पर अतिक्रमण

344. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या वक्फ राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नागौर शहर में वक्फ की सम्पत्ति रिकार्ड में दर्ज है ? क्या उक्त सम्पत्तियों पर कोई अतिक्रमण किया जा चुका है ? यदि हां, तो किस-किस सम्पत्ति पर कब–कब, किस-किस द्वारा और क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सम्पत्ति से अतिक्रमण हटाने के लिए सरकार/वक्फ बोर्ड ने कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या-क्या

(श्री हरजीराम बुरड़क)

और उसका परिणाम क्या रहा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त सम्पत्तियों से अतिक्रमण हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस प्रकार से, कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। 27 सम्पत्तियों पर 173 अतिक्रमी हैं। विवरण परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी, हां। वक्फ बोर्ड द्वारा अतिक्रमियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गई। परिणामस्वरूप 12 अतिक्रमियों को बेदखल किया गया है। विवरण परिशिष्ट "ख" सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी, हां। न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत 26 मामले विभिन्न न्यायालयों में लम्बित चल रहे हैं। निर्णयानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

दुर्घटना यूनिट (बहरोड) में रिक्त पद

345. डा. करण सिंह यादव (बहरोड) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

बहरोड़ स्थित हाइवे एक्सीडेन्टल यूनिट में क्या–क्या स्टाफ पदस्थापित है ? क्या सभी पद भरे हुए हैं ? यदि पद रिक्त हैं तो कब तक भरे जाएंगे ? अब ये इकाई कब से काम करना चालू कर देगी ?

उत्तर

बहरोड स्थित हाई-वे एक्सीडेंटल यूनिट में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है :–

पद नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
चिकित्सा अधिकारी	3	–
नर्स श्रेणी-द्वितीय	3	1
वाहन चालक	2	1
वार्ड बॉय	3	3

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक एफ 5(30) चि. स्वा./3/97 दिनांक 20. 3. 99 के द्वारा नर्स श्रेणी द्वितीय के 774 एवं वार्ड बॉय के 615 पदों को भरने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गया है। नर्स श्रेणी द्वितीय के रिक्त पदों को प्रशिक्षित आशार्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना संभव होगा। वार्ड बॉय के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है। वेतन श्रृंखला 1 से 6 तक रिक्त पदों को भरने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगाया हुआ है। प्रतिबंध समाप्त होने पर ही वाहन चालक का रिक्त पद भरा जाना सम्भव होगा। इकाई पूर्व में ही कार्यरत है।

स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय

346. श्री अमराराम (धोद) : क्या

(श्री अमराराम)

चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में वर्ष 1993 से फरवरी, 1999 तक प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर किये जाने वाले व्यय हेतु कितनी राशि स्वीकृत हुई है ?

(2) राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं पर राज्य के बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा व्यय होता है ?

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 1993 से फरवरी, 1999 तक वर्षवार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर किये जाने वाले व्यय हेतु स्वीकृत राशि निम्नानुसार है :-

वर्ष	राज्य की जनसंख्या के आधार पर प्रति व्यक्ति बजट रुपयों में
1993-94	82.55
1994-95	107.79
1995-96	133.73
1996-97	142.87
1997-98	157.59
1998-99	195.73

(2) राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं पर राज्य के बजट व्यय का प्रतिशत निम्नानुसार है :-

वित्तीय वर्ष	चिकित्सा सेवाओं पर प्रावधान का प्रतिशत
1993-94	5.04%
1994-95	5.66%
1995-96	4.53%
1996-97	5.50%
1997-98	5.37%
1998-99	5.48%

राजकीय चिकित्सालय गेंता (कोटा) में रिक्त पद

347. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय चिकित्सालय ग्राम गेंता जिला कोटा में चिकित्सक का पद लम्बे समय से रिक्त है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पद को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, हां। अब आदेश क्रमांक-2523 दिनांक 1. 4. 99 के द्वारा डा. (श्रीमती) सुधा तिवारी को पदस्थापित कर दिया गया है।

सार्वजनिक चिकित्सालय प्रतापगढ़ के चिकित्सकों का शिकायत प्रकरण

348. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री नन्दलाल मीणा)

क्या यह सही है कि जिला सार्वजनिक चिकित्सालय प्रतापगढ़ में सेवारत चिकित्सकों के विरुद्ध जनता/मरीजों से कोई शिकायतें प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

जी, हां । राजकीय चिकित्सालय, प्रतापगढ़ में कार्यरत डा. उदय करण ग्राढ़ा, कनिष्ठ विशेषज्ञ (हड्डी रोग) एवं डा. अली मोहम्मद मय अन्य स्टॉफ के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है । जांच की जा रही है । जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही की जायेगी ।

जिला कोटा एवं झालावाड़ के निर्माण कार्यों का बकाया भुगतान प्रकरण

349. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जिला कोटा व झालावाड़ में ठेकेदारों के द्वारा निर्माण किये गये कार्यों का भुगतान नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो किस-किस ठेकेदार की कब से कितनी राशि के बिल बकाया हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) जनवरी, 1999 से 1 मार्च, 1999 तक किस-किस ठेकेदार को कितना-कितना भुगतान किया व किस ठेकेदार का कितना बिल बकाया है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं । कोटा संभाग के अन्तर्गत जिला कोटा एवं झालावाड़ में किसी भी ठेकेदार का वर्तमान में कोई बिल बकाया नहीं है ।

(2) कोटा संभाग में जिला कोटा व झालावाड़ जिले में जनवरी 99 से 1 मार्च, 1999 तक क्रमशः 175 एवं 90 ठेकेदारों को निम्न भुगतान किया गया है :–

(1) जिला कोटा	रु. 584,90,282/–
(2) जिला झालावाड़	रु. 2,66,31,384/–

उक्त दोनों जिलों में ठेकेदारों को भुगतान की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" में संलग्न है । दोनों जिलों में 1 मार्च, 1999 की स्थिति अनुसार किसी भी ठेकेदार का कोई बिल बकाया नहीं है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

समदड़ी (बाड़मेर) में सहायक अभियन्ता कार्यालय की स्थापना

350. श्री गोपाराम मेघवाल (सिवाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार जिला बाड़मेर की तहसील सिवाना के समदड़ी कस्बे में सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) अब उक्त कार्यालय कब तक खोल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं ।

(2) तहसील सिवाना के समदड़ी कस्बे

(सार्वजनिक निर्माण, मंत्री)

में स्थित सड़कों एवं भवनों से सम्बन्धित कार्यों का सम्पादन सहायक अभियन्ता सिवाना की देखरेख में कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा सम्पादित करवाया जाता है। इसलिये तहसील सिवाना के समदड़ी कस्बे में सहायक अभियन्ता के नये कार्यालय को खोलने की आवश्यकता नहीं है।

सीमेण्ट फैक्ट्री से मुख्यालय की दूरी

351. श्री भरोसीलाल (हिण्डौन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

सीमेन्ट फैक्ट्री शम्भूपुरा जिला चित्तौड़गढ़ से जिला मुख्यालय सवाईमाधोपुर तक सीधे सड़क मार्ग की दूरी कितनी है?

उत्तर

सीमेन्ट फैक्ट्री शम्भूपुरा जिला चित्तौड़गढ़ से जिला मुख्यालय सवाई माधोपुर का सीधा सड़क मार्ग सीमेन्ट फैक्ट्री से शम्भूपुरा चित्तौड़गढ़, लाडपुरा, बून्दी लाखेरी, सवाई-माधोपुर है। जिसकी कुल दूरी 297 कि.मी. है जो निम्नानुसार है :-

शम्भूपुरा सीमेन्ट फैक्ट्री से चित्तौड़गढ़	16 कि मी.
चित्तौड़गढ़ से बून्दी	160 कि मी.
बूंदी से लाखेरी	65 कि.मी.
लाखेरी से इन्द्रगढ़	11 कि मी.
इन्द्रगढ़ से सवाईमाधोपुर	45 कि.मी.
कुल	297 कि.मी.

विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में सड़क निर्माण पर व्यय

352 श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में सरकार ने वर्ष 1990 से फरवरी, 1999 तक कितनी सड़कों का निर्माण करवाया और उन पर कितनी राशि व्यय की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार मानदण्ड के अनुसार शेष सड़कों के निर्माण का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक कौन-कौनसी सड़कें बनाई जायेंगी? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में 1990 से फरवरी, 1999 तक विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल 46 सड़कों का निर्माण किया गया जिसके अन्तर्गत कुल 116.45 किमी. डामर सड़क 29 किमी. मेटल सड़क तथा 41 किमी. ग्रेवल सड़क, इस प्रकार कुल 186.45 किमी. सड़क का निर्माण किया गया जिन पर कुल 523.87 लाख रुपये व्यय किये गये। सूची परिशिष्ट-"अ" संलग्न है।

(2) राजस्थान सरकार द्वारा घोषित सड़क नीति 1994 के अनुसार नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सभी पंचायत मुख्यालय तथा 1991 जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक आबादी वाले गांव डामर की सड़क से जोड़ना प्रस्तावित है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में कुल 19 गांव जिसमें 1000 से अधिक आबादी वाले गांव व पं. मु. सम्मिलित हैं को डामर सड़क से जोड़ना शेष है। इनमें से 13 गांवों को डामर सड़क से जोड़ने हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त है तथा कार्य प्रगति पर है। शेष 6 गांवों को डामर से जोड़ने की स्वीकृति किसी भी योजना में प्राप्त नहीं है। सूची परिशिष्ट-"ब" में संलग्न है। इनको नवीं पंचवर्षीय योजना में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार प्राथमिकता से प्रस्तावित किया जा सकेगा।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

अभियन्ताओं की पदोन्नति प्रकरण

353. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1997 में कितने कनिष्ठ अभियन्ताओं को पदोन्नति देकर सहायक अभियन्ता पद पर लगाया गया ?

(2) उक्त पदोन्नति से कितने सहायक अभियन्ता वास्तविक रूप से एक्टिंग कार्य सब डिविजन, अधीक्षण अभियन्ता व अधिशाषी अभियन्ता कार्यालयों में कार्य कर रहे हैं तथा कितनों को पदोन्नति देकर एटैच टू अधिशासी अभियन्ता कर रखे हैं। सूची मय एटैच टू अधिशासी अभियन्ता सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) गत वर्षों से सही कार्य कर रहे सहायक अभियन्ताओं को बदल कर दो वर्ष पूर्व पदोन्नति के सहायक अभियन्ताओं को सरकार कार्यक्षेत्र में पदस्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1997 में 495 कनिष्ठ अभियन्ताओं को सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :—

1. कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	449
2. कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)	15
3. कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक)	31
	495

(2) पदोन्नति किये गये सहायक अभियन्ताओं को उपखण्डीय कार्यालय, खण्डीय कार्यालयों, वृत कार्यालयों, खण्डीय कार्यालयों में अटैच पद पर, प्रतिनियुक्ति पर, अति. मुख्य अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता कार्यालयों में उपलब्ध पदों पर पदस्थापित किया गया है। पदोन्नति किये गये सहायक अभियन्ताओं की सूची मय पदस्थापन के परिशिष्ट-"अ" में संलग्न है।

(3) राज्य सरकार राजकीय हित को ध्यान में रखकर ही अभियन्ताओं को पदस्थापित करती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

तहसील सांगानेर (जयपुर) की क्षतिग्रस्त सड़कें

354. **श्री ललित भाटी** (अजमेर पूर्व) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री ललित भाटी)

(1) क्या यह सही है कि ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर में वाटिका से ग्राम फतेहपुरा (सत्यपुरी धाम) तक की सड़क खराब हालत में है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क की कुल लम्बाई मात्र 5 किमी. है ? क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। सीमित वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के कारण वर्ष 98–99 में इस सड़क की मरम्मत नहीं करायी जा सकी है।

(2) जी हां। सड़क की कुल लम्बाई 5 किमी. में से ग्राम वाटिका से 700 मी. लम्बाई की सड़क जयपुर विकास प्राधिकरण की है एवं शेष 4.3 कि.मी. लम्बाई सार्वजनिक निर्माण विभाग की है। इस सड़क की 3 कि.मी. लम्बाई में नवीनीकरण का कार्य रु. 4.00 लाख की लागत की योजना मद में सड़क सुधार कार्यक्रम के तहत वर्ष 1999–2000 में प्रस्तावित है। शेष 1.3 कि.मी. लम्बाई में साधारण मरम्मत का कार्य जून 1999 तक करवा दिया जायेगा।

प्रताप समाधि स्थल उदयपुर के निर्माण में अनियमितता प्रकरण

355. **श्री खेमराज कटारा** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अधीक्षण अभियंता वृत प्रथम उदयपुर ने चावण्ड स्थित प्रताप समाधि स्थल पर बचे हुए मिट्टी के कार्य को पूर्ण कराने हेतु मशीनें प्रयुक्त कर कार्य सम्पन्न कराने के निर्देश दिनांक 27-1-97 को कार्यपालक इंजीनियर यांत्रिक खण्ड को प्रदान किये थे ? क्या इस कार्य पर लगने वाली मशीनों के टेण्डर कार्यपालक इंजीनियर यांत्रिक खण्ड से प्राप्त कर अधीक्षण अभियंता वृत प्रथम उदयपुर ने स्वीकृत किये हैं।

(2) क्या यह भी सही है कि इस कार्य को सम्पन्न कराने के पश्चात् बिल कार्यपालक इंजीनियर यांत्रिक खण्ड उदयपुर द्वारा प्रमाणित कर/पास कर कार्यपालक इंजीनियर सलुम्बर खण्ड को प्रेषित करने पर ही भुगतान करना था ?

(3) क्या यह सही है कि कार्यपालक इंजीनियर यांत्रिक खण्ड द्वारा प्रमाणित किराये कि मशीनों की लॉग बुक का बिल रु. 7.45 लाख के तहत कार्यपालक इंजीनियर सलुम्बर ने इससे अधिक भुगतान कर दिया ?

(4) क्या यह भी सही है कि जो अधिक भुगतान जिस किराये की लॉग बुक जो कार्यपालक इंजीनियर यांत्रिक खण्ड द्वारा प्रमाणित कर प्रेषित की नहीं उनके अनुसार नहीं होकर जाली लॉग बुक बनाकर उसे कनिष्ठ अभियंता/सहायक अभियंता सिविल से प्रमाणित कराकर भुगतान किया गया जो इस कार्य पर प्रयुक्त भी नहीं थे।

(5) क्या यह सही है कि कार्यपालक इंजीनियर यांत्रिक ने मशीनें प्रयुक्त करने के आदेश ठेकेदार को दिनांक 16-4-97 को

(श्री खेमराज कटारा)

दिये जबकि जाली लॉग बुकों में कार्य प्रारम्भ करने की दिनांक इससे पूर्व है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों व किसके आदेश से?

(6) क्या यह भी सही है कि इस फर्जी भुगतान की जांच हेतु कार्यपालक इंजीनियर यांत्रिक ने दिनांक 13-4-98 को अधीक्षण अभियंता वृत प्रथम, उदयपुर को विस्तृत रिपोर्ट बनाकर जांच करने हेतु भेजी, परन्तु अधीक्षण अभियंता वृत प्रथम, उदयपुर ने कोई जांच कार्यवाही लम्बे अन्तराल तक नहीं प्रारम्भ की।

(7) क्या यह सही है कि कार्यपालक इंजीनियर यांत्रिक के कार्य आदेश की शर्तों का कार्यपालक इंजीनियर सलुम्बर द्वारा अवहेलना कर लेखा नियमों का उल्लंघन किया ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि अधीक्षण अभियंता वृत प्रथम उदयपुर ने अपने पत्र दिनांक 27.1.97 से प्रताप समाधि स्थल चावण्ड पर बचे हुए मिट्टी के कार्य को मशीन प्रयुक्त कर पूर्ण कराने हेतु कार्यपालक इंजीनियर यांत्रिक खण्ड उदयपुर को निर्देश प्रदान किये कार्य पर प्रयुक्त होने वाली मशीनों की निविदाएं यांत्रिक खण्ड उदयपुर द्वारा प्राप्त की गयी जिसकी दरें अधीक्षण अभियंता वृत प्रथम ने उनके पत्र दिनांक 18.3.97 से स्वीकृत की।

(2) जी हां। यह सही है कि मशीनरीज से कार्य सम्पन्न कराने पर कार्यपालक इंजीनियर यांत्रिक खण्ड उदयपुर को बिल/लॉग बुक प्रमाणित कर/पास कर कार्यपालक इंजीनियर खण्ड सलुम्बर को प्रेषित करने पर भुगतान करने का कार्य आदेश दिनांक 15.4.97 में यह प्रावधान अंकित था।

(3) जी नहीं। कार्यपालक इंजीनियर यांत्रिक खण्ड उदयपुर ने उनके पत्र क्रमांक 543 दिनांक 21.7.97 से फर्म से प्राप्त बिल्स दिनांक 11.6.97/19.7.97 रु. 9,23,181/– मय लॉग बुक्स फोटो प्रतियां कार्यपालक इंजीनियर खण्ड सलुम्बर को प्रेषित करते हुए किये गये कार्य की जांच कर, फर्म को भुगतान करने के लिए अधिकृत किया गया। कार्यपालक इंजीनियर खण्ड सलुम्बर ने कार्य स्थल पर संधारित लॉग बुक की प्राप्त फोटो प्रतियां व साइट पर किये गये मिट्टी के कार्य की जांच कर सही व उपयुक्त भुगतान रु. 9.08 लाख का दिनांक 25.7.97 को फर्म को कर दिया गया, जैसा कि कार्यपालक इंजीनियर यांत्रिक खण्ड उदयपुर ने उनके पत्र दिनांक 21.7.97 से फर्म को भुगतान हेतु अधिकृत किया था। फर्म को किसी प्रकार का कोई अधिक भुगतान नहीं किया गया। यह सुनिश्चित किया गया कि फर्म द्वारा कार्य दिनांक 14.4.97 को प्रारम्भ कर दिया गया था तथा फर्म की मशीनरी ने तब से दिनांक 1 6.97 तक कार्य कर कार्य को पूर्ण किया। कार्यपालक इंजीनियर यांत्रिक खण्ड उदयपुर ने उनके पत्र दिनांक 21.7.97 से बिलों के साथ मशीनों की जो फोटो प्रतियां भिजवायी थी उसमें अंकित कार्य अवधि भी 14.4.97 से 1.6.97 तक की थी। कार्यपालक इंजीनियर खण्ड उदयपुर ने उनके पत्रांक 866 दिनांक 29.9.97 से मैसर्स जी. आर. अग्रवाल के

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

नाम बिल राशि 7,49,594/– का बनाकर भिजवाया जिसमें मशीनों की लॉग बुक की अवधि दिनांक 14.4.97 से 20.5.97 तक का सारांश लिया गया। यांत्रिक खण्ड द्वारा बनाये गये इस बिल में मशीनों के कार्य की अवधि दि. 21.5.97 से 1.6.97 तक को सम्मिलित नहीं किया गया है। यांत्रिक खण्ड उदयपुर के द्वारा बनाये गये इस बिल के साथ फर्म का कोई बिल नहीं था। मशीनों में प्रयुक्त लॉग बुक या उसकी फोटो प्रतियां भी संलग्न नहीं थी। यांत्रिक खण्ड का बिल दि. 14.4.97 से 20.5.97 तक का था जबकि फर्म की मशीनरीज ने कार्य स्थल पर कार्य दिनांक 14.4.97 से 1.6.97 तक किया था, जो कार्यपालक इंजीनियर यांत्रिक खण्ड उदयपुर ने पत्र दिनांक 21.7.97 के साथ लॉग बुक की संलग्न फोटो प्रतियों में था। कार्यपालक इंजीनियर, यांत्रिक खण्ड उदयपुर द्वारा उनके पत्र दिनांक 21.7.97 से प्रेषित फर्म बिल व मशीनरीज की लॉग बुक की फोटो प्रतियां तथा बाद में पत्र दिनांक 29.9 97 से यांत्रिक खण्ड द्वारा फर्म के पक्ष में बनाये गये बिल राशि रु. 7,49,594/– की (दोनों की) आपस में कोई तुलना करना या इस आधार पर अन्तर राशि निकालना उपयुक्त नहीं है: क्योंकि दोनों में मशीनों के उपयोग की अवधि में काफी अन्तर है। कार्यपालक इंजीनियर यांत्रिक खण्ड उदयपुर द्वारा चावण्ड समाधि स्थल पर दिनांक 23.5.97 को दौरा किया गया जहां पर कार्यरत मशीनों को भी चैक किया। इस प्रकार कार्यपालक इंजीनियर यांत्रिक खण्ड उदयपुर स्वयं भी इसकी पुष्टि करते हैं कि चावण्ड समाधि पर मशीनरीज दिनांक 20.5.97 के बाद भी प्रयुक्त हो रही थीं।

(4) जी नहीं। कार्यपालक इंजीनियर यांत्रिक खण्ड उदयपुर से उनके पत्र दिनांक 21.7.97 से फर्म के बिलों के साथ प्राप्त लॉग बुक की फोटो प्रतियां व साइट पर किये गये मिट्टी के कार्य की जांच कर यांत्रिक खण्ड द्वारा उनके पत्र दिनांक 21.7.97 से फर्म को भुगतान करने के लिए जैसा अधिकृत किया गया था उसी अनुसार भुगतान किया गया है। कनिष्ठ अभियन्ता यांत्रिक, सहायक अभियन्ता सिविल जो कार्य के पर्यवेक्षक हेतु कर्तव्यों पर नियुक्त थे उनके द्वारा फर्म के बिलों व मशीनों की लोग बुक प्रमाणित करने पर ही फर्म को भुगतान किया गया। कोई जाली लॉग बुक बनाने का प्रश्न नहीं है। कार्यपालक इंजीनियर यांत्रिक खण्ड उदयपुर ने अपने पत्र के साथ लोग बुक की फोटो प्रतियां भेजी थी, वहीं है।

(5) जी नहीं। कार्यपालक इंजीनियर, यांत्रिक खण्ड उदयपुर ने ठेकेदार को कार्य आदेश पत्रांक 71 दिनांक 15.4.97 से मैसर्स जी. आर. अग्रवाल उदयपुर के नाम जारी किया, नाकि दिनांक 16.4.97 को। मैसर्स जी. आर. अग्रवाल ने चावण्ड समाधि स्थल पर अपनी मशीनें स्थापित कर कार्यपालक इंजीनियर यांत्रिक खण्ड उदयपुर के मौखिक आदेश से 14.4.97 से कार्य प्रारम्भ कर दिया जैसाकि यांत्रिक खण्ड उदयपुर ने उनके पत्र क्रमांक 866 दिनांक 29.9.97 के साथ संलग्न यांत्रिक खण्ड द्वारा फर्म के नाम बनाये गये बिल में भी कार्य प्रारम्भ दिनांक 14.4.97 को मशीनें कार्य स्थल पर लगी प्रमाणित किया गया

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

है। चूंकि कार्य वास्तव में दिनांक 14.4.97 को प्रारम्भ कर दिया गया, जिसकी फोटो प्रति फर्म के बिलों के साथ कार्यपालक इंजीनियर यांत्रिक खण्ड उदयपुर से कार्यपालक इंजीनियर खण्ड सलुम्बर को प्राप्त हुई। कोई जाली लॉग बुक का प्रश्न नहीं है, जो लॉग बुक की फोटो प्रतियां कार्यपालक इंजीनियर यांत्रिक खण्ड से प्राप्त हुई, वही है।

(6) हां, यह सही है कि कार्यपालक इंजीनियर यांत्रिक खण्ड उदयपुर ने दिनांक 13.4.98 को अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग, वृत प्रथम उदयपुर को जांच करने हेतु पत्र लिखा। परन्तु कार्यपालक इंजीनियर खण्ड सलुम्बर द्वारा दिनांक 24.2.98 को प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन के परिपेक्ष में, इस प्रकरण में प्रथम दृष्टिया कोई मामला नहीं बनता था, अतः आगे की कार्यवाही वृत स्तर पर अपेक्षित नहीं थी।

(7) जी नहीं। स्वीकृत निविदा में वर्णित दरों एवं शर्तों का पालन किया गया है। यही नहीं कार्य आदेश के पृष्ठांकन में दिये हुए निर्देशों का भी ध्यान रखा गया है। कार्यपालक इंजीनियर यांत्रिक खण्ड उदयपुर द्वारा दिनांक 21.7.97 को फर्म के बिलों का भुगतान हेतु अधिकृत करने पर ही, मशीनरीज की लोग बुक व कार्य स्थल पर किये गये कार्य से आश्वस्त होकर ही जांच पश्चात् भुगतान किया गया।

जिला रोजगार कार्यालय सवाई माधोपुर द्वारा लाभान्वित व्यक्ति

356. **श्रीमती यास्मीन अबरार** (सवाई माधोपुर) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

सवाई माधोपुर जिले में रोजगार कार्यालय द्वारा गत दो वर्षों में कितने व्यक्तियों को सरकारी कार्यालयों एवं स्वायत्त शासी संस्थाओं में किन-किन पदों पर रोजगार उपलब्ध करवाया गया ?

उत्तर

सवाईमाधोपुर जिले में रोजगार कार्यालय में उपलब्ध सूचनानुसार गत दो वर्षों में सरकारी कार्यालयों में 405 एवं स्वायत्त शासी संस्थाओं (सरकारी निगम/उपक्रमों) में 42 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया। पदवार विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

राज्य का साक्षरता प्रतिशत

357. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य के विभिन्न जिलों में कितने प्रतिशत व्यक्ति शिक्षित/अशिक्षित है ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में शिक्षित/अशिक्षित महिलाओं का प्रतिशत कितना है ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) साक्षरता कार्यक्रम में विभिन्न जिलों में कितने प्रतिशत साक्षरता बढ़ी ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य के विभिन्न जिलों में वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार शिक्षित/

(शिक्षा मंत्री)

अशिक्षित व्यक्ति का प्रतिशत जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'च' सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) राज्य में वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार शिक्षित/अशिक्षित महिलाओं का प्रतिशत जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'ब' सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(3) साक्षरता कार्यक्रम से विभिन्न जिलों में बढ़ने वाले साक्षरता प्रतिशत की अधिकृत जानकारी सन् 2001 की जनगणना से ही प्राप्त हो सकेगी । नेशनल सैम्पल सर्वे संगठन द्वारा हाल ही में प्रकाशित प्रतिवेदन से ज्ञात हुआ है कि राजस्थान में सन् 1997 में साक्षरता दर 55% थी जो 1991 की साक्षरता दर 38.5% से 16.5% अधिक है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

तहसील चूरू के विद्यालयों का क्रमोन्नयन प्रकरण

358. **श्री रामसिंह कस्वां** (सादुलपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गत पांच वर्षों में तहसील राजगढ़ जिला चूरू में कौन-कौन से प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय, एवं माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त तहसील में कितनी उच्च प्राथमिक शालाएं हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार उक्त तहसील के ग्राम कान्धरान, रामसराताल, लम्बोर बड़ी, गोठ्या बड़ी, बैजवा, लसेड़ी, गागड़वास, बुंगी की उच्च प्राथमिक शालाओं को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों में तहसील राजगढ़ जिला चूरू में वर्षवार क्रमोन्नत विद्यालयों का विवरण परिशिष्ट 'क' सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(2) राजगढ़ तहसील में 54 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं । विद्यालयों की सूची परिशिष्ट 'ख' सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(3) वित्तीय वर्ष 1999–2000 में 400 उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाना प्रस्तावित है । विद्यालय क्रमोन्नति के प्रस्ताव प्राप्त होने पर अन्य प्रस्तावों के साथ-साथ ग्राम कान्धारान, रामसराताल, लम्बोर बड़ी, गोठ्याबड़ी, बैजवा लसेड़ी, गागडवास, बुंगी को उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों, निर्धारित मानदण्ड के तहत गुणावगुण के आधार पर समग्र विचार किया जाकर उचित निर्णय लिया जा सकेगा ।

(विवरण एवं सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

उच्च प्राथमिक विद्यालय चौरसियावास (अजमेर) का भवन प्रकरण

359. **श्री रमजान खान** (पुष्कर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री रमजान खान)

(1) क्या यह सही है कि ग्राम चौरसियावास नगर परिषद अजमेर के वार्ड नं. 55 का भाग है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम के उच्च प्राथमिक विद्यालय में दो ही कमरे बने हुए हैं जबकि कक्षा 8 तक चलती है ?

(3) क्या सरकार इस अपर्याप्त भवन में नये कमरे बनाने की स्वीकृति देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी नहीं, विद्यालय में 9 कमरे बने हुए हैं।

(3) जी, नहीं।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुढ़ागौडजी में कृषि संकाय की स्थापना

360. **श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संकाय खोलने के क्या मानदण्ड हैं ?

(2) क्या यह सही है कि जिला झुन्झुनू की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुढ़ागौडजी में छात्रों की संख्या, ट्यूबवैल तथा जमीन की उपलब्धता एवं भवनों की उपलब्धता तथा कृषि क्षेत्र के मध्य में स्थित होने के कारण जनता की मांग को देखते हुए उक्त विद्यालय में सत्र 1999 से कृषि विषय खोलने का सरकार का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अतिरिक्त संकाय/विषय खोले जाने हेतु मानदण्ड इस प्रकार से है :–

अतिरिक्त विषय/संकाय का नाम	छात्र/छात्रा संख्या
1. विज्ञान संकाय हेतु	20
2. वाणिज्य संकाय हेतु	20
3. कला संकाय हेतु	25
4 अतिरिक्त विषय हेतु	15

कृषि संकाय हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मानदण्डानुसार 5 बीघा कृषि भूमि, सिंचाई सुविधा सहित उपलब्ध होना अनिवार्य है।

(2) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गुढ़ागौडजी (झुन्झुनू) में कृषि संकाय खोलने के प्रस्ताव प्राप्त होने पर अन्य प्रस्तावों के साथ वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर निर्धारित मानदण्ड की पूर्ति करने वाले विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय खोलने पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाकर उचित निर्णय लिया जा सकेगा।

जिला अजमेर के दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के भवन प्रकरण

361. **श्री सांवर लाल (सिनाय) :** क्या डेयरी विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री सांवर लाल)

(1) क्या अजमेर जिले की कई दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के भवनों में सचिव मय परिवार के रह रहे हैं ? यदि हां, तो किस-किस समिति के भवन में कौन, कब से, किस कारण रह रहा है ?

(2) क्या सरकार समिति भवन खाली करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार केवल बादनवाड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड, बादनवाड़ा के समिति भवन में सचिव मय परिवार रह रहा है।

दिनांक 1. 6. 1998 से श्री शंकरसिंह गौड, सचिव, बादनवाड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, समिति के भवन में रह रहा है एवं इस हेतु कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 2. 8. 98 की कार्यवाही प्रस्ताव रजिस्टर के पेज संख्या-17 में प्रस्ताव संख्या-3 के अन्तर्गत लिये गये निर्णयानुसार 100/- रुपये प्रतिमाह किराया समिति में जमा कराया जा रहा है। प्रस्ताव की छाया प्रति संलग्न है।

(2) जी, नहीं।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव प्रकरण

362. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य के किस-किस जिले में जिला प्रमुख तथा प्रधानों के स्थान पर उप प्रमुख व उप प्रधान किस-किस तिथि से कार्य कर रहे हैं ? सूची मय जिला व पंचायत समितिवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार गठित पंचायत निर्वाचन आयोग ऐसे रिक्त हुए स्थानों के साथ पंचायत समिति व जिला परिषद् के वार्डों के रिक्त स्थानों पर छः माह में चुनाव करवाने को बाध्य है ? यदि हां, तो केवल करौली के अलावा शेष स्थानों पर चुनाव नहीं करवाये जाने के क्या कारण रहे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समिति भीम (राजसमंद) में गत एक वर्ष से उप प्रधान, प्रधान के पद पर कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो वहां चुनाव नहीं करवाने के क्या कारण हैं ? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि दिनांक 3-12-98 से पंचायत समिति रायपुर जिला पाली के वार्ड संख्या 6 के सदस्य द्वारा त्याग-पत्र देने के बाद रिक्त है ?

(5) अब सरकार रिक्त पद पर सदस्य का चुनाव कब तक करवा देगी ?

उत्तर

(1) राज्य के पांच जिलों में प्रमुख के स्थान पर उप प्रमुख तथा दस पंचायत समितियों में प्रधान के स्थान पर उप प्रधान

(पंचायती राज, मंत्री)

कार्य कर रहे हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, हां। उप प्रधान, प्रधान के स्थान पर दिनांक 15. 5. 98 से कार्य कर रहे हैं। प्रधान, प.स. भीम का पद दिनांक 12. 10. 98 को रिक्त करते हुए उप निर्वाचन हेतु दिनांक 24.12 98 निश्चित की गई किन्तु उक्त आदेश जिला निर्वाचन अधिकारी, राजसमन्द को देर से मिला। अतः पुनः उप निर्वाचन हेतु दिनांक 31–1–99 निश्चित की गई। किन्तु इस दिनांक के लिये भी जिला निर्वाचन अधिकारी ने असमर्थता व्यक्त की, कारण इस जिले में विधान सभा के उप चुनाव सम्पन्न कराने थे। अतः उप निर्वाचन हेतु माह मार्च में दिनांक निश्चित करने का अनुरोध किया। इस पर पुनः दिनांक 15–3–99 निश्चित की गई। इस दिनांक को भी, कुछ कानूनी कठिनाइयों के निराकरणार्थ, उप चुनाव हेतु प्रसारित किए गए निर्देश प्रत्याहरित किए गए।

(4) जी, नहीं।

(5) जब सदस्य का पद रिक्त ही नहीं है तो चुनाव करवाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–13 देखें)

जिला दौसा के भवन विहीन प्राथमिक विद्यालय

363. **डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला दौसा में कुल कितने प्राथमिक विद्यालय अभी तक भवन रहित है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त सभी विद्यालय कब-कब स्वीकृत किए गए? क्या सरकार इसके लिए भवन स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जिला दौसा में कुल 30 प्राथमिक विद्यालय भवन रहित हैं। सूची सदन के पटल पर रखदी गई है।

(2) उक्त प्राथमिक विद्यालय वर्ष 1996–97 से 1998–99 तक स्वीकृत किए गए हैं जिनका विवरण सूची में अंकित कर दिया गया है।

उक्त शालाओं के भवन निर्माण कराने हेतु सम्बन्धित ग्राम सभा की अनुशंषा पर ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण स्वीकृति प्रदान करने हेतु सक्षम है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–14 देखें)

उप सरपंच ग्राम महलां (दूदू) द्वारा की गई अनियमितताएं

364. **श्री कन्हैया लाल** (बस्सी): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्तमान उप-सरपंच ग्राम पंचायत

(श्री कन्हैया लाल)

महलां द्वारा कब-कब बैठकें बुलाई गई ? उक्त बैठकों में कौन-कौन सदस्य उपस्थित रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त उप सरपंच द्वारा अपने कार्यकाल में कितने अनापत्ति प्रमाण पत्र/नामान्तरकरण/भूमि आवंटन/आबादी भूमि परिवर्तन के प्रकरणों का निस्तारण किया गया एवं कौन-कौन से निर्माण/विकास कार्य करवाये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त नामान्तरकरण/भू-आवंटन/अनापत्ति प्रमाण पत्र आबादी भूमि पट्टे किन-किन प्रस्तावों के तहत दिये गये ? क्या उक्त प्रकरणों में उप-सरपंच द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर भारी अनियमितताएं की हैं ? क्या सरकार उक्त प्रकरणों की जांच करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्तमान उप सरपंच द्वारा बुलाई गई बैठकों एवं उनमें उपस्थित हुए सदस्यों का विवरण परिशिष्ट "1" के अनुसार सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) उप सरपंच द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र, नामान्तरणकरण, भूमि आवंटन, आबादी भूमि परिवर्तन के प्रकरणों का निस्तारण एवं कराये गये निर्माण कार्यों का विवरण परिशिष्ट "2" के अनुसार सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(3) उप सरपंच द्वारा नामान्तरकरण, भू-आवंटन, अनाप्ति प्रमाण पत्र, आबादी भूमि पट्टे जिन प्रस्तावों के तहत दिये थे का विवरण परिशिष्ट "3" के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है । उप सरपंच के विरुद्ध अपने पद का दुरुपयोग एवं अनियमितताएं सम्बन्धी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । इसलिए जांच कराने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

पंचायत समितियों में प्रसार अधिकारियों के रिक्त पद

365. **श्री फतेहसिंह** (कुशलगढ़) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य की पंचायत समितियों में प्रसार अधिकारियों के कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार प्रसार अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) राज्य में कितनी ग्राम पंचायतें हैं तथा उनमें कितने ग्रुप सचिव कार्यरत हैं ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या सरकार प्रत्येक पंचायत पर एक ग्रुप सचिव की नियुक्ति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राज्य की पंचायत समितियों में प्रसार अधिकारियों के रिक्त पदों की सूची

(पंचायती राज मंत्री)

परिशिष्ट "अ" "ब" "स" "द" के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) जी, हां। पंचायत प्रसार अधिकारी के पद वरियता के आधार पर ग्राम सेवकों को पदोन्नति देकर भरे जाते हैं। प्रगति प्रसार अधिकारी, सहकार प्रसार अधिकारी एवं शिक्षा प्रसार अधिकारी के पद सम्बन्धित विभागों से कर्मचारियों के प्रति नियुक्ति पर आने पर विभाग द्वारा पंचायत समितियों में पदस्थापन कर भरे जाते हैं। विभागों द्वारा अधिकारी प्रतिनियुक्ति किए जाने पर पद भरे जावेंगे।

(3) राज्य में कुल 9184 ग्राम पंचायतें हैं जिसमें 4370 ग्रुप सचिव वर्तमान में कार्यरत है। ग्राम पंचायतवार ग्रुप सचिव के पद सृजित नहीं है।

(4) जी, हां। 1623 रिक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है तथा 3191 नए पद सृजन हेतु कार्यवाही विचाराधीन है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

प्राथमिक विद्यालय सीमाल (मारवाड़ जंक्शन) का बन्द प्रकरण

366. **श्री केसाराम चौधरी** (खारची): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन के अधीनस्थ ग्राम सीमाल की प्राथमिक विद्यालय माह जनवरी एवं फरवरी, 1999 में बंद रही है? यदि हां, तो किन कारणों से? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? राज्य सरकार द्वारा जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

जी, हां। पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन के अधीनस्थ ग्राम सीमाल की प्राथमिक विद्यालय दिनांक 18.1.99 से 29.1.99, दिनांक 1.2.99 से 3.2.99 व 8.2.99 से 22.2.99 तक बन्द रहा, क्योंकि वहां के अध्यापक श्री जोगेन्द्रपाल को ग्राम वासियों ने नव विद्यालय होते हुए भी नियमों के विरुद्ध 3 से 5 तक की कक्षा जबरदस्ती खोलने हेतु बाध्य किया एवं उसे जान से मारने की धमकी भी दी। दिनांक 18.1.99 को विद्यालय के बच्चों ने अध्यापक को चाय में जहर मिलाकर जान से मारने का प्रयास किया। इस घटना के फलस्वरूप कोई भी अध्यापक उक्त गांव में जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। वैकल्पिक व्यवस्था करने में समय लगने के कारणवश विद्यालय उपरोक्त तिथियों में बन्द रहा।

विधान सभा क्षेत्र मसूदा के प्राथमिक विद्यालय में रिक्त पद

367. **श्री कय्यूम खान** (मसूदा): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र मसूदा में कितने प्राथमिक विद्यालय कहां-कहां हैं? छात्र/अध्यापक संख्या सहित ग्रामवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री कय्यूम खान)

(2) उक्त क्षेत्र के किन-किन विद्यालयों में अध्यापकों के पद कब से रिक्त हैं। उक्त रिक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मसूदा में 106 प्राथमिक विद्यालय हैं जिनमें छात्र व अध्यापकों की संख्या की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ? (परिशिष्ट-1)

(2) मसूदा क्षेत्र में माह अगस्त/सितम्बर 1998 से अध्यापकों के 31 पद रिक्त हैं जिनका विवरण संलग्न है। अध्यापकों की नियुक्ति का प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। निर्णयोपरान्त अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की समुचित कार्यवाही की जावेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

जिला दौसा का महिला शिक्षाकर्मी प्रशिक्षण प्रकरण

368. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1996 में जिला दौसा में किन-किन महिलाओं को महिला शिक्षाकर्मी प्रशिक्षण के लिए महिला प्रशिक्षण केन्द्र वजीरपुर में भेजा गया था ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त महिला शिक्षाकर्मियों का प्रशिक्षण कब पूरा हुआ ?

(3) क्या उक्त महिला प्रशिक्षणार्थियों को नियुक्ति दे दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या ग्राम रामपुरा कलां (दौसा) की प्रशिक्षणार्थी को भी प्रशिक्षण दिया गया था ? यदि हां, तो इसको नियुक्ति किन-किन कारणों से नहीं दी गई ? अब उक्त प्रशिक्षणार्थियों को नियुक्ति कब तक दे दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जिला दौसा की निम्न पंचायत समितियों में से 5 महिलाओं को शिक्षाकर्मी प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण हेतु भिजवाया गया था।

क्र सं	पं. सं.	आशार्थी का नाम
1.	दौसा	1. श्रीमती सुशीला शर्मा
		2. ,, तारादेवी शर्मा
2.	सिकराय	3. ,, पुष्पा भट्ट
		4. ,, मौंती देवी
		5. ,, सुमेर देवी

(2) महिला आशार्थियों का प्रशिक्षण उनके नाम के सामने अंकित तिथि को पूर्ण हुआ।

नाम अभ्यार्थी	प्रशिक्षण पूर्ण होने की तिथि
1. श्रीमती सुशीला शर्मा	28.9.97
2. ,, तारादेवी शर्मा	28.9.97
3. ,, पुष्पा भट्ट	4.11.97
4. ,, मौंती देवी	4.11.97
5. ,, सुमेर देवी	4.11.97

(पंचायती राज मंत्री)

(3) तीन प्रशिक्षणार्थियों को नियुक्ति दे दी गई है तथा श्रीमती सुशीला देवी शर्मा के प्रशिक्षण में असफल रहने के कारण व श्रीमती तारादेवी की नियुक्ति 75 से कम नामांकन होने के कारण नहीं दी जा सकी है।

(4) जी, हां। ग्राम रामपुरा कलां की प्रशिक्षणार्थी श्रीमती तारादेवी शर्मा को नियुक्ति इसलिए नहीं दी सकी क्योंकि नियमानुसार दूसरे शिक्षाकर्मी की नियुक्ति हेतु विद्यालय का नामांकन 75 या अधिक होना आवश्यक है।

मेहवा (टोंक) के शिक्षकों का वेतन स्थिरीकरण प्रकरण

369. **श्री भरोसी लाल** (हिण्डौन) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय मेहवा जिला टोंक में पूर्व में जो शिक्षक पदस्थापित थे उनका अभी तक वेतन स्थिरीकरण नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों और विलम्ब हेतु कौन उत्तरदायी है ?

(2) क्या सरकार उक्त शिक्षकों का वेतन स्थरीकरण शीघ्र करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। राजकीय प्राथमिक विद्यालय मेहवा, पंचायत समिति, टोंक में वेतन स्थिरीकरण का कोई प्रकरण बकाया नहीं है।

(2) वेतन स्थिरीकरण का कोई प्रकरण बकाया नहीं है।

पंचायत समिति बाप (जोधपुर) में उर्दू विषय का अध्यापन प्रकरण

370. **श्रीमती विजय लक्ष्मी बिश्नोई** (सूरतगढ़) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में फलौदी तहसील में सर्वाधिक अल्पसंख्यक (मुस्लिम) आबादी है ?

(2) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति बाप जिला जोधपुर के विकास अधिकारी ने दिनांक 18.2.99 को ग्रामीण विकास अधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जोधपुर से बाप पंचायत समिति के 27 गांवों में उर्दू विषय पढ़ाने वाले अध्यापकों की मांग की है ?

(3) वर्तमान में पंचायत समिति बाप जिला जोधपुर में कितने उर्दू पढ़ाने वाले शिक्षक पदस्थापित किये हुए हैं ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां।

(3) पंचायती राज विभाग के अधीन प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू पढ़ाने का प्रावधान नहीं है।

ग्राम पंचायत दांतरी व सावरड़ा के सरपंचों द्वारा की गई अनियमितताएं

371. श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति दूदू (जयपुर) की ग्राम पंचायत दांतरी, सावरदा के वर्तमान सरपंचों के विरुद्ध निर्माण कार्यों में की गई अनियमितताओं की जांच कराई गई थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सरपंचों को दोषी पाये जाने पर भी उन्हें बचाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार अब दोषी सरपंचों एवं जिन अधिकारी द्वारा कार्यवाही नहीं की गई उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या और कब तक ?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत दांतरी के सरपंच के विरुद्ध निर्माण कार्य आदि के सम्बन्ध में की गई शिकायत की जांच कराई गई थी । जांच रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई हैं । सरपंच ग्राम पंचायत सावरदा के विरुद्ध की गई शिकायत की जांच जिला कलेक्टर, जयपुर के यहां विचाराधीन है ।

(2) जी नहीं । प्राथमिक जांच में सरपंच ग्राम पंचायत दांतरी, को दोषी पाये जाने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जयपुर से विस्तृत विभागीय जांच कराई जा रही है ।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

विकास अधिकारी के रिक्त पदों हेतु चयन प्रकरण

372. श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या वर्ष 1997–98 व 1998–99 में विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों से विकास अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे थे ? यदि हां, तो किस-किस विभाग के किस-किस अधिकारियों के आवेदन पत्र प्राप्त हुए ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) प्राप्त आवेदनों में से किस-किस विभाग के किन-किन अधिकारियों का चयन किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) चयनित अभ्यर्थियों में से किन-किन को नियुक्ति दी जा चुकी है तथा किन-किन को नियुक्ति दिया जाना शेष है ?

(4) अब राज्य में विकास अधिकारी के कितने पद रिक्त हैं तथा इनको भरने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(5) क्या रिक्त पदों को भरने के लिए पुनः आवेदन पत्र आमन्त्रित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक तथा चयन प्रक्रिया क्या होगी ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची परिशिष्ट–"अ" व "ब" के अनुसार सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सूची परिशिष्ट–"स" के अनुसार सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) समस्त चयनित अभ्यार्थियों को प्रतिनियुक्ति पर विकास अधिकारी के पद पर पदस्थापित किया जा चुका है।

(4) वर्तमान में विकास अधिकारियों के 51 पद रिक्त है। विकास अधिकारी के पद पर विशेष चयन हेतु पात्रता रखने वाले अधिकारियों से आवेदन पत्र आमन्त्रित करने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है।

(5) जी हां। विशेष चयन हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। राजस्थान सिविल सेवा (विकास अधिकारियों का विशेष चयन एवं उनकी सेवा की विशिष्ठ शर्तें) नियम 1982 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया से चयन किया जायेगा।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण कृपया विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

जिला नागौर की पंचायत समितियों को दसवें वित्त आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि

373. **श्री हरिशचन्द** (नावां) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला नागौर की पंचायत समितियों को दसवें वित्त आयोग तथा जवाहर रोजगार योजना में वर्ष 1998-99 में कितनी-कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पंचायत समितियों ने दसवें वित्त आयोग व जवाहर रोजगार योजना की राशि में से किन-किन ग्राम पंचायतों को कितनी राशि किस काम के लिए उपलब्ध कराई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) किस-किस पंचायत समिति में कौन-कौनसी पंचायतों को दसवें वित्त आयोग की राशि किसी भी काम के लिए देने से वंचित रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला नागौर की पचायत समितियों को दसवें वित्त आयोग तथा जवाहर रोजगार योजना में वर्ष 1998–99 में निम्नानुसार राशि का आवंटन किया गया है :—

क्र.सं.	नाम पं.सं.	आबंटित राशि (लाखों में)	
		टी.एफ.सी.	जे.आर.वाई.
1.	नागौर	41.25	11.09
2.	मूण्डवा	34.73	9.44
3.	मेड़ता	32.42	9.41
4.	रियां	32.50	9.39
5.	डेगाना	36.70	10.39
6.	मकराना	37.16	10.49
7.	परबतसर	32.49	9.30
8.	कुचामन	46 64	13.29
9.	डीडवाना	51.02	13.65
10.	लाडनूं	28 01	7 78
11.	जायल	40.19	11.89
	योग	413.11	116.12

(पंचायती राज मंत्री)

(2) पंचायत समितिवार एवं ग्राम पंचायतवार सूची संलग्न है ।

(3) निम्न पंचायत समितियों की निम्न ग्राम पंचायतों को टी. एफ. सी. की राशि का आवंटन नहीं किया गया है :–

क्र. सं.	नाम पं. स.	ग्राम पंचायत	राशि आवंटन नहीं करने के कारण
1	2	3	4
1.	कुचामनसिटी	नगवाड़ा, नारायणपुरा	मेचिंग राशि 10 प्रतिशत जमा नहीं करवाने के कारण ।
2.	लाडनूं	लाछड़ी, ध्यावा, रीगड़, धीरडो-दामीठा, मंगलपुरा, बालसमन्द, आसोटा, जसवन्तगढ़, एवं मिठडी	अवर्ग की योजनाओं की स्वीकृतियां जारी नहीं करने के कारण ।
3.	डेगाना	बावरला, निम्बोला कलां	आडिट नहीं करवाये जाने के कारण ।
4.	परबतसर	खोखर, जजीला, तापड़वाडा, रीड, नितियास, हरनावा, किनसरिया, कालेटडा ।	10 प्रतिशत मेचिंग शेयर जमा नहीं करवाने के कारण ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम पंचायत थैलासर (चूरू) के सरपंच के विरुद्ध जाली हस्ताक्षर प्रकरण

374. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत थैलासर पंचायत समिति चूरू के सरपंच के विरुद्ध पंचों के जाली हस्ताक्षर करवाने पर अविश्वास प्रस्ताव रखा गया ? यदि हां, तो गलत हस्ताक्षर करने वालों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

(2) क्या जाली हस्ताक्षर की जानकारी मिलने पर ग्राम पंचायत के निर्वाचित पंच शपथ-पत्र के साथ जिला कलेक्टर चूरू व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् चूरू के सम्मुख उपस्थित हुए थे ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ।

(3) क्या यह सही है कि जाली हस्ताक्षर की जानकारी होने के पश्चात् भी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव की बैठक आहूत की है ? यदि हां, तो क्यों, इसमें किसका दोष है ? क्या सरकार दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत कडवासर पंचायत समिति चूरू के सरपंच ने वर्ष 1998 में नियम विरुद्ध तीन पंचों को निलम्बित किया था ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार निलम्बित पंचों को पुनः बहाल करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर पंचों के जाली हस्ताक्षर होने के आरोप की जांच विचाराधीन है ।

(2) सरपंच, ग्राम पंचायत, थैलासर ने दो पंचों के शपथ पत्रों की छाया पेश की थी । सरपंच को अवगत करा दिया गया था कि सम्बन्धित पंच द्वारा स्वयं मूल शपथ पत्र पेश करने की स्थिति में अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो पाएगी ।

(3) अविश्वास प्रस्ताव की बैठक आहूत की गई क्योंकि उस बाबत निर्धारित संख्या से अधिक पंचों ने अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन प्रस्तुत किया था । इनमें से दो पंचों के हस्ताक्षरों की प्रमाणिकता संदिग्ध मानने के बाद भी कुल पंचों की एक तिहाई से अधिक पंचों ने अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन किया था । अतः बैठक का आहूत किया जाना आवश्यक था एवं इसके लिए कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं माना जा सकता ।

(4) सरपंच ने तीन पंचों को लगातार तीन बैठकों में उपस्थित रहने के कारण उनके स्थान रिक्त हेतु अभिशंसा की थी । उक्त मामले की जांच सक्षम अधिकारी के पास विचाराधीन है । तीनों पंच निलम्बित नहीं किए गए हैं । अतः उनके बहाल करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

ज़िला धौलपुर के पर्यटन स्थलों का विकास

375. श्री जसवन्त सिंह (बाड़ी) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला धौलपुर में पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए क्या कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस क्षेत्र में इस प्रस्तावित योजना को कब तक कार्य रूप दे दिया जावेगा ।

(2) क्या राज्य के दुर्लभ जल प्रपातों में से एक धौलपुर जिले के सरमथुरा क्षेत्र में स्थापित दमोह जल प्रपात को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने प्रति सरकार जागरूक है ? क्या इस स्थान को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किये जाने के प्रस्ताव सरकार को स्थानीय अधिकारियों द्वारा भेजे गये हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इन प्रस्तावों पर क्या निर्णय लिया ?

(3) क्या धौलपुर जिले के ऐतिहासिक शेरगढ़ दुर्ग, बाबर गार्डन, (झोर), मचकुण्ड,

(श्री जसवन्त सिंह)

तालाबशाही, वन विहार आदि क्षेत्रों को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार धौलपुर जिले की लोक संस्कृति व साम्प्रदायिक एकता को दर्शाने वाले मचकुण्ड मेले को मचकुण्ड महोत्सव के रूप में आयोजित करने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं । वर्तमान में कोई योजना नहीं है ।

(2) जी, हां । जिला प्रशासन से प्राप्त प्रस्तावों को विभाग की प्राथमिकताओं एवं सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण वर्तमान में स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित नहीं है ।

(3) जी, नहीं । पर्यटन विभाग के प्राथमिकताओं में वित्तीय संसाधनों के कमी के कारण इन स्थलों के विकास की कोई योजना विचाराधीन नहीं है । यद्यपि मचकुण्ड के प्रचार-प्रसार हेतु एक पोस्टर जारी किया गया है ।

(4) जी, नहीं । वर्तमान में मचकुण्ड मेला विभाग की प्राथमिकता में नहीं है ।

जिला झुंझुनूं के पर्यटन विकास कार्यों का बकाया भुगतान प्रकरण

376. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला झुंझुनूं में पर्यटन विकास की दृष्टि से कौन-कौन से निर्माण कार्य जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से करवाये गये ?

(2) क्या यह सही है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की बहुत बड़ी राशि का फरवरी, 1999 तक पर्यटन विभाग द्वारा भुगतान किया जाना शेष था ? यदि हां, तो कितनी राशि बकाया है तथा उसका भुगतान कब तक अभिकरण को करवा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जिला झुंझुनूं में पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन की दृष्टि से निम्न विकास कार्य जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से करवाये गये है :–

1–किरोड़ी का विकास

2–खेतड़ी किले का विकास

(2) जी, नहीं । भुगतान किया जाना शेष नहीं है ।

चूरू उत्सव पर व्यय राशि का अंकेक्षण

377. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1999 में आयोजित चूरू उत्सव में कितनी राशि का किस-किस मद से प्रावधान किया गया था तथा कितनी राशि का किस-किस कार्य में व्यय हुआ ।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(2) उक्त उत्सव में विभिन्न कार्यों हेतु व्यय की गई धनराशि किस अधिकारी द्वारा स्वीकृत की गई ? क्या पूर्ववर्ती वर्षों में आयोजित चूरू उत्सव समारोह के व्यय की आडिट की गई ? यदि हां, तो कब किया गया ?

(3) उक्त उत्सव में चंदे में कितनी धनराशि, किस-किस संस्था से, किस-किस अधिकारी/व्यक्ति ने कब-कब ली ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दिनांक 15–19 मार्च, 1999 तक 5 दिवसीय चूरू उत्सव एवं मरू शिल्प मेले के संयुक्त आयोजन हेतु जिला कलक्टर, चूरू की अध्यक्षता में चूरू उत्सव आयोजन समिति" द्वारा प्रकाशित स्मारिका के विज्ञापनों के प्रावधान से किया गया। पर्यटन विभाग, राजस्थान द्वारा उक्त उत्सव हेतु 25000/– रुपये का एक मुस्त अनुदान स्वीकृत किया गया है। जिला कलक्टर, चूरू से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त उत्सव में निम्नानुसार व्यय हुआ :–

1.	उद्घाटन, समापन, खेल-कूद, कवि सम्मेलन व सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि पर	106700.00
2.	डाक व स्टेशनरी	1000.00
3.	पुरस्कार सामग्री	10000.00
4.	प्रचार-प्रसार पर	21100.00
5.	भोजन व आवास व्यवस्था	19000.00
6.	टैन्ट व माइक व्यवस्था	25200.00
7.	स्मारिका "1998" व मुद्रण कार्य	30000.00
	योग	213000.00

(2) उक्त उत्सव में विभिन्न कार्यों हेतु खर्च की गई धनराशि अध्यक्ष, आयोजना समिति चूरू उत्सव (जिला कलक्टर) के द्वारा स्वीकृत की गयी पूर्ववर्ती वर्षों में आयोजित चूरू उत्सव में पर्यटन विभाग द्वारा किये गये व्यय की आडिट महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर द्वारा की जा चुकी है। "चूरू उत्सव आयोजन समिति द्वारा एकत्रित एवं व्यय राशि की आडिट जिला स्तर पर चार्टड एकाउटेन्ट द्वारा की जा रही है।

(3) उक्त उत्सव में चंदा एकत्रित नहीं किया गया। पर्यटन विभाग द्वारा रुपये 25000/– का अनुदान एवं रुपये 219000/– उत्सव हेतु प्रकाशित स्मारिका के विज्ञापनों से प्राप्त हुए।

जयपुर से चान्दमाकला बस सेवा प्रकरण

378. श्री नाथूराम (किशनगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर से बीची (फागी) जाने वाली परिवहन निगम की बस ग्राम खेड़ा श्री हनुमानजी में नियमित रूप से जाती थी, जिसे अब मात्र सप्ताह में

(श्री नाथूराम)

दो दिन कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त बस को कुछ स्थानीय बस ड्राइवरों और कण्डक्टरों ने अपनी मनमानी करके बन्द करवादी है ? क्या सरकार दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही का विचार रखती है।

(3) क्या सरकार जयपुर से चान्दमाकला (फागी) के लिए वाया खेड़ा श्री हनुमानजी नई बस चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। जयपुर से बीची वाया फागी माधोराजपुरा-खेड़ा हनुमानजी वाहन का संचालन माह सितम्बर, 93 से किया गया था। तत्समय खेड़ा हनुमानजी से बीची तक का रास्ता कच्चा था एवं वर्षा काल के दौरान उक्त मार्ग अवरुद्ध हो जाता था तब यह वाहन खेड़ा हनुमानजी तक ही संचालित की जाती थी। तत्पश्चात् माधोराजपुरा से बीची तक पक्की सड़क का निर्माण हो जाने पर माह जून, 97 से सीधी बीची तक नियमित रूप से संचालित की जाने लगी जो खेड़ा हनुमानजी नहीं जाती थी। लेकिन यात्रियों की भारी मांग पर वर्तमान में इस बस सेवा को सप्ताह में दो दिन, मंगलवार एवं शनिवार, को वाया खेड़ा हनुमानजी होकर संचालित किया जा रहा है क्योंकि उक्त दो दिवस को यात्री खेड़ा हनुमानजी के दर्शनार्थ आते-जाते हैं।

(2) जी, नहीं। उक्त बस सेवा केवल मंगलवार एवं शनिवार वाया खेड़ा हनुमानजी होकर तथा शेष दिनों जयपुर से बीची वाया फागी-माधोराजपुरा होकर यथावत सीधी संचालित की जा रही है।

(3) जी, हां। प्रस्तावित मार्ग पर प्रायोगिक तौर पर बस चलाने हेतु सम्बन्धित मुख्य प्रबन्धक को निर्देशित कर दिया गया है।

जिला गंगानगर में अवैध वाहनों का वसूली प्रकरण

379. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या मार्च, 1999 में श्रीगंगानगर जिले में कोई अभियान चलाया गया था ? यदि हां, तो उससे सरकार को कितनी राजस्व प्राप्त हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अभियान में कुल कितने वाहनों से टैक्स वसूला गया ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अभियान में कुल कितने वाहनों का चालान कर की कितनी राशि वसूल करना शेष है ? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माह मार्च, 1999 में श्रीगंगानगर जिले में वस्तुतः अभियान चलाया जाकर सामान्य जांच कार्यवाही कर कुल 1.49 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया।

(यातायात मंत्री)

(2) उक्त कार्यवाही के दौरान निरीक्षकों द्वारा 133 वाहनों से 10.28 लाख रुपये टैक्स वसूल किया गया। सूची परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(3) माह मार्च, 1999 के 54 चालान बकाया होने के कारण प्रशमन राशि व टैक्स राशि 3.79 लाख रुपये प्राप्त होना सम्भावित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–18 देखें)

विकलांग व्यक्तियों को रात्रिकालीन बसों में सुविधा

380. श्री मदनलाल वर्मा (डग) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि विकलांग व्यक्तियों को रात्रिकालीन एवं राज्य के बाहर जाने वाली राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में रियायत नहीं दी जाती है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

जी, हां। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम विकलांग रियायती यात्रा विनियमों के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों को राजस्थान राज्य में विभिन्न मार्गों पर संचालित बसों में 75 प्रतिशत रियायती यात्रा सुविधा उपलब्ध है। इन विनियमों में रात्रिकालीन बसों में विकलांगों को रियायती यात्रा सुविधा देय नहीं होने के कारण रात्रि बसों में यह सुविधा नहीं दी जाती है।

जयपुर से टोडाभीम बस सेवा प्रकरण

381. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या यातयात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें जयपुर से टोडाभीम के लिए संचालित की जा रही है? उनका समय एवं किराया कितना है? कितनी बसें द्रुत गति एवं कितनी साधारण बसें हैं? ये बसे जयपुर से किस-किस स्थान से संचालित की जा रही हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर से टोडाभीम की जयपुर के लिए जो एक्सप्रेस एवं साधारण बसें संचालित की जा रही हैं उनको किस–किस स्थानों पर रुकना होता है एवं उनका कितना–कितना किराया है? समय व राशि की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र की जनसंख्या को देखते हुए वर्तमान में संचालित बसें पर्याप्त नहीं हैं? यदि हां, तो क्यों? इसके लिए सरकार अब क्या व्यवस्था करने का विचार रखती है? क्या सरकार और बसें इस क्षेत्र के लिए संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी बसें, उनका क्या–क्या समय रहेगा? विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। जयपुर से टोडाभीम के लिए संचालित बस सेवाओं का समय, किराया राशि व सेवा के प्रकार का विवरण निम्नानुसार है :–

(यातायात मंत्री)

क्र. सं.	मार्ग का नाम	प्रस्थान स्थान	प्रस्थान समय	आगमन समय	किराया राशि	सेवा का प्रकार
1.	जयपुर-हिण्डौन वाया टोडाभीम	के. ब. स्टेण्ड जयपुर	1245	1545	27.50	साधारण सेवा (फास्ट)
2.	घाटगेट-हिण्डौन वाया टोडाभीम	घाटगेट	1400	1700	26.50	,,
3.	जयपुर-हिण्डौन वाया टोडाभीम	के. ब. स्टेण्ड जयपुर	1600	1900	27.50	,,
4.	घाटगेट-कमालपुरा वाया टोडाभीम	घाटगेट	1530	1900 (1945 कमालपुरा)	26.50	साधारण सेवा
5.	घाटगेट-पदमपुरा वाया टोडाभीम	,,	1700	2030 (2100 पदमपुरा)	26.50	,,
6.	घाटगेट-हिण्डौन वाया टोडाभीम	,,	1830	2200 (2330 हिण्डौन)	26.50	,,

उक्त सभी सेवाएं साधारण किराये पर संचालित हैं। क्र. सं. 1 से 3 साधारण किराये पर फास्ट सेवायें हैं जो जनसुविदार्थ कम अवधि में संचालन पूरा करती हैं।

(2) जयपुर से टोडाभीम 6 साधारण बस सेवाएं संचालित की जा रही हैं जिसका विवरण प्रश्न के भाग संख्या–1 में अंकित है। इनके ठहराव स्थलों का विवरण निम्नानुसार है :—

प्रश्न के खण्ड 1 की क्र. सं.	मार्ग का नाम	समय	ठहराव स्थल
1	2	3	4
1.	जयपुर–हिण्डौन वाया टोडाभीम	1245	दौसा, सिकन्दरा, मानपुर, बालाजी, टोडाभीम
2.	घाटगेट-हिण्डौन वाया टोडाभीम	1400	
3.	जयपुर–हिण्डौन वाया टोडाभीम	1600	

(यातायात मंत्री)

1	2	3	4
4.	घाटगेट-कमालपुर वाया टोडाभीम	1530	कानोता, चक, दूधलीमोड, दौसा, भाण्डारेज मोड, कालाखो, दुब्बी,
5.	घाटगेट-हिण्डौन वाया टोडाभीम	1830	सिकन्दरा चौराया, मानपुर, ठीकरिया, बालाजी मोड, बालाजी मंदिर टोडाभीम
6.	घाटगेट-पदमपुरा वाया टोडाभीम	1700	घाटगेट, चक, मोहनपुरा, दूधली मोड झर, बांसखो फाटक, जटवाड़ा, भण्डाना, दौसा, भाण्डारेज मोड, कालाखो, दुब्बी, सिकन्दरा चौराया, मानपुर, ठीकरिया, बालाजी मोड, बालाजी मन्दिर, टोडाभीम

जयपुर से टोडाभीम संचालित बस सेवायें साधारण सेवायें हैं। घाटगेट से विभिन्न स्थानों के किराये का विवरण निम्नानुसार है :—

स्थान	साधारण किराया (रुपये)
1. घाटगेट से बस्सी	6.00
2. घाटगेट से दौसा	13.00
3. घाटगेट से सिकन्दरा	19.00
4. घाटगेट से मानपुर	21.50
5. घाटगेट से बालाजी मोड	24.00
6. घाटगेट से बालाजी मन्दिर	25.00
7. घाटगेट से टोडाभीम	26.50

(केन्द्रीय बस स्टेण्ड सिन्धी कैम्प से संचालित सेवाओं पर 1/— रुपया अतिरिक्त किराया लिया जाता है)

बस सेवाओं के समय, किराया राशि का विवरण प्रश्न के भाग-1 में अंकित कर दिया गया है।

(3) वर्तमान में यात्री भार के अनुसार इस मार्ग पर बसों की संख्या पर्याप्त है। वृद्धि का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जयपुर से टोडाभीम संचालित बस सेवाओं का औसत यात्रीभार निम्न प्रकार रहा है :—

क्र. सं.	मार्ग का नाम	औसत यात्रीभार (प्रतिशत में)
1.	जयपुर—हिण्डौन वाया टोडाभीम (1245)	58
2.	घाटगेट—हिण्डौन वाया टोडाभीम (1400)	76
3.	जयपुर—हिण्डौन वाया टोडाभीम (1600)	46
4.	घाटगेट—कमालपुरा वाया टोडाभीम (1530)	69
5.	घाटगेट—पदमपुरा वाया टोडाभीम (1700)	59
6.	घाटगेट—हिण्डौन वाया टोडाभीम (1830)	60

ब्यावर पाटवा मार्ग पर संचालित बस सेवा प्रकरण

382. **श्री सुरेन्द्र गोयल** (जैतारण) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान पथ परिवहन निगम द्वारा संचालित ब्यावर-पाटवा मार्ग पर बस सेवा किस दिनांक से चालू की गई थी ?

(2) उक्त बस चलाने से निगम को कितनी आय हुई ? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या उक्त मार्ग की बस बंद कर दी गई ? यदि हां, तो किसके आदेश से एवं क्यों ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या सरकार जनहित में उक्त मार्ग पर निगम की बस पुनः चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) ब्यावर-पाटवा मार्ग पर निगम की बस सेवा दिनांक 25.10.96 से प्रारम्भ की गई थी ।

(2) उक्त बस सेवा चलाने से निगम को प्राप्त हुई आय का माहवार विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है ।

(3) परिशिष्ट-1 के अनुसार अपेक्षित आय एवं यात्रीभार उपलब्ध नहीं होने से मुख्य प्रबन्धक, ब्यावर के निर्देशानुसार बस सेवा का संचालन दिनांक 21.10.97 से बंद कर दिया गया ।

(4) जी, नहीं । उक्त बस सेवा को दिनांक 25-10-96 से 21-10-97 तक की संचालन अवधि में औसत आय प्रति कि.मी. 5.03 रुपये औसत एवं यात्रीभार 40 प्रतिशत प्राप्त हुआ जो निगम की संचालन लागत से भी कम है। ऐसी स्थिति में वर्तमान में उक्त मार्ग पर पुनः निगम की बस सेवा संचालन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-19 देखें)

विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के विकास कार्यों की जांच

383. **श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में वर्ष 1993 से 1998 तक कुल कितनी योजनाओं के अन्तर्गत कितने-कितने निर्माण कार्यों पर राशि स्वीकृत कर व्यय की गई?

(2) उक्त योजनाएं कितनी हैं ? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या उक्त निर्माण कार्यों में हुई अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कब-कब ? क्या सरकार उक्त शिकायतों की जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में वर्ष

(पंचायती राज मंत्री)

1993–98 तक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण अलवर द्वारा संचालित 10 योजनाओं में कुल 745.65 लाख रुपयों की लागत के 804 निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये, जिन पर 612.46 लाख रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है।

(2) उक्त योजनाएं 10 हैं यथा–

1. जवाहर रोजगार योजना,
2. सुनिश्चित रोजगार योजना,
3. मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम,
4. बत्तीस जिला बत्तीस काम,
5. निर्बन्ध राशि योजना,
6. सांसद क्षेत्र विकास कार्यक्रम,
7. ग्रामीण विकास केन्द्र / मिनी ग्रामीण विकास केन्द्र योजना,
8. उप स्वास्थ्य केन्द्र कार्यक्रम,
9. अपना गांव अपना काम कार्यक्रम
10. 10 लाख कुओं की योजना (जीवन धारा)।

(3) जी, हां। उक्त निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में भारी हेरा-फेरी एवं फर्जीवाड़ा अपनाए जाने की दो शिकायतें दि. 6.5.98 एवं 30.1.99 को प्राप्त हुई हैं। दिनांक 6.5.98 की शिकायत श्री अशोक चौधरी अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी मण्डल, रामगढ़ द्वारा की गई जिसकी जांच करवा ली गई है मौके पर किये गये निर्माण कार्यों का मूल्यांकन सही पाया गया। दिनांक 30.1.99 को माननीय विधान सभा सदस्य श्री ज्ञानदेव आहूजा से प्राप्त शिकायत की जांच उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी से कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।

विधान सभा क्षेत्र डेगाना में आश्वासित रोजगार योजना पर व्यय

384. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना): क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) आश्वासित रोजगार योजनान्तर्गत जिला नागौर में वर्ष 1998–99 के दौरान कुल कितने कार्य, कितनी राशि के, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण नागौर द्वारा स्वीकृत किये गये? तहसीलवार संख्या सूची संदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मद में स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हो गए और कितने अपूर्ण हैं? कितनी राशि का भुगतान कर दिया गया है और कितनी राशि अभी शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त मद में विधान सभा क्षेत्र डेगाना में कुल कितने कार्य स्वीकृत किये गये? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त मद से सरकार द्वारा कितनी राशि का आवंटन नागौर जिले को गत वर्ष किया गया और उसमें से कितनी राशि व्यय की गई तथा कितनी शेष है। सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आश्वासित रोजगार योजनान्तर्गत जिला नागौर में वर्ष 1998–99 के दौरान कुल 265 कार्य राशि रुपये 633.09 लाख के जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, नागौर

(विशिष्ट योजना संगठन मंत्री)

द्वारा स्वीकृत किये गये। तहसीलवार संख्या सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न कर सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त मद में स्वीकृत 265 कार्यों में से 163 कार्य पूर्ण हो गये, 83 कार्य अपूर्ण हैं, जो चालू हैं। उक्त कार्य पर रुपये 290.69 लाख का भुगतान कर दिया गया है और रुपये 141.88 लाख रुपये का भुगतान अभी बकाया है। तहसीलवार एवं विभाग वार पूर्ण कार्य, अपूर्ण कार्य, किया गया भुगतान एवं शेष भुगतान का विवरण परिशिष्ट–2 पर संलग्न कर सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) उक्त मद में विधान सभा क्षेत्र डेगाना में कुल 29 कार्य स्वीकृत किये गये हैं। सूची परिशिष्ट–3 पर संलग्न कर सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(4) उक्त मद में सरकार द्वारा नागौर जिले को रुपये 437.50 लाख का आवंटन वर्ष 1997–98 में किया गया एवं दिनांक 1.4.97 को रुपये 469.05 लाख शेष थे। इस प्रकार गत वर्ष में कुल 906.55 लाख रुपये उपलब्ध हुए। उपलब्ध राशि में से वर्ष 1997–98 में रुपये 887.90 लाख व्यय किये गये एवं रुपये 6.54 लाख प्रशासनिक व अन्य व्यय हुआ। इस प्रकार 1.4.98 को रुपये 12.11 लाख शेष थे। पंचायत समितिवार गत वर्ष 1997–98 में उपलब्ध राशि एवं व्यय की गई राशि का विवरण निम्नानुसार सदन की मेज पर प्रस्तुत है :—

क्र. सं.	पं. स. का नाम	वर्ष 1997–98 में उपलब्ध राशि	1997–98 में व्यय राशि	1.4.98 को शेष राशि (रुपये लाखों में)
1	2	3	4	5
1.	नागौर	69.90	68.40	1.50
2.	जायल	67.60	66.30	1.30
3.	मुण्डवा	82.68	81.60	1.08
4.	मेड़तासिटी	83.62	82.45	1.17
5.	डेगाना	73.10	72.10	1.00
6.	रियाबड़ी	85.85	82.85	3.00
7.	परबतसर	73.89	72.89	1.00
8.	मकराना	71.64	70.86	0.78
9.	कुचामनसिटी	110.32	108.50	1.82
10.	डीडवाना	115.16	110.16	5.00
11.	लाडनूं	72.79	71.79	1.00
	कुल योग	906.55	887.90	18.65
			प्रशासनिक व्यय (—)	6.54
			रुपये	12.11 लाख

पंचायत समिति अराई (भिनाय) का बकाया भुगतान प्रकरण

385. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि पंचायत समिति अराई (भिनाय) में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत करवाये गये कार्यों का भुगतान बकाया है? यदि हां, तो किस-किस योजना का किस-किस कार्य से सम्बन्धित भुगतान कब-कब का बकाया है ? उक्त भुगतान की बकाया के क्या कारण है तथा इसके लिए कौन उत्तरदायी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी, हां। पंचायत समिति अराई (विधान सभा क्षेत्र भिनाय) में 32 जिला 32 काम एवं जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत सम्पादित क्रमशः 2 एवं 1 कार्य का भुगतान किया जाना शेष है। बत्तीस जिला बत्तीस काम योजनान्तर्गत 1 कार्य के लिए बकाया भुगतान समय पर नहीं करवाते, तथा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत। कार्य के बकाया भुगतान समय पर नहीं करवाने के लिए ग्राम पंचायत हरपुरा का सरपंच उत्तरदायी है। 32 जिला 32 काम योजनान्तर्गत एक कार्य सार्व. कूप निर्माण रामबेरी का प्रगति पर होने के कारण भुगतान माह मार्च, 99 में ही देना बकाया हुआ है। योजनावार एवं कार्यवार भुगतान समय पर नहीं होने तथा भुगतान बकाया होने की अवधि का विस्तृत विवरण परिशिष्ट–"अ" में अंकित है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-21 देखें)

जिला बारां निर्बन्ध राशि योजनान्तर्गत व्यय

386. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा): क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बारां जिले की पंचायत किशनपुरा में गत वर्षों में निर्बन्ध राशि योजना के अन्तर्गत कार्य स्वीकृत किये गये थे ? यदि हां, तो कब, कितनी राशि के ?

(2) क्या यह भी सही है कि लम्बे समय के बाद भी पंचायत द्वारा इन कार्यों को नहीं करवाया गया है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(3) क्या सरकार अब उक्त स्वीकृत कार्यों को पूर्ण करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां। निर्बन्ध राशि योजनान्तर्गत बारां जिले की पंचायत किशनपुरा में निम्नांकित कार्यों की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी। कार्यों की स्वीकृति की तिथि एवं स्वीकृत राशि उनके सम्मुख अंकितानुसार है :–

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत तिथि	स्वीकृत राशि (लाख रु. में)
1.	ग्राम किशनपुरा के पास बैरवा बस्ती सड़क का निर्माण कार्य	28.10.96	0.30
2.	पुलिया रपट निर्माण–बोरदा	24.12.98	0.38
3.	ग्राम मूण्डला में खरन्जा निर्माण	1.12.98	0.30
		योग	0.98

(विशिष्ट योजना संगठन मंत्री)

(2) निर्बन्ध राशि योजनान्तर्गत किशनपुरा पंचायत में स्वीकृत तीन कार्य में से एक कार्य ग्राम किशनपुरा के पास बैरवा बस्ती सड़क निर्माण कार्य को कार्य के स्वीकृत होने के लम्बे समय बाद भी कार्य प्रारम्भ नहीं करवाया गया जिसके लिए सरपंच ग्राम पंचायत किशनपुरा जिम्मेदार है। उक्त सरपंच को जिला कलेक्टर एवं पंचायत समिति से नोटिस जारी किये गये हैं।

(3) हां, उक्त स्वीकृत कार्यों को इसी वित्तीय वर्ष में पूरा कराने की व्यवस्था की जा रही है।

बारानी चेतना केन्द्र थूमड़ी (दौसा) में कराये गये कार्यों का भुगतान प्रकरण

387. श्री अमराराम (धोद) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि माह जनवरी फरवरी, 1998 व मई–जून, 1998 में दौसा जिले में बारानी चेतना केन्द्र थूमड़ी में जल ग्रहण एवं भू–संरक्षण विभाग के माध्यम से जल–ग्रहण क्षेत्रों पर कराये गये कार्यों पर काम करने वाले मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि सहायक/कनिष्ट अभियन्ताओं ने मजदूरों को डरा–धमकाकर बिना भुगतान किये ही उनसे रसीद प्राप्त कर ली है ? यदि नहीं, तो बाबूलाल पुत्र भैरया मीणा, हजारीलाल पुत्र लक्ष्मण मीणा, रामसहाय पुत्र भोमराम मीणा, मूलचन्द पुत्र कालूराम मीणा, गोपीलाल पुत्र भीमाराम मीणा, रामजीलाल पुत्र मोतीलाल मीणा, एवं रंगलाल पुत्र कालूराम मीणा, ग्राम बेजवाड़ी तथा श्री महादेव पुत्र भौरीलाल कुम्हार, गोपाल जमादार, पुत्र छोटूलाल मीणा निवासी छारेड़ा एवं गोपाल लाल पुत्र प्रभातीलाल मीणा निवासी थूमड़ी को कब–कब, किस–किस काम के पेटे कितनी–कितनी मजदूरी का भुगतान किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त सभी व्यक्तियों द्वारा उन्हें मजदूरी का भुगतान न होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत कर शिकायत की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पर कोई जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार उक्त सारे प्रकरण की जांच कराकर मजदूरों को उनकी बकाया मजदूरी का भुगतान करवाकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों !

उत्तर

(1) जी, नहीं। माह जनवरी, फरवरी, 98 एवं मई-जून 98 की अवधि में बारानी चेतना केन्द्र, थूमड़ी में मजदूरों से कोई कार्य नहीं कराया गया है।

(2) जी, नहीं। श्री बाबूलाल पुत्र भैरया मीणा, हजारी पुत्र लक्ष्मण मीणा, रामसहाय पुत्र भीमराम मीणा, मूलचन्द

(कृषि मंत्री)

पुत्र कालूराम मीणा, गोपीलाल पुत्र भीमाराम मीणा, रामजीलाल पुत्र मोतीलाल मीणा एवं रंगलाल पुत्र कालूराम मीणा सभी ग्राम बैंजवाड़ी तथा महादेव पुत्र भौंरीलाल कुम्हार, गोपाल जमादार पुत्र छोटूराम मीणा निवासी छारेड़ा एवं गोपाल लाल पुत्र प्रभाती लाल मीणा निवासी थूमड़ी ने जल ग्रहण क्षेत्र में भी कोई कार्य नहीं किया है ।

(3) जी, नहीं । इस सम्बन्ध में विभाग को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(4) जी, नहीं । क्योंकि उक्त व्यक्तियों को उपरोक्त अवधि के पेटे कोई भुगतान बकाया नहीं है ।

चूरू जिले के स्वीकृत भू-संरक्षण कार्य

388. **श्री भंवरलाल शर्मा** (सरदारशहर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) चूरू जिले की किस–किस तहसील के किन–किन गांवों में जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण योजनाएं चल रही हैं ? उक्त योजनाएं कब–कब स्वीकृत हुई और इनमें कौन–कौन से कार्य चल रहे हैं एवं उन पर कितनी–कितनी राशि व्यय की जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त योजनाओं में से किन–किन जलग्रहण योजनाओं के सम्बन्ध में शिकायतें कब–कब और किस–किस के द्वारा की गई और शिकायतों पर कब क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजनाओं में अनियमितताओं की शिकायतें आने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

(4) क्या ग्राम भोजरासर तहसील सरदारशहर में जलग्रहण योजना मंजूर हुई है ? यदि हां, तो उसको अब तक किन कारणों से शुरू नहीं किया गया ? यह योजना कब मंजूर हुई, कब कमेटी के चुनाव हुए और इसको क्यों रोका गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) चूरू जिले में चल रही जल ग्रहण विकास भू–संरक्षण योजनाओं की वर्षवार स्वीकृति कराये जा रहे कार्य पर व्यय राशि की ग्रामवार एवं तहसीलवार विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न कर प्रेषित है ।

(2) उक्त योजनाओं में प्राप्त शिकायतों एवं की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट–2 पर संलग्न कर प्रस्तुत है ।

(3) जी, नहीं । उक्त प्राप्त शिकायतों पर आवश्यक कार्यवाही की गई है कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट–2 पर संलग्न कर दर्शाया गया है ।

(4) जी, हां । ग्राम भोजरासर तहसील सरदारशहर के अन्तर्गत जिला ग्रामीण विकास अभिकरण चूरू के माध्यम से दि. 5.3.97 को जलग्रहण योजना स्वीकृत की

(कृषि मंत्री)

गयी थी। योजना के क्रियान्वयन के लिए कमेटियों का गठन दि. 19.7.97 को किया गया परन्तु उनमें आपसी विवाद के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा सका।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-22 देखें)

जिला पाली में भू-संरक्षण योजना में स्वीकृत राशि

389. हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला पाली में गत 4 वर्षों में भू-संरक्षण विभाग को किस-किस योजना कार्य के तहत कितनी राशि उपलब्ध कराई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वर्षों में किस-किस योजना को पूर्ण करवायी गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले में गत 4 वर्षों में इस विभाग को विभिन्न योजनान्तर्गत उपलब्ध करायी गयी राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न कर प्रेषित है।

(2) उक्त वर्षों में पूर्ण करायी गयी योजनाओं का विवरण परिशिष्ट–2 पर संलग्न कर प्रेषित है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-23 देखें)

(स्थगित प्रश्न)

(दिनांक 23 मार्च, 1999)

जिला पाली व अजमेर में असहाय व्यक्तियों को राशि आवंटन

58. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला पाली एवं अजमेर ग्राम पंचायतों में वर्ष 1994 में लागू (केन्द्र सरकार की) वृद्धावस्था पेंशन, प्रसूति सहायता एवं पारिवारिक सहायता योजनाओं के तहत किन-किन पंचायतों में कितने-कितने आशार्थियों को उक्त सहायता प्रदान करने के लिए चिन्हित/चयनित किया गया है? इनमें से अभी तक कितनों को उक्त योजनाओं में सहायता मिल चुकी है और कितनी विचाराधीन है? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रत्येक पंचायत समिति व जिले में वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत करने के प्रार्थी के जमीन इत्यादि के बारे में अलग-अलग मानदण्ड प्रयोग में लिए जा रहे हैं यदि हां, तो क्यों? वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृति के सरकार के कोई मानदण्ड निर्धारित किए हुए हैं? मानदण्डों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी, नहीं। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची एवं प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला परिषद धौलपुर का शिक्षक नियुक्ति प्रकरण

62. श्री जसवन्त सिंह (बाड़ी) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(पंचायती राज मंत्री)

(1) क्या यह सही है कि जिला परिषद् धौलपुर द्वारा वर्ष 1990 से 1992 में शिक्षकों को फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर अनियमित नियुक्तियां की गई ? क्या उक्त नियुक्तियों को लोकायुक्त राजस्थान सरकार ने अनियमित मानते हुए गम्भीरता से लिया ? क्या सरकार ने लोकायुक्त द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना कर दी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त प्रकरण में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि फर्जी प्रमाण–पत्रों पर नियुक्त ऐसे शिक्षक अभी तक राज्य सेवा में कार्यरत है ?

उत्तर

(1) 26 नियुक्तियों को लोकायुक्त राजस्थान ने संदिग्ध माना है। लोकायुक्त के निर्देशों की पालना की जा रही है। वर्तमान में प्रकरण आयुक्त विभागीय जांच के विचाराधीन है। आयुक्त विभागीय जांच द्वारा जांच रिपोर्ट में दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसाप कार्यवाही की जावेगी।

(2) 26 अध्यापकों में से 15 अध्यापकों के प्रमाण पत्र सही पाए गये हैं। शेष 11 अध्यापकों के प्रमाण पत्रों की जांच जारी है।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत व्यय राशि

70. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ीसादड़ी) : क्या विशिष्ट योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान के सांसद को वर्ष 1994 से 1998–99 तक सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत विकास कार्यों हेतु कितनी राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई ? संख्या विवरण प्रत्येक सांसद के अनुसार वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

(2) केन्द्र सरकार से प्राप्त सांसद स्थानीय विकास योजना के तहत कितने निर्माण कार्यों की स्वीकृति एवं कितनी राशि व्यय करनी थी, उससे कितने कार्य पूर्ण हुए और उन पर कितनी राशि व्यय हुई ?

(3) उक्त योजना के तहत कितने कार्य आज भी अपूर्ण हैं एवं कितनी राशि व्यय नहीं की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान के सांसद (राज्यसभा/लोकसभा) को वर्ष 1994 से 1998–99 (फरवरी, 99 तक) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत विकास कार्यों हेतु जिला अभिकरणों से प्राप्त सूचनानुसार कुल रुपए 16165.93 लाख राशि केन्द्र से प्राप्त हुई ! विवरण प्रत्येक सांसद के अनुसार वर्षवार सदन की मेज पर परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) केन्द्र से प्राप्त सांसद स्थानीय विकास योजना के तहत 12004 निर्माण कार्यों की स्वीकृति पर रुपए 15241.82 लाख का धन खर्च करना था उससे 8108

(विशिष्ट योजना संगठन मंत्री)

कार्य पूर्ण हुए एवं 3016 कार्य प्रगतिरत है। इन कार्यों पर कुल रुपए 11194.13 लाख का व्यय हुआ।

(3) उक्त योजना के तहत 3016 कार्य अधूरे हैं जो प्रगतिरत है तथा 805 कार्य चालू नहीं हुऐ हैं एवं 75 कार्य निरस्त कर दिये गये हैं। स्वीकृत राशि के विरुद्ध रु. 4047.69 लाख धन खर्च होने से रह गया जिसका जिलेवार विवरण परिशिष्ट–2 पर संलग्न कर सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री मदन दिलावर, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा शहर के दादाबाड़ी थानान्तर्गत दो चचेरी बहनों की कथित हत्या का मामला पुलिस द्वारा आत्म-हत्या का बनाने का प्रयास करने से जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

(2) डा. किरोड़ी लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर जिले के खेरलीगंज के पेट्रोल पम्प की लूट के मुख्य अभियुक्त के हवालात से फरार हो जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :—

(1) श्री हरीश कुमावत, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायत समिति कुचामन सिटी के ग्राम चावण्डिया में प्रस्तावित जी. एस. एस. के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री श्रीचन्द कृपलानी एवं दस अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू कस्बे में दिनांक 5.4.99 को एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार एवं जलाकर हत्या कर देने की घटना से कस्बे में व्याप्त रोष के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं है अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री अमराराम (धोद), सदस्य, विधान सभा की ओर से दांता रामगढ़ तहसील क्षेत्र के लोसल में उप तहसील कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

(2) श्री मांगीलाल गरासिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में पेयजल की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में।

(3) श्री बाबूलाल सिंगारिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के ग्राम प्रानेड़ा में दिनांक 7.4.99

(श्री अध्यक्ष)

को चारे में लगी आग का मुआवजा देने के सम्बन्ध में।

(4) श्री सुरेन्द्र गोयल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला पाली के जैतारण कस्बे में महाविद्यालय नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) प्रो सांवरलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से निर्वाचन क्षेत्र भिनाय के कतिपय विद्यालयों की क्रमोन्नति के सम्बन्ध में।

(6) श्री रिछपाल सिंह मिर्धा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला नागौर के डेगाना जक्शन में पानी की निकासी की स्थायी व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

(7) श्री हेमन्त कुमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र दीगोद की सड़कों की मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री शिवनारायण नागर, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील बारां के ग्राम जालेड़ा में दिनांक 24.3.99 को लगी आग के पीड़ितों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

(9) श्री घनश्याम जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से रावतभाटा कस्बे में पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में।

(10) श्री हरीश चन्द्र, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र नावां में पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री अरुण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने सुबह आपको एक पर्चा दिया था....

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, हुआ क्या मैं आपको पूरी जानकारी देना चाहता हूं... (व्यवधान) एक बहुत ही कुख्यात अपराधी

श्री अरुण सिंह : भरतपुर में एक जंगलवाद चल रहा है। कैदी थाने से फरार हो रहे हैं, बयाना में मालखाना लुट रहा है। तीन हफ्ते से भरतपुर जिले में पुलिस अधीक्षक नहीं है....(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, एक कुख्यात अपराधी पकड़ा गया, इसने खेरलीगंज में पहले पेट्रोल पम्प को लूटा.... (व्यवधान) फायरिंग की, उसको घायल भी किया और अध्यक्ष महोदय, सोलह हजार लूटकर ले गया....(व्यवधान)

श्री अरुण सिंह : मैं गृह मंत्री महोदय से पूछना चाह रहा हूं कि भरतपुर जिला राजस्थान के नक्शे में है या नहीं है.... (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : कुछ दिनों बाद में यही अपराधी.. (व्यवधान) मालखाने से हथियार निकाल कर ले गया (व्यवधान)

श्री अरुण सिंह : भरतपुर जिले में पुलिस अधीक्षक तीन हफ्ते से क्यों नहीं नियुक्त किया है.. (व्यवधान) आई.पी.एस. अधिकारियों की कमी है भरतपुर जिले में पुलिस अधीक्षक तीन हफ्ते से नियुक्त नहीं है। कैदी फरार हो रहे हैं थानों से, मालखाना लूट रहे हैं....(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : मालखाना लूट लिया... (व्यवधान)

श्री अरुण सिंह : भरतपुर ज़िला राजस्थान के नक्शे में है या नहीं है ? मैं माननीय गृह मंत्रीजी से यह स्पष्ट जवाब चाहता हूं कि कब तक भरतपुर जिले में एक आई.पी.एस. एस पी. लगवाएंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कैसे बोलने शुरू हो गये सदन में ।

श्री अरुण सिंह : मैंने आपको दिया है ।

श्री अध्यक्ष : पर्ची का समय इसके बाद आता है । मैंने पर्ची वालों के नाम पुकारे नहीं । अभी 295 है, 295 में श्री असराराम ।

एक माननीय सदस्य : गृह मंत्री जी जवाब तो दे रहे हैं ।

डा किरोड़ी लाल : मेरा स्थगन प्रस्ताव है । बहुत बड़ी घटना हुई है । अदालत का मालखाना लुट गया, अध्यक्ष महोदय और यह अपराधी उस अदालत के मालखाने तक पहुंच गये पुलिस की कस्टडी से भागकर के अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : सरकार से जानकारी मांगी गयी है। आज ही तो आपने दिया है यह एडजोर्नमैंट मोशन ।

डा. किरोड़ी लाल : यह बड़ा कुख्यात अपराधी हैं । रातों को अपहरण और लूट-पाट के मामले हों, अध्यक्ष महोदय, जिसके कारण पूरे इलाके में आतंक है और इसके हाथ हथियार लग गये....

श्री अध्यक्ष : आज के अखबार में भी इसका उल्लेख है । श्री अमराराम ।

डा. किरोड़ी लाल : किसी भी वारदात की सम्भावना है, अध्यक्ष महोदय, इसलिए गृह मंत्रीजी इस पर जानकारी कब तक दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : प्लीज, प्लीज टेक योअर सीट । श्री अमराराम ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपके आदेश की अवहेलना हम नहीं करना चाहते हैं । हमारे पास अगर माध्यम है तो अध्यक्ष महोदय, आपकी कृपा और यह सर्वोच्च सदन है । इसलिए अभी माननीय सदस्य ने सवाल उठाया है । अध्यक्ष महोदय, किसी व्यक्ति के विरुद्ध इनाम था चार हजार का । वह व्यक्ति जो अपहरण के मामले में जिसको रिमाण्ड पर लिया गया वह थाना खेड़लीगंज से फरार हो जाए, ऐसे मामले में आपकी....

श्री अध्यक्ष : आप सुनिये प्लीज ।

डा. किरोड़ी लाल : मालखाना लुट गया, अध्यक्ष महोदय, अदालत का मालखाना लुट गया ।

श्री अध्यक्ष : प्लीज, प्लीज, टेक योअर सीट ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : स्वयं ही देना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नअपर के पूर्व गृह मंत्रीजी मेरे चैम्बर में आये थे और आपका जो यह स्थगन प्रस्ताव है, इसके सम्बन्ध में मैंने उनको यह निर्देश दिये थे कि आप जल्दी से जल्दी इसकी जानकारी लें । आप

(श्री अध्यक्ष)

आज पहुंचा सकें तो बहुत ठीक है नहीं तो कल तक निश्चित तौर पर इसकी जानकारी आप विधान सभा सचिवालय को पहुंचा दें। मैंने खुद ने कहा है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमें आज नहीं चाहिए। आपकी कृपा रही है, परसों दे दें।

डा. किरोड़ी लाल : गृह मंत्रीजी आप से मिल लिये और आप नरम पड़ गये।

श्री अध्यक्ष : वह तो आये थे दूसरे काम से।

डा. किरोड़ी लाल : गृह मंत्रीजी चैम्बर में मिल लिये और आप नरम पड़ गये, अध्यक्ष महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप हमें परसों व्यवस्था दे दें।

श्री अध्यक्ष : आपका स्थगन प्रस्ताव आया हुआ था। मेरे सामने प्रस्तुत था, उस वक्त वह आ गये मैंने कह दिया। मैंने उनको निर्देश दिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दे दी, हम पूर्णतया सन्तुष्ट हैं। अध्यक्ष महोदय, आप सोमवार को फरमा दें। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : नैक्स्ट वर्किंग डे तो सोमवार ही है अध्यक्ष महोदय।

डा. किरोड़ी लाल : आप गृह मंत्रीजी को इतना-सा निर्देश दे दें कि वह पुलिस को सजग कर दें। वह कोई वारदात नहीं कर बैठे क्योंकि उसने एक मालखाने को लूट लिया है। इलाके में कोई वारदात नहीं हो जाये। अभी अरुण सिंहजी बोल रहे थे वहां पर कोई एस. पी. है नहीं। इसलिए गृह मंत्रीजी (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डा. किरोड़ी लालजी। प्लीज टेक योअर सीट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप नैक्स्ट वर्किंग डे फरमा दें। उस दिन चर्चा हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष : प्लीज टेक योवर सीट। स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था दी थी प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं को मैंने यहां पढ़ दिया। और उसके बाद में....(व्यवधान) आप उसी प्रश्न को वापस उठा रहे हैं। मैं अनुमति नहीं दूंगा। श्री अमराराम (धोद)।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

लोसल नगरपालिका, तहसील दांता-रामगढ़ में उप तहसील की स्थापना

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, कार्य संचालन के नियम 295 के तहत दांता रामगढ़ तहसील क्षेत्र में स्थित लोसल नगरपालिका में उप तहसील की स्थापना हेतु।

महोदय, दांता रामगढ़ तहसील में एक मात्र नगरपालिका क्षेत्र लोसल है जहां उप तहसील कार्यालय नहीं है जिससे इस क्षेत्र के किसानों एवं आम जनता को हो रही परेशानियों को दूर करने के लिए उप तहसील की स्थापना करना अतिआवश्यक है क्योंकि यह क्षेत्र तहसील कार्यालय में 50 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है।

(श्री अमराराम)

जबकि इससे कम दूरी पर उप तहसील की स्थापना की जा चुकी है। 7 ग्राम पंचायतें भी दांता रामगढ़ की इस क्षेत्र में आती है जिनकी आबादी करीब एक लाख है। तो लोसल क्षेत्र की जनता की अनदेखी क्यों की जा रही है? अतः आपसे निवेदन है कि राजस्व मंत्री मे यह निवेदन करना चाहूंगा कि लोसल में उप तहसील का सृजन करके यहां भी जनता की समस्या का निवारण करेंगे।

(12.15 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। श्री मांगीलाल गरासिया।

गोगुन्दा विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की समस्या

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करने के सम्बन्ध में।

मान्यवर, निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा जिला उदयपुर के अन्तर्गत अकाल के इस विभिषिका में पेयजल की भयंकर समस्याओं को देखते हुए एवं पानी की व्यवस्था को देखते हुए जो हैण्ड-पम्प स्वीकृत हैं उन्हें तत्काल बनाया जाये। मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत हैण्ड पम्प जहां-जहां गाड़ी नहीं जा सकती वहां ग्रामीण वासियों द्वारा श्रमदान कर सड़क बनाने पर भी गाड़ी विभाग नहीं पहुंचा रहा है। यदि जहां-जहां पर गाड़ी नहीं जा सकती है उन गांवों या ढाणियों में पेय-जल समस्या निराकरण हेतु सार्वजनिक कूप निर्माण कराया जाये।

अतः मेरा माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी आपके माध्यम से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी को भयंकर पानी की समस्या को देखते हुए त्वरित गति से कदम उठाने की ओर ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं। क्योंकि उदयपुर टी.आर.आई. में बैठक में आपके समक्ष समस्या अवगत कराने पर भी विभाग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बाबूलाल गरासिया। श्री सुरेन्द्र गोयल बोल रहा हूं मैं तो, सुनें नहीं तो....

श्री बाबूलाल सिंगारिया : मैं तो बाबूलाल सिंगारिया हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें गरासिया लिख दिया। मैं क्या करूं। एक मिनट इनको बोलने दो।

जैतारण, जिला पाली, में महाविद्यालय खोलना

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत जैतारण जिला पाली में महाविद्यालय नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

महोदय, निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण में उपखण्ड मुख्यालय है तथा आस-पास में सोजत, रायपुर एवं बिलाड़ा तहसील मुख्यालय भी लगते हैं

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

तथा पिछले कई वर्षों से वहां के नागरिकों विद्यार्थियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा महाविद्यालय खोलने हेतु राज्य सरकार से निवेदन किया जा रहा है जिस पर राज्य सरकार ने जांच भी करवाई थी। जांच रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि जैतारण से 50 किलोमीटर दूर ब्यावर में महाविद्यालय स्थित है। जैतारण तहसील के पांच एवं रायपुर तहसील के पांच सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूलों के छात्रों को अध्ययन हेतु 50 किलोमीटर दूर ब्यावर जाना पड़ता है। जिससे समय एवं धन की बर्बादी होती है परन्तु अभी तक महाविद्यालय नहीं खुलने से जैतारण उपखण्ड के ग्रामीणों में रोष है।

इसलिए जनहित में निवेदन है कि राज्य सरकार जनहित में शीघ्र ही राजकीय महाविद्यालय खोलने की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर विद्यार्थियों को लाभान्वित करेगी।

केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम प्रानेड़ा में चारे में लगी आग का मुआवजा

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

मान्यवर, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा केकड़ी विधान सभा क्षेत्र अनुसूचित जाति का आरक्षित क्षेत्र है। केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत प्रानेड़ा के गांव प्रानेड़ा में गरीब काश्तकार लोग निवास करते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ने के कारण काश्तकार स्वयं की चिन्ता छोड़कर पशुधन की चिन्ता करते हैं। पशुधन के लिए इन्होंने अपने पेट पर गांठ बांधकर पशुओं के लिए चारा इकट्ठा कर रखा था। कल दिनांक 7.4.99 दोपहर 2 बजे खेत के ऊपर से निकलने वाले बिजली के तारों से उत्पन्न चिनगारी से पूरा चारा जलकर राख हो गया। गांव के अन्दर त्राहि-त्राहि मच गयी। पूरा चारा जलकर स्वाह हो गया। आग की लपटों में 12 किसान परिवारों की झोपड़ी सहित बाड़े आग की लपेट में जलकर स्वाह हो गये। पूरे गांव में लाखों का नुकसान हो गया। मजदूर किसान घर से बेघर हो गये तथा प्रकृति के प्रकोप के तहत इस अकाल में वैसे ही मजदूर बेरोजगार बैठे हुए हैं। चारा अग्नि काण्ड में इनके जीवन की कमाई हुई समस्त मेहनत इस अग्नि-कांड में स्वाहा हो गयी। इसलिए मेरा आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से तथा अकाल राहत मंत्रीजी से करबद्ध प्रार्थना है कि आप अतिशीघ्र प्रशासन को आदेश फरमाकर अविलम्ब तबाह हुए किसानों को सहायता राशि तथा जले हुए चारे की मुआवजा राशि प्रदान करने का आदेश प्रदान करें। जिससे कि गरीब किसानों को राहत मिल सके। तथा जनहित में कांग्रेस राज का विश्वास कायम हो सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सांवरलाल।

(अनुपस्थित)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा।

डेगाना जंक्शन जिला नागौर में पानी निकासी की स्थायी व्यवस्था

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत डेगाना जंक्शन जिला नागौर में पानी की निकासी के स्थायी समाधान करने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख।

महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र डेगाना के कस्बे डेगाना जंक्शन की आबादी करीब 20 हजार के लगभग है तथा यह कस्बा उत्तर रेल्वे का एक प्रमुख जंक्शन है, तहसील मुख्यालय है, पंचायत समिति मुख्यालय है, कृषि उपज मण्डी स्थित है तथा व्यापार की दृष्टि से भी प्रमुख मण्डी है। इस कस्बे की बसावट ऐसी है कि यह डूब में आया हुआ है तथा कस्बे से पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। जिससे बरसात के मौसम में मुख्य बाजार तथा पूरे कस्बे की हालत यह हो जाती है कि पानी तीन-तीन, चार-चार फूट इकट्ठा हो जाता है और मुख्य बाजार, बस स्टेण्ड तथा रेल्वे स्टेशन पर यात्रियों का आना-जाना दुभर हो जाता है। स्टेशन पर तथा बाजार में इतना कीचड़ इकट्ठा हो जाता है जिससे स्थानीय ग्रामीणों एवं क्षेत्र के यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इसके कारण बाजार में बदबू आती रहती है तथा पानी इकट्ठा हो जाने से सड़क बार-बार टूट जाती है तथा मकान व दुकानें नीची होने के कारण बरसात का पानी भर जाता है। इस बारे में सार्वजनिक निर्माण विभाग जिला कलक्टर एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को सड़क निर्माण के साथ-साथ ही नाले का निर्माण कराकर पानी की निकासी हेतु बार-बार लिखे जाने पर भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है तथा इस भयंकर समस्या से स्थानीय जनता परेशान है।

अतः आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित कर निवेदन करता हूं कि डेगाना में पानी की निकासी की स्थायी व्यवस्था कराकर स्थानीय व आस-पास की जनता को राहत पहुंचाने की कृपा करायें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हेमन्त कुमार।

दीगोद विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र दीगोद की सड़कों की मरम्मत हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री का ध्यान आकर्षित कर मेरे विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की दुर्दशा की मरम्मत का कार्य सम्पन्न करवा कर क्षेत्रीय जनता को राहत प्रदान करवाने का अनुग्रह करता हूं।

दीगोद से सुलतानपुर जिला कोटा की सड़क का कुछ वर्ष पूर्व डामरीकरण कर मरम्मत का कार्य किया गया था। लेकिन सड़क मरम्मत कार्य में लगाया गया बहुत ही हल्के किस्म के सामान के कारण सड़क की बहुत ही दयनीय स्थिति हो गयी है।

(श्री हेमन्त कुमार)

सड़क के दोनों तरफ वर्षा के कारण मिट्टी कटकर बह गयी। रोजाना दुपहिया वाहनों की दुर्घटना होती है। सामने से आने वाले वाहन को साइड देना मुश्किल होता है जिससे दुर्घटनाएं होती है।

सुलतानपुर से मोरा मार्ग की सड़क की मरम्मत हुए बहुत समय हो गया है। सड़क में बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं। जगह-जगह से डामर उखड़ गयी है।

यही स्थिति देवली से सांगोद तथा देवली से कनवास मार्ग की हो गयी है। देवली से कनवास मार्ग के अधिकांश मार्ग की डामर उखड़ गयी है किसान अपनी फसल को मण्डी में बेचने हेतु ले जाना मुश्किल होता है। जगह-जगह ट्रेक्टर ट्रोली खराब होकर पड़े रहते हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि सड़कों की मरम्मत करवा कर क्षेत्रीय जनता को राहत प्रदान करावें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : शिवनारायण नागर (अनुपस्थित) श्री घनश्याम जैन।

रावतभाटा कस्बे में पेयजल समस्या

श्री घनश्याम जैन (बेगूं) : विधान सभा के प्रक्रिया संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत मंत्री महोदय, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, आज के करीब 30 वर्ष पूर्व रावतभाटा में राणा प्रताप सागर बांध बना था तब से पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था राणा प्रताप सागर सिंचाई उप खण्ड रावतभाटा के जिम्मे थी। चूंकि उस समय आबादी कम थी। व बजट भी पर्याप्त मिलता था। चूंकि अब राजस्थान अणु शक्ति परियोजना की चार यूनिट हैवीवाटर एवं अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं कार्यरत हैं एवं आबादी बढ़कर 45,000 हो गयी है। फिल्टर प्लांट खराब पड़े हैं एवं पाइप लाइन भी क्षतिग्रस्त हो गयी है। ऐसी स्थिति में रावतभाटा जैसे महत्वपूर्ण कस्बे की पेयजल योजना गड़बड़ा गयी है। अधिकांश आबादी बूंद-बूंद पानी के लिये तरस रही है।

फिल्टर प्लांट खराब होने से राणा प्रताप सागर बांध से सीधे पेयजल देने की वजह से कीड़े पानी में आ रहे हैं। जन आक्रोश उभर रहा है व अधिकारियों का घेराव कर रहे हैं। हैण्ड पम्प भी समुचित नहीं हैं।

मई, 1996 में रावत भाटा पेयजल योजना हेतु 209.24 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति भी प्राप्त हो गयी थी। मगर सिंचाई विभाग अब पेयजल व्यवस्था अपने पास रखने को तैयार नहीं है। इस हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सचिव, मुख्य अभियन्ता एवं जिला स्तरीय अधिकारियों से भी कई बार निवेदन किया मगर इतनी भयंकर स्थिति होते हुए भी इस स्वीकृत योजना को हाथ में लेने से कतरा रहे हैं।

आम जनता में भयंकर आक्रोश है। अतः अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक

(श्री घनश्याम जैन)

विभाग का ध्यान आकर्षित कर जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग को तत्काल आदेश देकर इस योजना को त्वरित हाथ में लेकर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु आदेश प्रदान करावें । धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरीशचन्द ।

नावां विधान सभा क्षेत्र में पेयजल समस्या

श्री हरिशचन्द (नावां) : नावां विधान सभा क्षेत्र में पेयजल समस्या के सम्बन्ध में राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव ।

महोदय, नावां विधान सभा क्षेत्र के गांव लूणवा में 15 वर्षों से पीने के पानी की समस्या बनी हुई है । केवल 10 मिनट पानी आता है तथा वहां की ढाणियों में व गोरवपुरा में पानी की व्यवस्था बिलकुल नहीं है । नावां का सीमावर्ती ग्राम आटीपुरा में ट्यूबवेल बनाकर पानी लाने की योजना से यहां पानी की समस्या का हल हो सकता है । ग्राम मुण्डगसखोई में पानी खारा है, पीने योग्य नहीं है । देवली में ट्यूबवेल बनाकर वहां से पानी लाया जा सकता है । कुचामन शहर में पारीक कालोनी में पानी नहीं पहुंचता । बालाजी की ढाणी चौराहे तक 6 इंच की डाली जाने वाली लाइन पारीक कालोनी में शाहजी वाली कोठी तक डालकर समस्या का समाधान हो सकता है । खारीयाकुट, नवोड़ी कोठी बस्ती में पानी सप्लाई बहुत कम होता है जबकि वहां दो ट्यूबवेल बने हुए हैं वहां कार्यरत कर्मचारी की ड्यूटी सही कराकर समस्या का समाधान हो सकता है । कुचामन क्षेत्र में 19 नये नलकूप बनाये जा चुके हैं बिजली की लाइन खेंच दी गयी है । परन्तु जलदाय विभाग द्वारा फिटिंग कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण कनेक्शन नहीं हो रहा है । इसी प्रकार पाटवा ग्राम में मानजी की ढाणी से जनता जल योजना के कुए पर विद्युत कनेक्शन का डिमांड नोटिस की राशि जमा है, विद्युत लाइन डालने का काम चालू है परन्तु विभाग द्वारा फिटिंग कार्य पूर्ण नहीं होने से काम अधूरा है । माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय ने नावां विधान सभा क्षेत्र में 20 नये हैण्ड पम्प बनाने की स्वीकृति प्रदान की है । अधीक्षण अभियन्ता, नागौर के द्वारा चाहे गये प्रस्ताव भेज दिये हैं परन्तु समर कन्टीजेंसी में यह काम अभी प्रारम्भ नहीं हुआ । नावां में मारोठ रोड पर 6" की लाइन डाली हुई है । उस लाइन का कनेक्शन जयपुर रोड पर निर्मित ट्यूबवेल से जोड़कर इस रोड पर बसी हुई बस्ती को पानी दिया जा सकता है । वह लाइन अभी डैड पड़ी है । इस प्रकार गर्मी का भयंकर मौसम है । पीने के पानी की समस्या है उसका समाधान विभाग ध्यान दे तो जल्दी हो सकता है । इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये राज्य सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि यथाशीघ्र समस्या का समाधान कराया जावे ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमरा रामजी ।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

जे. सी. टी. मिल श्री गंगानगर में औद्योगिक विवाद

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का

(श्री अमराराम)

ध्यान जे.सी.टी. मिल गंगानगर के श्रमिकों की तरफ, जो पिछले 8, 10 महीने या एक साल से औद्योगिक विवाद के कारण कारखाना से बुरी तरह प्रभावित है की ओर दिलाता हूं। एक तरफ तो सरकार यह घोषणा करती है कि हम श्रमिक हितेषी और किसान हितेषी है लेकिन राजस्थान सरकार में केबिनेट श्रम मंत्री होने के बाद श्रम विभाग के मामलों पर फाइनल निर्णय करने के लिये जिस तरह से उद्योग विभाग को स्थानान्तरित किया है, इससे निश्चित रूप से यह प्रतीत होता है कि उन श्रमिकों को अपने हकों को प्राप्त करने के बजाय उद्योगपतियों के हवाले, राजस्थान की सरकार ने कर दिया है। श्रम विवादों को निपटाने के लिये केबिनेट मंत्री है, राज्य मंत्री है। लेकिन उसको पूर्ण रूप से फाइनल करने के लिये उद्योग मंत्रीजी को जो सौंपा है, इससे एक तो उसमें देरी होती है और दूसरा श्रम विवादों को निपटाने में उद्योगपतियों का पक्ष उसमें ज्यादा होता है। यह तो मैं मान सकता हूं कि मुख्यमंत्री, जो पूरी केबिनेट के सर्वेसर्वा हैं, वह तो इसको देखें। लेकिन उद्योग मंत्रीजी को सौंपकर राजस्थान के उन लाखों मजदूरों को, जो नयी आर्थिक नीतियां सरकार लागू कर रही है उनसे यह जो रोजगार में थे उनसे हट रहे हैं और श्रम विवाद जो तेजी से बढ़ रहे हैं। उनके निपटारे के लिये मुख्यमंत्रीजी लेते तो बात समक्ष में आती थी। लेकिन उद्योग मंत्रीजी को फाइनल करने में लगाया है उससे लगातार देरी, और जे. सी. टी. मजदूर जो पिछले एक साल से श्रम विवाद के कारण अपना रोजगार नहीं कर पा रहे हैं, मैं मुख्यमंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें व्यवस्था करें। और जो रूग्णता, राजस्थान में उद्योग एक-एक करके बंद होते जा रहे हैं, उस पर चैक लगे और राजस्थान के औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाया जा सके, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूपजी।

नेशनल हाइवे नम्बर 11 पर हो रही दुर्घटनाएं

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, गृह मंत्रीजी यहां विराजमान नहीं हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी बिराजमान हैं। आये दिन दुर्घटनाएं नेशनल हाइवे नम्बर 11 पर होती रहती हैं। मेरे ही क्षेत्र के दो परिवार एक में सात आदमी थे और एक में पांच आदमी थे, दोनों दुर्घटना में मर गये। यह दुर्घटनाएं नेशनल हाइवे के बगल में शराब की दुकानें दुल्हन की तरह सज रही हैं। वहां अवैध शराब बिक्री होती है, सस्ती दरों पर शराब बिकती है। सारे ड्राइवर लोग वहीं शराब पीते हैं और वह एक्सीडेंट करते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि मेरे क्षेत्र के अब्दुल अजीज, खुदाबख्श, निजाम, माहिर, अबिचका, अनिरूजहुसैन एवं एक जगदीश ड्राइवर, वह बच्चे का इलाज कराने के लिये जयपुर आये हुए थे और इलाज कराके जब वापस लौट रहे थे तो मानपुर के पास उनकी जीप के

(श्री रामस्वरूप)

एक ट्रक ने टक्कर मारी और दुर्घटना से सारे ही लोगों की मौत हो गयी।

इसी प्रकार की दुर्घटना दूसरे दिन मणकपुरा के सरपंच साहब दिल्ली से आ रहे थे। उनके तीन बच्चे थे, उनको लेकर वह मारूति कार में आ रहे थे, महुआ के पास इसी प्रकार एक ट्रक ने जिसके ड्राइवर ने दारू पी रखी थी, उस मारूति कार के टक्कर मारी और मारूति कार को बिलकुल चकनाचूर कर दिया और उसमें भी पांच आदमियों की मृत्यु हो गयी। पांचों का दाह संस्कार एक साथ मणकपुरा में हुआ था। मैं स्वयं भी उनके दाह संस्कार में वहां उपस्थित हुआ था। मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रकार से हमारे परिवार के परिवार इन दुर्घटनाओं में जा रहे हैं और आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं।

इसी प्रकार की दुर्घटनाएं हमारे कई एस. टी. के जो अफसर थे, आई. ए. एस. अफसर थे, वह भी दुर्घटनाओं में मारे गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है यह दुर्घटनाएं दारू पीकर होती हैं। सड़कों के पास में दारू की दुकानों को इस प्रकार से सजाया जा रहा है। यहां पर दारू के भावों में भारी कमी, सस्ती दारू वहां पर बिक रही है। रेट्स को इस प्रकार से एडवरटाइज किया जा रहा है, सारे समाज पर गलत असर पड़ रहा है। सारी पीढ़ी खराब होती चली जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि जो इस प्रकार की दुर्घटनाएं दारू पी करके हो रही हैं, कृपया उन अड्डों को आप बंद करायें। इस प्रकार का सख्त कानून बनावें ताकि दारू पीकर के कोई ड्राइविंग नहीं करें। और इस प्रकार की मौतों पर रोक हो सके। मेरे यहां के दोनों परिवार तबाह हो गये। पांच मौतें एक साथ हुई। सात मौतें एक सात हुई। इससे बुरी दुर्घटना और क्या होगी? यह तो एक जगह का ही उदाहरण है। राजस्थान में जाने क्या हो रहा है? कितनी दुर्घटनाएं हो रही होगी? कितने लोग मर रहे होंगे? इन दुर्घटनाओं पर जो आये दिन होती रहती हैं मेहरबानी करके इन पर रोक लगवायें, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री अरूण सिंह जी।

श्री अरूण सिंह (डीग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री गहलोत जी, गृह मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करना चाह रहा हूं कि भरतपुर जिले में जंगल राज चल रहा है। पिछले 21 दिन से पुलिस अधीक्षक का पद रिक्त है। क्या कोई कमी है आई.पी.एस. अधिकारियों की? सुनने में यह आता है कि कांग्रेस पार्टी में कुछ गुटबाजी है भरतपुर में, वह एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। थानों से कैदी फरार हो रहे हैं। बयाना में अभी मालखाना लूटा है। रोज डकैती हो रही हैं तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूछ रहा हूं कि क्या आप रिमोट कन्ट्रोल से भरतपुर जिला चलायेंगे? आप तुरन्त यहां घोषणा कीजिये कि एक आई.पी.एस. अधिकारी भरतपुर का एस. पी. आप

(श्री अरूण सिंह)

शीघ्रातिशीघ्र लगायेंगे और हमारी जान बचवायें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री माहिर आजाद।

सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर में विज्ञान संकाय के पर्चे आउट होना

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा मंत्रीजी तो आज सदन में नहीं हैं इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय ट्रेजरी बैंच पर बैठे हुए चारों मंत्री बात कर रहे हैं। हम चिल्ला रहे हैं, यहां अभी डीग से आने वाले सदस्य बता रहे थे, कुछ और कह रहे हैं यह स्थिति हाउस की हो गयी। मेरी समझ में नहीं आ रहा है। देखिये जरा, किसको सुनायें उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। आप बोलें।

मोहम्मद माहिर आजाद : कौन सुन रहे हैं? आपसे सम्बन्धित बात ही नहीं है... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : हम सुन रहे हैं। हमें सुनाओ।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाह रहा हूं क्योंकि उच्च शिक्षा मंत्रीजी तो यहां है नहीं....

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये, बोलिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : राजस्थान में एक सिलसिला चला, पहले दसवीं कक्षा के पर्चे आउट हुए फिर 12वीं कक्षा के पर्चे आउट हुए। और कल उपाध्यक्ष महोदय सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में थर्ड ईयर साइंस की परीक्षा होने वाली थी। पेपर था बोटनी का। और बोटनी की जगह पेपर खोलकर के विद्यार्थियों में वितरित कर दिया जूलोजी का। उपाध्यक्ष महोदय, वनस्पति शास्त्र की जगह प्राणी शास्त्र का पर्चा बांट दिया गया और इसके कारण 20 के करीब महाविद्यालयों में परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी है।

आखिर राजस्थान में शिक्षा के अन्दर यह मखौल कब तक चलेगा। कभी 10वीं का, कभी 12वीं का और अब महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की शिक्षाओं में गलत पर्चे बांट दिये गये। विश्वविद्यालय प्रशासन से जानकारी चाहते हैं तो कोई जानकारी देता नहीं। आपके माध्यम से मैं सदन का ध्यानाकर्षित करके सरकार से यह जानना चाहता हूं कि किस गलती के कारण यह पेपर बंटे? किन किन महाविद्यालयों की परीक्षाएं रद्द हुयी और अब उनमें परीक्षाएं आप कब तक करा दोगे?

वही स्थिति इसमें बनने वाली है कि 10वीं, 12वीं के ज्यादा लेट रिजल्ट आने से आगे प्रवेश नहीं मिलेगा और अब यह ग्रेजुवेशन की फर्स्ट ईयर, सैकण्ड ईयर की भी नहीं है, थर्ड ईयर विज्ञान की परीक्षा है और थर्ड ईयर की परीक्षाएं भी आप इतनी विलम्ब से करेंगे तो स्नातक करने के बाद ग्रेजुएशन करने के बाद जिन लड़कों को पोस्ट ग्रेजुएशन में या लॉ में या दूसरी जगह जाना है उनकी क्या स्थिति होगी?

(मोहम्मद माहिर आजाद)

उपाध्यक्ष महोदय, यह एक अति लोक महत्व का सवाल छात्रों के भाग्य और हितों का सवाल है। कृपया मैं ध्यानाकर्षित कर जानना चाहता हूं कि यह जानकारी से अवगत कराएं।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल अभी नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया है . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप करते हो।

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, नहीं हम करते हैं ? हमने खोला है क्या ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इसको इतना लाइटली लिया जा रहा है। माननीय मंत्री महोदय बैठे-बैठे गुस्से के टोन में कह रहे हैं कि आप करते हो (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आज सेंक्टिटी बच गयी है माननीय राठौड़ साहब . (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मुझसे तो नहीं....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आज उदयपुर में अगर पर्चा आउट हो रहा है .. (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : क्या कहना चाहते हैं आप... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सवाल छोटा सवाल नहीं है। आज पूरे देश के अन्दर राजस्थान विश्वविद्यालय, उदयपुर विश्वविद्यालय इनके जो हालात हैं, उपाध्यक्ष महोदय, अब वह समय दूर नहीं है जब लिखा जायेगा कि इन विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण व्यक्ति इस पद के लिए आवेदन-पत्र ना दें। अयोग्यता तक बात आ जायेगी। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन हैं, मुख्य मंत्री बिराजें हैं, मुख्य मंत्रीजी आपने घोषणा-पत्र में भी कहा कि सारी शैक्षणिक व्यवस्था जो गड़बड़ा गयी उसको ठीक करेंगे तो पहल करिये। माननीय सदस्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है।

श्री चन्दनमल बैद : ठीक करा रहे हैं लेकिन समय तो लगेगा (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कितना समय लगेगा ? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : पेपर आउट होना .. (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कितना समय लगेगा ? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मुख्य मंत्रीजी ने खुद ने पहल करके शिड्यूल करने की बात कही थी। इसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय की

(मोहम्मद माहिर आजाद)

परीक्षाओं को भी आप जल्दी करवा दें ताकि इन छात्रों को आगे जाने में, आगे जो अपनी शैक्षणिक गतिविधियां हैं उसमें दिक्कत नहीं आवे ? माननीय मुख्य मंत्री जी, आपने पहले भी पहल की थी आज भी आप पहल करें (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज.... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आज उदयपुर संभाग के छात्र असमंजस की स्थित में हैं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आज का प्रश्न बहुत गम्भीर है। मैं सरकार से चाहूंगा कि इसकी जल्दी से जल्दी वापिस परीक्षा करा दें।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप कब कराएंगे ? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : फरमा दें, मुख्य मंत्रीजी कब करा दें....(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उच्च शिक्षा मंत्रीजी तो नहीं है (व्यवधान) जरा बता दें....(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कमी नहीं है... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं समझता हूं आपकी मेहरबानी होगी (व्यवधान) यह बच्चों के भविष्य का सवाल है.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर, आर्डर।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, यह उदयपुर विश्वविद्यालय कोई छोटा-मोटा स्कूल नहीं है। यह सामान्य बात नहीं है कि विश्वविद्यालय स्तर पर अगर परीक्षा का गलत लिफाफा खुल जाए इससे ज्यादा लापरवाही और क्या हो सकती है और अगर केवल अफसोस जाहिर करके बात को छोड़ दें यह तो बच्चों का भला नहीं कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : पहले भी तो खुला है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अफसोस करने से काम नहीं चलेगा। वह कौन आदमी था ? ....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सरकार कार्यवाही तो कर रही है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जिसने कम से कम पेपर खोलने से पहले बाहर नहीं पढ़ा कि यह पेपर किस बात है। अगर लिफाफे में बाहर गलत पेपर लिख दिया गया तो कोई न कोई दण्ड का भागी बनेगा कि नहीं बनेगा। या यह एक के बाद दूसरी घटना बार-बार होती जाए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इस बात पर....

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें, प्लीज।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं सोचता हूं प्राइमरी स्कूल का मास्टर भी जब पेपर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

खोलता है तो वह भी इतनी अक्ल रखता है कि कौनसा पेपर खोलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, प्लीज।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : और अगर हमारे विश्वविद्यालयों की यह दशा बन गई कि हम पेपर देखकर के नहीं खोल सकते कि किसकी परीक्षा और किसका पेपर हम खोल रहे हैं . (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपके समय में भी ऐसा ही हुआ था।आपने जो

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर.... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या यह गलती भी हमने पुरानी छोड़ी थी.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप ही हो स्टूडेंट्स का भला चाहने वाले। हम नहीं हैं ? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : बड़ा दुर्भाग्य है कि एक वित्त मंत्री इस सदन में इस प्रकार से हल्की बात कहता है कि यह तुम्हारा दोष है। क्या पेपर के ऊपर, लिफाफे में भी हमने चिट चिपकायी थी, गलत की हमारे द्वारा चिट चिपकी थी कि गलत खुल गया है इस प्रकार से इतना सीनियर व्यक्ति और इस सदन का माननीय सदस्य और वित्त मंत्री अगर खड़े होकर के विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के बारे में ऐसी हल्की बात कहकर अपने अपराध को ढकना चाहता है। मैं सोचता हूं यह आपको शोभा नहीं देता। यह क्या मजाक है। एक प्राइमरी स्कूल में भी ऐसी गलती नहीं होती।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मिडल स्कूल में ऐसी गलती नहीं होती। विश्वविद्यालय चलाते हैं और गलत पेपर खुल जाये और उसके बाद वित्त मंत्री सदन में खड़ा होकर ऐसी हल्की बात कहकर के बैठ जाये इससे ज्यादा अफसोस क्या हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया ....(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अपनी बात कहने का आपमें संयम नहीं....(व्यवधान) मर्जी आये जो × × × किया करते हैं आप.... (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : यह जब तक.... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इस सदन की गरिमा....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : करने के लिए नहीं बुलाया....(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप किस

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

स्तर की बात करते हो (व्यवधान) राजस्थान का वित्त मंत्री+++बात करें.... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : कौनसे स्तर की बात करी है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा।

श्री चन्दनमल बैद : × × ×

श्री गुलाब चन्द कटारिया : × × ×

श्री राजेन्द्र राठौड़ : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : × × ×

श्री राजेन्द्र राठौड़ : × × ×

मोहम्मद माहिर आजाद : × × ×

श्री गुलाब चन्द कटारिया : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री कटारिया जी। माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप बोले जा रहे हैं, यह अंकित नहीं हो रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : × × ×

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : × × ×

श्री अमराराम (धोद) : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, आर्डर-आर्डर। (व्यवधान) वह भी बैठेंगे, आप भी बैठिए, आर्डर-आर्डर, नीचे बैठिये।

माननीय सदस्य, सदन की कोई गरिमा है, कोई व्यवस्था है (व्यवधान) आपने बात कह दी, मंत्रीजी ने कोई बात कह दी, आपने उसका जवाब दे दिया, कब तक आप बोलते जाएंगे, इसका कोई एण्ड तो होगा, आपने अपनी बात कह दी, कल पेपर आउट हुआ (व्यवधान) आर्डर-आर्डर, कल पेपर आउट हुआ, सरकार इस पर कार्यवाही करेगी। आसन ने सरकार को निर्देश दे दिए कि जल्द से जल्द आप इनकी वापस एग्जामिनेशन कराएं।

मोहम्मद माहिर आजाद : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : सरकार को निर्देश दे दिये हैं आसन ने जल्दी से जल्दी परीक्षा कराने के (व्यवधान)

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अमराराम : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर । शिक्षा मंत्रीजी ।

श्री अमराराम : ×××

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री बुलाकीदास कल्ला (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो निर्देश दिए हैं, उसके आधार पर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति को फैक्स करके जल्दी से जल्दी इन परीक्षाओं को री-शिड्यूल करवाने की कार्यवाही की जायेगी। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री अमराराम : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अभी परसों यू. पी. में सारे प्रश्न-पत्र आउट हुए हैं ।

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री राजेन्द्र पारीक : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर (व्यवधान) उच्च शिक्षा मंत्रीजी बोल रहे हैं ।

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : आप जवाब सुनिए ।

डा. जितेन्द्र सिंह (उच्च शिक्षा मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दि. 8.4.99 को उदयपुर यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित थर्ड ईयर, टी.डी.सी., साइंस की परीक्षा हो रही थी । वहां से यह फैक्स मैसेज प्राप्त हुआ है, वह मैं पढ़कर सुना रहा हूं,

"नम्र निवेदन है कि दिनांक 8.4.99 को प्रातः 7 से 10 बजे तृतीय वर्ष विज्ञान की वनस्पति शास्त्र व भौतिक शास्त्र के तृतीय प्रश्न-पत्र की परीक्षा थी । वनस्पति शास्त्र के तृतीय प्रश्न-पत्र के लिफाफे सभी सम्बन्धित महाविद्यालयों को भिजवा दिये गये थे । ऊपर के लिफाफों पर जो प्रेस से ही बनकर आते हैं, पर वनस्पति शास्त्र लिखा हुआ था किन्तु ऊपर के लिफाफे जब परीक्षा केन्द्रों पर खोले गये तो उसमें प्राणि शास्त्र का तृतीय प्रश्न-पत्र निकला, जिसकी सूचना सबसे पहले भूपाल नोबल्स महाविद्यालय तथा साथ ही चित्तौड़गढ़ महाविद्यालय से प्राप्त हुई । इन्हें 15 मिनट की इन्तजार करने को कहा गया जिससे गोपनीय शाखा से जानकारी प्राप्त कर सके । गोपनीय शाखा से जानकारी मिली कि प्रेस द्वारा मुख्य लिफाफों पर लिखे गए विषय के पर्चे नहीं भरे गए व प्राणि शास्त्र के प्रश्न-पत्र भर दिए गए । अतः सभी महाविद्यालयों के अधिष्ठाता व प्राचार्यों को इसकी सूचना साढ़े सात बजे तक प्रसारित कर दी गयी, व परीक्षा निरस्त के आदेश दे दिये गये । प्रातः साढ़े सात बजे जब मीरा कन्या महाविद्यालय को इसकी सूचना दी गई तो वहां

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(डा. जितेन्द्र सिंह)

की प्राचार्य ने बताया कि उन्हें दिनांक 29.4.99 के दिन होने वाले प्रश्न-पत्र के लिफाफे में वनस्पति शास्त्र के प्रश्न-पत्र मिल गए व उन्होंने छात्राओं को वितरित कर दिए। इसकी अनुमति विश्वविद्यालय प्रशासन से नहीं ली गई। उन्हें पुनः यह आदेश दे दिए कि आजकी परीक्षा निरस्त कर दी गयी है। प्रतापगढ़ महाविद्यालय के केन्द्राधीक्षक द्वारा भी इसी प्रकार दि. 29.4.99 को प्रश्न-पत्र जिसमें प्राणि शास्त्र के बजाय वनस्पति शास्त्र के प्रश्न-पत्र थे, खोलकर वितरित कर दिए गए जिसके लिए विश्व विद्यालय प्रशासन ने उन्हें अधिकृत नहीं किया था। इस प्रकार वनस्पति शास्त्र और प्राणि शास्त्र, दोनों के प्रश्न-पत्र खोल दिए गए, जिसके कारण दोनों ही प्रश्न-पत्र दुबारा छपवाने पड़ेंगे, जिसकी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। 13 केन्द्रों पर यह परीक्षा आयोजित हो रही है जिसमें लग-एक हजार छात्र परीक्षा दे रहे थे। जिस प्रेस द्वारा यह गलती की गई है, उसके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। वनस्पति शास्त्र, तृतीय प्रश्न-पत्र की परीक्षा की तिथि 15 मई, 99 घोषित कर दी गई है तथा प्राणि शास्त्र के तृतीय प्रश्न-पत्र की परीक्षा पूर्व घोषित तिथि 29 अप्रेल, 1999 को ही रहेगी। परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार तृतीय वर्ष विज्ञान की परीक्षा पूर्व निर्धारित तिथि पर समाप्त हो जायेगी, यह फैक्स मैसेज अभी मैंने प्राप्त किया है कंट्रोलर ऑफ एक्जामिनेशन से।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई.... (व्यवधान) आपने तारीख मांगी थी, तारीख दे दी।

मोहम्मद माहिर आजाद : फिर भी हमको सदन में पूछने का अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष : एक तारीख चेंज हुई। नीचे बैठिए, प्लीज बैठिए, सुनिए, आप बैठिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था है कि स्टेटमैंट देने के बाद प्रश्न पूछे जाएं।

श्री उपाध्यक्ष : एक शिड्यूल में चेंज हुआ है, जिसकी उन्होंने 15 तारीख घोषित कर दी, दूसरी 29 की 29 को रह गई, उसके बाद अब क्या चाहिए ?

श्री अमराराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा है कि उस प्रेस के खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रेस में पर्चे छपे उस प्रेस में विश्वविद्यालय प्रशासन का कोई अधिकारी माजूद था या नहीं, था तो वह कौन था, यह बता दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय इसका जवाब दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपने तारीख मांगी थी, तारीख दे दी, कोई शिड्यूल चेंज हुआ ही नहीं। कह दिया उन्होंने कि कार्यवाही करेंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : शिड्यूल की बात नहीं है, प्रेस में विश्वविद्यालय प्रशासन का व्यक्ति था या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : यह तो कोई बात नहीं हुई, जवाब आ गया, आपकी बात का जवाब माननीय मंत्रीजी ने दे दिया, इसके बाद चर्चा समाप्त हो गई।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

इन्दिरा गांधी नहर, गडरा रोड शाखा के कार्य को सन् 2002 तक पूर्ण करने बाबत

प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री अमीन खां, अब्दुल हादी, श्री वृद्धिचंद जैन, श्री गोवर्द्धन कल्ला, सदस्य, विधान सभा, इन्दिरा गांधी नहर गडरा रोड शाखा के कार्य को सन् 2002 तक पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

माननीय अमीन खानजी।

श्री अमीन खांन (शिव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन्दिरा गांधी नहर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि गडरा रोड शाखा में जल्द से जल्द जनहित में और उस सीमावर्ती रेगिस्तानी इलाके में जहां पीने के पानी के लिए वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट को कोई सोर्स नहीं मिल रहा है, उस धरती पर आप खुद भी जब पूर्व में इन्दिरा गांधी नहर मंत्री थे, तब पधारे थे। उस नहर तक पानी पहुंचाने के लिए हमारी आपसे विशेष प्रार्थना है। हमारे सवाल के जवाब में उत्तर मिला है कि सन् 2004–2005 तक गडरा रोड तक यह पानी पहुंचाया जाएगा। हम आपसे यह विशेष प्रार्थना करते हैं कि आप इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में जैसलमेर में पिछले दो-तीन साल में जो चीफ इन्जीनियर रहे हैं, उनमें कोई कारगर और अच्छा, जुझारू ढंग वाला नहीं रहा है। आपको धन की उपलब्धता होने के उपरान्त भी जिस रफ्तार से काम होना चाहिए, उस रफ्तार से काम नहीं हो पा रहा है। आप मेहरबानी करके एक तो दौरा करें। और दौरा करके वहां इस प्रकार के इन्जिनियर लगाएं ताकि आपके समय विशेष की मेहरबानी से गडरा रोड तक इस नहर का पानी जल्दी से जल्दी पहुंचे। हमारी विशेष प्रार्थना है कि सन् 2002 तक यहां पानी पहुंचाया जाए। यह प्रार्थना हम आपको इसलिए कर रहे हैं कि 50 गांव तहसील शिव, के 100 गांव तहसील रामसर के और 50 गांव तहसील चोहटन के, यह कोई 180 गांव हैं। इन 180 गांवों में पीने के पानी का धरती के अन्दर कोई सोर्स नहीं है। ये सारे रेगिस्तान के और पाकिस्तान बोर्डर से लगे हुए गांव हैं। इन गांवों में पीने के पानी का जितना संकट है, इतने जिलों में दूसरा कहीं संकट नहीं है क्योंकि सोर्स नहीं मिल रहे हैं सोर्स नहीं मिलने की वजह से लोगों को गर्मियों में पलायन करना पड़ता है।

दूसरी मेरी प्रार्थना यह है कि पूर्व में जब आप इस नहर के मंत्री थे, आप मौके पर पधारे थे। उस जगह से पिछली सरकार ने इस लाइन को कुछ चेन्ज कर दिया। और इस लाइन में, हो सकता है आपके तकनीकी महकमे ने यह बताया होगा कि पूर्व में जो नक्शा था वह टैक्नीकली गलत था। वह गलत नहीं है। माननीय मंत्री जी, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इन्होंने जान बूझकर कुछ रकबे को काटने की कोशिश की। उसमें

(श्री अमीन खान)

हमारा तो यह शक है कि पंजाब लॉबी की इसमें भारी नियत खराब है क्योंकि इंदिरा गांधी नहर का पानी आगे कम जाए इसके लिए ऐसी पहल की गई। सागरमल गोपा ब्रान्च से गडरा रोड शाखा का जहां काम शुरू किया गया है वह 60 आर. डी. से जहां निचाई लेकर ढाल देने की कोई जरूरत नहीं है। गडरा रोड शाखा का इतना कुदरती ढलान है कि पानी अपने आप, उतनी जगह समय पर पहुंच सकता है। और ढाल देने की वजह से 60 आर. डी. तक उन्होंने जो काम किया है उससे 20 फीट नहर की निचाई से काम शुरू किया और वह निचाई 20 फीट करने से इस नहर की पानी की क्षमता आगे जाकर कम हो जाएगी। इस पर मेहरबानी करके आप व्यवस्था करेंगे कि पूर्व में जितना पानी जाना था, पूर्व में तहसील शिव, जिला बाड़मेर को 6 लाख हैक्टेयर जमीन को सिंचित करने का लक्ष्य था उस जगह अब हमें पता चला है कि दो लाख 58 हजार हैक्टेयर जमीन सिंचित की जाएगी। शिव तहसील के गांव की तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से बहुत अदब के साथ गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारे बाडमेर जिले में कुल 1600 गांव हैं। इन 1600 गांवों में हमारी किस्मत में केवल 10–15 गांव, जिला बाड़मेर, शिव तहसील के आते हैं, उनमें भी नहीं कटौती होगी तो हमारे लिए सिंचित कुछ गांवों को नुकसान होगा लेकिन लोगों का पीने के पानी के लिए जो नसीब है उस नसीब में भी हमें मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। मैं आपको विशेष तौर से ध्यानाकर्षण प्रताव के जरिए यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप उसमें विशेष एग्जामिनेशन करें और पूर्व में लक्ष्य के अनुसार इस तहसील के 6 लाख हैक्टेयर भूमि को सिंचित कराने की व्यवस्था करें। उसमें जहां तक हमने रफली नक्शा देखा है, बाड़मेर जिले का पहला गांव आता है नोडियाला। और उस नोडियाला से पूर्व में था बंधड़ा। और बंधड़ा से दावड़, दावड़ से जीणे का पार, जीणे के पार से माड़ा, माड़ा से शैलोड़ी, शैलोड़ी से सरगिला, सरगिला से उतरवाद, उतरवाद से तामलौर, तामलौर और बांडासर के बीच में पाकिस्तान के बोर्डर को मिलाने की थी। उपाध्यक्ष महोदय, जिस जगह का मैंने आखिर में नाम लिया है, उस जगह माननीय चंदनमल बैद जी हमारे सामने पधारे थे। और उस जगह पानी आने से और अभी जो लाइन जा रही है उसके बीच में 11 किलोमीटर का मुफासला कट कर गया और वो 11 किलोमीटर मुफासला कट होने से साढ़े तीन लाख रकबे से हम वंचित रह गए। इसकी पूर्व में भी मैंने आपको दरख्वास्त दे रखी है। माननीय मंत्री जी, आप एक काबिल मंत्री हैं, ईमानदार मंत्री हैं, जागरुक मंत्री हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आप शिव तहसील के 6 लाख रकबे को सिंचित करवायेंगे और गडरा रोड में चाहे आप अकाल हैड से पैसे लें चाहे बोर्डर डवलपमेंट प्रोग्राम से पैसे लें। और अच्छे इन्जिनियर, जागरुक अफसर रखकर सन् 2000 तक गडरा रोड में पानी पहुंचाने की कृपा करेंगे यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अब्दुल हादी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : प्रस्ताव में पहले माननीय मंत्री जी का स्टेटमेंट होगा। स्टेटमेंट हो जाता उसके बाद जो पूछना था पूछ लेते। पहले स्टेटमेंट होना चाहिए (व्यवधान)

श्री अब्दुल हादी : अमीन साहब ने जो बात अभी कही, उस चीज को मैं दोहराना नहीं चाहता। मैं इतना जरूर अर्ज करूंगा कि जहां तक राजस्थान से मेरा ताल्लुक है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए।

माननीय मंत्री जी।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता था कि पहले माननीय सदस्य मुझसे यह कहेंगे कि समस्या पर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं सरकार का। लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा, उसमें सारा भाषण दे दिया। मुझे कोई एतराज नहीं है। इन्होंने जो सारी बातें कहीं, मैं उनका विस्तार से जवाब दूंगा। लेकिन जो प्रस्ताव मेरे पास विधान सभा की तरफ से प्राप्त हुआ है, उसका मैं पहले जवाब आपको निवेदन कर देता हूं।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के पश्चिमी भाग में जो पूरा रेगिस्तान व अकालग्रस्त क्षेत्र है, को हरा भरा व उन्नत क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए निर्माणाधीन है। बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर व जैसलमेर क्षेत्र में जहां नहर प्रणाली का निर्माण हो चुका है वहां आशा से भी अधिक प्रगति हुई है।

यदि आवश्यक धन उपलब्ध होता रहा तो पूरी परियोजना वर्ष 2005 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

परियोजना की गडरा रोड व अन्य वितरण प्रणालियों पर कार्य द्रुत गति से प्रगति पर है। जहां-जहां भी अभी नहर का पानी नहीं पहुंचा है वहां सभी जगह पीने का पानी शीघ्र पहुंचाने की मांग है क्योंकि सारा क्षेत्र रेतीला व सूखाग्रस्त है। योजनानुसार परियोजना के का कार्य सभी स्थानों पर प्रगति पर है। पूरे परियोजना के समग्र क्षेत्र के विकास को मद्देनजर रखते हुए केवल गडरा रोड उपशाखा का निर्माण अन्य प्रणालियों को छोड़कर वरीयता पर किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि आवश्यकता सभी की समान है। फिर भी विभाग का प्रयास है कि गडरा रोड उपशाखा का निर्माण कार्य, धन उपलब्धि अनुसार शीघ्र से शीघ्र पूरा किया जायेगा। गडरा रोड उपशाखा से लगभग 2 लाख 2 हजार 600 हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई उपलब्ध होगी जिसमें से 40 हजार हैक्टेयर क्षेत्र बाड़मेर जिले में है।

गडरा रोड उपशाखा को 2002 तक पूरा किया जाना कठिन है क्योंकि उक्त नहर निर्माण हेतु वाटर सप्लाई चेनल साथ-साथ बनानी होगी। गडरा रोड क्षेत्र में नहर निर्माण हेतु इन्दिरा गांधी नहर के अतिरिक्त पानी का अन्य कोई स्रोत नहीं है। इस कारण नहर निर्माण की गति पानी की उपलब्धता के अनुसार सीमित रहेगी। गडरा रोड उपशाखा की कुल लम्बाई लगभग 122 कीलोमीटर, और इसकी वितरण प्रणाली की लम्बाई 925 किलोमीटर है। इस शाखा पर पिछले 4 वर्षों से कार्य प्रगति पर है। अब तक लगभग 28.5 किलोमीटर गडरा रोड उपशाखा की तथा 188.5 किलोमीटर वितरण प्रणाली निर्मित

(श्री चन्दनमल बैद)

गई है । अभी गडरा रोड उपशाखा की 93.5 किलोमीटर लम्बाई व इसकी वितरण प्रणाली 736.5 किलोमीटर की लंबाई बनाना शेष है । गडरा रोड उपशाखा क्षेत्र की बकाया 43.5 किलोमीटर लम्बाई को पूर्ण करने के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी । इस परियोजना पर उपलब्ध साधन सीमित, कार्य क्षेत्र पानी की उपलब्धता के कारण गडरा रोड उपशाखा पर प्रतिवर्ष 22 और 23 किलोमीटर से अधिक का कार्य करना कठिन है ।

(13.00 बजे)

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो पाइंट मुख्य तौर से उठाये हैं । एक तो उनका यह कहना है कि मैं वहां का दौरा करूं । तो विधान सभा की मीटिंगें समाप्त होने के बाद मैं इस बात की कोशिश करूंगा । उसके बाद फाइनेंस कमीशन भी आ रहा है । तो मैं कोशिश यह करूंगा कि मैं जाऊं, और मैं नहीं जाऊं तो हमारी जो राज्य मंत्री महोदया हैं, उनको वहां भेजूं ।

श्री अमीन खान : वे नहीं, आप ही आयें ।

श्री चन्दनमल बैद : फाइनेंस कमीशन की मीटिंग भी अटेंड करना मुझे ही जरूरी है ।

श्री अमीन खान : उसके बाद आ जाएं ।

श्री चन्दनमल बैद : उसके बाद का तो मैं कह रहा हूं । फाइनेंस कमीशन की मीटिंग 11 तारीख को है । उस मीटिंग के बाद मैं जाने की पूरी कोशिश करूंगा, यह मैंने आपको विश्वास दिलाया है ।

दूसरी बात, जो यह कह रहे हैं कि पंजाब के दबाव के कारण से उसका अलाइनमेंट बदलकर आप सिंचाई क्षेत्र कम कर रहे हैं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहता हूं कि पहले गडरा रोड इस नहर में सम्मिलित नहीं था । यह मैं ही हूं जिससे सन् 1983 में जब राजीव गांधी ने इस नहर का दौरा किया तब मैंने कहा था कि मैं इस नहर को गडरा रोड तक ले जाऊंगा और उस समय यह गडरा रोड तक पहुंचाने की योजना बनी । गडरा रोड तक पहुंचाने की योजना सन् 1983 में बनी, उस समय इसका आकलन यह था कि सिंचाई योग्य क्षेत्र एक लाख 67 हजार हैक्टर प्रस्तावित था । जिस समय योजना बनी, उस समय एक लाख 67 हजार हैक्टर प्रस्तावित था । लेकिन 1993 में, 10 साल बाद जब आप कह रहे हैं कि नहर का अलाइनमेंट बदलकर के कम कर दिया गया तो इसका क्षेत्र सिंचाई बढ़कर 2 लाख 2 हजार 600 हैक्टर हो गया । तो नये आकलन के अनुसार क्षेत्र जो पहले कम था वह ज्यादा हुआ है । अब यह जो गांवों की बात आप कह रहे हैं तो जो वाटर एण्ड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं, वह इसका सर्वे कर रही है । उस सर्वे के अनुसार जो गांव आयेंगे वे सारे गांव लिये जाएंगे लेकिन क्षेत्र 2 लाख 2 हजार 600 हैक्टर है । इसलिए इस वास्ते इस बात का कोई भी आपको संदेह नहीं होना चाहिए कि किसी के दबाव में आकर कोई क्षेत्र आपका कम कर रहे हैं । जब हमने खुद ने चलाकर के गडरा रोड को

(श्री चन्दनमल बैद)

नहर के नीचे शामिल किया है तो यह आप अगर वहम करें कि शामिल करने वाला ही उसको कम करेगा आपका यह भ्रम है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं ..

श्री उपाध्यक्ष : खासतौर से चन्दनमलजी कम करेंगे, यह तो सम्भव ही नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : यह नहीं हो सकता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और आपको निवेदन करना चाहता हूं कि अभी जो धनराशि हमारे पास उपलब्ध है वह 227 करोड़ रुपए है सारी नहर पर। सारी नहर पर 227 करोड़ रुपये इस साल हमको खर्च करना है। उसमें से जितनी धन राशि हम इसको दे सकते हैं, हम दे रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा धनराशि हमको मिल जाए, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। नाबार्ड का जो रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट फण्ड है, उससे हम कोशिश कर रहे हैं कि हमको और ज्यादा पैसा मिल जाए। और ज्यादा पैसा मिल जाएगा तो यह हमारी कोशिश रहेगी कि 2004–2005 के पहले इस नहर को पूरा कर लें। लेकिन जैसा कि मैंने निवेदन किया, इस सम्बन्ध में हमारी कुछ सीमाएं हैं। सीमा यह है कि एक तो वहां पानी उपलब्ध नहीं है। इस वास्ते जो नहर हम बनाते हैं उसी का पानी आगे ले जाकर हमें नहर का काम करना पड़ता है। चाहे कंसोलिडेशन का काम हो, चाहे चिनाई का काम हो, चाहे और कोई दूसरा काम हो, सारा काम इस नहर का पानी आगे ले जाकर ही करना पड़ता है। इस वास्ते हमारी सीमाएं हैं। उस सीमा को देखते हुए हमें यह काम करना पड़ता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी इच्छा तो यह है, जिस तरह का आपका इलाका है वैसा ही मेरा इलाका भी है। मै खुद भुगतभोगी हूं, मै चाहता हूं कि जैसी मेरे तकलीफ है वैसी ही माननीय सदस्यों की तकलीफ है। मैं अगर मेरी तकलीफ महसूस करता हूं तो आपकी तकलीफ को भी महसूस करता हूं। इस वास्ते मैं कोशिश यह करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा कर सकूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में भी और दूसरे क्षेत्रों में भी छह लिफ्ट योजनाएं आ रही हैं। मेरी बड़ी इच्छा है कि वह जल्दी से जल्दी लिफ्ट योजनाएं पूरी हो जाएं। लेकिन कई कठिनाइयां ऐसी होती हैं जिनसे वह जल्दी पूरा नहीं किया जा सकता। जैसे लिफ्ट के जो पम्पिग स्टेशंस हैं, वह किसी के हाथ की बात नहीं है। मान लीजिये नहर हम खोद भी दें और उसकी चिनाई भी कर दें तो लिफ्ट के पावर स्टेशंस कहां से आयेंगे? तो जो पावर स्टेशंस में समय लगेगा वह हमारी मजबूरी है। मान लीजिये हम पैसा ज्यादा भी दे दें और पानी की उपलब्धि वहां नहीं हो तो पैसा ज्यादा देने से ही तो काम नहीं होगा। पानी की उपलब्धि भी होनी चाहिए और उसका काम भी आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए हमारी कोशिश पूरी है कि पैसा भी हम ज्यादा दें और कोशिश यह करेंगे जैसे कह रहे हैं कि अच्छे इजीनियर वहां लगायें और लगा कर के काम को जल्दी से जल्दी पूरा करें जिससे आपकी तकलीफ दूर हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब क्या बचा है ? माननीय हादी साहब, अब क्या बचा है ।

श्री अब्दुल हादी (चौहटन) : मैं थोड़े में अर्ज कर देता हूं, मुझे बोलने दीजिये । मैं यों अर्ज कर रहा था कि जहां तक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का सवाल है, मंत्री महोदय इसका जवाब तफ्सील में दे चुके हैं. अब ज्यादा इस पर बोलना मुनासिब नहीं है। मैं इतना अर्ज करना चाहता हूं कि इस इलाके में हमारे चौहटन का काफी इलाका मिला हुआ है । करीब 100-150 गांव ऐसे हैं जहां पानी खारा है । एक रमजान की गफ्फन गांव है, इस छोर पर पड़ता है, स्वरूप का कलां से 60 किलोमीटर लम्बी पानी की लाइन से हमने पानी पहुंचाया मगर आज तक वहां पानी नहीं पहुंचा । तो मैं बहुत मुक्तसर में, क्योंकि वक्त की भी कमी है और मुझे वैसे हिसाब से बोलना भी नहीं चाहिए. इसलिए मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने जो मेहरबानी फरमाई है उसको कायम रखकर जितना हो सके, इसको जल्दी से आप पहुंचाएंगे तो इस इलाके को काफी सहायता होगी । यह काम ऐसा है कि यह यादगार के काम हैं । अगर कोई गरीबों का काम करता है और वह इन्सान चला जाता है तो फिर भी उसको गरीब लोग याद करेंगे । तो मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूं कि इसमें आप तवज्जो देकर अगर इसको जल्दी पूरा करवायेंगे तो आपकी और हमारी सबकी यादगार रह जाएगी । जय-हिन्द ।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : हम बोलेंगे इस बारे में, उन्होंने जवाब दे दिया तो हम बोलने से ही वंचित रह जायेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी श्री चन्दनमल जी बैद इंदिरा गांधी नहर मंत्रीजी ने जो बयान दिया है, अवश्य ही सन्तोषजनक है । परन्तु कुछ बातें बहुत ही आवश्यक हैं उनकी ओर उनका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं । प्रश्न यह है कि 31 मार्च 1958 को इस इन्दिरा गांधी नहर का शिलान्यास हमारे तत्कालीन गृह मंत्री, गोविन्द वल्लभ पंत जी के द्वारा किया गया था । अभी उसको 41 साल हो गये हैं और 41 साल होने के बाद भी अभी तक गडरा रोड तक पहुंचने वाले पानी का कार्य भी समापन नहीं हुआ । तो कहने का अर्थ यह है कि जो कार्य चल रहा है, वह तीव्र गति से नहीं चल रहा है, वह तीव्र गति से चलना चाहिए । क्योंकि आपने पहले भी जो काम किया था वह भी तीव्र गति से किया था । परन्तु भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आयी, तो उन्होंने इसके बारे में ध्यान नहीं दिया और गति धीमी रही । इसलिए गति को बढ़ाने की आवश्यकता है । शिव से आने वाले माननीय सदस्य ने भी इस बात पर जोर दिया, मैं भी चाहता हूं कि गति बढ़ायी जाए । योग्य चीफ इंजीनियर रखे जाएं और पूरी तरह से प्रयास किये जाएं कि यह सन् 2002 तक अवश्य ही कम्पलीट की जाए । इसके अलावा इसकी भी जांच की जाए कि परिवर्तन जो किया गया है वह आपके द्वारा परिवर्तन नहीं हुआ है । यह तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से परिवर्तन किया है । आप मौके पर पहुंचे थे और गडरा रोड के पास पहुंचे थे । यह तो गडरा रोड से अभी जो अलाइनमेंट इतारा गया है वह तो गडरा रोड से 11 किलोमीटर, लीलवा तक समाप्त हो जाता है । तो यह वास्तव में ही गडरा रोड वाली बात का जो आपने निर्णय दिया

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

था वह भी पूरी नहीं होती है। इसलिए इस सम्बन्ध में आप एग्जामिन करावें, जांच करावें और पूरी तरह से मालूम करें कि टैक्निकली जिस प्रकार की राय दी है शिव विधान सभा क्षेत्र के एम. एल. ए. साहब ने मेरी भी यह राय है कि यह स्वतः ही पानी बहाव से आ जाता है पहले वाली जो योजना थी उसके अनुसार गांवों में और उससे अधिक गांवों को लाभ पहुंचता है और अधिक क्षेत्र सिंचित होता है। इसके सम्बन्ध में आप इसका और एग्जामिन करा लीजिये, जांच करा दीजिये, टेक्नीकली जांच करा दीजिये और बहुत ही योग्य से योग्य इन्जीनियरों से जांच करा दीजिये ताकि हमें भी यह पीड़ा नहीं हो। और आप जब मौके पर पहुंचेंगे तो हम आपको पूरा सेटिसफाई करेंगे कि जो हम कह रहे हैं कि जो पहुंचना चाहिए, गडरा रोड तक पहुंचना चाहिए, वही वास्तव में सही निर्णय आपका होगा और वही निर्णय आप लेंगे और हमें संतुष्ट करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में, आप इन्दिरा गांधी नहर के निर्माण में पूरी तरह से जैसे सक्रिय हैं, वैसे और सक्रिय हो और हमारे रेगिस्तानी क्षेत्र में भी पीने का पानी भी उपलब्ध हो और सिचाई क्षेत्र भी हो, ताकि हम भी, सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों का इस प्रकार होने से क्या होगा कि उनका मनोबल बढ़ेगा कि....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए। ध्यानाकर्षण के बाद आप कोई प्रश्न पूछें, आप तो भाषण दे रहे हैं कि आज की आज नहर बन रही है जैसे।

श्री वृद्धिचन्द जैन : ....मनोबल बढ़ने से हमारे जो सीमावर्ती क्षेत्र के लोग हैं, वे मजबूत होंगे, सुदृढ़ होंगे और देश की रक्षा में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, यही मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है। माननीय नहर मंत्रीजी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक उत्तर तो दिया। पहला प्रश्न है, क्या यह सही नहीं है कि यह योजना जब पहले प्रारम्भ की गई थी 1958 में, नेवीगेशन कैनाल की होगी जिसमें किश्ते चलेंगी, पंजाब में किश्तें जाएगी। यह कंवरसेन जी का जो सपना था, क्या यह सही नही है? क्या यह सही नहीं है कि 1974 में इस नहर को टैंपर किया गया? क्या यह सही नहीं है कि जब हिन्दुस्तान नहीं तो वेज यूनिवर्सिटी, अमेरिका से भी रिपोर्ट्स मंगाई गई और कहा गया कि नहर इस रेगिस्तान में नहीं जानी चाहिए? क्या यह सही नहीं है कि इस रेगिस्तानी इलाके के लिए पंडित जवाहर लालजी नेहरू ने एक सपना लिया था वर्ल्ड बैंक के माध्यम से इण्डो-पाक एग्रीमैंट हुआ था कि इस रेगिस्तानी इलाके से बाड़मेर, जैसलमेर, कच्छ की खाड़ी तक इस पानी को पहुंचा करके उस एरिया को हम सरसब्ज करेंगे? क्या यह सही नहीं है कि इस नहर की इन्टैंसिटी जो रामगढ़ में 110 की थी और वह घटाकर 85 की गई? मुझे कहने में शंका नहीं है। आप कह रहे हैं कि पंजाब की लाबी से हम प्रभावित नहीं है। आज सेम की समस्या है गंगानगर, हनुमानगढ़ और पंजाब में। यह पानी कैरियर कैनाल थी, पूरा जैसलमेर जिले में आने के बाद में

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

यह बाड़मेर तक जाता जहां अच्छी जमीन है, उपजाऊ जमीन है, वहां खेती होती। मैं धन्यवाद दूंगा चन्दन मलजी साहब को, मुझे ध्यान में आया कि जब ये पहले नहर मंत्री थे तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एक सैल बना हुआ था, इन्दिरा जी खुद यहां आई थीं और चन्दन मलजी साहब को कहा था कि बैद साहब, आपका हैडक्वार्टर यहां होना चाहिए, यह नहर पूरी होनी चाहिए। इनके समय में तो काम हुआ, उसके बाद में काम में शिथिलता हुई, काम को टेंपर किया गया....

श्री उपाध्यक्ष : अब वापस इनके समय में ही होगा, अब आप बिराजिये।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : बजट की कमी नहीं। मैं कह रहा हूं कि 100 करोड़ का बजट चाहिए। 100 करोड़ की कमी नहीं है। कमी हमारी बिल की है, पोलिटिकल बिल की है। इसका पानी पहुंचाना चाहिए गडरा रोड, उससे भी आगे पूरे बाड़मेर जिले को पानी से भर देना चाहिए, मेरी यह मांग है। चन्दन मलजी साहब, आप इसको सीरियसली लेंगे। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। दुनिया का बहुत बड़ा एडवेंचर है कि रेगिस्तान में पानी पहुंचा है। लोग हमें पागल कहा करते थे और हमने सपना साकार किया है तो अभी भी करो। जैसा कुछ दिन पूर्व यहां चर्चा चली कि अभी भी हमारा पानी पाकिस्तान की ओर जा रहा है, उस पानी को वापस हिन्दुस्तान में डाइवर्ट करना है। इसलिए मेहरबानी करके हमारे सारे प्रोजेक्ट का जो सपना था, उसको पूरा करें। बैद जी साहब से मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दीवान साहब।

श्री माधव सिंह दीवान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या यह सही है कि कांग्रेस सरकार के समय यह निर्णय लिया गया था कि पहले जहां फ्लो, बहाव के तहत जो एरिया आ सकता है, उसको पहले पूर्ण किया जायेगा, उसके बाद में लिफ्ट योजनाएं ली जायेंगी क्योंकि लिफ्ट योजना में बिजली भी खर्च होगी और नहर का भी खर्चा बढ़ जायेगा। पहले फ्लो के अन्दर जो गडरा रोड के लिए नहर है, वह पूरी की जायेगी जिसको, भा. ज. पा. की सरकार ने उस निर्णय को बदला और लिफ्ट योजना पहले शुरू करेंगे चाहे फलोदी लिफ्ट हो चाहे दूसरी लिफ्ट हो। पूरा निर्णय बदल कर जो गडरा रोड पानी पहले पहुंचना था उस पूरी योजना में रद्दो-बदल की। अब चूंकि आप खुद लिफ्ट में इंटरेस्टेड हैं, क्या आप उस चूरू वाली लिफ्ट की जगह पर गडरा रोड को प्रायोरिटी देने की हिम्मत बतायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : पूछ लो, आप भी पूछ लो।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय माधवसिंह जी दीवान साहब ने यह प्रश्न कर दिया कि क्या चूरू वाली को छोड़कर, उसकी जगह उसमें उसको सब्स्टिट्यूट करके आप इसमें दरियादिली बतायेंगे ? वह अलग जमैन स्कीम की है और इसका उसको क्या ताल्लुक है, वह अलग है।

श्री माधव सिंह दीवान : पानी तो वही है।

श्री उपाध्यक्ष : वह जवाब दे देंगे ना। वे सक्षम हैं, जवाब दे देंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वह जो जर्मन की योजना है उसमें हमारे जिले के 100 गांव आते हैं इसलिए आप उस पर ज्यादा जोर दीजिए, जिसको जनता पार्टी के राज में टेंपर कर दिया गया था, उसकी सारी शक्ल बिगाड़ दी गई थी। उसको आप वापस उस शेष को ठीक करके, उसको शक्लवान बनाने की चेष्टा करो और झुन्झुनूं जिले के भी 100 गांवों को आपके हाथ से पानी देने की चेष्टा करो ताकि आप जब तारानगर के हों और हम आपके पड़ौसी हैं, आपको तारा नगर की इतनी चिंता है कि फाईनेंस मिनिस्टर देने का गौरव बताया है आपने तारानगर को तो आपको इन्दिरा गांधी कैनाल का मंत्री बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है दुबारा तो यह आप कृपा करके तारानगर को भी, उसके गांवों को मीठा पानी लिफ्ट से दिलावें और झुन्झुनूं जिले के 99 गांवों को भी, बिसाऊ कस्बे सहित, जर्मनी वाली स्कीम को आप इम्प्लीमैंट करके यह एक रिकार्ड कायम करो, यह हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं।

श्री राधेश्याम गंगानगर : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से दो सवाल करना चाहूंगा। यह इन्दिरा गांधी कैनाल जो राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले से होती हुई आती है। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर और सूरतगढ़, यह इलाका बिलकुल कम से कम मेरे ख्याल में सैंकड़ों गांव एकदम बरबाद हो गये सेम के नीचे का पानी नहर का। इस कैनाल की क्षमता थी 18400 क्यूसेक्स मेरे ख्याल में और 18400 क्यूसेक्स पानी आज तक उसमें नहीं आया है। सूरतगढ़ में कई डिप्रेशन बनाये गये, कई योजनाएं बनाई गयीं। वह योजना कोई कामयाब नहीं हुई और इतना भारी सेम जिससे कि लाखों किसान सड़कों पर बैठे हैं और खाने के लिए एक टाइम की रोटी नहीं है। क्या आप उन लोगों का कोई प्रबन्ध करेंगे ?

दूसरा प्रश्न, उस नहर के अन्दर बिरदबाबल के पास 12–12 फुट सिल्ट जमा हुई थी। वह नहर मान लो इतनी थी तो वह इतनी-सी रह गई। क्या उस नहर, पिछले पांच साल में बराबर हर साल जब बजट होता था, मैं यह बात यहां मंच के माध्यम से रखता रहा लेकिन उसका जवाब पूर्व की सरकार ने नहीं दिया लेकिन मुझे विश्वास है कि आप अनुभवी हैं और इस बात को पूरी तरह जानते हैं, पहले भी जब आप इन्दिरा गांधी कैनाल मंत्री थे तो आपने इसमें बहुत कार्य किये थे। चूंकि जहां से पानी आता है, जैसा आपने कलपरसों, एक जवाब दिया था, गंगानगर की कोस्ट पर या हनुमानगढ़ की कोस्ट पर मैं सारे राजस्थान को तकलीफ नहीं दे सकता तो गंगानगर और हनुमानगढ़ का इलाका डूब रहा है। अपन चाहते हैं कि पानी आगे पहुंचे, कम से कम उसको भी हम बचायेंगे, तभी तो पानी आगे जाएगा। अगर वहां पर नहरें टूट जायेंगी और 18400 क्यूसेक्स की कैनाल में अगर केवल 12000 क्यूसेक्स से ज्यादा पानी कभी चला ही नहीं, हो सकता है पिछली बार कोई कुछ ज्यादा चला हो लेकिन 12000 और 18000,

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

उस वक्त में टेक्नीकल लोगों ने, जिन लोगों से यह गलती हुई है, क्या उनकी जांच करने का भी आप कोई मन रखते हैं, इन बातों का जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री चन्दन मल बैद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गडरा रोड उप शाखा से सम्बन्धित यह प्रश्न है और माननीय सदस्यों ने इंदिरा गांधी कैनाल से सम्बन्धित जितने भी प्रश्न थे, सब पूछ लिये। मैं उनसे इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि 12 तारीख को इन्दिरा गांधी नहर के सम्बन्ध में डिमांड आ रही है, आप उस दिन सारे प्रश्न उठायें। उस दिन मैं तैयारी करके आऊंगा और आपके सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा।

अब एक बात जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही कि 1958 में यह नहर शुरू हुई थी। जो राजस्थान नहर पहले थी, अब इन्दिरा गांधी नहर हो गई। वह शुरू हुई थी और आज 1998-99 का साल हो गया, अभी तक गडरा रोड तक नहीं पहुंची। मैं माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहता हूं, गडरा रोड तो 1983 में ही सम्मिलित किया गया है। यह गडरा रोड तो इस नहर में शामिल भी नहीं था। और इस वास्ते शामिल किया गया कि हम पूरे पानी का उपयोग कर सकें। और इसी वास्ते यह लिफ्टें बनाई गई कि हम पूरे पानी का उपयोग कर सकें, इस वास्ते लिफ्टें भी बनाई जाएं और गडरा रोड तक वह पानी ले जाया जाए। तो न तो लिफ्टें बन्द करने का सवाल है, न गडरा रोड का काम बंद करने का सवाल है। सवाल केवल इतना है हमको ज्यादा से ज्यादा आर्थिक लाभ, राजस्व लाभ और हमारे क्षेत्र की प्रगति और विकास किस काम से हो सकता है, इसको विचार करने का सवाल है। इसमें सवाल यह है कि आज पौने चार लाख हैक्टेयर जमीन बिना अलाट किए हुए पड़ी हुई है जैसलमेर और बाड़मेर के एरिया में। तो एक तरफ तो जमीन का आवंटन नहीं हुआ उसके कारण से हमारी इकोनोमिक स्थिति जो सुधरनी चाहिए थी वह नहीं सुधरी, राज को राजस्व प्राप्त होना चाहिए वह प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि बहुत से किसान वहां जाते नहीं हैं। जाते हैं तो माफ कीजियेगा, कोई बुरा नहीं मानें, जाते हैं तो जमीन को बेचकर खा जाते हैं। यह सही बात है। यह गलत बात नहीं है, हम समझते हैं इस बात को।

श्री राधेश्याम गंगानगर : नहीं-नहीं, यह बिल्कुल सही है।

श्री चन्दन मल बैद : सही बात है यह तो इस तरह का सवाल है। और एक तरफ, वह लिफ्ट कोई चूरू में ही नहीं बन रही है, फलौदी में भी बन रही है, पोकरण में भी बन रही है और आपके बीकानेर जिले के कोलायत और...

श्री माधव सिंह दीवान : साहवा।

श्री चन्दनमल बैद : साहवा तो एक भर रही है, नोहर-साहवा तो एक ही है और पांच दूसरी जगह बन रही है। कोलायत और आपके, मैं भूल रहा हूं, पोकरण, फलौदी, कोलायत, दो और, और यह पांचवीं बांगड़सर और यह छठी बन रही है नोहर-साहवा। तो केवल नोहर-साहवा ही नहीं बन रही है, फलौदी भी बन

(श्री चन्दनमल बैद)

रही है, पोकरण भी बन रही है, कोलायत भी बन रही है, गजनेर भी बन रही है और बांगड़सर भी बन रही है।

श्री माधव सिंह दीवान : प्रायोरिटी देने की बात है। प्रायोरिटी उनको देकर

श्री चन्दन मल बैद : पांचों-छहों में प्रायोरिटी बराबर की है। यह नहीं है कि नोहर-साहबा तो बन गई और बाकी अधूरी रह गई। ऐसी बात नहीं है। और मैं तो अभी आया ही हूं, मैं एक दफा भी अभी वहां गया नहीं, मैं तो अभी आया ही हूं। मेरे पहले जिन माननीय मंत्री महोदय ने या माननीय लोगों ने, पार्टी ने काम किया है, उस काम को तो मैंने देखा ही नहीं अभी तक। तो इस वास्ते यह कहना आपका मैं समझता हूं कि मेरे साथ न्याय नहीं है कि आप चूरू-नोहर को तो बंद कर दीजिये और पोकरण, कोलायत, गजनेर और फलौदी को जारी रखिये क्योंकि मैं आ गया। इस वास्ते मेरे बच्चे तो भूखे मरने चाहिए, आपके बच्चों को मैं हलुआ खिलाऊं। यह बात हो गई। मेरे कहने का मतलब यह है कि सबको समान रूप से देखने की हमारी मंशा है और इस गडरा रोड उप शाखा का काम भी हम तेजी के साथ कर सकें। मैंने पहले ही कहा, मैं जानता हूं इस बात को कि जो हालत इस इलाके की है वैसी की वैसी ही हालात या उससे खराब हालत बाड़मेर की होगी। मैं खुद दुःखी हूं। मैं उनके दुःख को समझता हूं। जो खुद दुःखी होता है वह दूसरों के दुःख को समझता है। जो माननीय सदस्य शिव से आये हुए हैं या चौहटन से आये हुए हैं उन्होंने जो यह प्रश्न उठाया है, मैं उनके दुःख को समझता हूं। इस वास्ते उनके दुःख को समझते हुए मेरा भरसक यह प्रयत्न रहेगा कि ज्यों ही मैं विधान सभा के और राजस्थान फाइनेंस कमीशन के काम से फारिग होऊं, मैं वहां पर जाऊं और जाकर के जितनी जल्दी इस काम को मैं आगे गति दे सकूं, गति देने की कोशिश करूंगा। यह तो मैं नहीं कहता कि पहले जितनी आज से पन्द्रह साल पहले मैं भागदौड़ कर सकता था उतनी भागदौड़ आज कर सकूंगा लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि मैं पूरी कोशिश करके इस नहर के काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। यही मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं।

श्री राधेश्याम गंगानगर : आपका बजट तो यह शो करता है कि करंट पहले से ज्यादा है। आपका बजट यह शो करता है कि ताकत आपमें पहले से ज्यादा आई है।

श्री रामनारायण चौधरी : आप यह जो बुढ़ापा दिखा रहे हैं उससे आपका मनोबल टूट रहा है...

श्री चन्दन मल बैद : वह ठीक है। मनोबल टूट रहा है या नहीं टूट रहा है लेकिन मैं कोशिश तो यह करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा काम मैं कर सकूं। और आपने मेरे प्रति जो शुभकामना प्रकट की कि मेरी जवानी बढ़ रही है तो विश्वास रखिये, जवानी बढ़ रही है तो शादी दूसरी नहीं करूंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अनुदान की मांगों पर विचार। श्री गुलाब सिंह शक्तावत, सहकारिता मंत्री एवं श्री रामकिशन वर्मा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अनुदान की

(श्री उपाध्यक्ष)

मांगे, विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

अनुदान की मांगें

मांग संख्या–36 –सहकारिता की प्रस्तुति

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (सहकारिता मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 36 –सहकारिता के संबंध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 66,94,96,000/– (छियासठ करोड़ चौरानवें लाख छियायवें हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामकिशन वर्मा।

मांग संख्या 32–नागरिक आपूर्ति की प्रस्तुति

श्री रामकिशन वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 32–नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 18,01,89,000/– (अट्ठारह करोड़ एक लाख नवासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री शिव नाथ सिंह जी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : उपाध्यक्ष महोदय, जब कॉल अटेंशन पूरा हुआ.... (व्यवधान) एक मिनट साहब। जैसे ही काल अटेंशन पूरा हुआ, आपने डिमाण्ड के लिए माननीय मंत्री महोदय को पुकार लिया। मेरी एक पर्ची दी हुई थी। कल रात की घटना है। कल रात को, मेरे क्षेत्र में एक गांव है ..

श्री उपाध्यक्ष : अब यह चर्चा नहीं हो सकती, नहीं माननीय सदस्य।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : नहीं साहब, पर्ची दी हुई है, बहुत जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं। अब यह डिमाण्ड शुरू हो गई। आप बिराजिए, नहीं–नहीं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : आपने एकदम ही पुकार लिया साहब... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऐसे नहीं होता है, आप बिराजिये। प्लीज, बिराजिये। उसका प्रोसीजर है, आप पर्ची दीजिये कल और नेक्स्ट टाइम आ जायेगा... (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : पूरा गांव जल गया, उस मामले में निवेदन करना चाह रहा हूं

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, यह नहीं चलेगा। प्लीज, मेहरबानी करके बिराजिये। माननीय सदस्य, बिराजिये, आप 12 तारीख को पर्ची दीजिये ... (व्यवधान) सदन के नियम हैं, कोई ऐसे ही आप मर्जी आये जब उठकर बोल दें, ऐसे थोड़ा ही चलता है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी :... मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, मैं माननीय...,

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, नहीं माननीय सदस्य। आर्डर। ऐसा होता नहीं है, प्लीज।

मांग संख्या-36 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-36 मुख्य शीर्षक सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय :—

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा)

1. सहकारी समितियों के चुनाव शीघ्र कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर)

2. अरबन को-आपरेटिव बैंक, श्रीगंगानगर में खातेदारों की जमाराशि दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

3. अरबन को-आपरेटिव बैंक, श्री गंगानगर में खातेदारों की जमा राशि की जांच करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

4. अरबन को-आपरेटिव बैंक, श्री गंगानगर में घोटाले में सम्मिलित व्यक्तियों को दण्डित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

5. श्री गंगानगर जिले में सहकारिता के क्षेत्र में उचित कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर)

6. ग्राम सेवा सहकारी समितियां, सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक के चुनाव प्रक्रिया में सुधार कर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की तरह चुनाव करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा केलिये।

7. सहकारी आंदोलन में इन्सपेक्टर राज व्यवस्था समाप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

8. प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्राथमिक सहकारी समितियों के गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

9. विधान सभा क्षेत्र रायपुर (पाली) में ग्राम सेवा सहकारी समितियां क्रमशः कलालिया, चिताड़, बिजागुड़ा के पुनः-गठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

10. सहकारी समितियों के चुनाव न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़)

11. राज्य सरकार द्वारा सहकारी समितियों का पुनर्गठन लम्बे समय तक करने में असफल रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

12. राज्य सरकार प्रदेश में लम्बे समय से सहकारी समितियों के सदस्यों को जमा हिस्सा राशि व मुनाफा का हिस्सा दिलाने में असफल रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

13. राज्य सरकार द्वारा कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पिछले सालों में सहकारी समिति के व्यवस्थापकों द्वारा किये गये गबन की वसूली व उनके खिलाफ

(श्री फतेह सिंह)

कार्यवाही करने में असफल रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

14. राज्य सरकार प्रदेश में सहकारी समितियों के चुनाव कराने में असफल रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर)

15 तिलम संघ, बीकानेर यूनिट को बन्दन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

16 किसानों को वेयर हाउस की समुचित सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

17. जोधपुर विभाग ट्रेनिंग सेन्टर में कार्यरत एक प्रशिक्षक के सेवा काल में निधन होने के बाद उनका बकाया भुगतान उनके उत्तराधिकारी को अभी तक नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

18. जिला स्तरीय व राज्य स्तरीय सहकारी संस्थाओं में चुनाव होने तक प्रशासकों के स्थान पर संचालक मण्डलों की नियुक्ति के अधिकार को राज्य सरकार द्वारा उपयोग में नहीं लिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

19. राज्य स्तरीय सहकारी संस्थाओं का आडिट निजी चार्टेड अकाउन्टेंट्स द्वारा कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. सहकारी कानून की धारा 74 के तहत प्रस्तावित मामलों को रजिस्ट्रार द्वारा एक समिति बनाकर उसे समाप्त किये जाने के कारण अधिकारों का दुरुपयोग किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

21. ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत व्यवस्थापकों की सेवाओं के संबंध में सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खान (शिव)

22. सहकारिता विभाग में प्रत्येक स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

23. जिला बाड़मेर के सेन्ट्रल को–आपरेटिव बैंक में पूर्व में हुए भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर)

24. जहाजपुर में भूमि विकास बैंक की शाखा खोलने, जहाजपुर क्रय विक्रय सहकारी समिति से सुदृढ़ीकरण, आर्थिक हालात सुधारने के लिए अनुदान प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

1. **श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा)

2. **श्री रतनाराम चौधरी** (रानीवाड़ा)

25. फव्वारा सेटों पर दिये जा रहे ऋण तथा ऋण के आधार पर दी जा रही सबसिडी में हो रहे गबन एवं अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

26. प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिये एक–एक सहकारी समिति (जी. एस. एस.)

(श्री शिव नाथ सिंह)

गठित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. सहकारी समितियों के संचालक मंडलों को अधिकार सम्पन्न बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. सहकारिता की गिरती साख को बचाने तथा लोगों का सहकारिता की तरफ लगाव पैदा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू)

29. ग्राम सहकारी समिति चलकोल बजिरोतान में ग्राम चलकोल बीकाज को सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. चूरू होल सेल भण्डार लिमिटेड में कथित घोटाले से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं)

31. सहकारी कानून में उपयुक्त संशोधन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी)

32. खरीब व रबी की फसल में डूंगरपुर के काश्तकारों को कम ऋण सुविधा उपलब्ध कराये जाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम)

33. टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में सहकारी उपभोक्ता भण्डार एवं सोसायटियों की दयनीय व्यवस्था एवं व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ीसादड़ी)

34. उदयपुर सहकारी भूमि विकास बैंक के संचालक मण्डल एवं अध्यक्ष द्वारा नियमों की अनदेखी कर एक डीलर के हित में निर्णय करने से किसानों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

35. भूमि विकास बैंक उदयपुर में व्याप्त भारी अनियमितता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

36. केन्द्रीय सहकारी बैंक डूंगरपुर द्वारा 1988 में भूखण्ड नीलामी में की गई अनियमितता एवं दोषियों को दण्डित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

37. तिलम संघ को बन्द करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. सहकारिता के माध्यम से गरीब एवं किसानों को लाभ नहीं मिलने से जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री सांवर लाल (भिनाय)

39. दुग्ध उत्पाद सहकारी समितियों एवं जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के चुनाव साथ–साथ न होने से जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

40. ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव न होने से जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री जीतमल खांट (बागीदोरा)

41. राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में सहकारी समितियों पर पुनर्गठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. राज्य सरकार सहकारी समितियों के माध्यम से राशन व खाद-बीज वितरण में असफल रहने से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

43. सहकारी समितियों के माध्यम से सदस्यों को अल्पकालीन व दीर्घकालीन ऋण दिलाने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

44. सहकारिता में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

45. राज्य सरकार के सहकारी समितियों व सहकारी बैंकों के चुनाव कराने में असफल रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़)

46. रामगढ़ (अलवर) के सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियां भंग कर प्रशासक नियुक्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद)

47. सांगलिया, फागलवा, झीगर छोटी जेरठी एवं बाडलवास ग्राम सेवा सहकारी समिति सीकर में नये सदस्य नहीं बनाये जाने से जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

48. जिला सीकर की ग्राम सहकारी समितियों में श्री गंगानगर पेटर्न लागू कर ऋण की वसूली सम्पूर्ण समिति की नहीं कर सदस्यवार वसूली किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा)

49. पीलीबंगा क्रय विक्रय सहकारी समिति की शोचनीय वित्तीय स्थिति सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (पचपदरा)

50. बालोतरा सहकारी मार्केटिंग सोसायटी द्वारा दवाईयों का क्रय विक्रय प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना)

51. सहकारी समितियों द्वारा ग्राम नागरिकों को राहत पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. सहकारिता विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. करण सिंह यादव (बहरोड)

53. सहकारिता विभाग के अधीन कार्यरत बैंकों द्वारा ऋण की वसूली नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

54. सहकारिता विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(डा. करण सिंह यादव)

55. सहकारी संस्थाओं में गत पांच वर्षों में आई गिरावट से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भरोसी लाल (हिण्डौन)

56. सहकारिता विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जनार्दन गहलोत (करौली)

57. सहकारी समितियों के चुनाव शीघ्र कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. जिला करौली में सहकारिता के क्षेत्र में और सुधार लाने हेतु उचित कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिये एक-एक सहकारी समिति (जी.एस.एस.) गठित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला)

60. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में कार्यरत सहकारी समितियों में नये सदस्य नहीं बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक तंवर (फागी)

61. सहकारी समितियों में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

62. प्रदेश में सहकारी समितियों के चुनाव कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. उपभोक्ता संघ की प्रदेश की मेडिकल दुकानों में व्यवस्थापकों द्वारा की जा रही मनमानी एवं अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

64. सहकारी दुग्ध उत्पादन समितियों द्वारा किसानों को उचित मूल्य नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी)

65. सहकारी समिति दणाऊ कला को अवैधानिक तरीके से अवसायन करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

66. नागौर ग्रामीण आंचलिक बैंक शाखा बस्सी द्वारा गरीबी रेखा में चयनित परिवारों को ऋण देने हेतु जमानतदाता के बाद ही ऋण देने से जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

67. सहकारी क्रय विक्रय समिति, जयपुर द्वारा बनाये गये फर्जी सदस्यों के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

68. सहकारी समिति, सामरिया (जयपुर) की बकाया की वसूली अब तक नहीं करने तथा सहकारी समिति पाटन, राजपुरा-माधोगढ़, कपाहेड़ी बांसखो आदि के व्यवस्थापकों द्वारा किसानों को छूट के बाद भी राशि वसूल करने से असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद)

69. सहकारी विभाग द्वारा संचालित

(श्री गोविन्द सिंह)

निगमों, मिलों व बोर्डों द्वारा लगातार घाटे में चलने व घोटाले होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

70. कृषकों को ब्याजखोरों व सूदखोरों के चुंगल से बचाने में ग्राम सेवा सहकारी समितियों की असफलता पर चर्चा के लिये।

71. सहकारी विभाग के सरकारीकरण को रोकने, दौते कमेटी की अनुशंषानुसार विभाग के पुनर्गठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. ग्राम सेवा सहकारी समितियों की प्रान्तव्यापी हड़ताल से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

73. भूमि विकास बैंक का केन्द्रीय सहकारी बैंक में विलिनीकरण एवं चुनाव कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)

74. कस्बा सीकरी में दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

75. भूमि विकास बैंक द्वारा कृषकों को ऋण स्वीकृति में किए जा रहे विलम्ब पर चर्चा के लिए।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)

76. राज्य की पांच हजार ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत व्यवस्थापकों एव कर्मचारियों के वेतनमान, भत्ते आदि के बारे में सरकार द्वारा निश्चित नीति बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

77. ग्राम सेवा सहकारी समितियों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

78. जिला सहकारी बैंक बाड़मेर द्वारा गत वर्षों में सिचाई के अन्तर्गत फव्वारा खरीद की सबसिडी में लाखों रुपयों के घोटालों के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा)

79. क्रय विक्रय सहकारी समिति इटावा जिला कोटा में हो रही अनियमितत एवं लगतार घाटे में चलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

80. सहकारी संस्थाओं को और सुदृढ़ व आत्म निर्भर बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर)

81. जैसलमेर जिले में भूमि विकास बैंक खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

82. जैसलमेर जिले के इन्दिरा गांधी नहर सिंचित क्षेत्र विकास में सहकारी गृह निर्माण समितियों के बारे में चर्चा लिए।

मांग संख्या-32 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक नागरिक आपूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए,

श्री जसवन्त सिंह यादव (मण्डावर)

1. मण्डावर में केरोसिन की कमी से गरीबों को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर)

2. श्री गंगानगर जिले में उचित मूल्य की नई दुकाने खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

3. नागरिक आपूर्ति हेतु श्री गंगानगर जिले में गेहूं, तेल व चीनी का कोटा बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

4. श्री गंगानगर विधान सभा क्षेत्र में विभाग द्वारा वितरित किये जा रहे गेहूं के खराब होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

5. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को आबंटित गेहूं की मात्रा बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

6. उचित मूल्य की नई दुकानें खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

7. ग्राम रायधना व हुडास तहसील लाडनूं जिला नागौर में नियुक्त खुदरा विक्रेताओं की भयंकर शिकायतें होते हुए भी उनको नहीं हटाये जाने के कारण जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिए।

8 विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

9. कुकिंग गैस एजेन्सियों के कर्मचारियों द्वारा गैस सिलेण्डरों से गैस की चोरी के मामलों को पकड़ने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए।

10. खुदरा विक्रेता नियुक्त करने के लिए तहसील स्तर पर चयन के लिए बनी हुई पूर्व समितियों का अभी तक पुनर्गठन नहीं करने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

11. घरेलू कुकिंग गैस का व्यवसायिक उपयोग कर, की जा रही अनियमितताओं के मामलों को रोकने में विभाग की असफता पर चर्चा के लिए।

श्री अमीन खान (शिव)

12. रेगिस्तानी जिले–बाड़मेर-जैसलमेर से उचित मूल्य की दुकानों की कमी पर चर्चा के लिए।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

13. ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं होने तथा जनता तक पूरी वस्तुओं का वितरण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

14. सरकारी समितियों के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में हो रही उपेक्षा एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाकर खाद्यान्न सामग्री सस्ते दर पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(1) **श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा)

(2) **श्री रतनाराम चौधरी** (रानीवाड़ा)

15. समाज के कमजोर वर्गों को कम कीमत पर दी जाने वाली खाद्य-सामग्री के वितरण में हो रही धांधली पर चर्चा के लिए।

16. स्कूल के छात्रों को 'मड-डे-मिल्स' की योजना के अन्तर्गत गेहूं वितरण में हो रही अव्यवस्था पर चर्चा के लिए

17. उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण हेतु स्वीकृत की जाने वाली दुकानों की प्रक्रिया में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू)

18 चूरू शहर के प्रत्येक वार्ड में केरोसीन तेल का वितरण केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मदन दिलावर (अटरू)

19. अटरू, बारां व सांगोद तहसील का कैरोसीन व चीनी का कोटा बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी)

20. डूंगरपुर जिले में राशन की अधिक से अधिक दुकानें खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

21. डूंगरपुर जिले के नागरिकों को राशन की दुकानों से अधिक गेहूं उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सांवर लाल (भिनाय)

22. भिनाय क्षेत्र की जनता को समय पर राशन सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़)

23. रामगढ़ (अलवर) में 4 बेरल पाइंट डीजल के देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

24. रामगढ़ में मिट्टी का तेल व्यक्तिगत डीलर्स से लेकर पंचायतों के माध्यम से वितरित करवाने के क्रम में चर्चा के लिए।

डा. करण सिंह यादव (बहरोड)

25. गत 5 वर्षों में बहरोड़ क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में हुई अव्यवस्थाओं के क्रम में चर्चा के लिए।

श्री भरोसी लाल (हिण्डौन)

26. हिण्डौन शहर की बढ़ती आबादी को देखते हुए नवीन राशन की दुकाने खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जनार्दन गहलोत (करौली)

27 समाज के कमजोर वर्गों को कम कीमत पर दी जाने वाली खाद्य-सामग्री के वितरण में हो रही धांधली से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

28. कुकिंग गैस एजेन्सियों के कर्मचारियों द्वारा गैस सिलेन्डरों से गैस की चोरी करने के मामलों को पकड़ने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए।

(श्री जनार्दन गहलोत)

29. करौली विधान सभा क्षेत्र के स्कूल में बच्चों को मिलने वाली खाद्य सामग्री में लापरवाही बरतने पर चर्चा के लिए।

30. करौली जिले में उचित मूल्य की नई दुकानें शीघ्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

31. करौली में कैरोसीन की कमी से गरीबों को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री अशोक तंवर (फागी)

32. विधान सभा क्षेत्र फागी में गेहूं एवं कैरोसीन का कोटा बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

33. विधान सभा क्षेत्र फागी में बेरल पाइंट अनुज्ञा-पत्र अविलम्ब जारी किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

34. विधान सभा क्षेत्र फागी की उचित मूल्य की दुकानों में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

35. विधान सभा क्षेत्र फागी में उचित मूल्य की दुकानों से कैरोसीन, गेहूं एवं अन्य सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपभोक्ताओं को उपलब्ध नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

36. प्रदेश में बेरल पाइंट अनुज्ञा-पत्र जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कन्हैयालाल (बस्सी)

37. तहसील बस्सी के ग्राम हीरावाला में अलग से राशन डीलर की नियुक्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

38 शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को वितरित राशन की मात्रा पृथक्-पृथक् रखने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद)

39. विभाग की मिली भगत से जयपुर में स्थित पिंक सिटी पेट्रोल पम्प द्वारा मिलावट करने एवं कम मात्रा व सब-स्टेंडर्ड तेल की बिक्री करने के बावजूद भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही ही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

40. गत 8 वर्षों में माप-दण्डों का उल्लंघन कर अनियमित व पक्षपातपूर्ण तरीके से बेरल पाइंट का आबंटन करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

41. राज्य एवं जिला उपभोक्ता मंचों द्वारा नियमों में निर्धारित अवधि में निर्णय नहीं देने, इनके गठन में अपात्र व्यक्तियों के नामांकन तथा इनमें वकीलों को पैरवी करने देने के औचित्य एवं उपभोक्ताओं का शोषण करने पर चर्चा के लिए।

42. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सम्पूर्ण विफलता व उसके पुनर्गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

43. अटैच दुकान (उचित मूल्य की) को नये विक्रेता को आबंटित कर संचालित करने व दुकानों के आबंटन पर प्रतिबंध को हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)

44. विधान सभा क्षेत्र नगर में ग्रामीणों को उचित मूल्य की दुकानों द्वारा दी जा रही वस्तुओं की मात्रा बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

45. नगर विधान सभा क्षेत्र की जनता को पर्याप्त मात्रा में कैरोसीन मुहैया कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

46. नगर विधान सभा क्षेत्र में रसद आपूर्ति में की जा रही अनियमितताओं को रोकने हेतु कारगर उपाय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)

47. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्य के अकाल पीड़ित किसानों को रियायती दर से गेहूं वितरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

श्री रामसिंह कस्वां (सादुलपुर)

48. जयपुर में कुकिंग गैस एजेन्सियों द्वारा गैस चूल्हा आदि चैकिंग करने के नाम से उपभोक्ताओं से राशि जमा कराने हेतु बाध्य करने एवं चैकिंग समय पर नहीं करवाने व चैकिंग करने वाले व्यक्ति द्वारा अनायास खराबी बताकर राशि वसूलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

49. जयपुर स्थित खण्डेलवाल गैस एजेन्सी द्वारा उपभोक्ताओं को समय पर रिफिल वितरण नहीं करने व चैकिंग राशि जमा कर अनायास खराबी बताकर उपभोक्ताओं से सामान बदलने हेतु बाध्य करने व कूपन इश्यू करने हेतु सभी कागजात लाने आदि से आम उपभोक्ताओं को होने वाली परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

श्री निर्भय लाल (रूपवास)

50, भरतपुर जिले के रूपवास तहसील में कैरोसीन, चीनी हेतु नवीन डीलर नियुक्त किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा)

51. इटावा, खातोली अपाना जिला कोटा कस्बों में चीनी व कैरोसीन का कोटा बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर)

52. जैसलमेर जिले में कैरोसीन वितरण व्यवस्था सुचारू ढंग से करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

53. जैसलमेर जिले में राशन कार्ड बनाने के बारे में आवश्यक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए ।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी)

54. जयपुर व अन्य जिलों में कुकिंग गैस एजेन्सियों द्वारा जारी नये कनेक्शनों के समय उपभोक्ताओं को जबरन व अनिवार्य रूप से गैस चूल्हें दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

कु. मीनाक्षी चन्द्रावत (खानपुर)

55. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के कस्बों में नागरिकों को चीनी उचित मात्रा में एवं समय पर न मिलने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए ।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा)

56. पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों पर उपभोक्ता वस्तुओं के उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

मांग संख्या 36 एवं 32 पर विचार

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्षजी, मांग संख्या–36 सहकारिता एवं मांग संख्या–32 नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में माननीय मंत्रियों द्वारा जो प्रावधान चाहा गया है मैं उसका समर्थन करता हूं और सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि इनकी याचनाओं को स्वीकार करते हुए हम सर्वसम्मति से इनको धन दें।

माननीय उपाध्यक्ष जी, सहकारिता के सम्बन्ध में बहुत प्राचीन काल से हमारे देश में चर्चा होती आ रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सहकारिता एक व्यवस्था ही नहीं है, एक दर्शन है और इसको दर्शन के रूप में ही हमें लेना पड़ेगा। माननीय उपाध्यक्षजी, आजादी से पहले कांग्रेस ने अपने कार्यक्रम बनाये उसमें भी सहकारिता को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। आजादी के बाद श्री जवाहर लालजी नेहरू हमारे प्रथम प्रधान मंत्री थे। उनका दिमाग सहकारिता की तरफ बहुत ऊंचा था और सहकारिता ने उनके समय में बहुत ऊंचाइयां प्राप्त कीं। आज वह स्थिति नहीं रही है लेकिन फिर भी आज समय की मांग है कि सहकारिता को वह ऊंचाइयां हम प्रदान करें। उपाध्यक्षजी, गांधीजी का भी दर्शन था, एक गांव में पंचायत हो, सहकारी समिति हो और एक स्कूल हो। इस सिद्धान्त के पीछे, इस दर्शन के पीछे उनका सोच था कि इसी माध्यम से जो ग्रामीण लीडरशिप है वह पनप सकती है, डवलप हो सकती है और हमारे देश में ऐसा हुआ भी है। जहां-सहकारिता ने अपने पैर जमाये और सहकारी क्षेत्र में अच्छे काम हुए वहां ग्रामीण लीडरशिप पनपी और बहुत ऊंचाइयों पर गई। राजस्थान में भी एक जमाना ऐसा था जब सहकारिता का क्षेत्र बड़ी धूमधाम मचा रहा था। बहुत बड़े कार्यकर्ता, नेता इससे जुड़े हुए थे और राजस्थान की राजनीति में बहुत प्रभावशाली स्थान उन्होंने प्राप्त किया। उसके बाद राजनैतिक घटनाक्रम बदले और एक लाबी बनी और ब्यूरोक्रेसी भी उसमें शामिल थी, पॉलिटिशियन भी उस सब में शामिल थे। और किसी तरह से यह सोच बना कि सहकारिता का जो क्षेत्र है, जो को-आपरेटिव लीडरशिप है वह आगे नहीं बढ़ पाये और उसका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। उसके कारण आज हमारा सहकारिता का क्षेत्र पिछड़ा है लेकिन हमें उन कमियों की तरफ नहीं देखना है। आज सहकारिता को दर्शन के रूप में अपना कर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहिए। आज हमारे सहकारिता मंत्री महाराणा प्रताप की जमीन से आते हैं, दृढ़संकल्पी हैं। और हम आशा करते हैं कि राजस्थान, आप तो हैं ही माननीय उपाध्यक्षजी, लेकिन वे भी हैं, तो दोनों के सहयोग से और भी जो माननीय सदस्य महाराणा प्रताप की जमीन से आते हैं, हम उनकी लीडरशिप में इस सहकारिता को....

श्री रामनारायण चौधरी : आते ही नहीं वंशज हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : यह भी मान लेता हूं मैं। आपके नेतृत्व में, सहकारिता मंत्री के नेतृत्व में यह सहकारिता आगे बढ़ेगी। इसके दुश्मन बहुत हैं माननीय उपाध्यक्ष जी। बार-बार इसकी आलोचना की जाती है और एक बार तो मुझे सुनकर आश्चर्य हुआ पिछली विधान सभा में उस समय के, उस सरकार के सहकारिता मंत्री ने यह खुला कहा कि सहकारिता में बहुत भ्रष्टाचार है। माननीय उपाध्यक्ष जी, किस जगह भ्रष्टाचार नहीं है, किस जगह गबन नहीं है, किस जगह रुपया डूबता नहीं है, कौन-सी बैंक शाखा है जिसमें रुपया नहीं डूबता है ? सहकारिता में बदनाम इसलिए किया जाता है कि इसके कंज्यूमर्स की संख्या, शेयर होल्डर्स की बहुत बड़ी है लेकिन रकम कहीं दो सौ रुपये, सौ रुपये, कहीं पांच सौ रु.। और बड़े-बड़े अरबपति करोड़पति करोड़ों रुपये लेकर डूबो देते हैं उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। इसलिए इस बात से सहकारी क्षेत्र को बदनाम करने की चेष्टा की गई है और उस बदनामी के कारण हमारे लोगों की ग्रामीण जनता की सहकारिता के प्रति लगाव में कमी आयी। आज आवश्यकता इस बात है कि हर आदमी को जो शोषित है, पीड़ित है, समाज में कमजोर वर्ग का है, उसका लगाव हम सहकारिता के प्रति दे सकें, उसको मजबूती दिलायें। सहकारिता की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला किसान हो, खेतीहर मजदूर हो, दस्तकार हो उसको इस प्रकार की सहूलियत हो कि वह अपना प्रोड्यूस सहकारी समिति के माध्यम से बेच सके और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सहकारी समिति के माध्यम से कर सके। यह बहुत ही आदर्श व्यवस्था होगी। हमारे कदम उस ओर बढ़ रहे हैं लेकिन सफलता हमें नहीं मिली है। उन कदमों को तेज करना पड़ेगा और चाहे सब जगह नहीं हो लेकिन कुछ स्थानों में इस प्रकार की व्यवस्था सहकारी संस्थाओं की की जाए, जिसमें प्रोड्यूसर अपने प्रोड्यूस रख पाये। कल माननीय कृषि मंत्रीजी कह रहे थे कि किसान को अपनी पैदावार मजबूरी में नहीं बेचनी पड़ेगी। एक किसान ही नहीं है माननीय उपाध्यक्षजी, हमारे समाज में मजदूर हैं, सब तरह के लोग बाग हैं। उन सभी को अपना श्रम मजबूरी में नहीं बेचना पड़े इस प्रकार की आदर्श व्यवस्था सहकारी संस्थाओं के माध्यम से होनी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्षजी, एक बार मैं एक सोसायटी में गया। मैंने देखा, आदर्श सोसायटी थी। उसके अध्यक्षजी को मैंने पूछा कि क्या काम करते हो, तो उन्होंने कहा कि जन्म लेने से लगाकर मृत्यु के कफन तक की व्यवस्था हमारी सहकारी संस्था के सदस्य को हम करते हैं। लोन दिया करते थे, सब प्रकार की व्यवस्था वह करते थे। इस प्रकार की व्यवस्था वहां होगी तो ग्रामीण लोगों की कमजोर वर्ग की उस संस्था में आस्था बनेगी, और बिना आस्था के चाहे हम कितना ही करें। इसके साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि जो सहकारी संस्थाओं के कर्मचारी अधिकारी हैं, उनको विशेष प्रशिक्षण की जरूरत है। आज सहकारी संस्थाओं से जुड़े हुए लोग-बाग हैं, अनपढ़ हैं उनको अक्षर ज्ञान भी नहीं है। और वहां अफसरशाही करने के लिए कोई अधिकारी जाता है तो मेरे ख्याल से वह प्रशिक्षित नहीं है। उन लोगों के प्रति उनको

(श्री शिवनाथ सिंह)

पीड़ा होनी चाहिए और पीड़ा होकर के उनकी मदद करने का उनका मानस होना चाहिए। उनके कामों में गलती निकालने की ट्रेनिंग उनको बंद कीजिए और उनके लोगों को सहायता दें, मदद करें और उनका सहयोग करें। इस प्रकार के अधिकारी आप सहकारी व्यवस्था में लगायें। इसलिए विशेष प्रशिक्षण की जरूरत मैं समझता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज हमारी संस्थाएं हैं, ग्राम लेवल पर संस्थाएं हैं शीर्ष लेवल पर संस्थाएं हैं। लेकिन इसमें जो एक सहकारिता की भावना है वह नहीं हो पाई है। आज हमारा संचालक मंडल निष्क्रिय है, प्राणविहीन है, कोई अधिकार नहीं है उनको। जी.एस.एस. की व्यवस्था व्यवस्थापक के हाथ में है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बैंक हैं एम.डी., सेक्रेट्रीज उसके मालिक हैं और हमारे चुने हुए संचालक मण्डल को कोई भी अधिकार वहां नहीं है। पिछले दिनों एक व्यवस्था की गई, महिलाओं को उसमें स्थान दिया गया। अच्छा काम हुआ। दूसरे कमजोर वर्ग के लोगों को संचालक मण्डल में स्थान दिया गया लेकिन स्थान किस संचालक मण्डल में दिया गया—जहां उसके संचालक मण्डल को कोई अधिकार ही नहीं है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस व्यवस्था में परिवर्तन की भयंकर आवश्यकता है। चाहे आपको ब्यूरोक्रेसी का कोपभाजन बनना पड़े, लेकिन ग्रामीण जनता और सहकारिता के क्षेत्र को बचाने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था करें ताकि हमारा संचालन मण्डल प्रभावी हो। अपनी व्यवस्था अपने-आप करने में सक्षम हैं वे, लेकिन हम उनको करने नहीं दे रहे हैं। इसलिए आप सहकारिता कानून में, नियमों में कुछ परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कीजिये।

दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज दो-दो, तीन-तीन पंचायतों के बीच में एक सहकारी समिति है। नाबार्ड मुम्बई में बैठकर फैसले करते हैं और वे कहते हैं कि वायबल यूनिट नहीं बनेगी। हमको वायबल यूनिट नहीं चाहिए। हमको तो ग्रामीण जनता की सेवा चाहिए। और हर पंचायत में यदि एक ग्राम सेवा सहकारी समिति नहीं होगी तो दो को मिलाओ, तीन को मिलाओ। आपस में उनका मेल ही नहीं है तो सहकारिता की भावना कहां रहेगी। एक गांव के लोग दूसरे गांव को नहीं जानते। एक पंचायत के लोग दूसरी पंचायत को नहीं जानते। इसलिए माननीय मंत्री महोदय, नाबार्ड से लड़ना पड़े तो हम आपके साथ हैं। आपके जो मापदण्ड हैं उनको बदलना पड़े तो हम आपके साथ हैं। लेकिन एक पंचायत को एक ग्राम सेवा सहकारी समिति आप दीजिये। उसके बिना इस सहकारिता का कोई उपयोग हमारे यहां नहीं रहेगा।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस वक्त देश आजाद हुआ उस वक्त तीन प्रकार की व्यवस्थाएं हमने सोचीं, हमारे नेताओं ने सोची। एक पब्लिक सेक्टर दूसरा प्राइवेट सेक्टर और तीसरा को-ऑपरेटिव सेक्टर। और को-ऑपरेटिव सेक्टर को बराबर का महत्व दिया गया। पब्लिक सेक्टर का अब ह्रास हो रहा है, मैनेजमैंट के कारण से पब्लिक

(श्री शिवनाथ सिंह)

सेक्टर बदनाम हो रहा है । उन पर आक्रमण हो रहा है और यही हाल को-ऑपरेटिव सोसायटी का है । कोऑपरेटिव सेक्टर में जितने भी कल-कारखाने, प्रोसेसिंग यूनिट्स लगी हुई थी उनको आज बंद करने की व्यवस्था की जा रही है । मैं माननीय उपाध्यक्ष जी, जानना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय और सरकार से कि ग्राम सेवा सहकारी समिति के बोर्ड को आप अधिकार इसलिए नहीं देना चाहते कि वह उस सहकारी संस्था के हितों की रक्षा नहीं कर पाएंगे, अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं । इन संस्थाओं में तो आपके आई.ए.एस. अफसर फोरेन रिटर्न्ड अफसर, फारेन ट्रेंड अफसर हैं सब कुछ उनके हाथ में था । ये संस्थाएं घाटे में क्यों गयीं और आज वे घाटे में गयी तो इस सहकारिता क्षेत्र में काम करने वाले और उससे लाभान्वित होने वाली जनता को आप क्यों पीड़ा देना चाहते हैं, उसमें सुधार करने की आपकी जिम्मेदारी थी । भिन्न-भिन्न सरकारें बनीं, अलग-अलग उनका दृष्टिकोण रहा । इस ब्यूरोक्रेसी ने सबका सत्यानाश कर दिया । ब्यूरोक्रेसी यह कभी नहीं चाहती कि सहकारिता के क्षेत्र में बढ़ोतरी हो । इसलिए इन संस्थाओं को मेहरबानी करके, कुछ को आपने बंद कर दिया है, रिवाइव तो आप इस वक्त नहीं कर सकते लेकिन आज जो जीवित हैं जिनको आपने परखने के लिए छोड़ रखा है कृपया उनके इन्तजाम को बदलिये । और इन्तजाम को बदलकर, उन संस्थाओं को जीवित रखकर आगे बढ़ने का मौका दीजिये, चलने का मौका दीजिये जिससे कि किसान, मजदूर, आर्टिजन फायदा उठायेंगे ।

माननीय उपाध्यक्ष जी, संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा कि तिलम संघ थे । तिलम संघ से मैं और नहीं कहता क्या घाटा हुआ क्या नहीं हुआ लेकिन तिलम संघ डूबा । उस वक्त के कर्णधार जिनके हाथ में व्यवस्था थी उन्होंने अपने फायदे के लिए, अपने कमीशन के लिए इस प्रकार की मशीनें खरीद कर रख दीं कि जो कभी काम नहीं आयीं और सिर्फ कमीशन लेने के लिए वह किया गया । और वहीं से शुरूआत हुई तिलम संघ को खतम करने की । आज उससे कितना फायदा था । गांव-गांव में तिलम की संस्थाएं बनीं, को-ऑपरेटिव की भावना बढ़ी और किसानों को उचित मूल्य मिला अपनी पैदावार का । मैं जिस जिले से आता हूं उसका राजस्थान में आयल सीड्स में बहुत ऊंचा स्थान है । जब तक तिलम संघ हमारे यहां काम करता था किसान को उसका उचित मूल्य मिलता था और आज सरसों के भाव इस तरह से फिसल रहे हैं जिस तरह से बर्फ पिघल रही है । आज कोई भी उसको सम्भालने वाला नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए ।

श्री शिवनाथ सिंह : अभी दो मिनट में खत्म करता हूं । इसलिए उनको आप जीवित रखने की चेष्टा कीजिए । यही मेरा आपसे निवेदन है ।

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज विपरीत स्थितियां हमारे यहां है । लेकिन फिर भी हम सुधार कर सकते हैं । मैं जो भी माननीय सदस्य सहकारिता से प्रेम करते हैं, उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि सहकारिता की बुराई करना बंद करें । बुराई है नहीं,

(श्री शिवनाथ सिंह)

बढ़ा-चढ़ा कर उनको लिखा जाता हैं, दिखाया जाता है। इसलिए अगर कोई गबन की बात हो गई, सहकारिता में गबन है, ऋण की वसूली नहीं हुई, सहकारिता में डूब गया। कम्पेरीजन कीजिये आपका कि कितनी रकम कुल मिलाकर सहकारिता क्षेत्र में डूबी है और कितनी रकम हमारे जो नेशनलाइज बैंक हैं उनसे अरबपति, करोड़पति लेकर चले गये, यह देखने की बात है।

चुनाव प्रक्रिया में सुधार कुछ जगह हुआ है। जिन संस्थाओं में राज्य सरकार का रुपया नहीं है उनको कुछ अधिकार दिये गये हैं लेकिन वे चुनाव करने तक सीमित हैं। उसके संचालक मण्डल को कोई विशेष अलग से अधिकार नहीं है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि उनको अधिकार दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सहकारिता मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सख्ती से कदम उठाकर जिन लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं उनको सख्ती से डील कीजिए। आज सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा सहकारी संस्थाओं में बना हुआ है। कल माननीय सदस्य कह रहे थे कि फव्वारा सैटों की संख्या बढ़ाई जाये। मैं मानता हूं उसको लेकिन सहकारी भूमि विकास बैंकों में सबसे बड़ा आरोप इन फव्वारा सैटों का है। इस पर भी आप नियन्त्रण कीजिये, व्यवस्था कीजिए कि किस प्रकार से कमीशन दिया जाये, किस प्रकार से खरीदा जाये, और किन कम्पनियों से खरीदा जाये, और उसका पेमैंट किस प्रकार से हो। थोड़े दिन पहले व्यवस्था थी कि उसके कांट्रैक्टर को पेमैंट होता था। आज उस व्यवस्था में परिवर्तन आया है। लेकिन आपकी जो गंगानगर प्रणाली है उस प्रणाली को आप लागू कीजिये और किसान को उसकी क्रेडिट के मुताबिक क्रेडिट कार्ड दीजिए। कार्ड देने के बाद वह मर्जी आये वहां से खरीदे और अपना लोन प्राप्त कर लें। उस गंगानगर प्रणाली को आप लागू करने की चेष्टा कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय, कहने को बहुत बातें थीं लेकिन दूसरे माननीय सदस्य भी बोलेंगे....

श्री उपाध्यक्ष : दूसरे माननीय सदस्य भी बोलेंगे, वे बता देंगे।

श्री शिवनाथ सिंह : इसलिए मैं संक्षिप्त कर रहा हूं।

दूसरी मांग के सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि नागरिक आपूर्ति की जो मांग है इसमें बड़ी शिकायतें हैं। दो-तीन बिन्दु आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा। जो दुकानें अलाट होती है उसमें पारदर्शिता लानी चाहिए। पिछली बार भी इस सदन में चर्चा चली थी और जनप्रतिनिधियों को दुकानों के अलाटमैंट में भागीदार दी जाये इस सम्बन्ध में तत्कालीन नागरिक आपूर्ति मंत्री महोदय ने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। आप इस पर विचार कीजिए और जनप्रतिनिधियों को उसमें भागीदार हों। उनकी देख-देख में काम हो ऐसी व्यवस्था कीजिए। इससे पारदर्शिता आयेगी। दूसरा, वितरण में अनियमितता नहीं हो और खास तौर से जो गैस सिलेण्डर्स वाली कम्पनियां हैं उनके

(श्री शिवनाथ सिंह)

बारे में रोजाना सुनते हैं कि गैस निकाल लेती हैं। वितरण में धांधली होती है उनकी तरफ भी आप ध्यान दीजिए। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जितने, भी डीलर्स आपने ग्रामीण क्षेत्र में बनाये हैं, दुकान छांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सहकारी समितियों के माध्यम से इस व्यवस्था को आप लागू कीजिए ताकि कोई शिकायत नहीं आये।

इन्हीं शब्दों के साथ, माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं दोनों ही मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय **श्री** हीरा सिंह जी।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 36 सहकारिता और संख्या 32 नागरिक आपूर्ति पर बोलने जा रहा हूं।

सम्माननीय उपाध्यक्ष जी, विरोध तो मैं बातों में कर लूंगा। राजस्थान में सहकारी अधिनियम लागू करके इस प्रकार की कल्पना की थी कि सहकारिता से ग्रामीण लोगों का आर्थिक जीवन ऊपर उठेगा, आर्थिक रूप से सुदृढ़ीकरण होगा। और यह कल्पना हमारे सहकारी नियमों को, सहकारी अधिनियम को लागू करते समय की गई थी। प्रारम्भिक काल में 1953 से 1975 तक सहकारिता के प्रति लोगों का रुझान था। लोग इसके चुनावों में पार्टीसिपेट करते थे। लेकिन धीरे-धीरे लोगों को ऐसा आभास होने लगा कि इसके चुनावों में कितनी ज्यादा धांधलीबाजी है, इसके नामांकन की विश्वसनीयता को लेकर कोई भी अच्छा आदमी चुनाव लड़ने तक के लिए तैयार नहीं होता है क्योंकि इसके नोमिनेशन फार्म में इतना जबरदस्त डिफेक्ट है कि किसी भी समय कोई भी अधिकारी इसको रिजेक्ट कर देता है। रिजेक्ट के इतने कारण है कि अगर उसका वर्णन किया जाये तो बहुत लम्बा-चौड़ा हो जायेगा। सर्वप्रथम मैं सहकारिता मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि आप थोड़े मजबूत होइए और जिस प्रकार जिला प्रशासन पंचायती राज का चुनाव कराता है और उसमें किसी प्रकार की गलतियां नहीं होती है, माननीय मंत्री महोदय, अगर इस सहकारी अभियान को मजबूत करना है तो पंचायती राज की जो चुनाव प्रणाली है इसको लागू कीजिए। अगर इस पंचायती राज चुनाव प्रणाली को आप लागू करते हैं, तो लोगों में विश्वसनीयता आयेगी और अच्छे लोग इस सहकारी आंदोलन में सम्मिलित होंगे, सहकारी समितियों में होंगे। सी. सी. बैंक के चैयरमेन जैसे अच्छे लोग मार्केटिंग में आयेंगे। जब तक आप इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करते है तब तक इस सहकारी आंदोलन या सहकारी नियम में ज्यादा सुधार होने की गुंजाइश नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं सहकारिता मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वर्तमान की जो चुनाव प्रणाली है उसमें बिलकुल इंस्पेक्टर राज छाया हुआ है। आप अपने ही विभाग के अधिकारी उसमें रखते हैं, उनसे चुनाव कराते हैं और वे ही चुनाव को पूरा सम्पन्न कराते हैं। इसलिए सबसे पहले मेरा निवेदन है कि आप अपने विभाग के अधिकारियों को चुनाव प्रणाली से दूर करें। दूर करेंगे तो स्वतः ही लोगों

(श्री हीरासिंह चौहान)

लोगों की इसके प्रति जागरुकता इसमें पैदा होगी । एक और निवेदन है कि आप जो वार्ड सिस्टम बना रहे हैं, मैं सोचता हूं ग्राम सेवा सहकारी समिति के जो अध्यक्ष बनते हैं उन्हीं के द्वारा आपके मार्केटिंग के चुनाव हो सकते हैं, उसी के द्वारा आपके सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक के चुनाव हो सकते हैं। आपने सेंट्रल को–आपरेटिव बैंक के वार्ड अलग बनाये हैं । ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष होते हैं, केवल मात्र अध्यक्षों को जो ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष बनते हैं, उनको ही वोट देने का अधिकार रहना चाहिये। इसमें कभी अध्यक्ष गैर हाजिर रह जाता है तो उपाध्यक्ष वोट देने चला जाता है। और इसमें बड़ी तस्दीक कराता है, बड़ी धांधलीबाजी होती है और फिर कई प्रकार की अपीलें होती हैं। इसलिए इस शंका को दूर करने के लिये, कि चुनाव प्रणाली सहकारी समिति की बहुत बढ़िया है, अगर इसको आप लागू कर दोगे तो इससे एफिलिएटेड जितनी भी सहकारी समितियों की चुनाव प्रणाली होती है, वह सुदृढ़ होंगी । माननीय शक्तावत साहब, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं । आपसे हम लोग अपेक्षा करते हैं। आप बहुत पुराने और अनुभवी मंत्री हैं और आपके अधीनस्थ यह विभाग आया है । इसीलिए इसमें जितनी भी कमजोरियां हैं उन कमजोरियों को दूर करने की कोशिश कीजिए ।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायती राज में हर स्तर पर रिजर्वेशन है लेकिन आपने कमजोर वर्ग के लोगों का भी कहीं कुछ रखा हैं। 76 का भी संशोधन किया गया है । फिर एक संशोधन और किया गया, 1986 में। जिसमें 6 साल से ज्यादा अवधि के अवधि के लोग इसमें बार–बार चुनाव नहीं लड़े। मेरा निवेदन है कि एस.टी., एस.सी. और ओ.बी.सी., जिस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था में आज कोई भी सेंट्रल को–आपरेटिव बैंक का अध्यक्ष नहीं बन सकता जब तक उसको उन संस्थाओं में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इसीलिए जब हमने रिजर्वेशन का परसेंटेज पंचायती राज व्यवस्था में अपनाया । तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस सहकारी आन्दोलन में, सहकारी समिति अधिनियम में भी इसी प्रकार की आप व्यवस्था कीजिये । और व्यवस्था करने से अपने स्वतः ही महिलाओं को भी जगह मिल जायेगी, ओ.बी.सी. के लोगों को भी जगह मिल जायेगी, एस. टी. के लोगों को भी मिल जायेगी और एस.सी. के लोगों को भी मिल जायेगी । क्योंकि यह रिजर्वेशन के आंकड़े सभी जगह सही हैं, इसीलिए मेरा निवेदन है कि इसमें आप आमूलचूल परिवर्तन कीजिये और स्टेट्यूटरी प्रोविजन बनाइये । क्या कारण है कि चुनावों की पिछले दिनों में इस विधान सभा में बड़ी जोरदार चर्चा हो रही थी । इस प्रकार पंचायती राज में संशोधन करके पांच साल में चुनाव कम्पलसरी कर दिया । इसीलिए अवधि तो मैंने सुना है इसकी पांच साल की आपने कर दी, लेकिन चुनाव की कोई समयावधि नहीं। कितने साल तक सरकार इस चुनाव को आगे करेगी ? पिछले वाली सरकार ने भी ऐसा ही किया और आप द्वारा भी अभी घोषणा करके कई कारणों से इसको आगे करना पड़ा। इसलिए मेरा निवेदन है कि स्टेट्यूटरी प्रोविजन करके

(श्री हीरासिंह चौहान)

चुनाव की सीमा तय कर दीजिये कि पांच साल में निश्चित तौर पर सोसाइटियों के चुनाव होंगे और लोगों की इसके प्रति बहुत बड़ी आस्था बनेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सहकारी मंत्री जी, पिछले दिनों में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के मैनेजरों की लम्बे समय तक हड़ताल रही। उनकी मांग यह थी कि हमारा नियोजक कौन है, हमको रखने वाला अधिकारी कौन है, कौन हमारी जिम्मेदारी लेता है। जिस समय 1953 में ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना की गयी उस समय तक तो सोसाइटियां थीं, सोसाइटियों के नौकर थे और उसके बाद 1977 में, एक कोई कैडर होता है राजस्थान स्तर पर, उनके अधिनस्थ उनकी सेवाएं दे दी गयी कैडर्ड अथोरिटी को। उच्च न्यायालय में मामला गया और उच्च न्यायालय ने निर्णय लेकर इसको बंद कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सरकार गयी लेकिन हाई कोर्ट का निर्णय था वह एज इट इज रखा; और इसीलिए ये आन्दोलित थे। माननीय सहकारिता मंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जिस प्रकार ग्राम पंचायतें गांवों में काम करके प्रशासनिक व्यवस्था को सम्भालती है, इसी प्रकार से आज जितना भी सप्लाई का काम होता है, जितना भी लोगों का लोन का काम होता है, क्रॉप के ऊपर जो दीर्घकालीन, मध्यकालीन और अल्पकालीन ऋण देते हैं, उन सब की कागजी कार्यवाही भी वही करते हैं और जिम्मेदार होते हैं। अभी गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे। आज 3–4 पंचायतों की एक–एक ग्राम सहकारी समिति है। बहुत ठीक कह रहे थे। आपको वापस रिव्यू करना पड़ेगा। पहले जो सोसाइटियां बनी हुई थीं, पता नहीं उसका कैसे सर्वे करके आपने वह सोसाइटी बन्द कर दी। 10–10, 15–15 हमारे कोट किराणा के 20 किलोमीटर में 5 गांव हैं, अब कौन तो वहां उस सोसाइटी में भाग लेने जाता है, कौन चुनावों में भाग लेता है। इस प्रकार से बहुत जरूरी है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक–एक ग्राम सेवा सहकारी समिति हैं जो पहले थी, ग्रालरेडी थी जिसको आपने बन्द कर दी, उसको वापस पुनर्जीवित किया जाय और पुनर्जीवित करके उनको वापस उसी प्रकार से करें ताकि, ग्राम पंचायत स्तर का कह रहे हैं उससे नीचे स्तर का नहीं कह रहे हैं। इसीलिए जब ग्राम पंचायत बनाना हमने स्वीकार कर लिया, ऐसी स्थिति में पहले जो समितियां बनी हुई थीं उनको एज इट इज बनाया जाय और नई ग्राम पंचायतें बनी हैं उनको भी अलग प्रकार से ग्राम सेवा सहकारी समिति बनाने के अधिकार देवें। हमने सोचा था कि सहकारी समितियां आयेंगी तो गांव के बोहरे चले जायेंगे। माना यह बोहरे तो चले गये। जो भी पूंजीपति ब्याज का धंधा करता था इस एक्ट के डर के कारण से और यह बोहरे एक्ट के कारण से वह तो मद्रास, बंगलोर अन्य जगह व्यवसाय करने चले गये। लेकिन आज किसान जिस ऋण को चाहता है, सहकारी समितियों से आज कोई आशा नहीं करता है कि सीमित समय पर ऋण दे देगी, समिति समय पर खाद-बीज दे देगी। पिछले दिनों बहुत हाय-हाय हुआ था, न खाद था, न बीज था। और अभी भी मैं निवेदन करना चाहता हूं आपको जितना भी प्रोक्योर करना है खाद-बीज,

(श्री हीरासिंह चौहान)

पहले से भी आपकी डिमाण्ड है, जहां से भी प्राप्त होता है, बहुत पहले दे देना चाहिए। किसानों को खाद भी समय पर नहीं मिले और उसके लिए तकलीफ पावे, यह किसानों के साथ सरकार द्वारा बहुत बड़ा धोखा होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि खाद बीज की कितनी मात्रा कहां–कहां से उपलब्ध करानी है, समय से एक महीने पहले हमारे भण्डार में आ जाना चाहिए ताकि किसान समय पर उसका उपयोग कर सकें और खेतीबाड़ी में ठीक ढंग से प्रयोग ले सकें। मेरा निवेदन है, माननीय मंत्री महोदय, यह अभी आपने समझौता किया था उसके बारे में मैं कह रहा था, ग्राम सेवा सहकारी समिति के मैनेजरों के बारे में आपने उनके साथ बैठकर वार्ता भी की है और एक कमेटी भी बनायी। मेरा निवेदन है, पूरे राजस्थान में इनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है और इनका प्लान सही है। अभी तक वह नियोजक कौन है, उनकी स्थिति कितनी गरीब बनी हुई है जब कि वह वर्षों से सेवा कर रहे हैं और जिसने उनको नियोजित किया उसकी मांग आज की तारीख में वास्तव में नहीं है। इसीलिए मैं आपसे इन सब की ओर से निवेदन करूंगा, कृपया उनका भी बैठकर फैसला करके न्याय संगत निर्णय करें ताकि ग्राम सेवा सहकारी समितियां जो कि मैनेजरों के बिना चल नहीं सकती, मैनेजर ही उसकी रीढ़ की हड्डी है, इसको आप जितना ज्यादा मजबूत करें उतना ही अच्छा होगा। दूसरा, शिकायतें लोगों की बार–बार आ रही हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : मजबूती से आपका क्या आशय है?

श्री हीरासिंह चौहान : मजबूती से मेरा मतलब है कि वह ठीक ढंग से काम कर सकें, इससे ज्यादा मेरा कोई अर्थ नहीं है क्योंकि वह सभी प्रकार के, जैसे रामनारायण जी साहब मुझे निर्देश दे रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं तो निवेदन कर रहा हूं, निर्देश नहीं दे रहा हूं।

श्री हीरासिंह चौहान : हां, निवेदन, निर्देश एक ही बात है। आप मेरे बुजुर्ग हो, निर्देश देवें तो वह भी मानने के लिए तैयार हूं। (व्यवधान) मैडम, सब के विधान सभा क्षेत्र तो मुझे याद करने में बहुत समय लगेगा, माफी चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मजबूत करने का मेरा आशय है....

श्री उपाध्यक्ष : खाद्य आपूर्ति पर आ जाइये।

श्री हीरासिंह चौहान : हां, मैं आ रहा हूं, जल्दी आ रहा हूं, मुझे भी दिल्ली जाना है। मैं उधर भी आ रहा हूं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि उनकी स्थिति को भी सम्भालिये। और दूसरा यहां पर लोनिंग का जो सिस्टम है, पड़ौसी राज्य आपका हरियाणा है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। हमारे यहां पर बहुत कम लोन दिया जाता है और इन राज्यों की स्टडी कीजिये कि किसानों को कितना लोन दिया जाता है। वहां अधिक मात्रा में लोन दिया जाता है और हमारे किसानों को बहुत कम मात्रा में लोन दिया जाता है। जैसे हमारे अकाल है।

(श्री हीरासिंह चौहान)

इस समय में, अकाल में रिकवरी बन्द होनी चाहिए लेकिन किसानों से आज भी रिकवरी हो रही है जबकि रिजर्व बैंक के साथ डाइरेक्शन हैं वह अगले साल के लिए ट्रांसफर हो जाता है, उनके ब्याज भी नहीं लगता है। तो मेरा निवेदन है कि आज जो किसानों से रिकवरी हो रही है, इस अकाल वर्ष में उसको तत्काल रोका जाना चाहिए और रोककर, अभी तक मैंने जो जानकारी ली है, आपके जो रिकवरी इंसपेक्टर हैं उनको किसी प्रकार के इंस्ट्रक्शन अभी तक नहीं दिये हैं। तो तत्काल यह जो लोन रिकवरी है, इसको भी रोका जाना चाहिए। मुझे बड़ा दुःख होता है कि आपके इस अभी के बजट में बीमा सम्बन्धी कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए आपको चाहिए आप अभी जब उत्तर दें, कम से कम किसानों को कितना बीमा दे सकते हैं इस प्रकार की व्यवस्था के लिए क्या–क्या व्यवस्था कर सकते हैं, इस पर पुनर्विचार करके किसानों को अपनी फसल के नुकसान पर हरजाने की, बीमा की भी आपको इसमें व्यवस्था करनी चाहिए। अब आपने एक क्रेडिट-कार्ड दिया है। क्रेडिट-कार्ड तो किसानों को दे दिया है लेकिन क्रेडिट कार्ड के अनुसार किसानों को जो सामान चाहिए वह नहीं मिलता है और जितना इसका महत्व होना चाहिए, इस प्रकार क्रेडिट कार्ड का कोई महत्व नहीं होता है।

श्री परसादी लाल : अभी तो शुरू ही की है।

श्री हीरासिंह चौहान : शुरू किया है, शुरुआत की है तो उसकी भी उपयोगिता कीजिये। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नागरिक आपूर्ति के बारे में माननीय वर्मा साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके चयनित परिवार हैं, चयनित परिवारों को अभी जितनी मात्रा में राशन का सामान मिलना चाहिए, वह सीमा तय कर दी है। परिवार की संख्या तो बहुत ज्यादा है और आपने गेहूं 10 किलो तय कर रखा है। यह बहुत कम है। इसका भी, राशनकार्ड शायद आपसे सम्बन्धित ही है। आज 7–8 साल हो गये, राशन कार्ड नये बन नहीं रहे हैं। डुप्लीकेट बन रहे हैं, डुप्लीकेट बनाते हैं। नई शादी होकर बच्ची आयी, उसका नाम जुड़ नहीं रहा है। बच्चा पैदा हो गया उसका नाम जुड़ नहीं रहा है। आज राशन कार्ड की स्थिति यह है कि राशन की ज्यादा वैल्यू हो गयी है। जहां कहीं भी नौकरियों में जाते हैं तो वह राशन कार्ड की कॉपी चाहिए और नई आने वाली बहू होती है, पढ़ी लिखी होती है, नौकरी करना चाहती है और उनका नाम नहीं जुड़ने के कारण से कई नौकरियों से वंचित हो रही हैं। इसलिए भारत सरकार से भी इस मामले में थोड़ा संबंध है। पहले जब उस समय देवेगौड़ा जी प्रधान मंत्री थे, एक बार डाइरेक्शन आये। हमने भी काफी, प्रधान का काम कर रहा था पिछले दिनों में, तो इसके विषय में हमने लगातार राजस्थान सरकार से भी सम्पर्क किया। उनकी दुविधा थी कि भारत सरकार कोई ग्रीन कार्ड और व्हाइट कार्ड देना चाहती है। लेकिन अभी तक उस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। इसके ऊपर भी उचित विचार-विमर्श करके, सब राशन कार्ड बंट गये हैं, अब कोई एण्ट्री होने की जगह नहीं, डुप्लीकेट बनाते हैं

(श्री हीरासिंह चौहान)

तो वही मेम्बर वापस लिखे जाते हैं और अन्य मेम्बर उसमें जोड़े नहीं जा सकते हैं। इसलिए या तो अन्य मेम्बरों को जोड़ने का आप निर्देश दे दें, जब तक इस समस्या का भारत सरकार से निर्णय नहीं हो तब तक इसका समाधान हो सकता है।

(14.00 बजे)

आपके डीलर्स होते हैं गांवों में, वे बहुत शिकायत करते हैं कि राशन समय पर नहीं लाता है, ठीक प्रकार से वितरण नहीं करता है। लेकिन मैं खाद्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि उस शिकायत की कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। कई जगह ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं, जो अधिकृत हैं, वे इस काम को करना चाहती हैं लेकिन उसमें भी बहुत लम्बा प्रोसीजर बनाया हुआ है कि किसी भी हालत में ये डीलर नहीं हटाये जा सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस व्यवस्था को सुचारू करने के लिए, ठीक ढंग से करने के लिए, इसमें कम्पलेंट्स आती हैं, तत्काल जांच करा दीजिए। आयी तत्काल, रिपोर्ट जो कम्पलेंट्स की है, वह सही है या गलत है। उसका तो निर्णय किया जा सकता है लेकिन इसमें इंस्पेक्टर राज है। आपके इंस्पेक्टर पूरी तरह से मिले हुए हैं, सब जगह, और जबरदस्त चोरबाजारी करते हैं। और उनको भी, जो राशन डीलर हैं उनकी हर महीने सेवा की जाती है। इस व्यवस्था को सुचारू करने के लिए, आपसे मेरा निवेदन है, जनता की ओर से नम्र निवेदन है कि इस व्यवस्था को सुचारू करने के लिए कोई न कोई ऐसा प्रभावशाली कदम आप उठाइये जिससे इसकी व्यवस्था ठीक हो सके। आपने तहसील स्तर पर भी सहकारी समितियां बनाकर के निगरानी समितियां बनायी हैं। उसकी भी व्यवस्था की थी। लेकिन उसकी भी मीटिंग्स नहीं हो रही हैं। कर रखी हैं, पहले से, तहसील स्तर पर समितियां बनाकर के ...

श्री परसादी लाल : वे तो फर्जी थीं।

श्री हीरासिंह चौहान : फर्जी नहीं हैं। देखो ऐसा है, मंत्री महोदय, मैं यह कहना उचित नहीं मानता कि पिछली सरकार गलत काम कर रही थी और आप सही कर रहे हैं। यह दोषारोपण नहीं करना चाहिए। यह भी ठीक नहीं है। (व्यवधान) यह भी ठीक नहीं है, शासन की व्यवस्था है। जितना वे कर सके, उतना किया। अब आप खूब अच्छा कीजिए। केवल दोषारोपण करके आप क्या लेना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो बड़ा खेद होता है।

श्री उपाध्यक्ष : आपको जल्दी जाना है। इसलिए तो पहला नम्बर दिया है।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खेद हो रहा है कि लोग यहां पर + + + बोल जाते हैं। इस पवित्र सदन में असत्य बोल जाते हैं। + + + बोलकर क्या लेना चाहते हैं। अपनी बात को सही ढंग से रखना चाहिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : + + + शब्द तो असंसदीय है। (व्यवधान) आप तो स्वयं भी

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

उपाध्यक्ष रहे हैं। सुनिये, उन्होंने + + + क्या कह दी, उसको ...

श्री रामनारायण चौधरी : ये माननीय सदस्य अपनी बात रखते हैं और आप अपनी बात रख रहे हैं। (व्यवधान) वे गलत बात या आपका बिना आधार एक माननीय सदस्य की....(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : असत्य कर दीजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : आधारहीन कह दो उनको। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : रामनारायण जी, अभी आप बोल रहे हैं, इनके बाद।

श्री हीरासिंह चौहान : असत्य का तो मैं आरोप लगाऊंगा। (व्यवधान) क्यों कि मैं भी बैठता हूं, सुनता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : एक माननीय सदस्य की (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलेंगे इनके बाद, आप बोल लेंगे। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : इसको असत्य कह लीजिए। (व्यवधान)+ + +शब्द को एक्सपंज कर दीजिए, असत्य बोलते हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : सवाल बोलने का नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य स्वयं उपाध्यक्ष रहे हैं। व्यवस्थाओं का अच्छी तरह से ज्ञान है उनको।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, प्लीज। आर्डर, माननीय सदस्य, सुनें, पहले सुनें।

श्री राजेन्द्र पारीक : व्यवस्थाओं का ज्ञान होकर भी अज्ञानी की तरह बात करें, सवाल तो इस बात का है।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदस्य, (व्यवधान) ऐसा अंकित मत होने दें कहीं भी, आपके मुंह से...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : नहीं, नहीं, असत्य बोलते हैं। मैं खुद ही कह रहा हूं एक्सपंज कर दीजिये, असत्य कर दीजिए। (व्यवधान)

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार का मैंने निवेदन किया है उसका उसी प्रकार से सरकार को अपनी शासन प्रणाली में, दोनों ही विभागों के लिए जितना कर सकते हैं, उतना करें। आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपने इतने आरोप लगाये। बेहतर होता कि आप कुछ तथ्यात्मक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखते। आपने दुनिया भर के... (व्यवधान) आप सत्ता में बैठे रहे, तब आपको सारा दिखाई नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामनारायण जी। माननीय सदस्य।

श्री हीरासिंह चौहान : मैंने मेरी बात कह दी, जो दिमाग में थीं।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री राजेन्द्र पारीक : इतना करप्शन आप फैला गये, हम तो इसको बाहर कर रहे हैं। झाडू इनके लगेंगे उसकी सफाई के लिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आज सहकारिता और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय की मांगों पर विचार-विमर्श हो रहा है। मैं पहले नागरिक आपूर्ति की मांगों के सम्बन्ध में अपनी बात कहना चाहता हूं।

मान्यवर, झुन्झुनू जैसे जिले में, जहां से मैं आता हूं, वहां महिलाओं और पुरुषों में राजनीतिक और सामाजिक जागृति टोटल जिले में, राजस्थान के अन्दर कुछ ही जिले हैं, अलवर, भरतपुर, जयपुर, जिनको मैं समकक्ष मानता हूं। मैं चित्तौड़, भीलवाड़ा और उदयपुर को कम नहीं आंकता। लेकिन मैंने वहां देखा है कि महिलाएं गांवों में से गुजरती हैं तो जूतियां हाथ में ले लेती हैं। और कई चीजें ऐसी मैंने गांवों में देखी, इतना पिछड़ापन है।

माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि हमारे जिले में भी आपके द्वारा, सरकार के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं, उनका उपयोग गांव वाले पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं तो दूर, सुदूर डेजर्ट एरिया में तो, जहां कितना फासला है एक गांव से दूसरे गांव का, वहां क्या पहुंचती होंगी। क्या पहुंचता होगा, आदिवासी एरियों के अन्दर, जहां गांव नहीं हैं, ढाणियां हैं, पहाड़ों पर झोंपड़े बंधे हैं। उनको क्या मिलता होगा। हमारे यहां, इतनी शिक्षा है वहां लड़कों को गांवों में कैरोसीन तेल समय पर उपलब्ध नहीं होता है। झुन्झुनू जिले में हमारी सतर्कता समिति में हम शिकायत करके थक गये लेकिन गांवों के अन्दर सुचारू रूप से हम कैरोसीन तेल के वितरण की व्यवस्था नहीं करवा सके। मान्यवर, चीनी, गेहूं समय-समय पर एफ.सी.आई. से खाद्य मंत्रीजी वितरण के लिए जारी करते हैं। वे गांव के जो डीलर हैं, वे वहां झुन्झुनूं के अन्दर ही ट्रक के ट्रक दे आते हैं, वहीं बेच जाते हैं क्योंकि मार्केट के अन्दर उसकी रेट में और उस रेट में अन्तर होता है। वहीं बेच जाते हैं। मान्यवर, मंत्री महोदय को, जितनी सिविल सप्लाई है, जिसमें एल.पी. गैस भी आती है, जिसमें पेट्रोल पम्प भी आते हैं, डीजल पम्प भी आते हैं, कभी भी आपके विभाग ने, डी.एस.ओ. ने या जिला कलेक्टर ने अपनी तरफ से चलाकर के कोई शिकायत करने की बात अलहदा है, किसी भी पेट्रोल पम्प या डीजल पम्प को जाकर चैक नहीं किया, उसका नमूना नहीं लिया। उनको यह अधिकार है, चैक करने का, नमूना भेजने का, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं हैं। आज पूरे राजस्थान के अन्दर अधिकांश डीलर और पेट्रोल पम्पों पर मिलावट हो रही है। यह स्थिति आपके यहां पर है।

आपने उपभोक्ता संरक्षण मंच बना रखे हैं। दिल्ली में जब राजीवजी देश के प्रधान मंत्री थे और एच.के.एल. भगत नागरिक आपूर्ति मंत्री, आपके काउण्टर पार्ट थे। तब वह लेजिस्लेशन आया था। उस लेजिस्लेशन के आधार पर आप उपभोक्ताओं का संरक्षण करते हैं। अब आपके अधिकांश उपभोक्ता मंच खाली पड़े हुए हैं। उनके अन्दर सुचारू व्यवस्था नहीं हो रही है। कहीं जज की व्यवस्था नहीं है, कहीं

(श्री रामनारायण चौधरी)

बाबुओं की व्यवस्था नहीं है, कहीं सर्विस करने वाले, मैसेंजर्स, सम्मन तालीम कराने की व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, उन उपभोक्ता मंचों से बहुत लाभ मिला है और मिल रहा है। तत्परता से फैसले होते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनके अन्दर जो मनोनयन होता है, जनता की तरफ से, नागरिकों की तरफ से, उस मनोनयन का कोई आधार नहीं है। बी.जे.पी. का राज था तो ऐसे लोगों को उपभोक्ता मंचों के अन्दर नोमिनेट कर दिया, जज के बतौर, जिन लोगों की पेन्शन इसलिए नहीं बन रही है कि उनका सारा रिकार्ड काला है। आज तक तनख्वाह नहीं मिल रही है। ऐसे अधिकारियों को जो अवकाश प्राप्त अधिकारी थे, उनको उन मंचों का मैम्बर बना दिया है। वहां स्थिति यह है कि एक बार मंच का मेम्बर आपने बना दिया तो पूरे कार्यकाल तक आप हटा नहीं सकते हैं। उनकी तो सुरक्षा है। तो मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब आप उपभोक्ता मंचों का गठन करेंगे तो जो जनता के प्रतिनिधियों को नोमिनेट करें उनमें यह ध्यान रखें कि ऐसे लोगों को, जिनको समाज के अन्दर प्रतिष्ठा हासिल है, जो अच्छे नागरिक हैं, चाहे वे रिटायर्ड हों, अन्य भी हैं, सोशल वर्कर हैं, वास्तव में, सही मायने में, ऐसे लोगों को आपको नोमिनेट करना चाहिए। ताकि उनका कोई उपयोग हो और लोगों में उसकी साख जमे। यह मैं नागरिक आपूर्ति मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं।

सहकारिता के मामले में, मान्यवर, मेरे से पूर्व मेरे से बहुत अनुभवी वक्ताओं ने, माननीय सदस्य साथियों ने कहा, उनकी बात मैंने सुनी। मान्यवर, पंचायती ग्राम राज का प्रोग्राम तो आजादी से पहले महात्मा गांधी का दिया हुआ है। महात्मा गांधी जिस तरह का पंचायती राज चाहते थे, ग्राम राज चाहते थे, आजादी के बाद वैसी व्यवस्था हम नहीं कर सके। उनका प्रोग्राम ही दूसरा था। अब तो हमारे सबके सरकारी पंचायतें हो गयीं। पंडित जवाहर लाल नेहरू, जिन्होंने सहकारिता का सूत्र देश को दिया था, एक गांव, गांव की एक सहकारी समिति और एक स्कूल, यह थे। एक पंचायत और एक स्कूल और एक सहकारी समिति, यह तीन चीज अनिवार्य रूप से वहां लागू की थी। मान्यवर, जब पंडित जवाहर लालजी प्रधान मंत्री थे, उनके नोटिस में आता था, वे बहुत जागरूक थे, जनता की नब्ज ही नहीं बल्कि जनता की आवाज भी उनके पास पहुंचती थी। कैसे पहुंचती थी, वह तो वे ही जानें। लेकिन जब इंस्पेक्टर राज कायम होने लगा तो उनको बड़ी झुंझलाहट हुई कि यह क्या सहकारिता चल रही है, यह क्या ग्राम सेवा सहकारिता चल रही है जिसके अन्दर इंस्पेक्टरों का राज है। मान्यवर, जब उनके यह बात ध्यान में आयी, आज तो पूरी ग्राम सेवा सहकारी समिति सहकारी शिकंजे में, इन्स्पेक्टरो की और मैनेजरों की है। मेरे से पूर्व हमारे माननीय सदस्य फरमा रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि आप इसकी और थोड़ी समीक्षा कीजिए व व्यवस्थापक को आप और मजबूत बनाइये। मैं यही जानना चाहता था कि व्यवस्थापक को कितना मजबूत बनाना चाहते हैं। आज व्यवस्थापक ही मान्यवर, आप तो खुद धरती के पुत्र हैं, सन ऑफ दी सोयल हैं। आप किसी भी ग्राम सेवा सहकारी समिति

(श्री रामनारायण चौधरी)

में जाइये, उस पर सारा शिकंजा ही व्यवस्थापक का है। आज वहां कोई अध्यक्ष की वक्त नहीं, आज उसके कोषाध्यक्ष की वक्त नहीं, उसके मंत्री की नहीं, कार्यकारिणी की नहीं। कार्यकारिणी से उनका सब प्रस्ताव वह ही तैयार करा लेता है। उनके दस्तखत या अंगूठे करवा लेता है। और अब तो भगवान की ओर भी कृपा हुई कि अधिकांश अंगूठे ही अंगूठे आ रहे हैं क्यों कि जिस तरह से हमने व्यवस्था की है रिजर्वेशन की कि यह भी आएंगे, यह भी आएंगे, यह भी आएंगे। तो स्वरूप तो अच्छा बना है लेकिन व्यवस्थापक का पूरा शिकंजा उसके उसमें कस दिया गया है। आज अगर कहीं भी कोई गड़बड़ है ग्राम सेवा सहकारी समिति में, तो किसी अध्यक्ष की कुछ नहीं, होगी, पदाधिकारी, कार्यकारिणी की कुछ नहीं है, वह सारी की सारी गड़बड़ व्यवस्थापक के अन्दर निकलेगी।

मान्यवर, मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि कार्यकारिणी और पदाधिकारियों को भी आप जिम्मेदार बनायें। इनको कुछ अधिकार दें, इनकी आवाज हो। पहले अध्यक्ष ही सब-कुछ करता था। मंत्री करता था, कोषाध्यक्ष, तीन ही व्यक्ति होते थे, आज वह बात नहीं है। आज व्यवस्थापक है। उसका जो झोला है, उसके अन्दर ही सब कागज रखते हैं और वह घूमता रहता है। तो यह स्थिति ग्राम सेवा सहकारी समितियों की हो गयी है।

मान्यवर, जब सहकारी समितियों में चुनाव की बात चली थी तो मैं अकस्मात् सहकारिता मंत्री महोदय के पास पहुंच गया था। मैंने उनको यह सुझाव दिया था, मेरे से पूर्व भी सुझाव आये हैं कि आप एक ग्राम पंचायत की एक ही सहकारी समिति बनाइये। उन्होंने कहा कि रामनारायण जी, यह वायबल यूनिट्स नहीं है। मैंने उनको सुझाव दिया कि वायबल यूनिट्स को बनाने के लिए आप एक-दो-तीन-चार ग्राम सेवा सहकारी समितियों को मिला दीजिये और उसकी एक यूनिट बनाकर एक व्यवस्थापक को दे दीजिए। ये चारों पंचायतों की एक ही हो जाएगी। तीन की एक हो जाएगी। दो की एक हो जाएगी। यह बात मैंने वहां कार्य में, क्षेत्र के अन्दर लोगों से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि रामनारायणजी, यह बात तो अब बहुत पुरानी है। आज तो इतना लोनिंग हो रहा है कि जैसे पुराने जमाने की बात थी, जब लोन था ही कहां आज तो एक-एक सोसाइटी के पास इतना लोन उठ रहा है, एक लोन ही नहीं दो-दो लोन उठ रहे हैं। दोनों फसलों का उठ रहा है। तो इसलिए एक ग्राम पंचायत ही जो सक्षम पंचायत है, वही लोगों की सक्षम बनती है लेकिन फिर भी ऐसा हो तो दो को मिला दो। आज मान्यवर, यह ठीक कहा था कि जिस गांव के लोगों को जानते तक नहीं, वे लोग उनको क्या पता कि किसकी कैसी मालियत है, कैसी मालीहालत है। कैसी उसकी लोन एप्लीकेशन बन रही है। उसकी क्या जवाबदारी वह होगी लेकिन जैसा व्यवस्थापक कहता है, वह तो अंगूठा का निशान उस पर लगा देते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप इसके ऊपर विचार करिये। जो पिछली बार पंचायतों का गठन हुआ था, तब वह प्रिंसिपल टूट गया था कि एक ग्राम पंचायत एक होगी। उससे पहले, बहुत पहले, 20 वर्ष

(श्री रामनारायण चौधरी)

पहले कांग्रेस के शासन में भी ग्राम सेवा सहकारी समितियों को बड़ा बना दिया गया था तो अब आप एक पंचायत, एक ग्राम सेवा सहकारी समिति के प्रिंसिपल को लेकर चलिए ताकि लोगों को उसमें सुविधा हो।

मान्यवर, आप ग्राम सेवा सहकारी समिति तो गांवों की है। इससे ऊपर किसानों से सम्बन्धित शहरों में, गांवों में मार्केटिंग सोसायटी, डिस्ट्रिक्ट को-आपरेटिव यूनियन, राजस्थान को-आपरेटिव यूनियन जो मेरे से पहले माननीय सदस्य बोल रहे थे, तो आज सहकारिता का नेतृत्व बहुत कमजोर पड़ गया है। आज वह स्थिति नहीं रही जो पहले थी। शुरूआत में जो भी हुई थी। इस नेतृत्व को मजबूत बनाया जाना चाहिए ताकि यह हो।

मान्यवर, हमारा राजस्थान, आपका तिलम संघ एक किसानों की बहुत इंपोर्टेंट व्यवस्था है, तिलम संघ। आज उसकी चार यूनिट बिकने की तैयारी में है और जो नहीं बिकने की तैयारी में है, उनकी देख-भाल और जो बिकने की तैयारी है, उनको आप बेचने के बजाय उनको अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि झुन्झुनूं जिले की जो तिलम संघ है, वह दो-तीन साल से, मेरे ख्याल से चार साल से बंद पड़ी है। उसमें आपका करोड़ों रुपया लगा हुआ है। इतनी अच्छी मशीनरी उसके अन्दर वहां पड़ी हुई है। आप उसको रिवाइव करिये। रिवाइव नहीं करते हैं तो आप इसको लीज पर दे दीजिए लेकिन उस तिलम संघ को आप एकदम लिक्विडेशन में मत लाइये, ताकि किसानों को उसका लाभ हो। आज गंगानगर और मेड़ता दो तिलम संघ ही फायदे में चल रहे हैं, बाकी कमजोरी में हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत यह निवेदन करूंगा सहकारी मंत्री महोदय से कि सहकारी संस्थाओं में से इंस्पेक्टरों के राज को आप समाप्त करें। व्यवस्थापकों को जो आप मजबूर कर रहे हो, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन सहकारी जो बंधु जो हैं, उनकी कार्यकारिणी है, पदाधिकारी है, कार्यकारिणी के सदस्य है, उनका महत्व गांवों के अन्दर और सहकारी समिति के अन्दर है, वह मान्यवर होना चाहिए।

मान्यवर, 1948 के अन्दर सबसे पहले हमारे दस गांवों के अन्दर उपभोक्ता सहकारी भण्डार बने थे, जयपुर स्टेट के अन्दर। तो मैं दस गांवों के उपभोक्ता सहकारी भण्डार का उस वक्त अध्यक्ष बना था। तब मैं 22 साल का ही था। तो मेरा पूर्व अनुभव है कि उस वक्त कोई इंस्पेक्टरों का दखल नहीं था। इंस्पेक्टर थे, वे गाइडेंस के लिए थे, रजिस्ट्रेशन था गाइडेंस का। हम एनुअल मीटिंग करते थे तो उसमें वे आते थे। वे नहीं आते थे तो हम जो करके लाते थे उसका इन्डोर्स कर देते थे। इतना कोन्फिडेंस उनका था। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने के लिए को-ऑपरेटर्स हैं, उनके महत्व को आप बढ़ाइये। व्यवस्थापकों को अपनी जगह पर रखिये और इन्पेक्टर शासन है, उसको कम कीजिये। उनकी गाइडेंस रहनी चाहिए। सुपरविजन उनका हो लेकिन इस

(श्री रामनारायण चौधरी)

तरह का सुपरविजन नहीं हो कि सारा शिकंजा ही सहकारी संस्थाओं पर नौकरशाही का हो जाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राधेश्याम गंगानगर।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नागरिक आपूर्ति और को–ऑपरेटिव की मांग पर मैं मंत्रियों को अपने कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सम्माननीय नागरिक आपूर्ति मंत्री जी, वार्डों में जो उचित मूल्य की दुकानें खुलती हैं, सारे राजस्थान की यह समस्या है कि वार्ड नम्बर 14 में जो दुकान होनी चाहिये, वह जाकर 18 नम्बर वार्ड में खुलती है। 14 नम्बर वार्ड वाला आदमी चलकर 18 नम्बर वार्ड में जाता है। यह बड़ी भारी समस्या है। इसका आप पूरी तरह अध्ययन करवाकर और इसे सुचारू रूप से लागू करवाएं कि जिस गांव के अन्दर डिपो देना है, वह उसी गांव में होना चाहिए, न कि चौथे–पांचवें गांव में अपना सामान लेने के लिए गरीब आदमी जाए या शहर का जो वार्ड हो, एक वार्ड का आदमी दो किलोमीटर चलकर दूसरी जगह से सामान खरीदे।

इसी तरह नये राशन कार्डों की बात पहले भी आयी है। श्रीगंगानगर में तो नये राशन कार्ड बने हुए तैयार पड़े हैं। न जाने किस कारण से वह वितरित नहीं हो रहे हैं। कृपया आप उनकी पूर्ण व्यवस्था कराएं। बहुत ही ज्यादा राशन कार्ड की जरूरत पड़ती है और इससे गरीब लोगों को बड़ी भारी परेशानी हो रही है। काफी दिनों से बने हुए राशन कार्ड वितरित नहीं हुए। यहां से कोई स्टे किया हुआ है। पूर्व सरकार ने स्टे लगा रखा है। उस स्टे को देखकर समाप्त करके वह कार्ड वितरित कराये जाएं।

जो आपके पेट्रोल पम्प हैं सारे राजस्थान में, उनमें मिट्टी का तेल मिलाकर सारे प्रदेश में प्रदूषण फैलाया जाता है। मिट्टी का तेल मिलाने से मोटर गाड़ियों, स्कूटर्स, टू–व्हीलर्स में बड़ी भारी परेशानी होती है। समय-समय पर अगर इनकी चैकिंग होती रहे और इनके ऊपर अंकुश रहे तो मेरे ख्याल में इसमें काफी सुधार हो सकता है।

इसी तरह गंगानगर के अन्दर होलसेल भण्डार हैं उनमें जो गैस वितरित होती है, वहां पर हजारों कनेक्शन फर्जी दूसरी जगह से सी. बी. छपवा ली और वह काट काटकर देते हैं। इसकी भी जांच होना अति-आवश्यक है। उसको रोकना चाहिये। एक–एक व्यक्ति से गैस कनेक्शन के पांच-पांच हजार रुपये लेते है और वहीं अपनी किताब छपी हुई है और वह जाकर उसको मान लेता है और उसको जारी कर देता है और जो सही उपभोक्ता है वह बेचारा मारा मारा दर-दर की ठोकरें खाता है। एक गैस कमीशन की कीमत की जगह वह दुगुने–तिगुने वसूल करते हैं। इन चीजों पर आप पूरी तरह निगरानी रखिये और इसकी मात्रा भी बढ़ाइये। सारे राजस्थान में राशन की जो मात्रा है, वह गरीब आदमी के लिये बहुत कम है। चाहे वह चीनी हो, चाहे मिट्टी का तेल हो, चाहे गेहूं हो, चावल हो, जो भी चीजें आप सप्लाई

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

करते हैं, उनकी मात्रा बहुत कम है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस कार्य को पूरी तरह देखें। एक तो आपके चैकिंग सोर्स बहुत बढ़िया होने चाहिये और लोगों को यह डर होना चाहिये कि हम मिलावट करेंगे तो न जाने हमारे साथ क्या होगा।

लेवी का जब मामला आता है तो लेवी जिस वक्त वसूल की जाती है, उससे पहले ही वह लेवी खा जाते हैं और बाद में सिफारिश कराकर वह लोग छूट जाते हैं। जबकि गवर्नमेंट की एक ही जगह पर जो चीज निश्चित हुई है, वह पूरी समय पर पहुंचनी चाहिये, क्योंकि मार्केट में भाव ज्यादा होता है और वह लेवी पूरी नहीं दे पाता है। यह चीजें बहुत ही विचार करने वाली हैं।

उचित मूल्य की दुकानें अलॉट करते समय कम से कम इसमें बहुत पारदर्शिता आपको रखनी चाहिये और हमारे जन प्रतिनिधियों की भी इसमें भागीदारी होनी चाहिये, ताकि जो कुछ इंसपेक्टर राज या जो अधिकारियों के लेवल पर बातें हो जाती हैं, जिसकी जानकारी बाद में मिलती है, उसमें बहुत ही बड़ा घोटाला होता है। अतः इसको चैक करने की बात है।

लाइसेंस जारी किये जाने से पहले आपको पूरी तरह से इस बात की जानकारी होनी चाहिये। कई बार क्या होता है कि पैसे लेकर लाइसेंस देते हैं। कई बार लाइसेंस ऐसे व्यक्तियों को दे दिये जाते हैं जो कि खुद उसको चला ही नहीं पाते। ऐसी कई बार शिकायत आपको प्राप्त हुई होगी।

श्री रामकिशन वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) : एक-आध उदाहरण हो तो वह भी दे दो।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं यहां का उदाहरण नहीं, मैं तो पूर्व की बात कर रहा हूं। इसको सुधारने की बात कर रहा हूं। आपको अभी चार महीने ही हुए हैं आये हुए। सुधारने के लिये आप ऐसे कदम उठाओ जिससे हमारे लक्ष्य हैं, उनकी प्राप्ति हो और आपकी कीर्ति बने। मैं तो आपको अपने सुझाव दे रहा हूं।

(14.25 बजे)

(श्री रामनारायण चौधरी सभापति, पदासीन)

इसी तरह को-आपरेटिव, खासकर हमारे देहाती इलाके की जान है। को-आपरेटिव हमारे प्राण हैं। नेहरू जी ने ऐसे ही नहीं कहा था। पण्डित जवाहर लाल नेहरू तो बहुत बड़ी सोच थी। जैसा मेरे से पूर्व माननीय सदस्यों ने फरमाया, उन्होंने एक प्राइमरी स्कूल दिया, एक पंचायत बनवायी, साथ में एक को-आपरेटिव दिया उनकी सोच बहुत बढ़िया थी और दूरदृष्टि व्यक्ति थे। उनको यह मालूम था कि इसके माध्यम से हमारा गरीब किसान पनपेगा और भाईचारा बढ़ेगा, एकता बढ़ेगी। न्याय पंचायतें भी हुआ करती थीं। हमारा जो आज का को-आपरेटिव एक्ट है, वह बिलकुल लड़खड़ा गया है। यह बहुत पुराना एक्ट है। इसको सुधारने की बहुत आवश्यकता है।

इंसपेक्टर राज के बारे में मेरे से पूर्व

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

वक्ताओं ने कहा यह हमारी जो चुनाव प्रणाली है, मेरे ख्याल में इससे रद्दी चुनाव प्रणाली, जो को-आपरेटिव की है, वह शायद और किसी संस्था की नहीं है। इसको सुधारना बहुत ही जरूरी है। इसमें आप डीपली, इस एक्ट के अन्दर जाकर कोई सुधार करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। यह बहुत पुराना एक्ट बना हुआ है। हालांकि समय-समय पर कई बार सुधार भी हुए हैं, लेकिन माननीय मंत्री महोदय, आप बहुत सक्षम हैं और इस कार्य को पूरी तरह जानते हैं। बहुत अनुभवी हैं और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस को-आपरेटिव की जोत सारे राजस्थान में ऐसी जले कि गुजरात और महाराष्ट्र हमारे से पीछे रह जाएं। यह को-आपरेटिव गुजरात और महाराष्ट्र की स्टेटों को चलाकर इतने भारी प्रोफिट में हैं और को-आपरेटिव का वहां बहुत मान-सम्मान है। और हमारा यह को-आपरेटिव बिलकुल जैसे सबसे छोटी चीज होती है जबकि यह सबसे बड़ी चीज है, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि सहकारिता एक आन्दोलन है। सहकारिता को जितना हम बढ़ावा देंगे उससे हमारे आम, गरीब आदमी को, ढाणी और गांवों में बैठे आदमी को बहुत फायदा होगा। सहकारिता हर पंचायत हैडक्वार्टर पर नहीं बल्कि जो हमारी छोटी से छोटी इकाई है, वहां हमारी सहकारिता जरूर पनपनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। उससे ही हमें आगे जाकर बड़ी उन्नति मिलेगी। यह मेरा विश्वास है।

इसके साथ ही मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले दिनों एक घटना मंत्री महोदय के सामने भी आयी होगी कि गंगानगर के अन्दर श्रीगंगानगर सहकारी बैंक, जो राजस्थान में सबसे बड़ा बैंक है, सबसे ज्यादा हमारे किसानों को लाभ मिलता है सारे राजस्थान में। मैं यह नहीं कहता कि दूसरे बैंक कमजोर हैं। लेकिन नम्बर वन पर गोल्ड मेडलिस्ट अगर कोई बैंक है तो वह सहकारिता बैंक श्रीगंगानगर का है। उस बैंक के अन्दर ऐसी घटना घटी की 24 आदमियों ने 50–50 लाख, 60-60 लाख रुपये गबन कर लिये उस गबन को आठ-दस–पन्द्रह साल के बाद निकाला जाता है और उनसे पैसे भरवाकर जो लोग दोषी होते हैं, वह तो रिटायर हो गये, चले गये और जो दोषी नहीं थे उनके ऊपर दोष मढ़कर उनको सस्पैण्ड कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। अब उनसे वसूली हो रही है और उनके खिलाफ केस दर्ज हो रहे हैं। बड़ी विडम्बना है कि जो गुनहगार थे, वह तो बच गये और जो बेगुनाह हैं, वह फंसे हुए हैं। इसलिए, सभापति महोदय, मेरी आपके माध्यम से मंत्री महोदय को प्रार्थना है कि इस बात में आप पूरी जांच करवाकर इसको देखें।

राजस्थान के बैंकों में जहां पर आडिट करने आडिटर जाते हैं, वह आडिट सुचारू रूप से नहीं करते है समय पर, तो सबसे पहले उनके ऊपर पेनल्टी या कोई ऐसा दण्ड निश्चित होना चाहिए। जब इतनी बड़ी मात्रा में पैसा लगता है और वह दस साल बाद रिकवरी निकालें तो इसका मतलब आडिट का काम क्या है? आडिट वाले सोये थोड़े ही रहते हैं। उनकी

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

भी जवाबदेही आपको निश्चित करनी पड़ेगी। तब जाकर कहीं सुचारू रूप से कार्य चलेगा। हमारे यहां श्रीगंगानगर के अन्दर एक अरबन बैंक खुला 1982 में। बड़ी कमाल की बात है। बहुत अच्छा चला। सभापति महोदय, इतना बढ़िया चला, इतना विश्वास कायम किया उस बैंक ने, कि लोगों ने बहुत मात्रा में उसमें अपना पैसा जमा कराया। पैसा जमा इसलिए कराया। क्योंकि दूसरे बैंकों की अपेक्षा को–आपरेटिव बैंकों में आधा परसेंट ब्याज ज्यादा मिलता है। लोगों ने खूब एफ. डी. करायी और बैंक खूब चला। बैंक ने खुद भी खूब ऋण दिया लोगों को। उसमें जमा करवाने वाले लोग कौन थे, मोची, साइकिल रिक्शा चलाने वाले, धोबी, नाई, कोई विधवा औरतें बेसहारा लोग, कि आधा परसेंट ज्यादा मिलेगा। इस लालच से उन्होंने पैसा जमा कराया है। 1998 की बात है। 1996 और 1998 में वहां बी. जे. पी. के कुछ साथियों ने कब्जा कर लिया और उस बैंक के पांच करोड़ रुपये का गबन कर गये, खा गये। जब उन लोगों को झूठे नामों से ऋण दे दिया, अपने भाई–भतीजा, चाचा–ताऊ, अपना नौकर, अपना कोई रिश्तेदार और जब पांच करोड़ रुपया खुर्द–बुर्द की थोड़ी बहुत जानकारी पब्लिक को मिली तो जनता एकदम भागी। जब जनता पैसे लेने पहुंची तो दूसरे दिन ताला लग गया और श्रीमान् वहां से भाग गये। उसका कारण क्या बना? कारण यह बना कि को–आपरेटिव से उन्मुक्त करवा लिया जबकि इस चीज को उन्मुक्त नहीं करना चाहिए था। आज वहां पर सारे शहर के लोग दो–दो हजार की लाइन बना कर खड़े हुए हैं। रिजर्व बैंक को पता चला तो रिजर्व बैंक के साथी जयपुर से, मुम्बई से, दिल्ली से वहा पधारे, उन्होंने सारी स्थिति को देखा। देखने के बाद उन्होंने कहा कि यह कार्य तो किस तरह से हुआ, हमें खुद समझ में नहीं आता। अब रिजर्व बैंक के आदमी अगर यह कहें, कलेक्टर भी वहां मौजूद थे, हम मिले तो कहते हैं हम तो हैरान हैं कि इतना बड़ा गबन, इतनी बड़ी बात हुई कैसे? यह तो अब जांच का विषय है। आज हम एकदम किसी व्यक्ति के लिए कोई बात नहीं कह सकते, यह उन्होंने कहा। उसके बाद हमने गवर्नमेंट को बार-बार लिखा कि इसको उन्मुक्त क्यों किया गया? उन्होंने कहा कि यह इसी तरह के रूल हैं। वही मैं कह रहा था कि यह कानून गलत है कि हमारी सरकार से अलग होकर उन्होंने अपनी मनमानी की और जनता की नेक कमाई जो थी, आज विधवा औरतें आंखों में आंसू लेकर घूम रही हैं, बच्ची की शादी करनी है, पांच हजार जमा कराये थे कि पांच या छह साल बाद 10 हजार हो जायेंगे, तो पांच हजार ही नहीं मिल रहे। कुछ अरसा पांच–पांच सौ रुपये दिये वह भी बन्द कर दिये। उसके बाद वे हाई कोर्ट में गये। हाई कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी। हाई कोर्ट ने आमसभा का आदेश दिया। आम सभा हुई, उसके बाद गवर्नमेंट ने वहां प्रशासक नियुक्त किया। मैं गवर्नमेंट का आभारी हूं, मैं मंत्री महोदय का आभारी हूं। मैंने पिछली सरकार में भी यह बात कही थी लेकिन उस वक्त किसी ने नहीं मानी। गरीब लोगों का जो खून चूसा गया है क्या उस पैसे की जिम्मेदारी, हम लोगों को

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

पैसा देंगे इस बात का विश्वास हमें लोगों को देना चाहिए। लोग तरस रहे हैं, मर रहे हैं। रोज सैकड़ों की तादाद में वहां लाइन लगा कर खड़े होते हैं और दो बजे के बाद अपने घरों में चले जाते हैं। दोषी लोगों के खिलाफ क्या आपने कोई मुकदमा दर्ज करवाया? क्या दोषी लोगों को सजा होगी जिन्होंने करोड़ों का गबन किया है उस गबन को आप साबित करवा कर न्याय-पूर्वक उसकी जांच करवा कर दोषी लोगों को सजा दिलवाने की घोषणा करें। इसके अलावा लोगों का विश्वास लेने के लिए हमें यह भी करना चाहिए, लोगों को विश्वास तब होगा जब उनके पैसे वापस लौटेंगे। और मैं निश्चित तौर पर यह कह सकता हूं कि अगर एक दफे लोगों को यह मालूम हो गया कि उनका पैसा कहीं नहीं जा रहा, सही जगह है तो छह गुना, आठ गुना पैसे उसमें और ज्यादा जमा हो जायेंगे। यह मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि यह बहुत गम्भीर मामला है। श्रीगंगानगर की एक मिसाल नहीं, सारे राजस्थान में एक इस तरह का रिवाज बन जायेगा कि पांच-पांच करोड़ रुपया एक ही व्यक्ति अपने परिवार के नाम पहले खुद- अध्यक्ष, फिर उसकी बीवी अध्यक्ष, फिर उसका भाई अध्यक्ष। ऐसे एक ही परिवार में मैम्बर बना कर जो जनता के साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया है, इतना बड़ा धोका किया है ऐसे आदमी को डेमोक्रेसी में, रिवाज नहीं है नहीं तो उनको तो सड़क पर खड़ा कर के कोड़े मारने चाहिए। ऐसा जुल्म किया है उन्होंने गरीब, आम जनता के साथ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा। को–आपरेटिव बेस पर हमारे गजसिंहपुर क्षेत्र जो श्रीगंगानगर जिले में है, करणपुर कांस्टीट्यूएंसी में पड़ता है, उसके अन्दर आपका कॉम्प्लैक्स जो लगा हुआ था आज उसकी कोस्ट, आपकी बुक्स वैल्यू मेरे ख्याल से, मेरी जानकारी के हिसाब से 14 करोड़ रुपए के करीब है और उसको आज बन्द हुए 10–12 साल हो गये। उसके अन्दर से लोग सारी मशीनरी निकाल कर ले जा रहे हैं। वहां कोई किसी पर जिम्मेदारी नहीं है। वह अन्दर से इतना बड़ा कॉम्प्लैक्स था आज उसकी वैल्यू ना जाने कितनी होती, वह इतने साल से पड़ा है। पिछली बार को–आपरेटिव मंत्री जी ने उसका आक्शन करने की बात की। एक ही व्यक्ति को मिलजुल कर और अधिकारियों ने उसके साथ मिलीभगत कर दो–तीन करोड़ रुपए में इतना बड़ा, जब बुक्स वैल्यू हमारी इतनी बढ़ी है तो उसको चौथे हिस्से में बिके, आधे में बिके, एकदम ही दो या ढाई करोड़ में, जिसके साथ कम से कम 25 बीघा तो जमीन है जो करोड़ों रुपए की है और मशीनरी और उसके अन्दर पांच जनरेटर लगे हुए हैं, 25-25, 30-30 लाख के उसके अन्दर जनरेटर लगे हुए हैं, बहुत बड़ा सोल्वेंट प्लांट लगा हुआ है जिसकी बहुत बड़ी कीमत है। को–आपरेटिव का है वह। मंत्री महोदय, मैं आपकी तरफ ही इशारा कर रहा हूं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : बोलिये, मैं आपकी बात ध्यान से सुन रहा हूं।

श्री राधेश्याम गंगानगर : उसकी सार-संभाल के लिए एक बहुत बड़ी कोई उच्च

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

स्तरीय कमेटी बना कर उसकी जांच की जाय। उसका सामान जो गायब हुआ है, करोड़ों रुपये का सामान उससे निकल कर चला गया और चीज वहीं की वहीं पड़ी है।

अभी मेरे से पूर्व हमारे माननीय सदस्यों ने तिलम संघ के बारे में बात की। तिलम संघ उसी तरह से राजस्थान के अन्दर अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है जिसका आम किसान को बड़ा भारी लाभ होता है लेकिन उसके भी कानून–कायदे इस तरह के हैं कि डिपार्टमेंट के लोग, एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए अगर हमें 10 करोड़ की आवश्यकता है तो कम से कम पहले उसका स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए हम पांच–सात करोड़ रुपये तो यों लगा देते हैं। कमरे खराब हो रहे हैं। उसके अन्दर हमने दुनियाभर की ऐसी–ऐसी मशीनरी फिट कर दी जिसकी कोई आवश्यकता भी नहीं थी। इतने–इतने बड़े बना दिये स्टोर करने के लिए, सरसों का स्टोर करने के लिए एक करोड़ रुपये का उसका अलग से गोदाम बना दिया जबकि वहां पहले से स्टोर थे। इतना पैसा जाया हुआ है, यह भी एक जांच का विषय है। पूरी तरह जांच हो कि कितनी बिल्डिंग की जरूरत थी, कितनी मशीनरी की जरूरत थी? वर्थ है उसकी, इतना पैसा लग रहा है, कम से कम एक जनरेटर लगना चाहिए तो पांच–पांच जनरेटर लगे हुए हैं। चार खराब हो रहे हैं, ऐसे ही पड़े हैं। अगर उसमें चिमनी की जरूरत नहीं है तो वहां चिमनी लगी हुई है। तो ऐसी चीजें हैं जिससे कि घाटा बढ़ जाता है और हमारे कर्मचारी या अधिकारी हैं वो मौज कर रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं। मैं गंगानगर की सारे राजस्थान की बात करूंगा। अगर आप इसकी पूरी तरह से इंक्वायरी बिठायेंगे तो आपका एक भी तिलम संघ घाटे में नहीं रहेगा। लेकिन हमारी सुचारू रूप से इच्छा–शक्ति होनी चाहिए और हमारे कार्य करने वाले लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि यह पैसा, प्रदेश का पैसा गरीब किसान की जेब से एक–एक रुपया इकट्ठा कर के वो इस को-आपरेटिव में लगाता है। जो सेंटर से या स्टेट से पैसा मिलता है वह यह नहीं है कि उसको हम लुटा दें। हमें उसकी रक्षा करनी है। एक ट्रस्ट है, इसकी रक्षा करना हमारा धर्म है।

इसी तरह से आपका कॉटन कॉम्प्लैक्स है। कॉटन कॉम्प्लैक्स हनुमानगढ़ में भी है, श्रीगंगानगर में भी है, वह भी प्रोफिट में है लेकिन वह उससे चार गुना प्रोफिट और कर सकता है। इसमें डाउट नहीं है। मंत्री महोदय पूरी तरह से जैसे लगे हुए हैं, मेरे को मालूम है क्योंकि यह बहुत जागरुक हैं, जब मंत्री बने थे, बनते ही मेरे को कहने लगे कि मैंने गंगानगर का प्रोग्राम बना लिया है। कॉटन कॉम्प्लैक्स में जाकर देखें कि उनकी स्थिति किस तरह की है। तो ऐसा विचार इनका है, इसका मैं स्वागत करता हूं और को–आपरेटिव में हमें ज्यादा से ज्यादा सुधार कर पायें और यह सारे हिन्दुस्तान में एक मिसाल हो कि राजस्थान का को-आपरेटिव कहीं गुजरात या महाराष्ट्र से कम नहीं है। एक-एक किसान को एक–एक व्यक्ति को यह मालूम हो कि यह मेरी चीज है, मैं इसका मालिक हूं।

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

यह तब हो सकता है जब हम कर्मचारियों को और अधिकारियों को बैठकर शिक्षित करें, उनको यह बतायें कि यह प्रदेश का पैसा है, आप भी इसमें शामिल हो। लूट रहे हैं, ऐसे लूट मच रही है कि एक कहता है लूट लूं। दूसरा उसके पीछे लगा है, तीसरा उसके पीछे लगा है। भाई, इसका सब-कुछ उतार लो, नंगा कर दो। तो यह नीयत जब तक रहेगी तो को-ऑपरेटिव कहां से पनपेगी। यहां राजस्थान में को-ऑपरेटिव में ऐसी गुंजाइश है, अगर नेहरू जी ने ऐसे नहीं कहा था, इंदिराजी ने ऐसे नहीं सोचा था और हमारे नेताओं ने भी ऐसे नहीं सोचा था। प्रदेश के सुखाड़ियाजी चले गये, उनका भी यह सपना था कि पंचायती राज को-ऑपरेटिव राजस्थान में जितना पंचायती राज सफल हुआ था, लोग मिसाल दिया करते थे, थ्री-टायर सिस्टम था, अब उसका सत्यानाश करके रख दिया। इसी तरह से को-ऑपरेटिव को सुधारने के लिए हमें अपने आप तपना पड़ेगा, पूरी जान निछावर करनी पड़ेगी फिर आप इसका रिजल्ट देखना, गुलाब सिंह-जिंदाबाद, गुलाब सिंह जिंदाबाद होगी। लगा दो सारी ताकत। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : धोद से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, मैं आज की मांग संख्या 36-सहकारिता और 32-नागरिक आपूर्ति पर अपनी ओर से विचार करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सबसे पहले तो सहकारिता, जिसका मूल ध्येय यह था कि जो ग्रामीण जनता, किसान है उनकी जो ऋण की आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने का प्रमुख लक्ष्य सहकारिता बनाने का था। क्योंकि जो ग्रामीण राजस्थान के किसान और गरीब लोग हैं, उनको जो सूदखोर लोग हैं, बड़ी सूद की रेट लेकर उनके जीवन को लूटने का काम करते थे, उनसे बचाने के लिए सहकारिता आन्दोलन को आगे बढ़ाया गया। लेकिन आज 50 साल के बाद हम इसमें कितना कर पाये हैं क्योंकि जो ग्रामीण किसानों की ऋण की आवश्यकताएं आज भी 50 साल की आजादी के बाद, मात्र 47 प्रतिशत को-ऑपरेटिव और कामर्शियल जितने भी बैंक्स हैं, किसानों की ऋण की आवश्यकताओं को 47 प्रतिशत पूरे देश में कर पाये हैं। और मैं समझता हूं कि राजस्थान में तो इससे भी कम उसकी पूर्ति कर पाये हैं। और 53 प्रतिशत उनकी आवश्यकताएं आज भी उन सूदखोरों पर निर्भर है। जिनका सूद की रेट बैंक से कहीं चार गुना है, कहीं पांच गुना है। और केवल सूद ही नहीं सभापति महोदय, कई जगह तो यह है कि उनके सूद के साथ-साथ उनके ऋण के बदले में बेगार भी ली जाती है।

जहां तक राजस्थान की सहकारिता का सवाल है आज यह हालत है कि जहां ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पिछले साल जो ऋण की राशि रखी गयी थी ऋण सहकारी समितियों की तो पिछले साल से 20 प्रतिशत रख दी है और आप यह चाहें कि लोगों की आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। पिछले साल आपकी ऋण सहकारिता समितियों की ऋण का जो प्रोविजन था 1998-99 में, वह था 491]

(श्री अमराराम)

लाख रुपया और इस बार रखा आपने 1029 लाख रुपया। मात्र 20 प्रतिशत। इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि जो राजस्थान का सबसे गरीब है जिसको कामर्शियल बैंक ऋण नहीं देता। केवल मात्र को-ऑपरेटिव एक ऐसी संस्था है जिससे वह अपनी फसल के वक्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। यह आपने प्रोविजन जो 20 प्रतिशत का किया है, मैं समझता हूं यह राजस्थान के उन गरीब किसानों का सबसे बुरा हाल आपने किया है। जहां तक और दूसरे भण्डारण की हालत यही है। पिछले साल आपके ऋण में इसमें भण्डारण में था 352.50 लाख और इस साल आपने रखा है 27.51 लाख। सभापति महोदय, जब भी किसान की फसल आती है दोनों की फसल के टाइम में जब भी कटाई का वक्त आता है उसकी कीमत कभी आधी और आधी से भी कम रह जाती है। आप एक तरफ यह बयान देते हैं कि किसान अपनी उपज को सहकारी भण्डारण में रख दें और उसका 75 प्रतिशत लोन के रूप में ले लें और भाव जब ठीक हों बेच दें, और आप राशि का यह प्रोविजन करते हैं तो मैं समझता हूं कि केवल भाषण रह जायेगा। न किसान अपनी उपज रख पायेगा और न उचित मूल्य प्राप्त कर पायेगा और आज राजस्थान के किसानों के साथ सबसे बड़ी यह हालत हो रही है। आज सरसों और चना आने वाला है। सरसों आज से चार महीने पहले जब किसानों के पास थी, राजस्थान के व्यापारियों के पास थी, तब 2400-2500 रुपये क्विंटल थी और आज जब किसान निकाल कर लाया है, 1000 से नीचे सोयाबीन और सरसों बिक रही है। कोई खरीदने वाला नहीं। चना, जो 1800 रुपये क्विंटल था, आज चना आ रहा है अभी 900 रुपये क्विन्टल में कोई बाजार में लेने वाला नहीं। उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो राजस्थान के साथ न्याय नहीं करेंगे। जहां तक सहकारिता के मामले में जो गंगानगर पैटर्न पूरे राजस्थान में आपने लागू किया है, लेकिन अभी मैं सीकर का उदाहरण बता सकता हूं सहकारिता मंत्री जी को आपके माध्यम से, गंगानगर में यह व्यवस्था है कि कोई भी प्राथमिक सहकारी समिति में जो भी किसान अपना लोन चुका देगा, अपने आप खाते से ऋण लेने के लिए ऑथराइज होगा। लेकिन सीकर में और दूसरे बैंकों में आपने क्या रखा है। सोसाइटी की जब तक 60 प्रतिशत की रिकवरी नहीं होगी तब तक किसी भी सदस्य को लोन लेने का राइट नहीं होगा। तो जिसने चुका दिया उसको तो लेने का है। तो जब आवश्यकता होगी 60 प्रतिशत पूरी सोसाइटी का अगर लोन रिकवर नहीं होगा जब तक आप ऋण नहीं देंगे तो ऋण की आवश्यकताएं और समय तो निकल जायेगा। सभापति महोदय, उसके बाद आप लोन देंगे तो इसका कोई मतलब नहीं होगा जिस काम के लिए लेना चाहते हैं उसका कोई मकसद हल नहीं होगा। तो मैं समझता हूं कि यह व्यवस्था आपने जो गंगानगर पैटर्न की जो लागू की थी यह सही पैटर्न था। लेकिन पूरे राजस्थान में इस पैटर्न को पूर्ण रूप से आप लागू करेंगे, तब जाकर इसका फायदा मिल सकता है।

सभापति महोदय, दूसरा मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इन सहकारी समितियों का कुछ लोगों ने जो

(श्री अमराराम)

कब्जा कर रखा है। केवल अपने मुनाफे और अपने परिवार के लिए यूज करते हैं। मैं सीकर भूमि विकास बैंक का, जो पिछले सत्र में आपने देखा था, पूरे एक परिवार ने इस बैंक को अपने परिवार का बैंक समझ रखा है। कोई कानून कायदे सीकर की भूमि विकास बैंक में लागू नहीं होते हैं। करोड़ों रुपये हैं जो सीकर जिले के एक-एक किसान के विकास में लगने चाहिए। एक परिवार में न कानून कायदे ऋण के लिए हैं न उसमें प्रमोशन के हैं। सभापति महोदय, मेरे प्रश्न में कल ही सहकारिता मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि प्रमोशन के लिए 1985 में उन्होंने कमेटी बनायी। सीकर में एक भी कमेटी की मीटिंग नहीं हुई प्रमोशन के लिए। और वहां के चेयरमैन और सेक्रेटरी ने अपनी मनमर्जी से लोगों को प्रमोशन भी दे दिये। जो उनके उस काले कारनामों में शामिल थे, उनको तो प्रमोशन दे दिये और जो उनके काले कारनामों का विरोध करते है उनको प्रमोशन नहीं मिलता।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य को तो इसमें फायदा ही हुआ है। उनके काले कारनामों की वजह से ही आप वहां पर बिराजे हुए हो।

श्री अमराराम (धोद) : पारीकजी, मेरे को तो फायदा हुआ है लेकिन सीकर जिले के लाखों किसान, 16 लाख किसान जिन्होंने भूमि विकास बैंक और को-ऑपरेटिव बैंक की तरफ देख रहे हैं कि मेरे को इससे लोन मिलेगा। मैं मेरे खेत का विकास कर पाऊंगा, मेरे परिवार को कुछ पाल पाऊंगा, उनको जो नुकसान हुआ है पारीक जी। मैं समझता हूं पिछली सरकार से मिलकर उन्होंने किया है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि किसान, जिन्होंने आपको सात को, पारीक जी, चुनकर भेजा है, वे आशा करते हैं। पिछली तरह सहकारिता मंत्रीजी यहां खड़े होकर कह रहे थे

श्री वृद्धिचन्द जैन : यह विषय ऐसा है जिसकी जांच होनी चाहिए।

श्री अमराराम (धोद) : ... खड़े होकर कह रहे थे कि सब कुछ घोटाला हुआ है। उनके परिवार के फर्मों को एडवांस पेमेन्ट कर दिया गया लेकिन पूर्व सहकारिता मंत्री जी कह रहे थे कि मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि ऊपर वाले करना नहीं चाहते। तो मैं तो यही चाहता हूं कि जिस सीकर जिले के किसानों ने आपको सात को चुनकर भेजा है क्या अभी सहकारिता मंत्री जी हिम्मत जुटा पायेंगे कि वह गिरोह जो सीकर जिले के किसानों को लूटकर खा गया, उस बैंक के माध्यम से चाहे वह को-ऑपरेटिव बैंक हो, एक करोड़ रुपये का घोटाला धारा 70 में जांच में पाया गया लेकिन उच्च स्तर पर भी उस जांच को रफा-दफा कर दिया। उस बैंक के चेयरमैन ने नियम विरुद्ध नियुक्तियां करके ...

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, जांच अभी रफा-दफा नहीं हुई है। माननीय मंत्री महोदय, आप उस जांच के लिए आश्वस्त करेंगे कि तत्काल उसकी जांच दुबारा करवायी जायेगी।

श्री अमराराम (धोद) : मैं भी यही चाहता हूं। आप करवा दें और मंत्रीजी

(श्री अमराराम)

यह कर देंगे तो सीकर जिले के पूरे किसानों की ओर से बार-बार धन्यवाद दूंगा। लेकिन अगर पूर्व सहकारिता मंत्रीजी की तरह मंत्रीजी खड़े होकर यह कह देंगे तो फिर आप और मैं क्या कहेंगे ?

श्री राजेन्द्र पारीक : सहकारिता मंत्री जी जो पूर्व में थे वह तो भयभीत थे। वर्तमान सहकारिता मंत्रीजी को कोई भय नहीं है और पूरा न्याय करेंगे।

श्री अमराराम (धोद) : बिल्कुल न्याय करें। तो जो सहकारिता की मूल भावना है किसानों को इस बात के लिए यह बहुत बड़ा उन किसानों के लिए है जिनके लिए हम आगे ले जा सकते हैं।

आपने सदस्यता अभियान चलाया लेकिन मैं कह सकता हूं कि सीकर जिले में उन सहकारी समितियों के नाम दे सकता हूं जो आपके अभियान में एक जगह भी नहीं गये। एक सदस्य को मेम्बर नहीं बनाया। चाहे फागलवा सोसाइटी हो, चाहे सांगलिया सोसाइटी हो, चाहे जेरठी सोसाइटी हो और चाहे वह कूदन सोसाइटी हो। क्या हालत हुई ? सभापति महोदय, लोगों ने अपने पैसे लेकर जाकर बैंक में जमा कराये, आज तक वे सदस्य नहीं बने। सहकारिता का मतलब तो है एक सबके लिए और सब एक के लिए और हम सदस्य, आपने यहां से बहुत बढ़िया मंशा जाहिर की। जो भी सदस्य बनना चाहते हैं वे सहकारिता के मुख्यालय पर आकर मेम्बर बनें लेकिन कोई आपका अधिकारी नहीं जाए, जाये तो जिनके पास है उनके घर जाकर आ जाये। किसी को मेम्बर नहीं बनाया। तो मैं समझता हूं कि सहकारिता मंत्रीजी इस बात को कठोरता से लेंगे क्यों कि जब तक लोगों को इसमें शामिल नहीं करेंगे तो उसका फायदा न तो एक को मिलेगा और न सबको मिलेगा। केवल कुछ लोगों के हाथ में राजनीतिक हथियार के रूप में बनकर रह जायेगा। उसका जो लक्ष्य है वह किसी भी हालत में पूरा नहीं हो पायेगा। मैं यह चाहूंगा कि सहकारिता में जो मेम्बरशिप और उसके बाद जो चुनाव होते हैं,अब आप किस तरह से करा पायेंगे? लेकिन पहले तो हालत ही यह थी कि घर में बैठकर फार्म भरकर डिक्लेयर कर देते थे। आप इसमें सुधार करेंगे, सब लोगों को शामिल करेंगे तो यह सहकारिता जो सबसे निम्नतम, सबसे कमजोर वर्ग जो राजस्थान का ग्रामीण इलाका है उनके उत्पादन में, उनकी अर्निंग में उनकी परचेजिंग पावर में आप कर पाएगे जिससे राजस्थान का बहुत बड़ा ..

श्री हरजीराम बुरड़क : आपको शामिल नहीं करेंगे।

श्री अमराराम (धोद) : किसानों को शामिल कर लो, मेरे को जरूरत नहीं, मैंने तो कर दिया शामिल। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सहकारिता मंत्रीजी से इस पर विशेष ध्यान रखें।

श्री हरजीराम बुरड़क : को-ऑपरेटिव की कहां रहेगी जब आपकी पार्टी वाले शामिल जो जायेंगे तो सहकारिता कहां रहेगी।

श्री अमराराम (धोद) : सहकारिता केवल कांग्रेसियों की ही नहीं है। राजस्थान के किसानों की हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपके लिए तो माननीय सदस्य यूनियन है। सहकारिता से आपका क्या लेना-देना।

श्री अमराराम (धोद) : दूसरा, मैं जो सिविल आपूर्ति मन्त्री जी हैं, उनसे कुछ ही शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक : को-ऑपरेटिव पर तफसील से बयान करें आप।

श्री अमराराम (धोद) : दूसरा जो सिविल सप्लाई का है। सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार में तो हालत यह थी, जितना अलाटमैंट राशन का पिछले पांच साल में मिला था, उसका आधा बंटा। रिकार्ड में आधा तो उठाया ही नहीं गया। और आधा उठाया गया, उसमें से ज्यादातर ब्लैक हो गया क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार तो उन व्यापारियों का समर्थन करने वाली सरकार थी लेकिन आप तो गरीबों की बात करते हैं। क्या मैं यह मान लूं कि आने वाले समय में एक तो मंत्रीजी बतायेंगे अभी अपने बयान में कि कौनसी चौदह वस्तुएं हैं उनमें से राजस्थान की सरकार कितनी वस्तुएं एक-एक गांव और मोहल्ले तक पहुंचाने की व्यवस्था करेगी। आज सभापति महोदय, मात्र तीन वस्तुएं ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचती हैं और उनमें भी कितना फर्क है। गांव में चीनी जाएगी 200 और 250 ग्राम और शहर में मिलेगी आधा किलो।

श्री सभापति : यह तो बराबर ही है।

श्री अमराराम (धोद) : अब ढाई सौ ग्राम कर दी।

श्री सभापति : सब जगह बराबर है।

श्री अमराराम (धोद) : शहर में भी? आपने आधा किलो गांव में तो की नहीं है।

श्री सभापति : पूरे राजस्थान में बराबर मिलती है।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह पुरानी वाली कैसेट लगा दी आपने।

श्री सभापति : वह तो आपके जन्म से पहले की बात है।

श्री अमराराम (धोद) : पहले की है, अभी हो रहा है। जन्म से पहले की तो मैं कह नहीं सकता।

श्री सभापति : अब तो शहर और देहात का कोई फर्क नहीं है।

श्री अमराराम (धोद) : अब जो गांवों में दूसरे खाद्यान्न, चीनी और मुश्किल से कैरोसीन जो गांव के हिस्से का आता था उसमें पहले तो व्यवस्था यह थी कि शहर के अन्दर उसका डीलर होता था। गांव से बीस किलोमीटर से चलकर कोई 30 रुपये किराये का देकर शहर में पांच लीटर तेल लेने आता था। बिजली आपके मंत्रीजी की जाती नहीं, और तेल लेने आता था तो डीलर कहता था, पूरा खतम हो गया। 15 रुपये का पांच लीटर तेल था, बीस रुपये किराया और डीलर कहता था कि नहीं है। अब आपने सीकर शहर में तो व्यवस्था की है कि जो राशन डीलर है वह कैरोसीन लेकर जाएगा।

श्री हरिसिंह (महुवा) : एक हजार की आबादी पर एक डीलर नियुक्त कर दिया। एक हजार की आबादी पर एक डीलर

(श्री हरिसिंह)

अपाइन्ट कर दिया। अब कोई शहर नहीं जाना पड़ता है। गांव में ही है डीलर।

श्री सभापति : मंत्रीजी जवाब देंगे।

श्री अमरराम (धोद) : तो आप 14 वस्तुओं में कौन-कौनसी और किस मात्रा में पहुंचाते हैं? यह भी सुनिश्चित करें कि वह जितनी मात्रा में आप पहुंचा सकते हैं। इसमें यह हालत है सभापति महोदय, जितना पहुंचना चाहिए उसमें बहुत कम मात्रा में पहुंच पाता है और इसका कारण तो खुद यह सरकार बनने के बाद जो बयान दिया था सरकार ने कि राशन विक्रेताओं की हम चैकिंग करेंगे, तो राशन विक्रेता संघ ने यह एलान किया कि व्यापारियों की तरफ से हमें भी चैक किया गया तो हम इसका विरोध करेंगे। हम नहीं बांटेंगे और सरकार ने कह दिया हम आपकी चैकिंग नहीं करेंगे। इसका क्या मकसद है कि जिस आवश्यकता मंद लोगों के पास यह राशन पहुंचना चाहिए वह सही मात्रा में....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, किस आधार पर कहते हो कि कह दिया?

श्री अमरराम (धोद) : आपने यहां पिछले सत्र में कहा है।

श्री सभापति : चैकिंग नहीं करेंगे, ऐसा कह दिया?

श्री अमरराम (धोद) : सभापति महोदय, पूरे अखबारों में और यहां मंत्रीजी जब जवाब दें कि कहां-कहां उसके बाद चैकिंग हुई, तो मैं मान लूंगा कि कितना राशन उनको अलाट था और कितना पहुंचा और कितने राशन विक्रेताओं की चैकिंग की गयी, तो मैं मान जाऊंगा। तो सभापति महोदय, मेरा निवेदन इतना ही है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सबसे ज्यादा वह आवश्यक है जो खाते-पीते लोग हैं न राशन में गेहूं लेते हैं, न चीनी लेते हैं लेकिन जो आवश्यकतामंद हैं, जो रोज मजदूरी करके खाते हैं उनके लिए तो राशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि केन्द्रीय सरकार ने तो राशन की कीमत तो दूनी कर दी और मारुति कार की कीमत चालीस हजार रुपये सस्ती कर दी क्योंकि वाजपेयी जी को यह दिख रहा है कि पूरे हिन्दुस्तान में मारुति में चलने वाले 90 करोड़ लोग हैं। तो राशन की व्यवस्था जो महंगी की गयी है वह तो निंदनीय है क्योंकि वही एक सहारा है। जो मजदूरी करने वाले लोग है उनको राशन पूरा मिलेगा, ऐसी आप व्यवस्था करेंगे। आपने समय दिया उसके लिए मैं पुनः धन्यवाद देता हुआ मेरी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री हफीज मोहम्मद।

श्री हफीज मोहम्मद (मांडल) : माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 36 सहकारिता और मांग संख्या 32 नागरिक आपूर्ति के प्रस्तावों का समर्थन करता हूं। और साथ ही आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारिता गांवों के और कमजोर तबके के विकास के लिए बहुत आवश्यक हैं। जबसे आजादी के बाद हमने सहकारिता को प्रोत्साहित किया, तब से राज्य की गरीबी रेखा से ऊपर लोग उठे और हमने राज्य में खाद्यान्न के उत्पादन में काफी प्रगति की

(श्री हफीज मोहम्मद)

है। लेकिन पिछले कुछ सालों में सहकारिता का राज्य में बहुत नुकसान हुआ है और जगह-जगह पर भ्रष्टाचार और उन गरीब लोगों के नाम पर काफी रुपया बकाया रख कर उनकी जमीनों को नीलाम करने तक की नौबत आयी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जिन सहकारी समितियों में गरीब काश्तकारों के कर्जे नाम मांडकर फर्जी व्यवस्थापकों ने या और किसी एजेंसी ने उनको बर्बाद करने की साजिश की है, आप मेहरबानी करके उनके कर्जों को, उनकी जमीनों को नीलाम होने से रुकवाइयें और जिन लोगों ने यह बेइमानियां की हैं उनके खिलाफ आप सख्त कार्यवाही करें।

दूसरा मैं आपको बहुत-बहुत बधाई, धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस वर्ष के बजट में 200 करोड़ रुपया किसानों को सहकारिता के ऋण के लिए और 250 करोड़ रुपया भूमि विकास बैंक के माध्यम से किसानों का ऋण का प्रोविजन रखा। मैं आपसे निवेदन करूंगा अगर इसको आप थोड़ा और बढ़ा दें तो किसान को इस महंगाई के जमाने में खाद, बीज और उसकी दवाई के लिए और ज्यादा अधिक सुविधा देने में सक्षम होंगे। क्योंकि आज राजस्थान में जो गरीब लोग हैं, जो हमेशा अपनी खून गाढ़ी मेहनत करके कमाते थे, बोहरा जी और गांव के साहूकार उनसे ले जाया करते थे। ब्याज के नाम पर, बाड़ी के नाम पर उनसे वसूल किया करते थे। लेकिन जब से गांवों में सहकारी समिति की स्थापना हुई है और गरीब किसान को समय पर खाद और बीज मिलने लगा है, तब से गरीब काश्तकार उन बोहरों के चंगुल से निकल कर के अपने पैरों पर भी खड़े होने में सक्षम हुआ है। लेकिन आज उसको फर्जी कर्जे के नाम पर जो सुविधाएं मिला करती थीं सहकारी विभाग की समिति से, वह बन्द हो गयी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा इस सारे मामले को कृपया आप दिखवाएं और उस गरीब के लिए, जिसके लिए आपने सहकारी समिति का निर्माण किया उसका लाभ उसको मिले, मेरी यह आपसे प्रार्थना है।

दूसरा, सहकारी समितियों की जो आमदनी है उससे अधिक उसके व्यवस्थापकों की तनख्वाहों के नाम पर वह लोग वहां से उठा लेते हैं। पिछली कांग्रेस सरकार ने व्यवस्थापकों को राज्य की सेवाओं में लेकर उनको तनख्वाह देने का निर्णय लिया था जिससे सहकारी समिति के मुनाफे में नुकसान नहीं पड़े, और किसान को उसका मुनाफा समय पर मिल जाए। लेकिन पिछले आठ-नौ सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज में आयी, तब से उस निर्णय को बदल दिया गया और आज सारी की सारी व्यवस्थापकों की तनख्वाह, उसकी जिम्मेदारी सहकारी समिति पर आने से सहकारी समिति की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गयी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सहकारिता उस गरीब और कमजोर तबके को ऊपर उठाने के लिए जो एक माध्यम है, उसको सुविधा देने के लिए, वहां के व्यवस्थापकों को तनख्वाह अगर विभाग देता है तो समिति पर आर्थिक भार नहीं पड़ेगा। यह मेरा आपसे अनुरोध है। साथ ही समय पर खाद और बीज समिति कई बार इसलिए नहीं ला सकती

(श्री हफीज मोहम्मद)

कि बहुत सारी समितियों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है । बहुत सारे कर्जे से दबी हुई

(15.00 बजे)

है और उसका कारण यह है कि आये दिन राजस्थान में किसी इलाके में बाढ़, किसी इलाके में अकाल की स्थिति बनती है और किसान समय पर अपने कर्जों को नहीं चुका सकता है । मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर उस गरीब किसान का ज्यादा हित करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए आवश्यक होगा कि हम गरीब काश्तकारों की बीमा योजना को लागू करें। ताकि प्राकृतिक आपदाओं में जब वह कमजोर पड़ जाता है, उसकी फसल खराब हो जाती है और आर्थिक संकट में आ जाता है तो कम से कम उसका लिया हुआ जो कर्जा है वह उस बीमा की स्कीम से अदा कर देगा और उसका एक तरह से खाता लगातार उस सोसाइटी में बना रहेगा । मेरा आपसे एक और निवेदन है कि जिस तरह से सरकार ने, पंचायतें जो पहले बहुत बड़ी हुआ करती थी उन पंचायतों को छोटी करके निर्धारित संख्या पर पंचायतें बनाने का निर्णय लिया है, आप गरीब किसान, पिछड़े वर्ग को अधिक सुविधा देने के लिए प्रत्येक पंचायत हैड क्वार्टर पर एक सहकारी समिति का निर्माण करायें जिससे वहां के लोग भली प्रकार उस सहकारी समिति से समय-समय पर खाद, बीज और अन्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकें । जैसा मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी इस बात को दोहराया था कि 2–3 पंचायतों पर एक सहकारी समिति होने पर काफी लम्बा फासला होने से कई बार हमारे किसान वहां से सामान लाने में महरूम रहते है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री महोदय का इस ओर ध्यान दिलाकर, जहां हमारी अपनी पंचायत है उस पंचायत हैडक्वार्टर पर यह सारी सुविधाएं सहकारी समिति के निर्माण की दिलायें और जितना भी सामान जो आज सहकारी समिति के माध्यम से बिकता है उसके लिए बैंक की क्रेडिट की और आवश्यकता पड़ती है तो उसकी लिमिट को बढ़ाया जाये और हर तरह से उसको सुविधा देकर काश्तकार को समय पर खाद और बीज मिल जाये, इस बात की सहकारी विभाग को बराबर देखभाल करनी चाहिए । कई बार समिति वाले इसलिए हाथ खड़े कर देते हैं कि किसान को खाद और बीज की आवश्यकता होती है लेकिन पैसे के अभाव में, उनकी क्रेडिट पूरी हो जाने के अभाव में वह वहां पर खाद और बीज समय पर नहीं ला सकते और किसान को दर-दर भटकना पड़ता है । पिछले 8 सालों में आपने और हमने देखा कि पिछली सरकार ने समय पर किसान के लिए खाद और बीज का इन्तजाम नहीं किया । सहकारी समितियां समय पर खाद और बीज नहीं ला सकी तो ब्लैक में लेने के लिए किसान इधर-उधर दर-दर भटकता रहा और डी.ए.पी. खाद, यूरिया खाद फिर दुगनी कीमत पर लाकर उसने अपनी आवश्यकता की पूर्ति की । इसलिए आज किसान का शोषण रोकने के के लिए, किसान को आर्थिक दृष्टि से सहयोग देने के लिए सहकारी समितियों को आप सुदृढ़ करें और जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने काफी अपने विचारों में

(श्री हफीज मोहम्मद)

अभिव्यक्ति की है कि किसान माल पैदा करके जब मण्डी में आता है तो बहुत अधिक उत्पादन के बाद उसके माल के भाव गिर जाते हैं, माननीय कृषि मंत्रीजी ने कहा था कि हमने कृषि विभाग के माध्यम से, सहकारी विभाग के माध्यम से 75 प्रतिशत किसान की उपज का मण्डी के भाव के आधार पर उसको भुगतान कर देंगे। मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि एक किसान अपने गांव से जिला हैडक्वार्टर पर अगर उसकी जिन्स को लेकर आयेगा और फिर उसको जो समय और जो किराया भाड़ा लगेगा वह उसके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। जगह-जगह सहकारी समितियों के अनाज के गोदाम बने हुए हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि किसान की उपज का तोल सहकारी समिति के हैडक्वार्टर पर किया जाये और उसके बाद उसको गोदाम में सुरक्षित रख कर 75 प्रतिशत कीमत का भुगतान उसको कर दिया जाये। यही नहीं, किसान की खेती के अलावा अपनी रोजमर्रा की जिन्दगी में ब्याह में, शादी में, जन्म में, मरण में रुपयों की जरूरत पड़ती हैं और अगर खाद और बीज सहकारी समिति के माध्यम से मिल भी जाये और दूसरे खर्चों के लिए फिर उसको बोहरों के पास जाना पड़े तो वह बोहरे उसकी सारी कसर निकाल कर उसको बहुत महंगे ब्याज पर वह रकम देते हैं। आपके इस क्रेडिट कार्ड का मैं बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह क्रेडिट कार्ड हमारे गरीब किसान, पिछड़े व कमजोर वर्गों के लिए एक वरदान साबित होगा और इसके माध्यम से अपनी जरूरत की, रोजमर्रा की आवश्यक चीजें इस कार्ड के माध्यम से सहकारिता के गोदाम से वह ले आयेगा। लेकिन आज सवाल यह है कि सहकारी समितियों के गोदाम खाली पड़े हैं, न वहां खाने-पीने की चीजें समय पर मिलती है, न उसकी रोजमर्रा की चीजें वहां के गोदामों में मिलती है। इसलिए जब तक सहकारी समितियों को आर्थिक दृष्टि से, मंत्री महोदय, आपका विभाग और बैंक सुदृढ़ नहीं करेंगे तब तक उस किसान को जो हमारी और आपकी मंशा है आगे लाने के लिए, वह नहीं ला पायेंगे और यही कारण है कि पिछली सरकार ने हमारे जितने भी राजस्थान में को-ऑपरेटिव बैंक है, आज बोर्ड भंग है उनके कई सालों से चुनाव नहीं हुए। को-ऑपरेटिव बैंक के अलावा जो दूसरे राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनसे कर्जा लेना किसान के लिए आसान नहीं है; कई बार मारा-मारा फिरने के बाद भी वहां के मैनेजर यह सोचते हैं कि यह मेरी अपनी पूंजी है, मेरे अपने बाप का धन है। उस गरीब के जूते पड़ा देंगे लेकिन उसको कई सिफारिशों के बाद भी, डी.आर.डी.ए. और कलक्टर की सिफारिशों के बाद भी उसको कर्जा वह नहीं देते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सहकारी समितियों के, हमारे को-ऑपरेटिव बैंक के, भूमि विकास बैंकों के समय पर चुनाव होने चाहिए जिससे जन-प्रतिनिधि अपने मतदाता अपने ग्रामीण भाई को याद रखते हुए उसको समय पर ऋण देने की सुविधा उपलब्ध कराने में सहयोगी होंगे। इसके साथ ही जब तक सहकारिता विभाग अपना दायित्व ईमानदारी से उस कमजोर वर्ग को आगे लाने के लिए निभाता

(श्री हफीज मोहम्मद)

रहेगा तो मैं समझता हूं सदियों से पिछड़ा जो गरीब तबका है इस सहकारी विभाग के माध्यम से अपनी आर्थिक कमजोरी को दूर करने में सक्षम हो पायेगा। लेकिन मेरे पूर्व वक्ताओं ने पहले भी कहा कि आज देश में कोई भी मालदार लोग, सम्पन्न परिवार के लोग, ऊंचे लोग आज कमजोर वर्ग के लोगों को आसानी से ऊपर आते हुए देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए हर जगह उसके लिए बाधाएं उत्पन्न करते हैं, इसके लिए परेशानियां उत्पन्न करते हैं। आज बैंकों में सहकारी समितियों में ऐसे लोग चुनकर आते हैं जिनका गरीब से कोई लेना-देना नहीं होता है। इसके बारे में तो मैं अपना और अपने सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि जब सहकारिता के चुनाव हो हमें अपने उन साथियों को सहकारिता समितियों और बैंकों में लाने की कोशिश करें जो गरीब तबके के हों, कमजोर तबके के हों और गरीब के प्रति हमदर्दी रखते हों तो मैं समझता हूं उस बैंक का और सहकारी समिति का लाभ जो हम देना चाहते हैं, उनको मिल पायेगा। इसी क्रम में मैं हमारे नागरिक आपूर्ति मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने, चाहे वह भारत सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, देश में और राज्य में इतनी कमर तोड़ महंगाई बढ़ाई कि देश का आम नागरिक और राज्य का नागरिक चिल्ला उठा था लेकिन मैं इस नई सरकार को, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि सरकार बनने के बाद महंगाई पर काफी कन्ट्रोल आया है। जो चीजें आसमान छूती थी आज वह आसानी से हमारे गरीब-कमजोर लोगों को मिलने लग गई है। लेकिन मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी बहुत पुराने राशन कार्ड पर गांवों में चीनी वितरित होती है। वह लोगों को बराबर नहीं मिलती है। नये राशन कार्ड होने चाहिए। अब आबादी हमारी बहुत बढ़ी है। पिछले दो-चार-पांच सालों में उस आबादी के अनुपात से नये राशन कार्ड के हिसाब से चीनी का, गेहूं का, केरोसीन तेल का बंटवारा किया जाये जिससे हमारा गरीब व्यक्ति भी उसको ला सके। और खास तौर से मैं अपने भीलवाड़ा जिले में और अपने निर्वाचन क्षेत्र मांडल के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर भयंकर अकाल है। ऐसा अकाल है कि न पीने के लिए पानी है, न खाने के लिए उनके पास एक दाना अनाज का है और न उनके मवेशी के लिए घास की कोई व्यवस्था है। ऐसी स्थिति में अगर सरकार समय पर हमारे लोगों को खाने का राशन बराबर भेजती रहेगी तो गरीब आदमी कन्ट्रोल की दुकान पर जाकर अपने खाने के लिए राशन ला सकेगा। लेकिन मुझे कहते हुए दुःख है कि दो-दो महीने तक राशन वहां पर नहीं पहुंचता है किन्हीं कारणों से, लेकिन मैं आपके माध्यम से, सभापति महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर गेहूं नहीं बिकता है वहां पर आप गेहूं भेजते हैं और जहां पर गेहूं की, अनाज की आवश्यकता बनी रहती है वहां पर आप कम भेजते हैं। तो वहां का कोटा बढ़ा कर, खास तौर से अकाल प्रभावित क्षेत्रों में समय पर अनाज पहुंचे, इस बात की आप व्यवस्था करें ताकि गरीबों को महंगा अनाज नहीं लेना पड़े। भारत सर-

(श्री हफीज मोहम्मद)

कार के नागरिक आपूर्ति विभाग ने राशन का गेहूं भी महंगा कर दिया। इस मौके पर मैं सदन के मार्फत भारत सरकार के इस निर्णय की निन्दा करना चाहूंगा कि हमेशा से गेहूं, कोई भी पार्टी की सरकार रही हो, राशन की चीज बाजार के मुकाबले हमेशा सस्ती मिला करती थी, लेकिन इन्होंने तो गेहूं को बराबर की स्थिति में ला करके रख दिया है इसलिए राशन के गेहूं के भाव कम किये जाएं जिससे गरीब, कमजोर तबके के आदमी अपना राशन खरीद सकें।

जहां तक मिलावट का प्रश्न है, माननीय मंत्री महोदय, आप अपने विभाग में थोड़ी-सी सतर्कता बरतेंगे तो मैं समझता हू यह 8 साल में जो आयी हुई बीमारियां हैं, खराबियां हैं, उनको दूर करने में आप कामयाब होंगे।

मैं इस मौके पर सहकारी मंत्री महोदय और नागरिक आपूर्ति मंत्री महोदय, ने जो अपनी मांगें रखी हैं उनको पास करने पर अपना समर्थन करते हुए इनको धन्यवाद देता हूं। जय हिन्द।

श्री समापति : दौसा से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री नन्दलाल (दौसा) : माननीय समापति महोदय, आज सहकारिता एवं खाद्य आपूर्ति की मांग पर बहस चल रही है। मैं कुछ मांग करने से पहले आपके माध्यम से कुछ कहना चाहता हूं।

हमारे दौसा जिले को बशर्ते 1991 में जिला घोषित किया गया और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का कोपभाजन दौसा जिले की जनता को बनना पड़ा। इन्होंने जिला तो बना दिया मगर जिला बनाने के बाद जो वहां पर मूलभूत आवश्यकताओं की चीजें हैं उसकी ओर कभी भी भा.ज.पा. का, पिछली सरकार का, निवर्तमान सरकार का ध्यान नहीं गया।

मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि कांग्रेस ने अपने चुनावी मेनीफेस्टो के अन्दर यह कहा था कि हम संवेदनशील और पारदर्शी सरकार देंगे। हमारी दौसा जिले की जनता पहले ही कोप का भाजन बनी हुई है तो वह कैसे विश्वास करे कि आप पारदर्शी एवं संवेदनशील सरकार देंगे। तो समापति महोदय, मेरी माननीय मंत्री महोदय से मांग है कि हमारे जिला मुख्यालय पर एक जो अभी केन्द्रीय सहकारी बैंक चल रहा है वह जयपुर के अन्दर ही है और हमारे दौसा जिले के व्यक्तियों को जयपुर में आना पड़ता है बैंक से, कोई भी सुविधा लेने के लिए, या लोन प्राप्त करने लिए तो उनको बहुत ही असुविधा होती है और रोज-रोज यहां आना सम्भव भी नहीं है जयपुर के अन्दर। तो मेरी आपके माध्यम से मांग है कि हमारे दौसा के अन्दर केंद्रीय सहकारी बैंक जिला मुख्यालय दौसा पर खोल दिया जाए।

ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव सन् 1991 से अब तक नहीं हुए हैं जो कि 94 में होना तय थे। मगर बी.जे.पी. की सरकार ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया कि चुनाव समय पर कराये जाएं और ग्राम जो ग्रामीण व्यक्ति है, जो उससे ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित होता है, उनको राहत दिलायी जाए। क्योंकि भा.ज.पा. की सर-

(श्री नन्दलाल)

कार इस काम के लिए सक्षम नहीं थी, वह तो अपना टाइम पूरा कर रही थी। जनता ने उनको उनका जवाब देकर वापस 33 के ऊपर लाकर रख दिया है और कांग्रेस को इतना एकतरफा बहुमत दे करके, समर्थन देकर अपनी आशाओं के अनुरूप यह उम्मीद करती है कि कांग्रेस की जो सरकार है वह आम व्यक्ति का, गरीब आदमी का और जरूरतमंद व्यक्ति का बहुत ही ध्यान रखेगी।

मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि चुनाव जितने जल्दी हो जाएं बहुत ही अच्छा है। क्योंकि मृत प्रायः पड़ी सहकारी समितियों को पुनर्जीवित किये जाने की आवश्यकता है और इन सहकारी समितियों के अन्दर जो इंस्पेक्टर राज कायम है वह इंस्पेक्टर राज के ऊपर मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी आपके माध्यम से निवेदन किया है कि इसके ऊपर अंकुश लगाना बहुत ही जरूरी है। इंस्पेक्टर राज एक ऐसा राज है जिसको पूर्णरूपेण समाप्त ही नहीं किया जा सकता, मगर उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। तो इस पर अंकुश लगाने के लिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूंगा कि जिला मुख्यालय पर जिला भूमि विकास बैंक की अगर आप घोषणा कर दें, उसको खोल दें तो हमारे दौसा के अन्दर किसानों को बहुत ज्यादा लाभ होगा। दौसा क्षेत्र की जनता, पूरे जिले की जनता इस कांग्रेस गवर्नमेंट को, मैं आपको एक और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि दौसा के अन्दर पहले ही दौसा जिले की जनता ने बी. जे. पी. का सफाया कर दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मगर आप यह खोल देंगे तो अगले 20 वर्षों तक दौसा जिले के अन्दर तो बी.जे.पी. का खाता तो नहीं खुलेगा। मै आपको दौसा जिले की जनता की तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि अगले 20 वर्ष तक हम बी.जे.पी. का खाता नहीं खुलने देंगे आप इसकी अगर आज ही घोषणा कर देंगे तो। (व्यवधान) कर देंगे मंत्रीजी, यह बाद की बात है।

मैं इसके अलावा एक अतिरिक्त शाखा भूमि विकास बैंक की लालसोट में खोले जाने के लिए भी आपसे निवेदन करता हूं। अगर आप इसको खोल देंगे तो हमारे दौसा और लालसोट क्षेत्र के किसानों को बहुत लाभदायक सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने दिनांक 29 जनवरी, 1999 को जो सहकारी किसान कार्य योजना की शुरूआत की है, वह बहुत ही सराहनीय है और इसका सीधा-सीधा लाभ किसानों को होने जाएगा। इसके लिए आप राजस्थान के हर किसान को जोड़े जाने की ऐसी माकूल व्यवस्था करायें जिससे कि आम किसान और गरीब व्यक्ति को इसका लाभ मिले।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और निवेदन करना चाहूंगा कि ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियां अगर खोल दी जाती हैं तो इससे सीधे-सीधे ग्राम पंचायतों के अन्दर लाभ होगा। ग्राम पंचायतों से जिला हैडक्वार्टर पर आने के लिए किसानों को, गरीब आदमी को, जरूरतमंद को आवश्यकता महसूस नहीं होगी और यह सारी की सारी सुविधाएं ग्राम पंचायतों पर ही उपलब्ध हो जाएंगी।

(श्री नन्दलाल)

खाद्य मंत्रीजी से भी मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे कि खाद्य सामग्री है गेहूं, चीनी, खाद, बीज, डी.ए.पी. और जो भी कोई आवश्यक खाद्य वस्तु है उनको भी सहकारी समिति के माध्यम से अगर बंटवा दिया जाए तो वह भी बहुत ही लाभदायक रहेगा। पिछली सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि प्राइवेट आदमियों को, अपने व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिये जगह–जगह ऐसी व्यवस्था कर रखी थी। उससे क्या है कि व्यक्ति को इतनी परेशानी होती थी कि पंचायत मुख्यालय पर तो वह लोग अपनी सुविधा के हिसाब से दो किमी., तीन किमी. चलकर खोल दे लेकिन आम आदमी को इतना चलकर अपनी खाद्य आपूर्ति की आवश्यकता की चीजें देने में बड़ी दिक्कत महसूस हुआ करती थी और हमेशा से वाद-विवाद बना रहा करता था कि इधर नहीं खुलनी चाहिये। उधर नहीं खुलनी चाहये, और एक तनाव सा यहां पंचायत समिति के अन्दर हमेशा चलता था। उनको अगर सहकारी समितियों के माध्यम से ही बंटवाने की व्यवस्था हो जाए तो उसके अन्दर बहुत अच्छा सुधार हो सकता है।

मैं आपके माध्यम से यह भी मांग करता हूं कि सभी सहकारी समितियों में एस.टी., एस.सी. के किसानों को ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाया जाए और उनको प्रोत्साहित किया जाए कि वह सदस्य बनें। ऐसा कुछ आप प्रावधान लावें, ऐसा कुछ बनावें जिससे कि इनको ज्यादा लाभ मिले और इस प्रकार अपनी ज्यादा से ज्यादा विश्वसनीयता रखें और उसमें विश्वास करें।

मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सभी पंचायतों की सहकारी समितियों में वर्षा से पूर्व ही खाद एवं बीज की मात्रा निर्धारित कर उपलब्ध करायी जावे जिससे कि वह किसान अपने टाइम से खाद और बीज ले ले और अपने समय से पूर्व फसल की बुवाई का काम करे, उसका लाभ उसको मिल जाए।

मेरा आपके माध्यम से सहकारिता मंत्री जी से निवेदन है कि सहकारी समितियों के द्वारा सरकार के द्वारा समर्थित मूल्य निश्चित कर बाजार में बिकने वाले उस मूल्य से कम पर बाजार में फसल बिक रही है तो स्थानीय स्तर पर, किसानों की उपज की स्थानीय स्तर पर समर्थित मूल्य में बेचने की व्यवस्था हो जाए तो उससे भी किसानों को बहुत ही लाभ मिलेगा।

जिस तरह से पंचायत राज के चुनावों की यह हालत है, तो मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है मंत्री महोदय कि अलग से चुनाव आयोग की व्यवस्था अगर की जाए सहकारी समिति के चुनाव के लिये, जिस तरह से कि पंचायतों के करें तो वह समय पर पूरे भी हो जाएंगे और हमारी आवश्यकता भी पूरी हो जाती है।

माननीय मंत्री महोदय, मैं समझता हूं कि भा. ज. पा. ने तो जिला देकर हमारे साथ कुठाराघात किया, कुठाराघात इस हिसाब से किया कि हमारे जिले की मूलभूत जरूरत की आवश्यकताएं ऐसी थी जिसकी उन्होंने पूर्ति नहीं करी।

मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य

(श्री नन्दलाल)

मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे जिला मुख्यालय को जिला अस्पताल के लिए एक करोड़ रुपया दिया और हमें यह विश्वास दिलाया कि अब तक आपके साथ जो भेदभाव जिले के अन्दर हो रहा था वह नहीं होगा। मैं यह विश्वास करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय आज हमें बैंक देंगे, सहकारी बैंक की घोषणा करके हमारे जिले के साथ न्याय करेंगे।

सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री मांगीलाल डांगा।

श्री मांगीलाल डांगा (मेड़ता) : सभापति महोदय, राजस्थान कृषि प्रधान राज्य है और बड़े छोटे-छोटे गांवों में बसा हुआ प्रान्त है। आज सहकारिता और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की अनुदान मांगों पर विचार हो रहा है। मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सहकारिता मंत्री जी का हार्दिक अभिनन्दन करता हूं कि सहकारिता मंत्री जी ने इस सहकारिता आंदोलन को आगे बढ़ाने और उसको मजबूत करने की इच्छा-शक्ति दिखायी है और इस आंदोलन को गति देने का सोच रखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से सहकारिता विभाग का प्रतिवेदन है, सहकारिता विभाग के प्रतिवेदन में प्रस्ताव किया गया है कि 1999-2000 के लिए हमारे ग्रामीण काश्तकारों के लिए कृषि फसली ऋण एक हजार करोड़ रुपये के उपलब्ध कराये जायें। मैं वित्त मंत्री जी का भी स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि बजट भाषण में वित्त मंत्रीजी ने 900 करोड़ रुपये अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था दर्शायी है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से सहकारिता मंत्री जी से यह भी निवेदन करूंगा की इस फसली ऋण राशि को जो सहकारिता विभाग के प्रतिवेदन में है उसके अनुसार ही बजट के अन्दर व्यवस्था कराने की कृपा करिये। सहकारिता सिद्धान्तों में मुख्य सिद्धान्त है ऐच्छिक सदस्यता और लोकतांत्रिक प्रबन्ध। इस सम्बन्ध में हमारी पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जो भी अधिनियम में परिवर्तन किये गये, किसी भी दृष्टिकोण से उनका औचित्य नहीं है।

सभापति महोदय, उनके सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, एक सहकारिता अधिनियम में संशोधन किया गया और संस्था के अध्यक्ष को ही मत देने का प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया और उसी तरह से दूसरा जो सहकारिता अधिनियम की धारा 34(1) है उसमें यह व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति एक शीर्ष संस्था और एक केन्द्रीय संस्था का, दोनों का एक साथ अध्यक्ष नहीं रह सकता है। यह अधिनियम की धारा 23 का विरोधाभास प्रकट करता है। इस धारा को विलोपित किया जाये।

दूसरा धारा 37(7क) में एक प्रावधान किया गया था कि कोई भी सदस्य जो संस्था का सदस्य है, लगातार यदि उस

(श्री मांगीलाल डांगा)

संस्था के संचालक मंडल में दो बार रह जाता है तो आगे वह नहीं बना रहेगा। मान्यवर, यह अधिकार इस अधिनियम में नहीं होना चाहिए। यह अधिकार उन सदस्यों को होना चाहिए जो उसके अंशधारी हैं। जो उसके सदस्य हैं वह दो बार में ही नहीं यदि वह उचित नहीं समझते हैं यदि उनकी सेवा लेने के उपयुक्त नहीं समझते हैं तो पहली बार ही चुनाव करके उनको बदल दें। यह प्रावधान अधिनियम में नहीं होकर के उनके हाथों में होना चाहिए। यह तो सहकारी संस्था है चाहे गांव की हो, चाहे प्रदेश स्तर की हो और चाहे जिला स्तर की हो।

माननीय सभापति महोदय, इस सदन में जो दो टर्म में मिली जुली सरकार थी, 200 सीटों में चुनाव हुए थे उनमें भी जनता ने दो टर्म में बदल दिया। बहुत ही अल्पमत में ला दिया। यह अधिकार तो सिर्फ उनके पास होना चाहिए सदस्यों के और मतदाताओं के पास में, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है इसको आप तुरन्त विलोपित करायें और यह अधिकार उन्हीं के हाथ में रखें।

तीसरा यह परिवर्तन किया कि धारा 34(7ख) बहुत हास्यास्पद है कि कोई भी सहकारी संस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति कहीं प्रधान बन जाता है, कहीं यदि वह जिला प्रमुख बन जाता है, विधान सभा का सदस्य बन जाता है तो लोक सभा का अध्यक्ष बन जाता है उसकी निर्योग्यता हो जायेगी, सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का सदस्य ही नहीं बन सकेगा। मैं तो समझता हूं कि इसके पीछे भावना यह थी कि जो सहकारिता से जुड़ा हुआ, जो सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए जो सहकारिता के सदस्य हैं यदि कहीं भी वह चुनें जायें तो वह इस आंदोलन से हमेशा के लिए कट जावें। इसी दुर्भावना के साथ अधिनियम के अन्दर प्रावधान लाये गये। इसको तुरन्त विलोपित किया जाना चाहिए और संशोधन को हटाना चाहिए।

मान्यवर, धारा 35 में संशोधन करके प्रावधान किया गया। धारा 35 में पहले से व्यवस्था है कि यदि राज्य सरकार किसी भी सहकारी संस्था को ऋण की गारंटी देगी या उसकी हिस्सा पूंजी में अंशदान करेगी तो उसमें तीन संचालक राज्य सरकार मनोनीत करेगी, वन थर्ड या अधिक से अधिक तीन संचालक राज्य सरकार मनोनीत करेगी। बिलकुल सही है, मैं समर्थन करता हूं कि राज्य सरकार ने पूंजी लगायी है और हमारे साथ में यदि वन थर्ड संचालक उनके होते हैं तो कोई आपत्ति नहीं थी। उनके साथ एक धारा 35(क), 35(ख) जोड़ी गयी और उस धारा में यह प्रावधान किया गया कि किसी भी सहकारी संस्था को राजस्थान सरकार दो लाख रुपये हिस्सा पूंजी के अंशदान कर देगी तो उसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सहायक कार्यकारी अधिकारी राजस्थान सरकार नियुक्त करेगी।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है आपके माध्यम से सहकारिता मंत्री जी से कि सहकारी संस्था चाहे आप क्रय-विक्रय सहकारी समिति को ही ले लीजिये, उस सहकारी संस्था में दो लाख रुपये का तो हिस्सा पूंजी का अंशदान दिया और उस सहकारी संस्था में मुख्य कार्यकारी अधि-

(श्री मांगीलाल डांगा)

कारी लगाया। चाहे वह हमारा सहकारी विभाग के संयुक्त रजिस्ट्रार के समान पद का हो, चाहे सहायक रजिस्ट्रार या और कई डिप्टी रजिस्ट्रार भी हैं और कई तो वरिष्ठ निरीक्षक भी हैं। मान्यवर, यह दो लाख रुपये की हिस्सा पूंजी उनकी दो साल की तनख्वाह में खत्म हो जाती है। यह हिस्सा पूंजी तो खत्म हो जाती है और संस्था का दो लाख का लोस इसमें परिवर्तन हो जाता है और वह हिस्सा राशि तनख्वाह के अन्दर चली गयी। नाम मात्र के लिये यह हिस्सा राशि रखी जाती है।

दूसरा मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा कि धारा 35 को भी तुरन्त विलोपित किया जाना चाहिए। मेरा इसमें सुझाव है सरकार की पूंजी लगती है, नियन्त्रण रहना चाहिए परन्तु इस प्रावधान को तो इस तरह से परिवर्तन किया जाये कि कम से कम 51 प्रतिशत हिस्सा पूंजी जिस सहकारी संस्था में राज्य सरकार की लगे उसमें प्रमुख कार्यकारी की नियुक्ति संचालक मण्डल की सलाह से करे। किसी भी अधिकारी जिसको प्रतिनियुक्ति पर भेजते हैं। मैं उनके विरोध में नहीं हूं। सवाल यह है कि विभाग का अधिकारी, कोई भी अधिकारी सभी विषयों में दक्ष नहीं हो सकता। सभी तरह से व्यवसाय में दक्ष नहीं हो सकता। हमारे सहकारी विभाग के किसी अधिकारी की रुचि हो सकती है विपणन व्यवस्था में, किसी की होती है मार्केटिंग में, किसी की होती है उपभोक्ता में, किसी की हो सकती है बैंकिंग में, जो बैंकिंग में जाना चाहता है उनको हम लगा देते हैं मार्केटिंग में और जो मार्केटिंग में अनुभवी है उनको लगा देते हैं हम बैंकों में तो दोनों संस्थाओं में उनकी सेवाओं का लाभ नहीं मिल सकता है और संस्था को जो गति मिलनी चाहिए वह गति नहीं मिल सकती है। इसलिए जब भी प्रतिनियुक्ति हो, आने वाले अधिकारी जिसको सरकार भेजती है और जो संस्था का संचालक मण्डल है उन दोनों की सहमति उसमें आवश्यक होनी चाहिए ताकि वह अपना मन लगाकर के काम करे। संचालक मण्डल में उनके साथ सामंजस्य हो और वह संस्था को बढ़ाये।

एक प्रावधान किया गया 36(1ख) बड़ा हास्यास्पद कि जब भी सहकारी संस्था का संचालक मंडल जो निर्वाचित है उसका कार्यकाल खत्म हो जायेगा। तो प्रशासक लगा दिया जायेगा। सभापति महोदय, अधिनियम चुनाव कराने का अधिकार हमारे रजिस्ट्रार महोदय के पास और सरकार जब यह जोड़ रही थी, सरकार ने जब यह संशोधन किया, सीधे यह निर्देश दे सकती थी कि चुनाव समय पर करायें। इस धारा की जरूरत नहीं पड़ती। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है सहकारी आंदोलन संस्था के जो मुख्य उद्देश्य हैं कि उनका प्रबन्ध लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए और उनके सदस्यों के द्वारा चुने हुए संचालक मण्डल ही उसका प्रबन्ध करें। इसकी जगह इस धारा को हटाकर ऐसी व्यवस्था की जाये कि इस संस्था के चुनाव कार्यकाल खत्म होने से पहले करवा दिये जायेंगे और कोई भी ऐसी व्यवस्था संस्था में नहीं आये कि चुने हुए संचालक मण्डल की जगह एक अधिकारी, जो सदस्यों की भावना के विपरीत प्रशासक लगे। मैं इसमें भी आपको उदाहरण देना चाहूंगा। आज हमारे राजस्थान के जितने भी बैंक है और

(श्री मांगीलाल डांगा)

जितनी भी शीर्ष संस्थाएं हैं उनमें आई. ए. एस. अधिकारी को प्रशासक सरकार ने बना रखा है। मैं उनका विरोध नहीं करता। मैं मानता हूं कि बहुत ही अनुभवी, बहुत अच्छे कार्य करने वाले हैं। जिला कलक्टर, जिनके पास इतने काम होते हैं, जिले की पेयजल व्यवस्था देखना, जिले की प्रशासन व्यवस्था देखना, उन प्रशासक महोदय के पास सदस्यों से मिल-कर, बातचीत कर, उनकी बात सुनने का समय है? चाहते हुए भी वह इस बैंक के प्रबन्धन को सही ढंग से नहीं कर सकते, चाहे जितना भी चाहे। ऐसी स्थिति में शीर्ष संस्थाएं, हमारे शासन सचिव, हमारे रजिस्ट्रार और अतिरिक्त रजिस्ट्रार महोदय, जिनको प्रशासक लगा रखा है, आप गह-राई से मनन कीजिए इस पर कि विभाग जो राजस्थान भर का कार्य, भारत सरकार के साथ समन्वय रखना, सारे राजस्थान की सहकारी संस्थाओं को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराना, उनका मार्गदर्शन करना, उसके बाद क्या हमारे रजिस्ट्रार शीर्ष संस्था के प्रशासक हैं, उसके डे-टू-डे के कार्यों में मार्ग दर्शन कर सकेंगे? सम्भव ही नहीं है, इसलिए यह प्रावधान हटाकर व्यवस्था होनी चाहिए कि चुने हुए संचालक मण्डल के हाथ में हमेशा यह कारोबार रहे। मैं आलोचना नहीं करता जो सही स्थिति है, लेकिन उसके साथ-साथ जो अच्छे हैं उनकी प्रशंसा भी करता हूं। पूर्ववर्ती सरकार ने एक इच्छा-शक्ति दिखाई थी कि धारा 39 के तहत यह आदेश जारी जारी किया कि जिन संस्थाओं को न तो राज्य सरकार ने गारंटी दी हैं और न जिन संस्थाओं में राज्य सर-कार की कोई हिस्सा पूंजी है, उनको लोक स्वावलम्बी संस्था में परिवर्तित कर दिया जायेगा, यदि वह संस्था चाहे तो अपने उप नियमों में संशोधन करके लोक स्वावलम्बी संस्था बन सकती है, यह अच्छा कदम है, मैं इसकी सराहना करता हूं परन्तु इसके लिए हमारे जो ग्रामीण किसान, मजदूर हैं, अनुसूचित जाति के भाई हैं, उनमें इसका प्रचार-प्रसार और उनको इससे जोड़ने के लिए एक तरफ से उन्हें जागृत बनाना पड़ेगा। जहां जागृत होकर किसान अपनी इच्छा-शक्ति से ऐसी संस्था चला रहे हैं, बहुत बढ़िया संस्था चला रहे हैं। अतः आदेश को अधिनियम की धाराओं में जोड़ें।

हमारे मंत्रीजी ऋणों की व्यवस्था के साथ एक बहुत अच्छी व्यवस्था करने जा रहे हैं, सहकारी किसान कार्ड, यह बहुत अच्छी व्यवस्था है, सहकारी किसान कार्ड में उसके जिन्सों के लिए उसे ऋण मिले, मध्यावधि ऋण के लिए उसमें व्यवस्था हो, उसके साथ-साथ यह भी व्यवस्था होनी चाहिए कि जब वह अपनी फसल वेयर हाउस में या क्रय-विक्रय सहकारी समिति के गोदाम में या ग्राम सेवा सहकारी समिति के गोदाम में रखे तो उसके बाजार मूल्य के 75 प्रतिशत के अनुपात में उसको पैसा मिल जाए ताकि ग्राम सेवा सहकारी समिति से उसने जो ऋण लिया है, उस 75 प्रति-शत से वह उसका ऋण चुका देगा। अभी मेरे पूर्व वक्ता ने भी यह निवेदन किया था कि 60 प्रतिशत से संस्था की वसूली नहीं होती है, तब ऋण नहीं मिलता, ऐसी पद्धति है कि जिस किसान ने ऋण चुका दिया है उसे ऋण नहीं मिलेगा। हमें यह व्यवस्था करनी चाहिए कि जिस किसान ने समय पर

(श्री मांगीलाल डांगा)

ऋण चुका दिया है, वह आकर के तुरन्त अपना ऋण ले ले जब भी वह नई फसल के लिए तैयारी करना चाहता है, फसली ऋण के साथ-साथ यह भी व्यवस्था होनी चाहिए कि इस किसान कार्ड के मार्फत वह अपने दैनिक-सामाजिक खर्चे के लिए भी उस सहकारी संस्था के माध्यम से ऋण ले सके ताकि उसे दूसरा दरवाजा नहीं देखना पड़े, इससे उसमें आत्म ज्ञान जागेगा, वह जागृत होगा, उसमें विश्वास जागेगा हमारी सहकारिता में, जब तक सहकारिता में विश्वास नहीं होगा तब तक सहकारी आंदोलन को हम सफल नहीं बना सकते इसलिए आवश्यक है कि जितने भी ऋण हैं वह सिंगल डोर से दिलाये जाएं ताकि हमारे किसान खुशहाल हों, यदि किसान खुशहाल होंगे तो राजस्थान अपने आप खुशहाल होगा।

किसान को सुविधा दिलाने के लिए ऋण के साथ-साथ कृषि विपणन कड़ी भी मजबूत होनी चाहिए। उदारीकरण की व्यवस्था में कुछ लोग सोच रहे हैं कि सहकारिता उसमें निभेगी नहीं। मेरी यह स्पष्ट सोच है कि उदारीकरण में विदेशी बैंक भी आएंगे, हमारे यहां के बैंक भी आगे बढ़ेंगे परन्तु कोई भी बैंक हमारे किसान की सब्जी के लिए ऋण उपलब्ध करवाने, फल उत्पादन के लिए ऋण उपलब्ध करवाने, फसल के अगेंस्ट ऋण देने, गांव में जाकर हमारे बुनकर को ऋण देने में राष्ट्रीयकृत बैंक, बाहर के विदेशी बैंक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। कहने का आधार एक ही है कि हमारी सहकारिता व्यवस्था मजबूत हो।

विपणन की व्यवस्था करने के लिए हम देख रहे हैं, यह कटु सत्य है, राजफैड में जब चुनाव हुआ संचालक मण्डल था तो मैं उसका अध्यक्ष था। गांव-गांव में, मण्डी-मण्डी में जाकर हम किसानों से मिलते थे, जिस दिन भी, जिस मण्डी में भी हमारे राजफैड और नैफैड के प्रतिनिधि पहुंचते, उस दिन उस मण्डी में 50 रुपये से 100 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बढ़ते। हम चाहते हैं कि सहकारिता की जो स्थिति है, हमारे पास जो वित्तीय स्थिति है, हमारे पास जो रिसोंसेज हैं, किसानों की सारी की सारी उपज हम नहीं खरीद सकते परन्तु हमारे पहुंचते ही, उस दिन किसानों की जेब में करोड़ों रुपये आ जाते।

सभापति महोदय, कल जब कृषि और विपणन की मांग पर चर्चा चल रही थी, मैंने आसन के माध्यम से सम्बन्धित मंत्रियों से निवेदन किया था कि सहकारिता और कृषि एक सिक्के के दो पहलू हैं और जिस तरह से कृषि विपणन विकास का पैसा सड़कों में लग रहा है, मैंने निवेदन किया था कि इस तरह का एक कोष बनाया जाए, राजफैड जो हमारी शीर्ष संस्था है, उसके माध्यम से जब भी फसल खरीदते हैं, उस कोष से धन उपलब्ध करवाया जाए और उसको कृषि उपज खरीद में काम लिया जाए। एक मैंने और निवेदन किया था कि कृषि विभाग को चाहिए कि वह विपणन खर्च, राजफैड जो हमारी शीर्ष संस्था है, इसको रिवाल्विंग फण्ड के लिए धन उपलब्ध कराए। डी. ए. पी. के लिए किसान हमेशा मारा-मारा फिरता है, ब्लैक में लेता है और ब्लैक में लेने के बावजूद उसे नकली खाद का भी शिकार होना पड़ता है और आने वाली फसल के लिए वह लुट जाता

(श्री मांगीलाल डांगा)

है। हमारे प्रांत में डी. ए. पी. की बहुत कमी है और आने वाले वर्ष में 6 लाख टन डी.ए.पी. की आवश्यकता पड़ेगी, हमें इस 6 लाख टन डी. ए पी. की सहकारिता के माध्यम से व्यवस्था करनी चाहिए। हमारी जो राष्ट्रीय कृषि संस्था है, इण्डियन फार्मर एण्ड फर्टिलाइजर को-आपरेटिव, वह राजस्थान में 1 लाख से सवा लाख टन डी.ए.पी. उपलब्ध करवाएगी। उसके लिए भी हमें प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। बाकी अन्य जितनी भी इकाइयां डी. ए. पी. का उत्पादन करती है, राजफैड को उसमें आगे आना चाहिए और सम्पूर्ण व्यवस्था करनी चाहिए, स्टोरेज की व्यवस्था करनी चाहिए, उसके लिए राजफैड व्यवस्था करता है, उसके लिए यदि बैंक से धन, स्टोरेज और ब्याज जो कि विक्रय तक लगता है, उसमें अनुदान के रूप में राशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी चाहिए। राज्य सरकार अनुदान कोष से जितनी सहायता उपलब्ध करवाएगी, उससे ज्यादा राजस्व सरकार को मिलेगा, उससे उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन पर जो टैक्स मिलेगा, चुंगी मिलेगी, वह देने वाले अनुदान से ज्यादा होगी।

सभापति महोदय, मेरे सामने सहकारी विभाग का प्रतिवेदन है, जिसमें राजस्थान सहकारी विकास बैंक, अपेक्स बैंक, स्पिन फैड, राजफैड को प्रोफिट में बताया गया है। जब मैं राजफैड के अध्यक्ष पद से मुक्त हुआ तो राजफैड को 12 करोड़ रुपये के लाभ में छोड़ा था, मुझे आज खुशी है कि राजफैड उसी पथ पर अग्रसर है और आज भी वह प्रोफिट में है। उपभोक्ता संघ भी प्रोफिट में है, सहकारी मुद्रणालय भी प्रोफिट में है। मैं इन प्रोफिट के आंकड़ों में न जाकर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि तिलम संघ नुकसान में क्यों गया? तिलम संघ की ईकाइयों को बंद करने से पहले विचारणीय विषय यह है कि क्या कारण थे कि तिलम संघ को नुकसान हुआ। यदि हम 100 करोड़ रुपये के नुकसान के डर से कि 100 करोड़ रुपए कहां से लाएंगे, यदि बन्द कर दिया तो किसान हर साल 100 करोड़ रुपए से लुटेगा। मेरा सुझाव है कि जितनी भी अलग-अलग ईकाइयां हैं, आप उनका अलग–अलग जिला लेवल पर संघ बनाकर, पूर्व में जो घाटा है उसके लिए पूल बनाकर, अपने पास रिजर्व रखें और उनको चलाने का मौका दें। यदि हमने जल्दबाजी में निर्णय करके इसको बन्द कर दिया तो किसान का बहुत बड़ा नुकसान होगा।

मेरा निवेदन है (व्यवधान) मेड़ता के लिए तिलम संघ प्लांट को नागौर वाले चलायेंगे। सभापति महोदय, सहकारी तंत्र, सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए इसकी जो नींव की संस्था है, उनको मजबूत करना बहुत आवश्यक है, हमने यह करके देखा है, राजफैड में जब निर्वाचित संचालक मण्डल था, उस समय मेरे कार्यकाल में हमने सबसे ज्यादा क्रय-विक्रय सहकारी समितियों की ओर ध्यान दिया। हमने एक उद्देश्य बनाया कि हमारी अगर क्रय-विक्रय सहकारी समितियां मजबूत होती तो राजफैड अपने आप मजबूत होगा और यही हुआ कि वह संस्था मजबूत हुई।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत शासन मंत्री) : आपका कार्यकाल क्या था?

श्री मांगीलाल डांगा : 1992 से 1995 और पूरा का पूरा संचालक मण्डल कांग्रेसी था ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैंने इनको कई पत्र लिखे थे, इनके कार्यकाल में, इन्होंने एक का भी उत्तर नहीं दिया ।

श्री मांगीलाल डांगा : मेरे पास सहकारिता से जुड़े जितने भी पत्र आए उन सब का जवाब मैंने दिया है ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, भाषण समाप्त कीजिए ।

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय, इनका भाषण ही समाप्त हो गया तो फिर बाकी क्या रह जाएगा ? इसलिए इनका भाषण तो जारी रहना चाहिए । आप तो यह आशीर्वाद दें कि भाषण जारी रखें ।

श्री सभापति : दूसरे माननीय सदस्य प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह कहें कि विराम दें, समाप्त नहीं करें ।

श्री मांगीलाल डांगा : सभापति महोदय, आज हमारी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों का मामला कई वर्षों से विचाराधीन चल रहा है जबसे केडर अथोरिटि भंग हो गई । माननीय मंत्री महोदय के पास सिर्फ चार माह से यह मामला आया और आप इनको शीघ्र निपटाने के लिए त्वरित गति से रुचि लें रहे हैं । मेरा निवेदन है कि इसके लिए भी आप किसी तरह की व्यवस्था करें । बैठकर बात करें, जो सहकारिता से जुड़े हुए हैं, उन सहकारी बन्धुओं से बात करें, और सरकार में लेकर एक ऐसा आधार बनायें कि चाहे सहकारी संस्था का कर्मचारी रखे, बैंक का कर्मचारी रखे, परन्तु यदि सहकारी संस्था का रखें तो उन्हें समुचित वेतन और उनकी सर्विस की गारण्टी की व्यवस्था हो । इस तरह के नियम बनें ।

सभापति महोदय, मैं खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सरकार संवेदनशील, पारदर्शी, और उत्तरदायी सरकार है । आज की वितरण व्यवस्था हैं उस वितरण व्यवस्था में हमें उन अधिकारियों की जवाबदारी देनी होगी कि आज जब भी हमारे, चाहे वह नियंत्रित वस्तुओं की दुकान हो या पेट्रोल पम्प हो, चाहे खाद्यान्न हो उनके लिए हमारे जो निरीक्षक हैं उनका काम सिर्फ शिकायत पर उनका निरीक्षण करना नहीं होना चाहिए । उनका उत्तरदायित्व हो कि वहां की व्यवस्था समुचित रहे । यदि व्यवस्था में किसी प्रकार की गड़बड़ आती है तो उनका दायित्व तो फिक्स किया जाना चाहिए । सभापति महोदय, खाद्य विभाग का दायित्व है कि, हमारा राजस्थान राज्य कृषि प्रधान राज्य है । और जब भी कृषि में जो खाद्यान्न के भाव नीचे आते हैं तो सहकारिता के जो उपभोक्ता संघ हैं, चाहे वो राजफैड हो, इनके माध्यम से खाद्यान्नों की खरीद करने के लिए एक भण्डारण की योजना लागू करनी चाहिए ताकि राजस्थान राज्य के स्तर पर भी एक खाद्य निगम की तरह जिस तरह पंजाब सरकार कर रही है उस तरह की व्यवस्था हो । ताकि आज अकाल की स्थिति में जब भी हमें खाद्यान्न की आवश्यकता पड़े तो हमारे उपभोक्ताओं को

(श्री मांगीलाल डांगा)

उपलब्ध करा सके और जब किसानों की फसल के भाव नीचे जाने लगे तो किसान को भी हम उचित मूल्य दे सकें ।

श्री सभापति : आपके पास बहुत भण्डार है ।

श्री मांगीलाल डांगा : सभापति महोदय आपने जो समय मुझे दिया उसके लिए आपका आभारी हूं । धन्यवाद, जयहिन्द ।

श्री सभापति : माननीय श्री जुगल काबरा । दो इधर से, एक इधर से । (व्यवधान) आप तो तीन मांग रहे हैं, मैंने व्यवस्था कर रखी है । दो इधर से, एक इधर से । (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) (मुख्य सचेतक) : स्वीकृत है आसन के द्वारा तीन इधर से, एक इधर से । (व्यवधान)

श्री सभापति : आप तीन ले लो लेकिन इससे मोनोटोनस हो जाएगा ।

श्री हरिसिंह (महुआ) (मुख्य सचेतक) : हम क्या करें, राजस्थान की जनता ने कर दिया । यह निर्णय उन्होंने किया है, हमारा तो कोई कसूर नहीं है । (व्यवधान)

श्री सभापति : आप तो इनका उत्साह बनाये रखिए (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) (मुख्य सचेतक) : आप चाहे जो करें, व्यवस्था इस ढंग की न दें (व्यवधान)

श्री सभापति : आपने तो व्यवस्था ऐसी कर रखी है शुरू में डिप्टी स्पीकर साहब ने भी ऐसा ही किया, दो को बुलाने के बाद एक को बुलाया था । मैं तो उनके पद चिन्हों पर चल रहा हूं ।

श्री हरिसिंह (महुआ) (मुख्य सचेतक) : कोई नहीं है इधर, सब गए । दिल्ली की कुर्सी के पाए हिल रहे हैं, उसको पकड़ने के लिए गए । कटारिया जी अकेले हैं यहां । (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हां, मैं अकेला हूं यहां । (व्यवधान)

श्री सभापति : आप जारी कीजिए साहब ।

श्री जुगल काबरा : माननीय सभापति महोदय, मैं आज सहकारिता तथा नागरिक आपूर्ति विभाग की मांगों के सम्बन्ध में अपने विचार रखने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, सबसे पहले मैं नागरिक आपूर्ति के बारे में बात कहना चाहूंगा । पूरे देश में और प्रदेश में व्यवस्थित नागरिक आपूर्ति के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रारम्भ किया गया और यह अपेक्षा की गई कि इस प्रणाली के माध्यम से हम सभी गरीब, मध्यम वर्ग के लोग, किसान, आदिवासी तथा अल्प वेतन भोगी नागरिकों को उचित दर पर आवश्यक जिंसों की आपूर्ति का प्रावधान करेंगे । यद्यपि प्रावधान किया गया था कि प्रमुख आवश्यक जिंसों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों से उपलब्ध कराया जावे, किन्तु मात्र चावल, गेहूं, चीनी तथा केरोसीन के अलावा कभी कभार मस्टर्ड ऑयल इस प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है । जबकि आव-

(श्री जुगल काबरा)

श्यकता इस बात की है कि जितनी भी आवश्यक जिंसें हैं, चाहे चाय, दालें, साबुन, कपड़ा तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुएं, इन सबको सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से हमें उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए था। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों पर यह जिम्मेदारी डाली है कि वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मानीटरिंग करे, आवश्यक जिंसों की उपलब्धि का प्रबन्ध करे जो जिंसें केन्द्र सरकार से उपलब्ध हो सकती हैं उन्हें मंगाए और जो जिंसें उपलब्ध नहीं हो रहीं है उनको लाने के लिए भी प्रयास करे। किन्तु खेदजनक स्थिति है कि पिछले वर्षों में कभी इस तरह का प्रयास नहीं हुआ कि आम उपभोक्ता को यह सारी वस्तुएं उपलब्ध कराई जाय।

मैं माननीय सभापति महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, जो कुछ भी वस्तुएं, आवश्यक सामान उचित मूल्य की दुकानों से उपलब्ध कराई जा रही हैं उनकी क्वालिटी के बारे में सभी जगह शिकायत रही है। एफ. सी. आई. द्वारा जो गेहूं उपलब्ध कराया जाता है कई मर्तबा उसके बारे में आम शिकायत रहती है। राशन की दुकानों पर सड़ा–गला गेहूं उपभोक्ताओं को मजबूरी में लेना पड़ता है, उसकी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। चीनी की क्वालिटी खराब होती है, कोई सुनवाई नहीं होती। अन्य सामान भी अगर गुणवत्ता की दृष्टि से खराब किस्म का है फिर भी सुनवाई नहीं होती है। यद्यपि खाद्य और आपूर्ति विभाग का यह दायित्व है कि इस वितरण प्रणाली पर समुचित निगरानी रखे, अंकुश रखे। किन्तु इस विभाग का जो दायित्व है, वह पूरी तरह से निर्वहन नहीं किया जा रहा है। मेरे साथी वक्ताओं ने अभी पूर्व में निवेदन किया था कि इंस्पेक्टर राज इस प्रणाली में पूरी तरह से हावी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर नौकरशाही का शिकजा कसा हुआ है, उसके दुष्परिणाम आम उपभोक्ताओं को भोगने पड़ रहे हैं। बड़ी मात्रा में सही तरीके का सामान उपभोक्ताओं को मिले, इस बात की समुचित व्यवस्था खाद्य विभाग द्वारा कभी भी नहीं की जाती, और शिकायत करने पर भी ऐसे वितरकों को या राशन की दुकान के विक्रेताओं को दण्डित करने के लिए पूरी मानसिकता के साथ में कार्यवाही नहीं की जाती है। गालियां निकाली जाती हैं उन्हें बेचने के लिए, जिसके कारण आम उपभोक्ता को परेशान होना पड़ता है।

मान्यवर अभी चर्चा चली थी राशन कार्ड के बारे में। राशन कार्डों के माध्यम से ये उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध करवाई जाती है किन्तु राशनकार्ड बने वर्ष निकल गये, राशन कार्ड गल गये उनमें कई परिवार के सदस्यों के नाम बढ़ गये किन्तु राशन कार्ड नये नहीं बन पाने के कारण, राशन कार्डों के अन्दर नये सदस्यों के नाम दर्ज नहीं होने के कारण से कई परेशानियां आम लोगों को उठानी पड़ रही हैं। मान्यवर, मैं निवेदन कहना चाहूंगा कि राशन कार्ड में परिवार के जितने लोगों के नाम दर्ज हैं उन सबकी मात्रा राशन कार्ड के आधार पर तय की जाती है, परिवार के सदस्यों के ऊपर नहीं। प्रति राशन कार्ड गेहूं की मात्रा तय होती है, शक्कर की मात्रा तय होती है किन्तु परिवार में

(श्री जुगल काबरा)

कितने सदस्य हैं जिनके नाम राशन कार्ड में दर्ज हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता और जो बड़े परिवार हैं उनको मजबूरी में बाजार में ऊंची कीमत पर खाद्य सामग्री खरीदनी पड़ती है जिसके लिए परेशान होना पड़ता है। किन्तु इसकी तरफ सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं आपके माध्यम से माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास करें।

आबादी जिस गति से बढ़ रही है वह सर्वविदित है। किन्तु राशन की मात्रा जो पिछले कई वर्षों से तय कर दी गयी है, वह की वह मात्रा आज उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा जो कोटा आवंटित किया गया है, मेरे ख्याल से वह कोटा भी पिछले कई वर्षों से यथावत चल रहा है, उसमें भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। जिला रसद अधिकारियों को, जिला कलेक्टरों को राशन की मात्रा जिलेवार जो उपलब्ध करवाई जाती है उसका वे निर्धारण करके आवंटन कर देते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि हर व्यक्ति को राशन कार्ड के ऊपर राशन उपलब्ध नहीं होता। कहने को कह दिया जाता है कि 10 किलोग्राम गेहूं प्रति राशन कार्ड उपलब्ध करवा दिया जाएगा किन्तु वास्तविक स्थिति यह है कि राशन विक्रेता या उचित मूल्य की दुकान पर जितने राशन कार्ड उपलब्ध हैं उतनी मात्रा में गेहूं आवंटित नहीं किया जाता जिसके कारण जो लोग पहले पहुंच जाते हैं उन लोगों को तो राशन का गेहूं मिल जाता है किन्तु जिनके पास में धन की व्यवस्था नहीं होती, किसी कारण से सामान समय पर नहीं खरीद पाते हैं वे लोग बाद में राशन की दुकान पर पहुंचते हैं तो उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है और उन्हें कह दिया जाता है कि अगले महीने आइये तब आपको राशन मिलेगा। इस व्यवस्था में सुधार की नितांत आवश्यकता है।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली इसलिए लागू की गयी है कि गरीब, मध्यम वर्ग और अल्पवेतन भोगी लोगों को हम सहायता पहुंचायें। किन्तु उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और उसके कारण से उन्हें बड़ी तकलीफ और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो सामान उपलब्ध कराया जाना चाहिए उसके बारे में भी कोई नियम नहीं हैं। चीनी दो महीने, तीन महीने, चार-चार महीने तक कई क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं करवाई जाती है। कई शहरों के अन्दर तीन महीने पुरानी चीनी इस महीने में उपलब्ध करवाई जा रही है। मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें क्या तुक है। अगर तीन महीने की चीनी का अभाव है तो उस तीन महीने की चीनी को एक साथ उपलब्ध करवाकर आगे से कम से कम नियमित रूप से चीनी उपलब्ध करवाये जाने की व्यवस्था करवानी चाहिए, किन्तु उस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया।

ग्रामीणों क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में कहने को तो कहा जाता है कि समान तरीके से सामान वितरण किया जाता है, किन्तु हकीकत, मान्यवर, अगर आप क्षेत्र में जाकर देखेंगे तो बहुत

(श्री जुगल काबरा)

अन्तर है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामान पहुंचता नहीं है। जो वितरक नियुक्त किये गये हैं वे ऊपर का ऊपर सामान बेच देते हैं। दुकानों पर ताले लगे रहते हैं और कह दिया जाता है कि सामान का वितरण हो गया। इस व्यवस्था में भी सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

जैसा कि मैं निवेदन कर रहा था, पिछले 8–10 सालों से जिस तरीके से नौकरशाही ने अपना शिकंजा कसा है और जिस तरीके से इस व्यवस्था को चरमरा दिया है, इस व्यवस्था को पूरी तरह से तहस–नहस कर दिया है उसके अन्दर क्रान्तिकारी परिवर्तन लाये जाने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिए आवश्यक कदम तत्काल और अविलम्ब उठाये जाने की आवश्यकता है। इसमें किसी तरह की अब ढील बरदाश्त नहीं की जानी चाहिए। जनता में भारी आक्रोश और रोष है। जनता यह चाहती है कि जो सुविधा सरकार द्वारा हमें मिली हैं उस सुविधा का भरपूर लाभ हमें दिया जाना चाहिए। सरकार इसके अन्दर किसी तरह की कोताही बरतती है किसी तरह की अकर्मण्यता बरतती है तो उससे जनता के अंदर आक्रोश फैलना स्वाभाविक है।

(15.55 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर जो आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं हैं उनके वितरण की निगरानी के लिए विशेष व्यवस्था की जाए। वहां के चुने हुए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से समय-समय पर रिपोर्ट मंगाकर इसके बारे में छानबीन करवायी जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की अव्यवस्था नहीं फैले। खासतौर से आदिवासी क्षेत्रों की स्थिति तो बहुत ज्यादा नाजुक है। आदिवासी क्षेत्रों के अन्दर कहने को बहुत कुछ सामान दिया जाता है किन्तु वह असली हकदार को कभी भी नहीं मिल पाता। गरीब आदिवासी तड़पता रहता है, बार–बार धक्के खाता रहता है किन्तु उसे उस सामान की उपलब्धता नहीं हो पाती है। जिस क्षेत्र में दुकान होनी चाहिए उससे कई मिल दूर उपभोक्ता सामग्री की दुकान होती है, उचित मूल्य की दुकान होती है। वह जाकर चक्कर लगाकर थक जाता है और हार–थककर बाजार से अपना सामान खरीदकर अपना भरण-पोषण करता है। उस व्यवस्था के अन्दर भी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सुधार किये जाने की नितान्त आवश्यकता है।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भारत सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की घोषणा की थी जिसका तात्पर्य था गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को कम मूल्य पर आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं को उपलब्ध करवाये जाने की व्यवस्था करना। किन्तु गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों का सही मायने में चयन आज तक नहीं हुआ है। कहने को कहा जाता है कि अलग–अलग तरीके के राशन कार्ड वितरित किए जाएंगे। गरीबी की रेखा के

(श्री जुगल काबरा)

नीचे जीवन–यापन करने वाले लोगों को अलग राशन कार्ड दिये जाएंगे और अन्य नागरिकों को अलग राशन कार्ड दिये जाएंगे। किन्तु ये दो किस्म के, दो रंग के राशन कार्ड नहीं बनाये गये और केवल उन्हीं राशन कार्डों के ऊपर मोहर लगा दी गयी। इस तरह सही मायने में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले लोगों का चयन नहीं किया गया। जवाहर रोजगार योजना में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले जिन लोगों ने ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन किए थे, केवल उन्हीं लोगों को इसमें सम्मिलित कर दिया गया और यह मान लिया गया सरकार के द्वारा कि जिन लोग ने ऋण का आवेदन किया है केवल वे ही लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन–यापन करते हैं और केवल उसी सूची के लोगों को सस्ती दर के ऊपर राशन उपलब्ध करवाये जाने की व्यवस्था की गयी है। जबकि कोई आवश्यक नहीं है कि हरेक गरीबी की रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाला व्यक्ति किसी ऋण के लिए आवेदन करे और उसका नाम ऋण सूची के आधार पर गरीबी की रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वालों की सूची में सम्मिलित किया जाए। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वे अपने विभाग को इस बात के निर्देश दें कि जितने भी लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन–यापन कर रहे हैं उनका सही तरीके से चयन हो और उन सभी लोगों को सरकार की मन्शा के अनुरूप लाभ दिया जाना चाहिए जिन्हें सरकार मदद करना चाहती है। सरकार चाहती है कि उन लोगों को हर तरीके से अपना जीवन–यापन करने में हम मदद करें ताकि वे लोग आर्थिक बोझ से दबे नहीं। किन्तु इस तरह की आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं अपेक्षा करता हूं, नयी सरकार और नये मंत्री जी से कि वे इस बारे में समुचित ध्यान देंगे और उन गरीब और अल्प वेतनभोगी और गरीबी की रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले लोगों को हर तरीके से सहयोग और मदद देकर के उन्हें जीवन–यापन करने में सहयोग करने में सहयोग प्रदान करेंगे।

(16.00 बजे)

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज जिस तरीके से गेहूं और शक्कर, केरोसीन जैसी वस्तुओं की जिस मात्रा में आपूर्ति की जा रही है, उस मात्रा को बढ़ाया जाये। पिछली सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया था कि प्रति राशन कार्ड 10 किलो अनाज की बजाय 40 किलो अनाज उपलब्ध करवाने की भारत सरकार मंजूरी दे दे और उस मात्रा में राजस्थान का कोटा भी बढ़ाया जाये किन्तु अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पूर्ववर्ती सरकार अपने इस कार्य में सफल नहीं हो पाई और आज भी वही बात जारी है इसलिए मैं आपके माध्यम में निवेदन करना चाहूंगा कि आप मुख्य मंत्रीजी के माध्यम से भारत सरकार पर यह दबाव डालें कि जिस तरह की राजस्थान की परिस्थितियां हैं और राजस्थान के अन्दर जिस तरह की गरीबी के हालात बने हुए हैं, उन हालातों के अंदर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना

(श्री जुगल काबरा)

नितांत आवश्यक है और पूरी मात्रा के अन्दर राशन उपलब्ध करवाने की भारत सरकार द्वारा व्यवस्था करवाई जाये ताकि आम गरीब लोगों को अपना जीवन यापन सही तरीके से करने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, उचित मूल्य की जो दुकानें पिछले वर्षों में खोली गई, उसमें बहुत बड़ा पक्षपात किया गया। इसको सही तरीके से सही लोगों को आबंटित करने की व्यवस्था करवाई जाये। गलत हाथों के अन्दर इस तरह की दुकानों के जाने से आम उपभोक्ताओं को बहुत बड़ी परेशानी की स्थिति का सामना करना पड़ता है और शिकायत करने के बावजूद भी ऐसे उचित मूल्य विक्रेताओं के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती है। मैं जानना चाहूंगा कि पिछले वर्षों के अन्दर जो भी शिकायतें हुई हैं, उन शिकायतों के बारे में रसद विभाग द्वारा और खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा क्या कार्यवाहियां की गई हैं और अब आप इस व्यवस्था में सुधार करने के लिए क्या कार्यक्रम लागू करने जा रहे हैं ताकि आम लोगों को सही तरीके से लाभ मिल सके।

मान्यवर, उपभोक्ता वस्तुओं के साथ-साथ जो अन्य आवश्यक सामान का वितरण चाहे डीजल का वितरण हो, गैस का वितरण हो, पेट्रोल पम्प्स का वितरण हो, इनके ऊपर भी आपको निगरानी किये जाने की आवश्यकता है। पिछले वर्षों में कुछ डीजल बेरल पाइंट स्थापित करने के लिए आवेदन मांगे गये थे। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय खाद्य आपूर्ति मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले दिनों जो बेरल पाइंट स्थापित किये गये हैं, उसमें जो शिकायतें प्राप्त हुयीं, उन शिकायतों के बारे में राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की और भविष्य में भी डीजल की मांग को देखते हुए नये डीजल बेरल पाइंट स्थापित करने के लिए राज्य सरकार क्या मंशा रखती है, इसकी भी कृपया आप इस सदन को जानकारी देने का कष्ट करें।

इसी तरह से गैस वितरण के बारे में बहुत बड़ी शिकायतें आज उपभोक्ताओं की रहती है। समय पर गैस उपलब्ध नहीं करवाई जाती और बार-बार निवेदन करने के बावजूद भी गैस की आपूर्ति नहीं हो पाती है इसके लिए भी मैं चाहूंगा, खाद्य आपूर्ति विभाग पूरी जानकारी करते हुए यह व्यवस्था करे कि जो कोई भी शिकायत उपभोक्ताओं द्वारा दी जाती है तो शिकायतों के ऊपर सही कार्यवाही हो और इसके साथ-साथ इस बात के द्वारा भी मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि गैस वितरकों को जो अधिकार दिये गये हैं गैस वितरण का, उन्हें केवल गैस वितरण का अधिकार दिया गया है। गैस के साथ में अन्य आवश्यक साज-सामान हैं, उन्हें बेचने के लिए किसी भी तरह की ज्यादती या जबरदस्ती करने का अधिकार नहीं दिया गया है किन्तु पूरे प्रदेश के अन्दर यह स्थिति बनी हुई है कि गैस वितरक गैस के कनेक्शन के साथ में अपनी मर्जी का चूल्हा खरीदने के लिए मजबूर करते हैं उपभोक्ताओं को कि वह जो वितरक चाहे उस तरीके का चूल्हा और उसकी मनमर्जी की कीमत पर खरीदें। इसके बारे में भी खाद्य आपूर्ति

(श्री जुगल काबरा)

विभाग व्यवस्था करे और जो लोग इस तरह से मनमर्जी करते हैं, उपभोक्ताओं को परेशान करते हैं चूल्हा खरीदने के लिए, बाजार में चूल्हा सस्ता मिलता है, गैस डीलर के यहां महंगे दामों पर चूल्हा मिलता है तो उन्हें इसके लिए मजबूर नहीं किया जाये। इस तरह की भी व्यवस्था मैं चाहूंगा कि खाद्य मंत्रीजी, अपने विभाग के माध्यम से करायें।

पेट्रोल पम्प्स के अन्दर मिलावट की बात आम है। इसके लिए भी समय-समय पर चाहे छापे मारने की आवश्यकता हो या अन्य कोई व्यवस्था की जाये ताकि आम लोगों को सही तरीके से पेट्रोल और डीजल मिल सके और इसमें मिलावट की शिकायत आती है, उसके ऊपर त्वरित और तुरन्त कार्यवाही की जाये। सरकार और प्रशासन का एक प्रभाव होना चाहिए आम वितरकों के ऊपर ताकि वे लोग इस तरह की कोई गड़बड़ नहीं करे।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा; खाद्य आपूर्ति विभाग का यह दायित्व है कि उपभोक्ता कानून की जानकारी के लिए प्रयास करे परन्तु कहीं पर किसी भी तरीके का इस तरह का कोई प्रयास नहीं किया जाता आम उपभोक्ताओं को संरक्षण देने के लिए। स्वर्गीय राजीव जी गांधी ने जो अधिनियम जारी किया था, उसका परिणाम है कि आज उपभोक्ता अपने हक और अधिकार के लिए उपभोक्ता मंचों के माध्यम से न्याय प्राप्त कर सके किन्तु उन मंचों के माध्यम से जो न्याय विलम्बित होता है इसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिन जिलों के अन्दर बहुत अधिक मुकदमें उपभोक्ता न्यायालय में है, वहां एक से अधिक उपभोक्ता न्यायालय स्थापित किये जाये ताकि मुकदमों की त्वरित सुनवाई हो सके और जो मंशा थी इस कानून की कि जल्दी से जल्दी उपभोक्ता को राहत प्रदान की जाये, उस बात की पूर्ति हो सके।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में कई इलाकों में अकाल की स्थिति है इसलिए अकाल पीड़ित क्षेत्रों के अन्दर, जिस तरह से हम गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों को सस्ती दर पर उपभोक्ता सामग्री उपलब्ध करवाते हैं, उसी तरीके से गरीब लोगों को, अकाल पीड़ित लोगों को सस्ती दर पर उपभोक्ता सामग्री उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करवायें ताकि अकाल से पीड़ित क्षेत्रों के लोग इसका लाभ लेकर अपना जीवन यापन कर सकें। मैं यह आशा करता हूं कि इन पूरी बातों के ऊपर ध्यान देकर राजस्थान की नई सरकार जो नये संकल्प के साथ में आई है, यह प्रभावशाली तरीके से कार्य करते हुए आम जनता को राहत देगी।

इसके साथ ही मैं चाहूंगा, सहकारिता आन्दोलन के अन्दर माननीय सहकारिता मंत्रीजी पूरा ध्यान देंगे। समितियों के चुनाव पिछले लम्बे समय से टल रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान देंगे। उपभोक्ता आंदोलन को सक्रिय करके, सुदृढ़ करके प्रयास करें कि राजस्थान के अन्दर भी महाराष्ट्र और गुजरात की तरह आन्दोलन प्रभावी बने ताकि इसका हमारे गरीब किसान, मजदूर को लाभ मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ, मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण विश्नोई ।

श्री रामनारायण विश्नोई (फलौदी) : मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 36 सहकारिता विभाग और मांग संख्या 32 खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सम्बन्ध में संक्षिप्त में अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता व्यवस्था ने विशेष रूप से राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार यहां पर आज रखे, उनसे एक बात निश्चित है कि माननीय सदस्यों और राजस्थान की जनता के मन में यह बात निश्चित रूप से है कि सहकारिता आंदोलन जिस प्रकार से राजस्थान में सफल होना चाहिए था, उस प्रकार से सफलता को छू नहीं सका और हमने पिछले समय में देखा कि ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर ग्रामीण सहकारी समितियों ने जिस प्रकार से काम करना शुरू किया था और उसका नतीजा यह आया कि कुछ ही व्यक्तियों ने सहकारी संस्थाओं पर कब्जा करके एक ऐसी व्यवस्था पैदा कर दी कि कोई भी व्यक्ति अगर ग्राम सेवा समिति का सदस्य बनना चाहे तो भी उसको सदस्य नहीं बनने दिया जाता था और आज भी उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि ग्रामीण सहकारी समितियों में संचालक मण्डल के अन्दर अगर संचालक मण्डल के अध्यक्ष या एक-दो व्यक्तियों की ही मर्जी हो जाये कि फलां-फलां आदमी चाहे वह ग्राम का निवासी है, चाहे वह मतदाता है तो किसी न किसी बहाने वह अपनी पूंजी के पैसे, शेयर कैपिटल के पैसे हाथ में लिए हुए घूमता रहता है, कभी बैंक में जाता है, कभी डिप्टी रजिस्ट्रार के दफ्तर में जाता है और हजारों तरीके के प्रतिवेदन देने के बावजूद भी वह अपने आप को ग्राम सेवा सहकारी समिति का सदस्य नहीं बना पाता है । ऐसी स्थिति आज भी राजस्थान के अन्दर बनी हुई है । इसलिए मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे सत्ता पक्ष के सदस्य कहें, चाहे विपक्ष के सदस्य कहें आप को, कि सहकारी संस्थाओं के चुनाव जल्दी से जल्दी करवाइये, कोई आवश्यकता नहीं है, अगर चार-छः-बारह महीने चुनाव आप नहीं करवाओगे तो भी । राजस्थान के सहकारी संस्था कानून के अन्दर जिस प्रकार की अनियमितताएं, जिस प्रकार का अविश्वास का वातावरण पैदा हुआ है उसमें सुधार करने के लिए आपको इसका अध्ययन करके राजस्थान सहकारी अधिनियम, 1965 के अन्दर आवश्यक संशोधन करके चलना चाहिए ताकि राजस्थान के अन्दर सहकारी संस्थाओं की जो नींव अच्छी पड़ी हुई थी उसको और जिसके अन्दर जिस प्रकार से लोगों का विश्वास इससे उठा है उसको हम पुनः स्थापित कर सकें । उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का इस बारे में भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पिछले समय के अन्दर आप और हमको अच्छी तरह से मालूम है कि किस प्रकार से ऋण देने के अन्दर कुछ संस्थाओं के अन्दर जो संचालक मण्डल के सदस्य और अध्यक्ष वगैरह थे उन्होंने बैंकों से सीधा ऋण अपने आप ही लिया, जो सहकारी समिति के सदस्य थे उनको कहीं पता भी नहीं चलने दिया कि कितना ऋण उठाया है और

(श्री रामनारायण विश्नोई)

कितना ब्याज है, कितना ऋण हम वापस जमा करवा रहे हैं और उसका नतीजा यह हुआ कि राजस्थान के अन्दर सहकारी संस्थाएं लड़खड़ा गई। सहकारी संस्थाओं के ऊपर ऋण ज्यादा से ज्यादा चढ़ गया और ग्रामीण लोगों की यह हालत हो गई थी कि बैंकों के कर्मचारी गांवों में जाकर के ऋण वसूली के लिए किस प्रकार से लोगों को तंग किया करते थे वह बातें आज राजस्थान के अन्दर सदस्यों से कोई छिपी हुई नहीं है। उस व्यवस्था से निकलने के लिए हिन्दुस्तान के अन्दर यह ऋण माफी की घोषणा लोकप्रिय सरकार, जनता दल की तरफ से की गई, आदरणीय देवीलाल जी ने की उस ऋण व्यवस्था से, उस ऋण से छुटकारा पाने के लिए राजस्थान के अन्दर भी 340 करोड़ रुपये का ऋण माफ करके राजस्थान की ग्रामीण सहकारी संस्थाओं को फिर अपने पैरों पर खड़ा करने का काम किया गया है। अब आज स्थिति धीरे-धीरे वह की वह बनती जा रही है। आज भी वही पुराने हिसाब से, आज भी अगर एक हजार रुपये ऋण के कोई सदस्य लेता है, दो सौ रुपये ब्याज के होते हैं, बारह सौ रुपये देने की स्थिति नहीं होने के बावजूद भी संचालक मण्डल के सदस्य अपनी तरफ से वह पैसा जमा कराकर के और दो सौ रुपये ब्याज के डालकर के भी बारह सौ रुपये वापस दिये हुए ऋण के बता करके फिर ऋण उठाकर के ले आते हैं और अपने काम में इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह से ऋणों का पैसा गरीब लोगों के ऊपर वापस बढ़ता जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में जो आपने एक नई व्यवस्था की है उस व्यवस्था से अवश्य लोगों को राहत मिलेगी। इस ओर आप और ध्यान दीजिये कि ऐसी स्थिति नहीं हो कि लोग वापस सहकारी संस्था के कर्जे के अन्दर डूब जायें और हमें फिर उसी स्थिति का सामना करना पड़े। इसके लिए मंत्री महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा, मेरे पूर्ववर्ती बोलने वाले सदस्यों ने भी बताया है कि सहकारी संस्थाओं के चुनाव के अन्दर जिस प्रकार से धांधलेबाजी होती थी उसके कारण से भी लोगों का विश्वास उठ गया था, सहकारी संस्थाओं के अन्दर चुनाव में फार्म भरने की प्रक्रिया बिलकुल बेकार है, किसी का इंस्पेक्टर मौके पर जाकर फार्म लेगा या नहीं लेगा, इसका भी कोई रिकार्ड नहीं होगा, चाहे जिसको संचालक मण्डल के सदस्य निर्वाचित घोषित करके आने के बाद में कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं होती। धारा 75, सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 के तहत अगर चुनाव सम्बन्धी कोई विवाद प्रस्तुत भी किया जाता था तो वह भी आपके सहकारी संस्थाओं के इंस्पेक्टर्स या दूसरे छोटे अधिकारियों को रेफर कर दिया जाता था और उसका फैसला किस प्रकार से होता है और हुए हैं, वह आपसे और हमसे छिपे हुए नहीं हैं। इसलिए आप इस कानून में संशोधन करके चुनाव सम्बन्धी जो भी विवाद हों उन विवादों के लिए कम से कम न्यायिक मजिस्ट्रेट की व्यवस्था करें कि वहां पर जाकर अपना पिटीशन पेश करके फैसला करवायें तब जाकर लोगों का उस पर विश्वास पैदा होगा। मैं इस सम्बन्ध में एक यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ग्रामीण संस्थाओं

(श्री रामनारायण विश्नोई)

के अन्दर व्यवस्थापकों के बारे में बातचीत चली है, वास्तव में आज की तारीख में उन व्यवस्थापकों की व्यवस्था बिलकुल गड़बड़ा गई है। ग्रामीण सहकारी समितियों के अन्दर मैनेजर्स का जिस प्रकार से हाई कोर्ट ने फैसला किया कि केन्द्रीय अथारिटी के तो यह कर्मचारी हैं नहीं और सहकारी विभाग इस बारे में अभी तक कोई निर्णय कर नहीं पाया तो ऐसी स्थिति के अन्दर आज हजारों व्यवस्थापक एक तरह से आंदोलन के अन्दर जा रहे हैं, मंत्री महोदय से मिले हैं और अपनी समस्याओं का समाधान कराने के लिए वह उचित व्यवस्था देने की प्रार्थना कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यह मैनेजर्स जो पिछले दस–दस, पन्द्रह–पन्द्रह, बीस–बीस साल से सहकारी संस्थाओं में काम कर रहे हैं, हमें उनकी पुख्ता व्यवस्था करनी पड़ेगी। हम लोगों को ऐसे नियम बनाकर, नियमों में संशोधन करके स्थाई नौकरी देनी चाहिए और एक व्यवस्था अवश्य हमको करनी चाहिए कि व्यवस्थापकों के स्थानांतरण की भी नीति अवश्य की जानी चाहिए। अगर मैनेजर एक सोसाइटी के अन्दर भार बनकर रह जायेगा और सोसाइटी को या केन्द्रीय बैंक को या सहकारी विभाग को मैनेजर का ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं होगा तो उस मैनेजर पर किसी प्रकार का कोई अंकुश हम नहीं रख पा सकेंगे। इसलिए मैनेजर का स्थानांतरण करने का अधिकार भी राज्य सरकार के पास होना चाहिए। इसी तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में एक आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन और करना चाहूंगा कि सहकारी विभाग के अन्दर कार्यरत कर्मचारी आज जगह–जगह चुनाव के अन्दर भी खड़े हो रहे हैं। सहकारी आंदोलन को राजनीति से दूर रखने के लिए अगर कोई सहकारी विभाग के अन्दर कर्मचारी नौकरी पर है तो वह सहकारी विभाग की किसी संस्था के अन्दर चुनाव लड़ने के लिए सक्षम नहीं होना चाहिए। सहकारी विभाग के अन्दर दस–दस, पन्द्रह–पन्द्रह साल से लोग नौकरी कर रहे हैं, ग्रामीण सहकारी समिति के अध्यक्ष बन रहे हैं, मार्केटिंग सोसाइटी में अन्दर डाइरेक्टर बन रहे हैं और मार्केटिंग सोसाइटी के अन्दर माल भाड़ा वगैरह का जो भी कार्य है उस पर सारे पर कब्जा करके बराबर लाखों रुपये का घोटाला कर रहे हैं। जोधपुर की ऐसी ही एक संस्था का उदाहरण माननीय मंत्री महोदय के सामने पेश हुआ है और मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ, जो कर्मचारी लिपिक के पद के ऊपर नौकरी करके बराबर संस्थाओं के अन्दर डाइरेक्टर, संस्था के ऊपर कब्जा किये हुए बैठा है और कम से कम बीस–तीस लाख रुपये के घोटाले की बात जो सामने आई है उसके अन्दर सख्त से सख्त कदम जल्दी से जल्दी उठाये जाने चाहिए। राजनीतिक तौर पर, इस प्रकार के कर्मचारी राजनीतिक पार्टियों के एक तरह से प्रचार करने वाले साबित होकर ग्रामों के अन्दर सहकारिता का जो आंदोलन था उस आंदोलन की छवि को धूमिल करने जा रहे हैं।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय

(श्री रामनारायण विश्नोई)

मंत्री महोदय का इस ओर विशेष तौर से ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए, खराबी इसमें है कि जो ऑडिट की व्यवस्था है उस ऑडिट की व्यवस्था में भी हमको काफी सुधार लाने की आवश्यकता है। ऑडिट रिपोर्ट्स सैक्शन 68 के मुताबिक तो सालाना ऑडिट हो जानी चाहिए पर ऑडिट में जिस प्रकार की गलतियां बताई जाती हैं उन गलतियों के ऊपर 10–10, 5–5 साल तक कोई भी कार्यवाही दोषी अधिकारियों के खिलाफ नहीं की जाती। उसमें इस बात की भी आवश्यकता है कि अगर इंस्पेक्टर के मनमाने तौर पर अगर इंस्पेक्टर को संचालक मण्डल के सदस्यों ने राजी नहीं किया तो छोटी–मोटी अनियमितताएं भी अगर बता दीं तो उसके आधार पर भी ग्रामीण सहकारी समितियों के संचालक मण्डल को परेशान, संचालक मण्डल के सदस्यों को अगर परेशान किया जाता है तो उसके ऊपर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए कि इन छोटी गलतियों के लिए परेशान नहीं किया जाना चाहिए पर जहां पर विशेष तौर से गबन के मामले बताये जाते हैं और गबन के मामलों में अगर 5–5, 10–10 साल तक कार्यवाही नहीं की जाती तो वे संचालक मण्डल के सदस्य चले जाते है दूसरे संचालक मण्डल के सदस्य आ जाते हैं उनके बारे में कार्यवाही करने में हमको बहुत कठिनाई होती है उनसे न तो गबन के पैसे वसूल किये जा सकते हैं और न कोई नया संचालक मण्डल का कार्य लिया जा सकता है और उनकी गलतियों की वजह से ग्राम में सहकारी संस्था भंग हो कर के आज दो–दो, चार–चार, पांच–पांच पंचायतों के अन्दर ऐसी स्थिति बनी हुई है कि सहकारी संस्थाएं वहां पर मनमानी की वजह से काम नहीं कर रही हैं तो इसकी व्यवस्था में माननीय मंत्री महोदय, आप करने की कोशिश करें। मैं नागरिक आपूर्ति मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी यह बात बताई और आप और हम बहुत से सदस्य जो ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं उनको यह भली–भांति मालूम है कि ग्राम के अन्दर उचित मूल्य की दुकानें कौन से लोग मिल कर आज हासिल कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र में लोग बैठे हुए हैं अनाज का व्यापार करते हैं और वे लोग सौ–सौ, डेढ़–डेढ़ सौ किलोमीटर की दूरी में गांव में जाकर उचित मूल्य की दुकानें हासिल करके कमीशन का काम कर रहे हैं। यह कैसे सम्भव हो सकता है। अगर ग्रामीण व्यवस्था के अन्दर ग्रामीण क्षेत्र में 5–7–10 किलोमीटर दूर रहने वाले आदमी को दुकान किसी भी कीमत पर नहीं दी जानी चाहिए। सौ किलोमीटर से दुकानदार राशन की सामग्री लेकर के सबको गांव में जाकर वितरण करके जाएगा पर एक दिन अगर ग्राम का आदमी वहां पर नहीं मिलता है तो दूसरे दिन उसको जाकर के तीसरे दिन या चौथे दिन वहां पर शहर में उस दुकानदार के यहां अपना सामान लाने के लिए आना पड़ता है तो ऐसी व्यवस्था करनी आवश्यक है कि गांव के अन्दर उचित मूल्य की दुकानें उस पंचायत क्षेत्र से 10 किलोमीटर से ज्यादा दूर रहने वाले व्यक्ति को किसी भी सूरत में नहीं दी जानी चाहिए। मेरा विशेष तौर से इस ओर आपका ध्यान दिलाना है। मैं अन्त में नागरिक आपूर्ति

(श्री रामनारायण विश्नोई)

मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से सदस्यों ने बताया और आपको भी मालूम है कि उपभोक्ता मंचों के अन्दर काफी अच्छा काम शुरू हुआ था। छोटी-छोटी शिकायतों पर काफी लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है पर धीरे-धीरे उपभोक्ता मंचों के अन्दर अध्यक्षों की और प्रेसाईडिंग ऑफिसर्स की नियुक्ति नहीं होने से काफी काम इकट्ठा हो गया है और लोग परेशानी महसूस कर रहे हैं और लोगों का विश्वास थोड़ा कमजोर पड़ता जा रहा है क्योंकि उपभोक्ता मंचों के अन्दर भी इसी प्रकार की देरियां हो रही हैं जिस प्रकार की दूसरे न्यायालयों में हो रही थी इस पर आप विशेष तौर से ध्यान देवें। जय हिन्द। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द जैन।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपके ध्यान में लाना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : आपका नम्बर आएगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया: नहीं साहब, वह तो बाद में। पत्रकार और मीडिया ने राज्य सरकार से अपनी बात कही कि ये जो आपने व्यवसाय कर लगाया है यह बिलकुल अनुचित है और इसलिए उन्होंने नोटिस दिया है कि 12 तारीख को सोमवार के दिन वे प्रश्न काल का भी और आधे घण्टे का भी बहिष्कार करेंगे। मैं सोचता हूं अभी यह विषय....

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट। पत्रकार अभी माननीय अध्यक्ष से उनके कक्ष में वार्ता कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि कोई न कोई रास्ता निकलेगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं सोचता हूं कि इस बारे में जरूर विचार करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : मैं बता रहा हूं न आपको।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्योंकि बिना मीडिया के हमारी विधान सभा का चलना और न चलने का कोई अर्थ ही नहीं रहता है।

श्री उपाध्यक्ष : अभी फैसला होगा तब न अभी तो चर्चा कर रहे हैं।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता दोनों मांगों पर अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। महात्मा गांधी ने और हमारे राष्ट्रीय नेता श्री जवाहर लाल नेहरू ने तीन बातों पर बल दिया है ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान के लिए। पहला प्रत्येक ग्राम में विद्यालय होना चाहिए, ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पंचायत का निर्माण और सहकारी समितियों का निर्माण। आर्थिक दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों को किस प्रकार मजबूत किया जाए आज इस सम्बन्ध में इस कार्यक्रम को अपनाया गया और इस कार्यक्रम को अपनाने में ग्रामीण क्षेत्र में कहीं न कहीं सफलता भी मिली। हमारे जिले में तो मैं विशेष तौर से कहना चाहता हूं कि यह सहकारिता का मूवमेंट बहुत अच्छे ढंग से चलाया गया और उसमें बहुत सफलता मिली। और

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

हमारे को–ऑपरेटिव बैंक लगातार कभी प्रथम तो कभी द्वितीय आते रहे। परन्तु यह एक इस प्रकार की व्यवस्था बनी कि मैनेजिंग डायरेक्टर जो है, उनको किस प्रकार डेपूटेशन पर उदयपुर में भेज दिया गया। और उसके बाद में जो मैनेजिंग डाइरेक्टर्स आये उन्होंने इस प्रकार का घोटाला किया, इस प्रकार का करेप्शन किया कि हमारे को–ऑपरेटिव बैंक को जो बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रहा था किसान से ऋण के बारे में भी पूरे समय पर वसूली कर लेते थे। एक कार्यक्रम था, और वह महत्वपूर्ण कार्यक्रम था हमारे क्षेत्र की उन्नति का कार्यक्रम फव्वारा पद्धति का उसमें सब्सिडी का प्रावधान है और वह सब्सिडी भी अच्छी तरह से प्राप्त होती है। उस प्रोग्राम के अन्दर ऐसी स्थिति पैदा की कि 1996–97 में इस प्रकार की फव्वारा पद्धति के अन्दर किसानों को ऋण के साथ-साथ अनुदान भी उपलब्ध कराये गये। 1997 के वर्ष में भी

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लग यह रहा है कि 12 तारीख के बजाय प्रेस ने आज ही बहिष्कार तो नहीं कर दिया। पत्रकार दीर्घा में कोई भी सदस्य उपस्थित नहीं, तो कहीं यों नहीं लग रहा कि कहीं वे....

श्री उपाध्यक्ष : आम तौर पर इस समय कम बैठते हैं।

श्री रामस्वरूप : विपक्ष की सारी मिटें खाली पड़ी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष की सारी सीटें खाली पड़ी हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : नहीं, वह तो ठीक है। ये नहीं रहेंगे तो यहां अन्दर हल्ला-गुल्ला कम होगा।

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष की सारी सीटें खाली पड़ी हैं यह ठीक नहीं है।... (व्यवधान)....

श्री रघुवीर सिंह : ये रामस्वरूप जी बोलना ही बन्द कर देंगे तो।

श्री राजेन्द्र पारीक : हल्ला–गुल्ला उनको देख कर ज्यादा होता है.... (व्यवधान) बोलना बन्द नहीं कर देंगे, मूर्च्छित हो जाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर–आर्डर।

श्री वृद्धिचन्द जैन : ....ये मंत्री महोदय जी भी उपस्थित हो गये इसलिए मेरा कहना बहुत ही सारगर्भित होगा कि सन् 1997–98 में तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक यानी मैनेजिंग डाइरेक्टर ने राज्य सरकार की नीति के विरुद्ध वर्ष 1996-97 तक के फव्वारा सैट जो अनुदानित थे उनके करीब 1100 आवेदन पत्र थे उनको रोक करके वर्ष 1997–98 के थे उनको अनुदान दे दिया। कहने का अर्थ यह है कि 1997–98 में जो भी अनुदान प्राप्त करने के हकदार थे करीब 1100 उनको रोक दिया उनको कोई भी किसी भी प्रकार का अनुदान प्राप्त नहीं हुआ और अभी तक भी अनुदान भी प्राप्त नहीं हुआ है जबकि वर्ष 1997–98 वालों को अनुदान प्राप्त हो गया है।

श्री राजेन्द्र पारीक : उनको रोकने वाले कौन-कौन थे ?

श्री वृद्धिचन्द जैन : उनको रोकने वाले थे मैनेजिग डायरेक्टर्स थे नाम बताऊं आपको ।

श्री राजेन्द्र पारीक : हां, नाम बतायें ।

श्री वृद्धिचन्द जैन : एक तो मिस्टर मीणा और दूसरा नागौर जिले के हैं... (व्यवधान)....

श्री रामस्वरूप : केवल व्यवहार से मतलब है कि नाम ही मीणा ।

श्री वृद्धिचन्द जैन : आप सुनिये । वहां पर मैनेजिग डाइरेक्टर जो आये हैं वह उनका नाम वहीं का होगा मीणा ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री वृद्धिचन्द जैन : कोई जरूरत नहीं कि नाम बताऊं ।

श्री राजेन्द्र पारीक : मात्र नागौर जिला बोलने से तो पता नहीं पड़ेगा ।

श्री वृद्धिचन्द जैन : आप बैठिये । आवश्यकता नहीं है । आप बात सुनिये ।

एक माननीय सदस्य : ये तो जहां देखें वही (व्यवधान) आपने यह तो जात ही बतायी है, नाम नहीं बताया । नाम बताइये आप ।

श्री राजेन्द्र पारीक : नागौर जिले का है उसका नाम भी बताना पड़ेगा आपको ।

श्री वृद्धिचन्द जैन : आप बात सुनिये । मैनेजिग डाइरेक्टर श्री रनबा और मीणा जो बाड़मेर जिले में आये हैं को-ऑपरेटिव बैंक के मैनेजिग डाइरेक्टर बन करके

श्री रामस्वरूप : आप नाम बताइए ।

श्री वृद्धिचन्द जैन : इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय के पास कम्पलेंट प्रस्तुत की गई है और उस रिपोर्ट की जांच के बारे में भी मैंने निवेदन कर दिया है कि एडिशनल रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव से जांच करवाई जाये । मैंने उनका नाम भी बता दिया है श्री किशोर सिंह जी, जिनकी अच्छी प्रतिष्ठा है, उनसे जांच करवाई जाये तो आप पायेंगे कि अनुदान में लाखों रुपयों का घोटाला हुआ है । इस सम्बन्ध में पूरी तरह से जांच करवा कर उनके अगेंस्ट कार्यवाही की जाये और जल्दी से जल्दी इसके बारे में मंत्री महोदय जवाब दें और मुझे आश्वत करें कि इस भ्रष्टाचार का भांडाफोड़ कर दिया जायेगा ।

इस अवसर पर दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो को–ऑपरेटिव के चुनाव हैं, सहकारी समितियों के चुनाव हैं वह इलेक्शन डिपार्टमेंट के द्वारा करवाये जाने चाहिये । किसी भी सूरत में इन अधिकारियों द्वारा चाहे असिस्टेंट रजिस्ट्रार को–ऑपरेटिव हो या कोई भी अधिकारी हो, नहीं करवाये जाने चाहिये । अगर वह करेगा तो निष्पक्षता से चुनाव नहीं होंगे । एक निर्णय तो आपने अच्छा किया कि आपने एक अभियान चालू किया सदस्यों को बनाने के लिये, अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीब लोगों को बनाने का जो कि बनाये नहीं जाते थे । यह तो बहुत ही सराहनीय काम है, इससे बहुत से सदस्य बन गये । यह काम हमारी गवर्नमेंट ने किया, इसके लिये मैं हमारे मंत्री महोदय की प्रशंसा करता हूं । मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव होने चाहिये और जल्दी होने

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

चाहिये और उसमें आपको डेट डिक्लेयर कर देनी चाहिये ताकि भारतीय जनता पार्टी के लोग और कोई भी लोग यह नहीं कहें कि हम चुनाव नहीं कराना चाहते। हम चुनाव के पक्ष में हैं और हम चुनाव कराना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में तिथि निश्चित करें कि इस तारीख तक हम चुनाव अवश्य ही करा देंगे, इसकी आज की घोषणा कर देनी चाहिये, अतिशीघ्र आज की आज घोषणा कर दी जानी चाहिये। अब प्रश्न यह कि .

श्री उपाध्यक्ष : अब प्रश्न यह है कि आप समाप्त कीजिए।

श्री वृद्धिचन्द जैन : नहीं, अभी तो शुरूआत ही किया है।

श्री मांगीलाल डांगा : उपाध्यक्ष महोदय, जो पिछली सरकार द्वारा उप नियमों में संशोधन किये गये उन संशोधनों में वापस संशोधन करने के बाद चुनाव करवाये जायें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय सदस्य अपने स्थान से बोलें तो अच्छा रहेगा, एक डेकोरम रहेगा इस सदन का।

श्री हरिसिंह (महुवा) : कई बार अपने विधायकों भी रोक लेना चाहिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं, अगर मैंने भी गलती की तो हम लोगों को टोकना चाहिये। आखिर इस सदन के नये माननीय सदस्यों को इस बात का अहसास होना चाहिये कि उन्हें जो भी बोलना है अपने स्थान पर जाकर बोलें। कहीं भी खड़े होकर, कहीं भी बैठकर के नहीं बोल सकते।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कोई बात नहीं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैं समझता हूं कि शायद आप ध्यान रखेंगे कि आपकी सीट पर बैठने वाले कई माननीय सदस्य आपकी फ्रंट सीट से बोलते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हमारे भी बोलें तो आपको टोकना चाहिये। आप चीफ व्हिप हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। इस सदन का डेकोरम जरूर बना रहना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था कायम रखिए, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो किया उसका तो परिणाम भुगत लिया परम्पराएं डालनी चाहिये ताकि वो नौबत नहीं आये।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप क्यों भुगतना चाह रहे हो ?

श्री वृद्धिचन्द जैन : सहकारी समितियों के चुनाव के बारे में मैंने निवेदन किया। अब मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार पंचायती राज के कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट करके यह निर्णय कर दिया गया जैसे ग्राम पंचायत के चुनाव का तय कर दिया कि 6 महीने के अंदर-अंदर चुनाव करवाये जाने चाहिये। कहने का अर्थ यह है कि कलेक्टर को मैनेजिंग डाइरेक्टर को जिम्मेदारी देते हैं तो उस प्रकार

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

की जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिये बल्कि राज्य सरकार को यह कोशिश करनी चाहिये कि प्रबन्ध संचालक पद पर जो कलेक्टर रहते हैं वे अधिक से अधिक 6 महीने से ज्यादा न रहें और चुनाव की घोषणा अपन को कर देनी चाहिये।

इसके साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि भण्डारण की व्यवस्था के लिये गोदाम बनाये थे। वे गोदाम बनाये हुए 15 वर्ष हो गये हैं और उनमें से बहुत से जीर्ण अवस्था में हैं। उनको ठीक कराने की आवश्यकता है और उनको ठीक कराने की कार्यवाही आपको तुरन्त करनी चाहिये ताकि सारे राजस्थान में जो इस प्रकार के गोदाम बनाये हुए हैं उनको सुधारा जा सके और उनमें भण्डारण की व्यवस्था भी करनी चाहिये। आज किसानों को अपनी कृषि उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता है और अभी तक भी उनका शोषण होता है। इस शोषण से बचाने के लिये भंडारण की नीति निर्धारित करके उनको सुविधा देनी चाहिये ताकि वे अपना गोदामों में भण्डारण कर सकें और बाद में उनको उचित मूल्य मिल सके, इस सम्बन्ध में आपको प्रयास करने चाहिये, कोशिश करनी चाहिये, और सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में जिस प्रकार की पंचायतें हैं उसी प्रकार सहकारी समितियां बननी चाहिये। 2-2, 3-3 पंचायतों को लेकर सहकारी समितियां बना देते हैं, इसका जनता घोर विरोध करती है। हमारे देश में जो ग्राम पंचायत है वह तो बहुत अधिक क्षेत्र में फैली हुई है और आप 2-2, 3-3 पंचायतों को मिलाकर सहकारी समितियों का निर्माण करते हैं, उसका पूरी तरह से विरोध हो रहा है। इसलिए यह मेरा आपसे निवेदन है कि इस सम्बन्ध में कदम उठना चाहिये।

अब मैं खाद्य के बारे में भी अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं.

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक बात कह कर खत्म कर रहा हूं। मेरे को जब भी मौका मिलता है तो बहुत लेट मिलता है। बाद में एक-दो मिनट भी भाषण नहीं दे सकते और जो महत्वपूर्ण सुझाव हैं वो भी नहीं दे सकते। महत्वपूर्ण सुझाव दे रहा हूं।

आज बाड़मेर जिला भयंकर अकाल की स्थिति में है। गेहूं केवल 10 किलो प्राप्त होता है। किसानों की मांग है कि बाईद वे उनके घर पर अन्न उपलब्ध नहीं है तो 10 किलो से बढ़ाकर 20 किलो करें और उनको सस्ती दर पर उपलब्ध करवायें। आप अकाल सहायता मंत्री भी है और को-ऑपरेटिव मिनिस्टर भी हैं इसलिए आपको यह कोशिश करनी चाहिये और यह व्यवस्था करनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आज राशन का गेहूं क्या भाव मिल रहा है और मार्केट में क्या भाव है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : राशन का भाव और मार्केट का भाव समान है। इसीलिए तो मैं सस्ती दर के लिये कह रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को जो लाभ मिल रहा है

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

वह लाभ अकाल पीड़ित लोगों को दिया जाना चाहिये। इसलिए इस सम्बन्ध में भी आप ठोस कदम उठाएं ताकि उनको राहत मिले। अधिक नहीं कह कर मैं मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री हरजीराम जी बुरड़क।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 34 पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। को-आपरेटिव के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने बहुत से सुझाव दिये हैं। मैं उनको नहीं दोहराते हुए अपनी बात संक्षिप्त में कहना चाहता हूं। अभी कुछ सहकारी समितियों ने राज्य सरकार को प्रोफिट दिया और उसकी बड़ी भारी प्रशंसा हुई और होनी भी चाहिये। लेकिन राज्य सरकार की कार्य संचालन की नीति के कारण इन संस्थाओं को जो लोस हो रहा है वह अगर वह बचाया जाता तो आज जो प्रोफिट हुआ है, इससे ज्यादा प्रोफिट होता। उदाहरण के तौर पर स्टेट लेवल की सहकारी संस्थाओं में रजिस्ट्रार को या सेक्रेटरी, सहकारिता विभाग को प्रशासक लगाया जाता है। इससे सहकारी कानून की मूल भावना की पालना नहीं होती। क्यों नहीं होती कि चाहे स्टेट लेवल की सहकारी संस्था हो या कोई भी संस्था हो वह संस्था अगर उस सहकारी कानून का उल्लंघन करे तो रजिस्ट्रार को उस संस्था के खिलाफ एक्शन लेने का अधिकार है। अगर जिस संस्था में खुद रजिस्ट्रार प्रशासक हो या सहकारिता सचिव उसका प्रशासक हो उसमें वह कानून का उल्लंघन करे तो उसकी अनुपालना कैसे हो? राज्य सरकार की तरफ से सचिव और डिपार्टमेंट की तरफ से रजिस्ट्रार, ये ही दो आथोरिटी हैं जो किसी भी संस्था का कानून उल्लंघन करने पर वह कानून की पालना करवाये। इसमें विस्तार से नहीं कह कर मैं एक छोटा-सा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। राज्य स्तरीय सहकारी संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा जो ऋण और अनुदान दिया जाता है उसकी सचिवालय स्तर पर ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि उन संस्थाओं के पी.डी. खातों में जमा किया जाता है। आपको मालूम है पी.डी. खाते में ब्याज नहीं मिलता और उसमें ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि राज्य सरकार की फाइनेंस डिपार्टमेंट की मंजूरी के बिना वह संस्था वह पैसा नहीं उठा सकती और आज की तारीख में सारे स्टेट लेवल की सहकारी संस्थाओं में रजिस्ट्रार और सेक्रेटरी प्रशासक है। लम्बे समय तक उन सहकारी संस्थाओं का पैसा बिना ब्याज के पी.डी. खाते में पड़ा रहता है और उधर उन संस्थाओं को ब्याज भुगतना पड़ रहा है लेकिन प्रशासक खुद होने के कारण यह सारा का सारा मामला दबता जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं लेकिन यह एक उदाहरण के रूप में मैंने आपको बताया है। किस मामले का आडिट आब्जेक्शन हमेशा होता आया है? आप ए.जी. की लेटेस्ट आडिट रिपोर्ट को उठा कर देख लीजिए कितना बड़ा घाटा, पी.डी. खाते में देख सकते हैं, राज्य सरकार ने खुद ने इन संस्थाओं को पहुंचाया है। इसलिए मेरा निवेदन है कृपा करके इन संस्थाओं के अगर

(श्री हरजीराम बुरड़क)

आप चुनिंदा संचालक मण्डल नहीं बना सके तो कम से कम इन डिपार्टमैंट में अधिकारियों को प्रशासक नहीं लें। इसके अलावा, मान्यवर, पूर्व के को-आपरेटिव कानून में यह व्यवस्था थी कि राज्य सरकार किसी संस्था के चुने हुए संचालक मण्डल की अवधि समाप्त होने के बाद प्रशासक नियुक्त करे या कोई समिति नियुक्त करे लेकिन अब पिछले कई वर्षों से यह परम्परा चल पड़ी है कि सहकारी संस्थाओं के चुनाव होते नहीं, न कोई आप समिति नियुक्त करते और इस सारी की सारी... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आज नहीं है।

श्री हरजीराम बुरड़क : पहले था, आज की नहीं होगा। आज का मैं नहीं कह रहा हूं, मैं पहले का कह रहा हूं। अगर इन 5-7 वर्षों में चेंज किया है तो आप चेंज कर दीजिये। आप अगर टाइम पर चुनाव नहीं करा सकते, कोई बात नहीं लेकिन सारी की सारी संस्था एक आदमी को मालिक बनाकर रखने का कोई औचित्य नहीं है। मैं समझता हूं अगर आज भी वह प्रोविजन होगा, अगर नहीं है तो आप करिये, इसमें आपको कौन मना कर रहा है। इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, सहकारी संस्थाओं में जो पुरानी आडिट की व्यवस्था थी उस व्यवस्था में अधिकतर आडिट रिपोर्टस में अगर कोई संस्था के कोई कर्मचारी या पदाधिकारी के खिलाफ कोई पद के दुरुपयोग करने, नुकसान पहुंचाने का मामला होता था तो धारा 74 की वह कार्यवाही चालू करने का प्रस्ताव करते। जब से सहकारी संस्थाओं में प्रशासक प्रचलन अधिक बढ़ा है, उससे इस व्यवस्था को भी खत्म कर दिया। भीलवाड़ा में एक प्रशासक था और एक किसी संस्था से, प्राइवेट होस्पिटल बनाने वाला था, उसको पांच लाख रुपये का संस्था की तरफ से दान दे दिया। आडिटर ने उसका ऐतराज करके धारा 74 में मामला दर्ज कर दिया और वही अधिकारी जब को-आपरेटिव रजिस्ट्रार बनकर आया तो वहां एक नई व्यवस्था की कि रजिस्ट्रार की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी और जितने भी धारा 74 के मामले विचाराधीन थे, उन सब को मंगाकर यह व्यवस्था कर दी कि यह कमेटी कहेगी वही मामले चलेंगे और कमेटी जिसको चाहेगी उसको खतम कर देंगे। उन्होंने अपना मामला खत्म किया और बड़े-बड़े अधिकारियों के मामले आज भी उसी व्यवस्था के हिसाब से खत्म हो रहे हैं। मंत्री महोदय, आप जानते हैं कि यह कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है। धारा 74 में एक मामला प्रपोज करना एक पुलिस में जैसे एफ. आई. आर. दर्ज होती है उस किस्म का यह मामला है और जिस दिन धारा 74 का मामला प्रपोज हो गया उसी दिन से उसकी न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से वह सुनवाई होती है, चाहे रजिस्ट्रार करे, चाहे ए.आर. करे, चाहे डी.आर. करे और उससे असंतुष्ट अगर कोई होता है तो राज्य सरकार को, रजिस्ट्रार को कोई भी पॉवर नहीं है, वह मामला जाता है ट्रिब्यूनल में, जो आपने अलग से एक न्यायिक व्यवस्था बना रखी है लेकिन इन धारा 74 के मामलों को इस प्रकार से प्रशासनिक आदेश से रजिस्ट्रार ने खत्म करना शुरू कर दिया। बहुत से बड़े बड़े लोगों के करोड़ों रुपये के मामले थे उनको तो खत्म कर दिया और छोटे लोगों

(श्री हरजीराम बुरड़क)

के खिलाफ वह धारा 74 आपकी आज भी चल रही है इसलिए आपको चाहिए कि इसमें न तो कोई कानून चेंज करना है और मौजूदा कानून की आपको सिर्फ अनुपालना करानी है। अब उस धारा 74 को प्रपोज करने वाले जो आडिटर थे उनको बंद करने के लिए व्यवस्था यह कर दी कि अपेक्स सहकारी संस्था का आडिट चार्टेड अकाण्टेंट से कराया जायेगा तो चार्टेड अकाउण्टेंट से कोई हिसाब के मिलान करवा सकते हैं, आप जोड़-बाकी निकलवा सकते हो, लोस-प्रोफिट निकलवा सकते हो लेकिन को-आपरेटिव एक्ट के मामले में न तो उनकी कोई जानकारी है और न कोई वह धारा 74 का मामला प्रपोज करते हैं और करते भी कैसे अगर जानते हों। तो यह क्यों करे। रजिस्ट्रार को यह पावर है कि कितने चार्टेड अकाउण्टेंट हैं उनमें से किससे आडिट करानी है। अगर चार्टेड अकाण्टेंट को आडिट करनी है, उसे फीस लेनी है तो वह कहेंगे जैसे वह आडिट करेंगे। इसलिए मेहरबानी करके आपके पास आडिट का विभाग है, डिपार्टमैंट है अलग पूरा का पूरा इंस्पेक्टर से लेकर चीफ आडिटर तक का आपके पास स्टाफ है। अगर चार्टेड अकांटेंट से आपको बुक करवाना हो और आपके पास संख्या कम हो तो आप छोटी सोसाइटी बुक करा दीजिये, लेकिन स्टेट लेवल पर जो भी सेहकारी संस्थाएं हैं उनकी आडिट आपके विभाग से करायें। और इसमें भी आपको कोई भी कानून चेंज करना या कुछ करना, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा।

इसी तरह से, यह व्यवस्थापकों का मामला है। आपको अच्छी तरह से ध्यान है कि राज्य सरकार ने कैडर्ड अथोरिटी बनायी और कैडर्ड अथोरिटी ने उनका सलेक्शन यह कहकर किया गया था कि आपको बैंक में अपाइंटमैंट मिलेगा और उस अथोरिटी ने सलेक्शन करके लिस्टें बैंक में भेज दीं और बैंकों ने उनका अपाइंटमैंट किया। अब किन्हीं कारणों से वह कैडर्ड अथोरिटी खत्म हो गयी लेकिन बैंकों में जब उनका अपाइंटमैंट दे दिया तो उनकी बैंकों की सर्विस कैसे नहीं रही? आज अगर कोई किसी आर. ए. एस. आफिसर का सलेक्शन करके लोक सेवा आयोग भेज दे और नौकरी में लग गया और लोक सेवा आयोग की व्यवस्था ही कल उठ जाये तो क्या वह नौकरी से निकाला जायेगा? इसमें उन्होंने गलत किया। आपने सहानुभूति दर्शा कर एक कमेटी बना दी लेकिन मेरी यह समझ में नहीं आता कि कमेटी किस बात की, क्या आप नई बात करने जा रहे हो? आपने वर्षों पहले उनको बैंक में नौकरी दी थी और उनमें से आपने सुपरवाइजरों का परमोशन कर लिया फिर भी बैंक की सर्विस क्यों नहीं रही? आपने उनके खिलाफ एक्शन लिया, सेवाएं टर्मिनेट की हैं, उनका ट्रांसफर किया है तो फिर आपकी सर्विस कैसे नहीं रहीं? इसलिए आप मेहरबानी करके, ग्राम सेवा सहकारी समिति आज गांव की आर्थिक स्थिति में रीढ़ की हड्डी है। आज वह सारा काम बंद पड़ा है। इसलिए मेहरबानी करके आप उनको काम पर लीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक-दो बातें खाद्य मंत्री महोदय को भी कहूंगा, अगर नहीं कहूंगा तो यह कहेंगे कि मेरे को तो बिलकुल ही नेग्लेक्ट ही कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : इसीलिए घंटी नहीं बजायी ।

श्री हरजीराम बुरड़क : पहली बार आपको यह निवेदन कर रहा हूं कि हर गांव में ग्राम सेवा सहकारी समिति और अधिकतर जगह आपने कुछ एरिया ग्राम सेवा को दे रखा है और कुछ प्राइवेट रिटेलें बना रखी हैं तो जहां पर ग्राम सेवा सहकारी समिति कार्य करना चाहे और आपकी पालिसी के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से अगर दूसरी दुकान खोलनी हो तो वह सोसाइटी खुद दूसरी खोले और इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और जहां तक हो सके सहकारी समिति तैयार हो वहां पर आपको उन्हीं को देना चाहिए। दूसरा, तहसील स्तर पर रिटेलरों के चयन के लिए एक समिति बनी हुई है, यह पुराने टाइम में बनी हुई थी। पिछली सरकार जब आयी तो उन्होंने पहले वाली समितियों का सारा ढांचा चेंज करके अपने राजनीतिक हिसाब से उसको चेंज कर दिया। लेकिन चार महीने हो गये, आप भी तो उसमें कुछ करते। या तो जो मौजूदा है, उसमें जो जनप्रतिनिधि हैं या जनता के जो आदमी हैं, या पब्लिक के आदमी जो आप रखना चाहें उसमें कोई चेंजेज करिये

(16.50 बजे)

या पुराना ढांचा, आपका पहले का था, कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में, उसको रखना हो तो उसको रखिये। उन दोनों को देख कर के कोई सुधार करना हो तो वह करिये। लेकिन आपने उन्हीं पुरानी समितियों को आज तक कायम कर रखा है जिससे लोगों को बड़ी असुविधा हो रही है।

तीसरा, मेरा एक छोटा-सा सुझाव था। यह मामला मैंने पहले भी विधान सभा में उठाया था। उस दिन यह सवाल डिस्कस नहीं हुआ। घरेलू बुकिंग गैस का जो दुरुपयोग हो रहा है शहरों में, आपने 3 साल में कोई 10–12 मामले पकड़वाने के बता दिये और उसमें एक ही आदमी के 3–3, 4–5, या तो आपके इंस्पेक्टरों से उसकी कोई नाराजगी होगी, जयपुर जैसे शहर में, मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि हजारों जगह इसका दुरुपयोग होता होगा। आपको अंदाज है कि इसमें कितनी बड़ी भारी सब्सिडी है। घरेलू कुकिंग गैस को कामर्शियल में उपयोग करने से करोड़ों रुपये का महीने में या मैं तो कह रहा हूं कि जयपुर में तो रोज ही करोड़ों रुपये का दुरुपयोग होता होगा। दूसरी तरफ तो अपन यह कहते हैं कि खाद पर सब्सिडी है, वह कम करो। बिजली में जो किसानों को दे रहे हैं वह कम करो। यह सब लोगों के साथ हो रहा है। किसी से छिपा हुआ नहीं है। कोई होटल ऐसा नहीं है जिसमें ये गैस सिलेण्डर लगे हुए नहीं हों। उनमें कामर्शियल एक भी नहीं मिलेगा, सारे के सारे ये मिलेंगे। अभी जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि गैस सप्लाई समय पर नहीं होती, लोग चक्कर लगाते हैं। गैस सप्लाई घरेलू उपयोग वालों को तो नहीं होती होगी लेकिन इनके लिए तो एडवांस, आगे से आगे तैयार रहती है। आपका विभाग इसमें बिलकुल निष्क्रिय है। आपके इंस्पेक्टर की किसी से नहीं बनती हो तो किसी का चालान करके 3 साल में 15–15 नाम आपके पास भेज दिये कि हमने कार्यवाही की है, जयपुर जैसे शहर के अन्दर क्या पूरे जिले में। तो इस ओर

(श्री हरजीराम बुरड़क)

भी आपको ध्यान देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामस्वरूपजी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (सरकारी मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं किसदन का समय मांगें पारित होने तक बढ़ाया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : समय बढ़ाया गया।

मानीय सदस्य, शुरू करिये।

मांग संख्या 36 एवं 32 पर विचार

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सहकारिता मंत्रीजी से, जो व्यस्त हैं कुछ वार्तालाप में, निवेदन करना चाहूंगा कि ...

श्री खेतसिंह राठौड़ : पहले आप खाद्य पर फरमा दें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सदस्य, नादौती में कोई गैस एजेन्सी की बात तो कर लेना।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री रामस्वरूप : सबकी यह हार्दिक इच्छा है कि पहले खाद्य मंत्रीजी से बात कर ली जाये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जितना भी जो राशन आता था, चाहे वह गेहूं है, चाहे वह कपड़ा है या चाहे वह मिट्टी का तेल है, इन सबके भाजपा के समय में जितने भी डीलर थे, माननीय मंत्री महोदय, मैं सबसे पहले आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि उस समय जितने भी डीलर नियुक्त हुए हैं, आप कृपया सबसे पहले तो उनको बदल दें। क्योंकि वे सारे +++ हैं। जितने भी +++ थे उन सब लोगों को इन लोगों ने अपने समय में अगर कोई रोजगार दिया तो ये सारे उन दुकानों पर बैठा दिया भ्रष्टाचार करने के लिए। मैं एक नहीं, पचास प्रमाण-पत्र इस बात के दे सकता हूं। माननीय कटारियाजी यहां बिराजमान हैं उनको हंसी आ रही है। लेकिन अब आप उनको हटाइए, जितने भी डीलर इनके समय में इन्होंने बनाये थे।

श्री हरिसिंह (महुवा) (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय सदस्य, आप कुछ ऐसे लोगों के नाम भी जानते होंगे जो चड्डी भी नहीं पहनते होंगे।

श्री रामस्वरूप : इसलिए सबसे पहले तो मंत्री महोदय, जितने भी डीलर उस समय नियुक्त हुए हैं, इनके वक्त में, आप उनकी जांच करिये। वास्तव में वे डीलर इनकी पार्टी के भी मैम्बर थे, वे डीलर भी

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रामस्वरूप)

थे और वे रोजाना शाखाओं में भी जाते थे । 99 प्रतिशत आपको वे डीलर मिलेंगे । मैं बता रहा हूं, साहब । (व्यवधान) इसके कारण जो डीलर थे, वे अपना मिट्टी का तेल, जो उनको मिलता था, मैंने मंत्री महोदय को भी इस बात के लिये कई बार शिकायत की थी । जो पूर्व खाद्य मंत्री थे, जो आज यहां विराजमान हैं, मैंने उनको भी कई बार शिकायत की थी । मैं उनको इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने उस समय मेरी शिकायतों पर ध्यान दिया था और कईयों की तो उन्होंने जांच करवाई थी । जिसमें उनके खिलाफ कार्यवाही हुई थी एवं उनको इन्होंने डीलरशिप से हटवाया भी था । इस बात के लिये मैं उनको धन्यवाद दूंगा । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सौभाग्यशाली हैं, कम से कम आपको धन्यवाद तो दिया इन्होंने ।

श्री रामस्वरूप : लेकिन आप कह रहे हैं कि आपका नेकर वालों से कोई सम्बन्ध नहीं था । इसलिये आपने न्याय किया था । लेकिन ठीक है, अच्छी बात को कहना चाहिए ।

जब-जब भी आपके सामने कोई मांग रखी तो उस पर आपने कार्यवाही की थी । लेकिन मंत्री महोदय, आप भी बहुत अच्छे मंत्री हैं, आप इनसे भी बहुत अच्छे मंत्री हैं । मुझे आपके बारे में भी पूरा भरोसा है कि आप भी निश्चित रूप से इनकी जांच कराएंगे और निश्चित रूप से जो सही डीलर हैं उनको आप रखिये । लेकिन इस प्रकार सिफारिश के आधार पर इनके जो डीलर नियुक्त हुए थे उनको आप तुरन्त जांच करके हटवाएंगे । आप चाहें तो मैं उनकी लिस्ट भी दे सकता हूं । मेरे यहां की दे सकता हूं । यहां, जयपुर का तो मुझे पता नहीं है । लेकिन मेरे यहां सिफारिश के आधार पर जितने भी नियुक्त हुए थे, हमारे कांग्रेसी लोगों को इन्होंने हटाया था । जैसे ही इनका शासन आया था, इन्होंने आते ही, बहुत से ऐसे हमारे समर्थक थे जो कांग्रेसी विचारधारा के थे, उन लोगों को आते ही आपने हटवाया था ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अच्छा, पहले उनके पास थे क्या ?

श्री रामस्वरूप : उनके पास दुकानें, सबके पास नहीं थीं । जो भी लोग ऐसे थे, कांग्रेस को जिन्होंने वोट दिलवाया था, ऐसे लोगों के खिलाफ इन्होंने कार्यवाही की और अपने लोगों को, +++ को वहां बैठाया था । (व्यवधान) मैं लिस्ट भी दे दूंगा । मेरे पास सारी लिस्ट है । आपके जयपुर की भी मैं लिस्ट दे सकता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : आपस में नहीं ।

श्री रामस्वरूप : पहली मांग । दूसरी मेरी मांग है, जितना भी मिट्टी का तेल आपका आता है, यह ठीक है कि उसमें रंग का भी फर्क आपने डाल दिया लेकिन उसके बावजूद भी यह मिट्टी का तेल सारा डीजल में मिलकर जा रहा है । किसानों को सबसे ज्यादा इसमें हानि हो रही है । किसानों के इंजन इससे बैठ गये हैं । अगर

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री रामस्वरूप)

आप चाहो तो रात में एक गाड़ी ले लेना साथ में, और गाड़ी में बैठकर के आप किसी को, बिना प्रोग्राम के पधारो, मैं 2–4 पेट्रोल पम्प ऐसे बता सकता हूं जिनमें रात्रि को आपका मिट्टी तेल जाता है और सीधे उसकी टंकी में जाता है। यह बात मैं वैसे नहीं कह रहा हूं। मैंने खुद ने इस प्रकार कई जगह देखा है। वहां सीधा आपका मिट्टी का तेल, टंकी की टंकी, पूरा उसी डीजल के टैंक में जाता है और पूरा फर्जीवाड़ा होता है। सारे राशन कार्ड वगैरह उन्हीं के पास रहते हैं और वे फर्जीवाड़ा करके उनको भर लेते हैं। पेट्रोल पम्प जो भी हैं, वे किसी के भी हैं, लेकिन मैं नाम तो आपको बताता नहीं, और अगर आप चाहो तो मैं नाम भी बता दूंगा। आपको मौके पर दिखा भी सकता हूं। आप मेरे साथ पधारो। इस बारे में पहले भी आपने पेट्रोल पम्प, 2 बार पेट्रोल पम्प पकड़वाये हैं, इसके बावजूद भी आपने रोक नहीं लगाई, फिर दुबारा वे खुल गये। आज भी वे पेट्रोल पम्प धडल्ले से चल रहे हैं। आज भी मिट्टी का तेल उनमें मिलाया जा रहा है। इसलिये आपसे विनम्र निवेदन है कि ऐसे लोग, जिनके खिलाफ कार्यवाही अब तक की गयी थी, अब मेहरबानी करके उन्हें बख्शेंगे नहीं और पुनः उनकी कार्यवाही को खोलेंगे। मैं मंत्री महोदय को नाम दे दूंगा। इसके लिये आप अपने हिसाब से जांच करलेंगे। (व्यवधान) लेकिन अभी मैं नाम दूंगा तो वे सतर्क हो जाएं। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज ही मैं यहां पर नाम घोषित कर दूंगा, वे लोग सतर्क हो जाएंगे और वे इस प्रकार की कार्यवाही नहीं करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप नाम अपने पास रखो, आगे बोलें आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अगर वे आपके पास आकर पूछें तो ?

श्री रामस्वरूप : इस बात को गुप्त रखा जाता है। (व्यवधान) ऐसी बात नहीं है। मेरे पास कोई नहीं आएगा। मैंने तो हमेशा ईमानदारी का परिचय दिया है। आज तक इस प्रकार की बे-ईमानी कभी नहीं की। मेरा कभी भी किसी विभाग का कोई क्वेश्चन उठा होगा; आज तक एक्सेंट नहीं आयी। विधान सभा में मेरा कोई भी लगा है, हमेशा मैंने उसको उठाया है।

श्री उपाध्यक्ष : आप सहकारिता पर बोलिये, सहकारिता पर।

श्री रामस्वरूप : आप इस प्रकार का लांछन नहीं लगा सकते हैं। नहीं, मैं मंत्री जी को लिस्ट दूंगा। मंत्रीजी को इस बात की लिस्ट दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपूर्ति पूरी हो गयी, अब सहकारिता पर आ जाइये।

श्री रामस्वरूप : आप ही ने तो कहा, साहब, इस पर बोलो। और आप कहते हो कि आपूर्ति पर हो गयी। उपाध्यक्ष महोदय, आज तो कोई यहां बोलने वाला नहीं है। इसलिये मेरा नम्बर दिया है। कोई बोलने वाला नहीं बचा है। क्योंकि मेरा तो नियम है कि मैं विधान सभा में सही

(श्री रामस्वरूप)

टाइम पर आता हूं और लास्ट में जाऊंगा। जब से यह विधान सभा चल रही है तब से।

श्री उपाध्यक्ष : यह बात सही है।

श्री रामस्वरूप : मेरी एक भी गैर-हाजिरी नहीं है इस विधान सभा के अन्दर। मैं यह दावे के साथ कहता हूं। मेरी एक भी गैर-हाजिरी आप बता दो। यहां पर बैठा रहूंगा, सीट पर चाहे अकेला रहा हूं, चाहे 10 आदमी बैठे रहें। आज तो यह पूरी सीटें खाली पड़ी हैं लेकिन मैं तो यहां बैठा हूं अब तक। और अपनी बात के लिये बोल रहा हूं। पार्टी का मुझे हुक्म हुआ है। पार्टी का मुझे हुक्म हुआ है कि आप बोलेंगे।

(17.00 बजे)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपके बिना तो विधान सभा ही शून्य हो जाएगी।

श्री रामस्वरूप : मैं तैयार नहीं था, फिर भी हुक्म हुआ है, मैं हुक्म बजा रहा हूं। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) (सहकारी मुख्य सचेतक) : सहकारिता विभाग बहुत बड़ा विभाग है, उस पर भी बोलें।

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये-बोलिये। बोलने दीजिए। माननीय सदस्य, बोलने दीजिए उनको। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन

श्री महेश जोशी (सरकारी उप मुख्य सचेतक) : रामस्वरूपजी, आप यह कह कर अपना मान कम मत करो कि आज कोई बोलने वाला नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूं। आप बहुत अच्छा बोलते हो, इसलिए आपको बुलवाया जा रहा है।

श्री रामस्वरूप : अब पुलिस वाली डिमाण्ड पर देना मेरा नाम। अब पुलिस वाली डिमांड के दिन मेरा नाम देना। मैं आज ही कह रहा हूं। (व्यवधान) नहीं, यह नहीं, मैं बोलूंगा तब भी यहीं रहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य; आपका समय जा रहा है।

श्री रामस्वरूप : नहीं आप कह रहे हैं कि आप बोलकर चले जाते हैं। मैं तो आज तक बोलकर के नहीं गया। मैं बोलूंगा तब भी यहीं रहूंगा और नहीं बोलूंगा तब भी यहीं पर बैठा रहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आपका समय जा रहा है।

श्री रामस्वरूप : आपका यह आरोप लगाना गलत है। मेरा समय नष्ट हो रहा है। मेरा अमूल्य समय नष्ट हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो समय नष्ट करना चाह रहे हैं और आप उसको नष्ट करा रहे हैं। (व्यवधान)

डा. रतनलाल जाट : आप बोलने के बाद भी नहीं जाना। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : नहीं, नहीं, मैं बोलने

(श्री रामस्वरूप)

के बाद भी नहीं जाऊंगा । न कभी जाता हूं । उपाध्यक्ष महोदय भी इस बात को जानते हैं ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपको बोलने के लिए तो कह रहे हैं, आप बोलिए ।

श्री रामस्वरूप : हां, बिलकुल बोलूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : यह जानबूझकर आपका समय नष्ट कर रहे हैं और आप इसमें ज्यादा फंसे जा रहे हैं ।

श्री रामस्वरूप : जनता ने इनको नष्ट कर दिया । यह मेरा समय नष्ट कर रहे हैं तो जनता ने इनको नष्ट कर दिया । सब जनता पहचान रही है । इनको सब जान रही है । इनकी यह जो हालत हो गयी आज 30—32 रह गये हैं और वह +++ थे उनमें से यह दो-तीन जीतकर आये हैं । उन +++ में से यह दो-तीन जीतकर आये हैं । एक भी बंधु नहीं बचा है ।

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह आपके पुराने परिवार के सदस्य हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य ।

श्री रामस्वरूप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए माननीय मंत्री महोदय से निवेदन कर रहा था कि बहुत गम्भीर मसला है । देखिये, यह आम जनता से जुड़ा हुआ मसला है । इस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ तो चाहे कोई पार्टी हो, लेकिन यह मिट्टी का तेल जो सीधा डीजल के अन्दर जा रहा है, माननीय मंत्री महोदय, आप इसका कोई उपाय सोचें । यह बात सही है बिलकुल और इंजनों का सबसे ज्यादा नुकसान इससे किसानों को हो रहा है । मतलब किसानों के इंजन में यह डाला जाता है क्योंकि गांव के लोग हैं और वहां पेट्रोल पम्प उनसे दूर है । वे इसी को खरीद लेते हैं और इसके कारण से उनके इंजन बैठ रहे हैं । इसलिए आप मेहरबानी करके या तो इस व्यवस्था को बन्द कर दें या इन दोनों के भावों में एक समानता ला दें । कोई कुछ न कुछ आप विचार करें, इसके बारे में, नहीं तो यह सारा ब्लैक हो रहा है । यह विभाग तो आपने कमाने के लिए और ब्लैक करने के लिए, दो नम्बर का काम करने के लिए खोल रखा है । मिट्टी का तेल कोई काम नहीं आता है आपको । सीधी बात है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है, जिसके बारे में सारे माननीय सदस्य स्वीकार कर रहे हैं, इस बात को आप करिये ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं अधिक समय नहीं लूंगा । दूसरा, सहकारिता के बारे में मेरा निवेदन है । हमारे सभी माननीय सदस्य बोले हैं । माननीय मंत्री जी यहां विराजमान हैं । जब से हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार आयी है तबसे आपने आते ही माननीय मंत्री महोदय, जो यह विराजमान हैं,

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री रामस्वरूप)

उन्होंने आते ही घोषणा की थी कि हम चुनाव कराएंगे। बहुत अच्छी आपकी घोषणा थी। बहुत अच्छे आपके विचार थे। जो काम भारतीय जनता पार्टी अपने समय में नहीं कर सकी, उस काम के लिए आपने आते ही घोषणा कर दी थी। लेकिन बड़े दुःख की बात है कि हम अपनी घोषणा को पूरी नहीं कर सके। लेकिन उसमें आपका दोष नहीं है क्योंकि आपने जब देखा कि सदस्य ही हमारे सही नहीं, जब सदस्य ही हमारे सही नहीं है, सदस्य पूरे नहीं बने, पहले जो सदस्य बने उनमें फर्जीवाड़ा चल रहा है, तो आपने एक दूसरी घोषणा की कि हम पहले सदस्यता अभियान चलाएंगे। इसके बाद में करेंगे। इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने यह सदस्यता अभियान चलाकर वास्तव में कांग्रेस की साख को सुधारा और इस सहकारिता के साथ आपने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन अब मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो सदस्यता अभियान आपका चल रहा है, यह तो पूरा हो जाएगा लेकिन अबकी बार आप आज ही सदन में यह घोषणा करें कि जिससे कि हमारा चुनाव दुबारा नहीं टले। क्योंकि आदमी का वाक्य, एक बार तो आपने जनहित में ही इसको बदल डाला है। यह तो बार-बार टालते रहे। उनकी जुबान की कोई वक्त ही नहीं थी। यह तो सुबह कुछ कहते थे और शाम को कुछ कहते थे। उनके तो रोजाना रंग बदलते रहते थे लेकिन अपना ऐसा नहीं है। आपका तो एक बार जो वाक्य निकलेगा मुझे विश्वास है इस बात पर कि वह अटल होगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अटल जी तो हमारे साथ हैं।

श्री रामस्वरूप : जयललिता होगा। चलो साहब, जयललिता सही। यह कह रहे हैं कि अटल नहीं होगा, जयललिता होगा। वह आपका विचार है। वह इनसे दूर हो गई। अब इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आज ही आप इस बात की घोषणा करें कि हमारे सहकारिता के चुनाव कब कराये जा रहे हैं और उसकी डेट भी आज ही निश्चित कर दी जाए ताकि अनिश्चितता की स्थिति खतम हो जाए। चलिए एक बात और कहकर बन्द करता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद दीजिए।

श्री रामस्वरूप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूं कि सहकारिता विभाग के अन्दर जो व्यवस्थापक वगैरह, यह कर्मचारी लग रहे हैं, उनके बारे में अभी अनिश्चितता चल रही है। इनके हड़तालें भी लगातार चलती रहती हैं। बहुत से लोग हड़ताल पर अब भी बैठे हुए हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि हमारी सरकार जो संवेदनशील सरकार आयी है, पारदर्शी सरकार आयी है, मुझे विश्वास है कि कोई न कोई रास्ता इनका जरूर निकालेगी। माननीय मंत्री महोदय, आप इनके बारे में भी जरूर विचार करें। इसके साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुनः आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप मेरे यहां

(श्री रामस्वरूप)

जितनी भी जो सहकारी समितियां हैं, जिनमें कुछ के अन्दर घोटले हुए थे, सरकार ने उस वक्त एक निर्णय लिया था उनके ऋण-माफ किये थे, इससे अपन को बड़ा झटका लगा था। यह ऋण माफ उस समय में किसके हुए थे ? ऋण माफ उन लोगों के हुए थे, जिन लोगों ने एक भी किश्त जमा नहीं करायी। मतलब जो अधिकांश बेईमान थे। कितना बड़ा इससे सहकारिता विभाग को घाटा हुआ है, ऐसा निर्णय लेने से ? ऐसे-ऐसे निर्णय कई बार लोकप्रियता, सस्ती लोकप्रियता, वोट के कारण इस प्रकार के जो निर्णय लिये जाते हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह निर्णय देश और प्रदेश लिए घातक होते हैं। इस निर्णय ने हमको बड़ा भारी नुकसान दिया है। और इसलिए इसके कारण जो बेईमान लोग थे, जिन्होंने एक भी किश्त जमा नहीं करायी थी, ऐसे लोगों ऋण माफ हुए और जो ईमानदार थे, वे आज भी दुःखी हो रहे हैं इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि....

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जो गरीब थे उनका किया था।

श्री रामस्वरूप : नहीं, कोई गरीब नहीं था। यह बिलकुल झूठी बात है। वे लोग बेईमान थे। जिन्होंने एक भी किश्त जमा नहीं करायी। ईमानदार होगा, एक-दो किश्त जमा करा देगा, गरीब एक-दो किश्त जमा करा देगा लेकिन कुछ लोग चालाक होते हैं जिन्होंने चलाकर कोई किश्त जमा नहीं करायी और उनके ऋण माफ हो गये। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसी व्यवस्था के बारे में आप पुनर्विचार करें और इस प्रकार के लोगों के, जिनके ऋण माफ हुए, उनके बारे में आप दुबारा से जांच कराएं कि क्या उनके यह ऋण माफ होना उचित था। यह कतई उचित नहीं था। मुझे विश्वास है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मंत्री महोदय इसके बारे में कोई न कोई विचार करेंगे और उन लोगों ने जो लाखों रुपये खा गये सहकारिता विभाग के, उन लोगों की दुबारा से जांच कराकर उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। आपने मुझे जो समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जीतमल जी।

श्री जीतमल (बागीदोरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता का ग्रामीण परिवेश में बहुत बड़ा महत्व है। हमने यह देखा है कि सहकारिता आन्दोलन एक जन-आन्दोलन है। इस जन-आन्दोलन के माध्यम से ग्रामीण किसानों को, इसके साथ में दूरियां क्यों बढ़ी है, इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा। ग्रामीण इलाकों में जो किसान और मजदूर भाई जब खेती का समय आता है, जब हमको खाद और बीज की जरूरत पड़ती है, वक्त के मुताबिक उन किसान, मजदूरों को समय पर प्रमाणित, उन्नत बीज और खाद उपलब्ध नहीं होने की वजह से वे दर-दर की ठोकरें खाते हैं और मजबूर होकर किसी सेठ-साहूकारों का सहारा लेकर, कालाबाजारी के साथ उनको खाद खरीदना पड़ता है, जिससे हमारे काश्तकार भाइयों के मन में एक सहकार की जो भावना है, उसका वास्ता, बीच की खाई है, वह बढ़ती जाती है। लेम्प्स में, गोदाम में खाद उस समय आता है जब किसान

(श्री जीतमल)

अपना खेत बो देता है। किसान अपना खाद किसी व्यापारी के यहां से खरीद लेता है और जब बेमतलब का, बे समय से वह खाद आकर के उस गोदाम में सप्ताह भर के लिए पड़ा रहता है और उसके बाद वहां जो व्यवस्थापक है, आस-पास के बाजार में अच्छे बिचौलियों के साथ में मिलीभगत करके उस खाद को बेचने का काम करते हैं, जिससे यह देखने में आया है कि हमारे काश्तकार भाइयों का जो एक सहकार के साथ में सम्बन्ध होना चाहिए था, वह सम्बन्ध धीरे-धीरे विच्छेद होता जा रहा है। मैं यह कहूंगा कि सबसे पहले इस सहकारी जन-आन्दोलन को अगर हमें किसान के, गांव के हर व्यक्ति से उसका सम्बन्ध जोड़ना है तो सबसे पहले ग्राम सहकारी समिति के चुनाव की जो जटिल प्रक्रिया है, उस जटिल प्रक्रिया को बदलना पड़ेगा। क्योंकि यह सहकारी आंदोलन है जिस तरीके से ग्राम पंचायतों के चुनाव होते हैं तो लोग बढ़-चढ़कर उसमें हिस्सा लेते है। इसमें प्रक्रिया समझने वाला ही समझ पाता है। वास्तव में किसान जो दिन-रात उस खाद और बीज से जिसका सम्बन्ध होता है, वह व्यक्ति इस सहकारी आंदोलन के चुनाव की जो प्रक्रिया है, वह नहीं समझ पाता है। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि चुनाव प्रक्रिया को सरल बनाया जाए।

साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि बांसवाड़ा जिले में सहकारिता के माध्यम से काश्तकार भाइयों के साथ में एक व्यवस्थापक हो और उस व्यवस्थापक के साथ-साथ वहां की चुनी हुई बॉडी हो और इनको ऐसा प्रशिक्षण दिया जाए। वहां का व्यवस्थापक, अध्यक्ष और उसकी चुनी हुई बॉडी हमारे काश्तकार भाइयों को लेम्प्स की क्या कल्याणकारी योजनाएं हैं, हम लेम्प्स के माध्यम से किसानों को क्या फायदा दे सकते हैं, क्या भला हो सकता है, यह बताएं। जब तक लेम्प्स की बॉडी को इस तरह से प्रशिक्षित नहीं किया जायेगा तब तक उस बॉडी के जो लोग हैं, आम किसान के साथ में सरकार की जो भावना है, उसके साथ जोड़ने में असमर्थ साबित होंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, कि सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए जन-प्रतिनिधि और व्यवस्थापक, इन सबको इस तरह से ट्रेनिंग दी जाए ताकि आम जनता तक हमारे सहकारी आंदोलन की कल्याणकारी योजना से आम काश्तकारों को उसकी जानकारी मिले और हमारे किसान लोग इससे अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा खाद्य मंत्री महोदय को कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सेन्ट्रल गवर्नमेंट और राजस्थान की सरकार ने सस्ते अनाज की दुकानें खोलकर उस झोपड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को राहत पहुंचाने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चला रखी हैं। मैं तो इस सदन के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि वास्तव में जो चीज गरीब के लिए आती है वह गरीब को न मिलकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली और पंचायत हैडक्वार्टर या पंचायत दो भागों में बंटा हुआ उस डीलर का सीधा सम्बन्ध सप्लाई इंस्पेक्टर से होता है, और सप्लाई इंस्पेक्टर का सीधा सम्बन्ध हमारे डी.एस.ओ. से होता है।

(श्री जीतमल)

यह तीन इस प्रकार की कड़ियां है जिनके माध्यम से सीधा माल जिला हैडक्वार्टर से उठता है, सीधा मार्केटिंग के माध्यम से पंचायत समिति या तहसील स्तर पर आता है। सीधे ही सप्लाई इंस्पेक्टर महोदय डीलर से अपना रिश्ता जोड़े हुए रहते हैं। सीधा माल बी.पी.एल. और ए.पी.एल., इन लोगों को यह मालूम नहीं है कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले, जीवन-यापन करने वाले लोगों के लिए 10 किलो गेहूं बी.पी.एल. गेहूं की योजना शुरू हुए कम से कम डेढ़ साल हो गये, अब तक हमारे किसान भाइयों को यह मालूम नहीं है कि बी.पी.एल. का गेहूं किसके लिए आता है और कहां जाता है। पंचायत समिति हैड-क्वार्टर पर जिस मार्केटिंग के माध्यम से इंस्पेक्टर उस डीलर के माध्यम से सीधा गेहूं भरवा देता है और वह थर्ड एजेन्सी जो अच्छा-खाता तस्कर होता है, सीधा उसके गोदाम में जाकर सारे के सारे, जितने भी पैकेट होते हैं, वह सारे खाली कर दिये जाते हैं और दूसरे बारदानों से वह माल भर दिया जाता है।

मैं मेरे जिले की बात करना चाहूंगा। पास की गुजरात की सीमा पर रहने वाले जो लोग हैं, जहां पर बी.पी.एल. और ए. पी.एल. का सबसे ज्यादा तस्करी का काम हमारे उस इलाके में होता है। और हमारे अच्छे-खासे प्रभाव वाले व्यक्ति जो हर तरीके से पुलिस प्रशासन पर भी अच्छी पकड़ रखते हैं, जिला प्रशासन पर भी अच्छी पकड़ रखते हैं और सीधा डी.एस.ओ. से उसका अपना परसेंट बंधा हुआ रहता है। इससे गरीब के लिए जो गेहूं आता है, उस गरीब की झोंपड़ी तक न पहुंच कर सीधा वह तस्करी के रूप में पड़ौस के राज्यों में चला जाता है। मैं. उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि अगर इस तस्करी को रोकना है, इस गड़बड़ी को रोकना है तो हमारे तहसील स्तर पर कम से कम तहसीलदार को उसमें भागीदार बनाया जाए। माल जैसे ही उठता है, उठाने के बाद गोदाम पर जाकर तहसीलदार का नुमाइंदा या स्वयं तहसीलदार जाकर मौके पर चैक करें कि माल वास्तव में मौके पर पहुंच गया या नहीं पहुंचा। इस रूप में अगर हम कोई न कोई कारगर व्यवस्था करेंगे तो निश्चित रूप से आम गरीब के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जो सामग्री मिल रही है, उसका आज दिन तक जो दुरुपयोग हो रहा था, उस दुरुपयोग को हम रोकने में कामयाब होंगे। मैं इस मौके पर ज्यादा बात न कहते हुए यही कहूंगा कि इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ज्यादा से ज्यादा सुधार लाने की जरूरत है। निश्चित रूप से सरकार द्वारा दिया हुआ नारा तभी सार्थक हो सकता है जब इस तरह बिचौलिया करने वाले लोगों को हम कड़ी से कड़ी सजा दें तो निश्चित रूप से गांव में रहने वाले गरीब को न्याय मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : करण सिंहजी।

डा. करण सिंह यादव (बहरोड़) : उपाध्यक्षजी, बहुत संक्षिप्त में, मैं सहकारिता और नागरिक आपूर्ति की डिमांड्स पर अपने विचार रखूंगा। सदन में जिन बातों पर माननीय सदस्यों ने चर्चा की, उनको रिपीट न करते हुए मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय

(डा. करण सिंह यादव)

सहकारिता मंत्रीजी को, उनके इस क्रांतिकारी कदम की ओर, जिसके तहत सहकारी किसान कार्ड की योजना बनाकर प्रदेश में किसानों को ऋण मुहैया करवाने के लिए एक नये अध्याय का सूत्रपात किया है और मैं इस बात के लिए भी बधाई देना चाहूंगा कि आपने 900 करोड़ रुपये के काश्ती सहकारी ऋण उपलब्ध करवाने का टारगेट लिया है और भूमि विकास बैंक के माध्यम से 250 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋण की योजना बनाकर आप चले हैं। बहुत दुर्गम रास्ता है। आप सशक्त हैं शक्तावत साहब, लेकिन आपको बहुत चरमराया हुआ ढांचा मिला है। पिछले पांच सालों में, चुनाव हुए तो बहुत साल हो गये, लेकिन पिछले पांच सालों में सहकारी विभाग, मैं समझता हूं भा.ज.पा. की सरकार के अन्दर, भा.ज.पा. की आइडियोलॉजी और सहकारिता कहीं दोनों साथ-साथ नहीं चलते। अगर साथ चलते होते तो शायद इस विभाग को उस कदर दरकिनार नहीं किया जाता, न चुनाव हुए। सब जगह सरकारी-अफसरों का और प्रशासकों का नियन्त्रण रहा। और नियंत्रण होकर के भी यद्यपि पूर्व मंत्रीजी रोज अखबारों में एक भाषण दे दिया करते थे सरकारी विभाग का यहां विधान सभा से लेकर मीटिंगों में कि यहां सारी तरफ भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है और कह-कह कर वाहवाही लूटते थे जैसे एकमात्र मंत्रीजी बहुत ईमानदार आदमी हैं। लोगों में बड़ा संतोष होता था कि शायद इससे सहकारिता विभाग में कुछ सुधार होगा लेकिन आपने देख लिया कि पिछले पांच सालों में क्या हुआ।

धोद से आने वाले और सीकर से आने वाले माननीय विधायक बता रहे थे कि किस तरह सीकर की संस्थाओं पर कुछ माफिया का कब्जा हुआ है। वह उस कब्जे को नहीं छुड़वा सके। अच्छे काम करने वालों को भी उन्होंने कभी एप्रीसिएट नहीं किया।

मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा बीकानेर होलसेल भण्डार के एक बहुत अच्छे अध्यक्ष हुआ करते थे विजय सिंह।

युवा कार्यकर्ता थे, अपनी मेहनत और ईमानदारी से उन्होंने हर साल सदा लाभ कमाया। लाभ देकर अपनी उस बैंक की साख को बढ़ाया। दुर्भाग्य से युवा अवस्था में उनका निधन हो गया। बाद में जो उस होलसेल भण्डार के संचालक मण्डल के सदस्य थे, अध्यक्ष बने और सारे बीकानेर शहर के लोगबाग उनके प्रति इतने आकर्षित थे कि उन्होंने उनकी जनरल बॉडी में, बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में यह रिजोलुशन लेकर सरकार को दिया कि जो सरकार भवन बन रहा है, उसका नाम हम विजय सिंह सहकार भवन रखेंगे। और एक रिजोलुशन रखा कि हम विजय सिंहजी स्मृति को अक्षुण्ण रखने के लिए उनकी मूर्ति उस सहकार भवन में स्थापित करेंगे जिससे लोगों को महसूस हो कि विजय सिंह कौन था, सहकारी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को एक ईमानदार आदमी का इतिहास लोग देखते रहें। बीकानेर से आये वर्तमान शिक्षा मंत्री, कल्लाजी, बीकानेर के कोलायत से वर्तमान एम.एल.ए. श्री देवी सिंह जी भाटी ने आकर के निवेदन किया मंत्री महोदय से कि विजय सिंहजी के अच्छे

(डा. करण सिंह यादव)

कार्यों के लिए मूर्ति लगाने का निर्णय हमारी संस्था ने लिया है, आप पधारिये, आप उस मूर्ति का अनावरण कीजिये। जवाब था, सहकारी संस्थाओं में सारे भ्रष्टाचारी लोग बैठे हुए हैं, मैं किसी मूर्ती का अनावरण नहीं कर सकता और न किसी को करने दूंगा। अगर मूर्ति लगानी है तो मेरी मूर्ति लगाइये। माननीय राज्यपाल महोदय, उस मूर्ति के अनावरण के लिए जाना चाहते थे, निश्चित कार्यक्रम दिया हुआ था लेकिन कहा कि नहीं, मैं मूर्ति नहीं लगाने दूंगा। राज्यपाल महोदय को सरकार के माध्यम से गलत सूचनाएं दे दी गयीं कि यह गैर-कानूनी है, इसके लिए स्वीकृति नहीं प्राप्त है। कौनसे कानून हैं सहकारिता में जिनमें यह लिखा हुआ है कि जब सहकारिता के....

श्री हेमन्त कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे मंत्री को आपने धराशायी किया, इसके लिए, करण सिंह जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं।

डा. करण सिंह यादव : खैर, उन सब के प्रयत्नों के बाद में बीकानेर के नागरिकों ने उस मूर्ति का अनावरण करवाया और उसका नतीजा यह रहा कि उस होलसेल भण्डार पर केस, मुकदमें, उस पर प्रशासक नियुक्त करना, मुनाफा देने वाली, अच्छी काम करने वाली संस्थाओं को। यह तो एक छोटा-सा उदाहरण दे रहा हूं। इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपके पास में बहुत चरमरायी व्यवस्था मिली है।

मैं पुनः रिपीट नहीं करता हुआ आप का ध्यान दिलाना चाहूंगा। सहकारी विभाग की एक संस्था सहकारी उपभोक्ता संघ जो दवाइयों की खरीद फरोक्त हेतु इस उद्देश्य से बनायी गयी थी कि आम आदमी को सस्ती दवा मिल सके, उचित दर से मिल सके। लेकिन मुझे इस बात का बहुत बड़ा झटका लगा जब सवाई मानसिंह अस्पताल में हमने उस समय मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी रजिस्टर करवा कर के और दवा लाइफ लाइन के माध्यम से बेचने की बात सोची। दवा विक्रेताओं को बुलवाया, रोजमर्रा काम में आने वाली ग्लूकोज की बोतल की जब कीमत आंकने की बात आयी तो हमने दवा विक्रेताओं से पूछा कि इसमें आपकी क्या लागत आती है? तो उन्होंने कहा, साहब, एक बोतल पर हमारी एक रुपये की लागत आती है। ग्लूकोज की बोतल में पानी होता है, थोड़ा-सा नमक होता है थोड़ीसी, चीनी होती है। हमने कहा, भाई, इसकी 30 रुपये कीमत कैसे? उन्होंने कहा, साहब, 30 रुपये नहीं है, हमारी मार्केटिंग, हमारी एडवरटाइजिंग, हमारी ओवर हैड इन सब खर्चों को मिला कर हम आपके अस्पताल के अन्दर इस बोतल को सात रुपये में दे देंगे। अच्छी नेशनल ब्रांड, रेपुटेड। वह सात रुपये की बोतल जब खरीद कर हमने कहा जब सात रुपये में मिल रही है अपन इसको दस रुपये में बेचें। बाजार में उस बोतल की कीमत 30 रुपये और आपकी सहकारी विभाग की दुकान उस बोतल को बेच रही है 29 रुपये में और कहते हैं कि हम बाजार से सस्ती दर पर बेचते हैं। इस बात की जानकारी करनी पड़ेगी कि उतना लम्बा-

(डा. करण सिंह यादव)

चौड़ा मुनाफा, सात रुपये, 25 रुपये या 29 रुपये में, सहकारी विभाग जिस चीज को बेच रहा था, वर्षों से जिस मुनाफे को कमाया जा रहा था वह मुनाफा वाकई में डिपार्टमेंट को था या आपके इन उपभोक्ता संघों के लोगबाग, इसको 25 रुपये में खरीद कर के और 29 रुपये में बेच रहे थे।

जब मैंने इस बात को चालू किया तो अस्पताल में हड़कम्प मच गया, इस सारे विभाग के अन्दर। मंत्री महोदय, आपको पुराने रिकार्ड चैक करने होंगे, उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से कहना चाहता हूं और जांच करनी होगी कि क्या कारण थे कि जब हम लोगों ने दवाइयों की कीमत कि सही स्थिति लाकर के सरकार के सामने रखी तब उसकी कीमत का पता चला। और सालभर बाद में जिस ग्लूकोज की बोतल को सवाई मानसिंह अस्पताल की मेडि-केयर रिलीफ सोसाइटी की लाइफ लाइन दुकान दस रुपये में बेच रही थी, एक बहुत बड़ा इस्तहार लगा कर के और उपभोक्ता संघ की दुकान लिख रही है कि हमारे यहां ग्लूकोज की बोतल साढ़े नौ रुपये में मिल रही है जैसे शराब के ठेकेदारों में मार्च के महीने में कम्पीटिशन हो जाता है उस तरह से कम्पीटिशन, और अखबार में इस तरह की बात प्रचारित की जाती है। सहकारिता विभाग से मुझ को नोटिस मिलते हैं और विधान सभा में इस तरह के प्रश्न उठाये जाते हैं कि सवाई मानसिंह अस्पताल में लूट चल रही है, साढ़े नौ रुपये में जो बोतल बाजार में मिल रही है सवाई मानसिंह अस्पताल की लाइफ लाइन की दुकान उसको 10 रुपये में बेच रही है, 50 पैसे की लूट। मैं आपका ध्यान इन दुकानों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिन पर आप जाकर देखें। ज्यादातर सरकारी कर्मचारियों के लिए. चूंकि पाबन्दी है कि उन दुकानों से खरीदें, वो वहां जाकर खरीदते हैं आम तौर पर उन दुकानों पर बैठे हुए लोगों का काम होता है एन. ओ. सी. देने का। तो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया और सामने एक दुकान बता दी कि फलां दुकान से जाकर लें, साथ में दुकान वाला उठ कर चला जाता है। गिनी-चुनी दवाइयां मिलती हैं। आप दस दवाइयां रोजमर्रा में काम आने वाली लेकर स्वयं जाकर देख लें उनमें से वो पांच-सात दवा-इयां दे देंगे और उसके बाद में बाकी की जो मुख्य दवाइयां हैं, जिनमें पैसे की आमदनी है वह सामने किसी दुकान वाले को बता देंगे। अगर हम वाकई में उपभोक्ता और सह-कारिता के माध्यम से लोगों को राहत दिलाना चाहते हैं तो इन दुकानों की तरफ देखना होगा।

एक बात ऐसी भी आयी कि इन लाइफ लाइन को बन्द कर दिया जाय क्योंकि इससे सहकारिता विभाग की दुकानों को घाटा पड़ता है। हमने कहा कि इन सह-कारिता विभाग की दुकान को क्यों नहीं बन्द कर दिया जाय। तो कहने लगे कि नहीं, ये पेंशनर्स को पहले एडवांस में दवा-इयां देते हैं और सरकार इनको बाद में पेमेंट करती है। आप पेंशनर्स की किसी दुकान पर जाकर देखिये वो 75 साल के बूढ़े, 80 साल के बूढ़े सुबह जाकर के अपनी डायरी लेकर बैठते हैं और शाम तक उनको आधी दवाइयां मिली, चौथाई दवाई

(डा. करण सिंह यादव)

मिली, इस तरह का व्यवहार उनके साथ में है।

मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं।

दूसरी बात, मंत्री महोदय, आप बहुत उदार हैं और यह तो नहीं कहूंगा कि परमात्मा की कृपा से आप बीमार हुए लेकिन परमात्मा की कृपा से और अच्छे आपरेशन से आप दिल की बाईपास सर्जरी करवा कर के स्वास्थ्य लाभ करके आज हमारे बीच में सहकारिता विभाग को एक नया दिशा-निर्देश देने के लिए यहां अपनी पारी खेल रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सहकारिता विभाग हृदय रोगियों को जिनमें वाल्व के प्रत्यारोपण करने हो, या बाईपास सर्जरी करानी हो, या कैंसर के असाध्य रोग हैं या जिनका गुर्दे का प्रत्यारोपण होना है, ऐसे अनेक लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और उन लोगों को माननीय मुख्य मंत्री के यहां से उनके कोष से कुछ सहायता मिलती है, उनको कुछ प्रधान मंत्री कोष से मिल जाता है, कुछ शहर के लायन्स क्लब, रोटरी क्लब इस तरह की संस्थाएं करती हैं और कल माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कृषि विपणन विभाग से भी कृषकसाथी योजना के तहत इस तरह के रोगियों को अनुदान देने की घोषणा की है, आप निश्चित रूप से उदार हैं, आपमें मानवीय दृष्टिकोण सदैव रहा है, मैं प्रार्थना करूंगा कि आप के विभाग में से 10 हजार रुपये की राशि ऐसे मरीजों के लिए जो दिल का आपरेशन करवा रहे हों, या कैंसर की भयावह बीमारी से ग्रसित हों या गुर्दे का प्रत्यारोपण करवा रहे हों। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इस तरह लाभ मिले।

इन्हीं शब्दों के साथ शुभकामनाओं के साथ में कि अब प्रदेश में सहकारिता का विकास होगा। सहकारिता के बारे में हम सुनते हैं गुजरात और महाराष्ट्र का की वहां कितनी प्रोग्रेस है, वहां की संस्थाएं किस तरह से सहकारिता से चल रही हैं, हम आने वाले पांच सालों में उनके समकक्ष आवें, उनसे अग्रणी आवें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपकी मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, जिसकी आप मांग कर रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट आपका नम्बर आ रहा है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया :.... यह तो पहले से ही प्रगति रिपोर्ट में दे रखा है कि ये देते हैं। इस प्रगति रिपोर्ट में ये जो उपलब्धियां 14 पर दे रखी हैं सहकारिता के कल्याण के....

डा. करण सिंह यादव : अगर है तो और बढ़ा दीजिए सर।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हां, यों कहो आप, क्योंकि यह पहले से ही देते है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कटारियाजी।

डा. करण सिंह यादव : अखबारों में घोषणा नहीं, आम आदमी को मालूम नहीं, सहकारिता से जुड़े हुए लोगों को

(डा. करण सिंह यादव)

मालूम नहीं मैं गांवों में हाथ जोड़ रहा हूं, मुझे आज तक मालूम नहीं। हो सकता है कि दो चार शासन और प्रशासन से जुड़े हुए लोगों के चार रिश्तेदारों को कहीं मिल गये हैं लेकिन जिस तरह से लोगों को मालूम है कि मुख्य मंत्री सहायता कोष से मिलता है, प्रधान मंत्री सहायता कोष से मिलता है उसी तरह का फायदा आम आदमी को नहीं मिले। अगर यह है व्यवस्था तो इसको चालू रखें और सुचारू बनाने के लिए लोगों को इसमें आब्स्ट्रक्शन नहीं हो मैथेडोलाजी बड़ी स्ट्रेट हो कि वह अस्पताल में पैसा पहुंच जाए या मरीज को आपरेशन के बाद मिल जाए इसकी व्यवस्था ऐसी हो जिसमें ज्यादा ब्युरोक्रेटिक असुविधाएं नहीं हों और रोगी को सीधा लाभ मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि इसका प्रचार-प्रसार इतना नहीं हुआ जिसके कारण से सामान्य व्यक्ति तक जाए। मैं इसमें एक सुझाव अपनी तरह से बताना चाहता हूं और वह सुझाव यह बताना चाहता हूं कि सहकारिता के जो सदस्य हों उनको इसमें डबल लाभ मिले। बाकी अगर हम इसी पैसे को सर्वसाधारण से भी निकालेंगे तो शायद मैं सोचता हूं कि हमारा जो सोच है, उसमें थोड़ी कमी रहेगी। जो सहकारिता के सदस्य हैं उस परिवार का अगर कोई व्यक्ति हो तो उसे अगर दस हजार हम दे रहे हैं, हम इसको बीस हजार रुपया करें ताकि उसको निश्चित रूप से यह लगे कि मैं भी जिस सहकारी समिति का सदस्य हूं, इसका मुझे कोई विशेष लाभ मिल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो खाद्य और आपूर्ति मंत्री जी से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मैं सोचता हूं कि जब से इस सदन में मैं सदस्य के रूप में आना शुरू हुआ है तब से लेकर मैं यह की यह बातें आज दिन तक चाहे सरकार हमारी रही हो या आपकी रही हो, यह की यह भाषण अब तक सुनते चले आ रहे हैं। और इसलिए भी कई बार मन यह करता है कि अगर हम भाषण करने के लिए बोलते हैं, यों सरकार इसलिए सुनती है या उसमें कोई एक कदम भी हम आगे बढ़ाना चाहते हैं या और कुछ मंशा हमारी है कि नहीं क्योंकि जब तक हमारी बिल नहीं होगी किसी काम को करने की, तब तक परिणाम कुछ आने वाला नहीं है, क्योंकि यह की यह समस्या हम रोज वर्णन करते हैं और रोज सुनते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम उचित मूल्य की दुकान कहते हैं। ये मूल्य तो उचित हैं पर ये दुकान उचित हैं कि नहीं, इसके बारे में कभी सोचने की कोशिश नहीं की। यह तो सही बात है कि वहां रेट तो ज्यादा नहीं ली जाती जो भाव होता है उसी भाव से लिया जाता है लेकिन वहां वह उचित सामग्री उचित व्यक्ति तक पहुंचती है कि नहीं, इसकी जानकारी हममें से किसी को नहीं है। हममें से प्रत्येक जानते हैं कि वह सही ढंग से सही जगह पर नहीं पहुंच पाती है। उसके पीछे कई कारण हैं। इन कारणों के ऊपर हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि जिसको हमने यह उचित मूल्य की दुकान दी है उसे इसमें से मिलता क्या है,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इसके बारे में कोशिश की। उस बेचने वाले व्यक्ति को शक्कर की खाली बोरी मिलती है। मैं नहीं समझता हूं कि ऐसा कौन पागल आदमी होगा जो शक्कर की बोरी के लिए हां आपकी दुकान को लेकर बैठे और यह आफत अपने माथे लेवे। मतलब हमने प्रारम्भ से ही हमारे सोच इसलिए प्रारम्भ से गलत है। हम जिस चीज को सुधारना चाहते हैं उसके ऊपर तो प्रयास करते नहीं और हम बेकार में दूसरों के ऊपर लादें वह अकेला वह जो उचित मूल्य की दुकान है न, पाप तो करता है वह और भुगतता है वह और माल सब लूटते हैं। मतलब वह कमाई करता है बाकी सब लोगों के लिए बांटने के लिए मरना उसको और खाने का काम बाकी सब लोगों की दुकानदारी का समय पर पहुंचाने का काम वह दुकानदार करता है। इस हकीकत को हम क्यों नहीं स्वीकार करते है ? हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि हम उसको कोई इतना वाजिब दाम दें कि जिस वाजिब दाम से उसके बाल बच्चों का पेट भर सके तब तो यह फोकट की फौजदारी वह करेगा। नहीं तो यह पहले भी होता था, आज भी होता है और आगे भी होगा। दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं रोक सकती है। चाहे हम यहां कितने भी भाषण ठोकें। अगर ईमानदारी से हम सही आवश्यक जांच करना चाहते हैं तो हमें निश्चित रूप से इसके बारे में यहां से केन्द्र सरकार से जो भी हो उसकी वाजिब रेट हो, अगर वह मान लो आपकी 50 बोरी गेहूं बेचता है तो महीने भर में 50 बोरी गेहूं बोरी बेचने से हजार दो हजार तो मिले ताकि वह अपने गांव में रहने वाले बाल बच्चों को पाल सके। मतलब ईमानदारी की बात है कि वह लखपति नहीं बना है वह जो आपकी उचित मूल्य की दुकान है वह लखपति नहीं बना है। दुर्भाग्य क्या है इस देश का जो सारी मगजमारी करता है वह तो खींच-तान करके अपनी जिन्दगी चलाता है, लेकिन उसके आधार पर चलने वाला आपका इंस्पेक्टर राज और आपकी यह सारी फौज है न, यह लखपति और करोड़-पति यह बनी। इसमें से बना वह बिचौ-लिया दलाल जो ऊपर है और इस माल को बेईमानी से उसके पास से उठाकर ले जाकर दूसरी जगह बेचकर के वह माला-माल होता है। मतलब सारा का सारा गुनाह भुगतता है वह उचित मूल्य का दुकानदार। हम सब गलतियां निकालते हैं उसकी, सब दोष उसका निका-लते हैं पर ईमानदारी की बात यह है कि दोष उनका नहीं है। हमारे सिस्टम का दोष है जिसके कारण से ऐसा है। हमारे पास जितनी यूनिट है उतनी यूनिट का सामान हम नहीं देते हैं। ईमानदारी से कोई बता दे कि जितनी यूनिट आपकी वहां तय है उतनी यूनिट का सामान उसे मिलता है क्या ? अगर नहीं मिलता है तो कहां से बांटेगा और उसके पहले बांटने के पहले आपके कितने लोगों को 10–10 किलो शक्कर सबके यहां भेंट पूजा चढ़ानी पड़ती है हर महीने। इन हकीकत को जब तक हम नहीं समझेंगे, समझते हैं हम सब लोग। हममें से कोई ऐसा आदमी नहीं होगा हो इन हकीकत और कड़वी बातों को नहीं जानता होगा। तो दुर्भाग्य यह है कि कौन कड़वा बने, कौन इसका मुकाबला करने के

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लिए उतरे जैसे गंगा बह रही है धोते जाम्रो हाथ ग्रौर कहते जाम्रो जय गंगा माता की। करो। यह हकीकत है।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय कटारियाजी। किसने उसको पाबन्द कर रखा है कि इस पाप में वह बढ़े ? किसने पाबन्द किया है ? जब एक-एक दुकान के लिए हजार-हजार, पांच हजार पांच हजार रुपये देकर बनते हैं इस पक्ष को क्यों नहीं देखते हैं ग्राप ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं। वह पक्ष है। मैं ग्रापको कह रहा हूं न। वह खर्चा है ग्रपने बाल बच्चों का पेट भरने के लिए उसकी मजबूरी है। ग्रापको उसका रास्ता सोचना पड़ेगा तब इसका रास्ता निकलेगा। बाकी ग्राप अकेले उसको दोष देने के लिए नहीं कहेगे। मैं सोचता हूं कि इस समस्या का समाधान भी ग्राप कर सकते हैं ग्रौर वह समस्या का समाधान ग्राप कर सकते हैं। को-ग्रापरेटिव के माध्यम से जो ग्रापकी ग्राम सेवा सहकारी समिति है या जो ग्रापका लेम्प्स ग्रौर पेक्स हैं उनके माध्यम से ग्राप 100 प्रतिशत उचित मूल्य की दुकान को इनको क्यों नहीं देते हैं ? ग्रगर वास्तव में जनता की सेवा करने का काम है और जनता के द्वारा ही होना है तो फिर उसको क्यों बीच में लायें। आप ग्रपनी जो एजेंसी हैं इस एजेंसी के माध्यम से भी ग्राप इसे दे सकते हो। मैं ग्रापसे ग्रौर प्रार्थना करना चाहता हूं

श्री शिवनाथ सिंह : यह ठीक है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह जो आपका होल सेल भण्डार है। यह होल सेल भण्डार इसका दिवाला निकल जाता है। केवल अगर यह दवाइयों की दुकान नहीं होती है न, इसके साथ तो ये सब के सब ग्रपना सामान बेच जाते हैं क्योंकि हमने हमारा होल सेल भण्डार का जो परपंज था जिसके कारण से हमने होल सेल भण्डार प्रारम्भ किया था वह था कि जो कन्जूमर ग्राइटम हैं छोटे-छोटे हैं गरीब ग्रादमी वहां से वाजिब दाम पर खरीदें ग्रौर उसको कम से कम जो बाजार का ग्रधिक दाम है उसको उससे बचाया जा सके। ईमानदारी से आज हमारे होल सेल भण्डार पर आप जाकर देखो उनमें से कितनी सामग्री है जो उस गरीब के लिए वहां पर है। ग्रगर कुछ है भी सही तो ऐसे बड़े लोगों के लिए पड़ी है जो थोक में वहां से उठाकर ले जाते होंगे ग्रौर इसका कारण है हमारा जो मजदूर है वह मजदूर ग्रापका एक किलो तेल नहीं खरीद सकता। उसकी क्षमता ही नहीं। वह ग्राधा किलो मिर्ची नहीं खरीद सकता। ग्रगर ग्राप वास्तव में गरीब ग्रादमी की मदद करना चाहते हैं तो ग्रापको कोई छोटे पैकिंग निकालने पड़ेंगे जिन छोटे पैकिंग के ग्राधार पर मजदूरी करके शाम को जब घर पर लौटकर जायेगा तो वहां से दो-दो पुड़की उठाकर ले जायेगा तो उसका लाभ होगा नहीं तो क्या होता है जब बाजार में वह खरीदने के लिए जाते हैं तो एक पीपरिया भरकर तेल डाल देते हैं ग्रौर उस पीपरये तेल का तीन रुपया ले लेते हैं। वह तेल डेढ़ रुपये का भी नहीं होता ग्रगर हम वास्तव में कुछ करना चाहते हैं। हमारे मन में, कोई दर्द है पीड़ा है ग्रौर वास्तव में हम उस गरीब ग्रादमी की मदद करना चाहते हैं और इस प्रकार की जो लूट हो रही है उसको ग्रगर हम

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उस लूट को रोकना चाहते हैं तो हमें निश्चित रूप से कुछ ऐसे तरीके निकालने पड़ेंगे जिन तरीकों का कोई आधार होगा। हमारे थोक भण्डार कोई मुनाफे कमाने की जगह नहीं हैं। पता नहीं यह कौनसी सोच पैदा हो गयी कि यह मुनाफा कमाने की एजेंसी है। हम मुनाफा नहीं, बिना नुकसान नफे के हम अपने उन लोगों को राहत पहुंचा सकें और बाजार में बढ़ने वाली लूटखोरी को हम कन्ट्रोल कर सकें। यह हमारा यह भाव थोड़े ही था कि दुकानदार को मिर्ची नहीं मिलती इसलिए हम मिर्ची बेचने बैठें। हम मिर्ची बेचने के इसलिए बैठे हैं कि बाजार में उसका अधिक भाव लिया जाए तो कम से कम लिया जाए। और यही नहीं श्रीमान् वास्तव में यह जो आपकी दवाइयों की जो दुकानें हैं डाक्टर साहब बोलकर चले गये, डाक्टर साहब को पहली बार उस बोतल की कीमत उस दिन पता लगी जिस दिन इन्होंने मैडिकेयर रिलीफ सोसाइटी खोली। उसके पहले तो ये डाक्टर साहब थे ही नहीं। उसके पहले तो इन्होंने कभी बोतल का उपयोग किया ही नहीं। मतलब मैं यह कहता हूं कि हम लोगों के मन में इतना पाप भर गया है कि हम ईमानदारी से किसी चीज पर जाना नहीं चाहते। केवल हम छिछालेदर करते हैं एक दूसरे का छिछालेदर करते हैं, कहते हैं हमने बहुत कल्याण कर दिया। गलत है। मैं यह कहता हूं कि मैं बुरा हूं या आप बुरे हैं, कोई भी बुरा है तो जो बुराई है वह बुराई है उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा और उसके अनुसार चलना पड़ेगा। मैं इस पक्ष में कभी नहीं हूं कि मैंने कोई गुनाह कर लिया तो आप उसे माफ कर दें, नहीं गुनाह का दण्ड मिलना चाहिए। निश्चित रूप से गुनाह का दण्ड मिलेगा तभी व्यक्ति सुधर सकेगा।

आपने कभी इस ट्राइबल क्षेत्र के हालात नहीं देखे होंगे।

हमारी उचित मूल्य की दुकान पर मुझे बहुत दुख है कि देवगौड़ा जी के समय में एक निर्णय हो गया कि दस किलो प्रति कार्ड का मिलेगा क्या खायेगा दस किलो में क्या खा सकता है मेरी समझ में नहीं आया। या तो इसको बन्द कर दो। इस दस किलो के पीछे वह दिन भर लटक करके बैठा रहता है और चार बार उस दुकान पर जाता है तो वहां ताला लगा हुआ मिलता है। वहां पर वो तो है ही नहीं। वह तो देकर चला गया। मैं यह सोचता हूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको केन्द्र सरकार से भी चर्चा करनी पड़े तो निश्चित रूप से आप चर्चा करें। पर यूनिट तो कोई समझ में आ सकता है पांच किलो राशन रखो। एक परिवार में जिसका सामूहिक परिवार है उसमें 18 आदमी हैं उसको भी आप दस किलो देते हैं, जिसमें दो आदमी हैं उसको भी दस किलो, यह कौनसा तरीका है। मतलब केवल पापुलर नारों के आधार पर हिन्दुस्तान की जनता को कब तक मूर्ख बनायेंगे? जब तक हमारे बस का रोग है तब तक हम बनाते जायेंगे, कोई बात नहीं है। जब तक हमारा दम है हम करते चले जायं। आज नहीं कल, कल नहीं परसों वह जरुर समझेगा कि यह केवल नारों के लिए नारे हैं यह हमारे पेट की भूख को शांत करने का काम नहीं है। हम इस बात को कभी नहीं समझते कि इसमें कुछ समस्याएं, कमियां हैं और विशेषकर के उस ट्राइबल एरिये में जिस प्रकार से दुकानें

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

और जिस प्रकार की बस्तियां हैं जहां वह उस दस किलो राशन को लेने के लिए एक मील जाएगा तब गेंहू मिलेगा, एक बार जाएगा तब शक्कर मिलेगी, एक बार जाएगा तब कैरोसीन मिलेगा। क्या यह कोई तरीका है कि वह तीन दिन अपनी मजदूरी छोड़े पचास रुपये की, और वह दस किलो राशन लेने जाए? यह कभी संभव नहीं है। वह जहर के घूंट पीता है लेकिन होता कुछ नहीं है। उसकी परेशानी को वो ही जानता है कि उसे किस प्रकार से इस सिस्टम ने दबोच कर रख दिया है। इस बारे में विचार करें। मैं कहता हूं कि आपका कोई दुकान खुलने का समय नहीं वहां। वह मर्जी आये तब एक ताला ठोककर के चला जाता है, जब मर्जी आए तब एक बात कह देते हैं खतम हो गया। क्या खतम हो गया? खतम हो गया, कम से कम यह शब्द कहता है तो उसकी डायरी में लिख दे कि आज तारीख को सामान खतम हो गया। दस्तखत कर दे कि मेरा आज सामान खतम हो गया। कोई बात नहीं, मुझे समझ में आ सकता है कि मुझे माल नहीं मिलेगा लेकिन, लेकिन वह खतम होकर उस गरीब आदमी को, उस अनपढ़ आदमी को ना करके आप रवाना कर देते हैं। इस सिस्टम में कोई सुधार करने का प्रयास करें।

मैं सोचता हूं इसको राजनीति में डालकर के हम लोगों ने हमारे इस प्रदेश का एक तरह से बेड़ा गर्क कर दिया। मैं आपसे बहुत विनम्रता से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप हर चीज को राजनीति में मत डालियें। हमारे मन में कोई पीड़ा है, कष्ट है, हम कुछ मिटाना चाहते हैं, कुछ ठीक करना चाहते हैं सिस्टम को तो हमें निश्चित रूप से उसके बारे में सोचना चाहिए।

मैं यह पूछ सकता हूं कि आपकी यह इतनी जो इन्सपेक्टरों की फौज है यह करती क्या है? इनका काम क्या है? इनके काम के बारे में किसी ने रिपोर्ट लेने की कोशिश की है कि आप जो इतने लोग हो, आपका काम क्या है? खाली चौथ वसूली करने के लिए आपको सरकार ने नौकरी दी है क्या? ताकि आप चौथ वसूल करो और शाम को पैसे इकट्ठें करके ले आओ। आपका कोई काम नहीं, कोई चैकिंग नहीं। आपने कभी किसी की चैकिंग की है, कभी कोई सैम्पल लेकर इस बात का पता किया कि किस घटिया क्वालिटी की चीज है। यह सही है या नहीं है। उनका काम तो यह है मोटर साइकिल पर घूमों आराम से। जितने ठोककर ला सकते हो उतना ठोककर लाओ। यह हकीकत आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। मैं कह रहा हूं और आप कह नहीं पा रहे हो दोनों में अन्तर यह है। यह हकीकत है और इस चीज को हम रोज देखते हैं, रोज इन चीजों का अनुभव करते हैं लेकिन हम इस समस्या का निदान नहीं निकालते हैं। हम यह नहीं कह सकते कि आपके डिपाटमेंट की (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ मेरे से बन पड़ा वो मैं कर रहा हूं और जो मेरे से बन पड़ेगा मैं करूंगा। मैने सबकी दुनियां की ठेकेदारी नहीं ली (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री परसादी लाल : बात तो यह सही कह रहे हैं पर आठ साल से चुप क्यों थे ? आपने कभी डाक्टर रामप्रताप जी से कहा क्या कि इसको ठीक करो, कभी कहा क्या आपने ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : बिल्कुल ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब कर दो । अब कर दो घोषणा ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्री जगमाल सिंह यादव : इनकी गलतियों को सुधार लो ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्री परसादी लाल : सारा सिस्टम तो बिगाड़ कर रख दिया खुद ने ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : यह न तो इधर की कह रहे हैं न उधर की कह रहे है। यह तो बात सामने है जो बता रहे हैं सुन लो ना आप ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप अपने शरीर का, मन का वजन हल्का करना चाहते हो आप जरुर करो हमें कोई एतराज नहीं ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय तो खड़े होकर कोई रिमार्क पास कर दें उस पर तो कोई एतराज नहीं। उस रिमार्क पर हम कुछ बोल दें उस पर आपत्ति है ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर. आर्डर । यह स्वयं अपना रिट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, इसमें आपको क्या कष्ट है ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर आपको इसमें ही प्रसन्नता है कि हमारे को दो गाली में आपका मन भर जाता है तो आप जरुर देओ हमें कोई एतराज नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, यह अपना स्वयं का रिट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं आप इनको करने दीजिये ना । क्या तकलीफ है ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं सोचता हूं हम सभी लोगों को, और अगर हम वास्तव में समस्या के गर्त में जाकर के पकड़ना चाहते हैं तो हमें अपना मन बनाना पड़ेगा । और उनसे जो भी कठोर कार्यवाही हो सकती है वह अगर करने की हमारी मंशा है, तब तो इस समस्या का हल निकलेगा, नहीं तो यह रिकार्ड में बंद हो जाएगा । और कभी कहेंगे कि हमारे बाप दादा कभी विधान सभा में बोले थे । इससे अधिक कुछ नहीं रहेगा । मैं मन से बहुत दुखी होकर के इन बातों को कह रहा हूं । मैं इन बातों को इसलिए कह रहा हूं कि हम केवल विषय की गहराई में नहीं जाना चाहते । हम कहते हैं आपके समय में गबन हुआ, वह कहते हैं आपके समय में गबन हुआ । गबन करने वाला न आपका है न हमारा है वह बेईमान और दुष्ट है । उसे सजा देना हमारा फर्ज है । जिस दिन पता लगा उस दिन चोर है बाकी वो साहूकार है । पहली बात तो चोरों का पता ही नहीं लगता । चोरों का पता लगने के बाद भी अगर वो निकल जाए तो फिर दुर्भाग्य है और मैं तो एक के बाद एक नहीं, इन

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

गबन के कागजों को देखा जाए तो कोई दिन अखबार ऐसा नहीं आता है जब इस सहकारी विभाग में कोई न कोई गबन का काम नहीं हो। यह निकलता है। हमारे राज में निकलता है, आपके राज में भी। कोई गबन का शब्द हमने शुरु नहीं किया, 1990 में पहली बार डिक्शनरी में शब्द हमारे कारण से लिखा गया हो तो हम उसके दोषी हैं। मैं नहीं समझ पाता हूं इन छोटी छोटी बातों को लेकर आप कब तक अपने आप को इस तरह और गुमराह करने का प्रयास करोगे। निश्चित रूप से यह गबन के जो मामले होते हैं इनके बारे में सख्ती चाहिए। दुर्भाग्य तो यह है कि कि गबन होता है, एक सस्पेंड का कागज बन जाता है और चार-छह महीने के बाद वापस आकर वहीं बैठ जाता है। वह दुगुनी जैसे कोई पेट करके लेता है उनको छह महीने की दान दक्षिणा नहीं मिली ना उसको भी वह धमाके से लूटने का प्रयास करता है। यह है सिस्टम आज का। हमने क्या किया? मिला क्या उसमें से क्या हम साल में ऐसे दो-चार लोगों को भी नौकरी से घर रवाना कर नहीं सकते, क्या हम इस बात का प्रयास नहीं कर सकते कि वह मुकदमा जीतकर के आ जाएगा तो हमसे तनख्वाह ले जाएगा। दस साल की हम तनख्वाह दे देते हैं। पर हम कुछ लोगों को सीधा नौकरी से टर्मिनेट करके घर भेजने का प्रयास करें। मुकदमा हार जायेंगे सारा पैसा देंगे तनख्वाह देंगे कम से कम वह चोर जो गरीब को लूटता है, वह तो कम से कम नहीं लूटेगा। अगर हम कुछ करना चाहते हैं, हमारे मन में कुछ करने की टीस और पीड़ा है तो हम निश्चित रूप से कर सकते हैं। और यह सब समझने को तैयार हैं पर यह जानते हैं कि कुछ नहीं होगा, इसलिये ये कुछ नहीं करते। अगर इनको चार को झटका लग गया ना राजस्थान में नौकरी से बाहर, अगर नौकरी से बाहर 100–200 तो निकाल दो कल हड़कम्प मच जाएगा। परसों सब अपनी लाइन पर लग जाएं।

श्री रामस्वरूप : आज ही पांच को झटका लगा है रोडवेज विभाग में।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, रामस्वरूप जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : बहुत अच्छी बात है। लगाया तो आपका स्वागत है। पर उनमें से छांटकर के जो सही बेईमान पकड़ में आता है उसको घर भेजने का इन्तजाम करो। दो-चार ही करो साल में, पांच-चार ही करो। कुछ करो, नमूने के लिए ही करो। तब जाकर के इस समस्या का समाधान निकलेगा।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बात को समझ रहा हूं। मैं दो बातें कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने रोका थोड़ी है, बोल लीजिए आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर आप वास्तव में सहकारी व्यवस्था में इस सारे के सारे सहकारी सिस्टम में हम कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो इसका आधार-

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

भूत है ग्राम सेवा सहकारी समिति। जब तक आपकी ग्राम सेवा सहकारी समिति सही नहीं होगी आपका ऊपर का ढांचा जब आपकी नींव ही ठीक नहीं है तो आप मंजिल क्या बना रहे हो, किस आधार पर बना रहे हो और ग्राम सेवा सहकारी समिति में वास्तव में गांव का आदमी यह जानता ही नहीं है कि चुनाव होते कैसे हैं और हुए कब। इस हकीकत को स्वीकार करना चाहिए।

बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा अगर हम वास्तव में ईमानदारी से इसको सुधारना चाहते हैं, यह हमारे मन की कल्पना अगर है तो निश्चित रूप से चुनाव विभाग के माध्यम से, एक निश्चित विज्ञप्ति के माध्यम से, निश्चित तरीके के माध्यम से जैसे भी उसको नाम लिखाना हो, जैसे ही सदस्य बनना हो, दुर्भाग्य यह है कि कोई सदस्य बनना चाहे तो आपका व्यवस्थापक सारे रिकार्ड जेब में रखकर के चला जाता है। अब आप उसके पास घूमते रहो। भले ही वह कोई सदस्य ही नहीं बनाना क्या करो आप। इसका कोई एक सिस्टम सोचना चाहिए। यदि मेरे फलां पैसे फलां जगह मैंने रजिस्टर्ड डाक से करा दिया और मुझे रसीद मिल गयी, तो मेरी सदस्यता मिल गयी। सदस्यता खुली होनी चाहिए, कौन पार्टी का आदमी बनेगा। दुर्भाग्य यह है कि इस को-आपरेटिव को अगर किसी ने डुबाने का काम किया तो यह राजनीतिक सोच ने किया। हम सोचते हैं हमारा बनना चाहिए। आप सोचते हैं हमारा बनना चाहिए। आप यह नहीं सोचते हैं कि सिस्टम सुधरना चाहिए। वह हमारा बनेगा तो वह लूटेगा, हमारा बनेगा तो लूटेगा। तो लूटने के लिए हमने यह संस्थाएं बनायी है। इसके लिए हमारा मन बना था कि हम इस सिस्टम को करना चाहते हैं। इसलिए आप इसके चुनाव को खुले मन से, जो भी बन जाए कोई बात नहीं, उसकी एक समयावधि निश्चित कर दो क्योंकि जब तक समयावधि निश्चित नहीं होगी क्योंकि ऊपर की सारी मंजिलों का चुनाव वो करता है। आपके थोक भण्डार में भी वह चुनाव में आता है, आपके क्रय-विक्रय में भी चुनाव में आता है। आपके बैंक के चुनाव में भी उसका प्रतिनिधित्व आता है लेकिन नीचे तो चुनाव हुए हैं। आप हमको गालियां देते हैं आपने नहीं कराये। हमने 1991 में कराये उसके बाद नहीं कराये लेकिन उसके पहले जाकर देखा क्या 1972 में कराये थे। 1972 में चुनाव कराये मतलब कितना गेप था। पहले थोड़ा सा अपने को भी झांक कर देखने की कोशिश करो कि उसमें गेप कितना था। यह हमेशा होता चला आया है। जब हम कराने की कोशिश करते हैं तो यही विधायक ईमानदारी की बात यह कहता हूं कि हम लोग ही इसमें सबसे ज्यादा रोड़े हैं जो इस बात की रोज यहां वकालत करते हैं। हम रोड़े हैं। हम यह सोचते हैं कि हमारा बराबरी का आदमी कोई दूसरा बनकर के नहीं खड़ा हो जाए इसलिए इसको रोको कि इसके चुनाव को टालो। कभी कुछ कहकर, कभी कुछ कहकर, कभी कुछ कहकर। अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए हमने इस संस्था को डुबो कर रख दिया है और उसका दोष हम किसी दूसरे पर थोपना चाहते हैं। ईमानदारी से दोष हमारा है, हमारे मन

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

का दोष है कि कोई इसमें से निकल कर के आगे चुनाव में आकर के मेरे लिये एम. एल. ए. का दावेदार बनेगा। दर्द कहीं है ईलाज कहीं करना चाहते हैं।....

इसमें से दर्द का इलाज नहीं निकलेगा। मैं चाहता हूं कि यह जो को–आपरेटिव संस्था है यह ग्राम का अलग....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ऐसा है कि शिक्षा मंत्री के नाते मैं जब 1994 में यहां खड़ा हुआ था ना, तो आप मेरा पहला भाषण निकाल करके देख लेना, मैंने कहा, मेरे पास ऐसा डिपार्टमेंट है मैं दुबारा चुनकर नहीं आऊंगा। यह मेरे शब्द थे। पर फिर भी मैं इसको सुधारने का प्रयास करूंगा चाहे मैं बलिदान हो जाऊं तो हो जाऊं। मैं उन संस्कारों का आदमी नहीं हूं। मैं ना राजनीतिक कलर देना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जिसके लिए हम हैं, उसके लिए ईमानदारी से उसकी सेवा करने का प्रयास करें। निश्चित रूप से उसमें से रास्ता बनेगा और उस रास्ते को बनाने का अगर प्रयास किया जाये तो भी आज सारा का सारा आपका पंचायत राज कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर गांव की दशा सुधारनी है उस गरीब को खाने कमाने लायक बनाना है तो आपकी को–आपरेटिव संस्था उसको खाने कमाने लायक बना देगी। आपने जिस प्रकार से रोज एक गाली देने की आदत है, आपने कुछ नहीं किया आपने कुछ नही किया। ईमानदारी की बात भी कुछ बोलो। हमने किया है। जो अच्छा किया उसको स्वीकार करो, जो बुराई रही उसकी आलोचना करो तब तो कोई करने की भी हिम्मत करेगा, नहीं तो पांच साल के बाद कोई दूसरा आयेगा वह हमको गाली ठोकता जायेगा कोई हमने अच्छा नहीं किया। अगर इसके आधार पर, तर्क-वितर्क के आधार पर करना चाहते हो, मैं सोचता हूं कि सारी की सारी को-आपरेटिव संस्थाएं और बैंक अगर लाभ में आईं तो क्या इस पीरियड़ में नहीं ...

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : पब्लिक ने क्यों नकारा आपको ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अब पब्लिक ने नकारा तो यह कोई मापदण्ड नहीं है। 1984 में आप बहुत बड़े बहुमत में दिल्ली में, लोकसभा में आये थे और तब आपको घुटने टिका दिये थे। तब आपको जवाब देना चाहिए था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आपका अटेन्शन इधर। आप उधर क्यों खयाल करते हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इस तरह से श्रीमान् मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो आपका है ना कि किसी को सजा देते हो और किसी को छोड़ देते हो यह जो थर्मामीटर है ना यह थर्मामीटर ठीक ढंग से नहीं है। मैं कहता हूं कि दोषी कोई भी व्यक्ति हो उस दोषी को दण्ड मिलना चाहिए। जब कभी किसी भी, जैसे आपने चूरू के होलसेल में एक भ्रष्टाचार हुआ 4 लाख और समथिंग का आपने उस पर कार्यवाही की। दो को सस्पैंड कर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

दिया और जो उसका मूल मुल्जिम था उसको बचा लिया। यह कुछ ऐसा हमारे मन में कि छोटे आदमी को हलाल कर दो उसके बाद में वह दो चार दिन रोयेगा और उसके बाद में अपना काम चल जायेगा और फिर वापस ले आयेंगे। यह जो मानसिकता बनी, इस मानसिकता को बदलने का प्रयास करो। अमर होकर के नहीं आये हो। कोई सौ दो सौ साल नहीं जीओगे। हम लोग अगर वास्तव में जनता के प्रति कमिटेड हैं तो हमारा मन यह होना चाहिए कि मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा, मैं बनूंगा कि नहीं बनूंगा, पर मैं इस सिस्टम को सुधार करके ही छोडूंगा। तो उसमें से समस्या का निश्चित रूप से समाधान होगा। जनता आपका सहयोग करेगी, समर्थन करेगी। लेकिन अधूरे-अधूरे मन से, अधूरे-अधूरे दिमाग से, क्योंकि मुझे जीतना भी बहुत जरूरी है, इसमें यह भी करना बहुत जरूरी है इसमें से अमर होकर निकलूंगा, यह जो आपका सोच बना ना इस राजनीति ने इसका बेड़ा गर्क कर दिया। हम लोगों ने केवल भाषण ठोकने के अलावा और कोई काम मन से नहीं किया। मैं आज बहुत विनम्रता से यह जो दोनों आपके विभाग है ना यह उस गरीब से जुड़े हुए हैं, उस आदमी के गांव से जुड़ा हुआ है। मैं सोचता हूं आपने अपने में लिखा क्रेडिट कार्ड का वह शुभारम्भ मुख्य मंत्री जी ने किया तो तो हमने कुछ किया था कि नहीं यह आते ही क्रेडिट कार्ड तैयार थे जो फटाफट निकल गये तो जब आपने अपनी इस क्रेडिट कार्ड की सारी की सारी योजना बना करके हमने आपकी फाइल पर दे रखी है आप अपनी फाइल को उठा करके देखना। और उसका केवल चुनाव होने के कारण से, चुनाव आ जाने के कारण से उसको फाइनल रूप नहीं दे पाये थे। हम यह चाहते हैं कि आपने अच्छा किया उसको अच्छा कहेंगे उसको कोई गलत नहीं कहेंगे। लेकिन कुछ हमने किया। आपने पहले दिन आकर किसी बिल्डिंग के ऊपर पत्थर लगा दिया इसका मतलब यह नहीं कि बिल्डिंग आपने बना दी क्योंकि उसका प्रारम्भ तो हमने भी किया यह बात नहीं कह कर केवल इस आधार पर अपन चर्चा करेंगे तो यह चर्चा ज्यादा उपयोगी सिद्ध नहीं होगी। इसलिए मै आपसे विनम्रता से इसलिए,आज आपने जो भण्डारण के लिए अगर आप वास्तव में किसान की मदद करना चाहते हैं सबसे दुःखी अगर हिन्दुस्तान में आज की तारीख में कोई है 50 साल की आजादी के बाद तो हिन्दुस्तान का किसान है। आज भी उसके खपरेल पर वही गेहूं है जो उसके बाप-दादा छोड़कर गये थे। आज भी गांव में जाकर किसी बच्चे को आप गेरू पकड़ा दो और एक कलम दे दो बेटा जो भी इस गांव में और लिख जहां-जहां तुझे खपरेल दिखाई दे वहां लिख दे यहां किसान-किसान-किसान और जैसे ही पक्का मकान आये लिखना यह नौकरी करता है या व्यापार करता है। क्या यह 50 साल की आजादी का वह आपसे सवाल नहीं पूछेगा। पर उसके बारे में क्या नहीं, उसका एक मात्र कारण है कि जब वह फसल तैयार करता है तो कोड़ियों के भाव बिक जाती है वह तो हवाई किले बनाता है कि मैं 20 रुपये किलो सरसों को बेचूंगा और जब सरसों को ले जा कर मण्डी में रोता है ना तो वहां पर 11 रुपये

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

में बिक जाती है तो उसके सारे अरमान उसके चूर हो जाते है। इसके लिए भण्डारण की व्यवस्था आपको कोई दूर दराज के स्थान पर नहीं उसके नजदीक के स्थान पर आपको उसको भण्डारण कैसे मिले, ताकि वह आपको दे करके और उसकी एवज में पैसा लेकर के आगामी फसल की तैयारी करके अपने बाल-बच्चों को पाल सके। सबसे आवश्यक है 75 प्रतिशत पैसा तो आप देंगे, लेकिन 75 प्रतिशत पैसा देने के लिए उसको 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। तो उस गरीब आदमी की समझ ही नहीं है कि वह वहां से अपना माल ढो करके वहां ले जायेगा और इसमें आपको प्रचार-प्रसार करके लोगों को प्रेरित करके माल को रखने की व्यवस्था आपको गांव-गांव करवानी पड़ेगी। एक आदमी को लाभ मिलेगा तो निश्चित रूप से वह गांव में अगले साल 10 लोग तैयार हो जायेंगे। नहीं तो अभी उसकी इतनी समझ ही नहीं बनी है कि उसमें इसमें से भी कोई लाभ मिलता है आपकी योजनाएं सही हैं। कई चीजें हम करते हैं उन चीजों की जानकारी अभी जनता को नहीं है। आपने प्रशिक्षण का कार्यक्रम कर दिया, आपने शिक्षा का भी कार्यक्रम कर दिया, आप कैम्प भी लगाते हैं चिकित्सा के भी कैम्प लगाते हैं लेकिन सामान्य जनता को अभी जानकारी नहीं है और इसके लिए वही एक मात्र रास्ता है कि आपको पंचायत के स्तर पर ही आपकी ग्राम सेवा सहकारी समिति को जोड़ना पड़ेगा दोनों को अलग-अलग नहीं। वहीं उसकी बाउण्ड्री होगी, वही उसकी सदस्यता होगी, वहीं काम होगा तब जाकर के निश्चित रूप से इसका प्रचार-प्रसार कर आपको प्रयास करना चाहिए उतना प्रचार-प्रसार करना चाहिए ताकि, निश्चित रूप से उनको इसका लाभ मिल सके। मैं आपकी बात को समझ रहा हूं। मैं अपनी बात ज्यादा लम्बी नहीं करना चाहता पर मैं आपसे इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि ...

श्री उपाध्यक्ष : वह मुझे मालूम है कि नहीं बोलेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप दोनों मंत्री महोदय से कि थोड़ा अपने आपको जब चुनाव आयेंगे वहां अपन आपस में मुकाबले में लड़ लेंगे लेकिन चौबीसों घण्टे राजनीति का चश्मा चढ़ा करके अगर आप परिवर्तन लाना चाहोगे तो असफल हो जाओगे। यह समय है, आयेगा और जायेगा, कोई पड़ेगा और कोई उठेगा। यह कोई परमानेन्ट मुकाबला नहीं है। मन की इच्छा होनी चाहिए कि अगर हम वास्तव में उस गरीब की सेवा करना चाहते हैं, उस किसान की सेवा करना चाहते हैं तो उसके कदम हमारे बढ़ने चाहिए। यही निवेदन करके अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरचन्द सिंहजी।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता विभाग के बारे में बहुत कुछ माननीय सदस्यों के विचार बड़े सूझ भरे आये हैं। मैं इसके बारे में कुछ मेरी तरफ से निवेदन करना चाहूंगा।

सहकार का नारा एक सबके लिए और सब एक के लिए। लेकिन आज की परि-

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

स्थितियों में यह नारा अधूरा-सा लग रहा है । यह सारे सब प्रशासन के लिए हैं तब जाकर के कहीं पूरा होगा । कोई भी ऐसी सहकारी संस्था उसके चुनाव जो प्रजातन्त्र युग के अन्दर सारी संस्थाओं की नींव होते हैं उनके जितने भी नियम बनाये गये उन नियमों में ऐसी क्लिष्टता भर दी गई है कि आम आदमी, जो अनपढ़ हैं, वह पहले तो इसको समझता नहीं है और जो समझ गया, वह इतना चतुर और चालाक हो गया कि उसने सारी सहकारी संस्थाओं के ऊपर अपना कब्जा बना लिया और जो प्रशासनिक मशीनरी है, जो इनको देखती हैं उनके साथ उनका घाल-मेल हो गया और उस घाल-मेल की वजह से इन कोआॅपरेटिव इंस्टीट्यूशन्स से उन चालाक आदमियों में से कुछ लोगों ने इस सारे इतने बढ़िया इस आंदोलन को नेस्तनाबूद करके रख दिया । टोटल सहकारी संस्थाओं की यूनिट्स हैं । उधर साहब कोई और नई चर्चा शुरू हो रही है । मुझे तकलीफ हो रही है ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर । माननीय सदस्य को ऐतराज हो रहा है ।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : एक तो माननीय सहकारिता मंत्रीजी चुनावी नियम जो हैं इनका सरलीकरण किया जाये । जब तक चुनावी नियमों का सरलीकरण नहीं होगा, तब तक यह संस्थाएं नहीं पनप पायेंगी और एक इनके अन्दर जो चुनाव की प्रक्रिया, सारी की सारी प्रशासनिक मशीनरी के हाथ में दे दी गयी है । वह नहीं चाहते हैं कि

(18.00 बजे)

आम आदमी अपनी व्यवस्था खुद करे । वह उनमें दखलंदाजी करके इन संस्थाओं को फेल करने पर तुले हुए हैं ।

मान्यवर, तिलम संघ की अभी बात चल रही थी । काश्तकार को जो टारगेट्स दिये गये, हरित क्रांति का नारा दिया गया, उसने देश के अन्न भण्डार को भर दिया । इस मेहनतकश धरती मां के पूत यह उसमें कभी कमी नहीं आने देते । कभी दलहन पैदा करने का नारा दिया गया, कभी तिलहन पैदा करने का नारा दिया गया । उसने तो उस नारे को पूरा किया और तिलम संघ बना । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस तिलम संघ को आज क्यों बंद करने की नौबत आ रही है? इसके पीछे क्या कारण हैं ? अगर आप.... (व्यवधान) यह घाटा नहीं है । यह घाटा पैदा किया गया है । वह राजस्थान सरकार को चलाने वाले एक चीफ सेक्रेटरी, उसने अपने रिश्तेदारों की एक बारात तैयार की बराबर, इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, और आज नतीजा यह हुआ कि ऐसी संस्था को हमारी सरकार भी बंद करने पर तुली हुई है । ऐसी संस्था को बंद मत करिये । इसको चलाइये और वह दोषी लोग ऐसे फैसले जिन्होंने किये और ऐसी संस्थाओं को नेस्तनाबूद किया, वह जेल में होने चाहिए थे न कि सारा कृषक समाज इसकी सजा भुगते ।

मैं निवेदन कर चुका हूं और अगर इसमें भूल हो गयी हो तो मैं हाथ जोड़कर और कह रहा हूं कि + + + इसकी जांच फरमाइये । और उनको सजा दीजिये ।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

ऋण की बात आती है, अभी गीत गाये जा रहे थे कि हमने क्रेडिट कार्ड बना दिये लेकिन मैं सहकारिता मन्त्रीजी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि काश्तकारों की जमीन को बचाने के लिए ग्रामीण सहकारी समितियों की संरचना की गयी थी। यह आंदोलन चलाया गया था लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर आपका इसका इतिहास उठाकर देखेंगे तो सबसे ज्यादा जमीनें काश्तकारों की उन्हीं ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अन्दर असत्य और फर्जी ऋण रखकर के बिना किसी जांच के उनकी जमीनों की नीलामी हुई है और यह एक रिकार्ड है। साहूकार से तो वह अपनी जमीन बचाता आया लेकिन यह सहकारी विभाग में जो सरकारी मगरमच्छ थे उनसे वह अपनी जमीन को नहीं बचा पाया। इसकी व्यवस्था फरमाइये आप।

इसलिये मैं निहायत अदब से गुजारिश करूंगा, मैं ज्यादा कुछ न कहता हुआ यह 3-4 मुद्दे मैंने आपके सामने रखे हैं और मैं उम्मीद करता हूं....

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (सहकारिता मंत्री) : माननीय सदस्य, ऐसे कुछ उदाहरण देंगे जिसकी वजह से फर्जी लोन के आधार पर किसान की जमीन बेच दी गयी। किस गांव में, किस सोसायटी को, कोई उदाहरण दे सकेंगे ?

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : दे सकूंगा। मैं फेहरिस्त दूं ..

श्री शिवनाथ सिंह : बहुत लम्बी हो जाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, बहुत लम्बी हो जाएगी, हजारों में जाएगी। इसलिए इस बात को तो यहीं रहने दीजिये और आप जाने दीजिये।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं तो एक-दो उदाहरण की बात कर रहा हूं ताकि मेरा ज्ञानवर्धन हो सके।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय, बहुत लम्बी लिस्ट हो जाएगी यह।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : मेरी कंस्टीट्यूयेंसी के अन्दर अमरसिंह वाला ग्राम सेवा सहकारी समिति ..

श्री उपाध्यक्ष : आप अलग से दे देना। अलग से दे देना।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : गुलाब सिंह नाम का, आपका ही नाम राशि था। उसकी जमीन नीलाम हुई।

मैं नागरिक आपूर्ति मंत्री महोदय से कुछ निवेदन करना चाहूंगा। उचित मूल्य की दुकान, बहुत अच्छा नाम है। लेकिन दुकानों के अन्दर मूल्य उचित हो सकता है, उसका तोल उचित नहीं है और उसके अन्दर शायद हो सकता है दोष उस दुकानदार का भी नहीं हो। ऐसी व्यवस्था की गयी है कि जो उसको सामान दिया जाता है वह बिना तोले दिया जाता है और बिना तुला हुआ सामान उसकी मात्रा क्या है, इसका कोई पता नहीं। वह अपनी जेब से नहीं भुगतेगा। वह फिर उन्हीं हिसाब से उन्हीं बाटों से तोलेगा। तो उचित मूल्य तो उसको आप कह सकते हैं लेकिन उसकी मात्रा को उचित नहीं कह सकते। आप इसकी कोई व्यवस्था करिये कि वह सामान तुलकर उस उचित मूल्य वाले को जाए।

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

जो दुकानें खोली गयी हैं उन पर जन-प्रतिनिधियों की मौजूदगी के अन्दर यह दुकानें आवंटित होनी चाहिए, राजनीतिक आधार पर नहीं होनी चाहिए और यह राजनीतिक घुसपैठ से इन सारी दुकानों का भट्टा बैठ गया।

मान्यवर, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा। जहां तक कैरोसीन का सवाल है, और चीजों में कोई गड़बड़ी हुई या नहीं हुई, मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर और खास तौर से मैं बीकानेर डिवीजन के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर एक लीटर भी कैरोसीन आयल ग्रामीण जनता को नहीं मिला और उसका कोटा कहां गया, कहां नहीं गया, यह मुझे मालूम नहीं और वायवल अल्टरनेटिव के नाम पर अभी सवाल आ रहा था गैस आपूर्ति। यह बात सही है कार्माशियल उद्देश्य के लिए गैस आपूर्ति की जाती है लेकिन फिर भी उनमें यह संशय रहता है कि उस वक्त गैस नहीं मिली तो फिर यह उचित मूल्य की दुकान का कैरोसीन उनके ड्रम उनके पास तैयार होते हैं। किसी देहाती को मिले या गरीब को मिले या नहीं मिले लेकिन उन मिठाई के कारखाने चलाने वाले लोगों के पास सैकड़ों की तादाद में हमने शिकायतें कर-करके यह कैरोसीन के ड्रम पकड़वाये हैं लेकिन नतीजा उसका कुछ नहीं हुआ। वह साफ बच जाते हैं और कार्यवाही उनके खिलाफ होती नहीं। इसकी वजह क्या है। क्योंकि सारा का सारा यह उचित मूल्य की दुकान अलॉट करने का काम एस.डी.ओज. की जेब की निगरानी और एक-एक इंस्पेक्टर को बैठा रखा है और इंस्पेक्टर महोदय उनसे बात करके अपनी जेब में लिस्ट ले आते हैं और एस.डी.ओ. महोदय मोहर लगा देते है और यही कारण है कि उन लोगों ने इसको अपनी जागीर बना रखा है। यह कोई राहत पहुंचाने वाली दुकान नहीं है। यह कमाई करने के साधन बने हुए हैं। इनको सेवा केन्द्र बनाइये। मेहर-बानी करके ऐसी व्यवस्था करिये ताकि जिस उद्देश्य से सरकार इतनी व्यवस्था कर रही है तो उस गरीब आदमी को इसका लाभ मिलना चाहिए जो आपका उद्देश्य है।

इन्ही शब्दों के साथ मैं निहायत अदब से गुजारिश करूंगा कि आप मेरी बातों पर गौर फरमाएंगे और इस व्यवस्था को सुधारने की कृपा करेंगे और मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। बहुत-बहुत शुक्रिया। जय हिन्द। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सहकारिता मंत्रीजी।

श्री कन्हैया लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलना है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने यह कहा था कि यह समय मैंने ले लिया इसलिए नहीं बोलेंगे इसलिए मैंने नहीं बोला (व्यवधान) आप बुलाओ उनको। माननीय सहकारिता मंत्रीजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट के लिए, दो मिनट दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट रुको, बोलने दें। अच्छा बोलो।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता आंदोलन को किसान की रीढ़ की हड्डी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन जिस प्रकार किसानों के लिए जो ऋण की व्यवस्था, उनके खाद के लिए, बीज के लिए या उनके घर के अन्य कामों के लिए ऋण की आवश्यकता है वह आज.. 6 हजार से ज्यादा उनको कहीं, चाहे वह कितना बड़ा काश्तकार हो, छोटे काश्तकार को मुश्किल से 1000-1500 से ज्यादा कभी नहीं मिल पाता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें भी परिवर्तन करके इस 6 हजार की सीमा को बढ़ाया जाये और यह किसान क्रेडिट कार्ड का जो आपने शुभारम्भ किया है इसको बहुत जल्दी ही किसानों में वितरित करा दिया जाये जिससे उनको सुविधा हो। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अन्य कई बातें माननीय सदस्य बता चुके हैं लेकिन क्रय-विक्रय सहकारी समितियां चाहे वह जयपुर की क्रय-विक्रय सहकारी समिति हो या अन्य कहीं की क्रय-विक्रय सहकारी समिति हो आज उनके जो अध्यक्ष हैं चाहे वह कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे वह बी.जे.पी. पार्टी के रहे हों। वहां उस क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के पास में जितनी चल और अचल सम्पत्ति रही है और जितनी खुर्द-बुर्द उनके द्वारा की गई है, अगर आप उसकी जांच करवायेंगे तो करोड़ों नहीं अरबों रुपयों की सम्पत्ति आपको पता लग जायेगी कि इस सम्पत्ति को किस तरीके से तोड़-मरोड़ के बी. जे. पी. के शासन में भारतीय जनता पार्टी के रहे और कांग्रेस के शासन में कांग्रेस के साथ हो जाते हैं और उन्होंने खुर्द-बुर्द करके सम्पत्ति अर्जित कर ली है।

आज जयपुर में एकमात्र महिला उपभोक्ता भण्डार जो राजस्थान में यहां जयपुर में चालू किया और उस महिला उपभोक्ता भण्डार में करुणानी योजना के तहत 14 दुकानें चालू की और वह जो दुकानें चालू की अभी डा.साहब बता रहे थे उसकी बहुत जबरदस्त जांच हुई और वहां जो चीज 4 रुपये में आती थी उसे 29 रुपये में बेचा। जो मेडिकल की दुकानों पर उन्होंने जिस प्रकार एक साल का उनका जो 14 दुकानों का साढ़े तीन लाख रुपये का, तीन लाख रुपये के हिसाब से उनमें घोटाला निकला। उसकी जांच करके वसूल करने की कार्यवाही की गयी। वह वसूल करने की कार्यवाही इतनी धीमी थी और आखिरकार जो वसूली की फाइल थी वह फाइल भी, मैं कहता हूं उस फाइल का ही पता नहीं है। वह फाइल कहां गयी, इसलिए मैं आप से एक निवेदन करना चाहूंगा कि जिसका आफिस मालवीय नगर में और उसको करीब-करीब आप बंद करने जा रहे हैं इसी वजह से, उसको बंद नहीं करके वह बहुत लाभ की संस्था है। इसकी अगर जांच करवाई जाये तो उसकी कई सम्पत्तियां भी खुर्द-बुर्द कर दी गयी है। जो उपभोक्ता भण्डार अभी बंद भी कर दिया है मानसरोवर में उसमें भी काफी गबन, घोटाला, लाखों रुपयों का किया गया है। अगर इसकी जांच करवाई जाये तो उसमें काफी सम्पत्ति और काफी लोग दोषी पाये जायेंगे।

अभी आपने अनुसूचित जाति, जन-

(श्री कन्हैया लाल)

जाति और ओ. बी. सी वर्ग की कुछ महिलाओं को, 14 व्यक्तियों को उस महिला उपभोक्ता भण्डार में से आपने निकाला है। जो दोषी व्यक्ति थे उन व्यक्तियों को तो आप दूसरी जगह एडजस्ट करने की सोच रहे हैं और उन गरीबों को निकाल कर के आपने उनको कहीं दूसरे आफिस में एडजस्ट भी नहीं किया है। मेरा आपसे निवेदन है कि उन 14 गरीब व्यक्तियों को जिनके बाल-बच्चों के लालन-पालन करने के लिए उनके पास कोई और व्यवस्था नहीं है उनको वापिस आप चाहे किसी भी ऑफिस में समायोजित करें और उन लोगों ने ही बाहर आने के बाद यह सारी पोल खोली कि ये फाइलें भी वहां पर गायब हो चुकी हैं। उन लोगों को जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उन लोगों को तो निकाला नहीं और हम लोगों को बाहर निकाल दिया। मेरा निवेदन है कि उन लोगों को भी वापस किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट में समायोजित किया जाये। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा जिस प्रकार से गुजरात में और महाराष्ट्र में है कि यह टू टायर सिस्टम प्रणाली जिस प्रकार से अपेक्स बैंक और सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक, अपेक्स तो सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक को 3 परसेन्ट ब्याज पर देता है और सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक किसानों को देता है जिससे किसानों को 3 परसेन्ट का ज्यादा भुगतान करना पड़ता है। यदि सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक और अपेक्स बैंक का मर्ज कर दिया जाये और यह डायरेक्ट सहकारी समिति जी. एस. एस. को दिया जाये तो कम से कम 3 परसेन्ट कम पर ऋण किसानों को मिल सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि उसकी ओर भी आप ध्यान दें। और इस प्रकार से जो दूसरे राज्यों में चल रहा है तो अपने यहां भी चालू हो सकता है और किसानों को तीन परसेन्ट ब्याज का फायदा हो सकता है। मैं इतना ही कहते हुए उपाध्यक्ष महोदय का समय देने के लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सहकारिता मन्त्री जी।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (सहकारिता मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता की मांग के संबंध में कई माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये और कई माननीय सदस्यों ने आज सदन में अपने विचार प्रकट किये। मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जिन्होंने कटौती प्रस्ताव के माध्यम से सरकार को सुझाव दिये हैं या जो कमियों की ओर ध्यान खिंचा गया है और आज सदन में बोलकर के जिन माननीय सदस्यों ने सहकारिता आंदोलन के प्रति जो चिंता जतायी है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो सुझाव दिये हैं उनके प्रति भी मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं।

सहकारिता आंदोलन के संबंध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरु ने कहा था शायद आपको सभी को याद होगा और उन्होंने यह बात कही थी कि सहकारिता में यदि सरकारीकरण हो जाता है तो वह सहकारिता समाप्त हो जाती है। सहकारिता में यदि सरकारीकरण हो जाये तो सहकारिता की मूल भावना नष्ट हो जाती है। पिछले 8-9 सालों में जिस तरह से विभाग का सरकारीकरण किया गया है उससे लगता है कि

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

तत्कालीन सरकार की मंशा जन-प्रतिनिधियों को प्रजातांत्रिक मूल्यों की आस्था में विश्वास नहीं रखते थे। आज सहकारिता माध्यम है ग्रामीण विकास का। केवल ग्रामीण विकास का ही माध्यम नहीं, किसान को आगे बढ़ाने का माध्यम ही नहीं लेकिन शहरों और कस्बों में भी उपभोक्ता भण्डार के माध्यम से अन्य माध्यम से हम शहरों में रहने वाले लोगों में भी इस संस्था के माध्यम से सेवा करने का संकल्प लेते हैं। यदि इस दृष्टि से हम सोचें और विचार करें तो जो हमारा आंदोलन है उसके अलग-अलग हिस्से हैं। नीचे के स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं। उसके आगे हमारी क्रय-विक्रय सहकारी समितियां हैं। हमारा सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक हैं, भूमि विकास बैंक हैं, राज्य स्तर पर राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव बैंक और राजस्थान स्टेट लैण्ड डवलपमेंट बैंक है। आज प्रश्न पैदा किया गया यहां कि इन संस्थाओं की आज के दिन जो स्थिति है उसमें क्या परिवर्तन होना चाहिए, क्या परिशोधन होना चाहिए यह विचार ज्यादा प्रकट किया गया। मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा कई माननीय सदस्यों ने विचार किया कि प्रारम्भ में जब सहकारी आंदोलन प्रारम्भ हुआ था तब यह परिकल्पना की गयी थी कि एक गांव में एक सहकारी समिति हो, एक पंचायत हो और एक स्कूल हो। उसी लौजिक को आधार मानकर आज कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये कि सहकारी समिति का जो कार्य क्षेत्र बढ़ा दिया गया, कहीं दो पंचायतों पर एक, कहीं तीन पंचायतों पर एक कई बहुउद्देशीय मैप्स जो बना दिये गये, उसमें 4 या 5 पंचायतों पर एक सहकारी समिति का निर्माण कर दिया गया। वह सहकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने में मदद नहीं करती। गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने, मंडावा से आने वाले माननीय सदस्य ने और अन्य सदस्यों ने इस संबंध में सुझाव दिया कि एक पंचायत पर एक सोसायटी का गठन होना चाहिए और वही ठीक ढंग से व्यवस्था का पार्ट बन सकता है। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि रिजर्व बैंक के गवर्नर जब डाक्टर दांते थे तब 1976 में एक नया कन्सेप्ट आया वायबिलिटी का और उसके अनुसार जो संस्था वायबिलिटी प्राप्त कर सकती है, ऐसी संस्थाओं की सहकारी समिति गठित की जाए उसमें कन्सेप्ट आया कि पांच लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपये तक का व्यापार करके अपने काम को आगे बढ़ायेंगे तो ही ऐसी संस्था का गठन कर दिया जाए। 1976 से लेकर 1979 तक यह कन्सेप्ट बराबर चलता रहा और वायबिलिटी के आधार पर ही हमारा मुख्य आधार बनता रहा। वायबिलीटी के आधार पर नई संस्थाओं का गठन बन्द हो गया। अब माननीय सदस्यों की यह इच्छा है कि एक पंचायत पर एक सोसायटी का गठन किया जाए लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अभी आपने विधान सभा में सुना होगा कि पंचायतों का पुनर्गठन होने जा रहा है, नोटिफिकेशन शायद आज या कल में निकल गया है तो क्या मैं उस नोटिफिकेशन की तारीख तक इन्तजार करूं या फैसला पहले कुछ करूं? (व्यवधान) फिर आप कहेंगे कि चुनाव नहीं करवाना चाहते हैं, सरकार की मन्शा नहीं है, कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा था कि सत्ता में आते

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

ही हम चुनाव करवाएंगे। अब जब चुनाव करवाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की तो फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत ठीक कहा कि कानून, नियम और उप नियमों में इतनी जटिलता पैदा कर दी गई है इन आठ सालों में कि उसके तहत चुनाव करवाना कोई सार्थक नहीं होगा, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि ये चुनाव करवाना सार्थक नहीं होगा।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : जो चुनाव के लिए बांग लगाते हैं, वे को-आपरेटर नहीं है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह मैं नहीं कहता, यह तो आप कहें, यह मेरी इच्छा नहीं है कि मैं इस तरह की बात कहूं लेकिन सवाल यह है कि यह बात सही है कि जब मैंने घोषणा की तब कई माननीय सदस्य मेरे पास आए कि साहब इन नियमों के तहत तो कई जटिलताएं पैदा हो गई हैं हम चुनाव लड़ ही नहीं सकते हैं। मैंने उस पर गौर किया और सोचा कि वास्तव में ऐसी कौन-कौनसी जटिलताएं पैदा हो गई हैं जिनकी वजह से चुनाव प्रकिया में बाधा पैदा हो गई है। इसलिए मैंने चुनाव स्थगित कर नये कार्यक्रम के इन्तजार के लिए, कानून, नियम और उप नियम में कहां बाधा पैदा होती है, उसके लिए एक कमेटी बनाई है और यह जांच करने का काम किया ताकि उन नियमों को हमारे सहकारी आंदोलन में बाधक न बनने दिया जाए। वह प्रक्रिया अभी चालू है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सभी माननीय सदस्यों से सलाह-मशिवरा करके सहकारी आंदोलन को जनता का आंदोलन का स्वरुप देने के लिए कानून में आवश्यक संशोधन करने होंगे, नियमों में परिवर्तन करने होंगे, बायलॉज में परिवर्तन करने होंगे तो निश्चित रुप से किए जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारी मन्शा क्या है?

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : सिद्धान्त रुप से आपने मान लिया कि एक पंचायत पर एक सहकारी समिति होनी चाहिए, पंचायतों का पुनर्गठन आड़े आ रहा है, वह दूसरी बात है, आप सिद्धान्त रुप से इसकी घोषणा कीजिए कि एक पंचायत पर एक सोसायटी होगी।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मुझे यह सोचना पड़ेगा कि पंचायतों का स्वरुप क्या होने जा रहा है, कहीं पांच सौ पर पंचायत का गठन तो नहीं करने दिया जा रहा है; उसमें लिखा हुआ है कि पांच सौ से लेकर एक हजार और पन्द्रह सौ तक की जनसंख्या पर पंचायत का गठन हो सकता है इसलिए मुझे सोचना पड़ेगा, उस स्वरुप को देखकर मुझे क्या फैसला करना होगा, मैं तो फैसला करना चाहता हूं, सरकारी आंदोलन के हक में, सहकारिता को आगे बढ़ाने के हक में और जो किसान, एस. सी., एस.टी. के लोग इससे वंचित रह गए हैं उनको भी इसके दायरे में लाना चाहता हूं। मेरी मन्शा और सरकार की मन्शा बहुत स्पष्ट है, उससे भागने की इच्छा नहीं है, लेकिन कुछ दिक्कतें हैं, कुछ परेशानियां हैं उनको सामने रखकर चलना पड़ेगा, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल पूछना है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : बीच में डिस्टर्ब न करें, ज्यादा अच्छा है, जो भी पूछना है, मैं रात भर बैठने के लिए तैयार हूं, जो भी पूछना हो पूछ लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : इनके उत्तर के बाद पूछ लेना।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ग्रोसियां) : इनकी आदत पड़ गई है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप ठीक करेंगे आदत को ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : नहीं, नहीं आदत किसी की नहीं पड़ी है, इनको जिज्ञासा हो गई है, कुछ जानकारी चाहते हैं तो मै जानकारी दूंगा, आप ऐसा क्यों कहते हैं। हर सदस्य को अधिकार है कि वह जानकारी मांगे और हम उसको जानकारी दें। मैं जनरल बात कहने से पहले माननीय सदस्यों ने जो स्पेसीफिक बातें कही उसकी ओर आपको कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात यह कही कि एक पंचायत पर एक सोसायटी स्थापित होनी चाहिए और उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान में सहकारी नेतृत्व सक्षम नहीं रहा, कमजोर पड़ गया है, चाहे राजनैतिक कारणों से कमजोर पड़ा हो चाहे कोई और कारण से पड़ा हो, लेकिन सहकारी नेतृत्व पहले जितना उभर कर सामने आया था, वह धीरे-धीरे कमजोर पड़ गया है। मैं गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सहकारिता का सरकारीकरण बन्द करके प्रजातांत्रित तरीके से सहकारी नेतृत्व को आगे बढ़ाने का फैसला करूंगा, उसमें कोई गतिरोध पैदा नहीं होने दूंगा।

नाबार्ड और डाक्टर दांते की रिपोर्ट को बाइबल कहकर जो फार्मूला है, उससे हटकर बात कही, उसे छोड़कर कोई बात की जानी चाहिए। आपने यह कहा कि इण्डस्ट्री में को-आपरेटिव सैक्टर भी आता है, यह अच्छी बात है कि इण्डस्ट्री में हमारे यहां प्रोसेसिंग यूनिट शुरु हुई। तिमिल संघ की स्थापना हुई, कॉटन काम्पलैक्स की भी स्थापना हुई, तत्कालीन सरकार ने निरंतर घाटे में चलते रहने की वजह से तिलम संघ की चार यूनिटें बन्द कर दी। यह फैसला तत्कालीन सरकार का था, हमारे सामने भी प्रश्न आया कि चार और मिलें जो तिलम संघ की चल रही हैं, उसके बारे में क्या फैसला करें ? लेकिन हमने किसान के हित को ध्यान में रखते हुए, देश की समृद्धि को ध्यान में रखते हुए हमने चार और यूनिटों को बन्द करने का फैसला नहीं किया है और मैं इस बात की कोशिश में लगा हुआ हूं यद्यपि कुल मिला करके कुमुलेटिव लोसेस 127 करोड़ रुपए हो गया है, इसकी किस तरह से पूर्ति करूं और वर्किंग कैपिटल को किस तरह से इन्तजाम करूं ? मैं राजस्थान के वित्त मंत्री और मुख्य मंत्रीजी से आग्रह कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि मुझे वे जो एन. सी. डी. सी. का लोन मिला हुआ है, उसके ऊपर इन्टरेस्ट लग गया है, उसकी वजह से घाटा ज्यादा नजर आता है उस रुपये को इक्विटी में कन्वर्ट तो मेरा घाटा कम हो जाएगा और घाटा कम होने के बाद मैं उसको चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल का लोन फाइनेंशल इन्स्टीट्यूशन्स से ले सकूंगा,

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

इसको चालू रखने का पूरा प्रयत्न करूंगा। कहा यह गया कि जिस वक्त तिलम संघ बनाया, उसमें घाटा क्यों? अब बात यह है कि मैं आठ साल के घाटे को ढूंढता फिरूंगा तो जकड़ जाऊंगा (व्यवधान) उसकी जांच प्रक्रिया शुरू करूं, कौन अधिकारी किस वक्त वहां था, किसने क्या किया, किसकी कहां गलती रही, आप कहें तो उस प्रक्रिया को बढ़ाऊं या उसको आगे चलाने की प्रक्रिया को ढूंढूं (व्यवधान) खैर, घाटे के कारणों का भी पता लगाने की कोशिश करूंगा इस बात की भी कोशिश करूंगा कि आगे से मैनेजमेंट में ऐसे व्यक्तियों को लगाया जाए जो व्यापारिक पद्धति को समझते हों, केवल प्रशासनिक दृष्टि से नहीं, जो धंधा चला सकते हैं और धंधे का रुख समझते हो, ऐसे लोगों की पोस्टिंग करके इन सारी चीजों के घाटे को कम करने की कोशिश करेंगे और मैं चाहूंगा कि इन संस्थाओं को, जिनको सहकारिता के आधार पर खड़ा किया है, उनको मजबूत बनाएं।

गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य और कई माननीय सदस्यों ने फव्वारा खरीद में भ्रष्टाचार की बात कही। हमने उस नीति को बदल दिया है, काश्तकारों को यह छूट दी है, पहले यह होता था कि किसी फर्म का कोटेशन लाकर मंजूर करते थे और उस फर्म को चैक देते थे, जो रुपया उठाकर ले जाती थी। अब यह आइडेंटीफाई कर दिया गया कि यह फव्वारे इस कम्पनी के जहां भी अवेलेबल हो, किसान स्वयं खरीदे और उसका चैक हम किसान को देंगे इसलिए भ्रष्टाचार में कमी आने की गुंजाइश थी, उसको कम करने की कोशिश की। माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में और भी कुछ सुझाव देंगे, इसमें जो कमियां रह जाती है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार पारदर्शिता के आधार पर चलेगी और भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं आपके प्वाइंट पर आ रहा था। मैंने कहा कि प्रत्येक माननीय सदस्यों ने जो विचार रखे, उस पर अगर कवर हो जाता है तो मैं आपकी बात पर आऊंगा। हीरासिंह जी चले गये, यहां मौजूद नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी थी कि उन्हीं लोगों को बोलने का मौका दिया जाएगा जो हाउस में रहेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह व्यवस्था नहीं दी थी।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : कल आसन से व्यवस्था हुई थी आपकी व्यवस्था थी।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं दी गई थी। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : रामनारायण जी का सवाल था....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : यह तो स्पष्ट अव्यवस्था फैल रही है (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आपने व्यवस्था यह दी थी कि मंत्री को उनका जवाब नहीं देना चाहिए जो हाजिर नहीं हो (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह भी मैंने नहीं कहा । मंत्री जी स्वयं सोच लेंगे इस बारे में ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : साहब आप तो यह व्यवस्था आज दे दो जो कटमोशन बोले... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री जी में इतना विवेक है आप इन पर छोड़ दीजिए ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं तो व्यवस्था की मांग कर रहा (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कोई व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : साहब आप दे दें ताकि लोग बैठे रहेंगे यहां पर ।

श्री उपाध्यक्ष : कोई आवश्यकता नहीं है । (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : श्री रामनारायण जी, मंडावा से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ सुझाव दिए। हो सकता है उनका सुझाव भी गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य के समान ही था, एक पंचायत एक सोसाइटी । और एक बात कही आगे तिलम संघ की जो इकाइयां हैं उसको बन्द नहीं करने की सरकार घोषणा करें तो मैं आज कहना चाहता हूं कि जो चार इकाइयां आज के दिन है उनको हम बन्द नहीं करने जा रहे हैं । राधेश्याम जी गंगानगर चले गए ।

श्री उपाध्यक्ष : करीब–करीब सब चले गये, आप तो समाप्त कर दो ।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : धोद से आने वाले माननीय अमराराम जी ने कहा था कि को-आपरेटिव आंदोलन अभी किसान को साहूकार के चंगुल से नहीं बचा पाया । मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी मंशा यही है कि किसान साहूकार के चंगुल में न फंसे, ब्याजखोर के चंगुल में न फंसे । इस वजह से मैंने फरवरी में सदस्यता अभियान शुरू किया था । और यह कहते हुए खुशी है कि एक लाख नये सदस्य बने हैं हमारे प्रोपर्टी सेक्टर में । एक लाख लोग उसमें प्रवेश कर गए । पहले बने हुए हैं, पहले थे । इस एक महीने के अभियान की बात कह रहा हूं । और मेरे पास कुछ शिकायतें ऐसी आई कि एक लाख नये बने । कुछ शिकायतें मेरे पास ऐसी आईं कि जो मैनेजमेंट कमेटी बैठी हुई है, नये सदस्यों को उसमें प्रवेश नहीं दे रही है । मैंने विभाग को आदेश दिया कि सहायक रजिस्ट्रार को निर्देश दिया जाए, जो सदस्य बनना चाहे उनको सदस्यता मिलनी चाहिए, किसी भी कीमत पर उन्हें रोका नहीं जाना चाहिए । आपने अभी कहा था कुछ सदस्यों के रुपए सीकर बैंक में जमा हैं । आज मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं जिनके रुपए सदस्यता के लिए बैंक में जमा है उनको निश्चित रूप से सदस्यता दी जाएगी, उनको रोका नहीं जाएगा । (व्यवधान)

आपको यह भी कहा कि सीकर में भूमि प्रमोशन कमेटी की कभी बैठक नहीं हुई । जो प्रमोशन कमेटी की बैठक होनी चाहिए चेयरमैन सेक्टर की, जो उसका सेटअप बनाया हुआ है निश्चित समय में बैठक क्यों नहीं हुई । किनको प्रमोशन दिया भविष्य में निरन्तर रूप से कमेटी की बैठक

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

होकर ही नियमित काम किया जाए इसकी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का मैं विभाग को आदेश दे रहा हूं। इसकी जांच करें, और आगे की कार्यवाही करे।

मांडल से आने वाले सदस्य बैठे हैं कि चले गए? श्री नन्दलाल जी बंसीवाल, दौसा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कुछ सुझाव दिए। मेड़ता से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कुछ धाराओं का जिक्र किया, धाराएं उनसे समझी हैं, मेरे उनके बीच में डिसकशन हुआ है। जो कुछ आपने जिन धाराओं का जिक्र किया है, उन धाराओं का कानूनी दृष्टि से मैं परीक्षण करके उचित कार्यवाही करूंगा, यह विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं। रामनारायण जी, फलौदी ने चुनाव नहीं कराने की बात कही। चुनाव निष्पक्ष हो उसकी बात कही और विभाग की एजेंसी से कराने के अलावा अन्य एजेंसी से भी कराने की बात आपने कही मुझे सोचने का मौका देंगे। दूसरी बात तो मैंने व्यवस्थापकों के सम्बन्ध में कही थी। मैं माननीय रामनारायण जी को याद दिलाना चाहता हूं, सदन के सभी सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि 1976 में डाक्टर दत्रे जो रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, उनके डायरेक्शन से केडर्ड आथोरिटी बनी थी। उस केडर्ड आथोरिटी में कुछ रुपया एपेक्स बैंक देता था, कुछ सेंट्रल कोपरेटिव बैंक देता था और कुछ रुपया ग्राम सेवा सहकारी समिति देती थी। उसका चयन सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक का एग्जिकुटिव ऑफिसर होता था, वह करता था। और उस केडर्ड आथोरिटी का सेक्रेटरी वह हुआ करता था, उसका नियन्त्रण भी वही करता था। अब तक वह व्यवस्था चलती आ रही है। कुछ व्यवस्था हाई कोर्ट में चली गई, राजस्थान हाई कोर्ट ने उस केडर्ड आथोरिटी को समाप्त कर दिया। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी केडर्ड आथोरिटी का जो हाई कोर्ट का डिसिजन था उसको मान लिया अब प्रश्न पैदा हो गया कि व्यवस्थापक आखिर नौकर किसके रहेंगे। इस बात को लेकर आन्दोलन उन्होंने खड़ा किया, मेरी उनसे वार्ता हुई कि हम लोग तो हाई कोर्ट में गए नहीं आप ही लोग हाई कोर्ट में गए हो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके खिलाफ हो गया। सरकार ने केडर्ड आथोरिटी का नियम बदलकर दूसरा नियम लागू किया तो हाई कोर्टने स्टे दे दिया जब तक फैसला नहीं हो तब तक आप इन नियमों को लागू नहीं करेंगे। फिर भी मैने इन व्यवस्थापकों की समस्या को सुलझाने के लिए, सरकार उनके प्रति संवेदनशील है, हम कोई हठधर्मी नहीं अपनाना चाहते, आखिर इतने साल से जो लोग सर्विस में है उनकी समस्या का समाधान कैसे किया जाए, इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है और उससे कहा है कि वो डेढ़ महीने में अपनी रिपोर्ट दे। उस रिपोर्ट के आने के बाद राज्य सरकार निश्चित रूप से उस पर विचार करेंगी और नियोजक का भी फैसला करेगी। हमारी नीयत उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही करने की नहीं है। बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य बहुत चिंतित है, भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बोलते हैं, चिंता भी जताते हैं और मुझे लगता है कि उनकी पीड़ा वाजिब है। जो कुछ बाड़मेर में इस खरीद फरोख्त की बात उन्होंने कही, जो भ्रष्टाचार की बात उन्होंने कही। 96–97 के फार्म तो पड़े रह गए और 97–98 में फव्वारे सेट्स का

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

ऋण दे दिया गया, सब्सिडी दे दी गई। माननीय वृद्धिचन्द जी जिस अधिकारी से आप जांच चाहते हैं, इतनी तो हो गई, लेकिन उसमें जो गड़बड़ियां हुई उसके लिए हम जांच चाहते हैं। आपने मुझे कहा कि जोधपुर के एडिशनल रजिस्ट्रार अधीक्षक की जांच करवाई जाए, मैंने उसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

श्री हरजीराम बुरड़क : आपने जो यह बताया है कि पीछे वालों को छोड़कर आगे वालों का कर दिया। तो इसकी जांच कराओ सस्पेंड करके कराओ, प्राइमरी जांच तो हो चुकी।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मेरे पास अभी रिपोर्ट नहीं है। मैं रिपोर्ट देखने के बाद लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य को आश्वस्त करूंगा। यदि ऐसे कुछ तथ्य मिले तो उसमें कोई कोताही नहीं बरतूंगा किसी के भी खिलाफ एक्शन लेने में। लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कुछ मुद्दे उठाए। खास तौर से बैंकों का जो रुपया पी.डी. खाते में जमा होता है और इन्टरेस्ट का लोस होता है, मैं इसकी जानकारी कर रहा हूं, यह बात कटमोशन में कही गई थी। मैं इस बात की व्यवस्था करूंगा कि पी.डी. खाते में अगर बैंक का रुपया रहता है तो उस पर ब्याज का नुकसान बैंक को नहीं होना चाहिए इसलिए जो भी कानूनी प्रक्रिया है, उसको जिस ढंग से ठीक कर सकते हैं उसकी पूरी व्यवस्था करूंगा। आपने अपेक्स सोसायटीज की ऑडिट सी ए से करवाने का विरोध किया। मैं देखूंगा कि इसमें आपके जो सुझाव आये हैं उनको कैसे क्रियान्वित किया जाए, मैं निश्चित रूप से उनको देखूंगा।

आपने यह भी कहा कि अपेक्स बैंक के, अपेक्स लेवल इंस्टीट्यूशन के रजिस्ट्रार और सेक्रेटरी अगर उनके प्रशासक बनते हैं तो फिर उस बैंक के कामों में अगर रजिस्ट्रार के पास जाते हैं तो एक तरफ उनकी पोजिशन प्रशासन की है और दूसरी तरफ उनकी पोजिशन रजिस्ट्रार की है। इस एनोमली को आपने पाइंट आउट किया है, मैं इसको देखकर के शीघ्र ही फैसला करूंगा।

टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य चले गये, कोई बात नहीं....

श्री रामस्वरूप : कहीं नहीं गया हूं। मैं हमेशा बैठा रहता हूं। एक दिन भी नहीं गया जब मैं नहीं रहा हूं। विधान सभा चले तो मैं रहा हूं चाहे दो बजे तक चले।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने तो नहीं कहा, किसी और ने कह दिया होगा। इन्होंने जो भी सुझाव दिये, आपने कहा कि ऋण माफ करना उचित नहीं था। आपकी बात से सिद्धान्ततः मैं सहमत हूं और उन्हीं लोगों को फायदा मिला है जो वास्तव में डिफाल्टर थे। डिफाल्टर पैदा होने की मनोवृत्ति इस प्लान से बढ़ी है। लोग यह समझने लग गये कि हमको बैंक का रुपया लेना है, देना नहीं है। कभी कोई सरकार आयेगी तो ऐसी घोषणा कर देगी और हम बच जाएंगे। इसलिए हमारे बैंकों का जो लोन है उसकी रिकवरी में फर्क पड़ा है। निश्चित रूप से इस बात को मैं स्वीकार

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

करता हूं। इसलिए ऐसी सस्ती घोषणा करने से पहले हमको इसके क्या फाल आउट्स होंगे, क्या कांसिक्युएंसेज होंगे, उसको ध्यान में रखकर फैसले करने चाहिए, मैं इस बात को मानता हूं।

बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने, दो मिनट और कह देता हूं, चलिए उनके लिए नहीं कहना चाहता हूं, बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय कटारिया जी ने कहा कि हमारा जो प्रोग्राम है सहकारिता कल्याण और सेवा फोरम, इसके तहत चार बड़ी अगर बीमारी किसी किसान को हो जाती है, मैं सभी माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि अगर शल्य चिकित्सा कराना चाहता है तो हमने एक कोष स्थापित किया है सहकारिता कल्याण एवं सेवा फोरम, इसके तहत आपको शल्य चिकित्सा के लिए किसान को 10 हजार रुपये की मदद हम करेंगे। हृदय का वाल्व बदलवाना चाहता है उसके लिए भी 10 हजार रुपये की सहायता इस फोरम के माध्यम से की जायेगी। इसी तरह से गुर्दा प्रत्यारोपण कराना चाहता है उसके लिए भी 10 हजार रुपये की सहायता दी जायेगी। कैंसर से कोई किसान पीड़ित है तो उसको भी 10 हजार रुपये की सहायता दी जायेगी। इसका व्यापक प्रचार नहीं हुआ जैसा बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि इसका लाभ अधिक से अधिक कीजियेगा। यही नहीं, इस सेवा फोरम के माध्यम से हमने तहसील स्तर पर चिकित्सालयों में कैम्प लगाने शुरू कर दिये हैं और कैम्प में लोगों को निःशुल्क दवाइयां और उनकी बीमारी का उपचार करने का भी हमने फैसला किया है। पिछले महीने उदयपुर जिले में ही धरियावद में यह कैम्प लगाया है। ऐसे आदिवासी ...

श्री राजेन्द्र पारीक : "माननीय मंत्री महोदय, यह किसान का आपने जिक्र किया है, किसान की क्या श्रेणी होगी ? कौन किसान होगा ? वह परिभाषा बतायें।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : वह परिभाषा आपको बतायेंगे। सदस्य की जो परिभाषा है। अब जनरल तो मैं कर नहीं सकता। मैं तो मेरे सदस्यों के लिए मेरी एग्जिस्टेंस है I exist my members. माननीय बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय विधायक ने जो परिकल्पना इस सदन में दिखायी, उनके मन में भी पीड़ा है और मेरे मन में भी पीड़ा है....

श्री अमराराम (धोद) : तो फिर बीच में कौन आ रहा है ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : बीच में आ रहा है वह आप सब जानते हैं। बीच में आ रहा है उसको मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं सहकारिता में राजनीति का प्रवेश नहीं होने दूंगा, शुद्ध सहकारिता के आंदोलन पर इस आंदोलन को चलाना चाहूंगा। अगर मुझे गांव का विकास करना है, गरीब की भलाई करनी है, किसान को ऊंचा उठाना है तो मुझे निश्चित रूप से राजनीति से परे हटकर आर्थिक विषमता को दूर करने के कार्यक्रम को हाथ में लेना पड़ेगा। इसलिए मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपको कभी

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

यह महसूस हो कि सहकारी विभाग केवल राजनीति के आधार पर काम करता है तो आप मुझे बताइये, मैं आपके सामने अगर तथ्य होगा तो इसको स्वीकार करने में कोई कोताही नहीं बरतूंगा।

आपने कहा कि छोटे आदमी को फायदा देने के लिए जो उपभोक्ता संघ हैं वह ऐसी चीजें नहीं बनाता, छोटे पैकेट तैयार नहीं करता। एक किलो के परचेज करने की उसकी हैसियत नहीं है। आपके सुझाव को ध्यान में रखते हुए जो मजदूर है, जो किसान है जिसकी हैसियत कमजोर है, अगर वह बड़े पैकेट्स नहीं खरीद सकता है तो व्यवस्था की जायेगी कि उसको छोटे पैकेट में यह उपलब्ध कराये जाएं ताकि इसका लाभ भी उसको मिल सके।

कई माननीय सदस्यों ने गंगानगर पैटर्न का जिक्र किया कि गंगानगर पैटर्न के आधार पर सभी सहकारी बैंकों में ऋण मिलना चाहिए। जब हमने सहकारी किसान कार्ड जारी कर दिया तो यह गंगानगर पैटर्न को रिप्लेस कर दिया। इसलिए इस पैटर्न के लागू होने के बाद गंगानगर पैटर्न की कोई अहमियत नहीं रही। यह सारे राजस्थान में सभी किसानों को जो मैम्बर हैं उनको किसान कार्ड जल्दी से जल्दी वितरित करने का काम हम प्रारम्भ करेंगे और आने वाले जुलाई के महीने में जब ऋण फसलों का लें उसके पहले कार्ड पहुंच जाये। इसकी व्यवस्था हम करेंगे।

श्री रामस्वरूप : कोई विधायक किसान है तो उसको भी मिलेगा ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : विधायक को भी मिलेगा और विधायक के पिताजी को भी मिलेगा।

अब कुछ बातें और निवेदन करना चाहता हूं। राजफैड के माध्यम से हमने आदिवासी क्षेत्रों में कुछ परचेजिंग का काम शुरू किया है लोगों को शोषण से बचाने के लिए।

श्री हरजीराम बुरड़क : आदिवासी सब गये।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अब गये तो गये पर बात तो कहनी ही पड़ेगी। राजफैड के माध्यम से हमने प्रतापगढ़ में, सिरोही में, चित्तौड़गढ़ जिले के कुछ गांवों में परचेजिंग शुरू की है। हमने चारा भी खरीदा है, अरण्डी भी खरीदी है ताकि लोगों को बिचौलियों से बचाव कर सके। उपज का सही मूल्य मिल सके इसलिए इस कार्यक्रम को भी हमने हाथ में लिया है। राजफैड के माध्यम से, नैफेड के माध्यम से हमने गेहूं की खरीददारी भी शुरू की है।

बड़ी सादड़ी से आने वाल माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि वेयरहाउसिंग बहुत दूर पड़ता है। छोटा काश्तकार कहां अपनी उपज गिरवी रखेगा। मैं कोशिश करूंगा कि मार्केटिंग सोसायटी, उसका एजेण्ट बने प्राइमरी सोसायटी और उसकी उपज को गिरवी रखे और उसको भी 75 प्रतिशत का लाभ मिल सके, इसकी व्यवस्था करने में पूरी कोशिश करूंगा ताकि किसान को शोषण से बचाया जा सके।

जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य, दौसा से आने वाले माननीय सदस्य

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

और कई अन्य माननीय सदस्यों ने मांग की कि भूमि विकास बैंकों की शाखाएं नये जिले बन जाने से वहां पर स्थापित नहीं हुई। मांग आयी जैसलमेर से, मांग आयी दौसा से, मांग आयी राजसमंद से, मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से इन तीनों जिलों में इस वर्ष में भूमि विकास बैंक खोलने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दूंगा ताकि किसान को नजदीक में उसका कर्जा मिल सके, उसको दूर जाना नहीं पड़े।

श्री रामस्वरूप : करौली का नाम तो लिया ही नहीं। करौली को आप क्यों छोड़ रहे हैं ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप बोले ही नहीं, मैं क्या करता। आप बोलते तो मैं आपके पर भी विचार करता।

श्री रामस्वरूप : तालियां मैं ही बजा रहा हूं सबसे ज्यादा।

श्री हरिसिंह (महुवा) : करौली में भूमि विकास बैंक है और वह हिण्डौन भूमि विकास बैंक के नाम से चल रहा है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : हिण्डौन करौली चलते रहेंगे, मैं इन तीन जिलों के लिए नये भूमि विकास बैंक की इसी वर्ष में करने की घोषणा करता हूं।....

महिलाओं को भूमि विकास बैंक से कर्जा नहीं मिलता था क्योंकि उनकी जमीन खातेदारी नहीं है। हमने भूमि विकास बैंक के संचालक मण्डल को कहा है कि महिलाएं जो काम करना चाहती हैं, धन्धा करना चाहती हैं, उनको भी ऋण की सुविधा मिलनी चाहिए। हमने फैसला किया है कि बिना किसी रहन के 25,000 रुपये तक का ऋण दो आदमियों की जमानत पर उनको दे दिया जायेगा ताकि वह भी अपना काम चला सके। और यह ऋण तीन प्रतिशत ब्याज पर महिलाओं को दिया जायेगा। (व्यवधान) गांवों में कई नौजवान बेकार घूमते रहते हैं, धंधा करना चाहते है, मार्जिन मनि उनके पास नहीं होती। हमने फैसला किया है कि मार्जिन मनी के लिए ऐसे लोग जो काम-धंधा करना चाहते हैं, इण्डस्ट्री लगाना चाहते हैं, और कुछ करना चाहते हैं तो लागत का 20 प्रतिशत केवल तीन प्रतिशत इंट्रेस्ट पर उनको हम मार्जिन मनी का ऋण उपलब्ध करवायेंगे ताकि वह अपना धधा कर सके और वह अपनी बेरोजगारी को खतम कर सके....

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : मैम्बर को देंगे या सभी को देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : मैम्बर को ही देंगे, सब को क्यों देंगे।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैम्बर तो बनना ही पड़ेगा (व्यवधान) वह कोई भी हो। जो गांव में बेकार बैठा हुआ नौजवान धंधा करना चाहता है, उसी को मैम्बर बनायेंगे और उसी को मार्जिन मनी की सुविधा देंगे ताकि वह कर्जा लेकर अपनी इण्डस्ट्री को चालू कर सके।

भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य, आपके यहां पर एक बड़ा कारखाना लगा रहे हैं, जीविका अणु... पता है आपको ? कब शुरू होने वाला है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अगले माह में शुरू होने वाला है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अगले माह में शुरु हो रहा है । हमारा प्रयास होगा कि अक्टूबर माह तक उसके काम को तत्कालजल्दी से जल्दी शुरु करें और 150 मैट्रिक टन की उत्पादन करने की व्यवस्था हम कर सकते हैं ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने घोषणा की । किस चीज की घोषणा कर दी ? उपाध्यक्ष महोदय, हम भी बैठें हैं । उधर ही मुखातिब मतहोंओ । हमें भी बताओ क्या है, (व्यवधान) आप बताओं तो सही, अभी आपने जो घोषणा की, किस चीज की की, हमें भी तो मालूम पड़ें । आप ऐसे ही बात कर रहे हैं ।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह बायों-फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट है, जिसकी लागत दो करोड़ रुपये की है । यह हम नेफेड की सहायता से भरतपुर में लगा रहे हैं जो अक्टूबर, 99 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है और इसकी उत्पादन क्षमता 150 मीट्रिक टन की होगी ।

श्री रामनारायण चौधरी : यह जो झुंझुनूं में था, उसी को ट्रांसफर कर दिया क्या ? (व्यवधान) मंत्री महोदय, यह जो झुंझुनूं में था, उसी को ट्रांसफर किया है क्या ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत: मंडवा से आने वाले माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि किसी का हक किसी को ट्रांसफर नहीं किया है, यह तो राज्य सरकार ने भरतपुर के लिए प्रस्ताव नेफेंड को दिया था और नेफेंड ने ही इसको मंजूर कर दिया । प्रारम्भिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : प्रस्ताव तो हमारे टाइम का था, प्रस्ताव हमारे समय का है ।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : ऐसा है, प्रस्ताव तो बहुत पुराना चल रहा था पर "मार जायें जो मीर, रह जायें जो पीर" ।

भूमि विकास बैंक में बड़े लोगों की जो हिस्सा राशि कटती थी, वह कम कटती थी, छोटे किसानों की ज्यादा कटती थी । छोटे किसानों पर 8% लगता था, बड़े किसानों पर 5% लगता था । हमने फैसला किया है कि छोटे किसानों को भी वही सुविधा मिलेगी जो बड़े काश्तकारों को दी जायेगी । जो रेट आफ इन्ट्रेस्ट पर दो बार हमने तब्दीलियां की हैं और किसान को फायदा देने के लिए रेट आफ इन्ट्रेस्ट में भी कमी की है ।

एक बात और कहना चाहता हूं, ट्राइबल क्षेत्र में आदिवासी सहकारी समितियां बनी हुई हैं उसका एक संघ बना हुआ था । पिछली सरकार ने उसको लिक्विडेशन में लाने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी थी । मैंने तय किया है कि आदिवासियों के उत्थान के लिए सहकारी समितियों को आगे बढ़ाने के लिए उसको अवसायन से हटाकर पुनः वापस चालू करेंगे ताकि आदिवासियों का उत्थान हो ।

बहुत कुछ कहने को है, कई काम किये हैं । कृषक डेयरी योजना भी शुरु की है, कृषक मित्र योजना भी शुरु की है । मैं एक-एक कापी आपको भिजवाऊंगा ताकि अधिक से अधिक इसका लाभ ले सकें । मैं भिजवाऊंगा आपको ताकि आप अधिक से अधिक लाभ ले सकें । जिन माननीय सदस्यों ने अपने अमूल्य सुझाव दिये हैं, जो कुछ मैं यहां पर नहीं कह पाया, जिन्होंने कट मोशन दिये हैं, जिनके जवाब बाकी रह

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

गये हैं, उनको मैं लिखित में उत्तर भिजवाऊंगा और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने सुझाव दिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। एक-एक पूछो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पहले मैंने कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, आप पूछो। एक-एक को पूछने दो ना, आप भी बोल लेना। आर्डर प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि आपने अभी यह घोषणा की कि चूंकि ग्राम पंचायतों का पुनर्सीमांकन होगा, इसलिए ग्राम सहकारी समितियों के चुनाव की घोषणा अब कर रहे हैं। मंत्री महोदय, आपको मालूम होगा कि ग्राम पंचायतों के पुनर्सीमांकन का काम आप प्रारम्भ करेंगे तो नोटिफिकेशन बनेगा, फिर कमीशन बैठाना पड़ेगा, फिर उसमें प्रस्ताव आयेंगे, और प्रस्ताव साया होंगे, फिर उसमें आपत्तियां आयेंगी। यह सारा प्रोसेस मैं समझता हूं कि छह और आठ महीने के पहले किसी हालत में पूरा नहीं होगा। मै आपसे यह जानना चाहूंगा कि आपने पहले दो बार बड़े जोर शोर से घोषणा करके इसी सदन में भी घोषणा कर दी और आनन फानन में चुनाव की बात भी कर दी, उसके बाद में आपके ध्यान में आया कि इसमें सदस्यता किस-किस श्रेणियों की कैसी होनी चाहिए और अब यह बहाना करके आप फिर चुनाव टाल रहे हैं। मै आपसे यह जानना चाहूंगा कि जिन ग्राम सहकारी समितियों की श्रेणियां बनी हैं, ऋणी की, अऋणी, की सामान्य की, लघु की, सीमांत की, एस. सी. की, एस. टी. की, इन श्रेणियों में बदलाव करने की मन्शा आप रखते हैं, नम्बर एक। नम्बर दो, क्या आप ग्राम पंचायतों के पुनर्सीमांकन के पश्चात् यानी अभी 8-10 महीने और इस बहाने से चुनाव टालने की मन्शा रखते हैं? नम्बर तीन, तिलम संघ के लिए आपने कहा कि तिलम संघ घाटे में है। चार इकाइयां आपने बंद कर दी और चार इकाइयां आपने चालू करने की घोषणा कर दी, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि....

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : घोषणा नहीं की। चार इकाइयां तत्कालीन सरकार बन्द करने का फैसला लिया था, चार इकाइयां चल रही हैं। मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि चारों इकाइयां बराबर चलती रहें। पहले प्रश्न का जवाब भी मैं आपको साथ में दे दूं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जो चार इकाइयां आप जिनको बन्द नहीं कर रहे हैं, उसका अर्थ यह समझें कि तिलम संघ को एज इट इज बन्द नहीं कर रहे हैं। मेरा एक अंतिम सवाल है उपाध्यक्ष महोदय कि अभी आपने कहा कि जो ग्राम सहकारी समितियां हैं, सहकारिता के किसी बैंक का सदस्य बनना

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

चाहे तो किसी को वंचित नहीं किया जायेगा। आपकी प्रक्रिया क्या है? वही व्यवस्थापक जो थैला डालकर सदस्यता के अभियान में घूमता रहता है। मर्जी जब जिसको बनाये, मर्जी जब नहीं बनाये। आप उस प्रक्रिया में क्या संशोधन करना चाहते हैं? इन बातों का आप उत्तर दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगमाल सिंह जी।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं छोटे-छोटे दो सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आपने तहे दिल से राजस्थान की जनता को खूब दिया और लम्बी चौड़ी घोषणाएं कीं। भगवान करे, आपको ताकत दे कि इन घोषणाओं को आप पूरा करें। (व्यवधान) आपने मन्त्रीजी, एक जिक्र नहीं किया। आर. सी. डी. एफ.. जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के चुनाव दो बार हो गये। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक बार 1992 में हुए और 16 जिलों में हुए, आर. सी. डी. एफ. के राजस्थान राजस्थान लेबल के चुनाव नहीं किये। चूंकि वे किसी पार्टी विशेष के 16 के 16 जीतकर आ गये, फिर 1997 में हुए। 1997 में यही स्थिति हुई कि स्टेट लेबल के कोई चुनाव नहीं हुए आर. सी. डी. एफ. के स्तर पर। आप जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के चुनाव कब तक करा दोगे? एक तो मैं यह पूछना चाहता हूं। दूसरा मेरा सवाल है, मुझे खेद है मंत्री जी, आपने कह दिया कि सहकारी समितियों के चुनाव हुए, सहकारिता में मैं राजनीति बीच में नहीं आने दूंगा। जब चुनाव ही होंगे तो राजनीति बीच में कैसे नहीं आयेगी और क्या यह राजनीति का कहा था, आपने यह सवाल भी कर दिया कि राजनीति को इसमें नहीं लाना चाहिए, क्या राजनीति गंदी चीज है और अगर राजनीति गंदी चीज है, मै और आप जितने लोग बैठे हैं, राजनीति की सब उपज हैं और जहां चुनाव की प्रक्रिया चालू हो जाती है, क्या वहां राजनीति नहीं आ जाती है। आप खुद भी यह धारणा बना रहे हैं कि राजनीति एक बहुत गंदा धंधा है, जिसको कभी बीच में नहीं लाना चाहिए। आज हर मन्त्री, हर माननीय सदस्य कहता है। उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस राजनीति से देश चल रहा है, वह कांस्टीट्यूशन प्रोविजन है, उसको गंदा कैसे बता रहे हैं आप? आपके प्रधान मंत्री भी राजनीति की उपज है और आपके देश का राष्ट्रपति भी राजनीति की उपज है। फिर सहकारिता में राजनीति लाने में आपको एतराज क्या है। और फिर यह धारणा आप क्यों बना रहे हैं कि राजनीति गंदी चीज है। और गंदी चीज है तो हम इसको क्यों एडोप्ट कर रहे हैं। आप और हम पर लागू क्यों कर रहे हैं। तो जहां चुनाव की प्रक्रिया शुरु हो गई, ये दो सवाल है, उनका जवाब दें। एक तो राजनीति के मामले में आपने कहा और एक आर. सी. डी. एफ. के मामले में कहा ताकि ..

श्री उपाध्यक्ष : हो गया, आपका प्रश्न हो गया ना। हो गया आपका प्रश्न माननीय सदस्य, समझ गये। मंत्रीजी आपका मतलब समझ गये।

श्री हेमा राम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री हेमा राम चौधरी : ग्राम सेवा सहकारी समिति के गोदामों में, (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वे बोल रहे हैं, आप बोल लेना ना, वे सदस्य खड़े हैं।

(19.00 बजे)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मंत्री महोदय, तिलम संघ के बारे में आपने जो फरमाया, मैं आपकी उस भावना से तो सहमत हूं, बदले की भावना से अपन को चलना नहीं चाहिए। वेस्ट ऑफ टाइम है। लेकिन जब अपन जानते हैं, करीब-करीब सदन में अभी विराजमान जो हैं सभी जानते हैं कि करीब-करीब एक फिगर आफ सस्पेशन एक पाइंट पर अटक रही है। तो आप उनको पनिश करो, मत करो देट इज डिफरेंट, लेकिन जांच करवा कर उस आदमी को इन्नोसेंट नहीं रहे और उसकी अकांटिबिलिटी हो और वह चीज उजागर हो तो एक सबक मिलेगा। आप पनिश न करो क्योंकि अब तो वह तो रिटायर भी हो गया। (व्यवधान) नहीं नहीं, वह तो वह निर्णय लेंगे। लेकिन जांच जरूर करवायें, उनको बख्शे न। क्योंकि वह बाद में यह पिक्चर पेंट करते हैं कि नहीं साहब, हम तो दूध के धुले हुए हैं। उसके लिए आप मेहरबानी करके सही निर्णय लिवायें।

श्री हेमा राम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गोदाम हैं जो आज से पन्द्रह-बीस साल पहले बने हैं, वह जीर्ण-शीर्ण हो रहे हैं उनकी मरम्मत के लिए आप क्या कोई विचार रखते हैं। अगर मरम्मत नहीं करवाई तो वह गिर जायेंगे, आखिर किसी के ऊपर पड़ेंगे या फिर वह प्रोपर्टी नष्ट होगी। आज घर का मकान भी है, वर्षों बाद में तो वह मरम्मत मांगेगा ही। उन पर अगर एक रुपया ही मरम्मत का आप नहीं खर्च करेंगे तो बिना मरम्मत के वह गोदाम कैसे ठीक रहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मैं चुनाव टालना चाहता हूं। मेरी मंशा चुनाव टालने की कतई नहीं है। यदि वर्तमान व्यवस्था के तहत माननीय सदस्य सभी चाहते हैं, केवल कुछ उपनियमों में और नियमों में संशोधन करने के बाद रिकवरी सीजन खतम होने के बाद, बरसात का समय जब काश्तकार बिजी रहता है उसको छोड़ कर के, अगर चुनाव चाहते हैं तो मैं तारीख की घोषणा करने को तैयार हूं, वर्तमान व्यवस्था के तहत।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वही आठ महीने की बात कर रहे हैं मंत्री महोदय।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : नहीं, मैं आठ महीने में नहीं जाना चाहता। मै आठ महीने में नहीं जाना चाहता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप एक मिनट में बदलते हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं आठ महीने में नहीं जाना चाहता। फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य, कई माननीय सदस्यों ने कुछ विचार रखे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अगर आप

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

सम्पूर्ण उसको, सम्पूर्ण रुप में उसको देख कर के कुछ करना चाहते हैं तो समय लगेगा, बाकी वर्तमान व्यवस्था के तहत अगर आप चाहते हैं तो मैं तारीख की घोषणा करने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : वर्तमान ठीक नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप मंत्रीजी की भावना को समझिये और हाउस की भावना को भी समझिये।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : माननीय सदस्य ने दो बातें कही। तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य ने दो बातें कही। एक तो कहा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के चुनाव के बारे में। हमने पावर्स दे रखे हैं रजिस्ट्रार को (व्यवधान) एनडीडीबी को और उसका संचालन आज हो रहा है हमारे मन्त्री महोदय के निर्देशन में। आप उनका ध्यान आकर्षित करें, यह चुनाव की तिथियां घोषित करें, उसमें कोई हमारा कानून व्यवधान पैदा करता है, अड़चन पैदा करता है तो वह मुझे आदेश दें, मैं उसमें संशोधन करने को तैयार हूं। बाकी आज रजिस्ट्रार के पावर्स उनको दे रखे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सदस्यता....

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सदस्यता के संबंध में मैनेजिंग कमेटी किसी को इरादतन मेम्बरशिप नहीं देती है तो मैं निश्चित रुप से उसको मेम्बरशिप दिलवाऊंगा। किसी भी कारण को उसमें बाधा नहीं बनने दूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : व्यवस्थापक ही सदस्यता बनायेगा।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : व्यवस्थापक नहीं बनायेगा, मैं डाइरेक्ट उसको आर्डर दूंगा, वह पैसा जमा कराये, बैंक में जमा कराये, ए. आर. के दफ्तर में जमा कराये और उसको मेम्बरशिप उसके घर पर पहुंचाने का काम करूंगा। यह मेरा संकल्प है।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैंने राजनीति का सवाल पूछा है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : राजनीति की बात यह है....

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई प्रश्न नहीं है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मेरी मंशा राजनीति की यह थी, मैं यहां बैठा हुआ ऐसा कोई आदेश पारित नहीं करुंगा कि उस पार्टी को फायदा मिले या मेरीपार्टी को फायदा मिले, उस पार्टी को नुकसान पहुंचे। यह राजनीति नहीं आने दूंगा, उसको समझ जाइये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : गुढामालानी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सोसाइटीज के गोदाम बने हुए हैं जो खुर्द-बुर्द हो रहे हैं, और कुछ बातें उन्होंने तो नहीं कही, खाली गोदाम की बात कही है, हमारे पास पैक्स का डबलपमेंट फण्ड है जो हम मेन्टेन करते हैं अपेक्स बैंक के लेवल पर, मैं देर-सवेर ऐसी सारी सोसाइटियों के कार्यक्रम को हाथ में लूंगा ताकि गोदाम

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

रिपेयर का काम पूरा हो सके और हमारी सोसाइटीज ठीक ढंग से काम करे ।

श्री जगमाल सिंह यादव : आज नटे ही नहीं हो आप किसी को ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जो होगा सब करूंगा, नहीं तो ना कर दूंगा । (व्यवधान)

श्री अमरा राम (धोद) : उपाध्यक्षजी, मैं मंत्रीजी से एक ही चाहूंगा कि जो सीकर के कापरेटिव बैंक और भूमि विकास बैंक में घोटाले हुए हैं ...

श्री केसाराम चौधरी : एक ही प्रश्न, सीधा प्रश्न कर रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । आर्डर प्लीज ।

श्री केसाराम चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष : पहले ही बहुत हो गया । माननीय खाद्य मंत्री जी ।

श्री केसाराम चौधरी : एक छोटा सा प्रश्न है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । आर्डर आर्डर । (व्यवधान) माननीय खाद्य मंत्री जी ।

श्री केसाराम चौधरी : एक छोटा सा प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री रामकिशन वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय अध्यक्ष एवं कार्य सलाहकार समिति के माननीय सदस्यगण ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के महत्व को देखते हुए इस बार वर्ष 1999–2000 के लिए बजट सम्बन्धी अनुदान की मांग संख्या 32–नागरिक आपूर्ति के विचार हेतु सदन में समय प्रदान किया है । इसके लिए मैं माननीय अध्यक्ष जी एवं माननीय सदस्यगण का धन्यवाद करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक हमारे इस विभाग की बात है, विभाग ने बातों को को भी शामिल किया जो कभी भगवान महावीर ने एक संदेश दिया था जीओ और जीने दो । छोटे गरीब से लेकर अमीर तक, कमजोर तबके के लोगों से लेकर बहुत बड़े रइसों तक, सब को एक नियम में बांधा कि वह अपनी अन्न सामग्री, खाद्य सामग्री एक ही दुकान से ले ताकि लोगों के अन्दर असमानता का भाव कहीं पैदा न हो ।

श्री राजेन्द्र पारीक : सिंह और बकरी एक घाट पर पानी पियेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री रामकिशन वर्मा : इसलिए खाद्य एवं रसद विभाग के अन्तर्गत शासन सचिव एवं आयुक्त, विशिष्ट शासन सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, खाद्य, तीन उपायुक्त, खाद्य एवं अन्य स्टाफ सचिवालय स्तर पर कार्यरत है । इसके अतिरिक्त सभी जिलों में जिला रसद अधिकारी नियुक्त हैं जो जिला

(श्री रामकिशन वर्मा)

कलक्टर नियंत्रण-निर्देशन में कार्य करते हैं। जिला रसद अधिकारियों की सहायता के लिए प्रवर्तन अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षक नियुक्त किये गये हैं। उल्लेखनीय है कि जिला मुख्यालय की तहसील के अतिरिक्त जिले में स्थित अन्य तहसीलों से सम्बन्धित कार्य सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार देखते हैं। प्रत्येक तहसील के लिए सामान्यत: एक प्रवर्तन निरीक्षक नियुक्त किया जाता है।

श्री राजेन्द्र पारीक : एक तहसील पर एक।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बढ़िया बता रहे हैं सब, फैक्ट बता रहे हैं।

श्री रामकिशन वर्मा : मैं इसलिए बता रहा हूं कि जिनकी जानकारी नहीं है वह भी समझ लें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : लिख कर दे देते एक किताब।

श्री रामकिशन वर्मा : वह भी बांट देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री रामकिशन वर्मा : खाद्य एवं रसद विभाग के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं— सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन, समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों की खरीद, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों का प्रवर्तन है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का क्रियान्वयन व उपभोक्ता आंदोलन को गति देना है। पहली दफा सदन में इस विभाग के बारे में अभिभाषण भी हुए, जानकारी भी हुई, मांग भी आई। तो यह पूरी जानकारी भी मैं दूं कि विभाग किस प्रकार से कार्य करेगा, विभाग के अन्दर किन स्थितियों से चलना होगा। भारत सरकार से आवश्यक वस्तुओं का राज्य की मांग के अनुरूप आवंटन प्राप्त करना एवं आवंटित वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को कराना है। समर्थन मूल्य नीति के अन्तर्गत कृषि उत्पादों की कीमत निर्धारित मूल्य से कम होने पर कृषकों को हानि से बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर स्टेट एजेन्सीज के माध्यम से क्रय करने की व्यवस्था करना। आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत प्रसारित आदेशों के प्रवर्तन व काला बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदान अधिनियम, 1980 के आदेश के अन्तर्गत जमाखोरी व काला बाजारी के विरुद्ध कार्यवाही करना। उपभोक्ता के हितों के संरक्षण के लिए गठित राज्य आयोग एवं जिला मंचों की वित्तीय एवं प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ करना। उपभोक्ता आंदोलन को गति देने के लिए स्वैच्छिक संगठनों से समन्वय कर सहयोग एवं मार्गदर्शन देना है। राज्य की जनता को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से आवंटित लेवी चीनी, केरोसीन, गेहूं और चावल आदि का निर्धारित दर पर वितरण कराया जाता है। राज्य को प्रति माह....

श्री परसादी लाल मीणा : कटौती प्रस्तावों के बारे में बता दो।

श्री रामकिशन वर्मा : अभी इसके बाद बता दूंगा। 1991 की जनसंख्या के आधार पर...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, इसको पढ़ा हुआ मान लें आप।

एक माननीय सदस्य : डिमाण्ड पास करो फिर साहब।

श्री रामकिशन वर्मा : फिर आपको पता ही नहीं लगेगा पढ़ा हुआ मान लेंगे तो (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप पेशेंस रखिये।

श्री रामकिशन वर्मा : 425 ग्राम प्रति व्यक्ति लेवी चीनी का आवंटन 18700 मैट्रिक टन प्राप्त होता है। एवं इसके अतिरिक्त 100 मैट्रिक टन लेवी चीनी सीमा सुरक्षा बलों के लिए भी प्रतिमाह आवंटित की जाती है। यह मैं इसलिए बता रहा हूं कि कई दफा भ्रांतियां हो जाती हैं कि कितना सामान आया कितना सामान नहीं आया जो कि सबने शंकाएं यहां उठायीं उनका भी समाधान करना चाहता हूं।

चीनी मिलों से लेवी चीनी उठाने हेतु राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता भण्डार लि. को राज्य प्रतिनिधि अधिकृत किया हुआ है जो राज्य में कार्यरत विभिन्न क्रय-विक्रय सहकारी समितियों एवं थोक विक्रेताओं....(व्यवधान) ...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री रामकिशन वर्मा :...के माध्यम से लेवी चीनी उठाते हैं। जहां से उचित मूल्य की दुकानें उन्हें आवंटित कोटा उठाकर उपभोक्ताओं को जिला कलेक्टर अथवा जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार एक निश्चित मात्रा में उपभोक्ता को भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर पर 12 रुपये प्रति किलो से राशन कार्ड पर वितरण करती है। विभाग द्वारा सभी जिला कलेक्टर्स को यह निर्देश दिये गये हैं कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को.... (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। राजेन्द्र जी।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दुरुस्त कर रहा हूं कि आप फरमा रहे हैं कि कोटा दे देंगे। कोटा तो मत दीजिये कोटा तो आप अपने पास रखिये। कोटा दे देंगे तो फिर बच क्या जाएगा आपके पास में।

श्री रामकिशन वर्मा : कोटा तो उनसे ले लिया हमने पूरा अब उठाया नहीं तो मैं क्या करूं। ....(व्यवधान)...वर्ष 1998-99 में राज्य को 211988 मैट्रिक टन लेवी चीनी आवंटित की गई थी जिसके विपरीत उठाव 188013 मैट्रिक टन हुआ। शेष चीनी का उठाव जारी है।

वित्तीय वर्ष 1998-99 में केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिमाह राज्य को 47124 किलोलीटर केरोसीन का आवंटन किया गया और करीब इतना ही केरोसीन विभिन्न तेल कम्पनियों से उठवाया जाकर राज्य के उपभोक्ताओं को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से बंटवाया गया। केरोसीन की दरें जिला कलेक्टर द्वारा निर्धा-

(श्री रामकिशन वर्मा)

रित की जाती हैं। विभाग की ओर से यह निर्देश जारी कर दिये गये हैं कि उपभोक्ताओं को 10 लीटर प्रतिमाह प्रति राशन कार्ड तक उपलब्ध करावें, केरोसीन की खुदरा दर 2.80–3.10 प्रति लीटर के आस-पास निर्धारित हैं। केरोसीन के अतिरिक्त अन्य पेट्रोलियम पदार्थों में मिलावट को रोकने की दृष्टि से राशन कार्ड से बंटने वाला केरोसीन हलके नीले रंग का किया हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारा प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। राज्य को प्रतिमाह 54.130 मैट्रिक टन गेहूं व 1030 मैट्रिक टन चावल का आवंटन प्राप्त हो रहा है। जिसमें से 21450 मैट्रिक टन गेहूं व 250 मैट्रिक टन चावल गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिये प्रति माह प्रति परिवार 10 किलोग्राम खाद्यान्न अनुदानित वितरण दर पर गेहूं 3 रुपये और चावल 4 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जाता है। खाद्य विभाग द्वारा यह निर्देश जारी किये गये हैं कि चयनित गरीब परिवारों को अनुदानित दरों पर 10 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह खाद्यान्न उपलब्ध कराने के अतिरिक्त उन्हें भी सामान्य दर पर 10 किलो गेहूं प्रति परिवार अतिरिक्त उपलब्ध कराने के निर्देश हैं। गरीबी की रेखा से ऊपर के परिवार को प्रति यूनिट 10 से 15 किलो गेहूं सामान्य दर पर मांग के अनुसार उपलब्ध कराने के निर्देश हैं। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 1998-99 में गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों के लिए राज्य को आवंटित अनुदानित गेहूं लगभग 51.9 प्रतिशत गेहूं ही उठाया जाकर वितरण किया गया है तथा बाजार में खाद्यान्न की दरों के आधार पर मांग कम रहने के कारण साधारण दर का गेहूं का उठाव 42.7% रहा है। वर्तमान में सामान्य दर गेहूं की मांग नगण्य है। सामान्य पर गेहूं की वर्तमान दर रुपये 7.40 प्रति किलोग्राम है क्योंकि केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 1.4.99 से गेहूं की थोक निर्गम दर बढ़ा दी गई है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या बढ़ा दी साहब ?

श्री रामकिशन वर्मा : रेट। माननीय उपाध्यक्ष जी, गरीबी के नीचे के परिवारों के लिए अवांछित गेहूं का शत-प्रतिशत उठाव होना चाहिए .

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सदस्य, नोट करते रहियेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री रामकिशन वर्मा : किन्तु प्रति परिवार 10 किलो की मात्रा बहुत कम है इसके कारण चयनित परिवार प्रति माह गेहूं उठाने में अधिक रुचि नहीं रखते हैं। राज्य सरकार ने इस बारे में केन्द्र सरकार को निरन्तर इस मात्रा को बढ़ाने का प्रयास किये गये हैं किन्तु कोई सकारात्मक उत्तर केन्द्र सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

माननीय सदस्यों द्वारा कटौती प्रस्तावों में राशन सामग्री जैसे चीनी, केरोसीन की मात्रा बढ़ाने बाबत कहा है। यह सही है कि राशन के द्वारा वितरित की जाने वाली राशन सामग्री चीनी, केरोसीन एवं गेहूं की

(श्री रामकिशन वर्मा)

मात्रा कम है। राशन का कोटा बढ़ाने हेतु पूर्व में भी निरन्तर प्रयास किये जाते रहे हैं। तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्रीजी ने माननीय प्रधान मंत्री जी को बी. पी. एल. परिवारों को प्रतिमाह 10 किलोग्राम गेहूं के स्थान पर 40 किलोग्राम गेहूं देने हेतु कोटा बढ़ाने बाबत अनुरोध किया था किन्तु कोई सकारात्मक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। चीनी एवं केरोसीन भारत सरकार से एक निश्चित मात्रा में मिलता है तथा सभी जिलों को उसी अनुरूप राशन सामग्री आवंटित की जाती है। यह तथ्य जानकारी में आया है कि कई स्थानों पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चीनी की प्रति यूनिट मात्रा में भेद किया जाता है जो उचित नहीं है। इस बारे में सभी जिला कलेक्टरों एवं जिला रसद अधिकारियों को पुनः निर्देश जारी किये जा रहे हैं कि वे सुनिश्चित करें कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में समान मात्रा में चीनी आवंटित की जाये। इस विषय में मैं सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए भारत सरकार से कोटा बढ़वायें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : विपक्ष के नेता के लिए भी कहें।

श्री रामकिशन वर्मा : कह दिया न जवाब आ गया उनका।

श्री उपाध्यक्ष : वह पहले कह दिया आपने सुना नहीं वे पहले लिख चुके यह तो।

श्री रामकिशन वर्मा : सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य आधार उचित मूल्य दुकान है एवं उपभोक्ता राशन कार्ड हैं। एक जनवरी, 1991 की स्थिति के अनुसार राज्य में उचित मूल्य की दुकानों की संख्या 18924 है जिसमें से 4555 शहरी क्षेत्र में और 14369 दुकानें ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत हैं। उक्त दुकानों में से सहकारी क्षेत्र में 5714 एवं निजी क्षेत्र में 13210 दुकानें कार्यरत हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी फिल हाल नई उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के लिए सलाहकार समितियों का पुनर्गठन शीघ्र कराने जा रही है ताकि अधिक से अधिक शिक्षित बेरोजगारों नवयुवकों, महिला संगठनों एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों तथा भूतपूर्व सैनिकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जोड़ा जा सके तथा सभी क्षेत्रों में आवश्यकता के अनुसार नई उचित मूल्य की दुकानें खोली जावेंगी।

श्री अमराराम (धोद) : और सामान नहीं।

श्री रामकिशन वर्मा : और मंगाने की बात कह रहा हूं न। माननीय उपाध्यक्ष जी, राज्य सरकार यह अनुभव कर रही है ....

श्री उपाध्यक्ष : आपके इस कागज में अध्यक्ष जी यह लिखा हुआ है क्या ?

श्री रामकिशन वर्मा : .. कि उपभोक्ताओं को नये राशन कार्ड शीघ्र उपलब्ध करायें जायें क्योंकि उपभोक्ताओं के पास वर्तमान में जो राशन कार्ड हैं वे बहुत अधिक पुराने हैं या उनके पास राशन कार्ड नहीं हैं। इस सम्बन्ध में राशन कार्ड का प्रारूप,

(श्री रामकिशन वर्मा)

जारी करने की प्रक्रिया शीघ्र निर्धारित कर कार्यवाही की जायेगी। विचारणीय यह है कि उपभोक्ताओं को नये सर्वे के मुताबिक गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों का आंकलन भी राशन कार्ड में डालने की प्रक्रिया में है।

उपभोक्ताओं को राशन की वस्तुएं समय पर, सही क्वालिटी, सही मात्रा और उचित मूल्य प्राप्त हो यह सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता समितियां गठित की हुई हैं। प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान के लिए गठित सतर्कता समितियों में तीन सदस्य रखे गये हैं। शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित वार्ड का मेम्बर/पार्षद व दो स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता जिला रसद अधिकारी द्वारा मनोनीत होते हैं। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में भी 3 सदस्य सतर्कता समिति में संबंधित ग्राम पंचायत का सदस्य, पटवारी एवं स्थानीय पाठशाला का वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक, अध्यापक को रखा गया है। इन सतर्कता समितियों की सदस्यता के सम्बन्ध में जनभागिता अधिक बढ़ाने की दृष्टि से पुनर्गठन का प्रस्ताव विचाराधीन है। इसी तरह तहसील स्तर एवं जिला स्तर पर भी सतर्कता समितियां गठित की हुई हैं जो कि क्रमशः तहसील एवं जिलों में वितरित की जाने वाली उपभोक्ता के सही वितरण को सुनिश्चित करती है। माननीय अध्यक्ष जी ...

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष जी नहीं, उपाध्यक्ष जी।

श्री रामकिशन वर्मा : उपाध्यक्ष जी के बाद अध्यक्ष जी भी बनेंगे, इसमें क्या है ?

माननीय उपाध्यक्ष जी विभाग ने दिनांक 12. 8. 98 को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में नागरिक अधिकार पत्र जारी किया गया जिसकी अधिकांश बातें लागू कर दी गई है। मैं इस बात को बड़े गर्व से कहता हूं कि राजस्थान के सारे विभागों में नागरिक अधिकार पत्र सबसे पहले खाद्य विभाग ने तैयार किया है। नागरिक अधिकार पत्र जारी करने का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली को संवेदनशील एवं पारदर्शी बनाने, राज्य कर्मचारियों में कार्य प्रति उत्तरदायित्व एवं नागरिकों में शासन के प्रति विश्वास में वृद्धि करना रहा है।

राज्य के उपभोक्ताओं को दूरदराज के क्षेत्रों में डीजल की आपूर्ति करने की दृष्टि से बैरल पाइन्ट के लाइसेंस जारी किये गये हैं। बैरल पाइन्ट जारी करने में शिक्षित बेरोजगार, अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को प्राथमिकता देते हुए बैरल पाइन्ट स्थानीय पैट्रोल पम्प क्षेत्र में 10 किलोमीटर की परिधी के दूर बैरल पाइन्ट आवंटित किये गये। बैरल पाइन्ट जारी करने बाबत प्राप्त आवेदन-पत्रों की जांच हेतु गत राज्य सरकार ने एक समिति बनाई थी। समिति ने प्रार्थना-पत्र 4152 व्यक्तियों का चयन किया गया था। (व्यवधान) इन चयनित व्यक्तियों में से 828 व्यक्तियों को बैरल पाइन्ट के लाइसेंस जारी कर दिये गये हैं। शेष व्यक्तियों द्वारा लाइसेंस प्राप्त नहीं करने के कारण उनका चयन दिनांक 3.6.98 को निरस्त कर दिया गया है। जून, 1998 से अगस्त 1998 तक चयन समिति द्वारा साक्षात्कार द्वारा 1824 और आवेदन पत्रों में से 547 व्यक्तियों का चयन

(श्री रामकिशन वर्मा)

किया गया था और चयनित व्यक्तियों में से 182 व्यक्तियों को बैरल पाइन्ट के लाइसेंस जारी किये जा चुके हैं। इस प्रकार कुल 1010 व्यक्तियों को बैरल पाइंट के लाइसेंस दिये गये है। यह प्रश्न भी आया है कि गलत रूप से आबंटित बैरल पाइंट निरस्त किये जायें। इस दिशा में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो बैरल पाइन्ट अनियमित रूप से आबंटित किये गये हैं अथवा बैरल पाइंट द्वारा अनियमितता बरती जा रही है, उनके निस्तारण की कार्यवाही की जावेगी तथा क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं को देखते हुए नये बैरल पाइंट आबंटन पर भी विचार किया जायेगा।

राज्य के उपभोक्ताओं को कुकिंग गैस की आपूर्ति आयल कम्पनियों द्वारा स्थापित रिटेलरों के माध्यम से की जा रही है। इस हेतु भारतीय तेल निगम ने 104, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम ने 65 तथा भारत पेट्रोलियम ने 56 गैस एजेन्सियां राज्य के विभिन्न स्थानों में स्थापित की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उपरोक्त तेल कम्पनियों ने अभी तक दिसम्बर, 1998 तक 1,40,09,430 कनेक्शन जारी किये गये हैं जिनमें से 11,06,558 डी.बी.सी. है।

भारत सरकार ने एल. पी. जी. और केरोसीन की समानान्तरण मार्केटिंग की घोषणा की है जिसके अन्तर्गत निजी कम्पनियों द्वारा आयात पर फ्री सैल केरोसीन उपलब्ध कराया जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष जी, व्यावसायिक कुकिंग गैस के 9136 कनेक्शन तेल कम्पनियों ने जारी किये हैं। घरेलू कुकिंग गैस का व्यावसायिक उपयोग करने की शिकायतें समय-समय पर होती हैं जिनको रोकने की दिशा में कार्यवाही की जाती रही है। उल्लेखनीय है कि जिन उपभोक्ताओं के पास कुकिंग गैस के डी.बी.सी. है उन्हें केरोसीन नहीं दिये जाने बाबत विभाग द्वारा आदेश जारी कर रखे हैं। तेल कम्पनियों के सहयोग से यह सुनिश्चित किया जाये कि उपभोक्ताओं को कुकिंग गैस समय पर मिले और पूरी मात्रा में मिले। इस दिशा में शीघ्र कदम उठाये जायेंगे।

उपाध्यक्ष जी, आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकने हेतु विभागीय प्रवर्तन स्टाफ द्वारा समय-समय पर विक्रेताओं के निरीक्षण किये जाते हैं तथा दोषी पाये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 55 के अन्तर्गत सम्बन्धित के खिलाफ कार्यवाही की जाती है। अप्रेल, 1998 से फरवरी, 1999 तक 387 छापे मारे गये हैं और 17.40 लाख रुपये की आवश्यक उपभोक्ता सामग्री बहक राज्य सरकार जब्त की गई है। 63 व्यापारियों के विरुद्ध सक्षम न्यायालयों में चालान पेश किये गये हैं। 5 व्यापारियों को सक्षम न्यायालयों द्वारा सजा दी गई है। इसके अतिरिक्त विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत 3859 व्यापारियों को दण्डित किया गया है जिनके अनुज्ञा पत्र निरस्त करना एवं प्रतिभूति राशि को जब्त करना शामिल हैं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, वर्तमान सरकार ने जब कार्यभार संभाला था तब आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे थे जिससे जनसाधारण को राहत दिलाने के लिए विभाग ने तत्परता से कार्यवाही की

(श्री रामकिशन वर्मा)

है। विभाग द्वारा दिनांक 3.12.98 से 11.12.98 तक जांच का सघन अभियान चलाया गया जिसके अन्तर्गत राज्य में 1190 दुकानों/फर्मों की जांच की गई। जिसमें 3080 मैट्रिक टन खाद्य सामग्री, 2815 लीटर डीजल, 15557 लीटर केरोसीन एवं 29 गैस सिलेण्डर जब्त किये गये। इनमें से आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 (ए) के अन्तर्गत 90 प्रकरण दर्ज किये गये, 14 प्रकरणों में पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई एवं 1 प्रकरण न्यायालय में दर्ज कराया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा जारी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत जो स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी के प्रयत्नों से लागू किया गया था राज्य में राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण का गठन किया हुआ है। इसी प्रकार राज्य के सभी 32 जिलों में जिला मंच उपभोक्ता संरक्षण गठित किये हुए है। उल्लेखनीय है कि जयपुर में एक अतिरिक्त जिला मंच है। दिसम्बर, 1998 तक राज्य आयोग द्वारा 5904 एवं जिला मंचों द्वारा 1,04,749 प्रकरणों का निर्णय किया गया है। निवेदन है कि कलेण्डर वर्ष 1998 के दौरान राज्य आयोग द्वारा 841 प्रकरणों को निस्तारित किया गया और जिला मंचों द्वारा 14,364 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। माननीय उपाध्यक्ष जी, वर्तमान में राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं कुछ जिला मंचों के अध्यक्षों एवं सदस्यों के पद रिक्त चल रहे हैं जिनके बारे में शीघ्र कार्यवाही की जायेगी। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद के पुनर्गठन की कार्यवाही राज्य सरकार के विचाराधीन है। उपभोक्ता संरक्षण की दिशा में 15 मार्च, 1999 को उपभोक्ता दिवस समस्त जिलों में मनाया गया था तथा विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग करने की दृष्टि से त्रैमासिक आधार पर विभाग द्वारा एक पत्रिका उपभोक्ता मंगल का प्रकाशन कराया गया था।

माननीय उपाध्यक्ष जी, राजस्थान केन्द्रीय पूल में समर्थन-मूल्य पर गेहूं की खरीद कर गेहूं उपलब्ध कराया जाता रहा है। वर्ष 1998 में विभाग द्वारा भारतीय खाद्य निगम, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम एवं राजफैड के साथ कार्यवाही कर कुल 6.67 लाख मैट्रिक टन गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद कराई थी। राज्य के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु इस वर्ष भी समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद की व्यवस्था कर दी गई है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा 15 स्थानों पर भण्डार व्यवस्था निगम द्वारा 10 स्थानों पर और राजफैड के माध्यम से 138 क्रय केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इस प्रकार कुल 163 खरीद केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इस वर्ष समर्थन मूल्य पर क्रय मूल्य रुपये 550/– प्रति क्विन्टल केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।

माननीय उपाध्यक्षजी, मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त विवरण से माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्तावों का समाधान हो गया है। जिन माननीय सदस्यों के प्रस्तावों में कहीं समझ में और पूरे जवाब में नहीं आया उनको लिखित में उत्तर भेज दूंगा।

(श्री रामकिशन वर्मा)

उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि मांग संख्या 32 नागरिक आपूर्ति को स्वीकृत कर मुझे अनुग्रहीत करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं माननीय मंत्री जी बधाई देना चाहूंगा शानदार स्तर के लिए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरे को भी एक ही सवाल पूछना है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी आपने इस सदन में एक अच्छा उत्तर दिया है। मैं आपसे मात्र एक ही सवाल है कि आपने अपने उत्तर में यह कहा है कि पूरे राज्य में एक हजार....

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि पूर्व में भी यह नारा प्रचलित था कि खा गये राशन पी गये तेल देखो यह भाजपा का खेल। यह जो नारे लिखे हुए हैं क्या इनको मिटाने का कोई प्रस्ताव पास करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष आर्डर प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : हां, रामस्वरूप जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय मंत्रीजी, आपने बड़े विस्तृत रूप से सदन का मार्गदर्शन किया है और जितनी ज्यादा विस्तृत रूप से आपने सारी बातें बतायीं। मैं समझता हूं, ये कोई शंका की बात नहीं है, मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने अपने उत्तर में कहा है कि नई सरकार आने के बाद आपने कालाबाजारी रोकने के लिए छापेमारी की प्रक्रिया को तेज किया, 1064 से ज्यादा स्थानों पर आपने छापे मारे और आपने उनमें से सिर्फ 63 आदमियों के खिलाफ कार्यवाही की और 5 के खिलाफ आपने चालान प्रस्तुत किये पर एक बात, ऐसा क्यों इसके पीछे क्या सरकार की....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक मिनट, मंत्री जी, एक मिनट। क्या सरकार की मंशा इन कालाबाजारियों को प्रोत्साहन देने की है। नम्बर दो, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने कहा कि आवश्यक अनाज वितरण की दुकानों की जो रिक्तियां हैं उनकी आपने प्रक्रिया रोक दी तो मंत्री जी की प्रक्रिया इसलिए रोक दी कि आप जो समितियां बनाना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रश्न पूछ रहे हो कि जवाब दे रहे हो ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसलिए बतायेंगे उनकी प्रक्रिया क्यों रोक दी। तीसरा, मैं पूछना चाहता हूं कि आपने यह कहा है मंत्रीजी, कि दो लाख 98 हजार के लगभग यहां राजस्थान को अनाज वितरित हुआ और वहां अब लिफ्टिंग हुआ 1.88, यह कम क्यों ? वैसे भी राजस्थान में जगह-जगह चीनी नहीं, अनाज नहीं, चीनी नहीं, अनाज नहीं, लोगों की कतारें लगी रहती

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हैं। केन्द्रीय सरकार ने अनाज का कोटा आवंटित किया, चीनी का कोटा आवंटित किया। इसके लिफ्टिंग कम क्या हैं? आप इसकी जांच करायेंगे, कौन दोषी है इसका?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुमित्रा सिंह जी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से मैं एक ही प्रश्न पूछना चाहूंगी कि क्या यह बात सही है कि आपने इस विधान सभा में अपना एक नया ही रिकार्ड दर्ज कराया है।

श्री रामकिशन वर्मा : जरूरी था वह तो।

श्री जगमाल सिंह यादव : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, एक ही सवाल पूछ रहा हूं, एक सैकण्ड में पूछ लूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी यह बताने का कष्ट करेंगे कि चुनाव के तुरन्त पहले एक हजार से ज्यादा बैरल पाइंट सरकार ने अलाट किये और उनमें से बहुत सी अनियमितताएं हुई। आपके पास शिकायतें भी आई हैं, एक वैकेंसी बैरल पाइंट की निकाली, चार पार्टियां कटने को तैयार हो गयी तो उनको क्या एक ही जगह पर चार बैरल पाइंट दे दिये, क्या आप उनकी जांच करायेंगे और अगर ऐसी शिकायतें सत्य पाई गयीं तो उनको निरस्त करेंगे क्या आप?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री रघुवीर सिंह : मंत्री जी, एक ही सवाल कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इसका जवाब आने दो।

श्री रघुवीर सिंह : एक ही सवाल पूछ रहा हूं, कोई लम्बा-चौड़ा सवाल नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : इनका जवाब आने दो, आप पूछ लेना।

श्री रघुवीर सिंह : मामूली सवाल है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जिला उपभोक्ता मंच जो बने हैं अभी लम्बे समय से तो क्या आप भंग करके नये उपभोक्ता मंच बनाने का विचार रखते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया न यह तो।

श्री राजेन्द्र पारीक : जिसने कटमोशन के अ. बात की उनको तो लिखित में जवाब दे दिया जायेगा और बाकी के प्रश्नों के उत्तर दे दिये जायेंगे। फिर क्या बाकी रह गया?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री रामकिशन वर्मा : बैरल पाइंट की शिकायतें आती जा रही हैं, सब इकट्ठी आ जाने पर कार्यवाही करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान) उनको जवाब देने दीजये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, उनके खिलाफ चालान पेश कर रहे है।

श्री रामकिशन वर्मा : जांच में जो लोग पाये गये हैं, पकड़े गये हैं उनके खिलाफ कार्यवाही हो गयी, जो नहीं गये उन्हें जबरदस्ती हम फंसाना नहीं चाहते। अगर आपको कोई लगता हो ज्यादा बदमाश, बेईमान तो बता दो, उसको पकड़वा दूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उसको पकड़ना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने मुझे कहा है कि जिस आदमी के लिए मैं कहूं उसको पकड़ेंगे। मैं नाम बता दूंगा।

मांग संख्या 36 का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या–36 सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 66,94,96,000 (छियासठ करोड़ चौरानवे लाख छियानवे हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 32 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–32 नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च,2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 18,01,89,000 (अठारह करोड़ एक लाख नवासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 12 अप्रेल, 1999 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.38 बजे सोमवार, दिनांक 12 अप्रेल, 1999 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट–1

(तारांकित प्रश्न संख्या–266 का विवरण)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय, जयपुर

क्रय एवं भण्डार में हैण्ड टूल्स की खरीद में अनियमितता के सम्बन्ध में विवरण

क्र. सं.	टूल का नाम	विचारार्थ ली गई फर्मों की दर की तुलनात्मक स्थिति					
		मै. माटिया टूल्स एण्ड टैक्नोलोजी, बैंगलोर	मै. ई.एल. ट्रोनिक्स जयपुर	मै. प्रकाश मशीनरी, जयपुर	मै. सेल वेल ऑटो प्रा. लि. देहली	मै. इण्डियन टूल्स हाउस, देहली	मै. विनय एसोसियेटस जयपुर
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सॉकिट फार सिलेण्डर हैड साइज 7/16"	2674.00 तृतीय	—	76.00 द्वितीय	45.80 प्रथम	—	—
2.	फिलर गैज	530.00 षष्ठम	—	92.50 पंचम	75.00 चतुर्थ	11 ब्लेड-18.50 प्रथम 15 ब्लेड-28.00 द्वितीय 26 ब्लेड-50.00 तृतीय	—

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	क्रोमे वैण्डियम स्टील कॉम्बीनेशन प्लायर्स विद ज्वाइण्ट कटर इन्सुलेटेड विद थिक सी ए स्लीव 10″	1162.00 तृतीय	—	150.00 द्वितीय	—	79.00 प्रथम	—
4.	सरक्लिप प्लायर इन्सुलेटेड विद थिक						
	I सी. ए. स्लीव (आउटर)	1255.00 तृतीय	—	88.00 द्वितीय	—	48.00 प्रथम	—
	II सी. ए. स्लीव (इनर)	1428.00 तृतीय	—	88.00 द्वितीय	—	48.00 प्रथम	—

उक्त में से मैसर्स भाटिया टूल्स एण्ड टैक्नॉलोजी, बैंगलोर की अधिकतम दर होने के उपरान्त भी क्रयादेश दिया गया

परिशिष्ट–2

(तारांकित प्रश्न संख्या–268 का विवरण)

मृत पशुओं का विवरण

क्र. सं.	पशुपालक का नाम/पिता का नाम व पता	मृत पशु				
		गाय	भैंस	बछड़ी	पाडी	कुल
1.	श्री रतीराम पुत्र श्री उदाराम कुम्हार, 7 एल. एल	5	2	1 (2 वर्ष)	–	8
2.	श्री सहीराम पुत्र श्री बस्ती राम जाट, 7 एल. एल.	1	2	–	–	3
3.	श्री सुण्डा राम पुत्र श्री नीकूराम कुम्हार, 7 एल. एल.	1	3	1	–	5
4.	श्री महावीर पुत्र श्री कुम्भा राम नायक, 7 एल. एल.	1	1	1	–	3
5.	श्री फरसा राम पुत्र श्री रामजीलाल कुम्हार, 7 एल. एल.	1	1	–	–	2
6.	श्री नारायण राम पुत्र श्री हरलाल कुम्हार, 7 एल, एल.	–	1	–	–	1
7.	श्री रामकिशन पुत्र श्री नारायण राम कुम्हार, 7 एल. एल.	3	1	1	–	5
8.	श्री मोमन राम पुत्र श्री रामजी लाल कुम्हार, 7 एल. एल.	1	2	1	–	4
9.	श्री भजन लाल पुत्र रामस्वरूप मेघवाल, 7 एल. एल.	1	1	–	1	3
10.	श्री सुखदेव पुत्र श्री शेरा राम कुम्हार, 7 एल. एल.	–	1	–	–	1
11.	श्री मनीराम पुत्र श्री तुलाराम यादव, 7 एल. एल.	1	–	–	–	1
	योग :	15	15	5	1	36

परिशिष्ट—3

(तारांकित प्रश्न संख्या—269 की सूचना)

परिशिष्ट—'क"

दलित वर्ग के दूल्हों को घोड़ी से उतारने की घटनाओं में कमी लाने हेतु किए जा रहे उपाय

1. जब कभी भी किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा उसकी बारात निकलने में व्यवधान की आशंका होने की सूचना पुलिस को प्राप्त होती है तो उसकी सुरक्षा हेतु समुचित मात्रा में पुलिस बल उपलब्ध कराया जावे ताकि बारात बिना किसी व्यवधान के निकाली जा सके।

2. पुलिस अधिकारियों को भी उनके सूचना स्रोतों से ऐसी आशंका की सूचना प्राप्त होने पर सम्बन्धित थानाधिकारी उक्त गांव/स्थान से बारात रवाना होने से पूर्व पर्याप्त बल सहित पहुंच कर बारात को बिना किसी बाधा के निकलवाने में पूर्ण सुरक्षा प्रदान करेंगे।

3. अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की बारात में व्यवधान की सूचना प्राप्त होने पर सम्बन्धित थानाधिकारी बिना विलम्ब के मौके पर पहुंचेंगे एवं साथ ही पुलिस एवं प्रशासन के उच्चाधिकारियों को घटना के बारे में सूचित करेंगे।

4. घटना स्थल पर पहुंचने वाले पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वे वर वधू पक्ष एवं गांव के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और उनके रीति-रिवाज के अनुसार शादी को सम्पन्न करवाने में सहयोग प्रदान करेंगे।

5. घटना के तथ्यों एवं गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर तुरन्त पहुंचेंगे।

6. ऐसी घटना को लेकर अनुसूचित जाति के वर्ग के लोगों एवं अन्य वर्गों के बीच कटुता को दूर करने के लिए गांव के सभी वर्गों के प्रतिष्ठित लोगों को एकत्रित कर शांति स्थापित करेंगे।

7. जिला पुलिस अधीक्षकगण घटना से सम्बन्धित अभियुक्तों की अविलम्ब गिरफ्तारी सुनिश्चित कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत करावें तथा अभियोजन शाखा के माध्यम से यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रकार के अपराधों की ट्रायल (अन्वीक्षा) शीघ्रातिशीघ्र सम्पन्न हो।

परिशिष्ट–4

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न और उनके उत्तर)

जिला दौसा के ऐतिहासिक स्थलों पर आवश्यक सुविधाएं

270. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) दौसा जिले में ऐतिहासिक महत्व के पुरातात्विक स्थल कहां-कहां हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार उक्त स्थलों को पर्यटन के रूप में विकसित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस-किस स्थल को एवं कब तक ?

(3) क्या उक्त स्थलों पर पेयजल सुविधा, सुलभ काम्पलेक्स धूप व वर्षा से बचाव हेतु शेड का निर्माण कराने की कोई योजना विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) दौसा जिले में पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक महत्व के संरक्षित घोषित स्मारकों की सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है ।

(2) विभाग द्वारा आबानेरी के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से पर्यटकों को पर्यटन साहित्य के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है । दिनांक 24-3-99 को आबानेरी में पर्यटन विभाग द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था ।

(3) जी नहीं । वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

परिशिष्ट "क"

दौसा जिले में पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक महत्व के संरक्षित घोषित स्मारकों की सूची

अ–दौसा ज़िले में राजस्थान के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा एतिहासिक महत्व निम्न पुरातात्विक स्थल संरक्षित घोषित है :—

1. प्राचीन स्थल, मिहसेरा (मिहसेरा)
2. प्राचीन स्थल राजीवास (राजीवास)
3. प्राचीन स्थल, सिकराय (सिकराय)

ब–भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा दौसा जिले में एतिहासिक महत्व के संरक्षित पुरातात्विक स्थलों की सूची निम्न है :—

1. हर्षद माता का मन्दिर–आबानेरी ।

2.	चांद बावड़ी आबानेरी	5.	प्राचीन स्थल, रानीवास
3.	बंजारों की छतरी, लालसोट	6.	प्राचीन स्थल, मिहूसेरा
4.	प्राचीन स्थल, आबानेरी	7.	प्राचीन स्थल, सिकराय

रोजगार सलाहकार समिति की सिफारिशों का क्रियान्वयन

271. श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

रोजगार सलाहकार समिति जो दिनांक 8–10–90 को गठित की गई थी, की सिफारिशों पर दिनांक 19–2–94 को आयोजित सेमीनार में सिफारिशों के आधार पर तैयार किये गये एक्शन प्लान पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें। दिनांक 28–2–99 को सजीव पंजिका पर उपलब्ध शिक्षित आशार्थियों का संख्या विवरण जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

योजना विभाग द्वारा दिनांक 19-2-94 को आयोजित सेमीनार की सिफारिशों के आधार पर तैयार किये गये "एक्सन प्लान" की प्रति आयोजना विभाग द्वारा नियोजन विभाग को नहीं भिजवाई गई। नियोजन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी।

दिनांक 28–2–99 को सजीव पंजीका पर उपलब्ध शिक्षित बेरोजगार आशार्थियों का संख्या विवरण जिलेवार सदन की पटल पर प्रस्तुत है।

रोजगार कार्यालयों की सजीव पंजिका पर दिनांक 28–2–99 को उपलब्ध शिक्षित आशार्थियों के जिलेवार संख्या विवरण

क्र. सं.	रोजगार कार्यालय का नाम	कुल शिक्षित
1	2	3
1.	अजमेर	18627
2.	अलवर	37595
3.	बांसवाडा	6886
4.	बारां	6507
5.	बाड़मेर	7593
6.	भरतपुर	25731

1	2	3
7.	भीलवाड़ा	15297
8.	बीकानेर	17160
9.	बून्दी	4133 (4133)
10.	चित्तौड़गढ़	11271
11.	चूरू	12321
12.	दौसा	19870
13.	धौलपुर	7515
14.	डूंगरपुर	5025
15.	हनुमानगढ़	10117
16.	जयपुर	106105
17.	जैसलमेर	2684
18.	जालौर	4724
19.	झालावाड़	7253
20.	झुन्झुंनू	24030
21.	जोधपुर	23670
22.	कोटा	32453
23.	नागौर	23120
24.	पाली	9208
25.	राजसमन्द	6883
26.	सवाईमाधोपुर	25189
27.	सीकर	20783
28.	सिरोही	4828
29.	श्रीगंगानगर	11307
30.	टौंक	15924
31.	उदयपुर	19442
	योग :	543251

जिला जैसलमेर में सीमेंट उद्योग की स्थापना

272. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर में उच्चकोटि का लाइमस्टोन एवं जिप्सम उपलब्ध है ? क्या उक्त खनिजों की उपलब्धता के आधार पर जैसलमेर में सीमेंट प्लांट लगाने की कोई योजना सरकार के समक्ष प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हाँ। जिला जैसलमेर में चूना पत्थर एवं जिप्सम की उपलब्धता के आधार पर निजी क्षेत्र में 6 वृहद सीमेन्ट प्लान्ट स्थापित किये जाने के प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं।

पंचायत समिति अटरू (कोटा) में कार्यरत महिला अध्यापिकाएं

273. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पंचायत समिति अटरू (कोटा) में कितनी महिला शिक्षक विधवा या परित्यक्ता के आधार पर नौकरी में है ? उक्त शिक्षिकाओं का नाम व पति का नाम मय पूरे पते के विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) किस-किस महिला शिक्षक के पति की मृत्यु कब हुई या उनके पति ने उनको कब छोड़ा ? मृत्यु प्रमाण-पत्र पत्र या परित्यक्ता प्रमाण-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कर्मियों द्वारा नौकरी हेतु प्रस्तुत किये गये समस्त कागजात क्या-क्या थे ?

(4) क्या कुछ महिला शिक्षको द्वारा परित्यक्ता के फर्जी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये गये हैं ? यदि हां, तो किन-किन द्वारा ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति अटरू में दो महिलाएँ शिक्षक विधवा/परित्यक्ता होने के आधार पर नौकरी में हैं। शिक्षिकाओ का नाम व पति का नाम मय पते के विवरण निम्न प्रकार हैं :–

1. श्रीमती अफरोज जहां पत्नी स्वर्गीय श्री शहजाद खां निवासी अटरू।

2. श्रीमती इन्द्रागौतम पत्नी श्री बनवारी लाल ग्राम समसपुरा तहसील बांरा।

(2) श्रीमती अफरोज जहां के पति की मृत्यु दिनांक 10-9-95 को एवं श्रीमती इन्द्रागौतम का तलाक नामा दिनांक 1-12-94 को हुआ। उक्त दोनों महिलाओं के पति के मृत्यु परित्यक्ता के प्रमाण पत्रों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई।

(3) उक्त दोनों महिलाओं द्वारा नौकरी हेतु प्रस्तुत किये गये समस्त कागजातों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(4) विभाग के ध्यान में ऐसी कोई शिकायत या जानकारी नहीं हैं।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला शिक्षा अधिकारी बांसवाड़ा द्वारा किये गये स्थानान्तरण प्रकरण

274. श्री रमेशचन्द्र (बांसवाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार द्वारा वर्ष 1995 से 1999 तक स्थानान्तरण की कोई नीति बनाई गई है ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बांसवाड़ा द्वारा उक्त अवधि में उक्त नीति के अनुरूप ही स्थानान्तरण किए गए ? यदि हां तो, किस प्रकार ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1995 से वर्ष 1998—99 तक शिक्षा विभाग के लिए जारी स्थानान्तरण नीति की प्रतियां परिशिष्ट "क" में सदन के पटल पर रख दी गई है। वर्ष 98—99 की नीति वर्तमान में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 23-1-99 के द्वारा आगामी आदेश तक के लिये प्रास्थगित (केप्ट इन अबेयेंश) किया हुआ है।

(2) जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बांसवाड़ा के द्वारा सत्र 96 से अब तक स्थानान्तरण किये गये हैं वे नीति के परिक्षेप में ही किये गये हैं। सत्र 95—96 में किये गये नीति विरुद्ध स्थानान्तरणों की जांच विचाराधीन है। जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बांसवाड़ा श्री रमेश चन्द्र उपाध्याय को इस प्रकरण में निलम्बित किया गया, तथा सी. सी. ए. नियम-16 के तहत आरोप पत्र दिये गये हैं।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला चूरू की अपूर्ण सड़कें

275. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील चूरू की सम्पर्क सड़क दूधवा मीठा से रामपुरा के निर्माण की स्वीकृति कब जारी की गई व निर्माण पर कब न्यायालय ने स्थगन आदेश जारी किया व स्थगन किसने क्यों लिया व विभाग ने स्थगन तुड़वाने की क्या कार्यवाही की ?

(2) चूरू के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल को जोड़ने वाली सड़क आई. टी. आई. से हनुमानगढ़ी की स्वीकृति कब जारी हुई और निर्माण कार्य क्यों नहीं प्रारम्भ किया गया ?

(3) तहसील चूरू की सम्पर्क सड़क ढाणी डूंगरसिहपुरा की स्वीकृति कब जारी की गई और निर्माण कार्य क्यों नहीं प्रारंभ हुआ ?

(4) क्या सरकार चूरू जिले की अपूर्ण सड़कों को पूर्ण करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) क्या सरकार चूरू तहसील में विभिन्न सड़कों के मरम्मत एवं रख-रखाव हेतु कोई धनराशि स्वीकृत करने का विचार रखती हैं ? यदि हां तो कितनी व कब तक ?

उत्तर

(1) इस सड़क की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राज्य सरकार के पत्रांक संख्या एफ.2(17) पी. डब्लू./ए एस/95 दिनांक 5. 1. 96 के द्वारा रुपये 15.00 लाख की न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में जारी की गई। इस सड़क के निर्माण पर सिविल न्यायाधीश (क. ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, चूरू द्वारा दिनांक 25. 3. 98 को स्थगन आदेश दिया गया। यह स्थगन आदेश मैसर्स अमिता कन्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स, चूरू द्वारा लिया गया। स्थगन तुड़वाने हेतु विभाग द्वारा दिनांक 24. 4. 98 को अदालत जिला न्यायाधीश, चूरू में अपील दायर की जिसका निर्णय दिनांक 6. 10. 98 को हुआ जिसके तहत अपील अस्वीकार कर दी गई। माननीय उच्च न्यायालय में अपील करने हेतु प्रकरण विधि विभाग में विचाराधीन है।

(2) इस सड़क की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राज्य सरकार के पत्रांक एफ. 2 (5) पी. डबलू/ए एस/ पार्ट-ए/98 दिनांक 13. 10. 98 द्वारा रुपये 8.00 लाख की जारी की गई। दिसम्बर, 98 में राज्य की संभावित वित्तीय स्थिति को देखते हुये अगस्त व अक्टूबर, 98 में प्रसारित उन सभी स्वीकृतियों की समीक्षा की गई, तथा यह निश्चय किया गया कि ऐसे समस्त कार्य जो अभी तक प्रारम्भ नहीं किये गये हैं, उनकी क्रियान्विती को अग्रिम पुनरावलोकन तक स्थगित रखा जावे। चूंकि यह कार्य भी उन स्वीकृतियों में सम्मिलित था। अतः इसकी क्रियान्विति तदनुसार स्थगित की गई।

(3) चूरू तहसील में ढाणी डूंगरसिंहपुरा के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राज्य सरकार के पत्रांक एफ. 2 (5) पी. डब्लू./ए. एस./ए 98 दिनांक 13. 10. 98 द्वारा रुपये 20.00 लाख की जारी की गई। दिसम्बर, 98 में राज्य संभावित स्थिति को देखते हुये अगस्त व अक्टूबर, 98 में प्रसारित उन सभी स्वीकृतियों की समीक्षा की गई, तथा यह निश्चय किया गया कि ऐसे समस्त कार्य जो अभी तक प्रारम्भ नहीं किये गये हैं, उनकी क्रियान्विती को अग्रिम पुनरावलोकन तक स्थगित रखा जावे। चूंकि यह कार्य भी उन स्वीकृतियों में सम्मिलित था। अतः इसकी क्रियान्विति तदनुसार स्थगित की गई।

(4) जी, हां। ऐसी अधूरी सड़कें जो सड़क नीति के माप-दण्डों में आती है उन्हें उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूर्ण करने के प्रयास किये जावेंगे।

(5) जी, हां। वित्तीय वर्ष 1999–2000 में चूरू तहसील की सड़कों के मरम्मत एवं रख-रखाव हेतु रुपये 32.00 लाख के कार्य प्रस्तावित हैं। स्वीकृतियां माह अप्रेल 99 के अन्त तक जारी कर दी जावेगी।

स्वास्थ्य निरीक्षकों के रिक्त पद प्रकरण

276. **श्री के.सी. विश्नोई (संगरिया) :** क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री के. सी. विश्नोई)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पी.एफ.ए. एक्ट के तहत योग्यताधारी स्वास्थ्य निरीक्षकों को तीन माह का प्रशिक्षण दिये जाने हेतु पत्र क्रमांक प. 7(3) चि. एवं स्वा. 3/96 दिनांक 28–8–97 द्वारा स्वीकृति जारी की गई थी ?

(2) क्या उक्त आदेशों की अनुपालना में उक्त प्रशिक्षण दिया गया ? यदि हां, तो कितने लोगों को व कब एवं नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि खाद्य निरीक्षकों के भारी मात्रा में पद रिक्त हैं एवं उक्त रिक्त पदों के कारण मिलावट रोकने सम्बन्धी कार्य में बड़ी बाधा उत्पन्न हो रही है ? अब उक्त रिक्त पदों को भरने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ।

उत्तर

(1) जी, हां ।

(2) जी, नहीं । इस सम्बन्ध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा उठाये गये बिन्दु का परीक्षण करने पर पाया गया कि पीएफए एक्ट 1954 एवं राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिनस्थ सेवा नियम 1965 के परिशिष्ट के अनुसार फूड सेम्पलिंग एवं विश्लेषण से सम्बन्धित तीन माह का प्रशिक्षण कार्यरत स्वास्थ्य निरीक्षकों (सेनेटरी इन्स्पेक्टर्स) को दिया जाना सम्भव नहीं है ।

(3) जी, नहीं । नियमानुसार प्रशिक्षण दिया जाना संभव नहीं है । अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

(4) जी, हां । रिक्त पद भरने की कार्यवाही की जा रही है ।

बीकानेर–नोहर बस सेवा प्रकरण

277. श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार बीकानेर से नोहर वाया अर्जुनसर, पल्लू, रावतसर सीधी बस सेवा शुरू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(2) निजी बसों एवं निगम की बसों में किराये का अनुपात क्या है ? राज्य में ऐसा भेदभाव क्यों है ? क्या सरकार इस भेदभाव को खत्म करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां । बीकानेर से नोहर वाया अर्जुनसर-पल्लू-रावतसर मार्ग के मध्य अर्जुनसर से पल्लू तक का भाग वर्तमान में राष्ट्रीयकृत नहीं है, इस मार्ग पर निजी वाहनें संचालित है । इस अन्तराष्ट्रीयकृत भाग के अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु आर.टी.ए. बीकानेर के समक्ष आवेदन किया हुआ है । निगम को इस मार्ग के

(यातायात मंत्री)

अनुज्ञा पत्र प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रस्तावित मार्ग पर निगम द्वारा सीधी बस सेवा का संचालन प्रारम्भ किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा निजी एवं राज्य पथ परिवहन निगम की बसों के लिए किराए की समान दरें निर्धारित हैं।

विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर का सड़क निर्माण प्रकरण

278. **श्रीमती यास्मीन अबरार** (सवाई माधोपुर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर के ग्रामों में गत तीन वर्षों में कौन-कौनसी योजनाओं द्वारा किन-किन गांवों के मध्य सड़क बनाने का कार्य स्वीकृत किया गया है तथा उनमें से कौनसी सड़कों का कार्य पूर्ण हो गया है तथा किन सड़कों का कार्य अपूर्ण है ? अधूरे कार्य पूरे नहीं होने के क्या कारण हैं तथा अब यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायेंगे ?

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के कौन-कौन से पंचायत मुख्यालय अभी तक सड़क से नहीं जुड़े हैं तथा इसके लिए कौन उत्तरदायी हैं ? अब इन्हें कब तक सड़कों से जोड़ दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) सवाईमाधोपुर विधान सभा क्षेत्र में गत तीन वर्षों में सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा कराये जाने हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत गांवों की सड़क बनाने हेतु कुल 15 सड़क कार्य स्वीकृत किये गये हैं। उक्त 15 सड़क कार्यों में से 7 सड़क कार्य पूर्ण हो चुके हैं, सड़क कार्य प्रगति पर हैं एवं एक कार्य वर्तमान में बन्द है। पूर्ण किये गये कार्य एवं अपूर्ण कार्यों का मय पूर्ण होने का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) सवाईमाधोपुर विधान सभा क्षेत्र में 41 पंचायत मुख्यालयों में से 28 पंचायत मुख्यालय डामर सड़क से जुड़े हुए हैं। शेष 13 पंचायत मुख्यालयों में से 8 पंचायत मुख्यालयों को डामर सड़क से जोड़ने हेतु विभिन्न योजनाओं में स्वीकृति प्राप्त है तथा कार्य प्रगति पर है, एवं 5 पंचायत मुख्यालयों में से 3 ग्रेवल सड़क से जुड़े है व 2 किसी भी प्रकार की सड़क से जुड़े हुये नहीं हैं। सड़क विकास नीति के अनुसार शेष पांचों पंचायत मुख्यालयों को नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक (मार्च, 2002 तक) डामर सड़क से जोड़ना प्रस्तावित है। विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

परिशिष्ट–"अ"

सवाईमाधोपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में गत तीन वर्षों में विभिन्न योजनाओं में प्राप्त सड़क बनाने की स्वीकृतियों का विवरण

क्र. सं.	ग्राम का नाम/जन संख्या 1991	कार्य का नाम	वर्तमान स्थिति	अधूरे रहने का कारण	पूर्ण होने की सम्भावित तिथि
1	2	3	4	5	6
	वर्ष 1996–97				
	आश्वासित रोजगार योजना				
1.	जोलन्दा (1736)	ग्रेवल सड़क खिरनी से जोलन्दा 3/0 से 4/0	पूर्ण (ग्रेवल)	—	—
2.	जटावती (1311)	ग्रेवल सड़क हथडोली से जटावती 3/0 से 4/360	अपूर्ण	अपर्याप्त स्वीकृति	स्वीकृति प्राप्त होने पर
3.	पाड़ली	ग्रेवल सड़क श्यामपुरा पाड़ली 2/0 से 2/500	पूर्ण (ग्रेवल)	—	—
	निर्बन्ध राशि योजना				
4.	—	रणथम्भोर रेल्वे स्टेशन गणेशधाम तिराहे तक ग्रेवल सड़क का निर्माण	पूर्ण (ग्रेवल)	—	—

1	2	3	4	5	6
	एम. एन. पी. योजना				
5.	चकेरी (2500)	सम्पर्क सड़क चकेरी का निर्माण कार्य	मेटल कार्य पूर्ण	प्रगति पर	6/99
6.	खिरनी (8930)	डामर सड़क बोली खिरनी का कार्य 10/0 से 10/0	पूर्ण	—	—
7.	जटवाड़ा (2021)	सम्पर्क सड़क अजनोटी से जटवाड़ा का निर्माण कार्य (मेटल सड़क)	पूर्ण	—	—
	नाबार्ड योजना				
8.	मखोली (1183)	अपग्रेडेशन कार्य सम्पर्क सड़क मखोली	डामर पूर्ण	सी.डी. कार्य प्रगति पर	6/99
9.	छारोदा (1145)	अपग्रेडेशन कार्य सम्पर्क सड़क छारोदा	अपूर्ण	प्रगति पर (भूमि विवाद के कारण विलम्ब)	6/99
10.	जोलन्दा (1736)	,, जोलन्दा	डामर पूर्ण	नाले का निर्माण प्रगति पर (भूमि विवाद के कारण विलम्ब)	6/99
11.	हिन्दुपुरा (1947)	,, बड़ा गांव सरवर हिंदुपुरा	पूर्ण	—	—
12.	मकसूदनपुरा (1211)	,, ,, मकसूदनपुरा	पूर्ण	—	—

1	2	3	4	5	6
	वर्ष 1997–98				
	———शून्य———				
	वर्ष 1998–99				
	32 जिला 32 काम योजना				
13.	तारनपुर (865)	सम्पर्क सड़क तारनपुर से श्रीपुरा	अपूर्ण	श्रमिक उपलब्ध न होने के कारण प्रगति में विलम्ब	3/2000
14.	पूसोदा	ग्रेवल सम्पर्क सड़क करमोदा से पूसोदा	अपूर्ण	,,	3/2000
	निबंन्ध राशि योजना				
15.	पूसोदा	ग्रेवल सम्पर्क सड़क करमोदा से पूसोदा	अपूर्ण	,,	3/2000

परिशिष्ट "ब"

सवाईमाधोपुर विधान सभा क्षेत्र में डामर सड़क से नहीं जुड़े पंचायत मुख्यालयों का विवरण

क्र. सं.	पंचायत मुख्यालय	जनसंख्या (1991)	वर्तमान स्थिति	स्वीकृति स्थिति	स्वीकृति योजना	कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1.	चकेरी	2500	मेटल	बीटी	एम. एन. पी. योजना के अन्तर्गत	6/99
2.	मदलाव	708	ग्रेवल	—	—	नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक
3.	जड़ावता	1715	ग्रेवल	बीटी	ए. डी. पी. योजना के अन्तर्गत	9/99
4.	ओलवाड़ा	1207	ग्रेवल	—	—	नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक
5.	पढ़ाना	1582	ग्रेवल	बीटी	ए. डी. पी. योजना के अन्तर्गत	9/99
6.	सेलू	1615	ग्रेवल	बीटी	ए. डी. पी. योजना के अन्तर्गत	9/99
7.	हथडोली	1142	ग्रेवल	—	—	नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक
8.	सूखा	1107	यूसी	बीटी	कृषि उपज मंडी में स्वीकृत	3/2000
9.	छारोदा	1145	यूसी	बीटी	नाबार्ड योजना के अन्तर्गत	6/99

1	2	3	4	5	6	7
10.	एंण्डवा	1728	यूसी	बीटी	ए. डी. पी. योजना के अन्तर्गत	9/99
11.	खटूपुरा	1576	यूसी	बीटी	जिला एवं अन्य सड़क मद में ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत	12/99
12.	सांकड़ा	1320	यूसी	—	सुनिश्चित रोजगार योजना में स्वीकृति अपर्याप्त	नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक
13.	बाडोलास	1330	यूसी	—	स्वीकृति प्राप्त नहीं है ।	नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक

दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के चुनाव प्रकरण

279. **श्री सांवरलाल** (भिनाय) : क्या डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

गत पांच वर्षों में दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के चुनाव किस-किस जिले में कब-कब हुए ? समितियों के चुनाव के बाद जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के संचालक मण्डल एवं अध्यक्ष के चुनाव कहां-कहां, कब-कब हुए ? कौन-कौन, कहां-कहां अध्यक्ष एवं सदस्य संचालक मण्डल चुने गये ? समितियों एवं संघ के चुनाव में समय का अन्तर कितना-कितना कहां-कहां रहा ? जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष एवं संचालक मण्डल का कार्यकाल कहां-कहां, कब-कब समाप्त हो गया है ?

उत्तर

सभी जिलों में माह नवम्बर, 94 व जून-सितम्बर, 98 में निर्वाचन सम्पन्न हुए जिसकी सूची परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

समितियों के चुनाव के बाद 10 जिला दुग्ध संघों के संचालक मण्डल के निर्वाचन माह फरवरी, 1997 एवं उदयपुर संघ का निर्वाचन नवम्बर, 1997 में हुआ जिसकी सूची परिशिष्ट–"ब" पर संलग्न है।

10 जिला दुग्ध संघों में अन्तर करीब 2 वर्ष 2 माह का एवं उदयपुर दुग्ध संघ में करीब 2 वर्ष 11 माह का अन्तर रहा।

जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों के उपनियमानुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल तीन वर्ष का है जो अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है।

परिशिष्ट–अ

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के निर्वाचन की सूचना

क्र.सं.	नाम दुग्ध संघ	कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत जिले	वर्षवार समितियों की संख्या जिनमें निर्वाचन सम्पन्न हुए 1994	1998
1	2	3	4	5
1.	भरतपुर	भरतपुर, धौलपुर	13	3
2.	बीकानेर	बीकानेर	230	250
3.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़	217	199

1	2	3	4	5
4.	अजमेर	अजमेर	233	217
5.	जयपुर	जयपुर दौसा	257	388
6.	अलवर	अलवर	104	122
7.	सीकर	सीकर झुन्झुनूं	36	8
8.	सवाईमाधोपुर	सवाईमाधोपुर टोंक करौली	67	50
9.	जोधपुर	जोधपुर नागौर बाड़मेर जैसलमेर	164	113
10.	श्री गंगानगर	श्री गंगानगर हनुमानगढ़	154	202
11.	चूरू	चूरू	23	33
12.	पाली	पाली	170	190
13.	जालौर-सिरोही	जालौर सिरोही	56	60
14.	कोटा	कोटा बांरा झालावाड़ बूंदी	19	28
15.	उदयपुर	उदयपुर राजसमंद	115	151
16.	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा डूंगरपुर	26	14
	कुल योग		1884	2028

परिशिष्ट–ब

जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों के नव निर्वाचित अध्यक्षों एवं संचालकों के कार्यग्रहण की सूचना निम्न प्रकार है

क्र.सं.	नाम दुग्ध संघ	नाम अध्यक्ष एवं संचालकगण	अध्यक्ष की कार्य ग्रहण तिथि
1	2	3	4
1.	अजमेर	श्री रामचन्द्र चौधरी, अध्यक्ष श्रीमती रामप्यारी, संचालक श्री अनिरुद्ध सिंह ,, ,, श्री गणेश चौधरी, ,, ,, श्री प्रहलाद गुर्जर, ,, ,, श्री गोमा, ,, ,, श्री रामलाल, ,, ,, श्री सूरजकरण ,, ,,	4.2.97
2.	अलवर	श्री रामफल गुर्जर, अध्यक्ष श्री श्रीनिवास मीणा, संचालक श्री श्रीनाथ सिंह, ,, ,, श्री रामेश्वर दयाल मीणा, ,, श्री हरपाल गुर्जर, ,, ,, श्री शंकरलाल खटीक ,, ,,	4.2.97
3.	बीकानेर	श्री हेतराम विश्नोई, अध्यक्ष श्रीमती मूर्ति, संचालिका श्री चन्द्रदास, संचालक श्री हंसराज, ,, ,, श्री टोडर राम, ,, ,, श्री मदनदास, ,, ,, श्री रामलाल, ,, ,, श्री गणपतराम ,, ,, श्री मिटठूराम ,, ,,	4.2.97
4,	भीलवाड़ा	श्री रामलाल जाट, अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह, संचालक श्री हेमाराम, ,, ,,	4.2.97

1	2	3	4
		श्री घनश्याम त्रिवेदी, संचालक	
		श्री रमाकान्त गिरी, ,,	
		श्री घनश्याम सिंह, ,, ,,	
		श्री नानूराम कुमावत, ,,	
		श्रीमती गीता देवी, संचालिका	
5.	श्रीगंगानगर	श्री जसवीर सिंह सहारण, अध्यक्ष	4.2.97
		श्री आत्माराम गोदारा, संचालक	
		श्री लखविन्दर सिंह, ,,	
		श्री भागीरथ सिंह ज्याणी, ,,	
		श्री सुदेश चौधरी, ,,	
		श्री रामस्वरूप, ,,	
		श्री सत्यनारायण, ,,	
		श्री लेखराज, ,,	
		श्रीमती नर्मदा देवी, संचालिका	
6.	जयपुर	श्री गणेश नारायण जाट, अध्यक्ष	4.2,97
		श्री रामसहाय कांकरोलिया, संचालक	
		श्री मेजर सिंह,	
		श्रीमती मनभरी देवी, संचालिका	
		श्री बंशीधर, संचालक	
		श्री हरसहाय यादव, ,,	
		श्री रामजीवन चौपड़ा, ,,	
		श्री सुशील चौधरी, ,,	
		श्री गिर्राज प्रसाद मीणा, ,,	
7,	जोधपुर	श्री रामलाल विश्नोई, अध्यक्ष	4.2.97
		श्री बाबूलाल, संचालक	
		श्री रतनलाल चांदावत संचालक	
		श्री दौलतराम, ,,	
		श्री मंगलाराम, ,,	
		श्री खोयाराम जाणी ,,	
		श्री खेराजराम विश्नोई, ,,	
		श्रीमती जीया देवी, संचालिका	

1	2	3	4
8.	रानीवाड़ा	श्री जोगसिंह बालोत, अध्यक्ष	4.2.97
		श्री नरपत सिंह राजपूत, संचालक	
		श्री रामसिंह, संचालक	
		श्री प्रशांत कुमार, ,,	
		श्री मीखाराम, ,,	
		श्री केशाराम, ,,	
		श्री रणजीत सिंह राजपूत, संचालक	
		श्री महेन्द्र सिंह, संचालक	
9.	पाली	श्री चन्दन सिंह, अध्यक्ष	4.2.97
		श्री माधवराम, संचालक	
		श्री ओंकार सिंह, ,,	
		श्री शैतान सिंह, ,,	
		श्री भंवर सिंह, ,,	
		श्रीमती संध्या कुमारी, संचालिका	
		श्री महेन्द्र सिंह, संचालक	
		सुश्री सरिता कुमावत, संचालिका	
10.	सवाईमाधोपुर	श्री गोपाल लाल चौधरी, अध्यक्ष	4.2.97
		श्री सुलेमान, संचालक	
		श्री दुर्गासिंह, ,,	
		श्री हीरालाल, ,,	
		श्रीमती न्याली देवी, संचालिका	
11.	उदयपुर	श्री जग्गाराम पटेल, अध्यक्ष	10.11.97
		श्री परमानन्द मेहता, संचालक	
		श्री भोलालाल जाट, ,,	
		श्री कालूलाल मीणा, ,,	
		श्री रामेश्वर, ,,	
	निम्नलिखित जिला संघों में प्रशासक नियुक्त है		
12.	बांसवाड़ा	जिला कलेक्टर, प्रशासक	
13.	सीकर	जिला कलेक्टर, प्रशासक	
14.	कोटा	जिला कलेक्टर, प्रशासक	
15.	भरतपुर	जिला कलेक्टर, प्रशासक	
16.	चूरू	जिला कलेक्टर, प्रशासक	

जिला भरतपुर की रुग्ण इकाइयों का पुनर्संचालन प्रकरण

280. श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला भरतपुर में रीको/वित्त निगम द्वारा पंजीकृत उद्योग इकाइयां कितनी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त इकाइयों में से कितनी इकाइयां वर्तमान में जीवित/मृत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त मृतप्राय इकाइयों पर रीको/वित्त निगम की कितनी-कितनी राशि बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) सरकार की अब उक्त मृत इकाइयों को पुनः चालू कराने की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) रीको/वित्त निगम द्वारा औद्योगिक इकाइयों का पंजीकरण नहीं किया जाता है अपितु वित्त पोषित की जाती है । जिला भरतपुर में रीको द्वारा वित्त पोषित 354 औद्योगिक इकाइयां हैं । इकाइवार सूची परिशिष्ट "क" और "ख" सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) उक्त इकाइयों में से रीको द्वारा वित्त पोषित एक इकाई उत्पादनरत है तथा राज. वित्त निगम द्वारा वित्त पोषित 154 इकाइयां उत्पादनरत हैं । रीको द्वारा वित्त पोषित एक इकाई बन्द है और राजस्थान वित्त निगम द्वारा वित्त पोषित 200 इकाइयां बन्द है । सूची परिशिष्ट "अ" "ब" और "स" सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(3) रीको द्वारा पोषित बन्द इकाइयों के विरुद्ध कोई राशि बकाया नहीं है तथा राज. वित्त निगम द्वारा पोषित बन्द इकाइयों के विरुद्ध 637.56 लाख रु. की राशि बकाया है । सूची परिशिष्ट "ब" सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(4) बंद इकाइयों को पुनः चालू करने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास करती है और इस बाबत रियायतें, सुविधायें भी समय-समय पर प्रदान की जाती है । किसी उद्योग का पुनः चालू होना पूंजी, श्रमिकों के सहयोग तथा प्रवर्तकों की क्षमता आदि कई कारकों पर निर्भर करती है ।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

चन्द्रावती नगरी (माउण्ट आबू) का खुदाई प्रकरण

281. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि माउण्ट आबू में रोप वे शुरू करने की कोई योजना प्रस्तावित है ?

(2) क्या आबूरोड के पास ऐतिहासिक चन्द्रावती नगरी में खुदाई की सरकार की कोई योजना है ?

(3) उक्त क्षेत्र की चन्द्रावती नगरी की धरोहर को संरक्षित रखने के लिए सरकार

(श्री संयम लोढ़ा)

की क्या योजना है ? क्या इसे पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने की कोई योजना प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) वर्तमान में माउन्ट आबू में रोप-वे शुरू करने कोई की योजना प्रस्तावित नहीं है।

(2) हां, आबू रोड़ के पास ऐतिहासिक नगरी चन्द्रावती की पुरातात्विक खुदाई की योजना पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग राजस्थान में, विचाराधीन है।

(3) चन्द्रावती नगरी की धरोहर को संरक्षित रखने के लिए राजस्थान सरकार के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, द्वारा सन् 1965 में माउन्ट आबू में राजकीय संग्रहालय की स्थापना कर इसमें चन्द्रावती नगरी से प्राप्त कलात्मक सामग्री, प्रतिमाएं एवं शिलालेख सुरक्षित रखे गये है। इसके अलावा उक्त स्थल से प्राप्त प्रतिमाएं व कलात्मक शिल्प खण्डों आदि को संग्रहित करने के लिए चन्द्रवती स्थल पर ही एक विशाल प्रतिमा कक्ष का वर्ष 1998-99 में निर्माण किया गया है तथा इसकी सुरक्षा के लिए वहां पर सुरक्षाकर्मी भी तैनात है।

वर्तमान में उक्त क्षेत्र को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने की योजना प्रस्तावित नहीं है।

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वित्त पोषित इकाइयों का पंजीयन

प्रकरण

282. श्री उदयसिंह राठौड़ (बनीपार्क) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) खादी बोर्ड द्वारा दी जाने वाली ऋण एवं अनुदान-सहायता गत 3 वर्षों में सी. बी. सी. व नियती योजना के तहत किन-किन व्यक्तियों/संस्थाओं को दी गई है ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त ऋण/सहायता खादी बोर्ड एवं औद्योगिक नियमों के तहत दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि खादी बोर्ड द्वारा दी जाने वाले ऋण एवं सहायता का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाना है ? यदि हां, तो उक्त तीन वर्षों में ऋण/सहायता प्राप्त संस्थाओं व्यक्तियों ने ई. एस. आई. एवं पी. एफ. एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करवाया और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) खादी बोर्ड द्वारा गत तीन वर्षों में सी. बी. सी. योजना के तहत 4838 व्यक्तियों/संस्थाओं को ऋण अनुदान सहायता दी गई। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। बोर्ड में नियति योजना के नाम से कोई योजना नहीं है।

(2) संस्था समितियों को आयोग द्वारा स्वीकृत ऋण अनुदान पात्रता नियमों के अनुसार ही ऋण स्वीकृति दी है।

(3) जी हां, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा दी जाने वाली ऋण एवं सहायता का मूल उद्देश्य राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिकतम अवसर उपलब्ध करवाना है। खादी संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने वाले रोजगार पूर्णतया

(खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री)

आंशिक होते हैं अतः ई. एस. आई. या जी. पी. एफ. अधिनियम लागू नहीं होता है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

स्थगित प्रश्न

(मंगलवार, दिनांक 23 मार्च, 1999)

खेल परिषद् को देय राशि का व्यय प्रकरण

41. श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : क्या युवा एवं खेलकूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1991 से फरवरी, 1999 तक राजस्थान राज्य खेल परिषद् को राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कितनी राशि उपलब्ध कराई गई ?

(2) उक्त राशि में से प्रतिवर्ष कर्मचारियों पर कितनी राशि व्यय की गई है ?

(3) वर्ष 1990 में परिषद् में कर्मचारियों/अधिकारियों की संख्या क्या थी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्ष 1991 से फरवरी, 1999 तक वर्षवार कितनी-कितनी राशि खेलों पर व्यय की गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त वर्षों में वर्षवार कितनी राशि की कब-कब, क्या-क्या खेल सामग्री खरीदी गई ?

(6) उक्त सामग्रियों में से कितनी और क्या-क्या सामग्री किन-किन लोगों और संस्थाओं को दी गई ?

(7) वर्ष 1991 से फरवरी, 1999 तक बनवासी संगठन को कितनी राशि कब-कब दी गई ! विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1991 से अब तक राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद को राज्य सरकार द्वारा राशि 2442.04 लाख आवंटित की गयी। वर्ष वार विवरण परिशिष्ट "क" सदन की पटल पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त राशि में से कर्मचारियों पर राशि 1383.42 लाख व्यय की गयी। वर्षवार विवरण परिशिष्ट "ख" सदन के पटल पर प्रस्तुत हैं।

(3) वर्ष 1990 में परिषद् में कर्मचारियों/अधिकारियों की संख्या 202 थी। विवरण परिशिष्ट "ग" सदन के पटल पर प्रस्तुत हैं।

(4) वर्ष 1991 से अब तक खेलों पर रुपये 115.71 लाख की राशि व्यय की गई। वर्ष वार सूचना विवरण परिशिष्ट "घ" सदन के पटल पर प्रस्तुत हैं।

(5) उक्त वर्षों में खरीदी गई खेलों की सामग्री का विवरण परिशिष्ट "च" सदन के पटल पर प्रस्तुत हैं।

(6) परिषद द्वारा खेल संस्थाओं को दी गई खेल सामग्री का विवरण परिशिष्ट "छ" सदन के पटल पर प्रस्तुत हैं।

(7) वर्ष 1991 से अब तक बनवासी

(राज्य मंत्री, खेलकूद)

संगठन प्रतियोगिता, शिवर इत्यादि के लिए करीब राशि 46, 34, 916 रुपये दी गई। वर्ष वार विवरण परिशिष्ट "ज" सदन के पटल पर प्रस्तुत हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला धौलपुर के अवैध खनन प्रकरण

283. श्री जसवन्त सिंह (बाड़ी) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि धौलपुर जिले के वन विभाग के संरक्षित क्षेत्र में अवैध खनन का कार्य किया जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस क्षेत्र में अवैध खनन को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या सरकार संरक्षित क्षेत्र में अवैध खनन को रोकने के लिये कोई प्रयास करेगी ?

(2) उक्त जिले में किन-किन स्थानों पर अवैध रूप से खनन कार्य किया जा रहा है ? सूची सदन की मेज पर रखें। क्या सरकार इन अवैध खनन वाले स्थानों को पट्टे पर देने का विचार रखती है ?

(3) उक्त जिले में चल रहे अवैध खनन से सरकार को प्रतिवर्ष कितने रुपयों की राजस्व हानि हो रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। धौलपुर जिले में संरक्षित वन क्षेत्र में अवैध खनन रुकवाने की कार्यवाही में अवैध खननकर्ताओं से नियमानुसार राशि वसूल करने एवं अवैध खनिज निर्गमन करते हुए वाहन पकड़े जाने पर उनके विरुद्ध न्यायालय में चालान करने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) उक्त जिले में समय-समय पर चैकिंग के दौरान संलग्न सूची में वर्णित स्थानों पर अवैध खनन पकड़ा गया है। इन स्थानों पर नियमानुसार पट्टे आवंटन करने की कार्यवाही भी की जा रही है। जिसका विवरण भी संलग्न सूची में उल्लेखित है।

(3) जिले में राजस्व प्राप्ति प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। राजस्व की कोई हानि नहीं हो रही है।

अवैध खनन स्थल पट्टा आवंटन कार्यवाही की सूची (क)

क्र.सं.	निकट ग्राम	किस्म भूमि	पट्टा आवंटन कार्यवाही
1	2	3	4
1.	ग्राम तरवा	सिवाय चक	61 प्लाट बनाये गये जिनकी नीलाम पर न्यायालय सहायक कलेक्टर बाड़ी द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया है।

1	2	3	4
17.	सहेडी	वन संरक्षित क्षेत्र	,,
18.	बड़ागाँव	,,	,,
19.	डोमपुरा	,,	,,
20.	मडासोल	,,	,,
21.	हरलालपुरा	,,	,,
22.	रघुवीरपुरा	,,	,,
23.	महारपुरा	,,	,,
24.	डोमई	,,	,,
25.	घड़ी, डोमड़	,,	,,
26.	बेहड़ का पुरा	,,	,,
27.	गुलाब की खोड़	,,	,,
28.	बेहड़ का पुरा बारी	,,	,,
29.	अमनपुरा, पीराखार	,,	,,
30.	ददरोली	,,	,,
31.	चाँदपुरा	,,	,,
32.	सोनी	,,	,,
33.	बीरजा	,,	,,
34.	रघुवीरपुरा	,,	,,
35.	बन्ध का पुरा	,,	,,
36.	गोलारी	,,	,,
37.	सेवापुरा	,,	,,
38.	आड का नाला	,,	,,

(कृषि मंत्री)

के नाम से दुकान है जिसके वे स्वयं प्रोपराईटर है।

मैसर्स किसान कृषि सेवा केन्द्र वर्ष 1995 से खाद, बीज का व्यापार कर रही है। उक्त फर्म को अनुज्ञापन अधिकारी एवं उप निदेशक कृषि (विस्तार) जालौर के रजिस्टर्ड पत्रांक 3341 दिनांक 9.12.98 एवं पत्रांक 3872 दि. 14.1.99 द्वारा स्टॉक रजिस्टर बिल बुक एवं क्रय बिलों की जांच हेतु रिकार्ड उपलब्ध कराने बाबत लिखा गया लेकिन फर्म द्वारा दिनांक 11.3.99 तक भी रिकार्ड जांच हेतु उपलब्ध नहीं करवाया गया। अतः उक्त फर्म का उर्वरक रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संख्या 777 तथा बीज अनुज्ञापन संख्या 393 दिनांक 12.3.99 को निरस्त कर दिये गये।

(3) हां, यह सही है कि दि. 6.12.98 को उप निदेशक कृषि (विस्तार) जालौर के साथ सांचौर में श्री सवाईराम एवं उसके साथियों द्वारा मारपीट की गयी।

श्री सवाईराम एवं उनके साथियों के विरुद्ध दिनांक 7.12.98 को पुलिस थाना सांचौर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी जिसका मुकदमा नम्बर 292 है। उक्त मुकदमा चालान संख्या 39 दिनांक 15.3.99 द्वारा सक्षम न्यायालय में पेश कर दिया गया है। जिसकी आगामी पेशी न्यायालय द्वारा 8.4.99 रखी गयी है।

श्री सवाईराम जो रामदेव क्रय-विक्रय सहकारी समिति सांचौर में सेलसमैन के पद पर कार्यरत थे उनको व्यवस्थापक, रामदेव क्रय-विक्रय सहकारी समिति, सांचौर के कार्यालय आदेश क्रमांक 435 दिनांक 9.12.98 द्वारा निलम्बित कर दिया गया है एवं निलम्बन काल में इनका मुख्यालय प्रशासक संस्था, कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जालौर में किया गया है।

विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा के विद्यालयों का क्रमोन्नयन प्रकरण

285. श्री जीतमल (बागीदौरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में वर्ष 1960 से 1970 तक कितने उच्च प्राथमिक विद्यालय कहां-कहां खोले गये ?

(2) क्या सरकार उक्त विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा सीधे उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले नहीं जाकर अपितु प्राथमिक विद्यालय को उ.प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाता है। वर्ष 1960 से 1970 के मध्य विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में क्रमोन्नत किये गये उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति इस प्रकार से है—

क्रमोन्नत उच्च प्राथमिक विद्यालयों के नाम	वर्ष
राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय छाजा	1962
राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मोटीटिम्बी	1966

(श्री भरोसी लाल)

अधिकारियों को पदोन्नति दी गई ? उक्त में से अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने व्यक्तियों को पदोन्नति दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त संवर्ग के अधिकारियों के पदों पर पदोन्नति रोस्टर के अनुसार देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विभाग में, प्रतिनियुक्ति के पदों सहित, सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारियों के वर्तमान में कुल 63 पद स्वीकृत है। कार्यरत अधिकारियों में से अनुसूचित जाति के 5 तथा अनुसूचित जनजाति के 2 अधिकारी है। (सूची संलग्न हैं)

(2) जी, नहीं।

(3) जी, हां। विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों को नियमानुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग को अनुमोदन हेतु भेजा गया है। अनुमोदन प्राप्त होने पर पदोन्नति दे दी जायेगी।

सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी के पद पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के कार्यरत अधिकारियों की सूची

अनुसूचित जाति

1. श्री रामलाल वर्मा
2. श्री नानग राम बिलूनियां
3. श्री राधेश्याम कोली
4. श्री रत्न कुमार
5. श्री ओम प्रकाश चन्दोदय

अनुसूचित जनजाति

1. श्री कन्हैया लाल
2. श्री शिवचन्द मीणा

औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का बस स्टेण्ड प्रकरण

288. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में बस स्टेण्ड के लिए भूमि प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो कहां तथा कब तक बस स्टेण्ड का निर्माण करा दिया जायेगा ?

(2) वर्तमान में उक्त क्षेत्र में बसें खड़ी करने के लिए कौनसा स्थान है और क्या इस स्थान पर यात्रियों को असुविधा होती है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) वर्तमान में भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में निगम वाहनें भिवानी मोड़ पर मुख्य मार्ग अलवर एवं देहली साइड की तरफ स्थित बुकिंग घरों पर बुकिंग हेतु खड़ी होती हैं।

(विशिष्ट योजना संगठन मंत्री)

(4) राज्य की ग्राम पंचायतों के दिनांक 26. 1. 99 के प्रस्तावों के अनुरूप पंचायत समितिवार धनराशि की उपलब्धता विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकार से जारी होने वाली राशि के आधार पर निर्भर करती है। केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं में आवंटन प्राप्त होने एवं नये दिशा निर्देश जारी होने पर ही यह बताना संभव होगा कि प्रत्येक पंचायत समिति में कितनी राशि उपलब्ध होगी। इस राशि की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता के अनुसार कार्यों का सम्पादन वर्ष 1999–2000 से करवाया जाएगा।

(5) जी, नहीं। वर्तमान में अधिकांश विकासीय कार्य केवल मुख्य ग्रामों में ही स्वीकृत किए जा रहे हैं जबकि गांवों के आस-पास बाकी सभी ढाणियां, मजरे मुख्य रूप से आदि वासी ढाणियां उपेक्षित हैं। इस परिपेक्ष्य में स्थानीय आवश्यकतानुसार विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत यथा संभव 10 विकासीय कार्य इन ढाणियों, में मजरे/हेमलेट्स के लिए चयनित किए जाने की व्यवस्था की गई है।

परिशिष्ट "अ"

वर्ष 1998–99 में मदवार आवंटन का विवरण

क्र. सं.	योजना का नाम	आवंटन (रु. लाखों में)		
		भारत सरकार	राज्य सरकार	योग
1	2	3	4	5
1.	जवाहर रोजगार योजना	173.43	43.86	219.29
2.	इन्दिरा आवास योजना	123.28	30 84	154.22
3.	अपना गांव अपना काम	—	131 00	131.00
4.	सुनिश्चित रोजगार	600.00	150.00	750.00
5.	जीवन धारा	40.00	10.00	50.00
6.	बत्तीस जिला बत्तीस काम	—	75.60	75.60
7.	निर्बन्ध राशि योजना	—	49.00	49.00
8.	डीडीपी योजना	462.50	—	462.50
9.	आई. डब्ल्यू. डी. पी. (नाना वाटरशेड)	80.00	—	80.00
10.	आईआरडीपी	98.98	98.98	197.96

विधान सभा क्षेत्र टिब्बी में पशु चिकित्सालय

290. श्री आवराम मेघवाल (टिब्बी) : क्या पशु पालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र टिब्बी सैंम प्रभावित होने से इस क्षेत्र में बीमारी फैल रही है ? क्या सरकार पशुधन सुरक्षा के लिए कोई कदम उठा रही है ? यदि हां तो कब तक ?

(2) सैंम क्षेत्र के पंचायत मुख्यालयों पर पशु चिकित्सालय खोलने के बारे में क्या मानदण्ड है ? क्या सरकार उक्त क्षेत्र में अब नये चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं । विधान सभा क्षेत्र टिब्बी के सैंम क्षेत्र में पशुओं में किसी प्रकार की बीमारी फैलने की सूचना नहीं है । पशुधन की संक्रामक रोगों से सुरक्षा करने हेतु विभाग द्वारा एच. एस. एवं एफ. एम. डी. का टीकाकरण करवा दिया गया है ।

(2) सैंम क्षेत्र के पंचायत मुख्यालयों पर पशु चिकित्सालय खोलने का कोई अलग से मापदण्ड नहीं है । नई पशु चिकित्सा संस्था स्थापित करते समय मुख्यतः निम्नांकित बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाता है । उपलब्ध पशु संख्या, पूर्व में कार्यरत एवं भविष्य में सम्भावित स्थापित किये जाने वाले पशु चिकित्सालय/औषधालयों की आपस में कम से कम 8–10 किलोमीटर का अन्तर आदि ।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थान चयन करते समय भवन, डाक, आवागमन के साधन आदि न्यूनतम सुविधाएं एवं जन संख्या को ध्यान में रखा जाता है । वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर नवीन पशु चिकित्सा संस्थाएं खोलने पर विचार किया जाना सम्भव होगा ।

जिला चित्तौड़गढ़ में निजी खातेदारी की भूमि पर खनन स्वीकृति

291. श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार निजी खातेदारी की जमीन पर खनन कार्य करने की स्वीकृति देती है ? यदि हां, तो सरकार ने राज्य में ऐसी स्वीकृति कहां-कहां दी है ?

(2) क्या चित्तौड़गढ़ जिले में इस तरह के खनन की स्वीकृति देने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब से ?

उत्तर

(1) जी, हां । राज्य सरकार ने विभिन्न खनिजों के लिए साधारणतया पूरे राजस्थान में ही खातेदारी भूमि में स्वीकृतियां जारी की है ।

(2) जैसा कि प्रश्न के भाग एक के उत्तर स्पष्ट किया गया है, खातेदार भूमि में खनन की अनुमति दिये जाने की

(राज्य मंत्री, खनिज)

प्रक्रिया सम्पूर्ण राजस्थान में एक ही प्रकार की है। चित्तौड़गढ़ जिले के लिए अलग से कोई निर्देश/आदेश जारी नहीं हुए हैं।

विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा का "डार्क जोन" प्रकरण

292. श्री मान सिंह (पिड़ावा) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा को डार्क जोन क्यों घोषित कर दिया गया है?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र को व्हाईट जोन घोषित करने का विचार रखती हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पिड़ावा को डार्क जोन घोषित नहीं किया गया है।

(2) पिड़ावा क्षेत्र ग्रे जोन में आता है। नवीन सर्वेक्षण पर भू-जल मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया है। अन्तिम निर्णय के उपरान्त क्षेत्र को पुनः वर्गीकृत किया जा सकेगा।

राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के स्थानान्तरण प्रकरण

293. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान प्रशासनिक सेवा के राज्य में कुल कितने अधिकारी हैं ? वर्तमान सरकार ने अब तक कितने अधिकारियों के स्थानान्तरण किए हैं ?

(2) वर्ष 1999 में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अब तक किन-किन अधिकारियों के कहां-कहां स्थानान्तरण किए गए हैं ? सूची मय नाम, पद, जिला के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् बारां तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर अलवर के एक-एक पद पर दो-दो अधिकारियों को पद स्थापित कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों तथा गलती करने वाले किस अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? ऐसे पद स्थापित अधिकारी के नाम एवं पद की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान प्रशासनिक सेवा के राज्य में कुल 671 अधिकारी कार्यरत हैं। वर्तमान सरकार ने दिनांक 1. 4. 99 तक 336 राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के स्थानान्तरण / पदस्थापन किए हैं।

(2) वर्ष 1999 में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के अब तक (दिनांक 1. 4. 99 तक) किए गए स्थानान्तरण आदेशों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) आंशिक रूप से सही है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बारां

(कार्मिक मंत्री)

के पद पर आदेश दिनांक 26-2-99 के द्वारा दो अधिकारी श्री सुवालाल एवं राजेश कुमार गोयल को पदस्थापित कर दिये गये थे। आदेश दिनांक 17-3-99 के द्वारा श्री राजेश कुमार गोयल को बारां के स्थान पर मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर के पद पर पदस्थापित कर दिया गया है। दिनांक 26-2-99 के आदेश से अति. जिलाधीश, अलवर के दो रिक्त पदों पर दो भिन्न-भिन्न अधिकारी पदस्थापित किये गये है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बारां के पद पर दो अधिकारियों का पदस्थापन सहवन से हो गया, जिसे आदेश दिनांक 17-3-99 से सुधार लिया गया है, तथा भविष्य में सावधानी रखने हेतु सर्व संबंधित को निर्देशित किया जा चुका है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

मनोहरपुर (जयपुर) से दौसा बाईपास निर्माण प्रकरण

294. श्री रामचन्द्र सराधना (जमवा-रामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा मनोहरपुर (जयपुर) से दौसा बाईपास निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है? यदि हां, तो इस पर कुल कितना व्यय होगा ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क निर्माण में केन्द्र सरकार द्वारा भी राशि दी जावेगी ? यदि हां तो कितनी ? उक्त सड़क निर्माण हेतु अब तक केन्द्र सरकार से कितनी राशि मिल चुकी है और उसको किस उपयोग में लिया गया है ?

(3) उक्त सड़क निर्माण कार्य कब से शुरू किया जाकर कब तक पूर्ण कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। केन्द्र सरकार द्वारा दौसा से मनोहरपुर तक राष्ट्रीय उच्च मार्ग-11–ए वर्ष 1989 में घोषित किया गया है। इस सड़क की कुल लम्बाई 62 किमी. है। जिसकी भूमि अवाप्ति के लिये 385.10 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की हुई हैं। एवं कि.मी. 0/0 से 23/0 तक सड़क निर्माण हेतु 574.28 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की जा चुकी हैं। शेष सड़क निर्माण हेतु अनुमानित 30 करोड़ रुपये की राशि की आवश्यकता होगी।

(2) जी हां, चूंकि यह राष्ट्रीय राज मार्ग है। अतः उक्त सड़क के निर्माण के लिये समस्त राशि केन्द्र सरकार द्वारा ही वहन की जाती हैं। इस सड़क के निर्माण हेतु 337.10 लाख रुपये की राशि का उपयोग 31–3–99 तक किया जा चुका है। उपयोग में की गई राशि का विवरण निम्न हैं :–

अ. कन्सट्रक्शन ऑफ टू लेन 1288-2769/ मिसिंग लिंक सैन्थल से

डागरवाड़ा कि.मी

13/100 से 18/100

जौब न. 11–ए/

आर. जे./92/130

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

ब. वाइडनिंग एवं स्ट्रेंथेनिंग 1577-0083/ ग्रॉफ दौसा सैन्ट्रल सैक्शन किमी. 0 से 13 जोब नं. एए-ए/ग्रार. जे /96/144

स. भूमि ग्रवाप्ति वास्ते 5056, 577/-निर्माण सड़क दौसा से मनोहरपुर कि मी. 0 से 61/125 जोब नम्बर 11-ए/ग्रार. जे./95/149

कुल रु. 3,37,09,429/-

(3) अ. कि.मी. 0 से 13 तक का कार्य 24 अगस्त, 1995 से चालू किया गया था और यह कार्य जून, 1999 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

ब. कि. मी. 13/0 से 18/100 का कार्य 24/12/92 को चालू करके दिनांक 10/10/94 को खतम कर दिया गया था।

स. कि. मी. 18/100 से 23/0 तक सड़क निर्माण हेतु एम. ग्रो एस. टी. के पत्र क्रमांक आर. डब्ल्यू./एन. एच./12014/2/99 डब्ल्यू. ग्रार. जे. दिनांक 31/3/99 के द्वारा 252 लाख रुपये की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। जिसको पूर्ण करने में लगभग 2 वर्ष का समय लगेगा।

द. शेष कार्य कि. मी. 23/0 से 62/0 तक स्वीकृति प्राप्त होने पर किया जावेगा।

विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में सामुदायिक चिकित्सालय की स्थापना

295. डा. जसवन्त सिंह यादव (मुण्डावर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में सामुदायिक चिकित्सालय खोलने के क्या मानदण्ड हैं ? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला अलवर में वर्तमान में कितने सामुदायिक चिकित्सालय कहां-कहां कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि निर्वाचन क्षेत्र मुण्डावर (ग्रलवर) में एक भी सामुदायिक चिकित्सालय नहीं है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार ग्रब उक्त निर्वाचन क्षेत्र में सामुदायिक चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां-कहां ग्रौर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) भारत सरकार के मानदण्डानुसार 80,000 से 1.20 लाख की ग्रामीण जनसंख्या पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का प्रावधान है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जिला ग्रलवर में 16 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत है। सूची संलग्न है।

(3) जी, नहीं। विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के अन्तर्गत एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुण्डावर कार्यरत है।

(4) जी, नहीं। मानदण्डानुसार एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत है।

Annexure-1

RURAL HEALTH INFRASTRUCTURE

NATIONAL NORMS

1.	At least One trained Dia	:	For Each Village
2.	One trained Village Health Guide	:	For each Village/1000 population
3.	One Sub Center	:	For every 5000 population in plain area and for 3000 population in tribal and hilly areas.
4.	One Primary Health Centre (PHC)	:	For every 30,000 population in plain area and 20.000 population in hilly and tribal areas.
5.	One Community Health Centre (CHC)	:	For every 80,000to 1,20,000 lakh population, serving as a referral institution for Primary Health Centres.
6.	Sub Centres covered by a PHC	:	6 Sub Centrer.
7.	PHCs covered by a CHC	:	4 PHCs.
8.	Population covered by a Health work (Male & Female)	:	1) 5000 in plain area 2) 3000 in trible and hilly areas.
9.	Population covered by a Health assistant (Male & Female)	:	1) 30000 in plain area 2) 20000 in trible and hilly areas.
10.	One Health Assistant (Male/Female(provides Supportive Supervision to 6 Health Workers (Male/Female)	:	6 Health Workers (Male/Female)

अलवर जिले में स्वीकृत सामुदायिक स्वा. केन्द्रों की सूची

1	2		3
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	—	मालाखेड़ा
2.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	—	राजगढ़
3.	,,	—	रेणी
4.	,,	—	खेड़ली
5.	,,	—	गोविन्दगढ़
6.	,,	—	रामगढ़
7.	,,	—	किसनगढ़बास
8.	,,	—	तिजारा
9.	,,	—	भिवाड़ी
10.	,,	—	कोटकासिम
11.	,,	—	मुण्डावर
12.	,,	—	बानसूर
13.	,,	—	थानागाजी
14.	,,	—	बहरोड़
15.	,,	—	शाहजहांपुर
16.	,,	—	लक्ष्मणगढ़

पंचायत समिति डीडवाना का अध्यापक प्रकरण

296. श्री मोहनलाल बारूपाल (जायल) एवं **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति डीडवाना व डेगाना जिला नागौर ने वर्ष 1985–86 में अप्रशिक्षित अध्यापक नियुक्त किये थे ? यदि हां, तो कितने-कितने और कितने समय के लिये ?

(2) क्या यह भी सही है कि बाद में इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई ? यदि हां, तो कब और क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि बाद में इनको राज्य सरकार ने प्रशिक्षण भी दिलाया था ? यदि हां, तो कब और क्यों ?

(4) जब उक्त शिक्षकों को सेवा में नहीं

(श्री हरजीराम बुरड़क)

रखा गया तो इनको प्रशिक्षण दिलाने का क्या औचित्य था ?

(5) क्या यह सही है कि पंचायत समिति डेगाना में कार्यरत जिन अध्यापकों को सेवा से पृथक् किया था वे सरकार के आदेश से अभी भी सेवा में कार्यरत हैं ? यदि हां, तो पंचायत समिति डीडवाना के लिये सरकार ने आदेश क्यों नहीं दिया ?

(6) क्या सरकार उक्त शिक्षकों को पुनः सेवा में लेने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । वर्ष 85–86 में पं. सं. डीडवाना में 101 एवं डेगाना में 23 अप्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति सत्र के अन्तिम कार्य दिवस अथवा चयनित प्रशिक्षित अध्यापक उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो, की शर्त पर की गई थी ।

(2) जी, हां । नियुक्ति शर्तों के अनुसार सत्र के अन्तिम कार्य दिवस पर उक्त अस्थाई अप्रशिक्षित अध्यापकों की सेवाऐं समाप्त करदी गई थीं ।

(3) जी, हां । विभागीय आदेश संख्या 139 (14–48) ग्राविप/शिक्षा/89/338 दि. 27–1–93 के अनुसार समस्त अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के आदेश दे दिये गये थे ।

(4) ये अध्यापक भविष्य में होने वाले चयन में नियमानुसार आवेदन कर रोजगार प्राप्त कर सके, इस उद्देश्य से प्रशिक्षण दिलाया गया था ।

(5) दिनांक 31-3-98 को कार्यमुक्त होने के पश्चात् निगरानी में स्थगन के तहत डेगाना पं.सं. के उक्त अध्यापक सेवा में हैं । डीडवाना पं. सं. के अध्यापकों ने राज्य सरकार ने निगरानी नहीं पेश की, अतः वे पुनः सेवा में कार्यरत नहीं है ।

(6) नियमित चयनोपरान्त नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है ।

लपका प्रवृत्ति पर रोक

297. श्रीमती रमा पायलेट (हिन्डोली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

लपकों प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिये सरकार क्या कोई कदम उठा रही है ? यदि हां तो क्या ?

उत्तर

लपका तत्वों के विरुद्ध त्वरित गति से नियमानुसार कार्यवाही की जाती है । इसके विरुद्ध कार्यवाही निगरानी एवं धरपकड़ हेतु सादे वस्त्रों में पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाता है जिससे ऐसे तत्वों पर अंकुश लग सके तथा पर्यटक बिना किसी डर एवं परेशानी के शहर में घूम सके ।

परिशिष्ट–5

(अतारांकित प्रश्न संख्या–338 की प्रतियां)

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प. 23 (85) सा. प्र./1/90 जयपुर, दिनांक 31 अगस्त, 1990

आदेश

देश में पैट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति के संकट को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि इन पदार्थों की खपत में कमी लाई जावे एवं सारे प्रदेश में पैट्रोलियम पदार्थों के बचत सम्बन्धी एक वातावरण तैयार किया जावे। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार राजकीय वाहनों के प्रयोग हेतु निम्न आदेश तुरन्त प्रभाव से जारी करती है :–

1. राजस्थान मंत्री (यात्रा भत्ता, वाहन का उपयोग एवं रख रखाव) नियम, 1974 के नियम 5(3) के तहत मंत्री प्रत्येक वर्ष में 3650 लीटर पैट्रोल निःशुल्क उपयोग करने हेतु अधिकृत है। इस सीमा को कम किया जाकर 2400 लीटर किया जाता है।

2. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प. 4(1) एफडी/ग्रुप–2/86 दिनांक 27. 5. 86 एवं 2. 11. 88 जिसके द्वारा सरकार के सचिवगण, विशिष्ट सचिवगण एवं विभागाध्यक्षों (श्रेणी प्रथम) को रुपये 225/–प्रतिमाह भुगतान पर 500 कि.मी. तक राजकीय वाहन निजी उपयोग के लिए जाने की सुविधा दी गयी थी को तुरन्त प्रभाव से वापस लिया जाता है। अब यह सुविधा तुरन्त प्रभाव से समाप्त समझी जावेगी।

3. निम्नलिखित अधिकारीगण रुपये 100/– प्रतिमाह के भुगतान के आधार पर राजकीय वाहन को निवास से कार्यालय एवं कार्यालय से निवास तक ले जाने हेतु अधिकृत होंगे :–

   1. मुख्य सचिव।
   2. समस्त पुलिस महानिदेशक।
   3. समस्त शासन सचिवगण।
   4. समस्त संभागीय आयुक्त।
   5. समस्त पुलिस महानिरीक्षक।
   6. समस्त शासन विशिष्ठ सचिवगण।

7. समस्त उप पुलिस महानिरीक्षक ।

8. समस्त विभागाध्यक्ष-प्रथम श्रेणी ।

9. समस्त जिला कलक्टर ।

10. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक ।

रुपये 100 प्रतिमाह का भुगतान इस अधिकारीगण के लिए अनिवार्य होगा इनकी वसूली सम्बन्धी वित्त विभाग अलग से आदेश जारी करेगा ।

4. पैरा 3 में उल्लिखित अधिकारी एवं क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था से जुड़े अधिकारीगण को छोड़कर कोई अधिकारी राजकीय वाहन को अपने आवास पर पार्क नहीं करेंगे ।

5. कोई भी अधिकारी साधारणतया उन स्थानों को दौरा राजकीय वाहन से नहीं करेगा जो रेलगाड़ी से जुड़े हों लेकिन कानून एवं व्यवस्था, आवश्यक सेवाएं, राजस्व आय से जुड़े हुए विभागों हेतु सम्बन्धित विभागाध्यक्ष परिस्थितियों को देखते हुए इस शर्त में छूट प्रदान कर सकेंगे । शेष समस्त विभागों हेतु मुख्य सचिव से सामान्य छूट या विशेष यात्रा के लिए छूट की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

6. क्षेत्राधिकारी के बाहर राजकीय वाहन के उपयोग हेतु पूर्व में ही प्रतिबन्ध लगाया हुआ है जिसका सख्ती से पालन कराया जावेगा ।

7. सभी विभाग अपनी गाड़ियों का प्रयोग इस तरीके से आयोजित करेंगे कि उनकी पैट्रोल एवं डीजल की आवश्यकता की पूर्ति इस वर्ष में आवंटित बजट की सीमा तक ही हो जावे । किसी भी अवस्था में इस मद हेतु अतिरिक्त धनराशि आवंटित नहीं की जावेगी । सम्बधित विभाग यह भी सुनिश्चित करेंगे कि वर्ष के दौरान उधार के बिल अगले वित्तीय वर्ष के लिए लम्बित नहीं रहें ।

8. कोई भी अधिकारी जिसके पास एक से अधिक पदों का पदभार है (भले ही वे राजकीय पदभार हो या राजकीय निगम/मण्डल अथवा स्वायत्त शाषी संस्था का हो) एक से अधिक वाहन अपने राजकीय उपयोग हेतु नहीं रखेगा ।

9. राज्यादेशों के अनुसार सरकार के समस्त शासन सचिवगण को प्रतिमाह कम से कम 5 दिन का दौरा एवं तीन रात्रि विश्राम अनिवार्य है । इन आदेशों को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है ।

10. क्षेत्र से कानून एवं व्यवस्था, आवश्यक सेवाएं जैसे चिकित्सा, पेयजल आपूर्ति

एवं ऊर्जा को छोड़कर एवं राजकीय कार्य से जुड़े हुए अपरिहार्य उत्तरदायित्वों के निर्वाह के बिना कोई भी राजकीय वाहन रविवार के दिन उपयोग में नहीं लाया जावेगा। साधारण तथा मंत्रीगण भी रविवार को राजकीय यात्रा नहीं करेंगे लेकिन अपरिहार्य कारणों से उन्हें रविवार को यात्रा करने की छूट होगी।

उपरोक्त समस्त निर्देश राजकीय विभागों/मण्डलों एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं पर भी पूर्णतया लागू होंगे। राजकीय उपक्रम विभाग इस सम्बन्ध में उपयुक्त दिशा निर्देश जारी करेगा।

समस्त विभागों के शासन सचिवगण एवं विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि इन निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाता है। इन आदेशों की अवहेलना को राज्य सरकार गम्भीरता से लेगी।

कृपया इस आदेश की पावति भिजवाने का श्रम करें।

ह०
(बी. बी. एल. माथुर)
मुख्य सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 23(85) सा. प्र./T/90 जयपुर, दिनांक 16 अप्रेल, 1991

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31. 8. 1990 के पैरा 3 के अन्तर्गत रुपये 100/- प्रतिमाह के भुगतान के आधार पर राजकीय वाहन को निवास से कार्यालय एवं कार्यालय से निवास तक ले जाने हेतु अधिकृत अधिकारियों की सूची में निम्नलिखित अधिकारियों के नाम और जोड़े जाते हैं :-

1. पुलिस मुख्यालय पर पदस्थापित समस्त पुलिस अधीक्षक, कमाण्डेन्ट, आर. ए. सी. पुलिस अधीक्षक, सी आई डी जोन, राज्यपाल के ए.डी.सी. एवं प्राचार्य, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, जयपुर/जोधपुर।
2. भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय वन सेवा की वरिष्ठ वेतन श्रृंखला एवं उससे उच्च श्रेणी के अधिकारी जिनके पास राजकीय वाहन उपलब्ध हैं।

3. राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, जो प्रथम श्रेणी के अतिरिक्त श्रेणी के विभागाध्यक्ष (H.O.D. other than class–I) है ।

यह आदेश उन्हीं अधिकारियों हेतु लागू हैं, जिनके पास पूर्व में ही राजकीय वाहन उपलब्ध है । यदि उपरोक्त श्रेणी के अधिकारी के पास राजकीय वाहन आवंटित नहीं है तो यह आदेश उन्हें राजकीय वाहन आवंटित या उपलब्ध कराने हेतु अधिकृत नहीं करेगा ।

आज्ञा,
ह०
(रामलुभाया)
शासन विशिष्ट सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन ग्रुप–1 (विभाग)

क्रमांक : प. 23( ) सा. प्र./1/90 जयपुर, दिनांक 27 अप्रेल, 1991

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31.8.90 के पेरा 3 के अन्तर्गत रुपये 100/– प्रतिमाह के भुगतान के आधार पर राजकीय वाहन को निवास से कार्यालय एवं कार्यालय से निवास तक ले जाने हेतु अधिकृत अधिकारियों की सूची में निम्नलिखित अधिकारियों के नाम और जोड़े जाते हैं :–

" 14. पुलिस अधीक्षक, राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो ।"

आज्ञा से,
ह०/–
(रामलुभाया)
शासन विशिष्ट सचिव

राजस्थान सरकार
स्टेट मोटर गैराज विभाग

क्रमांक : प. 23(85) सा.प्र./T/90 जयपुर, दिनांक 3. 6. 98

आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 23(86) सा. प्र./T/90 दिनांक 31. 8. 90 एवं दिनांक 16.4.91 एवं 27.4.91के द्वारा निम्नांकित अधिकारियों को रुपये 100/- के भुगतान के आधार पर राजकीय वाहन से निवास से कार्यालय एवं कार्यालय से प्रतिमाह निवास तक दिये जाने हेतु अधिकृत किया गया था :-

1. मुख्य सचिव,
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव
3. समस्त पुलिस महानिदेशक
4. समस्त शासन सचिव
5. समस्त संभागीय आयुक्त
6. समस्त पुलिस महानिरीक्षक
7. समस्त शासन विशिष्ट सचिवगण
8. समस्त उप पुलिस महानिरीक्षक
9. समस्त विभागाध्यक्ष
10. समस्त जिला कलक्टर
11. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो।
12. पुलिस मुख्यालय पर पदस्थापित समस्त पुलिस अधीक्षक. कमाण्डेन्ट, आरएसी, पुलिस अधीक्षक, सी. आई. डी. जोन राज्यपाल के ए डी.सी. एवं प्राचार्य, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, जयपुर/जोधपुर
13. भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय वन सेवा की वरिष्ठ वेतन श्रृंखला एवं उससे उच्च श्रेणी के अधिकारी जिनके पास राजकीय वाहन उपलब्ध है।

उक्त आदेश के आंशिक संशोधन में उपर्युक्त पात्र अधिकारियों को राजकीय वाहन से निवास से कार्यालय एवं कार्यालय से निवास तक लाने ले जाने हेतु ली जाने वाली राशि रुपये 100/- प्रतिमाह को संशोधित कर दिनांक 1.6.98 से रुपये 200/- प्रतिमाह की जाती है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि विशिष्ट शासन सचिव स्तर से नीचे के अधिकारियों के लिए यह सुविधा उन्हें ही देय होगी जिनके पास पूर्व में ही राजकीय वाहन उपलब्ध है। यदि उपरोक्त श्रेणी के अधिकारियों के पास राजकीय वाहन आवंटित नहीं है तो यह आदेश उन्हें राजकीय वाहन आवंटन/उपलब्ध करवाने हेतु अधिकृत नहीं करेगा।

ये आदेश वित्त विभाग के आई. डी. सं. 1018/वित्त/नियम, 1998 दिनांक 29. 5. 98 की सहमति के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।

आज्ञा से,

ह०

(अशोक जैन)

शासन सचिव

परिशिष्ट—6

(अतारांकित प्रश्न संख्या-339 का विवरण)

(राशि लाखों में) परिशिष्ट—एक

जिले का नाम	वर्ष 1993-94		वर्ष 1994-95		वर्ष 1995-96		वर्ष 1996-97		वर्ष 1997-98		वर्ष 1998-99		जिलेवार योग
	खेल मैदान के रख रखाव	स्टेडियम निर्माण	खेल मैदान के रख रखाव	स्टेडियम निर्माण	खेल मैदान के रख रखाव	स्टेडियम निर्माण	खेल मैदान के रख रखाव	स्टेडियम निर्माण	खेल मैदान के रख रखाव	स्टेडियम निर्माण	खेल मैदान के रख रखाव	स्टेडियम निर्माण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. जयपुर	—	100000	—	—	—	450000	—	—	66700	—	—	2812000	3428700
2, माउण्ट आबू	—	250000	—	—	—	50000	—	—	—	—	—	—	300000
3. उदयपुर	100000	—	200000	—	100000	—	—	—	—	—	—	—	400000
4. बीकानेर	75000	—	100000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175000
5. चूरू	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200000	—	433000	633000
6. अलवर	75000	—	100000	—	50000	—	—	—	24363	—	—	—	249363
7. जोधपुर	75000	—	100000	—	100000	—	—	—	10000	—	—	—	285000
8. कोटा	—	—	100000	—	100000	—	—	—	—	—	—	—	200000
9. नागौर (नावां)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	300000	300000
10. अजमेर	—	—	200000	—	50000	—	—	—	—	—	—	—	250000
11. पाली	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100000	—	—	100000
12. बांसवाड़ा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1500000	—	—	150000
13. सीकर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145000	—	—	145000
14. भरतपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	15000	—	—	—	15000
15. करौली	—	—	—	—	—	—	—	—	49000	—	—	—	49000
योग	325000	350000	800000	—	400000	500000	—	—	175063	595000	—	3545000	6680063

परिशिष्ट—7

(अतारांकित प्रश्न संख्या—342 की सूचना)

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक अभियन्ता, सोजतसिटी

राजकीय रायपुरजि. पाली में प्रभावशील क्वारी लाइसेन्स की सूची

क्र.सं.	नाम क्वारी लाइसेन्सधारी	ग्राम संख्या	
1.	श्री केवलराम पुत्र पोकरराम	घर "अ"	1
2.	,, केवलराम पुत्र भंवरलाल	,,	2
3.	,, नाथूराम पुत्र अमराराम	,,	3
4.	,, कानसिंह पुत्र घीसूसिंह	,,	4
5.	,, मादूराम पुत्र पेमाराम	,,	5
6.	,, दापूराम पुत्र पुनाराम	,,	8
7.	,, हेमाराम पुत्र पुखजी	,,	9
8.	,, पांचूराम पुत्र पुतराराम	,,	10
9.	,, रतनलाल पुत्र मिश्रीलाल	,,	11
10.	,, माधूराम पुत्र अमराराम	,,	12
11.	,, भीकमचन्द पुत्र धनाराम	,,	14
12.	,, गनी लौहार पुत्र हुसैन	,,	15
13.	,, भंवरलाल पुत्र वचनाराम	,,	16
14.	,, शंकरलाल पुत्र हजारीराम	,,	17
15.	,, चम्पालाल पुत्र मांगीलाल	,,	19
16.	,, रूपसिंह पुत्र भजनसिंह	,,	20
17.	,, कानाराम पुत्र हजारी माली	,,	21
18	,, सोहनलाल पुत्र किशनाराम	,,	22
19.	,, रूपाराम पुत्र नाथूराम	,,	24
20.	,, तेजाराम पुत्र वचनाराम	,,	25
21.	,, मोतीराम पुत्र भववा	,,	26
22.	,, भूराराम पुत्र चांदाराम	,,	27

1	2	3
23.	,, रामचन्द पुत्र भूराराम	घर "अ" 28
24.	,, मदनलाल पुत्र हरदेव माली	,, 29
25.	,, ओमसिंह पुत्र घीसूसिंह	,, 30
26.	,, सावतराम पुत्र रामा माली	,, 31
27.	श्रीमती मीरादेवी पत्नी गणपतलाल	,, 32
28.	श्री चौथाराम पुत्र सांवलराम	,, 34
29.	,, तेजराज पुत्र भंवरलाल	,, 35
30.	श्रीमती संतोषदेवी पत्नी चम्पालाल	,, 36
31.	श्री अमरलाल पुत्र मोतीलालजी	,, 40
32.	,, कालुराम पुत्र नैणाराम कुम्हार	,, 41
33.	,, चन्दनलाल पुत्र नारूलाल माली	,, 42
34.	,, पेमाराम पुत्र डूंगाराम	,, 45
85.	,, छाजूलाल पुत्र मोकल जी माली	,, 46
36.	,, धापूराम पुत्र मुन्नाराम	,, 48
37.	,, मलाराम पुत्र जीवाराम	,, 49
38.	,, गणपत लाल पुत्र केवलराम	,, 50
39.	,, छजाराम पुत्र नेनाराम	,, 51
40.	,, किशन लाल पुत्र बिरदाराम	,, 52
41.	,, बाबूलाल पुत्र गोकल	,, 53
42.	,, रामलाल पुत्र धन्नाराम	,, 56
43.	,, सूरसिंह पुत्र मंगलसिंह	,, 57
44.	,, मांगीलाल पुत्र धनजी	,, 58
45.	,, ओमसिंह पुत्र घीसूसिंह	,, 59
46.	श्रीमती समदुदेवी पत्नी शंकरलाल	,, 65

एनेक्जर "अ"

घर "सी" तहसील रायपुर, प्रभावशील क्वारी लाइसेन्स की सूची

क्र.सं.	नाम क्वारी लाइसेन्सधारी	ग्राम सं.	
1.	श्री भीमसिंह पुत्र गुमान सिंह	खान "सी"	65
2.	,, भोलाराम पुत्र बींजाराम	,,	66
3.	,, मांगीलाल पुत्र घीसाराम	,,	67
4.	,, दीनाराम पुत्र भूराराम	,,	68
5.	,, नाथूराम पुत्र धापू	,,	69
6.	,, गुल्लाराम पुत्र पूनाजी	,,	70
7.	,, नारायण लाल पुत्र गुल्लाराम	,,	71
8.	,, मनोहर सिंह पुत्र पेफसिंह	,,	72
9.	,, नरपत सिंह पुत्र मनोहर सिंह	,,	73
10.	,, हुकमाराम पुत्र जींवाराम	,,	75
11.	,, हजारीराम पुत्र देवाराम	,,	76
12.	,, तुलसाराम पुत्र बींजाराम	,,	77
13.	,, बनदाराम पुत्र हरलाल	,,	78
14.	,, उदाराम पुत्र उमाराम	,,	79
15.	,, घेवरराम पुत्र हजारी जी	,,	80
16.	,, प्रहलाद सिंह पुत्र गुमान सिंह	,,	81

एनेक्जर–"म"

घर "बी"- तहसील रायपुर, प्रभावशाली क्वारी लाइसेन्स की सूची

क्र.सं.	नाम क्वारी लाइसेन्सधारी		खान सं.
1	2		3
1.	श्री मन्साराम पुत्र गीगाराम	घर "बी"	1
2.	,, भूरसिंह पुत्र मंगलसिंह	,,	4
3.	,, सम्पतराज पुत्र मोतीराम	,,	5
4.	,, बाबुलाल पुत्र शिवराम	,,	6
5.	,, रामलाल पुत्र नेनाराम	,,	8
6.	,, पन्नालाल पुत्र हजारी माली	,,	9
7.	,, नारायण सिंह पुत्र पर्वतसिंह	,,	10
8.	,, अमराराम पुत्र गुल्लाराम	,,	11
9.	,, मीठालाल पुत्र मोहनजी	,,	12
10.	,, मुन्नीलाल पुत्र सीताराम	,,	13
11.	,, गुल्लाराम पुत्र पूनाराम	,,	14
12.	,, नारायण लाल पुत्र पूनाराम	,	15
13.	,, भीमसिंह पुत्र हीरालाल	,,	18
14.	,, तेजाराम पुत्र घीसालाल	,,	20
15.	,, भेरसिंह पुत्र हमीरसिंह	,,	21
16.	,, मोहन लाल पुत्र जस्साराम	,,	22
17.	,, लच्छाराम पुत्र प्रभूजी	,,	25
18.	,, मोहन लाल पुत्र शिवराम	,,	26 (7 बी)
19.	,, शंकरलाल पुत्र हरदेव माली	,,	27 (8 बी)
20.	,, पन्नाराम पुत्र हजारी माली	,,	28 (9 बी)
21.	,, लक्ष्मणराम पुत्र गोकलजी	,,	29 (10 बी)

1	2	3	
22.	,, दुर्गेश पुत्र थेवरलाल चौहान	,,	30 (11 बी)
23.	,, प्रतापचन्द पुत्र गुल्लाराम	,,	31 (12 सी)
24.	,, भैरोराम पुत्र पूनाराम	,,	33 (14 बी)
25.	,, चम्पालाल पुत्र जगन्नाथ	,,	34 (15 बी)
26.	,, मिश्रीलाल पुत्र पूनाराम	,,	35 (16 बी)
27.	,, मदन लाल पुत्र लादूराम	,,	36 (17 बी)
28.	,, केवलराम पुत्र रावतराम	,,	37 (18 बी)
29.	,, मोहन लाल पुत्र जसाराम	,,	40 (21 बी)
30.	,, देवराज पुत्र बालूसिंह राय	,,	41 (22 बी)
31.	,, घीसूसिंह पुत्र भैरूसिंह	,,	41 (29 बी)
32.	,, मालसिंह पुत्र बालूसिंह	,,	42 (23 बी)
33.	,, हमीरराम पुत्र सुरताजी	,,	44 (14 सी)
34	,, तेजाराम पुत्र हजारीराम		

परिशिष्ट–8

(अतारांकित प्रश्न संख्या-352 की सूचियां)

परिशिष्ट "अ"

विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में मार्च, 1990 के बाद निर्मित सड़कों का विवरण

क्र.सं.	सड़क का नाम	लम्बाई				लागत (लाखों में)	योजना
		डामर	मेटल	ग्रेवल	योग		
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	निम्बाहेड़ा केली कनेरा घाटा	4	–	–	4	12.89	एम.एन.पी.
2.	डोरिया विनोता जलोदा	7	–	–	7	12.64	,,
3.	सावलिया लसडावन	2	–	–	4	12.79	,,
4.	सम्पर्क सड़क कारुण्डा	3	–	–	3	11.05	,,
5.	विजयपुर कनेरा	17	–	–	17	83.46	कृषि उपज मण्डी
6.	छोटीसादड़ी गणेशपुरा	3	–	–	3	6.06	एम एन. पी.
7.	सम्पर्क सड़क सीगरी	1	–	–	1–	4.35	,,
8.	,, चन्दोली	1	–	–	1	1.80	,,
9.	,, अरनिया जोशी	1.5	–	–	1.5	4.30	,,
10.	,, गागरोल	4	–	–	4	7.88	,,
11.	,, रम्भावली	2	–	–	2	3.79	,,
12.	चरलिया कीटड़ी कला	4	1	–	5	4.77	,,
13.	सम्पर्क सड़क सतखण्डा	1	–	–	1	2.02	एम. एन. पी.
14.	,, मण्डलाचारण	1	–	–	1	1.53	,,
15.	,, भगवानपुरा	1	–	–	1	1.95	,,
16.	,, निमोदा	–	–	8	8	11.39	एम एन पी/ईएएस
17.	,, ईंटों का तालाब	–	4	–	4	10.00	ई.ए.एस
18.	,, गाडरियावास	–	1	–	1	2.50	,,
19;	,, कालाकोट	–	3	–	3	10.00	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	सम्पर्क मानपुराजागीर	–	7	–	7	10.00	ईएएस
21.	,, गुढा खेड़ा	–	–	6	6	10.00	,,
22.	घोलापानी पीली खेड़ा	6	7	9	22	22.94	ईए. एस/डिपोजिट
23.	चांदखेड़ा भरजीवी रोड़	–	–	9	9	10.73	एम. आर. डबल्यू.
24.	सम्पर्क सड़क मिण्डाना	–	–	4	4	7.69	एम. आर. डबल्यू.
25.	सम्पर्क सड़क बडोली घाटा	–	–	5	5	6.96	एम. आर. डबल्यू.
26.	कनेरा सरसी	–	3	–	3	28.64	कृषि ऊपज मण्डी: एम. आर. डबल्यू.
27.	माइन्स रोड़ टाटरमाता	1	–	–	1	3.87	माईन्स
28.	माला खेड़ीप माइन्स	2	–	–	2	1.88	,,
29.	सम्पर्क सड़क कचरिया-खेड़ी माइन्स	1	–	–	1	4.87	,,
30.	मांगरोल अरनोदा	8	1	–	9	39.43	कृषि ऊपज मण्डी
31.	आकया अम्बामाता	1.5	–	–	1.5	1.57	,,
32.	सम्पर्क सड़क कदमाली	1.75	–	–	1.75	4.52	,,
33.	,, करजू	2.2	–	–	2.2	1.60	,,
34.	अरनियाजोशी ऊंखलिया	5	–	–	5	19.97	,,
35.	सम्पर्क सड़क अरनिया-माली	4	–	–	4	4.49	,,
36.	सम्पर्क सड़क बड़ोली माधोसिंह	3	–	–	3	9.15	कृषि ऊपज मण्डी
37.	सम्पर्क सड़क मेलाना	5	–	–	5	32.21	,,
38.	,, बरोसा	3	–	–	3	26.47	,,
39.	,, जलोदिया केलूखेड़ा	7	–	–	7	39.41	,,
40.	,, स्वरूपगंज	1	–	–	1	2.60	,,
41.	,, बरेखन	1	–	–	1	1.37	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
42.	धीनवा कचरिया खेड़ी	3	–	–	3	11.87	माईंस
43.	सतखण्डा से सीतारामजी का खेड़ा	3	–	–	3	8.75	कृषि ऊपज मण्डी
44.	अरनोदा से बरलिया	2	–	–	2	5.00	,,
45.	महुरिया से गोमाना	2	–	–	2	5.72	,,
46.	कारुण्डा से गोदड़ा	1.5	–	–	1.5	5.49	,,
	योग	116.45	29	41	186.45	523.87	

परिशिष्ट "ब"

शेष 19 पंचायत मुख्यालय/गांव जो डामर सड़क से जोड़ा जाना है

क्र.सं.	पं.मु./गांव का नाम	आबादी 1991	वर्तमान स्थिति मेटल	ग्रेवल	कच्चा	योग	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बांगरेडा (पं.मु.)	1400	2	3	–	5	डामरीकरण हेतु कृषि उपज मण्डी में स्वीकृति
2.	डला किशनपुरा (पं.मु.)	679	–	2	–	2	,,
3.	मरजीवी (पं.मु.)	1405	–	9	–	9	,,
4.	भिण्डाना (पं.मु.)	1516	–	4	–	4	,,
5.	सरसी (पं.मु.)	1102	3	–	–	3	,,
6.	साटोला (पं.मु.)	1443	–	6	–	6	,,
7.	सूवी (पं.मु.)	1508	1	2	–	3	,,
8.	कालाकोट (पं.मु.)	1034	3	–	–	3	नाबार्ड

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	कोटडीकलां (पं.मु)	1193	–	2	–	2	कृ. उ. मण्डी
10.	मावलिया (पं.मु.)	1160	–	2	–	2	,,
11.	बडोली घाट (पं.मु.)	901	–	5	–	5	,,
12.	निमोदा (पं.मु.)	926	–	8	–	8	,,
13.	मानपुरा जागीर (पं.मु)	437	7	–	–	7	,,
14.	गुडाखेडा (पं.मु.)	722	–	6	–	6	
15.	पीलीखेडा (प.मु.)	1176	7	9	–	16	
16.	कदमाजी	1051	–	–	4	4	
17.	ईंटों का तालाब	1216	4	–	–	4	
18.	गोदरियावास	1354	1	–	–	1	
19.	भाचारी	1269	–	–	3	3	कृ. उ. मंडी में डामरी करण हेतु स्वीकृत है।

परिशिष्ट–9

(अतारांकित प्रश्न सख्या–356 का विवरण)

परिशिष्ट "क"

रोजगार कार्यालय, सवाईमाधोपुर से उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1997 व 1998 में सरकारी कार्यालयों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं (सरकारी निगमों/उपक्रमों) में नियोजित करवाये गये व्यक्तियों का विवरण

	वर्ष 1997			वर्ष 1998		
	विभाग का नाम	नाम पद	संख्या	विभाग का नाम	नाम पद	संख्या
1	2	3	4	5	6	7
सरकारी कार्यालय	1. शिक्षा विभाग	1. अध्यापक ग्रेड-II	40	1. शिक्षा विभाग	1. अध्यापक ग्रेड-II	16
		2. अध्यापक ग्रेड-III	107		2. अध्यापक ग्रेड-III	132
					3. शारीरिक शिक्षक	13
	2. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	1. ए.एन.एम.	7	2. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	1. ए.एन.एम.	40
	3. राजकीय कन्या महाविद्यालय	1. च. श्रेणी कर्मचा.	3		2. मेल नर्स	19
					3. रेडियोग्राफर	2
					4. लेब टेकनिशियन	16
				3. नयोदय विद्यालय	1. कनिष्ट लिपिक	1
				4. आयुर्वेद विभाग	1. उप-वैद्य	9

1	2	3	4	5	6	7
स्वायत शासी संस्थाएं	1. पंचायत समिति	शिक्षक ग्रेड-III	21	1. जीवन बीमा निगम	सहायक	1
				2. भारतीय खाद्य निगम	चौकीदार	6
(सरकारी निगम/ उपक्रम)	2. स्टेट बैंक ग्राफ बीकानेर एण्ड जयपुर	च. श्रेणी कर्मचारी	2	3. पंजाब नेशनल बैंक	च. श्रेणी कर्मचारी	1
	3. विश्वविद्यालय कोटा	वाहन चालक	11			
	कुल योग		191	कुल योग		256

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या–357 का विवरण)

राजस्थान में जिलेवार प्रतिशत व्यक्ति शिक्षित/अशिक्षित
(सन् 1991 की जनगणना के अनुसार)

परिशिष्ट "अ"

क्र. सं.	जिले का नाम	शिक्षित व्यक्ति (प्रतिशत में)	अशिक्षित व्यक्ति (प्रतिशत में)
1	2	3	4
1.	श्रीगंगानगर	41.82	58.18
2.	बीकानेर	41.73	58.27
3.	चूरू	34.78	65.22
4.	झुन्झुनूं	47.60	52.40
5.	अलवर	43.09	56.91
6.	भरतपुर	42.96	57.04
7.	धौलपुर	35.09	64.91
8.	सवाईमाधोपुर	36.27	63.73
9.	जयपुर	47.88	52.12
10.	सीकर	42.49	57.51
11.	अजमेर	52.34	47.66
12.	टौंक	33.67	66.33
13.	जैसलमेर	30.05	69.95
14.	जोधपुर	40.69	59.31
15.	नागौर	31.80	69.20
16.	पाली	35.96	64.04
17.	बाड़मेर	22.98	77.02
18.	जालौर	23.76	76.24
19.	सिरोही	31.94	68.06
20.	भीलवाड़ा	31.65	68.35
21	उदयपुर	34.38	65.62
22.	चित्तौड़गढ़	34.28	65.72

1	2	3	4
23.	डूंगरपुर	30.55	69.45
24.	बांसवाड़ा	26.00	74.00
25.	बूंदी	32.75	67.25
26.	कोटा	47.88	52.12
27.	झालावाड़	32.94	67.06

1991 की जनगणना के बाद दौसा, राजसमन्द, बारां हनुमानगढ़ एवं करौली जिले बनाये गये हैं।

राजस्थान राज्य में जिलेवार प्रतिशत महिला शिक्षित/अशिक्षित
(सन् 1991 की जनगणना के अनुसार)

परिशिष्ट "ब"

क्र. सं.	जिले का नाम	शिक्षित महिलाएं (प्रतिशत)	अशिक्षित महिलाएं (प्रतिशत)
1	2	3	4
1.	श्रीगंगानगर	26.39	73.61
2.	बीकानेर	27.03	72.97
3.	चूरू	17.32	82.68
4.	झुन्झुनूं	25.54	74.46
5.	अलवर	22.54	77.46
6.	भरतपुर	19.60	80.40
7.	धौलपुर	15.25	84.75
8.	सवाईमाधोपुर	14.64	85.36
9.	जयपुर	28.69	71.31
10.	सीकर	19.88	80.12
11.	अजमेर	34.50	65.50
12.	टौंक	15.24	84.76
13.	जैसलमेर	11.28	88.72

1	2	3	4
14.	जोधपुर	22.58	77.42
15.	नागौर	13.29	86.71
16.	पाली	16.97	83.03
17.	बाड़मेर	7.68	92.32
18.	जालौर	7.75	92.25
19.	सिरोही	16.99	83.01
20.	भीलवाड़ा	16.50	83.50
21.	उदयपुर	19.00	81.00
22.	चित्तौड़गढ़	17.15	82.85
23.	डूंगरपुर	15.40	84.60
24.	बांसवाड़ा	13.42	86.58
25.	बूंदी	16.13	83.87
26.	कोटा	29.50	70.50
27.	झालावाड़	16.18	83.82

1991 की जनगणना के बाद दौसा, बांरा, राजसमन्द, हनुमानगढ़ एवं करौली जिले बनाये गये हैं।

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या-358 का विवरण एवं सूची)

परिशिष्ट "क"

राजगढ़ तहसील में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं
माध्यमिक विद्यालयों से क्रमोन्नत विद्यालयों की सूची

1. प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत विद्यालय की सूची

क्र. सं.	सत्र	क्रमोन्नत उच्च प्राथमिक विद्यालय का नाम
1	2	3
1.	1994–95	कांजण
2.	,,	राधाबड़ी
3.	,,	विजपुरा
4.	,,	सुलखणिया छोटा
5.	,,	ढोकवा
6.	,,	ढाणी मोजी
7.	1995–96	कालाणाताल
8.	,,	सांखणताल
9.	,,	दुपकी
10.	1998–99	झाकारा

2. उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत विद्यालयों की सूची

1.	1994–95	कालरी
2.	1995–96	पहाड़सर
3.	,,	नूहन्द
4.	1997–98	बैरासर छोटा
5.	,,	मून्दीताल
6.	,,	हांसियावास
7.	,,	राधाबड़ी
8.	,,	बिरमी बड़ी

1	2	3
9.	1997-98	गुगलवा
10.	,,	बीराण
11.	1998-99	धानोठी बड़ी
12.	,,	न्यागल छोटी
13.	,,	सिधमुख (बालिका)

3. माध्यमिक विद्यालयों से उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत विद्यालय की सूची

1.	1995-96	नवां
2.	1996-97	भैसली
3.	1997-98	चांदगोठी
4.	,,	नेशल
5.	,,	हरपालू
6.	,,	ढिगारला

परिशिष्ट-"ख"

तहसील राजगढ़ में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची

क्र. सं.	विद्यालय का नाम			क्र. सं.	विद्यालय का नाम		
1.	राजकीय उच्च	प्रा. वि.	लसेड़ी	11.	राजकीय उच्च	प्रा. वि.	भूंवाडी
2.	,,	,,	राघा छोटी	12.	,,	,,	लिलावटी
3.	,,	,,	गोठया बड़ी	13.	,,	,,	थिरपाल बड़ी
4.	,,	,,	बैजुवा	14.	,,	,,	गागड़वास
5.	,,	,,	लम्बोरबड़ी	15.	,,	,,	चुबकियाताल
6.	,,	,,	महलाना उत्तरादा	16.	,,	,,	चुबकियागढ़
7.	,,	,,	चैनपुरा छोटा	17.	,,	,,	ख्याली
8.	,,	,,	चैनपुरा बड़ा	18.	,,	,,	रावतसर कुजला
9.	,,	,,	ढढाल लेखू	19.	,,	,,	कान्दरान
10.	,,	,,	लाखलाण बड़ी	20.	,,	,,	खुडडी

क्र. सं.	विद्यालय का नाम			क्र. सं.	विद्यालय का नाम		
21.	राजकीय उच्च प्रा. वि.		खेरबड़ी	38.	राजकीय उच्च प्रा. वि.		मीमसाना
22.	,,	,,	सुलखनिया छोटा	39.	,,	,,	नरवाली
23.	,,	,,	सुलखनिया बड़ा	40.	,,	,,	डोकवा
24.	,,	,,	जसवन्तपुरा	41.	,,	,,	विजयपुरा
25.	,,	,,	किशनपुरा	42.	,,	,,	ढाणीमौजी
26.	,,	,,	गुलपुरा	43.	,,	,,	सावणताल
27.	,,	,,	लीलकी	44	,,	,,	कालानासल
28.	,,	,,	ढाणी बड़ी	45.	,,	,,	डूमकी
29.	,,	,	बीजावास	46.	,,	,,	ढाणी कुम्हारान
30.	,,	,,	नीमा	47.	,,	,,	भाकरा
31.	,,	,,	मिठड़ी केसरी सिंह	48.	राज. बालिका उ.प्रा.वि.		जैतपुरा
32.	,,	,,	बुगी	49.	,,	,,	नैशल
33.	,,	,,	ढाणा	50.	,,	,,	नवीन राजगढ़
34.	,,	,,	रामसराताल	51.	मोहता उ.प्रा.वि.		राजगढ़
35.	,,	,,	बासकाजंण	52.			चंगोईवाला राजगढ़
36.	,,	,,	कांजण	53.			फूलचंदिया राजगढ़
37.	,,	,,	कानावासी	54.			मोहता राजगढ़

परिशिष्ट-12

(अतारांकित प्रश्न संख्या–361 की प्रति)

अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. अजमेर

समिति का नाम बान्दनवाण दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि.,
प्रस्ताव कार्यवाही पुस्तिका कार्यकारिणी कमेटी के लिए

दिनांक			
2. 8. 98	आज दिनांक 2. 8. 98 को समिति कार्यालय पर अध्यक्ष श्री छोटूलाल जी जाट की अध्यक्षता में अड़तालीसवीं सभा आयोजित की जिसमें निचे लिखे निम्न प्रस्तावों पर विचार विमर्श कर निर्णय हुये ।		
	(1)	गत बैठक की पुष्टी पर विचार	गत बैठक दिनांक 16.6.98 को जिसमें प्रस्तावों पर व्यवस्थापक ने पढ़कर सुनाया तथा सर्व समिति से स्वीकृति प्रदान की जाती है ।
		नये चुनाव हो जाते तो	
	(2)	दी बैंक आफ राजस्थान शाखा बान्दनबाण से लेन देन करने का अधिकार देने पर विचार	सर्व समिति से निर्णय लिया है कि दी बैंक आफ राजस्थान शाखा बान्दनबाण से समिति का लेन देन का अधिकार नीचे लिखे निम्न तीन पदाधिकारियों को दिया जाता है ।

(1) श्री छोटूलाल s/o उगमा जी जाट

(2) श्रीमती गीता देवी s/o रूपकिशोर जाट

(3) श्री शंकरसिंह s/o जोरावरसिंह राजपूत

उपरोक्त तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षर से बैंक से लेन देन सकेगा लेकिन व्यवस्थापक के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे उक्त प्रस्ताव की प्रतिलिपि संघ से प्रमाणित कराकर दी बैंक आफ राजस्थान शाखा बान्दनवाण को भेजी जावे ।

प्रस्तावना	(3)	समिति भवन के 2 कमरे व्यवस्थापकों को किराया पर देने पर विचार	सर्व सम्मति से निर्णय लिया है कि समिति ने भवन के जिसमें 3 कमरे समिति के लिए कार्य में काम

आते हैं तथा 2 कमरे शेष खाली पड़े रहते हैं बिजली का खर्च समिति पर अलग से आता है समिति की आमदनी बढ़ाने के लिए दो खाली पड़े कमरे व्यवस्थापक गौंड को रहने के लिए शाखा से रुपये 100/- प्रतिमाह दर पर दिये जाने की सर्वसम्मति से आज्ञा प्रदान की जाती हैं। 1.6.98 से किया।

इस प्रकार सभा अध्यक्ष की अनुमति से सम्पन्न करेंगे।

ह०	ह०	ह०
उपाध्यक्ष	अध्यक्ष	व्यवस्थापक

परिशिष्ट–13

(अतारांकित प्रश्न संख्या–362 की सूची)

निम्न जिलों में प्रमुख के स्थान पर उप प्रमुख कार्य कर रहे हैं

1. अलवर	14. 12. 98 से
2. दौसा	6. 1. 99 से
3. भीलवाड़ा	12. 12. 98 से
4. झुन्झुनू	10. 3. 99 से
5. चित्तौड़गढ़	3. 12. 98 से

निम्न पंचायत समितियों में प्रधान के स्थान पर उप प्रधान कार्य कर रहे हैं

1. हिण्डौन (करौली)	18. 12. 97 से
2. पीपलखूट (बांसवाड़ा)	24. 1. 98 से
3. राजगढ़ (अलवर)	3. 3. 93 से
4. भीम (राजसमन्द)	15. 5. 98 से
5. बौली (सवाईमाधोपुर)	18. 8. 98 से
6. राजसमन्द (राजसमन्द)	17. 10. 98 से
7. आबूरोड (सिरोही)	3. 12. 98 से
8. सुजानगढ़ (चूरू)	11. 12. 98 से
9. कठूमर (अलवर)	24. 12. 98 से
10. महुआ (दौसा)	6. 2. 98 से

परिशिष्ट-14

(अतारांकित प्रश्न संख्या–363 की सूची)

क्र.सं.	नाम पंचायत समिति	विद्यालय का नाम	खोलने का वर्ष
1.	दौसा	रा.प्रा.वि. मन्डाना	वर्ष 96–97 में सैकण्डरी में क्रमोन्नत होने पर अलग किया
2.		,, अट्टाबजोरी (मांडारेज)	97–98
3.		,, ढाणी बैरवा (अलेदा)	96–97
4.		,, इटारडा (श्यालावास)	98–99
5.		,, ढाणी टीबावाली (शेरसिंह रजवास)	96–97
6.		,, ढाणी टोडरवास (मलवास)	96–97
7.		,, मोटलवास (सूरजपुरा)	,,
8.		,, बनियाना बालाजी	,,
9.		,, बीडलवाण (खानपुर)	98–99
10.		,, नया गांव (डूंगरावता)	96–97
11.	बांदीकुई	,, पीपली का वास (कोलना)	98–99
12.		,, नाथकी बगीची (बनावड़)	,,
13.		,, झोपड़ी पसारान (पंडितपुरा)	96–97
14.		,, इटपुरा	,,
15.		,, केसोपुरा	,,
16.		,, गूजरवास	,,
17.	लालसोट	सहसपुरा	,,
18.		बुर्जा	,,
19.		रा.प्रा.वि. गूजराबीड़ा कशोरपुरा	,,
20.		,, डाबराकलां	97–98
21.	महुवा	,, कन्या शाला कोषपुरा	96–97
22.		,, साहिड़ा का पुरा	97–98
23.		,, नाहिड़ा का पुरा	96–97
24.		,, कंचनपुरा	97–98
25.		बल्लूपुरा	,,
26.		अकबरपुर	98–99
27.	सिकराय	आसतवाड़ा (पिलोड़ी)	97–98
28.		,, बुर्जा ढाणी (सिकंदरा)	98–99
29.		,, नया कुआं गीजगढ़	,,
30.		गोला का वास (निहालपुरा)	96–97

परिशिष्ट–15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 364 का विवरण)

कार्यालय ग्राम पंचायत महला प. स. दूदू

पंचायत बैठकों का विवरण जिसमें कौन-कौन सदस्य उपस्थित हुए

दिनांक 10–8–98

1. अध्यक्षता श्री कमलेन्द्र सिंह कार्यवाहक सरपंच	1. श्री कालूराम मीणा	पंच
	2. श्री भंवरनाथ	,,
	3. श्रीमती मोलीदेवी	,,
	4. ,, फूलादेवी	,,
	5. ,, किशनसिंह	,,
2. दिनांक 24–8–98		
अध्यक्षता श्री कमलेन्द्र सिंह कार्यवाहक सरपंच	1. श्री किशनसिंह	,,
	2. श्री गोपीराम	,,
	3. श्रीमति फूलादेवी	,,
	4. श्रीमति मोलीदेवी	,,
	5. श्री कालूराम मीणा	,,
	6. श्रीमति धापू देवी	,,
3. दिनांक 9–9–98		
अध्यक्षता श्री कमलेन्द्र सिंह कार्यवाहक सरपंच	1. श्री किशनसिंह	,,
	2. श्री गोपीराम	,,
	3. श्री कालूराम	,,
	4. श्री जीवणराम	,,
	5. श्रीमती धापूदेवी	,,
	6. ,, फूलादेवी	,,
	7. श्री गणेशनारायण	,,
	8. श्रीमती मोलीदेवी	,,
4. दिनांक 23–9–98		
अध्यक्षता श्री कमलेन्द्र सिंह कार्यवाहक सरपंच	1. श्री किशनसिंह	,,
	2. श्रीमती मोलीदेवी	,,

1	2	3	4
		3. श्रीमती फूलादेवी	पंच
		4. श्री गोपीराम	,,
		5. श्री गोपाल	,,
		6. श्री जीवणराम	,,
		7. श्री गणेश नारायण	,,
5.	दिनांक 13–10–98		
	अध्यक्षता श्री कमलेन्द्र सिंह कार्यवाहक सरपंच	1. श्री गोपीराम	,,
		2. श्री किशनसिंह	,,
		3. श्रीमती भोलीदेवी	,,
		4. ,, घापूदेवी	,,
		5. ,, फूलादेवी	,,
		6. श्री जीवणराम	,,
		7. श्रीमती शांतीदेवी	,,
6.	दिनांक 23–10–98		
	अध्यक्षता श्री कमलेन्द्र सिंह कार्यवाहक सरपंच	1. श्रीमती घापूदेवी	,,
		2. ,, शांतिदेवी	,,
		3. श्री जीवणराम	,,
		4. श्री गणेशनारायण	,,
		5. श्रीमती भोलीदेवी	,,
		6. श्री गोपाललाल	,,
		7. श्री किशनसिंह	,,
7.	दिनांक 9–11–98		
	अध्यक्षता श्री कमलेन्द्र सिंह कार्यवाहक सरपंच	1. श्री किशन सिंह	,,
		2. श्रीमती फूलादेवी	,,
		3. श्री गोपीराम	,,
		4. श्री जीवणराम	,,
		5. श्रीमती शांतिदेवी	,,
		6. ,, भोलीदेवी	,,

1	2	3	4
		7. श्रीमती घापूदेवी	पंच
		8. श्री गोपाल लाल	,,
		9. श्री कालूराम	,,
8.	दिनांक 23-11-98	कोरम का अभाव रहा	
	अध्यक्षता श्री कमलेन्द्र सिंह	1. घापूदेवी	,,
	कार्यवाहक सरपंच	2. श्री गोपीराम	,,
9.	दिनांक 9-12-98		
	अध्यक्षता श्री कमलेन्द्र सिंह	1. श्री गोपीराम	,,
	कार्यवाहक सरपंच	2. श्रीमती धापूदेवी	,,
		3. ,, फूलादेवी	,,
		4. श्री जीवणराम	,,
		5. श्री किशन सिंह	,,
		6. श्रीमती मोलीदेवी	,,
10.	दिनांक 26-10-98		
	अध्यक्षता श्री कमलेन्द्र सिंह	1. श्री गणेशनारायण	,,
	कार्यवाहक सरपंच	2. श्री किशन सिंह	,,
		3. श्रीमती फूलादेवी	,,
		4. ,, मोलीदेवी	,,
		5. श्री गोपालराम	,,
		6. श्रीमती मोलीदेवी	,,
		7. श्री कालुराम	,,
		8. श्रीमती शांतिदेवी	,,
11.	दिनांक 11-1-99	1. श्री किशन सिंह	,,
	अध्यक्षता श्री कमलेन्द्र सिंह	2. श्री जीवणराम	,,
	कार्यवाहक सरपंच	3. श्री गोपीराम	,,
		4. श्रीमती घापूदेवी	,,
		5. ,, शांतिदेवी	,,
		6. ,, फूलादेवी	,,
		7. श्री कालूराम	,,

1	2	3	4
		8. श्री गणेशनारायण	,,
12.	दिनांक 23-1-99	कोरम का अभाव	
	अध्यक्षता श्री कमलेन्द्र सिंह कार्यवाहक सरपंच	1. श्रीमती धापूदेवी	,,
13.	दिनांक 9-2-99	1. श्री गोपाल लाल	,,
	अध्यक्षता श्री किशन सिंह	2. श्रीमती फूलादेवी	,,
	वार्ड पंच	3. ,, शांतिदेवी	,,
		4. ,, भोलीदेवी	,,
		5. श्री कालूराम	,,
		6. श्री गोपीराम	,,
		7. श्री जीवणराम	,,
		8. श्रीमती धापूदेवी	,,
14.	दिनांक 23-2-99		
	अध्यक्षता श्री कमलेन्द्र सिंह	1. श्री गोपाल	,,
	कार्यवाहक सरपंच	2. श्रीमती फूलादेवी	,,
		3. श्री कालुराम	,,
		4. श्री किशन सिंह	,,
		5. श्री जीवणराम	,,
		6. श्रीमती शांतिदेवी	,,
		7. श्री गोपीराम	,,
		8. श्री गणेशनारायण	,,
15.	दिनांक 9-3-99		
	अध्यक्षता श्री कमलेन्द्र सिंह	1. श्री जीवणराम	,,
	कार्यवाहक सरपंच	2. श्रीमती फूलादेवी	,,
		3. श्री किशन सिंह	,,
		4. श्रीमती धापूदेवी	,,
		5. श्री कालूराम	,,
		6. श्री गोपीराम	,,

परिशिष्ट—"2"

उप सरपंच द्वारा निम्नानुसार प्रकरण निस्तारण किये गये—

1. प्रमाण-पत्र 11 दिये गये
2. नामान्तरकरण 24 स्वीकृत किये गये
3. भूमि आवंटन—शून्य
4. आबादी भूमि परिवर्तन—शून्य

उक्त उप सरपंच द्वारा निम्न निर्माण कार्य करवाये जा रहे हैं—

1. उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन महुला
2. राजकीय प्राथमिक विद्यालय भवन बागरों की ढाणी
3. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, महुला का हाल

परिशिष्ट—"3"

नामान्तरकरण निम्न प्रस्तावों के तहत दिये गये—

प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 24/8/98

प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 9/9/98

प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 13/10/98

प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 26/12/98

प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 11/1/99

प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 23/2/99

2. भू–आवंटन — शून्य
3. अनापत्ति प्रमाण–पत्र 26 विद्युत कनेक्शन हेतु एवं नल कनेक्शन 4 दिये गये ।
4. आबादी भूमि पट्टे 13 प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 9/11/98 के द्वारा दिये गये ।

परिशिष्ट-16

(अतारांकित प्रश्न संख्या-367 की सूची)

वि. स क्षेत्र	विद्यालय का नाम	छात्र सं.	अध्यापक सं.	रिक्त पद	माह
1	2	3	4	5	6
मसूदा	1. मसूदा (छात्र)	410	12	—	—
	2. मसूदा छात्र	345	10	—	—
	3. लालावास	50	2	—	—
	4. बस्सी	75	2	—	—
	5. लाणदी	38	2	—	—
	6. भवानी खेड़ा	90	2	1	8/98
	7. भैरूखेड़ा	49	2	—	—
	8. राछपुरा	100	2	1	—
	9. कीराप	229	6	—	—
	10. मोतीपुरा	66	2	—	—
	11. केरिया	52	2	—	—
	12. सालरकाला	66	1	1	—
	13. मानपुरा	95	2	1	—
	14. जाकोला	204	6	—	—
	15. नालिया प्रथम	54	2	—	—
	16. चावंडिया	135	3	1	—
	17. गणेश मगरी	45	2	—	—
	18. दौलतपुरा	70	2	—	—
	19. सकालिया	54	2	—	—
	20. देवमगरी	56	2	—	—
	21. नया गांव	45	2	—	—
	22. बेगानियावास छात्र	182	5	—	—
	23. बेगानियावास छात्रा	100	2	1	—

1	2	3	4	5	6
24.	रतनपुरा	46	3	—	—
25.	तखतपुरा	56	2	—	—
26.	किशनपुरा	54	2	—	—
27.	नंदवाड़ा	150	5	1	—
28.	प्रतापपुरा प्रथम	40	2	—	—
29.	सूपजपुरा	94	2	1	—
30.	उत्तकी	116	1	2	—
31.	रेणपुरा	78	1	1	—
32.	देवगढ़	50	1	1	—
33.	केसरपुरा	46	1	1	—
34.	रामगढ़ छात्र	131	6	—	—
35.	रामगढ़ छात्रा	46	1	1	—
36.	देवपुरा	72	1	1	—
37.	कानपुरा	84	3	—	—
38.	टोपास	60	2	—	—
39.	रेलका बा.	95	1	—	—
40.	झूंठा का बा.	51	2	—	—
41.	प्रतापपुरा द्वितीय	49	2	—	—
42.	आकरोल	52	2	—	—
43.	बानीखेड़ा	57	2	—	—
44.	देवपुरा	44	2	—	—
45.	अमरपुरा	77	1	1	—
46.	भगवानपुरा	41	1	1	—
47.	खटाणा का बा.	24	1	1	—
48.	झांक	232	6	1	—
49.	रतनपुरा छोटा	100	3	—	—
50.	मैदा का बाडिया	71	2	—	—
51.	रूपाहेली कला	67	2	—	—

1	2	3	4	5	6
	52. झांक खास	67	3	—	—
	53. अक्खावतों का बास	92	2	1	—
	54. सकाना छात्र	193	6	—	—
	55. सकाना छात्रा	97	3	—	—
	56. भगवानपुरा	59	2	—	—
	57. लक्ष्मी खेड़ा	42	2	—	—
	58. मीलों का बा.	17	2	—	—
	59. केसरपुरा	64	3	—	—
	60. संजयनगर	149	4	—	—
	61. शिखरानी	225	7	—	—
	62. रामपुरा	38	2	—	—
	63. मोखमपुरा	34	2	—	—
	64. इन्द्रगढ़	70	3	—	—
	65. देवपुरा	36	2	—	—
	66. जालिया द्वितीय कंया	275	8	—	—
	67. मैरूखेड़ा	97	4	—	—
	68. सालरकाला द्वितीय	46	1	1	—
	69 देवगढ़ (तूलीखेड़ा)	53	3	—	—
	70. आसन्न	150	6	—	—
	71. खूटिया	104	4	—	—
	72. लोडियाना	115	7	—	—
	73. बहादुरपुरा	39	3	—	—
	74. जोरावरपुरा	27	2	—	—
	75. कल्याणपुरा	55	2	—	—
	76. जयसिंहपुरा	99	2	1	—
	77. देवपुरा (बाड़ी)	36	2	—	—
	78. पीकावास	52	1	1	—
	79. खखा	144	6	—	—

1	2	3	4	5	6
	80. कुण्डियां	55	2	—	—
	81. रानीसागर	55	2	—	—
	82. रामपुरा	59	2	—	—
	83. रूपारेल	70	2	—	—
	84. सारीणिया	75	2	—	—
	85. सूरजपुरा	95	2	1	—
	86. फतहगढ़	49	2	—	—
	87. गवावडिया	68	2	—	—
	88. गोपालसागर	46	2	—	—
	89. दानाजी की ढाणी	39	2	—	—
	90. अंधेरी देवरी छात्रा	163	4	1	—
	91. आपाबाई किराय	38	2	1	—
	92. अंधेरी देवरी छात्रा	85	2	1	—
	93. मुण्डोनी	55	2	—	—
	94. गुवारड़ी	55	2	—	—
	95. जु का बा.	103	3	—	—
	96. मरकाला	119	2	1	—
	97. लूलवा	77	2	—	—
	98. रावला बाड़िया	150	3	1	—
	99. उदावतों का बाड़िया	125	4	—	—
	100. खीमपुरा छात्र	114	3	—	—
	101. खीमपुरा छात्रा	81	2	1	—
	102. चौड़ासिया	101	3	—	—
	103. पिचला चौड़ासिया	23	2	—	—
	104. अमरा का बा.	69	2	—	—
	105. देवपुरा (खखा)	23	1	1	—
	106. मोहनपुरा (जायोला)	35	2	—	—

परिशिष्ट-17

(अतारांकित प्रश्न संख्या–371 की प्रति)

जांच रिपोर्ट

शिकायत विरूद्ध श्री राधेश्याम गर्ग सरपंच ग्राम पंचायत दांतरी पंचायत समिति दूदू जिला जयपुर।

बिन्दू संख्या :—1 ग्राम पंचायत की रोड से फर्जी बिल बनाकर हजारों रुपये का गबन करना।

उत्तर :—यह आरोप प्रमाणित है कि सरपंच श्री राधेश्याम गर्ग द्वारा फर्जी बिल वाउचर बनाकर हजारों रुपये का गबन किया है।

1. सरपंच ने विभिन्न तारीखों से बिना ग्राम पंचायत बैठक के प्रस्ताव के वर्ष 96 से 98 तक 68,500 रुपये अड़सठ हजार पांच सौ रुपये अपने स्वयं के नाम से अग्रिम प्राप्त किये जो नियमानुसार नहीं हैं सरपंच केवल नियम 211(3) (क) के अनुसार 500/— रुपये ही अपने पास रख सकता है। और उसका समायोजन हो जाने पर ही अन्य राशि प्राप्त करनी चाहिये। प्रश्न (क) संलग्न है।
2. एनिकट निर्माण मरम्मत कार्य हेतु फर्जी वाउचर व बिल बनाकर राशि सामग्री 26505 तथा मस्ट्रोलों पर 12328 रुपये व्यय बताया है; जबकि मूल्यांकन राशि 8 रुपये की दर से 11,877 रुपये किया गया है इस प्रकार राशि का झूठे बिल बनाकर आहरण किया गया है।
3. बली फन्टा किराया वा. सं. 8 द्वारा 400 रुपये लिखा गया परन्तु कितने दिन किस दर से लिया गया अंकित नहीं हैं।
4. वा. सं. 7 में 3200/– रुपये लदेरा से पत्थर मंगवाना 10 ट्रोली बताया है जबकि पत्थरों की दर एवं तारीख अंकित नहीं है। इसी प्रकार वा. सं. 6 भी 3250/– रुपये लिखा गया है वा. सं. 4 रोड की 8 ट्रोली 2400/– रुपये बताया गया है, जबकि निर्माण स्थल पर ही बजरी रोड उपलब्ध हैं। वहां से दूर-दूर जाती है। इस प्रकार फर्जी बिल बनाकर राशि का दुरुपयोग किया गया है।
5. यह कि वा. सं. 1 दिनांक 9. 4. 96 द्वारा 2500/– रुपये बजरी ट्रोली 10 लाना बताया है, जबकि निर्माण स्थल से दूर-दूर तक जयपुर से बजरी के ट्रक भरके जाते हैं नाले में बजरी बहुत मात्रा में उपलब्ध है।

6. वा. सं. 61 दिनांक 27.12.96 मोरम ट्रोली 10 का 3000/- रुपया है, जबकि स्थान अंकित नहीं हैं कहां डलवाई गई।

7. सरपंच द्वारा तालाब मोरडी में चादर निर्माण हेतु अकाल राहत से 91,481 रुपये प्राप्त करना बताया है तथा उसमें जून 96 तक 78,481/– रुपये व्यय हुआ है मौके पर कार्य का मूल्यांकन कम हुआ है। एवं सरपंच द्वारा उक्त कार्य के लिये 17. 12. 96 को प. सं. दूदू को 13000/– रुपये लौटाये हैं इस प्रकार यह बिन्दू भी प्रमाणित करती है कि सरपंच के फर्जी वाउचर बनाकर रकम का दुरुपयोग किया है जांच पृथक से लंबित है। दिनांक 18. 2. 97 से 26. 2. 97 तक का संदिग्ध भुगतान है इसमें सरपंच व सचिव के रोकड़ पर हस्ताक्षर नहीं है इसलिये सरपंच दोषी है।

8. दिनांक 27. 2. 97 को 7500/– रुपये सचिव ने जमा किये हैं उस पर सरपंच के हस्ताक्षर नहीं हैं।

9. सरपंच द्वारा दिनांक 21. 3. 98 को 20,000/– रुपये जेआरवाई बैंक के प्राप्त किये एवं उन्हें सरपंच को दे दिये गये इस प्रकार सरपंच ने भारी वित्तीय अनियमिताएं की हैं।

10. श्री चुन्नी लाल वार्ड पंच ने अपने बयानों में कहा है कि सरपंच द्वारा खाली मस्ट्रोलो पर पंच के हस्ताक्षर करवाये थे तथा बाद में मस्ट्रोल में काटाफासी करके रकम भर दी।

11. यह कि आरोप भी प्रमाणित है कि सरपंच ने ग्राम सभा में आय व्यय का ब्यौरा पढ़कर नहीं सुनवाया तथा खर्चे की पुष्टि नहीं करवाई दिनांक 21. 5. 97 की ग्राम सभा की प्रति संलग्न है। इस प्रकार सरपंच सा. नियम 1994 की धारा 3 का दोषी है।

12. सरपंच ने फार्म पट्टे बिना पंचायत कोरम के पत्रावलियां बनाकर ली है जिसका उदाहरण संलग्न पत्रावली श्री मोहम्मद अजीज सा पि. भूरे खां सा. दांतरी जिसमें न पत्रावली नम्बर व दर्ज रजिस्टर की नहीं है। कार्यवाही सिर्फ सरपंच द्वारा लिखी हुई है तारीख अंकित नहीं है पंचों के हस्ताक्षर भी करा लिये गये हैं, मौका रिपोर्ट पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है, आपत्ति नोटिस पर भी हस्ताक्षर नहीं है। छाया प्रति संलग्न है।

13. वर्ष 95–96 व 96–97 से जवाहर रोजगार योजना में निर्मित भवनों का मूल्यांकन अभी तक नहीं कराया जिससे कार्यों में कितना व्यय हुआ है। ज्ञात नहीं हुआ है।

14. ग्राम किल्ला निकट में मजदूरी करने गये मजदूरों का आज तक भुगतान नहीं किया जिससे मजदूरों ने अपने बयान दिये जो संलग्न पत्रावली है ।

15. ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित दुकानों को नीलाम द्वारा किराये पर न देकर स्वयं ले रखी है तथा उसका कोई रिकार्ड संधारित नहीं है ।

16. पी. सी. ओ. भी उक्त दुकानों में लगाया है जो हर दम बन्द रहती है जिसे जनता को भारी असुविधा रहती है । इस प्रकार सरपंच ने अपने पद का भारी दुरुपयोग किया है तथा पंचायत राशि का दुरुपयोग किया है ।

अतः सरपंच के विरुद्ध धारा 38(4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना प्रस्तावित है तथा सरकारी राशि वसूली हेतु तत्काल वि. अ. दूदू को लिखना प्रस्तावित है ।

दिनांक 26-2-97 से दिनांक 28-3-97 तक रोकड़ पुस्तिका पर हस्ताक्षर नहीं कर वार्षिक आय-व्यय पर हस्ताक्षर किये गये हैं ।

परिशिष्ट-18

(अतारांकित प्रश्न संख्या–379 की सूची)

S. No,	Vehicle No.	S. No.	Vehicle No.
1	2	1	2
1.	RJ-13-0301	25.	RJ 13 P–0921
2.	RJ 14-P 5950	26.	RJP 0231
3.	RJ 13-C 3247	27.	RJ 13P–0693
4.	RJ 13-C 2709	28.	RJ 13P–0711 (0711)
5.	PB 10X-9071	29.	RJ 13 P 1035
6.	PB 03-2980	30.	PUB 2722
7.	PB 07-A-9795	31.	RJ 31–C–1458
8.	PR 7098	32.	RJ 19 P–1900
9.	HR 47-4087	33.	DL 13–3844
10.	RJ 13-2708	34.	PAB 0836
11.	RJ 13 P-1329	35.	PDI 4966
12.	MP 23-O-0066	36.	IR 30–2372
13.	DHL-3127	37.	DL IG–1269
14.	RJ 13-C-4735	38.	DL IG–A 9004
15.	RJ 13 P-1550	39.	RJ 10–P–0087
16.	PB 13 B 5877	40.	RPM 7069
17.	RJ 13 P 1725	41.	RJ 20/4070
18.	PQU 5075	42.	PB 04–9573
19.	PB 050–6544	43.	RJ 13–P 0921
20.	PBD 13 D 8079	44.	RJ 13 P–0261
21.	RJ 13 P 1347	45.	RJ 31 P–0579
22.	PS 13 E-1711	46.	IR 37 0422
23.	PB 13 5–5111	47.	RNC 5040
24.	RJ 13 P–0529	48.	RJ 13 P–1295
		49.	RJK G705

1	2
50.	RM 2041
51.	RJ 07-G 2779
52.	RJ 13 P 2647
53.	RNC 7575
54.	RSC 7981
55.	RNC 8003
56.	RRC 8108
57.	RJ 13 P 202
58.	RJ 13 P 333
59.	RST 096
60.	RRC 6019
61.	RST 2934
62.	RJ 13 P 1271
63.	RRC 5095
64.	RJK 07 P 1365
65.	RJ 13P 081
66.	RJ. 13 P 505
67.	RJ 13 P 1307
68.	RNK 4705
69.	RJ 13P 0061
70.	RJ 13P 1084
71.	RJ 13P 1428 (1427)
72.	RJ 13P 0412
73.	RJ 13P 0407
74.	RJ 13P 1050
75.	RJ 13P 0431
76.	PB 05 593
77.	RJ 13 P 1574

1	2
78.	RJ 31P 0191
79.	RJ 13P 427
80.	RJ 13 P 0374
81.	RRC 1641
82.	RNC 641
83.	RJ 13P 1046
84.	RJ 13P 0538
85.	RNC 7441
86.	RJ 13P 0974
87.	RJ 13P-0426
88.	RJ 13P 0110
89.	RNK 456
90.	RNC 305
91.	RJ 13 P-0105
92.	RJ 13 P 0601
93.	RJ 13 P-1201
94.	RNC 7911
95.	RJ 13 P-1543
96.	RJ 13 P 1455
97.	RJ 13 P 0620
98.	RJ 13 P 9412
99.	RJ 13 P 1249
100.	RRC 1915
101.	RJ 13 P 0877
102.	RNC 9325
103.	RJ 13 P-1579
104.	RJ 13 P 0113
105.	RJ 13 P 1312

1	2	1	2
106.	RJ 13 P-1325	120.	RJ 13 P-0597
107.	RJ 13 P-1343	121.	RSC 5962
108.	RJ 13 P-1471	122.	RJI 5554
109.	RJ 13 P-1543	123.	RBC 7901
110.	RJ 13 P-420	124.	RJ 13 P-1494
111.	RRC 4087	125.	RJ 07 P-1937
112.	RJ 13 P-287	126.	RJ 31 P-0170
113.	RRC 4821	127.	FB 13K 4065
114.	RJ 13 P-1047	128.	RI 13 P-261
115.	RRC 8197	129.	FB 11 C-9329
116.	RSC 7365	130.	RJ 13 P-0589
117.	RJ 13 P-1697	131.	HP 37 422
118.	RJ 13 P-1577	132.	RJ 13 C-2701
119.	RJ 13 P-0609	133.	RJK 6765

परिशिष्ट-19

परिशिष्ट–1

(अतारांकित प्रश्न संख्या 382 का विवरण)

ब्यावर-पाटवा मार्ग पर संचालित बस सेवा को प्राप्त आय, प्रति कि. मी. एवं यात्री भार का विवरण

क्र.सं.	माह	कुल आय	आय प्रति कि.मी.	यात्री भार
1.	अक्टूबर, 96	3272	4.26	35
2.	नवम्बर, 96	17357	5.02	41
3.	दिसम्बर, 96	23471	5.91	48
4.	जनवरी, 97	17618	4.44	36
5.	फरवरी, 97	14695	4.25	34
6.	मार्च, 97	18552	4.83	39
7.	अप्रेल, 97	20366	5.30	43
8.	मई, 97	24914	6.54	53
9.	जून, 97	23952	6.45	52
10.	जुलाई, 97	20752	5.58	45
11.	अगस्त, 97	20568	5.31	43
12.	सितम्बर, 97	12664	3.79	31
13.	अक्टूबर, 97	7360	3.74	30

औसत आय प्रति कि.मी. = 5.03 रुपये

औसत यात्रीभार = 40 प्रतिशत

परिशिष्ट–20

(अतारांकित प्रश्न संख्या–384 की सूची एवं विवरण)

परिशिष्ट–1

क्र.सं.	तहसील का नाम	स्वी. कार्य	स्वी. राशि (लाखों में)
1.	नागौर	48	90.69
2.	डेगाना	29	55.72
3.	मेडतासिटी	34	108.56
4.	नावां	20	53.08
5.	मकराना	22	60.51
6.	परबतसर	14	31.99
7.	खींवसर	21	49.13
8.	जायल	31	59.59
9.	लाडनूं	24	50.57
10.	डीडवाना	22	73 25
		265	633.09

परिशिष्ट–ब

आश्वासित रोजगार योजना में तहसीलवार पूर्ण–अपूर्ण कार्य उन पर भुगतान एवं शेष भुगतान का विवरण

क्र.सं.	तहसील नाम	पंचायत समिति कार्य						सड़क निर्माण कार्य					
		पूर्ण कार्य			अपूर्ण कार्य			पूर्ण कार्य			अपूर्ण कार्य		
		संख्या	किया गया भुगतान	शेष भुगतान	संख्या	किया गया भुगतान	शेष भुगतान	संख्या	किया गया भुगतान	शेष भुगतान	संख्या	किया गया भुगतान	शेष भुगतान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	लाडनू	16	20.97	—	4	2.31	2.45	—	—	—	—	—	—
2.	जायल	27	31.54	1.34	—	—	—	4	2.17	1.45	—	—	—
3.	नावां	6	8.21	—	7	7.42	2.08	1	1.20	—	—	—	—
4.	मकराना	10	12.99	—	6	1.31	2.33	4	0.96	5.52	—	—	—
5.	परबतसर	8	9.13	0.39	3	—	3.57	3	2.09	5.42	—	—	—
6.	डीडवाना	5	6.41	3.08	9	5.71	5.00	—	—	—	—	—	—
7.	नागौर	25	26.81	3.70	16	10.88	8.32	5	—	2.42	—	—	—
8.	मेड़ता	9	11 89	—	13	10.44	7.58	5	12.06	9.70	7	30.97	22.42
9.	डेगाना	16	14.52	5.68	6	2.30	3.65	1	6.89	0.10	3	3.74	7.35
10.	खींवसर	11	10 81	3.05	6	4.33	1.61	2	8 92	2.26	—	—	—
	योग	133	153.28	17.24	70	44.40	36.59	25	34.29	26.87	10	34.71	29.77

क्र. सं.	तहसील का नाम	सिंचाई विभाग के माध्यम से कार्य						कुल कार्य					
		पूर्ण कार्य			अपूर्ण कार्य			पूर्ण कार्य			अपूर्ण कार्य		
		संख्या	किया गया भुगतान	शेष भुगतान	संख्या	किया गया भुगतान	शेष भुगतान	संख्या	किया गया भुगतान	शेष भुगतान	संख्या	किया गया भुगतान	शेष भुगतान
15	16	17	18	19	20	21	22	23	34	25	26	27	28
1.	लाडनूं	—	—	—	1	0.74	6.24	16	20.97	—	5	3.05	8.69
2.	जायल	—	—	—	—	—	—	31	33.71	2.79	—	—	—
3.	नावां	1	6.24	0.24	—	—	—	8	15.65	0.24	7	7.42	2.08
4.	मकराना	—	—	—	—	—	—	14	13.95	5.52	6	1.31	2.33
5.	परबतसर	—	—	—	—	—	—	11	11.22	5.81	3	—	3.57
6.	डीडवाना	4	11.04	16.94	—	—	—	9	17.45	20.02	9	5.71	5.00
7.	नागौर	—	—	—	1	1.80	5.18	30	26.81	6.22	17	12.68	13.50
8.	मेड़ता	—	—	—	1	4.19	2.81	14	23.95	9.70	21	45.30	32.81
9.	डेगाना	—	—	—	—	—	—	17	21.41	5.78	9	6.04	11.00
10.	खींवसर	—	—	—	—	—	—	13	19.73	5.31	6	4.33	1.61
	योग	5	17.28	17.18	3	6.73	14.23	163	204.85	61.29	83	85.84	80.59

परिशिष्ट "3"

तहसील–डेगाना विधान सभा क्षेत्र डेगाना, जिला नागौर

क्र.सं.	कार्य का नाम मय स्थान	स्वीकृत आदेश	स्वीकृत राशि (लाखों में)
1	2	3	4
1.	रा.प्रा.वि. में कमरे मय बरामदे चोखा की ढाणी	10779 4.5.98	2.36
2.	रा.प्रा.वि. में कमरा मय बरामदा मेवड़ा	,,	1.19
3.	,, टंकीपुरा	,,	1.19
4.	,, निम्बडी चांदावता	,,	1.19
5.	,, निम्बडी कोठारिया	14842 19.5.98	1.19
6.	,, आंतरोली खुर्द	,,	1.19
7.	,, बाल्या की ढाणी	15848 22.5.98	1.19
8.	,, खियावास	,,	1.19
9.	उ.प्रा.वि. कमरा बरामदा चौसली	17612 24.6.98	1.19
10.	प्रा.वि. कमरा बरामदा झगडवास	,,	1.19
11.	,, तामडोली	,,	1.19
12.	उ.प्रा.वि. कमरा बरामदा बरना	,,	1.19
13.	प्रा.वि. ,, ,, डूडियों की ढाणी	,,	1.19
14.	,, ,, नयावडी	,,	1.19
15.	,, ,, सेकों की ढाणी	,,	1.19
16.	,, ,, मिठडिया	,,	1.19
17.	,, ,, पूनियास	,,	1.19
18.	सामुदायिक भवन आंतरोली खुर्द	,,	1.19
19.	,, ,, ढाढरियाकला	,,	1.19

1	2		3	4
20.	प्रा.वि. कमरा बरामदा सनेडिया		10779/4.5.98	1.19
21.	उ.प्रा.वि ,,	मोडीकला	14842/19.5.98	1.19
22.	प्रा.वि. ,,	गोल	,,	1.19
23.	,, कन्या ,,	लाडपुरा	,,	1.19
24.	उ.प्रा.वि. ,,	सुदवाड	16587/6.6.98	1.19
25.	सामुदायिक भवन	आलनियावास	17612/24.6.98	1.19
26.	नीम्बडी चांदावता	ढाढ़रिया सड़क	16978/16.6.98	10.00
27	सम्पर्क सड़क गुन्दीसर		,,	1.80
28.	झगड़वास से नून्द		,,	6.00
29.	सम्पर्क सड़क आछोजाई		,,	7.00
				55.72

परिशिष्ट—"अ"

परिशिष्ट—21

(अतारांकित प्रश्न संख्या—385 का विवरण)

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, अजमेर (राज.)

पंचायत समिति अरांई (मिनाय विधान सभा के क्षेत्र) में शेष रहे भुगतान से सम्बद्ध कार्यों का विवरण— (राशि लाखों में)

क्र.सं.	योजना का नाम	कार्य का नाम	स्वी. क्रमांक/ दिनांक	स्वी. राशि	अब तक भुगतान की गई राशि	शेष रही राशि	बकाया रही राशि के भुगतान की निर्धारित तिथि	भुगतान शेष रहने के कारण	जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी व्यक्ति	विशेष विवरण (कार्य की स्थिति)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	32 जिला 32 काम	सार्व.कूप पर कार्य एवं डी.पी.एस. सुनारिया (ग्रा.पं. हरपुरा)	124/31.3.98	0.50	0.35	0.15	जनवरी,99	सरपंच द्वारा सामग्री के बिल प्रस्तुत नहीं करने के कारण	श्री लादूराम सरपंच	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	32 जिला 32 काम	सार्व.कूप रामबेरी डी पी.एस. बोराड़ा	124/31.3.98	0.20	—	0.20	मार्च, 99	सरपंच द्वारा मस्टर रोल एवं सामग्री के बिल प्रस्तुत नहीं करने के कारण	—	प्रगति पर
3.	जे.आर.वाई. सुनारिया से जूनिया सड़क पर 15% (पं. स. स्तर) पुलिया निर्माण ग्रा.पं. हरपुरा		11454/30.12.97	0.38	0.30	0.08	जनवरी,99	सरपंच द्वारा सामग्री के बिल प्रस्तुत नहीं करने के कारण	श्री लादूराम सरपंच	पूर्ण
		योग		1.08	0.65	0.43				

परिशिष्ट–22

(अतारांकित प्रश्न संख्या–388 का विवरण)

चूरू जिले में विभिन्न योजनान्तर्गत बन रही योजनाओं एवं कार्य का ग्रामवार/तहसीलवार विवरण

क्र. सं	ज ग्र.क्षे. का नाम	योजना	गांव	तहसील	स्वीकृत वर्ष	कराये जा रहे कार्य	व्यय राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	धाधू	एन.डब्लू.डी.पी.	धाधू राणासर	चुरू	97–98	काण बिन्डग (के. बी) फार्म पौड (एफ पी.) पशुधन विकास शुल्क बागवानी, कृषि वानिकी एवं अन्य कार्य	9.59
2.	मेलूसर	,,	जयसिंहसर, मेलूसर नैयासर	सरदार शहर	97-98	,,	13.66
3.	लददासर	,,	लददासर कांगड	रतनगढ़	97-98	,,	14.02
4.	उदासर चारणन	,,	ग्राडसर, धीरदेसर उदासर चारणन	डूंगरगढ़	97-98	,,	1321
5.	बालेरा	,,	डूंगर बालेरा, रूपेली गोपालपुरा	सुजानगढ़	97-98	,,	14.08
6.	धीरवास	,,	धीरवास	तारानगर	97-98	,,	14.36

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	ददरेवा	एन.डब्लू.डीपी.	ददरेवा	राजगढ़	97-98	do	7.88
8.	कुन्सीसर (4 कलस्टर)	ई. ए. एस.	कुन्सीसर	चुरू	97-98	,,	10.78
9.	थैलासर (एक कलस्टर)	,,	थैलासर	चुरू	97-98	,,	7.50
10.	डोकवा (चार कलस्टर)	,,	डोकवा	राजगढ़	97-98	,,	12.45
11.	रतनपुरा (एक कलस्टर)	,,	रतनपुरा	राजगढ़	97-98	,,	9.85
12.	हरिपुरा (चार कलस्टर)	,,	हरिपुरा	तारानगर	97-98	,,	14.93
13.	लोडेरा (चार कलस्टर)	,,	लोडेरा	डूंगरगढ़	97-98	,,	12.34
14.	गनोडा (चार कलस्टर)	,,	गनोडा	सुजानगढ़	97-98	,,	7.13
15.	मादासर दिरयनादा) (9 कलस्टर)	डी.डी.पी.	मादासर, प्राशासर	सरदार शहर	96-97	,,	37-66 15.00
16.	बासी ग्राथूनी (8 कलस्टर	,,	बासी ग्राथूनी गेदडा	सुजानगढ़	96-97	,,	23.23
17.	सोनियासर (2 कलस्टर)	,,	सोनियासर	डूंगरगढ़	96-97	,,	8.65

प्राप्त शिकायतों एवं की गई कार्यवाही का विवरण

क्र.सं.	जल ग्रहण क्षेत्र का नाम	शिकायत की दिनांक	शिकायतकर्त्ता का विवरण	कार्यवाही विवरण
1	2	3	4	5
2.	टुंकर तह. सुजानगढ़ चूरू	6-11-97	(1) द्वारा श्री नरेन्द्र बुडानिया पूर्व संसद सदस्य 1. मालाराम पुत्र श्री बूलनाथ एवं अन्य 2. श्री कुशलनाथ, सरपंच टुंकर व अन्य 3. रत्नाराम व अन्य	उक्त क्षेत्र में कार्य बाबत शिकायतें प्राप्त हुई थी जिसकी जांच उप निदेशक स्तर के अधिकारी से करवाई गई जिससे रिपोर्ट दिनांक 30-1-98 को प्राप्त हुई शिकायतें बेबुनियाद पायी गयी।
		6-1-98	(2) प्रधान पं.स. सुजानगढ़ द्वारा पत्र लिखा गया।	
2.	लोडेरा	25-4-97	ग्राम वासी लोडेरा (बजरंग लाल व अन्य)	उक्त जलग्रहण क्षेत्र में जलग्रहण समितियों के गठन के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई थी जिसकी जांच उप निदेशक स्तर के अधिकारी से करवाई गई। उक्त क्षेत्र में 2 कमेटियों का गठन किया गया था, जिस संबंध में शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं थे। ग्रामवासियों को पुनः दिनांक 11-9-97 को एकत्रित कर मत विभाजन करवाया गया शिकायतकर्त्ताओं के

1	2	3	4	5
				पक्ष में 48 तथा विपक्ष में 52 मत पड़े। कमेटियों की स्थिति यथावत है। इस दरमियान ही इस प्रकरण की जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा समस्त पत्रावलियां मंगवाली गई एवं प्रकरण को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को भिजवा दिया गया। जांच प्रगति पर है तथा प्रकरण भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में होने के कारण कार्य पूर्णतया बन्द है क्यों कि कार्य इन कमेटियों द्वारा सम्पन्न कराये जाते हैं।
3.	ग्राथूनी मूण्डदा लोडेरा	16-12-98	श्री नारायण सिंह द्वारा उप शासन सचिव C ग्रुप-1)	यह प्रकरण पूर्णतया भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के अधीन 3-10-98 से विचाराधीन है भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा जांच की जा रही है।

परिशिष्ट-23

(अतारांकित प्रश्न संख्या–389 का विवरण)

परिशिष्ट–1

पाली जिले में गत 4 वर्षों में उपलब्ध कराई गई राशि का योजनावार विवरण

क्र. सं.	योजना का नाम	उपलब्ध करायी राशि (लाखों में)
1.	राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास परियोजना	647.00
2.	मरू विकास कार्यक्रम	373.11
3.	सुनिश्चित रोजगार योजना	117.12
4.	बंजर भूमि विकास योजना	176.89
	योग	1315.12

परिशिष्ट–2

पाली जिले में गत चार वर्षों में पूर्ण हुई योजनाओं का योजनावार विवरण

योजना का नाम : राष्ट्रीय जलग्रहण विकास परियोजना

क्र. सं.	जलग्रहण क्षेत्र योजना का नाम
1.	बमनिया
2.	घानेराव
3.	पीपलाद

योजना का नाम : मरू विकास कार्यक्रम
प्रगति पर है।

योजना का नाम : सुनिश्चित रोजगार योजना
प्रगति पर है।

योजना का नाम : बंजर भूमि विकास
प्रगति पर है।